पंचदश माला, खंड 24, अंक 14

शुक्रवार, 30 मार्च, 2012
10 चैत्र, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 85
Dated 10 Sept 2014

(खण्ड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

कीर्ति यादव
सहायक सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 24, दसवां सत्र 2012/1934 (शक)]

अंक 14, शुक्रवार, 30 मार्च, 2012/10 चैत्र, 1934 (शक)

विषय — कॉलम

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 241 1-119

प्रश्नों के लिखित उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 242 से 260 120-253

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 से 2990 253-939

सभा पटल पर रखे गए पत्र 940-979

लोक लेखा समिति

52वें से 55वां प्रतिवेदन 979

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) पंचायती राज मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों (2010-11) पर ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री वी. किशोर चन्द्र देव 980

(दो) पर्यटन मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों (2010-11) (मांग संख्या 93) पर समिति के 154वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 162वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री सुल्तान अहमद 981

(तीन) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग के संबंध में अनुदानों की मांगों (2011-12) पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री मिलिन्द देवरा 982

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

कार्य मंत्रणा समिति के 35वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 982

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मलयालम साहित्य में योगदान के लिए प्रो. सूरानंद कुंजन पिल्लै और थकाजी शिवशंकरन पिल्लै के सम्मान में स्मारक डाक-टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश 983

(दो) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में नियुक्त शिक्षा मित्रों को दिए जाने वाले मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री हर्ष वर्धन 984

(तीन) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के लाभार्थियों की पेंशन को संशोधित करने तथा उनकी शिकायतों का निवारण किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. अलागिरी 985

(चार) कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जंगली हाथियों के मानव बस्तियों में घूमने को रोकने के लिए सौर बाड़ लगाने हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. ध्रुवनारायण 985

(पांच) बिहार के किशनगंज जिले तथा पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में यात्रियों को आरक्षित रेल टिकटें उपलब्ध कराने में पारदर्शिता बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री मोहम्मद असरारुल हक 986

(छह) तमिलनाडु में विशेष रूप से कांचीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राचीन स्मारकों से 300 मीटर की दूरी के भीतर निर्माण कार्य को प्रतिषिद्ध करने वाले कानून की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. विश्वनाथन 987

(सात) जीवन रक्षक औषधियों को 'अनिवार्य लाइसेंसिंग' तंत्र के अंतर्गत लाने के लिए उनकी पहचान करने के लिए अध्ययन कराए जाने की आवश्यकता

श्री एंटो एंटोनी 989

(आठ) जोधपुर से अहमदाबाद के बीच बरास्ता समदडी-भीलडी पैसेंजर ट्रेन पुनः आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री देवजी एम. पटेल 989

विषय कॉलम

(नौ) महाराष्ट्र में जालना और खामगांव के बीच रेलवे लाइन के निर्माण को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता

श्री दानवे रावसाहेब पाटील 990

(दस) झारखंड में धनबाद के भूली श्रमिक नगरी के मकानों में चार वर्ष से रह रहे परिवारों की बेदखली को रोके जाने की आवश्यकता

श्री पशुपति नाथ सिंह 990

(ग्यारह) बिहार के पटना में एम्स के निर्माण कार्य तथा इसके लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

प्रो. रंजन प्रसाद यादव 991

(बारह) ओडिशा के मयूरभंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 को दो लेन से बदलकर चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण टुडु 992

(तेरह) नदी जल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे 992

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 999-1000

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 1000-1022

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1023-1024

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 1023-1026

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

शुक्रवार, 30 मार्च, 2012/10 चैत्र, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल। प्रश्न संख्या 241, श्री पी.के. बिजू।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

इस समय, श्री के. चन्द्रशेखर राव, श्री पोन्नम प्रभाकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया शुरू कीजिए।

पूर्वाह्न 11.01½ बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

1-119

विद्युत परियोजनाएं

\+

***241. श्री पी.के. बिजू :**

राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और ालू वर्ष के दौरान देश में शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं का परियोजना/राज्य/क्षेत्र और स्रोत-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में चल रही विद्युत परियोजनाओं का उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता सहित परियोजना/राज्य/क्षेत्र और स्रोत-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक चालू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या चालू परियोजनाओं की समय-सीमा और लागत में वृद्धि हुई है और विद्युत उत्पादन में भी कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2008-09, 2009-10, 2010-11 और चालू वर्ष के दौरान (दिनांक 29.03.2012 तक) 40919.9 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजनाएं तथा 3079 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाएं चालू की गई थीं। इन ताप तथा जल-विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार, क्षेत्र-वार और स्रोत-वार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I तथा II पर संलग्न है।

(ख) और (ग) देश में चल रही ताप तथा जल-विद्युत परियोजनाओं के विवरण के साथ उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता, चालू होने के प्रत्याशित कार्यक्रम सहित राज्य/क्षेत्र/स्रोत-वार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-III तथा IV पर संलग्न हैं।

(घ) और (ङ) कुछ चल रही ताप तथा जल-विद्युत परियोजनाओं की समय-सीमा और लागत में वृद्धि हुई है। इनका ब्यौरा अनुबंध-III तथा V पर दिया गया है।

(च) परियोजनाओं को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चालू किया जाना सुनिश्चित करने के लिए अनेक सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। इनमें बीएचईएल की विनिर्माण क्षमता का दिसम्बर, 2012 तक 20,000 मेगावाट तक संवर्धन, बीएचईएल से विद्युत उपस्करों की आपूर्ति से संबंधित मामलों की सचिव (भारी उद्योग) की अध्यक्षता में एक समूह द्वारा आवधिक समीक्षा, ताप विद्युत संयंत्रों के लिए सुपरक्रिटिकल बॉयलरों तथा टरबाइन जनरेटरों के विनिर्माण के लिए कई नए संयुक्त उद्यमों का गठन, शेष संयंत्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विक्रेता आधार को व्यापक बनाने के लिए पणधारियों को सुग्राही बनाना, विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत परियोजना निगरानी पैनल और विद्युत मंत्री की अध्यक्षता वाले सलाहकार समूह सहित विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की कड़ी निगरानी और वेब-आधारित निगरानी प्रणाली की शुरूआत करना शामिल हैं।

अनुबंध-I

2008-09 से 2011-12 तक चालू 11वीं योजना की ताप विद्युत परियोजनाएं

राज्य	परियोजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	यूनिट सं. (मेगावाट)	क्षमता	मुख्य संयंत्र उपस्कर आपूर्तिकर्त्ता	चालू होने की वास्तविक तारीख
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2009						
केन्द्रीय क्षेत्र						
छत्तीसगढ़	भिलाई टीपीपी विस्तार	एनएसपीसीएल	यू-1	250	भेल	24.04.08
छत्तीसगढ़	सीपत-II	एनटीपीसी	यू-5	500	भेल	27.12.08
	कुल केंद्रीय क्षेत्र			750		
राज्य क्षेत्र						
मध्य प्रदेश	अमरकंटक टीपीपी	एमपीपीजीसीएल	यू-5	210	भेल	15.06.08
पंजाब	गुरु हर गोविंद टीपीएस-II	पीएसईबी	यू-4	250	भेल	31.07.08
तमिलनाडु	वलुथूर सीसीपीपी विस्तार	टीएनईबी	जीटी	59.8	अन्य	06.05.08
			एसटी	32.4	अन्य	16.02.09
पश्चिम बंगाल	सागरडिघी	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	यू-2	300	चीन	20.07.08
	कुल राज्य क्षेत्र		852.2			
निजी क्षेत्र						
छत्तीसगढ़	ओ.पी. जिन्दल एसटीपीपी		यू-4	250	भेल	17.06.08
गुजरात	सुगेन सीसीपीपी (अखाखोल)		ब्लॉक-1	382.5	अन्य	04.02.09
महाराष्ट्र	ट्रांबे टीपीएस विस्तार	टाटा पावर कंपनी	यू-8	250	भेल	26.03.09
	कुल निजी क्षेत्र			882.5		
	2008-09 में कुल चालू			2484.7		
वर्ष 2009-10						
बिहार	कहलगांव चरण-II, फेज-2	एनटीपीसी	यू-7	500	भेल	31.07.09

1	2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़	भिलाई टीपीपी विस्तार	एनएसपीसीएल	यू-2	250	भेल	12.07.09
झारखंड	चन्द्रपुरा टीपीएस विस्तार	डीवीसी	यू-7	250	भेल	04.11.09
			यू-8	250	भेल	31.03.10
उत्तर प्रदेश	एनसीपी परियोजना चरण-II, यू-5	एनटीपीसी	यू-5	490	भेल	29.01.10
	कुल केंद्रीय क्षेत्र			1740		
राज्य क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा टीपीपी-4	एपीजेनको	यू-1	500	भेल	08.10.09
गुजरात	कच्छ लिग्नाइट टीपीएस विस्तार	जीएसईसीएल	यू-4	75	भेल	01.10.09
गुजरात	उतरान सीसीपीपी विस्तार	एचपीजीसीएल	जीटी	240	अन्य	08.08.09
			एसटी	134	अन्य	10.10.09
हरियाणा	राजीव गांधी टीपीएस, हिसार	एचपीजीसीएल	यू-1	600	चीन	31.03.10
महाराष्ट्र	न्यू पारली टीपीपी	एमएसपीजीसीएल	यू-2	250	भेल	10.02.10
महाराष्ट्र	पारस टीपीएस विस्तार यू-2	एमएसपीजीसीएल	यू-2	250	भेल	27.03.10
राजस्थान	छबड़ा टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	यू-1	250	भेल	30.10.09
राजस्थान	गिराल लिग्नाइट-II	आरआरवीयूएनएल	यू-2	125	भेल	06.11.09
राजस्थान	कोटा टीपीपी	आरआरवीयूएनएल	यू-7	195	भेल	31.08.09
राजस्थान	सुरतगढ़ टीपीपी	आरआरवीयूएनएल	यू-6	250	भेल	29.08.09
पश्चिम बंगाल	बक्रेश्वर टीपीएस	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	यू-5	210	भेल	07.06.09
	कुल राज्य क्षेत्र			3079		
निजी क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	गौतमी सीसीपीपी	गौतमी पावर लि.	जीटी-1	145	अन्य	03.05.09
			जीटी-2	145	अन्य	03.05.09
			एसटी	174	अन्य	03.05.09

1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	कोनासीमा सीसीपीपी	कोनासीमा गैस पावर लि.	जीटी-1	140	अन्य	01.05.09
			जीटी-2	140	अन्य	01.05.09
आंध्र प्रदेश	लेनको कोंडापल्ली फेज-II (जीटी)	लेनको कोंडापल्ली	जीटी	233	अन्य	05.12.09
छत्तीसगढ़	लेनको अमरकंटक टीपीएस फेज-I, यू-1	लेनको अमरकंटक पावर प्रा.लि.	यू-1	300	चीन	04.06.09
छत्तीसगढ़	लेनको अमरकंटक टीपीएस फेज-I, यू-1	लेनको अमरकंटक पावर प्रा.लि.	यू-2	300	चीन	26.03.10
गुजरात	मुन्द्रा टीपीपी फेज-I (यू-1 और 2)	अडानी पावर लि.	यू-1	330	चीन	04.08.09
			यू-2	330	चीन	17.03.10
गुजरात	सुगेन सीसीपीपी (अखाखोल)	टोरेंट पावर जेन. लि.	ब्लॉक-II	382.5	अन्य	07.05.09
			ब्लॉक-III	382.5	अन्य	08.06.09
कर्नाटक	तोरांगल्लू टीपीपी	जेएसडब्ल्यू एनर्जी (विजयनगर) लि.	यू-1	300	चीन	27.04.09
			यू-2	300	चीन	24.08.09
राजस्थान	जलीपा-कपूरदी टीपीपी	राज वेस्ट पावर लि. (जेएसडब्ल्यू)	यू-1	135	चीन	16.10.09
उत्तर प्रदेश	रोजा टीपीपी फेज-1	रोजा पावर सप्लाई कंपनी लि. रिलायंस एनर्जी	यू-1	300	चीन	10.02.10
पश्चिम बंगाल	बज-बज-III	सीईएससी	यू-3	250	भेल	29.09.09
	कुल निजी क्षेत्र			4287		
	2009-10 में कुल चालू			9106		
वर्ष 2010-11						
केंद्रीय क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	सिम्हाद्रि एसटीपीपी विस्तार	एनटीपीसी	यू-3	500	भेल	31.03.11
छत्तीसगढ़	कोरबा एसटीपीपी	एनटीपीसी	यू-7	500	भेल	26.12.10

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	इंदिरा गांधी टीपीपी	एपीसीपीएल	यू-1	500	भेल	31.10.10
राजस्थान	बरसिंहसर लिग्नाइट	एनएलसी	यू-1	125	भेल	28.06.10
			यू-2	125	भेल	25.01.11
उत्तर प्रदेश	एनसीपी परियोजना चरण-II	एनटीपीसी	यू-6	490	भेल	30.07.10
पश्चिम बंगाल	फरक्का एनटीपीसी-III	एनटीपीसी	यू-6	500	भेल	23.03.11
पश्चिम बंगाल	मेजिया टीपीएस विस्तार	डीवीसी	यू-1	500	भेल	30.09.10
			यू-2	500	भेल	26.03.11
	कुल केंद्रीय क्षेत्र			3740		
राज्य क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	काकतिया टीपीपी	एपीजेनको	यू-1	500	भेल	27.05.10
आंध्र प्रदेश	रायलसीमा टीपीपी चरण-III	एपीजेनको	यू-5	210	भेल	31.12.10
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III	पीपीसीएल	जीटी-1	250	भेल	24.10.10
			जीटी-2	250	भेल	16.02.11
गुजरात	सूरत लिग्नाइट टीपीपी हिसार	जीआईपीसीएल	यू-3	125	भेल	12.04.10
			यू-4	125	भेल	23.04.10
हरियाणा	राजीव गांधी टीपीएस, हिसार	एचपीजीसीएल	यू-2	600	चीन	01.10.10
कर्नाटक	रायचूर यू-8	केपीसीएल	यू-8	250	भेल	26.06.10
राजस्थान	छबड़ा टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	यू-2	250	भेल	04.05.10
त्रिपुरा	बारामूरा जीटी विस्तार	टीएसईसीएल	यू-5	21	भेल	03.08.10
	कुल राज्य क्षेत्र		2581			
निजी क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	कोनासीमा सीसीपीपी	कोनासीमा गैस पावर लिमिटेड	एसटी	165	अन्य	30.06.10
आंध्र प्रदेश	लेनको कोण्डापल्ली	लेनको कोण्डापल्ली	एसटी	133	चीन	19.07.10

1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	रिठाला सीसीपीपी	एनडीपीएल	जीटी-1	35.75	अन्य	09.12.10
			जीटी-2	35.75	अन्य	04.10.10
गुजरात	मुन्डरा टीपीपी फेज-I (यू-3 और 4)	अदानी पावर लिमिटेड	यू-3	330	चीन	02.08.10
			यू-4	330	चीन	20.12.10
गुजरात	मुन्डरा टीपीपी फेस-II	अदानी पावर लिमिटेड	यू-1	660	चीन	26.12.10
कर्नाटक	उडिपि टीपीपी	यूपीसीएल	यू-1	600	चीन	23.07.10
महाराष्ट्र	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरि टीपीपी	जेएसडब्ल्यू एनर्जी (रत्नागिरि) लि.	यू-1	300	चीन	24.08.10
			यू-2	300	चीन	09.12.10
महाराष्ट्र	वर्धा वरोरा टीपीपी	डब्ल्यूपीसीएल	यू-1	135	चीन	05.06.10
			यू-2	135	चीन	10.10.10
			यू-3	135	चीन	13.01.117
ओडिशा	स्टरलाइट टीपीपी	स्टरलाइट एनर्जी लि.	यू-1	600	चीन	14.10.10
			यू-2	600	चीन	29.12.10
राजस्थान	जलिपा-कपूरदी टीपीपी	राज वेस्ट पावर लि. (जेएसडब्ल्यू)	यू-2	135	चीन	08.07.10
उत्तर प्रदेश	रोजा टीपीपी फेज-I	रोसा पावर सप्लाई को. रिलायंस एनर्जी	यू-2	300	चीन	28.06.10
	कुल निजी सेक्टर			4929.5		
	कुल चालू 2010-11			11250.5		
वर्ष 2011-12						
केंद्रीय सेक्टर						
छत्तीसगढ़	सीपत-I	एनटीपीसी	यू-1	660	भेल	28.06.11
			यू-2	660	भेल	24.12.11

1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	इंदिरा गांधी टीपीपी	एपीसीपीएल	यू-2	500	भेल	05.11.11
झारखंड	कोडरमा टीपीपी	डीवीसी	यू-1	500	भेल	20.07.11
तमिलनाडु	नैवेली टीपीएस-II विस्तार	एनटीपीसी	यू-1	250	भेल	04.01.12
तमिलनाडु	वेल्लूर टीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	500	भेल	28.03.12
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर स्टील फसे-I	डीवीसी	यू-1	500	भेल	29.07.11
			यू-2	500	भेल	23.03.12
	कुल केन्द्रीय सेक्टर			4070		
राज्य सेक्टर						
आंध्र प्रदेश	कोथागुदम टीपीपी-VI	एपीजीइएनसीओ	यू-1	500	भेल	26.06.11
असम	लकवा वास्ट हीट यूनिट	एपीजीसीएल	एसटी	37.2	भेल	24.12.11
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III	पीपीसीएल	एसटी-1	250	भेल	29.02.12
गुजरात	हजीरा सीसीपीपी विस्तार	जीएसइसीएल	जीटी+एसटी	351	भेल	18.02.12
कर्नाटक	बेल्लारी टीपीएस विस्तार	केपीसीएल	यू-2	500	भेल	23.03.12
महाराष्ट्र	भुसावल टीपीएस विस्तार	एमएसपीजीसीएल	यू-4	500	भेल	07.03.12
महाराष्ट्र	कपेरखेडा टीपीएस विस्तार	एमएसपीजीसीएल	यू-5	500	भेल	05.08.11
उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज विस्तार	यूपीआरवीयूएनएल	यू-8	250	भेल	27.09.11
पश्चिम बंगाल	सेनटलदी टीपीपी विस्तार फेज-II	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	यू-6	250	भेल	29.06.11
	कुल राज्य सेक्टर			3138.2		
निजी क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	सिम्हापुरी टीपीपी	मधुकोन एनर्जी लिमिटेड	यू-1	150	चीन	24.03.12
छत्तीसगढ़	कसाईपल्ली	एसीबी इंडिया लिमिटेड	यू-1	135	चीन	13.12.11
छत्तीसगढ़	कटगोरा टीपीपी	वंदना एनर्जी एंड लिमिटेड	यू-1	35	चीन	14.02.12

1	2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़	एसवी पावर टीपीपी	एसवी पावर प्राइवेट लिमिटेड	यू-1	63	चीन	07.12.11
दिल्ली	रिठाला सीसीपीपी	एनडीपीएल	एसटी	36.5	अन्य	04.09.11
गुजरात	मुंडरा टीपीपी फेस-II	अदानी पावर लिमिटेड	यू-2	660	चीन	20.07.11
गुजरात	मुंडरा टीपीपी फेस-III	अदानी पावर लिमिटेड	यू-1	660	चीन	07.11.11
			यू-2	660	चीन	03.03.12
			यू-3	660	चीन	09.03.12
गुजरात	मुडरा यूटीपीपी	टाटा पावर को.	यू-1	800	चीन	25.02.12
गुजरात	सलाया टीपीपी	अस्सार पावर गुजरात लिमिटेड	यू-1	600	चीन	22.02.127
हरियाणा	झज्जर टीपीपी (महात्मा गांधी टीपीपी)	सीएलपी पावर इंडिया प्रा. लिमिटेड	यू-1	660	चीन	12.01.12
झारखंड	मेथन आरबी टीपीपी	डीवीसी	यू-1	525	भेल	30.06.11
			यू-2	525	भेल	23.03.12
कर्नाटक	उड्प्पी टीपीपी	यूपीसीएल	यू-2	600	चीन	17.04.11
महाराष्ट्र	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरि टीपीपी	जेएसडब्ल्यू एनर्जी (रत्नागिरि) लिमिटेड	यू-3	300	चीन	06.05.11
			यू-4	300	चीन	08.10.11
महाराष्ट्र	मिहान टीपीएस	अभिजीत एमएडीसी नागपुर एनर्जी प्रा. लिमिटेड	यू-1	61.5	चीन	09.02.12
			यू-2	61.5	चीन	09.02.12
			यू-3	61.5	चीन	09.02.12
			यू-4	61.5	चीन	09.02.12
महाराष्ट्र	वर्धा वरोरा टीपीपी	डब्ल्यूपीसीएल	यू-4	135	चीन	30.04.11

1	2	3	4	5	6	7
ओडिशा	स्टरलाइट टीपीपी	स्टरलाइट एनर्जी लिमिटेड	यू-3	600	चीन	16.08.11
राजस्थान	जलीपा-कपूरदी टीपीपी	राज वेस्ट पावर लिमिटेड (जेएसडब्ल्यू)	यू-3	135	चीन	02.11.11
			यू-4	135	चीन	23.11.11
उत्तर प्रदेश	अनपरा-री	लेनको अनपरा पावर प्रा. लिमिटेड	यू-1	600	चीन	15.11.11
उत्तर प्रदेश	अनपरा-सी	लेनको अनपरा पावर प्रा. लिमिटेड	यू-2	600	चीन	12.11.11
उत्तर प्रदेश	बरखेड़ा-टीपीसी	बजाज एनर्जी प्रा. लिमिटेड	यू-1	45	अन्य	06.11.11
			यू-2	45	अन्य	28.01.12
उत्तर प्रदेश	खांबरखेड़ा टीपीपी	बजाज एनर्जी प्रा. लिमिटेड	यू-1	45	अन्य	17.10.11
			यू-2	45	अन्य	28.11.11
उत्तर प्रदेश	कुण्डरकी टीपीपी	बजाज एनर्जी प्रा. लिमिटेड	यू-1	45	अन्य	10.01.12
			यू-2	45	अन्य	29.02.12
उत्तर प्रदेश	मकसूदपुर टीपीपी	बजाज एनर्जी प्रा. लिमिटेड	यू-1	45	अन्य	0[illegible].11.11
			यू-2	45	अन्य	21.01.12
उत्तर प्रदेश	रोजा टीपीपी फेस-II	रिलायंस पावर लिमिटेड	यू-3	300	चीन	27.12.11
उत्तर प्रदेश	रोजा टीपीपी फेज-II	रिलायंस पावर लिमिटेड	यू-4	300	चीन	28.03.12
उत्तर प्रदेश	उतराला टीपीपी	बजाज एनर्जी प्रा. लिमिटेड	यू-1	45	अन्य	21.02.12
			यू-2	45	अन्य	19.03.12
	कुल निजी क्षेत्र			10870.5		
	कुल चालू 2011-12			18078.7		
	कुल चालू 2008-12 (29.03.2012 तक)			40919.9		

अनुबंध-II

गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में 26.3.212 के दौरान चालू की गई जल विद्युत राज्य-वार, क्षेत्र-वार तथा स्रोत-वार परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम/राज्य/संगठन सं. x साइज = क्षमता (मेगावाट)	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की तारीख	मुख्य संयंत्र उपस्कर आपूर्तिकर्त्ता
1	2	3	4	5	6
	वर्ष 2008-09				
	राज्य क्षेत्र				
1.	बगलीहर जम्मू और कश्मीर/जेकेपीडीसी (3x150 मेगावाट)	1 2 3	150 150 150	19.09.08 26.10.08 14.11.08	वोइथ सीमेंस एंड वीए टेक्नोलॉजी
2.	घाटघर पीएसएस महाराष्ट्र/जीओएमआईडी (3x125 मेगावाट)	1 2	125 125	13.05.08 01.07.08	निश्शों आईवाई कॉरपोरेशन, जापान (अब (फुजी समितोमो)
3.	प्रियदर्शिनी जुराला आंध्र प्रदेश/एपीजेनको (6x39 = 234 मेगावाट)	2	39	31.08.08	चाइना नेशनल मशीनरी इक्विपमेंट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, चीन
4.	वाराही विस्तार कर्नाटक/केपीसीएल (2x115 मेगावाट)	1 2	115 115	11.01.09 09.02.09	वाटेक हाइड्रो जीएमबीएच एंड कंपनी, आस्ट्रिया
	उप जोड़		969 मेगावाट		
	वर्ष 2009-10				
	राज्य क्षेत्र				
1.	प्रियदर्शिनी जुराला आंध्र प्रदेश/एपीजेनको (6x39 = 234 मेगावाट)	3	39	27.06.2009	चाइना नेशनल मशीनरी इक्विपमेंट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, चीन
	उप जोड़		39		
	वर्ष 2010-11				
	केंद्रीय क्षेत्र				
1.	सेवा-II जम्मू और कश्मीर/एनएचपीसी (3x40 = 120 मेगावाट)	1 2 3	40 40 40	22.06.2010 23.07.2010 01.07.2010	भेल

1	2	3	4	5	6
2.	कोटेश्वर उत्तराखंड/टीएचडीसी (4×100 = 400 मेगावाट)	1 2	100 100	28.03.2011 31.03.2011	भेल
	राज्य क्षेत्र				
3.	कुटियाडी अतिरिक्त विस्तार केएसईबी/केरल (2×50 = 100 मेगावाट)	1 2	50 50	23.05.2010 23.09.2010	भेल
4.	प्रियदर्शिनी जुराला आंध्र प्रदेश/एपीजेनको (6×39 = 234 मेगावाट)	4 5	39 39	28.08.2010 09.11.2010	चाइना नेशनल मशीनरी इक्विपमेंट इम्पोट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, चीन
5.	अलाइन दुहंगन (2×96 = 192 मेगावाट)	1 2	96 96	16.09.2010 18.09.2010	भेल
	जोड़		690		
	वर्ष 2011-12				
	केन्द्रीय क्षेत्र				
1.	कोटेश्वर उत्तराखंड/टीएचडीसी (4×100 = 400 मेगावाट)	3 4	100 100	25.01.2012 23.03.2012	भेल
2.	प्रियदर्शिनी जुराला (6×39 = 234 मेगावाट)	6	39	09.06.2011	चाइना नेशनल मशीनरी इक्विपमेंट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन, चीन
3.	मिंत्दु मेघालय/एमईईसीएल (3×42 = 126 मेगावाट)	1	42	23.11.2011	व्री.ए. टेक. (अब एंड्रिटज)
4.	मलाना-II हिमाचल प्रदेश/ईपीपीएल (2×50 = 100 मेगावाट)	1 2	50 50	06.08.2011 14.08.2011	डोंगफांग इलेक्ट्रिक, चीन
5.	करछाम वांग्टू हिमाचल प्रदेश/जेएचपीसीएल (4×250 = 1000 मेगावाट)	1 2 3 4	250 250 250 250	24.05.2011 21.06.2011 08.09.2011 13.09.2011	वोइथ सीमेंस
	उप जोड़ (26.03.2012 तक)		1381		
	कुल		3079		

अनुबंध-III

देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं

राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	मुख्य संयंत्र मशीन आपूर्तिकर्त्ता	ईकाई संख्या	क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक चालू होने का कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	सिम्हाद्री एसटीपीएस एक्सटें.	एनटीपीसी	बीएचईएल	यू-4*	500	जुलाई-11
असम	बोगाईगांव टीपीपी	एनटीपीसी	बीएचईएल	यू-1*	250	जनवरी-11
असम	बोगाईगांव टीपीपी	एनटीपीसी	बीएचईएल	यू-2*	250	मई-11
असम	बोगाईगांव टीपीपी	एनटीपीसी	बीएचईएल	यू-3#	250	सितंबर-11
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-I	एनटीपीसी	अन्य	यू-1	660	
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-I	एनटीपीसी	अन्य	यू-2	660	अप्रैल-14
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-I	एनटीपीसी	अन्य	यू-3	660	अक्तूबर-14
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-II	एनटीपीसी	बीएचईएल	यू-4	660	दिसंबर-12
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-II	एनटीपीसी	बीएचईएल	यू-5	660	अक्तूबर-13

अनुमानित चालू होने का कार्यक्रम	बढ़ा हुआ समय (महीना)	वास्तविक लागत करोड़ रु.	अब तक की नवीनतम लागत करोड़ रु.	अब तक की बढ़ी हुई लागत करोड़ रु.	स्थिति/देरी होने का कारण
8	9	10	11	12	13
मार्च-12	8	5103.39 (यू-3 एवं 4)	5038.53 (यू-3 एवं 4)	-64.86	एसबीओ और ऑयल फ्लशिंग का कार्य पूरा मार्च 12 में साईक्रोनीजेशन और पूरे लोड की आशा है। देरी का कारण – इरा के द्वारा सिविल कार्यों में देरी और भेल द्वारा महत्वपूर्ण सामग्री की पूर्ति में देरी।
सितंबर-13	32	4375.35	4375.35	0.00	एचटी कार्य पूरा किया। बीएलयू-08/12, बाक्स-उप-2012 देरी का कारण – बारंबार बंदी, भारी वर्षा मैसर्स एसपीएमएल प्रमुख सिविल एजेंसी का खराब निष्पादन।
जून-14	37				डीएल पूरा किया गया एचटी-30/12 तक टीजी निर्माण। देरी का कारण – बारंबार बंदी, भारी वर्षा मैसर्स एसपीएमएल प्रमुख सिविल एजेंसी का खराब निष्पादन, सिविल कार्य अन्य पार्टी को दिया गया।
दिसंबर-14	39				बॉलयर और टीजी का निर्माण अभी शुरू होना है। देरी का कारण – बारंबार बंदी, भारी वर्षा मैसर्स एसपीएमएल प्रमुख सिविल एजेंसी का खराब निष्पादन, सिविल कार्य अन्य पार्टी को दिया गया।
सितंबर-14	12	8693	8693	0	एचटी-01/13, बीयू-02/13 देरी का कारण – एनटीपीसी और पावर मशीन एंड टेक्नोप्रोम रशिया के बीच विवाद के कारण देरी।
जून-15	14				एचटी-07/13, बीयू-08/13 देरी का कारण – एनटीपीसी और पावर मशीन एंड टेक्नोप्रोम रशिया के बीच विवाद के कारण देरी।
मार्च-16	17				बॉयलर निर्माण प्रगति पर है। देरी का कारण – एनटीपीसी और पावर मशीन एंड टेक्नोप्रोम रशिया के बीच विवाद के कारण देरी।
जून-13	6	7341.04	7341.04	0	एचटी-पूरा, बीएलयू-12/12, बीयू- 01/13. देरी का कारण – बॉयलर और टीजी हेतु भेल द्वारा निर्माण सामग्री की पूर्ति में देरी।
दिसंबर-13	2				एचटी-02/13, बीयू-08/13. देरी का कारण – बॉलयर और टीजी हेतु भेल द्वारा निर्माण सामग्री की पूर्ति में देरी।

1	2	3	4	5	6	7
बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीएस एक्सपैं (कांटी-III)	एनटीपीसी	बीएचईएल	यू-3	195	अक्तूबर-12
बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीएस एक्सपैं (कांटी-II)	एनटीपीसी	बीएचईएल	यू-4	195	जनवरी-13
बिहार	नबि नगर टीपीपी	एनटीपीसी	बीएचईएल	यू-1	250	दिसंबर-10
बिहार	नबि नगर टीपीपी	एनटीपीसी	बीएचईएल	यू-2	250	जून-11
बिहार	नबि नगर टीपीपी	एनटीपीसी	बीएचईएल	यू-3	250	दिसंबर-11
बिहार	नबि नगर टीपीपी	एनटीपीसी	बीएचईएल	यू-4	250	जून-12
छत्तीसगढ़	सिपत-I	एनटीपीसी	अन्य	यू-3#	660	12/2011 (आर) वास्तविक कार्यक्रम 2009-10 संशोधित कार्यक्रम मैसर्स पावर मशीन रशिया के साथ विवाद सुलझने के बाद
महाराष्ट्र$	मौदा टीपीपी	एनटीपीसी	बीएचईएल	यू-1#	500	अप्रैल-2
महाराष्ट्र$	मौदा टीपीपी	एनटीपीसी	बीएचईएल	यू-2	500	अक्तूबर-12
मध्य प्रदेश$	विंध्याचल एचटीपीएस-IV	एनटीपीसी	बीएचईएल	यू-11#	500	जून-12
मध्य प्रदेश$	विंध्याचल एचटीपीएस-IV	एनटीपीसी	बीएचईएल	यू-12	500	दिसंबर-12

8	9	10	11	12	13
जून-14	20	3154.33	3154.33	0	बॉयलर निर्माण कार्य शुरू होगा। देरी का कारण – मुख्य संयंत्र के सिविल कार्यों को देने में देरी।
सितंबर-14	20				बॉयलर निर्माण में 04/12 से शुरू, देरी का कारण – मुख्य संयंत्र के सिविल कार्यों के बावार्ड में देरी
दिसंबर-13	36	5352	5352	0	बॉयलर निर्माण प्रगति पर है। देरी का कारण – भूमि अधिग्रहण के कारण देरी।
सितंबर-14	39				बॉयलर निर्माण प्रगति पर है। देरी का कारण – भूमि अधिग्रहण के कारण देरी।
दिसंबर-14	36				बॉयलर निर्माण प्रगति दर है। देरी का कारण - भूमि अधिग्रहण के कारण देरी।
मार्च-15	27				बॉयलर निर्माण में 05/12 से शुरू देरी का कारण - भूमि अधिग्रहण के कारण देरी।
जून-12	6	8323.39	8323.39	0	एसबीओ और ऑयल फ्लशिंग पूरी की जा चुकी है। समकालिकता 3/12 में होने की संभावना है। विलंब के कारण – अनुबंधित प्रावधानों से अधिक मूल्य वृद्धि के लिए मैसर्स पावर मशीन रशिया द्वारा उठाए गए अतिरिक्त दावों के कारण विलंब हुआ। मैसर्स पीएम द्वारा सुझावित आईपी और एचपी टरबाइन संशोधन के कारण तथा कैनलाज्ड सामग्री की आपूर्ति में विलंब के कारण विलंब हुआ आदि। यूनिट-1 और 2 में एचपी आईपी टर्बाइन फेल हुआ। यूनिट-1 और 2 के अनुसार यूनिट-3 में परिवर्तन किया गया।
मार्च-12	-1	5459.28	5459.28	0	समकालिकता और पूर्ण भार मार्च 12 में होने की संभावना है।
सितंबर-13	11			0	बीएलयू और बाक्सअप 11/12 तक पूरा होने की संभावना है। देरी का कारण – सिविल कार्यों में देरी।
सितंबर-12	3	5915	5915	0	समकालिकता और पूर्ण भार क्रमश: अप्रैल और मई, 2012 में पूरा होने की संभावना है।
सितंबर-13	9			0	एचटी 4/12, बाक्सअप 12/12 देरी का कारण – सिविल कार्यों में देरी।।

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश$	रिहंद एचटीपीएस-III	एनटीपीसी	बीएचईएल	यू-5#	500	जून-12
उत्तर प्रदेश$	रिहंद एचटीपीएस-III	एनटीपीसी	बीएचईएल	यू-6	500	दिसंबर-12
हरियाणा$	इंदिरा गांधी टीपीपी	एपीसीपीएल	बीएचईएल	यू-3*	500	दिसंबर-11
तमिलनाडु$	वल्लूर टीपीपी फेज-I	एनटीइसीएल	बीएचईएल	यू-2*	500	जुलाई-11
तमिलनाडु$	वल्लूर टीपीपी फेज-II	एनटीइसीएल	बीएचईएल	यू-3	500	दिसंबर-12
तमिलनाडु$	नेवेली टीपीएस-II एक्सपैं.	एनएलसी	बीएचईएल	यू-2*	250	जून-09
तमिलनाडु	तूतीकोरीन टीपीपी	एनएलसी	बीएचईएल	यू-1	500	मार्च-12
तमिलनाडु	तूतीकोरीन टीपीपी	एनएलसी	बीएचईएल	यू-2	500	अगस्त-12
त्रिपुरा	मोनार्चक सीसीपीपी	नीपको	बीएचईएल	जीटी+एसटी	101	मई-13
त्रिपुरा	त्रिपुरा सीसीजीटी	ओटीपीसी	बीएचईएल	मॉड्यूल-1	363.3	दिसंबर-11
त्रिपुरा	त्रिपुरा सीसीजीटी	ओटीपीसी	बीएचईएल	मॉड्यूल-2	363.3	मार्च-12

8	9	10	11	12	13
सितंबर-12	3	6230.81	6230.81	0	समकालिकता 3/12 तक और एफएल 4/12 तक पूरा होने की संभावना है।
सितंबर-13	9			0	एचटी पूरी की जा चुकी है। बाक्सअप 11/12 तक संभावित है। देरी।
दिसंबर-12	12	7892.43 (यू-1, 2 और 3)	8293 (यू-1, 2 और 3)	401	बीएलयू और बीयू 5/12 तक संभावित है। विलम्ब के कारण – सिविल एजेंसी द्वारा कमजोर गतिशीलता में विलंब जिससे फ्रंट सौंपने में विलंब हुआ।
दिसंबर-12	17	5552.78 (यू-1 और 2)	5552.78 (यू-1 और 2)	0	एचटी पूरा किया जा चुका है। बीएलयू 4/12 और बॉक्स अप 6/12 विलंब के कारण – बॉयलर निर्माण एजेंसी द्वारा कमजोर गतिशीलता। बॉयलर ड्रम की आपूर्ति।
नवंबर-13	10	3086.78	3086.78	0	एचटी 30/7/11 को पूरी की गई। बीएलयू 7/2012 में पूरा होने की संभावना है। विलंब के कारण – रीफ्रेक्ट्री कार्य का धीमी प्रगति। 10.3.2012 तक निर्मित, टीएनईबी द्वारा इक्वीटी भुगतान में देरी।
जुलाई-12	37	2030.78 (यू-1 और 2)	2453.57 (यू-1 और 2)	422.79	ड्रम 29.9.11 को उठाया गया। एचटी 10/12 में संभावित है। विलंब के कारण – कार्यों की धीमी प्रगति और मुख्य संयंत्र ठेकेदार द्वारा निर्णय में परिवर्तन।
दिसंबर-13	21	4909.54	4909.54	0	ड्रम 29.9.11 को उठाया गया। एचटी 10/12 में संभावित है। विलंब के कारण – कार्यों की धीमी प्रगति और मुख्य संयंत्र ठेकेदार द्वारा निर्णय में परिवर्तन।
मार्च-14	19			0	ड्रम 29.9.11 को उठाया गया। एचटी 10/12 में संभावित है। विलंब के कारण – कार्यों की धीमी प्रगति और मुख्य संयंत्र ठेकेदार द्वारा निर्णय में परिवर्तन।
अक्तूबर-13	5	623.44	623.44	0	पाइलिंग कार्य प्रगति में है। विलंब के कारण – भेल द्वारा सिविल कार्य ठेका सौंपने में विलंब।
जून-12	6	3429	3429	0	जीटी और उत्पादन निर्माण प्रगति में है। टीजी बीयू 3/12 तक संभावित है। ऑयल फ्लशिंग 4/12 एफएसएनएल 4/12, सिंक 5/12 और एफएल 6/12 देरी का कारण – भेल द्वारा लाजिस्टिक सौंपने में विलंब। कार्य की धीमी प्रगति।
सितंबर-12	6			0	पारेषण लाइन क्रिटिकल

1	2	3	4	5	6	7
झारखंड	बोकारो टीपीएस "क" एक्सपैं.	डीवीसी	बीएचईएल	यू-1	500	दिसंबर-11
झारखंड$	कोडरमा टीपीपी	डीवीसी	बीएचईएल	यू-2*	500	फरवरी-11
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-I	डीवीसी	चीन	यू-1*	600	फरवरी-11
		डीवीसी	चीन	यू-2*	600	मई-11
	कुल केन्द्रीय क्षेत्र				15377.6	
राज्य क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवैया	एपीपीडीएल	नॉन-बीएचईएल	यू-1	800	जुलाई-12
		एपीपीडीएल	नॉन-बीएचईएल	यू-2	800	जनवरी-13
आंध्र प्रदेश	काकटीया टीपीपी एक्सटेंशन	एपीजेनको	बीएचईएल	यू-2	600	जुलाई-12
आंध्र प्रदेश	रायलसीमा स्टे-III यू-6	एपीजेनको	बीएचईएल	यू-6	600	जुलाई-14
असम	नामरूप सीसीजीटी	एपीजीसीएल	बीएचईएल	जीटी#	70	जनवरी-12

8	9	10	11	12	13
सितंबर-14	33	2313	2313		ड्रम 5/12 में उठाया जाना संभावित है। विलंब के कारण – स्विचयार्ड (चार्ज की शिफटिंग में विलंब। मौजूदा भूमिगत सुविधाएं हटाने में विलंब। भेल द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलंब।
अक्तूबर-12	20	4313 (यू-1, 2)	4313 (यू-1, 2)	0	बीएलयू और टीजी बॉक्स अप 3/12 में संभावित है। विलंब के कारण – बायलर और टीजी सामग्री की आपूर्ति में विलंब। टीजी निर्माण के शुरू होने में विलंब।
जनवरी-13	23	4122	4122	0	बीएलयू 3/12 और बॉक्स अप 3/12 में शुरू होने की संभावना है। विलंब के कारण – जल एवं रेल कॉरीडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में विलम्ब। मैसर्स आरआईएल द्वारा मुख्य संयंत्र उपकरण के निर्माण में विलंब। मैसर्स टीआरएफ द्वारा सीएचपी की धीमी प्रगति। कानून एवं न्याय समस्या।
जून-13	25				बॉयलर निर्माण प्रगति में है, एचटी 3/12 में संभावित है और टीजी बॉक्सअप 12/12 में संभावित है। विलंब के कारण – जल एवं रेल कॉरीडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब। मैसर्स टीआरएफ द्वारा सीएचपी की धीमी प्रगति। कानून एवं न्याय समस्या।

अप्रैल-13	9	8432	8432	0	बॉयलर निर्माण 2/10 में शुरू हुआ। टीजी निर्माण आरंभ 4/12 में संभावित है। विलंब का कारण – सिविल कार्यों के शुरू होने और आपूर्तियों में विलंब के कारण विलंब हुआ।
दिसंबर-13	11				बॉयलर निर्माण शुरू हो चुका है। एचटी 78/12 में संभावित है। विलंब का कारण – सिविल कार्यों के शुरू होने और आपूर्तियों में विलंब के कारण विलंब हुआ।
दिसंबर-13	17	2968.64	3019	50.36	बॉयलर निर्माण 5.5.11 को शुरू हुआ। ड्रम उठाना 3/12 विलंब का कारण – सिवल कार्यों के शुरू होने में विलंब के कारण विलंब हुआ।
जुलाई-14	0	3028.86	3028.86	0	मिट्टी की जांच पूरी हो चुकी है। स्थल पर सिविल कार्य पूरे हो चूके हैं।
दिसंबर-12	11	411	694	283	सिविल कार्य प्रगति में है। 86% बीओपी पैकेजों का आदेश दिया गया। विलंब के कारण – सिविल कार्यों के शुरू होने और धीमी प्रगति के कारण विलंब हुआ।

1	2	3	4	5	6	7
		एपीजीसीएल	बीएचईएल	एसटी#	30	जनवरी-12
छत्तीसगढ़$	कोस्बा वेस्ट स्टे-III	सीएसइजीएल	बीएचईएल	यू-5	500	मई-12
छत्तीसगढ़$	मारवा टीपीपी	सीएसइजीएल	बीएचईएल	यू-1	500	मई-12
		सीएसइजीएल	बीएचईएल	यू-2	500	जुलाई-12
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी-III	पीपीसीएल	बीएचईएल	यू-3*	250	जुलाई-10
		पीपीसीएल	बीएचईएल	जीटी-4*	250	सितंबर-10
		पीपीसीएल	बीएचईएल	एसटी-2'	250	नवंबर-10
		पीपीसीएल	बीएचईएल	एसटी-2*	250	नवंबर-10
गुजरात	पीपावाव सीसीपीपी	जीएसईसीएल	बीएचईएल	ब्लॉक-1*	351	अगस्त-10
गुजरात	पीपावाव सीसीपीपी	जीएसईसीएल	बीएचईएल	ब्लॉक-2*	351	नवंबर-10

8	9	10	11	12	13
दिसंबर-12	11				सिविल कार्य प्रगति में हैं। विलंब के कारण – सिविल कार्यों में विलंब और आपूर्तियों में विलंब।
जून-12	1	2309.34	3156	846.66	एचटी को पूरा किया गया। टीजी बॉक्सअप 3/12 तक संभावित है।
जनवरी-13	8	4735	6318	1583	एचटी 5.10.11 को पूरा किया गया। बीएलयू 3/12 तक संभावित है। टीजी डेक पूरा किया जा चुका है। विलंब के कारण – सिविल कार्य आदेश देने में विलंब।
मार्च-13	8				बॉयलर निर्माण शुरू हो चुका है। ड्रम उठाने का कार्य प्रगति में है। विलंब के कारण – सिविल कार्य आदेश देने में विलंब।
अगस्त-12	25	5195.81 (4 जीटी + 2 एसटी के लिए)	5195.81 (4 जीटी + 2 एसटी के लिए)	0	शेष सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रकल कार्य प्रगति में है। टरबाइन और जनरेटर एलाइनमेंट किया जा चुका है। विलंब के कारण – सिविल कार्यों पूरा करने में विलंब।
जनवरी-13	28				टीजी-4 स्थल पर पहुंच गया। विलंब के कारण – जीटी-4 की आपूर्ति में विलंब। एचआरएसजी निर्माण प्रगति में है। विलंब के कारण – सिविल कार्यों को पूरा करने में विलंब।
अप्रैल-13	29				एचटी 14.10.10 को पूरी की गई। बीएलयू और टीजी बॉक्सअप 3/12 में संभावित है। विलंब के कराण – सिविल कार्यों और मुख्य संयंत्र उपकरण की आपूर्ति में विलंब। एएचपी और एएचपी की तैयारी में विलंब।
अप्रैल-13	29				एचटी 14.10.10 को पूरी हो गई। बीएलयू और टीजी बॉक्सअप 3/12 में संभावित है। विलंब के कारण – सिविल कार्यों और मुख्य संयंत्र उपकरण की आपूर्ति में विलंब। एएचपी और एएचपी की तैयारी में विलंब।
मई-12	21	2354.29	2545.58	191.29	निर्माण प्रगति में है। एचआरएसजी। एचटी 11/11 में पूरी की गई। स्विचयार्ड बैंक चार्जिंग पूरी की जा चुकी है। टीजी ऑयल फ्लशिंग प्रगति में है। विलंब का कारण – सिविल कार्यों में विलंब/आपूर्ति में विलंब।
अक्तूबर-12	23				जीटी और एसटी निर्माण प्रगति में है। एचआरएसजी एचटी के लिए तैयार है। विलंब के कारण – सिविल कार्यों में विलंब/आपूर्ति में विलंब।

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	सिक्का टीपीएस	जीएसईसीएल	बीएचईएल	यू-3	250	अक्तूबर-13
		जीएसईसीएल	बीएचईएल	यू-4	250	जनवरी-14
गुजरात	उकाई टीपीएस एक्सटेंशन	जीएसईसीएल	बीएचईएल	यू-6*	490	अगस्त-11
महाराष्ट्र $	भुसावल टीपीएस एक्सटेंशन	एमएसपीजीसीएल	बीएचईएल	यू-5*	500	जनवरी-11
महाराष्ट्र	चंद्रपुर टीपीएस	एमएसपीजीसीएल	बीएचईएल	यू-8	500	मई-12
		एमएसपीजीसीएल	बीएचईएल	यू-9	500	अगस्त-12
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीएस एक्सटेंशन	एमएसपीजीसीएल	नॉन-बीएचईएल	यू-8	660	दिसंबर-13
		एमएसपीजीसीएल	नॉन-बीएचईएल	यू-9	660	जून-14
			नॉन-बीएचईएल	यू-10	660	दिसंबर-14
महाराष्ट्र	पार्ली टीपीएस एक्सटेंशन	एमएसपीजीसीएल	नॉन-बीएचईएल	यू-8	250	सितंबर-11
मध्य प्रदेश	मालवा टीपीपी (श्री सिंगती टीपीपी)	एमपीजनेको	बीएचईएल	यू-1	600	अक्तूबर-12
		एमपीजनेको	बीएचईएल	यू-2	600	अक्तूबर-12

8	9	10	11	12	13
अक्तूबर-13	0	2004	2356	352	बॉयलर निर्माण 24.10.11 को शुरू हुआ। टीजी सिविल कार्य 9.8.11 को शुरू हुआ। ड्रम उठाना 5/12 तक। बॉयलर निर्माण 9.1.12 को शुरू हुआ। टीजी सिविल कार्य 9.8.11 को शुरू हुए।
जनवरी-14	0				09.01.12 को बॉयलर निर्माण शुरू हुआ टीजी सिविल कार्य 9.8.11 को शुरू हुए।
मई-12	21	1937	2218	281	एचटी 14.10.10 को पूरी की गई। बीएलयू और टीजी बॉक्सअप 3/12 में संभावित है। विलंब के कारण – सिविल कार्यों और मुख्य संयंत्र उपकरण की आपूर्ति में विलंब। एएचपी और एएचपी की तैयारी में विलंब।
अक्तूबर-12	14	4124 (यू-1, 2)	6464.88 (यू-1, 2)	2340.88	भाप उड़ना 12.2.2012 को पूरा हुआ। पूर्ण भार 3/12 तक संभावित हैं। विलंब का कारण – भेल आपूर्ति में विलंब। चिमनी दुर्घटना। सीएचपी/ एएचपी तैयारी में विलंब।
अप्रैल-13	11	5500	5500	0	03/11 को बॉयलर ड्रम उठाया गया 03/12 में एचटी की संभावना है। विलंब का कारण – भेल आपूर्ति में विलंब।
जुलाई-13	11				08/11 बो बॉयलर ड्रम उठाया गया विलंब का कारण – भेल आपूर्ति में विलंब।
दिसंबर-13	0	11880	11880	0	बॉयलर इरेक्शन 10/11 में शुरू हुआ एचटी-2/13 में संभावित है विलंब का कारण – टीजी इरेक्शन 5/12 संभावित है। बीओपी के आदेश के कार्यान्वयन में देरी
जून-14	0				बॉयलर इरेक्शन 3/11 में शुरू हुआ। एचटी-8/13 में संभावित है। टीजी इरेक्शन 11/12 संभावित है।
दिसंबर-14	0				बॉयलर इरेक्शन 3/12 से संभावित है।
मई-13	20	1707	1707	0	बॉलयर इरेक्शन 8/10 में शुरू हुआ 04/11 ड्रम उठाया गया। 12/11 को कंडेशर इरेक्शन शुरू हुआ। एचटी-04/12, टीजी इरेक्शन शुरू-03/12। विलंब का कारण – भेल आपूर्ति में विलंब।
अप्रैल-13	10	4053	6750	2697	बॉयलर ड्रम 3/12 में संभावित है। टीजी डेक 10/11 विलंब के कारण – बोयलर प्रशर पार्ट आपूर्ति में विलंब/कार्य की धीमी प्रगति।
जून-13	8				ड्रम 03/11 में उठाया गया। डेक कास्टिं प्रगति में है। विलंब के कारण – प्रशर पार्ट की आपूर्ति में विलंब। कार्य की धीमी प्रगति।

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	सतपुरा टीपीएस एक्सटें.	एमपीपीजीसीएल	बीएचईएल	यू-10#	250	फरवरी-12
		एमपीपीजीसीएल	बीएचईएल	यू-11	250	अप्रैल-12
राजस्थान	छाबरा टीपीएस एक्सटें.	आरआरवीयूएनएल	बीएचईएल	यू-3	250	जून-11
		आरआरवीयूएनएल	बीएचईएल	यू-4	250	जुलाई-11
राजस्थान$	कालीसिंध टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	चीन	यू-1	600	अगस्त-11
	कालीसिंध टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	चीन	यू-2	600	मार्च-12
राजस्थान	रामगढ़ सीसीपीपी एक्सटें-II	आरआरवीयूएनएल	बीएचईएल	जीटी	110	मई-11
राजस्थान	रामगढ़ सीसीपीपी एक्सटें-II	आरआरवीयूएनएल	बीएचईएल	एसटी	50	अक्तूबर-11
तमिलनाडु	मेट्टूर टीपीपी एक्सटें.	टीएनईबी	चीन	यू-1*	600	जून-11
तमिलनाडु	नार्थ चेन्नई टीपीएस स्टे-II, यू-1	टीएनईबी	बीएचईएल	यू-1*	600	अप्रैल-11
तमिलनाडु	नार्थ चेन्नई एक्सटें., यू-2	टीएनईबी	बीएचईएल	यू-2*	600	अक्तूबर-11
उत्तर प्रदेश	अनपारा डी	यूपीआरवीयूएनएल	बीएचईएल	यू-6#	500	मार्च-11

8	9	10	11	12	13
दिसंबर-12	10	2350	3032.34	682.34	एचटी-11/11 में पूरी की गई। टीजी निर्माण 12/11 में शुरू किया गया। विलंब के कारण – प्रशर पार्ट की आपूर्ति में विलंब। टीजी निर्माण की धीमी प्रगति।
अप्रैल-13	12				ड्रम 2/11 में उठाया गया। डेक कास्टिंग 10/11 में पूरी की गई। विलंब के कारण – प्रेशर पार्ट की आपूर्ति में विलंब। कार्य की धीमी प्रगति।
अप्रैल-13	23	2200	2200	0	ड्रम उठाया गया। एचटी मार्च 12 में तथा बीएलयू 7/12 में पूरी की गई। विलंब के कारण – सिविल एजेंसी द्वारा जनशक्ति की कमी।
जून-13	23				ड्रम उठाया गया। एचटी-6/12 में संभावित है। विलंब के कारण – सिविल एजेंसी द्वारा जनशक्ति की कमी।
अप्रैल-13	20	4600	4600	0	मुख्य संयंत्र सिविल कार्य प्रगति में है। 57% मुख्य संयंत्र कार्य पूरे किए जा चुके हैं। टीजी बॉक्सअप 5/12 में संभावित है। विलंब के कारण – जनरेटर ट्रांसफार्मर सहित आपूर्ति में विलंब।
जून-13	15				जीटी 12/11 में पूरी की गई। मुख्य संयंत्र का 25% कार्य पूरा किया जा चुका है। विलंब के कारण – आपूर्ति में विलंब।
अक्तूबर-12	17	640	640	0	जीटी- जनरेटर जीटी नींव पर रखा गया। बॉलयर निर्माण 25% पूरा किया जा चुका है। विलंब के कारण – बीओपी निकासी के अनुमोदन के कारण आरंभ में विलंब हो गया।
नवंबर-12	13				विलंब के कारण – बीओपी निकासी के अनुमोदन के कारण आरंभ में विलंब हुआ।
अप्रैल-12	10	3550	3550	0	बीएलयू 30.1.2012 को पूरा किया गया समकालिकता 3/12 को हुई। पूर्ण भार 4/12 विलंब के कारण – कार्यों की धीमी प्रगति।
मई-13	25	3398	3552	154	एचटी 12.9.11 को पूरी की गई। बीएलयू 5/12 में संभावित है। विलंब के कारण – भेल द्वारा आपूर्ति में विलंब।
अगस्त-12	10	2718	2718.75	0.75	एचटी 283.11 को पूरी की गई। बीएलयू 3/12 में संभावित हैं। टीजी बॉक्सअप 6/12 में संभावित हैं। विलंब के कारण – भेल द्वारा आपूर्ति में देरी।
मार्च-13	24	5358.76	5358.76	0	एचटी 6/12 में संभावित है। विलंब के कारण – सिविल कार्यों में विलंब।

1	2	3	4	5	6	7
	अनपारा डी	यूपीआरवीयूएनएल	बीएचईएल	यू-7	500	जून-11
उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज एक्सटें.	यूपीआरवीयूएनएल	बीएचईएल	यू-9*	250	जनवरी-10
उत्तर प्रदेश	परीछा एक्सटें.	यूपीआरवीयूएनएल	बीएचईएल	यू-5*	250	जुलाई-09
उत्तर प्रदेश	परीछा एक्सटें.	यूपीआरवीयूएनएल	बीएचईएल	यू-6*	250	नवंबर-09
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर टीपीएस एक्सटें	डीवीएल	बीएचईएल	यू-8	250	दिसंबर-13
		कुल राज्य क्षेत्र		17932		
निजी क्षेत्र						
आंध्र प्रदेश	भवनपाडु टीपीपी फेज-I	मैसर्स कोस्ट एनर्जी लि.	चीन	यू-1	660	अक्तूबर-13
			चीन	यू-2	660	दिसंबर-13
आंध्र प्रदेश	पेनमपुरम टीपीपी	थर्मल पावर टेक	चीन	यू-1	660	मई-14
			चीन	यू-2	660	अगस्त-14
आंध्र प्रदेश	सिम्हापुरी एनर्जी प्रा.लि. फेज-II	मधुकॉन प्रोजेक्ट लि.	चीन	यू-3	150	दिसंबर-11
			चीन	यू-4	150	अक्तूबर-12
आंध्र प्रदेश	सिम्हापुरी एनर्जी प्रा.लि. फेज-II	मधुकॉन प्रोजेक्ट लि.	चीन	यू-2	150	मई-11

8	9	10	11	12	13
जून-13	24				एचटी 8/12 में संभावित है। विलंब के कारण – सिविल कार्यों में विलंब।
अप्रैल-12	27	1900 यू-8, 9	2225 यू-8, 9	325	ऑयल फ्लशिंग प्रगति में है। टीजी बॉक्सअप पूरा किया जा चुका है। विलंब के कारण – टीजी निर्माण में विलंब। मिलों की तैयारी।
अप्रैल-12	33	1900	2356	456	चिमनी कैन निर्माण प्रगति में है। विलंब के कारण – टीजी निर्माण में विलंब। मिलों की तैयारी
जुलाई-12	32				फ्लू गैस डक्ट निर्माण प्रगति में है। विलंब के कारण – चिमनी टूटने के कारण विलंब।
दिसंबर-13	0	1475	1475	0	बॉयलर निर्माण 6/11 में शुरू हुआ। ड्रम 4/12 को उठाया गया। टीजी डेक कास्टक किया गया। टीजी निर्माण 5/12 में शुरू किया गया। एचटी 12/12, बीयएलयू 7/13

नवंबर-14	13	6571.94	6571.94	0	विलंब के कारण – पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश के कारण कार्य रूका हुआ है।
जनवरी-15	13				
मई-14	0	6869	6869	0	बॉयलर निर्माण 19.1.2012 को शुरू हुआ।
अगस्त-14	0				बॉयलर निर्माण 17.1.11 को शुरू हुआ। एचटी 4/12 से संभावित है।
अगस्त-12	7	1605.88	1605.88	0	एचटी पूरी की जा चुकी है। बीएलयू 4/12 में संभावित है। टीजी बॉक्सअप 4/12 में संभावित है। विलंब के कारण – विद्युत उपलब्धता के शुरू होने में विलंब।
अक्तूबर-12	8				एचटी पूरी की जा चुकी है। बीएलयू 4/12 में संभावित है टीजी बॉक्सअप 4/12 में संभावित है। विलंब के कारण – विद्युत उपलब्धता के शुरू होने में विलंब।
मई-12	16	1485	1485	0	एचटी पूरी की जा चुकी है। बीएलयू 4/12 में संभावित है। टीजी बॉक्सअप 4/12 में संभावित है। विलंब के कारण – विद्युत उपलब्धता के शुरू होने में विलंब।

1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	थामिनापटनम टीपीपी-I	मिनाक्षा एनर्जी लि.	चीन	यू-1	150	जून-11
आंध्र प्रदेश$	थामिनापटनम टीपीपी-I	मिनाक्षा एनर्जी लि.	चीन	यू-2	150	सितंबर-11
आंध्र प्रदेश	थामिनापटनम टीपीपी-II	मिनाक्षा एनर्जी लि.	चीन	यू-3	300	मई-12
	थामिनापटनम टीपीपी-II	मिनाक्षा एनर्जी लि.	चीन	यू-4	300	जून-12
आंध्र प्रदेश	विजाग टीपीपी	हिंदुजा नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लि.	बीएचईएल	यू-1	520	जून-13
	विजाग टीपीपी	हिंदुजा नेशनल पावर कॉर्पोरेश लि.	बीएचईएल	यू-2	520	सितंबर-13
छत्तीसगढ़	अकलतारा (नैयारा) टीपीपी	वर्धा पीसीएल (केएसके)	चीन	यू-1	600	अप्रैल-12
	अकलतारा (नैयारा) टीपीपी	वर्धा पीसीएल (केएसके)	चीन	यू-2	600	अगस्त-12
	अकलतारा (नैयारा) टीपीपी	वर्धा पीसीएल (केएसके)	चीन	यू-3	600	दिसंबर-12
	अकलतारा (नैयारा) टीपीपी	वर्धा पीसीएल (केएसके)	चीन	यू-4	600	अप्रैल-13
छत्तीसगढ़	अवंथा भंडार टीपीएस, यू-1	कोरबा वेस्ट पावर कं. लि.	बीएचईएल	यू-1	600	जुलाई-12
छत्तीसगढ़	बराधरा टीपीपी (डीबी पावर टीपीएस)	डीबी पावर कं. लि.	बीएचईएल	यू-1	600	जुलाई-13

8	9	10	11	12	13
जून-12	8	1420	1420	0	एचटी पूरी की जा चुकी है। बाक्स अप पूरा किया जा चुका है। बीएलयू 3/12 में संभावित है। विलंब के कारण – विद्युत उपलब्धता के शुरू होने के कारण विलंब।
सितंबर-12	10				एचटी पूरी की जा चुकी है। बॉक्सअप पूरा किया जा चुका है। बीएलयू 3/12 में संभावित है। विलंब के कारण – विद्युत उपलब्धता के शुरू होने के कारण विलंब।
मई-13	12	3120	3120	0	एचटी 10-12 में संभावित है। और बीएलयू 1/17 में संभावित है। विलंब के कारण कार्यों की धीमी प्रगति। एचटी 1/13 में संभावित हैं और बीएलयू 4/12 में संभावित है। विलंब के कारण – कार्यों की धीमी प्रगति।
अगस्त-13	14				बॉयलर निर्माण 5/11 में शुरू हुआ। ड्रम 1/12 में उठाया गया। एचटी 9/12 में संभावित है। टीजी निर्माण 3/12 में शुरू हुआ।
जून-13	0	5545	5545	0	बॉयलर निर्माण 5/11 में शुरू हुआ। ड्रम 1/12 में उठाया गया। एचटी 9/12 में संभावित है। टीजी निर्माण 3/1 में शुरू हुआ।
सितंबर-13	0				
फरवरी-13	10	16190 (6×600 मेगावाट)	16190	0	बॉयलर निर्माण 11/10 में शुरू हुआ। ड्रम 4/11 में उठाया गया। विलंब के कारण – जनशक्ति की कमी।
जून-13	10				ड्रम 6/11 में उठाया गया एचटी 8/12 में संभावित है। विलंब के कारण – जनशक्ति की कमी।
अक्तूबर-13	10				निर्माण 4/11 में शुरू हुआ। ड्रम 3/12 में उठाया जाना संभावित है। विलंब के कारण – जनशक्ति की कमी।
फरवरी-14	10				बॉयलर निर्माण 10/11 में शुरू हुआ। विलंब के कारण – जनशक्ति की कमी।
सितंबर-13	14	2872	2872	0	बॉयलर ड्रम 21.5.11 को उठाया गया। एचटी 3/12 में संभावित है। टीजी बीयू 3/12 में संभावित है।
मार्च-13	-4	6533	6640	107	ड्रम 6.10.11 को उठाया गया। टीजी निर्माण 3/12 में शुरू होने की संभावना है। डेसक कास्ट किया गया। एचटी 5/12 में संभावित तथा टीजी बॉक्स अप 10/12 में संभावित है।

1	2	3	4	5	6	7
	बराधरा टीपीपी (डीबी पावर टीपीएस)	डीबी पावर कं. लि.	बीएचईएल	यू-2	600	नवम्बर-13
छत्तीसगढ़	बालको टीपीपी	भारत एल्युमिनियम कं. लि.	बीएचईएल	यू-1	300	फरवरी-11
छत्तीसगढ़	बालको टीपीपी	भारत एल्युमिनियम कं. लि.	बीएचईएल	यू-2	300	नवम्बर-10
छत्तीसगढ़	धरमपुरा टीपीपी	मैसर्स एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.	चीन	यू-1	300	जनवरी-14
	धरमपुरा टीपीपी	मैसर्स एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.	चीन	यू-2	300	अप्रैल-14
	धरमपुरा टीपीपी	मैसर्स एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.	चीन	यू-3	300	जुलाई-14
	धरमपुरा टीपीपी	मैसर्स एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.	चीन	यू-4	300	अक्तूबर-14
छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीएस-II	लैप प्रा.लि.	चीन	यू-3	660	जनवरी-12
	लैंको अमरकंटक टीपीएस-II	लैप प्रा.लि.	चीन	यू-4	660	मार्च-12
छत्तीसगढ़	मारूती क्लीन कोल एंड पावर लि.	मैसर्स मारूती क्लीन कोल एंड पावर लि.	चीन	यू-1	300	दिसम्बर-12
छत्तीसगढ़	रायखेडा टीपीपी	जीएमआर	अन्य	यू-1	685	सितम्बर-13

8	9	10	11	12	13
जुलाई-13	-4				यू-2 के लिए ड्रम और कंडेंसर भेल स्थलों पर प्रगति में है। परियोजना स्थल पर सिविल कार्य प्रगति में है।
मई-12	15	4650 (4 यूनिट की लागत)	4650	0	बीएलयू 3/12 में संभावित है। टीजी बॉक्स अप पूरा किया जा चुका है। ऑयल फ्लशिंग प्रगति में है। विलंब के कारण – चिमनी का टूटना। प्रचालन की सहमति उपलब्ध न होना।
अप्रैल-12	17				यूनिट 6/9 को समकालिक बना। एफएल 4/12 में संभाति है। बिलंब के कारण – चिमनी का टूटना। प्रचालन की सहमति का उपलब्ध न होना।
जनवरी-14	0	6848.1	6848.1	0	बॉयलर और ईएसपी फाउंडेशन के सिविल कार्य प्रगति में है।
अप्रैल-14	0				बॉयलर और ईएसपी फाउंडेशन के सिविल कार्य प्रगति में है।
जुलाई-14	0				स्थल समानांतर कार्य प्रगति में है।
अक्तूबर-14	0				स्थल समानांतर कार्य प्रगति में है।
अगस्त-13	19	6886	6940.5	54.5	बॉयलर निर्माण 9/10 में शुरू हुआ। डेक कास्टिंग पूरी की गई एचटी 7/12 में संभावित है। विलंब के कारण – जल प्रणाली और बीओपी के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब।
दिसंबर-13	21				बॉयलर निर्माण 9/10 में शुरू हुआ। डेक कास्टिंग पूरी की गई एचटी 7/12 में संभावित है। विलंब के कारण – जल प्रणाली और बीओपी के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब।
दिसम्बर-12	0	1456	1456	0	बॉयलर निर्माण 12/10 में शुरू हुआ। डेक कास्टिंग पूरी की गई एचटी 7/12 में संभावित है। विलंब के कारण – जल प्रणाली और बीओपी के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब।
सितंबर-13	0	8290	8290	0	मूल्यांकन कार्य प्रगति में है बॉयलर निर्माण 6/12 तक शुरू होना संभावित है।

1	2	3	4	5	6	7
	रायखेडा टीपीपी	जीएमआर	अन्य	यू-2	685	जनवरी-14
छत्तीसगढ़	सिंघताराय टीपीपी	एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.	चीन	यू-1	600	जून-14
	सिंघताराय टीपीपी	एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.	चीन	यू-2	600	सितंबर-14
छत्तीसगढ़	टीआरएन एनर्जी टीपीपी	मैसर्स टीआरएन एनर्जी प्रा.लि.	चीन	यू-1	300	दिसंबर-13
छत्तीसगढ़	टीआरएन एनर्जी टीपीपी	मैसर्स टीआरएन एनर्जी प्रा.लि.	चीन	यू-2	300	दिसंबर-14
छत्तीसगढ़	कसाईपल्ली टीपीपी	मैसर्स एसीबी (इंडिया) लि.	चीन	यू-2	135	फरवरी-11
छत्तीसगढ़	रतीजा टीपीपी	मैसर्स स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लि.	चीन	यू-1	50	जून-11
छत्तीसगढ़	उंचपींडा टीपीपी	आरकेएम पावरजेन प्रा. लि.	चीन	यू-1	360	मई-12
	उंचपींडा टीपीपी	आरकेएम पावरजेन प्रा. लि.	चीन	यू-2	360	नवम्बर-12
	उंचपींडा टीपीपी लि.	आरकेएम पावरजेन प्रा.	चीन	यू-3	360	जन.-13
	उंचपींडा टीपीपी लि.	आरकेएम पावरजेन प्रा.	चीन	यू-4	360	जुलाई-13
छत्तीसगढ़$	वंदना विद्युत टीपीपी-छत्तीसगढ़	मैसर्स वंदना विद्युत	चीन	यू-1	135	जून-11
छत्तीसगढ़$	वंदना विद्युत टीपीपी-छत्तीसगढ़	मैसर्स वंदना विद्युत	चीन	यू-2	135	अगस्त-11
छत्तीसगढ़$	स्वास्तीक टीपीपी	एसीबी		यू-1	25	जून-12
झारखंड$	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	भावनगर एनर्जी	बीएचईएल	यू-1	250	अक्तूबर-13

8	9	10	11	12	13
जनवरी-14	0				सिविल कार्य और बॉयलर नींव कार्य प्रगति में है।
जून-14	0	4650	4650	0	मुख्य संयंत्र क्षेत्र के लिए निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।
सितंबर-14	0				खुदाई कार्य प्रगति पर है।
मार्च-14	3	2844	2844	0	सिविल कार्य प्रगति पर है।
जून-14	2				सिविल कार्य प्रगति पर है।
मार्च-12	13	1267	1267	0	एसबीओ 18.12.11 को पूरा हुआ। विलंब के कारण – टीजी बीयरिं असफलता।
मई-12	11	220	220	0	एसबीओ 3/12 तक पूरा किया जाना संभावित है। विलंब के कारण – स्विचयार्ड और बिजली प्रणाली की तैयारी में विलंब।
मार्च-13	10	6653.5	6653.5	0	बॉयलर निर्माण शुरू हो गया। ड्रम 3/12 को उठाया गया। विलंब के कारण – ग्रामीणों द्वारा आंदोलन के कारण।
अप्रैल-13	5				बॉयलर निर्माण शुरू हो गया। ड्रम 3/12 को उठाया गया। विलंब के कारण – ग्रामीणों द्वारा आंदोलन के कारण।
जून-13	4				बॉयलर निर्माण शुरू हो गया। ड्रम 3/12 को उठाया गया। विलंब के कारण – ग्रामीणों द्वारा आंदोलन के कारण।
जुलाई-13	0				पीसी कार्य प्रगति में है। विलंब के कारण – ग्रामीण द्वारा आंदोलन के कारण विलंब।
अप्रैल-12	10	1458.44	1458.44	0	बॉयलर ड्रम 11.2.2011 को उठाया गया। टीजी निर्माण 11/10 में शुरू हुआ। एचटी 28.1.12(ए) • बीएयू 3/12
अगस्त-12	11				बॉयलर ड्रम 04/11 को उठाया गया। विलंब के कारण – परियोजना स्थल पर ग्रामीणों द्वारा आंदोलन और बीओपी की तैयारी।
जून-12	0				
अक्तूबर-13	0				बॉयलर निर्माण शुरू किया गया।

1	2	3	4	5	6	7
	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	भावनगर एनर्जी	बीएचईएल	यू-2	250	दिसम्बर-13
झारखंड$	मुंद्रा यूएमपीपी	टाटा पावर कं.	अन्य	यू-2	800	फरवरी-13
झारखंड$	मुंद्रा यूएमपीपी	टाटा पावर कं.	अन्य	यू-3	800	अगस्त-13
	मुंद्रा यूएमपीपी	टाटा पावर कं.	अन्य	यू-4	800	फरवरी-14
	मुंद्रा यूएमपीपी	टाटा पावर कं.	अन्य	यू-5	800	अगस्त-14
गुजरात	सत्या टीपीपी	एस्सार गुजरात लि.	चीन	यू-2	600	दिसम्बर-11
हरियाणा$	झझर टीपीपी (महात्मा गांधी टीपीपी)	सीएलपी पावर इंडिया प्रा.लि.	चीन	यू-2	660	जुलाई-12
झारखंड$	आधुनिक पावर टीपीपी	आधुनिक पावर कं.लि.	बीएचईएल	यू-1	270	दिसंबर-11
झारखंड$	आधुनिक पावर टीपीपी	आधुनिक पावर कं.लि.	बीएचईएल	यू-2	270	फरवरी-12
झारखंड$	कॉर्पोरेट पॉवर लि. फेज-I (मैत्रीशी उषा)	मैसर्स कॉर्पोरेट पॉवर लि.	बीएचईएल	यू-1	270	मई-12
	कॉर्पोरेट पॉवर लि. फेज-I (मैत्रीशी उषा)	मैसर्स कॉर्पोरेट पॉवर	बीएचईएल	यू-2	270	जून-12
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	बीएचईएल	यू-1	270	दिसम्बर-11
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	बीएचईएल	यू-2	270	दिसम्बर-11
	अमरावती टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	बीएचईएल	यू-3	270	जनवरी-12

8	9	10	11	12	13
दिसम्बर-13	0				बॉयलर निर्माण अभी शुरू
फरवरी-13	0				स्टीम ब्लोइंग पूरा किया
मई-13	-3				12/11 में बीएलयू पूरा।
अगस्त-13	-6				6/11 में एचटी पूरा।
नवम्बर-13	-9				11/11 में एचटी पूरा।
मई-12	4	4820 (यू-1, 2)	4820 (यू-1, 2)	0	मार्च, 2012 में सींक्रोनाइजेशन कार्य पूरा होने की आशा।
मार्च-12	-4	5972 (यू-1, 2)	5972 (यू-1, 2)	0	मार्च/अप्रैल, 2012 में यूनिट का कार्य श्रू होनक लिए प्रगति पर है।
नवम्बर-12	11	2650	2650	0	4/12 में बीएलयू की आशा की जाती है। विलंब के कारण – स्वीचयाड और पावर ग्रिड उप-स्टेशन हेतु भूमि अधिग्रहण में देरी। भेल और एबीबी द्वारा निर्माण सामग्री आपूर्ति में देरी।
फरवरी-13	12				ड्रम उठाया गया बॉयलर निर्माण प्रगति पर है। एचटी-03/12 विलंब के कारण – बीटीजी उपकरण की आपूर्ति में देरी। कानून व्यवस्था की समस्या।
सितम्बर-12	4	2900	2900	0	02/11 में ड्रम उठाया गया 1211 में एचटी कार्य पूरा। 07/11 में निर्माण कार्य शुरू। विलंब के कारण – भेल द्वारा लगातार सामग्री की आपूर्ति न करना।
दिसम्बर-12	6				04/11 में ड्रम उठाया गया 08/11 में एचटी कार्य पूरा किया 0/11 में टीजी निर्माण शुरू हुआ। विलंब के कारण – भेल द्वारा लगातार सामग्री की आपूर्ति न करना।
फरवरी-13	14	6889	6889	0	बॉयलर निर्माण प्रगति पर है। विलंब के कारण – भेल द्वारा लगातार निर्माण सामग्री की आपूर्ति न करना।
जून-13	18				बॉलयर निर्माण शुरू। विलंब के कारण – भेल द्वारा लगातार निर्माण सामग्री की आपूर्ति न करना।
सितम्बर-13	20				बॉलयर निर्माण शुरू। विलंब के कारण – भेल द्वारा लगातार निर्माण सामग्री की आपूर्ति न करना।

1	2	3	4	5	6	7
	अमरावती टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	बीएचईएल	यू-4	270	फरवरी-12
	अमरावती टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	बीएचईएल	यू-5	270	मार्च-12
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	बीएचईएल	यू-1	270	अप्रैल-13
	अमरावती टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	बीएचईएल	यू-2	270	जून-13
	अमरावती टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	बीएचईएल	यू-3	270	अगस्त-13
	अमरावती टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	बीएचईएल	यू-4	270	अक्तूबर-13
	अमरावती टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	बीएचईएल	यू-5	270	दिसम्बर-13
महाराष्ट्र$	बेला टीपीपी-I	आईईपीएल	बीएचईएल	यू-1	270	दिसम्बर-11
महाराष्ट्र	बुटीबोरी टीपीपी फेज-II	विदर्भ इंडस्ट्रीज	चीन	यू-1	300	जनवरी-12
महाराष्ट्र	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर टीपीपी	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लि.	चीन	यू-1	300	फरवरी-12
	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर टीपीपी	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा.) लि.	चीन	यू-2	300	मई-12
महाराष्ट्र$	एमको वरोरा टीपीपी	एमको एनर्जी लि. (जीएमआर)	चीन	यू-1	300	नवंबर-11
	एमको वरोरा टीपीपी	एमको एनर्जी लि. (जीएमआर)	चीन	यू-2	300	फरवरी-12
महाराष्ट्र	लैंको विदर्भ टीपीपी	लैंको विदर्भ	चीन	यू-1	660	जनवरी-14
	लैंको विदर्भ टीपीपी	लैंको विदर्भ	चीन	यू-2	660	मई-14

8	9	10	11	12	13
दिसम्बर-13	22				बॉलयर निर्माण शुरू। विलंब के कारण – भेल द्वारा लगातार निर्माण सामग्री की आपूर्ति न करना।
मार्च-14	24				बॉलयर निर्माण शुरू। विलंब के कारण – भेल द्वारा लगातार निर्माण सामग्री की आपूर्ति न करना।
जुलाई-14	15	6646	6646	0	सिविल कार्य प्रगति पर है। विलंब के कारण – भेल द्वारा बॉयलर सामग्री के आपूर्ति में देरी।
सितंबर-14	15				सिविल कार्य प्रगति पर है। विलंब के कारण – भेल द्वारा बॉयलर सामग्री के आपूर्ति में देरी।
नवम्बर-14	15				सिविल कार्य प्रगति पर है। विलंब के कारण – भेल द्वारा बॉयलर सामग्री के आपूर्ति में देरी।
जनवरी-15	15				सिविल कार्य प्रगति पर है। विलंब के कारण – भेल द्वारा बॉयलर सामग्री के आपूर्ति में देरी।
मार्च-15	15				सिविल कार्य प्रगति पर है। विलंब के कारण – भेल द्वारा बॉयलर सामग्री के आपूर्ति में देरी।
जुलाई-12	7	1477	1477	0	बीएलयू 3/12 टीजी बेरिंग गियर 4/12। विलंब के कारण – भेल द्वारा सामग्री आपूर्ति में देरी।
मई-12	4	1600	1600	0	बीएलयू 3/12 टीजी बेरिंग गियर-03/12।
मार्च-13	13	2850	2850	0	ड्रम उठाया व एचटी-04/12, दिनांक 11/11 में टीजी निर्माण शुरू और 5/12 को बाक्स उठाया जाएगा। देरी का कारण – स्वामित्व के अधिकार में देरी के कारण।
जून-13	13				ड्रम उठाया-03/12 टीजी निर्माण शुरू और 4/12 को बॉक्स उठाया जाएगा। देरी का कारण – स्वामित्व के अधिकार में देरी के कारण।
अगस्त-12	9	3480	3480	0	बीएलयू-03/12, टीजी बॉक्स अप-03/12। देरी का कारण – विद्युत को चालू करना।
अक्तूबर-12	8				बीएलयू-04/12, बॉक्स अप-04/12। देरी का कारण – विद्युत को चालू करना।
अप्रैल-14	3	6936	6936	0	बॉयलर निर्माण शुरू और टीजी निर्माण अभी शुरू हुआ।
अगस्त-14	3				बॉयलर निर्माण शुरू और टीजी निर्माण अभी शुरू हुआ।

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र$	नासिक टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	बीएचईएल	यू-1	270	दिसंबर-11
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज	इंडिया बुल्स	बीएचईएल	यू-2	270	दिसंबर-11
	नासिक टीपीपी फेज	इंडिया बुल्स	बीएचईएल	यू-3	270	जनवरी-12
	नासिक टीपीपी फेज	इंडिया बुल्स	बीएचईएल	यू-4	270	फरवरी-12
	नासिक टीपीपी फेज	इंडिया बुल्स	बीएचईएल	यू-5	270	मार्च-12
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	बीएचईएल	यू-1	270	अप्रैल-13
	नासिक टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	बीएचईएल	यू-2	270	जून-13
	नासिक टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	बीएचईएल	यू-3	270	अगस्त-13
	नासिक टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	बीएचईएल	यू-4	270	अक्तूबर-13
	नासिक टीपीपी फेज-II	इंडिया बुल्स	बीएचईएल	यू-5	270	दिसम्बर-13
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-I	अदानी पावर लि.	चीनी	यू-1*	660	जनवरी-11
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-I	अदानी पावर लि.	चीनी	यू-2#	660	जुलाई-11
महाराष्ट्र	गुप्ता एनर्जी पावर लि. टीपीपी	गुप्ता एनर्जी पावर लि.	चीनी	यू-1	60	नवंबर-10
महाराष्ट्र	गुप्ता एनर्जी पावर लि. टीपीपी	गुप्ता एनर्जी पावर लि.	चीनी	यू-2	60	दिसम्बर-10

8	9	10	11	12	13
फरवरी-13	14	6789	6789	0	03/11 को ड्रम उठाया गया। 07/11 में एचटी कार्य पूरा किया। 7/11 में टीजी निर्माण शुरू हुआ।
जून-13	18				ड्रम 4/11 को ड्रम उठाया गया। 8/11 में एचटी कार्य पूरा किया। 8/11 में टीजी निर्माण शुरू हुआ।
सितम्बर-13	20				बॉयलर निर्माण प्रगति पर है। देरी का कारण – भेल द्वारा लगातार निर्माण सामग्री का आपूर्ति न करना।
दिसम्बर-13	22				बॉयलर निर्माण प्रगति पर है। देरी का कारण – भेल द्वारा लगातार निर्माण सामग्री का आपूर्ति न करना।
मार्च-14	24				बॉयलर निर्माण प्रगति पर है। देरी का कारण – भेल द्वारा लगातार निर्माण सामग्री का आपूर्ति न करना।
जुलाई-14	15	6515	6515	0	सिविल कार्य प्रगति पर है। देरी का कारण – भेल द्वारा लगातार निर्माण सामग्री का आपूर्ति न कराना।
सितम्बर-14	15				सिविल कार्य प्रगति पर है। देरी का कारण – भेल द्वारा लगातार निर्माण सामग्री का आपूर्ति न कराना।
नवम्बर-14	15				सिविल कार्य प्रगति पर है। देरी का कारण – भेल द्वारा लगातार निर्माण सामग्री का आपूर्ति न कराना।
जनवरी-15	15				सिविल कार्य प्रगति पर है। देरी का कारण – भेल द्वारा लगातार निर्माण सामग्री का आपूर्ति न कराना।
मार्च-15	15				सिविल कार्य प्रगति पर है। देरी का कारण – भेल द्वारा लगातार निर्माण सामग्री का आपूर्ति न कराना।
मई-12	13	6560	6260	-300	बीएलयू 3/12 व बेरिंग गियर पूरा हुआ। देरी का कारण – विद्युत निकासी प्रणाली की तैयारी में दरी।
सितम्बर-12	14				एचटी पूरी बीएलयू 4/12। देरी का कारण – पारेषण लाइन के आरओडब्ल्यू जारी।
मार्च-12	16	656.49	656.49	0	सिंक्रोनाइजेशन की तैयारी। देरी का कारण पारेषण लाइन के हेतु उचित रास्ते निर्गत करना।
अप्रैल-12	16				4/12 तक सिंक्रोनाइजेशन की संभावना है। देरी का कारण – पारेषण लाइन के हेतु उचित रास्ते निर्गत करना।

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-II	अदानी पावर लि.	चीनी	यू-1#	660	अक्तूबर-11
	तिरौरा टीपीपी फेज-II	अदानी पावर लि.	चीनी	यू-2	660	जुलाई-12
	तिरौरा टीपीपी फेज-II	अदानी पावर लि.	चीनी	यू-3	660	अक्तूबर-12
मध्य प्रदेश	अनुपुर टीपीपी फेज-II	एमबी पावर एमपी	चीनी	यू-1	600	अगस्त-13
	तिरौरा टीपीपी फेज-I	एमबी पावर एमपी	चीनी	यू-2	600	अगस्त-13
मध्य प्रदेश	बीना टीपीपी	बीना पावर सप्लाई कं. लि.	बीएचईएल	यू-1	250	नवंबर-11
मध्य प्रदेश	बीना टीपीपी	बीना पावर सप्लाई कं. लि.	बीएचईएल	यू-2	250	नवम्बर-11
मध्य प्रदेश	गोंरगीटीपीपी (डीबी पावर टीपीपी)	डीबी पावर	बीएचईएल	यू-1	660	जनवरी-15
मध्य प्रदेश	महान टीपीपी	एस्सार पावर एमपी लि.	चीन	यू-1	600	जून-11
	महान टीपीपी	एस्सार पावर एमपी लि.	चीन	यू-2	600	सितम्बर-11
मध्य प्रदेश	नीगरी टीपीपी	जयप्रकाश पावर वेंचर्स लि.	नॉन-बीएचईएल	यू-1	660	जून-13
	नीगरी टीपीपी	जयप्रकाश पावर	नॉन-बीएचईएल	यू-2	660	दिसम्बर-13
मध्य प्रदेश	सासन यूएमपीपी	रिलायंस पावर लि.	चीन	यू-1#	660	मई-13
	सासन यूएमपीपी	रिलायंस पावर लि.	चीन	यू-2	660	दिसम्बर-13

8	9	10	11	12	13
दिसम्बर-12	14	2703	2703	0	बॉयलर निर्माण प्रगति पर है। देरी का कारण – पावर निर्माण प्रणाली की तैयारी।
फरवरी-13	7				बॉयलर निर्माण प्रगति पर है। देरी का कारण – भारी वर्षा के कारण।
अप्रैल-13	6				बॉयलर निर्माण प्रगति पर है देरी का कारण – भारी वर्षा।
अगस्त-13	4	6240	6240	0	10/11 में बॉयलर नींव पूरी हुई टीजी डेक नींव का कार्य प्रगति पर है बॉयलर निर्माण में द्वितीय टीयर का कार्य प्रगति पर है। देरी का कारण – पर्यावरणीय स्वीकृति में देरी।
दिसम्बर-13	4				बॉयर नींव पूरी हुई। टीजी डेकके लिए पाईल ब्रेकिंग कार्य प्रगति पर है देरी का कारण – पर्यावरणीय स्वीकृति में देरी।
जून-12	10	2750	2750	0	बीएलयू के लिए तैयारी प्रगति पर है। देरी का कारण – भारी वर्षा। बीटीजी उपस्कर को निर्माण और आपूर्ति में देरी।
अप्रैल-13	17				5/10 में ड्रम उठाया 1/11 में कंडेसर की तैयारी शुरू की। देरी का कारण – भारी वर्षा। आपूर्ति में देरी व बीटीसी उपस्कर का निर्माण।
फरवरी-15	2	3941	3941	0	बॉलयर फाउंडेशन का कार्य प्रगति पर है।
अप्रैल-13	22	4860	4860	0	बीएलयू कार्य 3/12 तक पूर्ण होना संभावित है। टीजी इरेक्शन कार्य।
जून-13	21				टीजी इरेक्शन 3/11 में शुरू हुआ।
मई-13	-1	8100	8100	0	सिविल कार्य 7/10 को एचटी 6/12, बीएलयू-11/12। डेक कास्टिंग का कार्य पूण हो चुका है।
अक्तूबर-13	-2				सिविल कार्य प्रगति पर है।
अप्रैल-13	-1				बॉयलर का संरचनागत इरेक्शन कार्य प्रगति पर है।
जुलाई-13	-5				बॉयलर दाब भाग इरेक्शन कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7
	सासन यूएमपीपी	रिलायंस पावर लि.	चीन	यू-3	660	जुलाई-14
	सासन यूएमपीपी	रिलायंस पावर लि.	चीन	यू-4	660	फरवरी-15
	सासन यूएमपीपी	रिलायंस पावर लि.	चीन	यू-5	660	सितम्बर-15
	सासन यूएमपीपी	रिलायंस पावर लि.	चीन	यू-6	660	अप्रैल-16
मध्य प्रदेश	सिओनी टीपीपी फेज-I	झबुआ	बीएचईएल	यू-1	600	मार्च-13
ओडिशा	देरांग टीपीपी	जेआईओपीएल	बीएचईएल	यू-1	600	मार्च-13
	देरांग टीपीपी	जेआईओपीएल	बीएचईएल	यू-2	600	जून-12
ओडिशा	इंड भारत टीपीपी (ओडिशा)	इंड भारत	चीन	यू-1	350	सितम्बर-11
	इंड भारत टीपीपी (ओडिशा)	इंड भारत	चीन	यू-2	350	दिसम्बर-11
ओडिशा	कमलांगना टीपीपी	जीएमआर	चीन	यू-1	350	नवम्बर-11
	कमलांगना टीपीपी	जीएमआर	चीन	यू-2	350	दिसम्बर-11
	कमलांगना टीपीपी	जीएमआर	चीन	यू-3	350	जनवरी-12
ओडिशा	केवीके निलांचन टीपीपी	केवीके निलांचन	चीन	यू-1	350	दिसम्बर-11
	केवीके निलांचन टीपीपी	केवीके निलांचन	चीन	यू-2	350	जनवरी-12
	केवीके निलांचन टीपीपी	केवीके निलांचन	चीन	यू-3	350	मार्च-12
ओडिशा	लैंको बबंध टीपीपी	लैंको बबंध पावर लि.	चीन	यू-1	660	अप्रैल-13
				यू-2	660	अगस्त-13

8	9	10	11	12	13
अक्तूबर-13	-9				बॉयलर दाब भाग इरेक्शन कार्य प्रगति पर है।
जनवरी-14	-13				बॉयलर का संरचनागत इरेक्शन कार्य प्रगति पर है।
मई-14	-16				बॉयलर का संरचनागत इरेक्शन कार्य प्रगति पर है।
सितम्बर-14	-19				बॉयलर का संरचनागत इरेक्शन कार्य प्रगति पर है।
जनवरी-13	5	2910	2910	0	4/11 को बॉयलर निर्माण कार्य शुरू टीजी सिविल कार्य 12/10 को आरंभ हुआ।
अगस्त-13	10	5961	5961	0	यू-1 एवं यू-2, बॉयलर इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है। यू-1 के लिए बॉयलर ड्रम को लिफ्ट कर दिया गया है। देरी का कारण – कानून और व्यवस्था की समस्या। भूमि अधिग्रहण में विलंब।
जून-13	12				
अप्रैल-13	19	3185	3185	0	दोनों यूनिटों के बॉयलर ड्रमों को लिफ्ट कर दिया गया है। दाब भाग इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है।
जून-13	18				
अप्रैल-13	17	4540	5268	728	एचपी, आईपी, एलपी रोटर प्राप्त हो गया है, यू-1 स्टेटर रोटर प्राप्त हो गया है, यू-1 एवं यू-2, दाब भाग एसेंबली तथा इरेक्शन कार्य प्रगति पर है। देरी का कारण – विदेशी कार्मिकों के लिए वीजा की समस्या। भूमि-अधिग्रहण में विलंब।
जून-13	18				
अगस्त-13	19				
जनवरी-14	25	4990	4990	0	बॉयलर इरेक्शन कार्य प्रगति पर है। एचटी-10/12। देरी का कारण – प्रारंभिक विलंब चिमनी संस्वीकृति के कारण हुआ।
दिसम्बर-14	35				बॉयरल इरेक्शन कार्य प्रगति पर है। बॉयलर ड्रम लिफटिंग की संभावित तारीख जून, 2012 है। देरी का कारण – प्रारंभिक विलंब चिमनी संस्वीकृति के कारण हुआ।
जनवरी-15	34				बॉयलर इरेक्शन कार्य प्रगति पर है। देरी का कारण – प्रारंभिक विलंब चिमनी संस्वीकृति के कारण हुआ।
मार्च-14	11	6930	6930	0	मुख्य संयंत्र अवसंरचना इरेक्शन कार्य प्रगति पर है टीजी राफट कास्टिंग कार्य पूर्ण हो चुका है। देरी का कारण – भूमि अधिग्रहण में विलंब।
जुलाई-14	11				

1	2	3	4	5	6	7
ओडिशा	मलीब्रह्मानी टीपीपी (मोनेट इस्पात)	एमपीसीएल	बीएचईएल	यू-1	525	दिसम्बर-12
				यू-2	525	फरवरी-13
ओडिशा	स्टलाईट टीपीपी	स्टलाईट इनर्जी लि.	चीन	यू-4#	600	अप्रैल-09
पंजाब	गोंडवाल साहिब	जीवीके पावर	बीएचईएल	यू-1	270	मई-13
	गोंडवाल साहिब	जीवीके पावर	बीएचईएल	यू-2	270	नवम्बर-13
पंजाब	राजपुरा टीपीपी (नाभा)	नाभा पावर लि.	नॉन-बीएचईएल	यू-1	700	जनवरी-14
	राजपुरा टीपीपी (नाभा)	नाभा पावर लि.	नॉन-बीएचईएल	यू-2	700	मई-14
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	मेसर्स स्टरलाइट	चीन	यू-1	660	अगस्त-12
	तलवंडी साबो टीपीपी	मेसर्स स्टरलाइट	चीन	यू-2	660	दिसम्बर-12
	तलवंडी साबो टीपीपी	मेसर्स स्टरलाइट	चीन	यू-3	660	अप्रैल-13
राजस्थान	जलीपा कपूर्डी टीपीपी	राज वेस्ट पावर लि. (जेएसडबल्यू)	चीन	यू-5*	135	जून-10
	जलीपा कपूर्डी टीपीपी	राज वेस्ट पावर लि. (जेएसडबल्यू)	चीन	यू-6*	135	अगस्त-10

8	9	10	11	12	13
नवम्बर-13	11	5093	5093	0	मुख्य संयंत्र में सिविल कार्य प्रगति पर है। देरी का कारण – भूमि अधिग्रहण में विलंब।
फरवरी-14	12				
मार्च-12	35	7669 (यू-1, 2, 3, 4)	7669 (यू-1, 2, 3, 4)	0	कमीशनिंग की गतिविधियां प्रगति पर है। देरी का कारण – सीसी पंपों की आपूर्ति में विलंब।
अप्रैल-13	.1	2963.81	2963.81	0	दाब भाग के इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है। टीजी इरेक्शन कार्य भी प्रगति पर है।
जुलाई-13	.4				दाब भाग के इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है।
नवम्बर-13	-2	9600	9600	0	बॉयलर इरेक्शन कार्य प्रगति पर है। एचटी 1/13 टीजी डेक कास्टिंग 4/12।
जनवरी-14	.4				बॉयलर इरेक्शन कार्य प्रगति पर है।
अगस्त-13	12	10250	10250	0	दाब भाग के इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है। एचटी-05/12। देरी का कारण – कोयले की आपूर्ति (देशी/विदेशी की अनिश्चितता के कारण)।
नवम्बर-13	11				दाब भाग के इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है। देरी का कारण – कोयले की आपूर्ति (देशी/विदेशी की अनिश्चितता के कारण)।
मार्च-14	11				बॉयलर अवसंरचना इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है। देरी का कारण – कोयले की आपूर्ति (देशी/विदेशी की अनिश्चितता के कारण)।
अक्तूबर-12	28	5075 (यू-1 से 8)	6085 (यू-1 से 8)	1010	टीजी बॉक्स-अप कार्य पूर्ण हो चुका है, बॉयलर लाइट-अप कार्य पूर्ण हो चुका है। देरी का कारण – जलिपा खदान के विकास में विलंब। पूर्ण लोड पर प्रचालन करने हेतु पंपिंग स्टेशनों के लिए 33 केवी की स्थायी आपूर्ति की अनुपलब्धता।
जनवरी-13	29				हाइड्रो परीक्षण पूर्ण हो चुका है, टीजी इरेक्शन कार्य 77% पूर्ण हो चुका है। देरी का कारण – जलिपा खदान के विकास में विलंब। पूर्ण लोड पर प्रचालन करने हेतु पंपिंग स्टेशनों के लिए 33 केवी की स्थायी आपूर्ति की अनुपलब्धता।

1	2	3	4	5	6	7
	जलीपा कपूर्डी टीपीपी	राज वेस्ट पावर लि. (जेएसडबल्यू)	चीन	यू-7*	135	सितम्बर-10
	जलीपा कपूर्डी टीपीपी	राज वेस्ट पावर लि. (जेएसडबल्यू)	चीन	यू-8*	135	मार्च-11
तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड-बराथ टीपीपी)	आईबीपीएल	चीन	यू-1	660	मई-12
तमिलनाडु	मेलामाथुर टीपीपी	कोस्टल इनर्जेन	चीन	यू-1	600	फरवरी-12
	मेलामाथुर टीपीपी	कोस्टल इनर्जेन	चीन	यू-2	600	मार्च-12
उत्तर प्रदेश	बारा टीपीपी	जेपी वेंचर लि.	बीएचईएल	यू-1	660	फरवरी-14
	बारा टीपीपी	जेपी वेंचर लि.	बीएचईएल	यू-2	660	जुलाई-14
	बारा टीपीपी	जेपी वेंचर लि.	बीएचईएल	यू-3	660	दिसम्बर-14
उत्तर प्रदेश	ललितपुर टीपीपी	बजाज एनर्जी प्रा.लि.	बीएचईएल	यू-1	660	अक्तूबर-14
	ललितपुर टीपीपी	बजाज एनर्जी प्रा.लि.	बीएचईएल	यू-2	660	फरवरी-15
	ललितपुर टीपीपी	बजाज एनर्जी प्रा.लि.	बीएचईएल	यू-3	660	जून-15
पश्चिम बंगाल	हल्दीया टीपीपी-I	मैसर्स हल्दीया एनर्जी लि.	चीन	यू-1	300	अगस्त-14
	हल्दीया टीपीपी-I	मैसर्स हल्दीया एनर्जी लि.	चीन	यू-2	300	नवम्बर-14
	कुल निजी क्षेत्र				62980	
	कुल निर्माणाधीन				96289.6	

टिप्पणी: *11वीं योजना में एचडीसी इकाइयों का संकेत करता हैं। और #पूर्ण प्रयास इकाइयों को संकेत करता है।

8	9	10	11	12	13
अगस्त-13	35				हाइड्रो परीक्षण पूर्ण हो चुका है, टीजी इरेक्शन कार्य 77% पूर्ण हो चुका है। देरी का कारण – जलिपा खदान के विकास में विलंब। पूर्ण लोड पर प्रचालन करने हेतु पंपिंग स्टेशनों के लिए 33 केवी की स्थायी आपूर्ति की अनुपलब्धता।
दिसम्बर-13	33				हाइड्रो परीक्षण पूर्ण हो चुका है, टीजी इरेक्शन कार्य 77% पूर्ण हो चुका है। देरी का कारण – जलिपा खदान के विकास में विलंब। पूर्ण लोड पर प्रचालन करने हेतु पंपिंग स्टेशनों के लिए 33 केवी की स्थायी आपूर्ति की अनुपलब्धता।
जनवरी-14	20	3595	3595	0	बॉयलर सिविल कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा उम लिफ्टिंग 5/12 तक होने की संभावना है। देरी का कारण – सिविल कार्यों की धीमी प्रगति के कारण।
जुलाई-12	5	4800	5158	358	एचटी-04/12, बीएलयू-06/12, टीजी बॉक्स अप-07/12। देरी का कारण – जनशक्ति की कमी के कारण विलंब।
फरवरी-13	11				एचटी-07/12, बीएलयू-08/12, टीजी बॉक्स अप-09/12। देरी का कारण – जनशक्ति की कमी के कारण विलंब।
फरवरी-14	0	11622.27	11622.27	0	5.07.11 से बॉयलर इरेक्शन कार्य प्रगति पर है। एचटी-06/13। टीजी 12/12 से इरेक्शन शुरू होने की संभावना है।
जुलाई-14	0				बॉयलर इरेक्शन कार्य प्रगति पर है।
दिसंबर-14	0				बॉयलर इरेक्शन कार्य प्रगति पर है।
अक्तूबर-14	0	11848	11848	0	बॉयलर इरेक्शन एवं इएसपी कार्य प्रगति पर है।
फरवरी-15	0				भूमि समतलीकरण कार्य प्रगति पर है।
जून-15	0				भूमि समतलीकरण कार्य प्रगति पर है।
अगस्त-14	0	3097.5	3097.5	0	पाइलिंग कार्य 01/11 को प्रारंभ हो गया है।
नवम्बर-14	0				साइट समतलीकरण कार्य प्रगति पर है।

अनुबंध-IV

कार्यान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

(नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन परियोजनाओं को छोड़कर)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी	संभावित चालू होने का कार्यक्रम	मुख्य संयंत्र उपस्कर आपूर्तिकत्ता
1	2	3	4	5	6
क.	**11वीं योजना के शेष अवधि के लिए क्षमता**				
	राज्य क्षेत्र				
1.	मिंटडु 3x42 = 126 मे.वा.	42 (यू-2#)	मेघालय/एमईईसीएल	2011-12	एंड्रीज
	उप-जोड़ (क) 11वीं योजना के शेष अवधि में अपेक्षित	42			
ख.	**11वीं योजना के बाद लाभ पहुंचाने वाला संभावित क्षमता**				
	केन्द्रीय क्षेत्र				
2.	चरण-III 3x77 = 231 मे.वा.	231	हिमाचल प्रदेश/एनएचपीसी	2012-13	एलस्टॉम, इंडिया एंड फ्रांस
3.	उड़ी-II 4x60 = 240 मे.वा.	240	जम्मू और कश्मीर/एनएचपीसी	2012.13	एलस्टॉम, इंडिया एंड फ्रांस
4.	चूटक 4x11 = 44 मे.वा.	44	जम्मू और कश्मीर/एनएचपीसी	2012.13	भेल
5.	पार्वती चरण-II 4x200 = 800 मे.वा.	800	हिमाचल प्रदेश/एनएचपीसी	2016.17	भेल
6.	पार्वती-III 4x130 = 520 मे.वा.	520	हिमाचल प्रदेश/एनएचपीसी	2012.13	भेल
7.	कोल डेम 4x200 = 800 मे.वा.	800	हिमाचल प्रदेश/एनटीपीसी	2013.14	भेल, तोशिबा एंड मारूबेनी
8.	रामपुर 6x68.67 = 412 मे.वा.	412	हिमाचल प्रदेश/एसजेवीएनएल	2013.14	भेल
9.	निम्मू बाजगो 3x15 = 45 मे.वा.	45	जम्मू और कश्मीर/एनएचपीसी	2013-14	भेल

1	2	3	4	5	6
10.	किशनगंगा 3x110 = 330 मे.वा.	330	जम्मू और कश्मीर/एनएचपीसी	2016-17	भेल
11.	तपोवन विष्णुगढ़ 4x130 = 520 मे.वा.	520	उत्तराखंड/एनटीपीसी	2014-15	भेल
12.	टिहरी पीएसएस 4x250 = 1000 मे.वा.	1000	उत्तराखंड/टीएचडीसी	2016-17	एलस्टॉम, फ्रांस
13.	तीस्ता लो डेम-III 4x33 = 132 मे.वा.	132	पश्चिम बंगाल/एनएचपीसी	2012-13	एंड्रीज
14.	तीस्ता लो डेम-IV 4x40 = 160 मे.वा.	160	पश्चिम बंगाल/एनएचपीसी	2014-15	भेल
15.	सुबानसिरी लोअर 8x250 = 2000 मे.वा.	2000	अरुणाचल प्रदेश/एनएचपीसी	2016-17	एलस्टॉम फ्रांस एंड नई दिल्ली
16.	कामेंग 4x150 = 600 मे.वा.	600	अरुणाचल प्रदेश/नीपको	2016-17	भेल
17.	पारे 2x55 = 110 मे.वा.	110	अरुणाचल प्रदेश/नीपको	2014-15	एंड्रीज
18.	तुरियल 2x30 = 60 मे.वा.	60	मिजोरम/नीपको	2015-16	भेल
	उप-जोड़ (केन्द्रीय)	8004			
	राज्य क्षेत्र				
19.	बगलिहार-II* 3x150 = 450 मे.वा.	450	जम्मू और कश्मीर/जेकेपीडीसी	2016-17	अभी आदेश नहीं दिए गए
20.	उहल-III 3x33.33 = 100 मे.वा.	100	हिमाचल प्रदेश/ब्यास वैली पावर कारपोरेशन लि. (बीवीपीसी)	2014-15	भेल
21.	केशंग-I 65 मे.वा.	65	हिमाचल प्रदेश/एचपीपीसीएल	2014-15	एंड्रीज
22.	केशंग-II और III 1x65 + 1x65 = 130 मे.वा.	130	हिमाचल प्रदेश/एचपीसीएल	2015.16	एंड्रीज
23.	सैंज 100 मे.वा.	100	हिमाचल प्रदेश/एचपीसीएल	2014.15	वॉयथ हाइड्रो

1	2	3	4	5	6
24.	स्वारा कुड्डु 3x37 = 111 मे.वा.	111	हिमाचल प्रदेश/एचपीसीएल	2014.15	एंड्रीज
25.	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40 = 80 मे.वा	80	महाराष्ट्र/डब्ल्यूआरडी, गो महा.	2014.15	आईवीआरसीएल, पुणे
26.	नागार्जुन सागर टीआर 2x25 = 50 मे.वा	50	आंध्र प्रदेश/एपीजेनको	2014.15	भेल
27.	लोअर जुराला 6x40 = 240. मे.वा	240	आंध्र प्रदेश/एपीजेनको	2013.15	एलस्टॉम, इंडिया
28.	पुलिचिनताला 4x30 = 120 मे.वा	120	आंध्र प्रदेश/एपीजेनको	2014.16	भेल
29.	पालिवासल 2x30 = 60 मे.वा	60	केरल/केएसईबी	2014.15	डीईसी, चीन
30.	थोटियार 1x30 + 1x10 = 40 मे.वा	40	केरल/केएसईबी	2015.16	चोंगकिंग, चीन
31.	भवानी बराज-II 2x15 = 30 मे.वा	30	तमिलनाडु/टीएनईबी	2012.13	लिटोस्ट्रोज, स्लोवेनिया, कोनसर, क्रोशिया
32.	भावनी बराज-III 2x15 = 30 मे.वा	30	तमिलनाडु/टीएनईबी	2012.13	लिटोस्ट्रोज, स्लोवेनिया, कोनसर, क्रोशिया
1 (क)	मिंटडु 3x42 = 126 मे.वा	42	मेघालय एमईएसईबी	2012.13	एंड्रीज
33.	न्यू उम्टू 2x20 = 40 मे.वा	40	मेघालय एमईएसईबी	2014.15	एंड्रीज
	उप जोड़ (राज्य क्षेत्र)	1688			
	निजी क्षेत्र				
34.	बुधिल 2x35 = 70 मे.वा.	70	हिमाचल प्रदेश/लेनको	2012.13	डांगफेंग इलेक्ट्रिक, चीन
35.	सोरंग 2x50 = 100 मे.वा.	100	हिमाचल प्रदेश/ हिमाचल सारंग पावर	2012.13	वॉयथ सीमेंस
36.	टांगू रोमाई-I 2x22 = 44 मे.वा.	44	हिमाचल प्रदेश/तंगू रोमाई पावर जेनेरेशन	2015.16	अभी आदेश नहीं दिए गए
37.	श्रीनगर 4x82.5 = 330 मे.वा.	330	उत्तराखंड/मै. जीवीके इंडस्ट्रीज	2013.14	भेल

1	2	3	4	5	6
38.	फाटा बयांग 76 मे.वा.	76	उत्तराखंड/मैं लेनको	2013.14	ईपीसी एवॉर्ड
39.	सिंगौली भटवारी 3x33 = 99 मे.वा.	99	उत्तराखंड/एल एंड टी उत्तराखंड हाइड्रो पावर लि.	2015.16	वॉयथ हाइड्रो
40.	महेश्वर 10x40 = 400 मे.वा.	400	मध्य प्रदेश/एसएमएचपीसीएल	2013.15	भेल
41.	चुजाचेन 2x49.5 = 99 मे.वा.	99	सिक्किम/गाटी	2013.14	एलस्टॉम, इंडिया
42.	तीस्ता-III 6x200 = 1200 मे.वा.	1200	सिक्किम/तीस्ता ऊर्जा लि.	2013.15	एंड्रीज हाइड्रो
43.	टिडोंग-I 2x50 = 100 मे.वा.	100	हिमाचल प्रदेश/मै. नूजीवीडु	2015.16	एलस्टॉम, इंडिया
44.	तीस्ता-VI 4x125 = 500 मे.वा.	500	सिक्किम/लैनको	2015.16	ईपीसी एवॉर्ड
45.	रंगिता-IV 3x40 = 120 मे.वा.	120	सिक्किम/जल पावर कॉरपोरेशन	2014.15	एंड्रीज
46.	जोरेथांग लूप 2x48 = 96 मे.वा.	96	सिक्किम/मै. डैन्स इनर्जी	2014.15	एलस्टॉम, इंडिया
47.	भासमे 3x17 = 51 मे.वा.	51	सिक्किम/गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर	2014.15	वॉयथ हाइड्रो, नई दिल्ली
48.	ताशिडिंग 2x48.5 = 97 मे.वा.	97	सिक्किम/शिगा इनर्जी प्रा.लि.	2014.15	एलस्टॉम, इंडिया
49.	डिक्चू 3x32 = 96 मे.वा.	96	सिक्किम/स्नेहा काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.	2015.16	एलस्टॉम, इंडिया
50.	रंगित-II 2x33 = 66 मे.वा.	66	सिक्किम/सिक्किम हाइड्रो पावर लि.	2016.17	ईपीसी एवॉर्ड
51.	रोंगनीचू 2x48 = 96 मे.वा.	96	सिक्किम/मध्य भारत पावर कॉरपोरेशन लि.	2015.16	वॉयथ हाइड्रो
	उप-जोड़ (निजी क्षेत्र)	3640			
	उप-जोड़ (ख) 11वीं योजना के आगे	13332			
	कुल-कार्यान्वयनाधीन (क+ख)	13374			

**बगलिहार-I को कार्य दिए आवंटित किए गए हैं।

अनुबंध-V

देश में चल रही जल विद्युत परियोजनाएं जिनमें समय/लागत अधिक लग रही है
(एमएनईएस के अंतर्गत नवीकरणीय तथा 25 मेगावाट तक की क्षमता की परियोजना शामिल)

क्र. सं.	परियोजना का नाम क्षमता/एजेंसी/राज्य स्वीकृत की तारीख	चालू किए जाने का कार्यक्रम		मूल/ नवीनतम से संबंधित देरी	मूल्य स्तर परियोजना लागत रु. करोड़ों		पिछली अनुमोदित/मूल की तुलना में लागत में नवीनतम वृद्धि		समय सीमा और लागत में वृद्धि के कारण
		वास्तविक माह/वर्ष	तत्काल माह/वर्ष		वास्तविक	तत्काल	प्रतिशत	रु. करोड़	
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
1.	पार्वती-II (4×200 एमडब्ल्यू) एनएचपीसी एचपी 11.9.2002	सितम्बर-09 (2009-10)	2016-17	84 महीने	3919.59 (12/01)	5524 (प्रत्याशित)	40.9	1604.41	टीबीएम द्वारा एचआरटी की धीमी प्रगति। ठेका संबंधी मामले। माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा स्टोन क्रशर के प्रचालन पर प्रतिबंध। संशोधित वन संस्वीकृति में विलंब। हिमाचल प्रदेश, पीडब्ल्यूडी द्वारा परियोजना-सड़कों के चौड़ीकरण में विलंब। फरवरी, 2007 में पावर हाउस क्षेत्र का खिसकना। नवंबर, 2006 में टीवीएम मुहाने पर जल एवं कीचड़ों का जमाव जिसके कारण टीवीएम को भारी नुकसान पहुंचा। ठेका संबंधी विवादों के कारण लॉट पीबी-2 कार्यों में बाधा। 16 अगस्त, 2011 को बादल का फटना।
2.	चमेरा-III (3×77 एमडब्ल्यू) एनएचपीसी एचपी 01.09.2005	अगस्त-10 (2010-11)	2012-13	24 महीने	1405.63 (02/05)	2084.01 (प्रत्याशित)	48.3	678.38	जून, 2006 में 03 व्यक्ति की हत्या एवं उपकरणों की क्षति। जुलाई, 2007 में बादल फटने से कॉफर कटाव। राज्य सरकार द्वारा मुख्य क्रशर संयंत्र को बंद करना। बांध के

1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
									दाएं किनारे पर शूटिंग स्टोन, एचसीसी द्वारा जन-शक्ति की कमी, एलईजी में गड्ढे का बनना, प्लगिंग तथा सुरंग का विपथन।
3.	पार्वती-III (4×130 एमडब्ल्यू) एनएचपीसी एचपी 09.11.2005	नवम्बर-10 (2010-11)	2012-13	24 महीने	2304.56 (05/05)	2716.00	17.85	411.44	एचआरटी में कमजोर भौमिकी, ई एवं एम कार्यों को पूरा करने में विलंब। दिनांक 01.07.2011 से स्थानीय लोगों द्वारा काम रोक देना। 16 अगस्त, 2011 को बादल का फटना।
4.	कोल डैम 4×200 एमडब्ल्यू) एनएचपीसी एचपी 28.10.2002	अप्रैल-09 (2008-10)	2013-14	48 महीने	4527.15 (12/01)	4527.15	शून्य	शून्य	बांध पर मिट्टी भराई, बांध गैलरी की ग्राउंडिंग, स्पिलवे का कंक्रीटीकरण, ठेका के कार्यों में धीमी प्रगति, स्टील के प्रापण में विलंब।
5.	रामपुर (4×68.67 एमडब्ल्यू) एसजेवीएनएल एचपी 25.01.2007	जनवरी-12 2011.12	2013.14	24 महीने	2047.03	2047.03	शून्य	शून्य	एचआरटी में कमजोर भौमिकी, पॉवर हाउस क्षेत्र में स्लोप का विफल होना।
6.	उरी-II (4×60 एमडब्ल्यू) एनएचपीसी जम्मू और कश्मीर 01.09.2005	नवम्बर-09 (2009-10)	2012-13	36 महीने	1724.79 (02/05)	1794.00	4.01	69.21	ठेकेदारों के पास संसाधनों की कमी। दिनांक 19.1.2008 को बांध क्षेत्र में स्लोप का विफल होना। बीआरओ द्वारा एनएच 1ए का चौड़ीकरण। दिनांक 19.5.2010 को कॉफर बांध का टूटना। जून, 2010 से कश्मीर घाटी में अशांति, फरवरी, 2011 से मई, 2011 के बीच वर्षा एवं हिमपात जिसके कारण दिनांक 17.4.2011 को बांध में आगे जल-जमाव। एचसीसी में नकद प्रवाह की दिक्कतें।

1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
7.	टिहरी पीएसएस (4x250 एमडब्ल्यू) टीएचडीसी 18.07.2006	जुलाई-2010	2016-17	84 महीने	1657.60 (12/05)	2978.86 (04/10) (पीआईबी)	79.7	1321.26	आरईसी अक्तूबर, 2010 में अनुमोदित हुआ। दिनांक 23.06.2011 को एकल ईपीसी ठेका मैसर्स एल्सटॉम हाइड्रो फ्रांस तथा मैसर्स एचसीसी को दिया गया।
8.	तपोवन विष्णुगाड (4x130 एमडब्ल्यू) एनटीपीसी उत्तराखंड 11/2006	मार्च 2013 (2012-13)	2014-15	24 महीने	2978.48	2978.48	शून्य	शून्य	सिविल ठेकेदारों द्वारा सुरंग बोरिंग मशीन के प्रापण एवं तैनाती में विलंब। पॉवरहाउस-खुदाई एचआरटी के मुख्य द्वार पर अत्यधिक जल-जमाव तथा टीवीएम पर पत्थर का गिराना।
9.	तिस्ता लो डैम-II (4x33 एमडब्ल्यू) एनएचपीसी पश्चिम बंगाल 30.10.2003	मार्च-07 (2006.07)	2012-13	72 महीने	768.92 (12/02)	1628 (प्रत्याशित)	111.7	859.08	वन संस्वीकृति प्राप्त होने में विलंब। पॉवर हाऊस लि स्लोप का विफल होना। जुलाई, 2007, मई, 2009 तथा जुलाई, 2010 में बादल का फटना। गोरखा जन मुक्ति आंदोलन/बंद।
10.	तिस्ता लो डैम-IV (4x40 एमडब्ल्यू) एनएचपीसी पश्चिम बंगाल 30.09.2005	सितम्बर-09 (2009-10)	2014-15	60 महीने	1061.38 (03/05)	1502.0	41.5	440.62	वन-संस्वीकृति में विलंब। जुलाई, 2007, मई, 2009 तथा जुलाई, 2010 में बादल का फटना। गोरखा जन मुक्ति आंदोलन/बंद।
11.	सुबानसिरी लोअर (8x250 एमडब्ल्यू) एनएचपीसी अरुणाचल प्रदेश/असम 09.09.2003	सितंबर-10 (2010-11)	2016-17	72 महीने	6285.33 (12/02)	10667 (प्रत्याशित)	69.71	4381.67	अरुणाचल प्रदेश की तरफ स्थीनय लोगों द्वारा कार्यों में बाधा। असम सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर। दिनांक 28.01.2008 को पॉवर हाऊस क्षेत्र में स्लोप का विफल होना। रंगानदी नदी पर बने पुल का क्षतिग्रस्त होना, सर्ज सुरंग में जाने वाले सर्ज शॉफ्ट के डिजाइन में परिवर्तन, डी/एस

1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
									प्रभाव-अध्ययन का मामला तथा बांध के कार्य को रोकने के लिए मांग, बांध के कार्यों एवं उपकरणों के परिवहन हेतु सरकारी राजस्व का भुगतान कर छोटे खनिजों का वन परमिट जारी करना।
12.	चूटक (4x11 एमडब्ल्यू) एनएचपीसी जम्मू और कश्मीर 24.08.2006	फरवरी-11 (2010.11)	2012-13	24 महीने	621.26 (12/05)	913.25 (अप्रत्याशित)	47.0	291.99	अत्यंत ठंडे मौसम में काम करना (कार्य के संक्षिप्त सत्र), ई एवं एम तथा एचएम पुर्जों की आपूर्ति, भेल द्वारा जन-शक्ति की कमी।
13.	निमू बाज़गो (3x15 एमडब्ल्यू) एनएचपीसी 24.08.2006	अगस्त-10 (2010-11)	2013-14	36 महीने	611.01 (12/2005)	936.10 (अप्रत्याशित)	53.2	325.09	अत्यंत ठंडे मौसम में काम करना (कार्य के संक्षिप्त सत्र), ई एवं एम तथा एचएम पुर्जों की आपूर्ति, ई एवं एम कार्यों के लिए जन-शक्ति की कमी।
14.	कार्मेंग (4x150 एमडब्ल्यू) नीपको अरुणाचल प्रदेश 02.12.2004	दिसंबर-09 (2009-10)	2016.17	84 महीने	2496.90 (03/2004)	3253.22 (09/08)	30.2	756.32	बांध की लंबाई बढ़ाना, क्रस्ट स्तर में परिवर्तन, विपथन व्यवस्था में सुधार, खराब भौमिकी, अत्यधिक रिसाव, अपर्याप्त मशीनरी के कारण बांध एवं एचआरटी की धीमी प्रगति। अक्तूबर, 2008 में बादल फटने से कार्य में बाधा।
15.	पारे (2x55 एमडब्ल्यू) नीपको अरुणाचल प्रदेश 04.12.2008	अगस्त-12 (2012.13)	2014.15	24 उवदजी	573.99 (06/07)	674.45 (06/07)	17.50	100.46	दिनांक 30.08.2009 को सिविल कार्य मैसर्स एचसीसी तथा ईएम कार्य मैसर्स एंड्रिट्ज हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया।

1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
राज्य क्षेत्र									
पूर्वी क्षेत्र									
16.	स्वराकुड्डा (3x37 एमडब्ल्यू) एचपीपीसीएल, एचपी 10.11.014	दिसंबर-10 (2010-11)	2014-15	48 महीने	558.53 (03/03)	727.71 (02/08)	30.30	169.18	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संस्वीकृति में विलंब, सिविल एवं ई एवं एम कार्यों के अवार्ड में विलंब, एचआरटी में कमजोर भौमिकी
17.	यूही- (3x33.33 एमडब्ल्यू) बीवीपीसी 19.9.02	मार्च-07 (2006-07)	2014-15	96 महीने	431.56 (09/02)	940.84 (03/08)	118.00	509.28	— ठेका प्रदान करने में विलंब। — धीमी प्रगति के कारण एचआरटी एवं नेरीखाड कार्यों के लिए नया ठेका देना। — कमजोर भौमिकी।
दक्षिणी क्षेत्र									
आंध्र प्रदेश									
18.	लोअर जुराला (6x40 एमडब्ल्यू) आंध्र प्रदेश एपीजेनको 2007	2011-12	2013-15	36 महीने	908.34 (2007)	908.34 (2007)	शून्य	शून्य	— ई एवं एम कार्यों में ठेके में विलंब। — वर्ष 2010 में अप्रत्याशित बाढ़ का प्रकोप।
कर्नाटक									
19.	नागर्जुन सागर तेल पूल डैम (2x25 एमडब्ल्यू) एपीजेनको 17.01.2005	नवम्बर-08 (2008-09)	2014-15	72 महीने	464.63 (2002.03)	794.47	70.99	329.84	बारंबार बाढ़ के कारण बांध की धीमी प्रगति। — एचएम कार्यों के ठेके में विलंब।

1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
करेल									
20.	पल्लीवसल 2x30 एमडब्ल्यू केईएसईबी 31.01.2007	अक्तूबर-10 2010-11	2014-15	48 महीने	222.00 (पीएल-1999)	268.02	20.7	46.02	– सिविल कार्यों में धीमी प्रगति। – भूमि-अधिग्रहण में विलंब। – एचआरटी लेखा परीक्षा के संरक्षण सीध में परिवर्तन – कमजोर भौमिकी-स्तर
तमिलनाडु									
21.	भवानीकट्टालई एच.ई. प्राजेक्ट बैराज-II (2x15 एमडब्ल्यू) टीएनईबी 11.06.99	मार्च-06 (2005-06)	2012-13	84 महीने	99.15 (95.96)	497.46	304.00	301.44	कार्यों के ठेके में विलंब। बांध एवं संबद्ध एचएम कार्यों की धीमी प्रगति। जलाशय भरान के मामले।
22.	भवानीकट्टालई एच.ई. प्राजेक्ट बैराज-III (2x15 एमडब्ल्यू) टीएनईबी 27.03.02	मार्च-06 (2005-06)	2012-13	84 महीने	99.75 (99.00)	442.73	343.83	342.98	कार्यों के ठेके में विलंब। बांध एवं संबद्ध कार्यों की धीमी प्रगति।
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र									
मेघालय									
23.	मिंत्डू (2x42 एमडब्ल्यू) + (1x42 एमडब्ल्यू) एमईएसईबी 09.06.2003	अक्तूबर-06 (2006-07)	2011-13	72 महीने	363.08 (01/99) आईडीसी एवं एफसी सहित	1173.13 (2010) आईडीसी सहित	223.10	810.05	निवेश-निर्णय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की संस्वीकृति एवं मुख्य कार्यों के ठेके में विलंब, अक्तूबर, 2009, मई, 2010 परमिट जारी करना तथा मार्च, 2011 में एचआरटी, पीएच में बाढ़ का प्रकोप।

1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
निजी									
24.	बुधील (2x35 एमडब्ल्यू) एच.पी. मैसर्स लैनको ग्रीन पावर प्राइवेट लि. एनए 02.06.06	दिसंबर-08 (2008-09)	2012-13	48 महीने	418.80	418.80	शून्य	शून्य	कमजोर भौमिकी स्थिति के कारण एचआरटी की धीमी प्रगति। विद्युत निकासी की व्यवस्था।
25.	श्रीनगर (4x82.5 एमडब्ल्यू) उत्तराखंड मैसर्स अलकनंदा हाइड्रो पावर कं. लि. 14.6.2000 (टीईसी)	अक्तूबर-05 (2005-06)	2013-14	96 महीने	1699.12 (3/99)	2069.00	21.77	369.88	वित्तीय समापन। — बांध कार्यों की धीमी प्रगति। — पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 30.5.2011 से काम रोकने हेतु नोटिस जारी किया है।
26.	महेश्वर (10x40 एमडब्ल्यू) एसएमएचपीसी एम.पी. 30.12.96	2012-13	2013-15	24 महीने	1569.27 (96.97)	2760.00 (2010)	75.88	1190.73	विदेशी साझेदारों द्वारा इक्विटी गैप, आर एवं आर की समस्या, निधि-दबाव, भेल के साथ नकद प्रवाह के मामले।
27.	तीस्ता स्टेज-III (6x200 एमडब्ल्यू) सिक्किम मैसर्स तीस्ता ऊर्जा लि. 12.05.2006 (टीईसी)	अक्तूबर-2011	2013-15	48 महीने	5705.55	5705.55	शून्य	शून्य	वन संस्वीकृति में विलंब। सितंबर, 2011 में भूकंप के कारण कार्यों में बाधा।
28.	तीस्ता स्टेज-VI (4x125 एमडब्ल्यू)	2012-13	2015-16	36 महीने	3283.08	3283.08	शून्य	शून्य	कमजोर भौमिकी

1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
	सिक्किम मैसर्स लैनको प्राइवेट लि. 27.12.2006 (टीईसी)								
29.	रंगीट-IV एचई प्रोजेक्ट (3×40 एमडब्ल्यू) जेपीसीएल 09.12.2005	2012-13	2014-15	24 महीने	726.16	726.16	शून्य	शून्य	
30.	चूजाचेन (2×49.5 एमडब्ल्यू) सिक्किम मैसर्स गति इंफ्रासट्रक्चर लि. 30.11.2004	सितंबर-09 2009-10	2013.14	48 महीने	448.76 (2004)	820.00	82.72	371.24	कमजोर भोमिकी के कारण एचआरटी के कुल भागों में धीमी प्रगति। रंगपो बांध पर दिनांक 16.4.2009 को बादल फटना। कॉफर बांध में कटाव।

पी.के. बिजू : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार हमारे देश में कुल संस्थापित क्षमता 190,000 मेगावाट को पार कर चुकी है। परंतु मेरे राज्य केरल में, हम विद्युत के बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। मंत्रालय द्वारा इस समस्या का निवारण करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है...*(व्यवधान)*

श्री के.सी. वेणुगोपाल : महोदया, आज की स्थिति के अनुसार हमने पारंपरिक स्रोतों से 54,922 मेगावाट क्षमता वृद्धि की है और इस वित्तीय वर्ष में हमने 20459 मेगावाट की वृद्धि है जो कि एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई सबसे अधिक विद्युत क्षमता है।...*(व्यवधान)*

मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि देश में विशेष रूप से केरल सहित दक्षिणी राज्यों में विद्युत संकट है। परन्तु, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि जहां तक केरल का संबंध है तो केरल की स्थिति दक्षिण भारत में अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ी बेहतर है। खैर, हम केरल सहित राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में साथ दे रहे हैं। हम अपनी सीमा के भीतर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम केरल राज्य सरकार को समर्थन दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी.के. बिजू : महोदया, केरल राज्य में 340 मेगावाट यूनिट विद्युत की कमी है। हमने अनेक परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं। परंतु, अनिरापल्ली और चिमेरी परियोजनाओं को पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति नहीं मिल रही है। हम विद्युत के बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हाल ही में घोषित नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड के प्रावधान क्या हैं और इसे राज्य की विद्युत स्थिति में सुधार करने हेतु केरल राज्य द्वारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है और केंद्र सरकार द्वारा विवरण क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु केरल राज्य को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?...*(व्यवधान)*

श्री के.सी. वेणुगोपाल : जहां तक केरल का संबंध है तो पर्यावरण संबंधी मुद्दों के कारण न कि केंद्र सरकार के कारण कई परियोजनाएं लटकी हुई हैं। इस संबंध में स्वयं केरल सरकार में मतान्तर हैं। जहां तक आरएपीडीआरपी और आरजीजीवीवाई का संबंध है तो केरल को पहले ही 1400 करोड़ रुपये स्वीकृत कर चुके हैं। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत हम केरल को पहले ही 225 करोड़ रुपये स्वीकृत कर चुके हैं। जहां तक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड का संबंध है तो केरल भी अपने कार्य-निष्पादन के आधार पर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी फंड का लाभ उठा सकता है।...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

कैंसर रोगी

***242. श्री हरि मांझी :**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कैंसर से पीड़ित रोगियों और उससे होने वाली मौतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कैंसर रोगियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अनुमानित संख्या कितनी है तथा इससे कितनी मौतें होने का पता चला है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कैंसर के अधिक मामलों तथा इसके कारण होने वाली उच्च मृत्यु दर के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कैंसर को नियंत्रित करने तथा कैंसर रोगियों के लिए डॉक्टरों की उपलब्धता, मुफ्त/सस्ती दवाइयां, नैदानिक सेवाएं और उपचार सुविधा सुलभ कराने के लिए क्या निवारक और उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) और (ख) कैंसर तथा उससे होने वाली मौतों की घटना से संबंधित सटीक आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अनुसार प्रतिवर्ष कैंसर रोगियों की संख्या में क्रमिक वृद्धि होती है। विगत तीन वर्षों के दौरान कैंसर के रोगियों तथा उससे हुई मौतों की घटना की अनुमानित संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है तथा केन्द्र सरकार सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों

के प्रयासों में सहायता करती है। भारत सरकार ने 21 राज्यों के 100 जिलों में एक व्यापक राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग एवं आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) शुरू किया है। कार्यक्रम के कैंसर घटक के अंतर्गत जिला अस्पतालों को मुख, वक्ष तथा सर्वाइकल कैंसरों के लिए समयानुवर्ती स्क्रीनिंग के जरिए शुरू में ही निदान करने के लिए सुदृढ़ किया जाता है। इसमें कैंसर रोगियों के लिए कीमोथिरेपी सुविधाओं तथा सहायक परिचर्या की भी व्यवस्था होगी। प्रति जिला 100 कैंसर रोगियों के उपचार के लिए प्रति रोगी 1.00 लाख रु. की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध है। इस कार्यक्रम में व्यापक कैंसर परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए पूर्ववर्ती क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों सहित सरकारी मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों के तृतीयक कैंसर केन्द्र के रूप में सुदृढ़ीकरण की भी परिकल्पना की गई है। सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली में जहां कहीं भी कैंसर का उपचार उपलब्ध है, उसमें अधिकांशत: आर्थिक सहायता दी जाती है।

विवरण-I

भारत में विभिन्न राज्यों में कैंसर के रोगियों की अनुमानित संख्या

(2009—2011)

क्र. सं.	राज्य	कैंसर रोगी		
		2009	2010	2011
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	10390	10615	10775
2.	हिमाचल प्रदेश	5798	5868	5905
3.	पंजाब	23268	23577	23826
4.	चंडीगढ़	873	889	909
5.	उत्तराखंड	8463	8616	8740
6.	हरियाणा	21071	21473	21809
7.	दिल्ली	12930	13201	13495
8.	राजस्थान	57146	58271	59004
9.	उत्तर प्रदेश	166327	169419	171369
10.	बिहार	85978	87924	89030
11.	सिक्किम	349	357	364
12.	अरुणाचल प्रदेश	1144	1170	1188
13.	नागालैंड	1695	1701	1717
14.	मणिपुर	1422	1455	1480
15.	मिजोरम	1137	1160	1179
16.	त्रिपुरा	3081	3132	3178
17.	मेघालय	2457	2516	2551
18.	असम	24084	24460	24716
19.	पश्चिम बंगाल	76935	77975	78820
20.	झारखंड	27451	28013	28381
21.	ओडिशा	35407	35878	36171
22.	छत्तीसगढ़	21307	21752	22053
23.	मध्य प्रदेश	51521	52485	53132
24.	गुजरात	50388	51301	52092
25.	दमन और दीव	182	195	210
26.	दादरा और नगर हवेली	266	282	298
27.	महाराष्ट्र	94283	95706	96890
28.	आंध्र प्रदेश	71737	72553	73330
29.	कर्नाटक	49688	50436	51070
30.	गोवा	1236	1248	1267
31.	लक्षद्वीप	53	54	56
32.	केरल	28309	28682	29381

1	2	3	4	5
33.	तमिलनाडु	76279	77418	78446
34.	पुदुचेरी	1033	1060	1083
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	322	324	327
	कुल	1014010	1031166	1044242

*भारत में देखी गई कैंसर घटना की संख्या (2006-08) तथा वास्तविक विकास दर (2001-2011) पर आधारित है।

विवरण-II

भारत में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कैंसर से हुई मौतों की अनुमानित संख्या

(2009-2011)*

क्र. सं.	राज्य	मृत्यु के मामले		
		2009	2010	2011
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	4952	5042	5134
2.	हिमाचल प्रदेश	2947	2996	3045
3.	पंजाब	12090	12330	12575
4.	चंडीगढ़	505	523	540
5.	उत्तराखंड	4257	4345	4435
6.	हरियाणा	11104	11401	11708
7.	दिल्ली	7649	7962	8289
8.	राजस्थान	29463	30209	30976
9.	उत्तर प्रदेश	85202	87189	89224
10.	बिहार	41735	42787	43864
11.	सिक्किम	204	209	216
12.	अरुणांचल प्रदेश	592	611	632
13.	नागालैंड	1277	1341	1410
14.	मणिपुर	667	679	690
15.	मिजोरम	595	610	626
16.	त्रिपुरा	1536	1560	1583
17.	मेघालय	1228	1260	1295
18.	असम	12379	12598	12822
19.	पश्चिम बंगाल	38903	39545	40199
20.	झारखंड	13902	14237	14579
21.	ओडिशा	17696	17970	18249
22.	छत्तीसगढ़	10341	10541	10745
23.	मध्य प्रदेश	26088	26645	27214
24.	गुजरात	25497	26037	26588
25.	दमन और दीव	102	109	114
26.	दादरा और नगर हवेली	164	179	195
27.	महाराष्ट्र	48859	49911	50989
28.	आंध्र प्रदेश	36145	36641	37144
29.	कर्नाटक	24688	25105	25531
30.	गोवा	658	499	493
31.	लक्षद्वीप	30	32	32
32.	केरल	14540	14672	14805
33.	तमिलनाडु	37806	38452	39127
34.	पुदुचेरी	483	492	502

1	2	3	4	5
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	186	192	197
	कुल	514470	524911	535767

*मुम्बई डाटा (2006-08) के एम/आई अनुपात पर आधारित।

[अनुवाद]

125-78

बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

***243. श्री प्रबोध पांडा :**

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों/अशोध्य ऋणों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो बैंक/वित्तीय संस्था-वार और क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त बैंकों की लाभप्रदता पर ऐसी गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के प्रभाव सहित इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान उक्त बैंकों ने अपने गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का एक हिस्सा बट्टे खाते में डाल दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा उक्त बैंकों द्वारा ऐसी गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को बट्टे खाते में डालने के लिए किन मानंदडों का पालन किया गया; और

(ङ) ऐसी गैर-निष्पादनकारी आस्तियों पर रोक लगाने तथा विशेषकर बड़े औद्योगिक/कॉरपोरेट घरानों से संबंधित ऐसी गैर-निष्पादनकारी आस्तियों/अशोध्य ऋणों की वसूली हेतु प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) बैंक-वार और वित्तीय संस्था-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में वृद्धि का रुझान देखा गया है। मार्च, 2009 में उक्त आस्तियां 68220.22 करोड़ रुपए थीं जो मार्च, 2010 और दिसंबर, 2011 में बढ़कर क्रमशः 81812.99 करोड़ रुपए और 127476.05 करोड़ रुपए की हो गई। इसी अवधि के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कर-उपरांत लाभ में भी वृद्धि हुई। मार्च, 2009 को उक्त लाभ की राशि 50510.19 करोड़ रुपए थी जो मार्च, 2011 और दिसम्बर, 2011 में उक्त लाभ बढ़कर क्रमशः 52689.07 करोड़ रुपए, 65224.10 करोड़ रुपए और 53648.60 करोड़ रुपए हो गया।

बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण एनपीए का प्रणाली आधारित अभिनिर्धारण में अंतरित होना, ब्याज दरों में वृद्धि तथा वर्ष 2011 के दौरान हुई कम आर्थिक प्रगति है, जिससे उधारकर्त्ताओं, विशेष रूप से छोटे तथा मध्यम उद्यमों की भुगतान क्षमता प्रभावित हुई।

(ग) और (घ) समझौता/बट्टे खाते मं डालने के कारण एनपीए में हुई कमी का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

बैंक बट्टे खाते का सहारा केवल उस स्थिति में लेते हैं जब वे वसूली के सभी अन्य संभव उपायों का प्रयोग कर लेते हैं या जब आस्ति कवरेज पर्याप्त नहीं होते हैं। ऋणों को बट्टे खाते में डालने के संबंध में बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना अपेक्षित है। आय निर्धारित करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों, परिसंपत्ति स्पष्टीकरण तथा अग्रिमों से संबंधित प्रावधान के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01.07.2011 के मास्टर परिपत्र डीबीओडी सं. बीपी.बीसी.12/21.04.04बी/2011-12 के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख भी किया गया है कि बैंकों को दिशानिर्देशों के अनुसार या तो पूर्ण प्रावधान करना चाहिए या ऐसे अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना चाहिए तथा ऐसे लाभों का दावा करना चाहिए जिनको क्लेम करने का प्रावधान है।

(ङ) वित्तीय क्षेत्र की स्थिति में सुधार करने, 'एनपीए' में कमी लाने, बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने और वसूली का एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार ने गत वर्षों में पहले से ही विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, चूक की रोकथाम हेतु दिशानिर्देश, कारपोरेट ऋण पुनर्निर्धारण एवं अन्य पुनर्निर्धारण योजनाएं, एकबारगी निपटान योजनाएं, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एसएआरएफईएसआई) अधिनियम, 2002, ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली (डीआरडी) अधिनियम, 1993 का अधिनियमन और सेन्ट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरटी इंटरस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसएआई) जैसे उपाय शामिल हैं।

विवरण-I

एससीबी: मार्च 09, मार्च 10, मार्च 11 और दिसम्बर 11 की स्थिति के अनुसार सकल लाभ, निवल लाभ, सकल एनपीए, एनपीए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, एनपीए कृषि और एनपीए एसएसआई

(करोड़ रुपए)

बैंक का नाम	माह वर्ष	सकल एनपीए	निवल एनपीए	सकल एनपीए कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	सकल एनपीए कृषि	सकल एनपीए एसएसआई/ एमएसई	सकल एनपीए कुल गैर-प्राथमिकता-प्राप्त	प्रावधान एवं कर पूर्व आय	करोपरांत लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
इलाहाबाद बैंक	मार्च 2009	1077.16	438.61	671.42	202.90	185.36	405.74	1899.48	766.23
	मार्च 2010	1220.85	470.15	712.62	215.21	310.70	508.23	2531.19	1193.70
	मार्च 2011	1646.98	784.37	1217.45	548.73	281.98	429.53	3022.19	1404.09
	दिसम्बर 2011	1884.14	695..22	1391.32	574.46	692.50	492.82	2818.39	1433.36
आन्ध्रा बैंक	मार्च 2009	368.14	79.80	157.09	16.55	61.01	211.05	1286.03	653.05
	मार्च 2010	487.87	96.01	218.29	26.14	85.76	269.58	1809.82	1045.85
	मार्च 2011	995.64	276.55	522.49	116.30	109.28	473.15	2413.08	1267.07
	दिसम्बर 2011	1816.02	919.39	1017.77	520.47	128.87	798.25	2154.64	954.64
बैंक ऑफ बड़ौदा	मार्च 2009	1664.27	970.24	819.53	224.73	307.49	844.74	3392.31	1805.97
	मार्च 2010	2196.06	526.05	1444.14	635.82	529.60	751.92	3969.20	2161.94
	मार्च 2011	2788.23	673.34	1761.88	772.13	689.63	1024.35	5784.73	3429.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	दिसम्बर 2011	3340.23	1013.38	2131.30	950.14	850.13	1208.93	5257.48	2683.73
बैंक ऑफ इंडिया	मार्च 2009	2189.70	833.83	1564.20	335.92	594.03	625.50	4724.37	2673.13
	मार्च 2010	4481.21	2078.82	2146.78	490.10	1360.17	2334.43	4160.69	1445.64
	मार्च 2011	4356.60	1808.42	2939.00	898.17	1644.70	1417.60	4828.03	1993.34
	दिसम्बर 2011	5592.34	3776.09	2579.29	893.94	1385.11	3013.05	3917.24	1302.54
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	मार्च 2009	798.41	271.90	527.37	112.10	79.90	271.04	793.52	375.17
	मार्च 2010	1209.79	598.33	795.12	231.79	362.69	414.67	814.55	439.58
	मार्च 2011	1173.70	587.05	688.17	313.38	404.35	265.53	855.04	330.39
	दिसम्बर 2011	1045.48	166.17	755.91	322.94	91.33	269.57	1265.25	358.00
केनरा बैंक	मार्च 2009	2138.76	1350.46	931.71	286.73	179.66	1207.05	3890.90	2056.96
	मार्च 2010	2504.53	1570.10	1423.04	461.87	393.54	1081.49	4966.79	3007.41
	मार्च 2011	2981.78	2154.43	1691.71	663.07	554.90	1290.07	6006.56	3987.85
	दिसम्बर 2011	3853.72	2859.88	2183.03	758.70	1056.82	1670.69	4354.26	2385.38
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	मार्च 2009	2316.54	1063.43	1587.13	416.56	658.61	729.41	1436.74	571.24
	मार्च 2010	2457.69	727.40	1658.34	420.77	922.16	799.55	2058.52	1058.23
	मार्च 2011	2394.53	712.48	1330.79	418.27	686.92	1063.74	2591.39	1252.41
	दिसम्बर 2011	4922.41	2274.41	2103.57	561.38	1122.40	2818.84	2202.16	638.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कॉर्पोरेशन बैंक	मार्च 2009	559.22	144.26	372.83	79.43	83.11	186.39	1798.61	892.77
	मार्च 2010	650.94	224.45	397.66	121.54	78.70	253.28	2136.73	1170.25
	मार्च 2011	790.23	427.18	463.82	216.93	110.60	326.41	2622.40	1413.27
	दिसम्बर 2011	1249.17	934.30	834.26	222.71	235.47	614.91	2102.47	1154.78
देना बैंक	मार्च 2009	62077	313.36	412.66	54.84	132.08	208.11	728.59	42266
	मार्च 2010	641.99	383.03	378.70	83.24	73.61	263.29	840.59	511.25
	मार्च 2011	842.24	506.91	427.83	137.68	193.60	414.41	1223.83	611.63
	दिसम्बर 2011	885.32	487.55	563.75	164.04	256.13	321.57	1053.01	548.35
आईडीबीआई बैंक लि.	मार्च 2009	1435.69	948.96	410.13	118.18	69.02	1025.56	1377.92	858.54
	मार्च 2010	2129.39	1406.33	785.42	298.73	221.28	1343.97	2735.96	1041.66
	मार्च 2011	2784.73	1677.90	666.46	243.81	452.91	1918.27	4194.89	1662.83
	दिसम्बर 2011	4639.92	3057.87	1335.98	468.46	650.63	3303.94	2889.15	1267.99
इंडियन बैंक	मार्च 2009	426.46	80.61	222.71	27.30	76.74	203.76	2145.41	1238.94
	मार्च 2010	458.59	122.78	246.68	55.15	162.88	209.91	2664.40	1438.71
	मार्च 2011	720.02	264.41	494.89	218.77	140.92	225.33	3189.10	1858.80
	दिसम्बर 2011	1171.81	485.67	704.90	366.56	157.12	466.91	2501.54	1251.44
इंडियन ओवरसीज बैंक	मार्च 2009	1810.02	946.09	772.58	155.87	339.03	1037.44	2297.07	1210.50
	मार्च 2010	3441.66	1820.53	1192.09	276.42	605.80	2249.57	1604.90	504.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	मार्च 2011	2793.42	975.90	1388.15	447.22	832.57	1405.77	2586.85	887.12
	दिसम्बर 2011	3603.07	957.12	2054.60	854.82	743.73	1548.27	2273.40	346.15
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	मार्च 2009	1058.12	493.77	609.87	133.20	181.87	448.75	1684.98	905.42
	मार्च 2010	1468.75	774.11	910.80	275.56	385.12	557.95	2421.50	1134.66
	मार्च 2011	1920.54	989.85	1160.66	425.33	361.44	759.88	3245.14	1502.87
	दिसम्बर 2011	3431.26	2224.22	2118.60	839.08	900.11	1312.66	2385.71	822.73
पंजाब एंड सिंध बैंक	मार्च 2009	161.04	78.03	93.33	18.19	58.97	67.71	727.71	437.18
	मार्च 2010	206.15	116.56	138.35	42.11	84.87	67.80	877.57	508.80
	मार्च 2011	424.28	237.94	269.78	65.50	169.20	154.50	1013.50	526.17
	दिसम्बर 2011	625.15	438.31	409.43	67.87	244.72	215.72	541.52	291.97
पंजाब नेशनल बैंक	मार्च 2009	2767.46	263.64	2436.21	536.92	1000.47	331.25	6744.34	3090.68
	मार्च 2010	3214.41	981.69	2471.34	977.48	1165.43	743.07	7326.28	3905.36
	मार्च 2011	4379.39	2038.64	2741.90	1170.91	1348.69	1837.49	9055.69	4433.50
	दिसम्बर 2011	6278.72	2556.97	3066.62	1209.70	1535.67	3192.10	7337.45	3272.29
सिंडिकेट बैंक	मार्च 2009	1592.10	630.68	601.09	166.49	177.34	791.01	1696.30	687.88
	मार्च 2010	2004.59	962.46	1090.77	175.56	238.36	913.82	1823.55	776.07
	मार्च 2011	2589.12	1030.84	1568.87	328.08	294.82	1020.45	2663.89	1004.02
	दिसम्बर 2011	2640.49	536.96	1709.24	430.70	284.16	931.25	2457.94	933.48

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
यूको बैंक	मार्च 2009	1539.51	812.67	1006.93	285.04	180.43	532.58	1088.93	465.33
	मार्च 2010	1665.02	965.15	976.00	269.00	339.00	689.02	1640.41	957.69
	मार्च 2011	3090.17	1617.45	1572.56	696.58	508.48	1517.61	2600.46	863.16
	दिसम्बर 2011	3033.86	1857.82	1543.62	582.50	552.00	2090.04	2022.70	814.18
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	मार्च 2009	1923.35	192.74	1272.02	269.87	198.33	651.33	3082.01	1726.58
	मार्च 2010	2663.87	965.33	1632.02	369.23	895.35	1031.85	3601.26	2045.13
	मार्च 2011	3622.82	1586.44	2261.99	855.88	946.38	1360.83	4304.98	2081.94
	दिसम्बर 2011	5180.12	2229.06	3354.23	1547.93	1134.84	1825.89	3583.23	1009.74
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	मार्च 2009	1019.56	525.01	716.67	190.98	230.63	302.89	677.56	184.71
	मार्च 2010	1372.30	778.55	894.02	204.28	282.90	478.28	875.85	322.36
	मार्च 2011	1355.78	757.41	1077.76	320.07	608.94	278.02	1506.99	523.97
	दिसम्बर 2011	1939.07	1178.39	1308.88	294.43	844.78	630.19	1351.02	483.24
विजया बैंक	मार्च 2009	698.82	292.30	485.52	74.87	163.88	213.30	896.91	262.48
	मार्च 2010	994.45	581.84	393.67	93.03	190.14	600.78	1056.96	507.30
	मार्च 2011	1259.19	735.12	1032.17	363.08	283.95	227.02	1046.68	523.82
	दिसम्बर 2011	1667.17	954.10	1161.44	436.70	392.55	505.73	966.99	400.02
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	मार्च 2009	490.33	252.94	179.63	7.01	37.82	310.70	892.83	403.45
	मार्च 2010	611.85	271.25	268.64	6.55	123.53	343.21	903.73	455.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	मार्च 2011	835.40	298.14	277.81	98.41	139.29	557.59	1140.25	550.88
	दिसम्बर 2011	1630.78	953.81	885.27	466.39	283.62	765.51	1009.29	409.52
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	मार्च 2009	486.04	226.59	213.59	22.95	56.00	272.45	1302.96	615.81
	मार्च 2010	645.67	288.92	290.02	54.52	101.71	355.65	1720.79	822.71
	मार्च 2011	1150.45	438.63	410.68	78.86	122.39	739.77	2319.47	1166.24
	दिसम्बर 2011	2382.75	1231.23	1083.53	355.06	238.48	1299.22	1706.34	617.23
भारतीय स्टेट बैंक	मार्च 2009	15105.34	8850.46	7010.42	1789.46	1711.77	8094.92	16244.08	8482.62
	मार्च 2010	17836.30	9181.73	9072.86	2321.88	2187.62	8763.44	16239.64	7864.87
	मार्च 2011	23073.52	9304.92	13274.63	4518.33	3138.38	9798.89	22817.41	6730.91
	दिसम्बर 2011	35656.16	17155.65	17828.49	7099.08	5085.34	17829.67	19337.46	6208.33
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	मार्च 2009	301.28	192.74	119.74	17.86	19.46	181.54	624.01	278.92
	मार्च 2010	492.89	268.13	209.77	18.98	57.17	283.12	673.23	307.77
	मार्च 2011	0.00							
	दिसम्बर 2011								
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	मार्च 2009	367.81	113..78	202.51	25.03	61.61	165.10	653.53	336.91
	मार्च 2010	595.26	272.08	291.49	43.11	119.52	303.77	937.40	445.77
	मार्च 2011	863.74	467.86	519.21	281.74	183.70	344.53	1173.76	500.82
	दिसम्बर 2011	1396.69	642.78	929.92	521.32	272.25	466.77	796.90	253.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	मार्च 2009	573.90	247.22	336.29	109.50	61.20	237.61	965.45	531.55
	मार्च 2010	1006.61	450.17	543.22	118.95	212.24	463.39	1307.72	550.90
	मार्च 2011	1381.68	620.76	757.37	243.44	273.03	624.31	1759.24	652.96
	दिसम्बर 2011	1988.34	875.02	1184.21	477.92	347.11	802.13	1263.69	519.82
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	मार्च 2009	549.02	188.38	384.40	29.14	78.22	164.62	1056.27	607.84
	मार्च 2010	641.98	300.87	264.06	24.57	87.23	377.92	1055.87	684.27
	मार्च 2011	835.23	408.91	327.12	46.86	59.45	506.11	1175.97	727.73
	दिसम्बर 2011	1459.28	798.06	730.39	105.14	98.11	728.89	1127.60	1127.60
बैंक ऑफ राजस्थान लि.	मार्च 2009	160.92	57.03	47.35	3.67	19.99	113.57	193.77	117.71
	मार्च 2010	293.81	133.50	61.48	7.25	42.18	232.33	-27.90	102.13
	मार्च 2011								
	दिसम्बर 2011								
कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	मार्च 2009	171.78	67.94	97.63	16.42	25.52	74.15	78.80	37.19
	मार्च 2010	149.29	70.52	82.27	6.88	32.02	87.02	7.69	1.65
	मार्च 2011	192.45	106.64	58.32	9.63	30.59	134.13	33.62	12.18
	दिसम्बर 2011	236.73	102.48	75.25	8.47	43.46	161.48	67.30	10.08
सिटी यूनियन बैंक लि.	मार्च 2009	102.08	61.11	24.46	3.58	4.78	77.62	226.73	122.14
	मार्च 2010	93.50	39.67	41.31	18.01	9.11	52.19	255.79	152.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	मार्च 2011	112.48	38.98	56.12	26.39	8.85	56.36	361.03	215.05
	दिसम्बर 2011	130.57	51.80	69.26	28.17	8.75	61.31	308.03	206.52
धनलक्ष्मी बैंक लि.	मार्च 2009	64.44	28.89	29.55	3.59	5.78	34.89	87.90	57.45
	मार्च 2010	77.50	27.27	35.37	4.12	5.64	42.13	38.67	23.29
	मार्च 2011	67.09	27.98	35.39	5.79	6.26	31.70	87.43	26.08
	दिसम्बर 2011	70.21	31.98	25.70	4.70	8.46	44.51	-18.22	23.09
फेडरल बैंक लि.	मार्च 2009	589.54	68.12	281.20	67.81	20.03	308.34	1259.77	500.49
	मार्च 2010	820.97	128.98	439.79	65.33	17.98	381.18	1264.84	464.54
	मार्च 2011	1148.33	198.96	454.45	135.21	177.15	693.88	1427.25	587.08
	दिसम्बर 2011	1363.44	260.27	557.92	184.05	224.09	805.52	1134.03	539.18
आईएनजी वैश्य बैंक लि.	मार्च 2009	209.39	205.95	63.72	32.48	25.66	145.67	424.82	168.78
	मार्च 2010	224.15	221.83	65.50	36.18	23.14	158.65	641.95	242.22
	मार्च 2011	151.56	91.79	57.10	42.46	10.20	94.46	635.47	318.65
	दिसम्बर 2011	140.54	80.80	46.11	33.70	8.09	94.43	547.58	328.90
जम्मू और कश्मीर बैंक लि.	मार्च 2009	558.26	269.97	232.47	29.72	46.33	326.79	774.46	409.84
	मार्च 2010	462.30	64.32	285.81	32.27	54.05	176.49	958.21	512.37
	मार्च 2011	518.83	53.24	312.44	47.18	49.31	206.38	1149.49	615.20
	दिसम्बर 2011	517.47	12.87	374.59	50.54	55.30	142.88	951.37	583.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कर्नाटक बैंक लि.	मार्च 2009	443.20	116.10	167.09	49.11	55.87	278.11	480.21	266.71
	मार्च 2010	549.64	188.61	324.36	50.57	171.53	225.28	260.84	167.12
	मार्च 2011	702.17	280.34	323.55	93.26	133.49	378.62	355.29	204.61
	दिसम्बर 2011	801.08	446.19	451.57	233.82	193.33	349.51	327.86	162.91
करूर वैश्य बैंक लि.	मार्च 2009	205.88	25.82	62.15	4.99	39.57	143.71	418.02	235.84
	मार्च 2010	236.34	30.95	68.19	6.86	53.42	167.15	483.22	336.03
	मार्च 2011	228.15	13.87	75.14	8.39	56.03	153.01	600.58	415.59
	दिसम्बर 2011	322.12	64.34	78..24	9.76	42.88	243.88	512.66	354.93
लक्ष्मी विलास बैंक लि.	मार्च 2009	144.05	64.85	31.75	9.72	9.63	112.30	108.64	50.30
	मार्च 2010	325.18	252.27	57.77	10.13	14.84	267.41	166.21	30.67
	मार्च 2011	157.79	64.54	57.38	16.14	17.04	100.41	273.86	101.14
	दिसम्बर 2011	218.43	100.78	81.34	10.42	49.41	137.09	183.45	78.84
नैनीताल बैंक लि.	मार्च 2009	18.98	-0.87	14.54	3.99	2.85	4.44	64.14	38.03
	मार्च 2010	23.42	-0.63	17.20	8.17	2.15	6.22	65.09	43.37
	मार्च 2011	21.44	-0.27	12.11	3.10	5.98	9.33	71.44	45.69
	दिसम्बर 2011	37.55	-0.47	24.91	6.65	13.86	12.64	70.36	43.72
रत्नाकर बैंक लि.	मार्च 2009	17.28	5.45	13.43	2.05	5.39	3.85	45.84	30.53
	मार्च 2010	27.84	11.35	17.96	2.38	9.84	9.68	33.43	19.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	मार्च 2011	21.51	6.86	18.24	3.46	11.70	3.27	19.26	12.33
	दिसम्बर 2011	33.75	16.90	12.79	1.65	10.56	20.96	79.37	47.00
एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	मार्च 2009	4.61	0.23	1.64	0.00	0.00	2.97	11.52	11.07
	मार्च 2010	3.27	0.39	2.04	0.00	0.00	1.23	3.34	3.14
	मार्च 2011	2.03	0.36	2.00	0.00	0.00	0.03	5.25	4.21
साउथ इंडियन बैंक लि.	मार्च 2009	260.56	134.31	103.23	14.89	25.14	157.33	358.68	194.75
	मार्च 2010	211.00	61.57	88.00	12.12	27.26	123.00	410.57	233.78
	मार्च 2011	230.34	60.01	63.17	11.54	44.79	147.17	525.26	292.56
	दिसम्बर 2011	234.23	56.14	91.07	14.44	40.90	143.16	488.49	279.70
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	मार्च 2009	120.40	20.74	63.34	21.02	16.52	57.08	265.28	150.21
	मार्च 2010	115.00	19.97	46.24	10.38	12.22	68.76	315.90	184.53
	मार्च 2011	141.13	29.31	53.92	14.37	0.00	87.21	434.21	250.90
	दिसम्बर 2011	182.88	74.45	88.89	21.18	52.78	93.99	334.18	193.37
ऐक्सिस बैंक लि.	मार्च 2009	890.48	327.13	297.36	122.93	8.74	593.12	3508.91	1664.49
	मार्च 2010	1295.42	302.39	527.94	247.89	139.58	767.48	5002.31	2276.19
	मार्च 2011	1588.99	297.42	873.11	419.32	168.86	913.86	5785.86	2754.63
	दिसम्बर 2011	1896.49	535.66	693.20	519.40	102.42	1203.29	4678.39	2247.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	मार्च 2009	305.55	99.52	39.96	9.20	28.49	285.59	75.33	-88.10
	मार्च 2010	319.18	106.30	67.82	13.72	51.58	251.36	48.27	-78.45
	मार्च 2011	263.57	40.35	55.98	15.88	37.58	207.59	86.06	21.43
	दिसम्बर 2011	256.43	43.87	43.50	10.73	30.39	212.93	59.90	37.80
एचडीएफसी बैंक लि.	मार्च 2009	1983.92	627.62	379.81	101.23	211.17	1604.31	5177.59	2244.01
	मार्च 2010	1807.17	375.95	400.13	109.57	276.38	1407.04	6404.94	2923.91
	मार्च 2011	1660.32	284.18	483.70	145.04	321.79	1176.62	7872.84	3873.87
	दिसम्बर 2011	1887.29	362.06	703.17	205.74	380.72	1164.12	6483.78	3440.48
आईसीआईसीआई लि.	मार्च 2009	9564.59	4488.44	1448.89	873.77	14.77	8115.70	8398.05	3298.65
	मार्च 2010	9267.42	3890.35	1948.37	1303.19	50.08	7321.05	8311.26	2804.84
	मार्च 2011	9815.96	2296.57	1807.70	1116.04	86.61	8006.26	7611.38	3953.19
	दिसम्बर 2011	9614.99	1913.50	1623.62	848.34	234.74	7991.37	6287.70	3664.99
इंडसइंड बैंक लि.	मार्च 2009	255.02	179.13	98.62	33.67	0.72	156.40	368.25	148.34
	मार्च 2010	255.47	101.83	84.43	30.77	46.12	171.04	703.89	350.31
	मार्च 2011	265.86	72.82	106.74	31.93	63.55	159.12	1081.67	577.33
	दिसम्बर 2011	334.18	93.56	152.37	40.20	100.99	181.81	993.94	579.23
कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	मार्च 2009	730.71	396.84	142.50	37.45	99.01	588.21	679.99	276.10
	मार्च 2010	787.34	358.98	151.83	49.50	99.97	615.51	1297.00	581.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	मार्च 2011	603.49	208.35	96.75	27.13	66.09	508.74	1324.79	818.18
	दिसम्बर 2011	609.70	220.88	110.69	38.08	70.76	499.01	1209.68	788.13
यस बैंक लि.	मार्च 2009	84.93	41.16	0.00	0.00	0.00	64.93	525.34	303.84
	मार्च 2010	60.20	12.99	0.00	0.00	0.00	60.20	865.31	477.74
	मार्च 2011	80.53	9.16	0.00	0.00	0.00	80.53	1198.06	727.14
	दिसम्बर 2011	72.06	13.39	7.77	7.77	0.00	64.29	1108.48	702.25
एबी बैंक लि.	मार्च 2009	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65	7.28	3.72
	मार्च 2010	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	2.65	8.62	4.72
	मार्च 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34	5.45
	दिसम्बर 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.03	10.03
आबू थाबी कमर्शियल बैंक लि.	मार्च 2009	14.13	0.00	4.94	0.00	4.94	9.19	21.53	18.36
	मार्च 2010	14.09	0.28	5.01	0.00	5.01	9.08	11.22	7.62
	मार्च 2011	12.75	5.20	5.13	0.00	513	7.62	7.36	8.22
	दिसम्बर 2011	5.29	-2.01	0.00	0.00	0.00	5.29	15.30	6.89
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिग कॉर्पोरेशन	मार्च 2009	45.25	30.28	0.00	0.00	0.00	45.25	-43.58	-104.88
	मार्च 2010	17.38	13.91	0.00	0.00	0.00	17.38	24.86	-50.32
	मार्च 2011	20.26	16.21	0.00	0.00	0.00	20.26	5.65	26.09
	दिसम्बर 2011	18.55	13.91	0.00	0.00	0.00	18.55	-4.55	-17.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एंटवर्प डायमंड बैंक एनवी	मार्च 2009	26.41	23.48	26.41	0.00	26.41	0.00	30.73	15.57
	मार्च 2010	99.59	63.89	49.37	0.00	49.37	50.22	31.22	-1.89
	मार्च 2011	99.63	18.20	49.37	0.00	49.37	50.26	20.23	-14.41
	दिसम्बर 2011	99.63	17.34	49.37	0.00	49.37	50.26	15.58	7.38
आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लि.	मार्च 2009								
	मार्च 2010								
	मार्च 2011								
	दिसम्बर 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11	-4.88
बीएनपी पारीबास	मार्च 2009	75.13	31.93	0.00	0.00	0.00	75.13	414.06	169.97
	मार्च 2010	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	68.12	398.53	180.41
	मार्च 2011	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28	377.74	187.99
	दिसम्बर 2011	27.71	13.97	0.00	0.00	0.00	27.71	82.06	45.01
बैंक ऑफ अमेरिका नेशनल एसोसिएशन	मार्च 2009	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	673.18	336.99
	मार्च 2010	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	631.62	350.45
	मार्च 2011	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	760.21	422.64
	दिसम्बर 2011	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	691.24	393.67
बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी	मार्च 2009	11.88	0.25	0.00	0.00	0.00	11.88	21.63	17.41
	मार्च 2010	12.56	9.09	0.00	0.00	0.00	12.56	7.38	2.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	मार्च 2011	13.80	3.54	0.00	0.00	0.00	13.80	20.61	14.30
	दिसम्बर 2011	31.60	18.35	0.00	0.00	0.00	31.60	26.33	11.58
बैंक ऑफ सिलोन	मार्च 2009	4.77	-0.02	0.38	0.00	0.38	4.39	22.76	19.76
	मार्च 2010	2.22	-0.01	0.71	0.00	0.71	1.51	10.22	5.57
	मार्च 2011	1.83	-0.01	0.71	0.00	0.71	1.12	10.53	7.25
	दिसम्बर 2011	1.53	-0.01	0.70	0.00	0.70	0.83	10.23	8.39
	मार्च 2009	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	287.08	152.87
बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	मार्च 2010	9.63	0.00	9.83	0.00	9.63	0.00	330.72	198.79
	मार्च 2011	9.63	0.00	9.63	0.00	9.63	0.00	323.75	191.97
	दिसम्बर 2011	9.63	0.00	9.83	0.00	9.63	0.00	323.27	202.68
बारक्लेज बैंक पीएलसी	मार्च 2009	1234.75	464.62	45.61	0.00	8.01	1189.14	867.68	30.10
	मार्च 2010	1421.73	389.32	123.65	0.00	103.21	1298.08	330.26	-554.07
	मार्च 2011	781.18	121.82	56.13	0.00	50.33	725.05	567.31	100.10
	दिसम्बर 2011	658.53	163.40	30.48	0.00	30.36	628.05	-50.40	-104.85
चाइना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक	मार्च 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68	5.65
	मार्च 2010	3.14	2.82	0.00	0.00	0.00	3.14	5.17	3.28
	मार्च 2011	2.90	2.50	0.00	0.00	0.00	2.90	8.72	4.03
	दिसम्बर 2011	1.38	0.98	0.00	0.00	0.00	1.38	7.20	3.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सिटी बैंक एनए	मार्च 2009	2086.93	1060.70	90.84	0.00	0.00	1996.09	5406.47	2173.08
	मार्च 2010	1275.44	784.46	45.18	0.00	0.00	1230.26	3290.73	880.39
	मार्च 2011	838.67	492.79	205.61	0.00	165.20	633.06	3276.87	1424.64
	दिसम्बर 2011	805.14	265.77	131.92	0.00	98.70	473.22	2298.90	1330.62
कामनवेल्थ बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया	मार्च 2009								
	मार्च 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मार्च 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.74	16.64
	दिसम्बर 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.42	-4.65
क्रेडिट एग्रीकोल कॉरपोरेट एंड इंवेस्टमेंट बैक	मार्च 2009	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	328.24	155.54
	मार्च 2010	277.17	138.13	0.00	0.00	0.00	277.17	387.89	78.19
	मार्च 2011	198.85	0.00	0.00	0.00	0.00	198.85	280.03	47.87
	दिसम्बर 2011	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	301.21	227.22
क्रेडिट सूसी एजी	मार्च 2009								
	मार्च 2010								
	मार्च 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.76	-7.98
	दिसम्बर 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.31	55.97
डीबीएस बैंक लि.	मार्च 2009	34.43	14.93	0.00	0.00	0.00	34.43	452.10	259.04
	मार्च 2010	76.04	40.00	0.00	0.00	0.00	76.04	549.52	270.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	मार्च 2011	83.45	23.35	0.00	0.00	0.00	83.45	298.63	127.23
	दिसम्बर 2011	190.68	72.82	0.00	0.00	0.00	190.66	407.15	185.52
ड्यूश बैंक (एशिया)	मार्च 2009	243.40	75.04	0.00	0.00	0.00	243.40	1158.12	430.08
	मार्च 2010	260.81	102.35	7.80	0.00	7.62	253.01	1137.18	446.35
	मार्च 2011	176.52	33.11	4.55	0.00	3.72	173.97	1275.57	630.13
	दिसम्बर 2011	149.20	12.44	4.08	0.00	317	145.12	921.69	495.04
फस्टरैंड बैंक	मार्च 2009								
	मार्च 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37.21	-37.29
	मार्च 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.45	-8.85
	दिसम्बर 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	6.47
हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लि.	मार्च 2009	1540.08	391.03	257.38	0.00	140.25	1282.68	4093.21	1291.28
	मार्च 2010	1683.29	543.13	402.94	0.00	122.37	1280.35	3436.58	609.91
	मार्च 2011	995.53	248.74	407.90	0.00	59.83	587.63	2933.53	1527.59
	दिसम्बर 2011	719.78	254.90	333.52	0.00	183.83	386.24	2340.35	1436.38
इंडिस्ट्रयल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लि.	मार्च 2009								
	मार्च 2010								
	मार्च 2011								
	दिसम्बर 2011	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24	6.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जेपी मोरबन चेस बैंक, नेशनल एसोसिएशन	मार्च 2009	61.48	8.91	0.00	0.00	0.00	61.48	865.53	443.86
	मार्च 2010	95.28	29.14	0.00	0.00	0.00	95.28	-5.77	11.04
	मार्च 2011	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	27.21	829.77	464.89
	दिसम्बर 2011	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	26.89	678.45	358.57
जेएससी वीटीबी बैंक	मार्च 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.29
	मार्च 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.18	-1.37
	मार्च 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.43	-1.20
	दिसम्बर 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	2.00
करुंग थाई बैंक पीसीएल	मार्च 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	1.86
	मार्च 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.78
	मार्च 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	2.60
	दिसम्बर 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02	2.81
मशरेक बैंक पीएससी	मार्च 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	5.54
	मार्च 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89	4.27
	मार्च 2011	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.88	7.83
	दिसम्बर 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08	5.04
मिजुहो कॉरपोरेट बैंक लि.	मार्च 2009	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36	72.79	42.71
	मार्च 2010	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	39.01	20.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	मार्च 2011	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	129.72	73.03
	दिसम्बर 2011	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	228.01	133.49
ओमान इंटरनेशनल बैंक एसएओजी	मार्च 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	2.93
	मार्च 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	8.81
	मार्च 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	11.51
	दिसम्बर 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	24.20
राबोबैंक इंटरनेशनल (कोआपरेटिव सेंट्रेल)	मार्च 2009								
	मार्च 2010								
	मार्च 2011								
	दिसम्बर 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.39	-7.19
सबेर बैंक	मार्च 2009								
	मार्च 2010								
	मार्च 2011								
	दिसम्बर 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25
सिन्हान बैंक	मार्च 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.81	19.29
	मार्च 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.44	24.26
	मार्च 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	25.40
	दिसम्बर 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.39	36.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
सोसिएट जनरेल	मार्च 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.76	39.59
	मार्च 2010	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	11.09	4.39
	मार्च 2011	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	50.83	20.97
	दिसम्बर 2011	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	30.99	21.35
सोनाली बैंक लि.	मार्च 2009	1.22	0.30	0.00	0.00	0.00	1.22	1.97	1.06
	मार्च 2010	0.75	0.26	0.00	0.00	0.00	0.75	1.79	0.95
	मार्च 2011	0.79	0.21	0.00	0.00	0.00	0.79	0.57	0.17
	दिसम्बर 2011	0.75	0.21	0.00	0.00	0.00	0.75	2.21	2.21
स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	मार्च 2009	1057.51	514.09	92.18	0.43	39.73	965.33	3757.13	1908.77
	मार्च 2010	1095.60	580.49	50.60	0.00	0.86	1044.80	4309.75	2127.04
	मार्च 2011	1147.79	131.22	39.53	0.05	7.75	1108.26	3876.39	2059.29
	दिसम्बर 2011	1383.12	167.14	139.74	0.00	28.31	1243.38	3396.82	2035.40
स्टेट बैंक ऑफ मारीशस लि.	मार्च 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.83	5.66
	मार्च 2010	18.80	16.92	0.00	0.00	0.00	18.60	5.32	-4.01
	मार्च 2011	18.03	13.00	0.00	0.00	0.00	18.03	17.56	7.56
	दिसम्बर 2011	21.10	7.00	0.00	0.00	0.00	21.10	20.02	1.63
दि बैंक ऑफ टोक्यो-मित्युबिसी यूएफजे, लि.	मार्च 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.93	67.76
	मार्च 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.60	73.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	मार्च 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.67	101.62
	दिसम्बर 2011	8.00	3.84	0.00	0.00	0.00	6.00	335.75	183.72
दि रायल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एनवी	मार्च 2009	844.08	36.642	10.91	0.00	0.00	833.17	1410.28	19.40
	मार्च 2010	685.37	26.027	28.15	0.00	0.00	657.22	1165.34	-104.85
	मार्च 2011	614.48	173.70	26.10	0.00	0.00	588.38	883.38	181.39
	दिसम्बर 2011	416.48	117.80	20.75	0.00	0.00	398.73	694.11	387.09
यूबीएस एजी	मार्च 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.19	-19.74
	मार्च 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.68	1.05
	मार्च 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.44	57.92
	दिसम्बर 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61	6.18
युनाइटेड ओवरसीज बैंक लि.	मार्च 2009								
	मार्च 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.32	-5.32
	मार्च 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.32	-0.32
	दिसम्बर 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	2.48
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	मार्च 2009	88220.22	31100.99	26486.72	7149.34	7869.72	39733.50	108774.83	50510.19
	मार्च 2010	81812.99	36359.06	36362.96	10352.66	12174.93	45450.03	116532.48	52688.07
	मार्च 2011	94084.23	36628.70	46881.06	16659.60	15998.00	47203.17	141972.64	65224.10
	दिसम्बर 2011	127476.05	57015.07	60888.47	21405.12	21687.08	66588.58	117819.83	53848.80

स्रोत: नवीनतम अद्यतन ओएसएमओएस आंकड़ा आधार (वैश्विक)।

वित्तीय संस्थान: मार्च 09, मार्च 10, मार्च 11 और दिसम्बर 11 के अंत में सकल लाभ (ईपीबीटी), निवल लाभ (पीएटी), सकल अनुपयोज्य आस्तियां, एनपीए प्राथमिकता, एनपीए कृषि और एनपीए एसएसआई

(करोड़ रुपए)

बैंक का नाम	माह वर्ष	सकल एनपीए	निवल एनपीए	सकल एनपीए कुल प्राथमिकता	सकल एनपीए कृषि	सकल एनपीए एसएसआई/एमएसई	सकल एनपीए कुल गैर-प्राथमिकता	प्रावधान एवं कर पूर्व आय	करोपरांत लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एक्जिम बैंक	मार्च 2009	428.08	79.08	0.00	2.62	88.46		953.86	477.41
	मार्च 2010	413.21	78.21	0.00	25.48	9197		793.99	513.5
	मार्च 2011	477.97	92.77	0.00	49.00	161.73		1,121.75	583.6
	दिसम्बर 2011	709.85	134.85	0.00	49.00	170.38		1,114.82	499.56
आईआईएफसीएल	मार्च 2009	0.00						154.42	103.54
	मार्च 2010	0.00						330.48	220.45
	मार्च 2011	0.00						491.79	392.64
	दिसम्बर 2011	0.00						426.26	290.03
नाबार्ड	मार्च 2009	44.71	30.31					1987.53	1390.13
	मार्च 2010	50.73	32.72					2272.45	1558.26
	मार्च 2011	69.15	29.80					1823.86	1279.21
	दिसम्बर 2011	91.08	36.93						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एनएचबी	मार्च 2009	0.00	0.00						235.00
	मार्च 2010	0.00	0.00						280.00
	मार्च 2011	0.00	0.00						279.00
	दिसम्बर 2011	1.02	0.00						
सिडबी	मार्च 2009	32.00	26.00					1398.19	299.20
	मार्च 2010	77.00	69.00					1532.09	421.30
	मार्च 2011	279.00	127.00					1370.70	513.84
	दिसम्बर 2011	518.00	276.00					1278.64	446.67
वित्तीय संस्थाओं का कुल	मार्च 2009	504.79	135.39	0.00	2.62	88.46	0.00	4494.00	2505.28
	मार्च 2010	540.94	179.93	0.00	25.48	91.97	0.00	4929.01	2993.51
	मार्च 2011	826.12	249.57	0.00	49.00	161.73	0.00	4808.10	3048.29
	दिसम्बर 2011	1319.95	447.78	0.00	49.00	170.38	0.00	2819.72	1236.26

विवरण-II

समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान समझौतें/बट्टे खाते डाले जाने के कारण एनपीए में कटौती

(करोड़ रुपए)

बैंक का नाम	मार्च-09	मार्च-10	मार्च-11
1	2	3	4
इलाहाबाद बैंक	331.32	749.91	719.90
आन्ध्रा बैंक	125.40	236.21	179.25
बैंक ऑफ बड़ौदा	404.95	514.81	500.54
बैंक ऑफ इंडिया	383.97	743.70	880.42
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	172.32	235.81	349.84
केनरा बैंक	271.70	883.59	495.49
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	359.16	293.50	554.00
कॉर्पोरेशन बैंक	129.32	266.60	542.70
देना बैंक	247.45	184.86	233.00
आईडीबीआई बैंक लि.	198.40	476.94	883.57
इंडियन बैंक	48.68	387.70	590.33
इण्डियन ओवरसीज बैंक	233.19	388.56	970.52
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	248.45	388.96	695.70
पंजाब एंड सिंध बैंक	47.81	81.00	65.97
पंजाब नेशनल बैंक	466.05	852.58	1591.75
सिंडिकेट बैंक	409.34	419.28	350.60
यूको बैंक	103.26	370.83	586.37
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	365.63	513.24	1126.01
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	155.61	173.55	414.56

1	2	3	4
विजया बैंक	78.35	478.66	312.68
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	45.91	22.62	165.76
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	63.12	71.42	201.75
भारतीय स्टेट बैंक	1895.50	1990.48	4006.85
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	79.95	56.79	
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	50.26	19.75	311.25
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	83.82	40.75	410.23
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	85.55	123.66	152.47
बैंक ऑफ राजस्थान लि.	0.00	0.00	
कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	12.84	45.43	8.75
सिटी यूनियन बैंक लि.	31.48	40.66	47.44
धनलक्ष्मी बैंक लि.	12.54	3.88	1.91
फेडरल बैंक लि.	254.79	254.08	241.51
आईएनजी वैश्य बैंक लि.	89.53	229.63	55.13
जम्मू और कश्मीर बैंक लि.	72.24	31.38	74.45
कर्नाटक बैंक लि.	71.18	125.16	74.31
करूर वैश्य बैंक लि.	37.88	33.79	27.85
लक्ष्मी विलास बैंक	0.19	130.07	86.75
नैनीताल बैंक लि.	1.26	1.23	1.59
रत्नाकर बैंक लि.	17.24	1.85	0.18
एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	0.85	0.91	1.20
साउथ इंडियन बैंक लि.	53.41	12.68	13.31

1	2	3	4
तमिलनाडु मर्कैंटाइल बैंक लि.	21.33	34.26	15.06
ऐक्सिस बैंक लि.	249.68	1030.75	667रू92
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	1.72	58.45	41.79
एचडीएफसी बैंक लि.	2187.37	2248.67	1168.53
आईसीआईसीआई बैंक लि.	2329.11	2847.53	186.85
इंडसइंड बैंक लि.	145.08	69.51	110.73
कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	136.38	374.26	148.59
यस बैंक लि.	13.62	82.63	11.68
एबी बैंक लि.	0.00	0.00	0.00
आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	5.36	0.00	8.04
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन	0.00	63.43	23.43
एंटवर्प डायमंड बैंक एनवी	0.00	0.00	0.00
बीएनपी पारीबास	0.00	0.21	56.84
बैंक ऑफ अमेरिका, नेशनल एसोसिएशन	0.00	0.00	0.00
बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी	12.38	9.31	0.00
बैंक ऑफ सिलोन	7.27	2.86	0.36
बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	0.00	2.00	0.00
बारक्लेज बैंक पीएलसी	25.91	749.55	706.24
चाइना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक	1.17	0.00	0.00
सिटी बैंक एनए	1158.62	2193.48	773.07
कॉमलनवेल्थ बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया		0.00	0.00
क्रेडिट एग्रीकोल कॉरपोरेट एंड इंवेस्टमेंट बैंक	0.99	0.00	45.96
क्रेडिट सूसी एजी			0.00

1	2	3	4
डीबीएस बैंक लि.	0.00	13.75	36.09
ड्यूश बैंक (एशिया)	0.00	272.29	106.36
फस्टरैंड बैंक		0.00	0.00
हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन	1310.79	1491.53	525.97
जेपी मोरगन चेस बैंक नेशनल एसोसिएशन	0.00	9.89	26.56
जेएससी वीटीबी बैंक	0.00	0.00	0.00
करुंग थाई बैंक	0.00	0.00	0.00
मशरेक बैंक पीएससी	0.00	0.00	0.00
मिजुहो कॉरपोरेट बैंक लि.	0.00	0.00	0.00
ओमान इंटरनपेशनल बैंक एसएओजी	0.00	0.00	0.00
सिन्हान बैंक	0.00	0.00	0.00
सोसिएट बैंक लि.	0.00	0.00	0.00
सोनाली बैंक लि.	0.00	0.12	0.00
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	82.59	144.77	327.78
स्टेट बैंक ऑफ मारीशस लि.	0.00	0.00	0.00
दि बैंक ऑफ टोक्या-मित्सुबिसी यूएफजे लि.	0.00	0.00	0.00
द रायल बैंक ऑफ स्काटलैंड एनवी	0.00	1284.80	469.79
यूबीएस ऐजी	0.00	0.00	0.00
युनाइटेड ओवरसीज बैंक			0.00
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	15429.27	24860.56	23383.52
वित्तीय संस्थाएं			
एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया	5.33	4.12	

स्रोत: नवीनतम अद्यतन ओएसएमओसएस आंकड़ा आधार (वैश्विक)।

[हिन्दी]

179-84

पर्यटन अवसंरचना विकास

*244. श्री वीरेन्द्र कश्यप :
श्री मोहम्मद असरारूल हक :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितनी पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं मंजूर की गईं तथा कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार ने बिहार, महाराष्ट्र, बोडोलैंड टेरीटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट (बीटीएडी) और हिमाचल प्रदेश, भारत-भूटान और भारत-नेपाल सीमा के पहाड़ी क्षेत्रों सहित विभिन्न राज्यों में उनकी विपुल पर्यटन क्षमता को ध्यान में रखते हुए पर्यटन अवसंरचना विकास में निवेश हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त क्षेत्रों में विकास हेतु पहचान किए गए पर्यटन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ङ) इस योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं वर्ष-वार मंजूर की गई पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं की संख्या तथा राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) पर्यटन परियोजनाओं का विकास, संवर्धन, कार्यान्वयन एवं उनकी निगरानी की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। पर्यटन मंत्रालय उनसे प्राप्त, योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों के आधार पर, पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता की शर्त पर पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसमें बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और असम भी शामिल हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित की जाने वाली पर्यटन परियोजनाओं पर प्रत्येक वर्ष आयोजित प्राथमिकीकरण बैठकों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श से निर्णय लिया जाता है।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पर्यटन मंत्रालय अपनी कुल 'योजना परिव्ययों' का कम से कम 10% उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए नियत करता है। पर्यटन मंत्रालय प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना के अधीन जम्मू और कश्मीर के लिए भी परियोजनाओं को मंजूरी देता है। किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अथवा बोडोलैंड टेरीटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट (बीटीएडी) जैसे क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश, भारत-भूटान एवं भारत-नेपाल सीमा के पहाड़ी क्षेत्रों के पर्यटन अवसंरचना विकास में निवेश के लिए किसी प्रकार की निधियों अथवा विशेष योजना को नियत नहीं किया जाता है।

(ङ) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आवधिक रूप से पर्यटन मंत्रालय को राज्य स्तरीय निगरानी समिति की रिपोर्टें सौंपते हैं। पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब सामान्यतया भूमि से संबंधित विवादों, निविदा प्रक्रिया में कभी-कभी सांविधिक प्राधिकरणों से क्लीयरेंस आदि प्राप्त करने के कारण हो जाता है। पर्यटन मंत्रालय क्षेत्रीय सम्मेलनों, मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा फील्ड निरीक्षणों तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना (2009-10, 2010-11 और 2011-12) के दौरान 31 दिसंबर, 2011 तक मंजूरी की गई पर्यटन परियोजनाएं

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		कुल योग	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	13	37.3	10	20.4	10	40.9	33	98.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	14	36.5	13	32.3	9	25.7	36	94.5
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.	असम	7	22.8	4	23.6	3	4.2	14	50.5
5.	बिहार	3	7.0	1	3.6	0	0.0	4	10.6
6.	चंडीगढ़	5	11.5	5	11.0	0	0.0	10	22.6
7.	छत्तीसगढ़	0	0.0	4	21.0	0	0.0	4	21.0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
9.	दमन और दीव	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10.	दिल्ली	9	44.9	5	9.8	3	2.7	17	57.4
11.	गोवा	2	17.0	3	12.8	1	5.0	6	34.8
12.	गुजरात	1	7.3	1	0.1	2	51.8	4	59.2
13.	हरियाणा	6	12.4	6	27.4	5	0.8	17	40.6
14.	हिमाचल प्रदेश	6	24.0	12	35.0	5	0.5	23	59.4
15.	जम्मू और कश्मीर	31	49.8	20	56.2	23	143.5	74	249.4
16.	झारखंड	3	0.3	5	7.6	1	23.7	9	31.5
17.	केरल	7	13.0	3	42.9	7	23.8	17	79.6
18.	कर्नाटक	13	42.4	2	8.6	1	5.0	16	56.0
19.	लक्षद्वीप	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20.	महाराष्ट्र	2	5.0	3	11.3	4	57.3	9	73.6
21.	मणिपुर	9	27.1	8	39.4	5	30.7	22	97.3
22.	मेघालय	7	14.7	9	22.5	2	0.4	18	37.7
23.	मिजोरम	7	24.1	9	11.5	6	13.8	22	49.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	मध्य प्रदेश	11	61.0	13	30.9	6	31.5	30	123.3
25.	नागालैंड	13	24.6	10	29.1	15	28.8	38	82.5
26.	ओडिशा	9	23.7	6	20.3	4	5.2	19	49.2
27.	पुदुचेरी	3	5.6	3	50.3	3	0.3	9	56.1
28.	पंजाब	3	9.5	4	11.9	2	4.4	9	25.8
29.	राजस्थान	7	19.7	7	31.3	3	14.5	17	65.6
30.	सिक्किम	19	42.4	14	23.5	5	20.8	38	86.7
31.	तमिलनाडु	10	16.3	6	60.0	1	3.7	17	79.9
32.	त्रिपुरा	13	20.7	12	40.7	6	15.4	31	76.8
33.	उत्तर प्रदेश	6	21.9	14	27.9	10	44.6	30	94.3
34.	उत्तराखंड	1	0.6	8	29.8	13	102.5	22	132.8
35.	पश्चिम बंगाल	7	28.4	8	22.0	4	8.7	19	59.1
	कुल योग	247	671.2	228	774.4	159	710.0	634	2155.6

*इसमें गंतव्यों तथा परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी) तथा रोमांचकारी एवं ग्रामीण पर्यटन (एएंडआरटी) से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

[अनुवाद] 183-92

खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन

245. श्री तथागत सत्पथी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न खनिजों की मौजूदा रॉयल्टी दरें क्या हैं और इन्हें पिछली बार किस वर्ष में संशोधित किया गया था;

(ख) क्या खनिज बहुल विभिन्न राज्यों ने केन्द्र सरकार को विभिन्न प्रकार के खनिजों की रॉयल्टी दरें बढ़ाने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन किए जाने के संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उसकी संशोधित रॉयल्टी दरों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रॉयल्टी दरों के संशोधन में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा नए संशोधन के कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) प्रमुख खजिनों, (कोयला, लिग्नाइट और भराई हेतु हेतु बालू को छोड़कर) के संबंध में रॉयल्टी की दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं। यूरेनियम खनिज, जिसके लिए रॉयल्टी दरें 13 फरवरी, 2009 को संशोधित की गई थीं, को छोड़कर, इन दरों को अंतिम बार 13 अगस्त, 2009 को संशोधित किया गया था। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के निबंधनों

के अनुसार रॉयल्टी की दरें 3 वर्ष की अवधि में केवल एक बार बढ़ाई जा सकती हैं जिसका अभिप्राय यह है कि अनुबंध में उल्लिखित, यूरेनियम को छोड़कर, प्रमुख खनिजों के लिए रॉयल्टी की दरों में ऊर्ध्वगामी संशोधन पर केवल 12 अगस्त, 2012 के बाद विचार किया जा सकता है। इसमें कोई विलंब नहीं है क्योंकि सरकार ने रॉयल्टी की दरों में समीक्षा के लिए प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और भराई हेतु बालू को छोड़कर) के लिए रॉयल्टी की दरों तथा डेड रेंट में संशोधन संबंधी अध्ययन दल 13 सितम्बर, 2011 को विधिवत गठित किया है। अध्ययन दल में अनेक स्टेक होल्डरों के अलावा सदस्य के रूप में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की राज्य सरकारें शामिल हैं। अध्ययन दल ने अपनी बैठकें शुरू कर दी हैं।

विवरण

प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और बालू भराई को छोड़कर) रॉयल्टी की दरें

क्र.सं.	खनिज	दर
1	2	3
1.	एपेटाइट और रॉक फॉस्फेट	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का पांच प्रतिश।
	(क) एपेटाइट	
	(ख) रॉक फॉस्फेट	विक्रय मूल्य का ग्यारह प्रतिशत मूल्यानुसार।
	25% पी2ओ5 से ऊपर	
	25% पी2ओ5 से तक	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का छः प्रतिशत।
2.	ऐस्बेस्टास	आठ सौ अस्सी रुपए प्रति टन।
	(क) क्रिसोटाइल	
	(ख) ऐम्पिबोल	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का पंद्रह प्रतिशत।
3.	बैराइट्स	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का साढ़े पांच प्रतिशत।
4.	बॉक्साइट और लैटराइट	(क) एल्युमिना और एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में प्रयोग के लिए प्रेषित किए गए उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट एल्युमिनियम धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय एल्युमिनियम धातु मूल्य का 0.50 प्रतिशत। (ख) यथामूल्य आधार पर एल्युमिना और एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण के प्रयोग से भिन्न प्रयोग के लिए तथा निर्यात के लिए प्रेषित किए गए माल के लिए विक्रय मूल्य का पच्चीस प्रतिशत।
5.	ब्राउन इल्मेनाइट (ल्यूकायक्सीन), इल्मेनाइट, रूटाइल और जिरकान	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत।
6.	कैडमियम	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का पंद्रह प्रतिशत।
7.	कैल्साइट	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का पंद्रह प्रतिशत।

1	2	3
8.	चीनी मिट्टी/कालोलिन	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का आठ प्रतिशत।
	(क) अपरिष्कृत	
	(ख) प्रसंस्कृत	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत।
9.	क्रोमाइट	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत।
10.	कोलम्बाइट-टैन्टालाइट	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत।
11.	ताम्र	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट ताम्र धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय ताम्र धातु मूल्य का 4.2 प्रतिशत।
12.	हीरा	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का ग्यारह दशमलव पांच प्रतिशत।
13.	डोलोमाइट	तिरेसठ रुपए प्रति टन
14.	फैल्सपार	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का बारह प्रतिशत।
15.	फॉयरक्ले	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का बारह प्रतिशत।
16.	फ्लूआरेस्पार (जिसे फ्लूओराइट भी कहा जाता है)	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का छ: दशमलव पांच प्रतिशत।
17.	गार्नेट	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का तीन प्रतिशत।
	(क) अपघर्षक	
	(ख) रत्न (जेम)	
18.	स्वर्ण	
	(क) प्राथमिक	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट स्वर्ण धातु पर प्रभार्य लंदन बुलियन बाजार संघ मूल्य (जिसे सामान्यत: 'लंदन मूल्य' कहा जाता है) का दो प्रतिशत।
	(ख) उपोत्पाद स्वर्ण	वास्तविक रूप से उत्पादित उपोत्पाद स्वर्ण धातु पर प्रभार्य लंदन बुलियन बाजार संघ मूल्य (जिसे सामान्यत: 'लंदन मूल्य' कहा जाता है) का तीन दशमलव तीन प्रतिशत।
19.	ग्रेफाइट	
	(क) 40 प्रतिशत या उससे अधिक नियत कार्बन सहित	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत।
	(ख) 40 प्रतिशत से कम नियत कार्बन सहित	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का बारह प्रतिशत।
20.	जिप्सम	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का बीस प्रतिशत।
21.	लौह अयस्क: लम्पस् फाइंस और सभी ग्रेडों का सांद्रण	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत।

1	2	3
22.	सीसा	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट सीसा धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम सीसा धातु मूल्य का सात दशमलव प्रतिशत। उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट सीसा धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनियम सीसा धातु मूल्य का बारह दशमलव सात प्रतिशत।
23.	चूना पत्थर	बहत्तर रुपए प्रति टन।
	(क) एल.डी. ग्रेड (जिसमें सिलिका की मात्रा डेढ़ प्रतिशत से कम है)	
24.	चूना कंकर	तिरसठ रुपए प्रति टन।
25.	लाइमशैल	तिरसठ रुपए प्रति टन।
26.	मैग्नेसाइट	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का तीन प्रतिशत।
27.	मैग्नीज अयस्क	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का चार दशमलव दो प्रतिशत।
	(क) सभी ग्रेडों का अयस्क	
	(ख) सांद्रण	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का एक दशमलव चार प्रतिशत।
28.	अपरिष्कृत अभ्रक, अपशिष्ट अभ्रक और कतरन अभ्रक	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का चार प्रतिशत।
29.	मोनेजाइट	एक सौ पच्चीस रुपए प्रति टन।
30.	निकल	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट निकल धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय निकल धातु मूल्य का 0.12 प्रतिशत।
31.	ओकर	बीस रुपए प्रति टन।
32.	पाइराइटस	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत।
33.	पाइरोफिलाइट	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का बीस प्रतिशत।
34.	क्वार्टज	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का पंद्रह प्रतिशत।
35.	रूबी	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत।
36.	सिलिका बालू, सांचा बालू और क्वार्टजाइट	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का आठ प्रतिशत।
37.	सैलेनाइट	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत।
38.	सिलीमेनाइट	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का ढाई प्रतिशत।

1	2	3
39.	चांदी	
	(क) उपोत्पाद	वास्तविक रूप से उत्पादित चांदी धातु उपोत्पाद पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय मूल्य का सात प्रतिशत।
	(ख) प्राथमिक चांदी	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट चांदी धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय चांदी धातु मूल्य का पांच प्रतिशत।
40.	स्लेट	पैंतालीस रुपए प्रति टन।
41.	टाल्क, स्टीटाइट और सोपस्टोन	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का अठारह प्रतिशत।
42.	टिन	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट टिन धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय टिन धातु मूल्य का सात दशमलव पांच प्रतिशत।
43.	टंगस्टन	प्रति टन डब्ल्यूओ 3 के प्रति प्रतिशत अयस्क पर बीस रुपए प्रति यूनिट और आनुपातिक आधार पर।
44.	यूरेनियम	खनिज यूरेनियम के लिए मैसर्स यूसीआईएल द्वारा प्राप्त मुआवजा राशि का दो प्रतिशत।
45.	वानाडियम	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का बीस प्रतिशत।
46.	वर्मीक्यूलाइट	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का तीन प्रतिशत।
47.	वाल्लास्टोनाइट	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का बारह प्रतिशत।
48.	जस्ता	यथामूल्य आधार पर उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट जस्ता धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय जस्ता धातु मूल्य का आठ प्रतिशत।
		यथामूल्य आधार पर उत्पादित सांद्रण में अंतर्विष्ट जस्ता धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय जस्ता धातु मूल्य का आठ दशमलव चार प्रतिशत।
49.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी अन्य खनिज।	यथामूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत।

191-96

दूरसंचार कंपनियों को ऋण

*246. **श्री यशवीर सिंह :**
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों ने उन दूरसंचार कंपनियों सहित जिनके लाइसेंस हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिए गए हैं, दूरसंचार कंपनियों को ऋण संवितरित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त बैंकों ने ऐसे ऋणों के लिए कोई गारंटी/प्रतिभूति ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (च) सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दूरसंचार क्षेत्र को दिए गए ऋण में से बकाया ऋण की कुल राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए)

बैंक समूह	मार्च, 2011	दिसम्बर, 2011
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	71,712.69	66,125.93
निजी क्षेत्र के बैंक	13,113.76	10,851.29
कुल	84,826.45	76,977.22

स्रोत: नवीनतम अद्यतित आंकड़े।

दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार 2जी से संबंधित क्रियाकलापों के लिए (लाइसेंस शुल्क, 2जी सेवाएं प्रदान करने, टॉवर खड़ा करने, पूंजीगत व्यय और अन्य परिचालनात्मक व्यय सहित) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल बकाया निवेश 19,135 करोड़ रुपए है जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में यह राशि 8,803 करोड़ रुपए है। इनमें उन कंपनियों में किए गए निवेश भी शामिल हैं जिनके लाइसेंस रद्द हो गए हैं। रद्द लाइसेंस कुछ अंचल/क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। 01 फरवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार इनमें से ज्यादातर ऋण खाते नियमित थे और कुल मिलाकर विभिन्न मूर्त और अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रक्षित थे।

विवरण

दूरसंचार क्षेत्र को ऋण : दिसम्बर, 2011

बैंक का नाम	कुल बकाया (करोड़ रुपए)
1	2
इलाहाबाद बैंक	572
आन्ध्रा बैंक	1345
बैंक ऑफ बड़ौदा	5045
बैंक ऑफ इंडिया	1689
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	485
केनरा बैंक	7483
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2546
कॉर्पोरेशन बैंक	2405
देना बैंक	441
आईडीबीआई बैंक लि.	2821
इंडियन बैंक	731
इंडियन ओवरसीज बैंक	1612
ओरियंटल बैंक कामर्स	2392
पंजाब एंड सिंध बैंक	45
पंजाब नेशनल बैंक	8201
सिंडिकेट बैंक	1512
यूको बैंक	2759
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3918
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1304

1	2
विजया बैंक	752
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	218
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	491
भारतीय स्टेट बैंक	15927
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	679
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	368
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	385
सरकारी क्षेत्र के बैंक	**66126**
कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	1
सिटी यूनियन बैंक लि.	0
धनलक्ष्मी बैंक लि.	75
फेडरल बैंक लि.	412
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	353
कर्नाटक बैंक लि.	324
करुर वैश्य बैंक लि.	90
लक्ष्मी विलास बैंक लि.	12
रत्नाकर बैंक लि.	50
साउथ इंडियन बैंक लि.	158
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	84
ऐक्सिस बैंक लि.	1481
एचडीएफसी बैंक लि.	1791
आईसीआईसीआई बैंक लि.	2818
इंडसइंड बैंक लि.	924
कोटक महिन्द्रा बैंक	1325
यस बैंक लि.	952
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	**10851**

[हिन्दी]

अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे को घाटा

*247. **श्री भरत राम मेघवाल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे (एसटीसीसीएस) को किसानों को रियायती दरों पर अल्पावधि ऋण संवितरित करने के कारण घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस घाटे की पूर्ति करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) जी, नहीं। भारत सरकार द्वारा किसानों को एक वर्ष तक की अल्पावधि वाले फसल ऋण 7% की वार्षिक दर पर उपलब्ध करवाने के आशय से वर्ष 2006-07 से ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित की जा रही है। बैंकों की अपनी निधियों की लागत तथा ऐसे ऋणों के उधार दरों के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। सरकार ने वर्ष 2006-07 और 2010-11 के बीच नाबार्ड के माध्यम से सरकारी बैंकों को ब्याज सहायता के रूप में 1356.64 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की है।

[अनुवाद] 197-04

ऋणों की वसूली के लिए परेशान किया जाना

***248. श्री रुद्रमाधव राय :**
कुमारी मीनाक्षी नटराजन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी/निजी क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों को ऋण की वसूली के संबंध में परेशान किए जाने का पता चला है और यदि हां, तो विगत वर्ष में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं तथा ऐसी शिकायतों पर क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने ऋण की वसूली के मामलों में ग्राहकों को परेशान किए जाने को गंभीरता से लिया है तथा हाल ही में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इस संबंध में चेतावनी दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) ग्राहकों के हितों की रक्षा करने तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के प्रभावी अनुपालन हेतु सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने, ऋण वसूली और वसूली एजेंटों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, उनके द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य-प्रणाली, वसूली की प्रक्रिया के दौरान वसूली एजेंटों द्वारा गैर-कानूनी एवं असभ्य व्यवहार न करने के बारे में हिदायतें जारी की हैं, क्योंकि बैंक अपने एजेंटों के कृत्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये हिदायतें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और यहां तक कि प्राथमिक सहकारी बैंकों पर भी लागू हैं। ऐसी शिकायतों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर समीक्षा की जाती है। आरबीआई का 01 जुलाई, 2011 का मास्टर परिपत्र आरबीआई की वेबसाइट *www.rbi.org.in* पर उपलब्ध है। ग्राहकों की समस्याओं को दूर करने के लिए बैंकों और उनके एजेंटों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे '*ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संबंधी संहिता*', जो भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा जारी की गई है और उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता का पालन करें।

वर्ष 2008-09 से ऐसे मामलों के बैंक-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) हाल के दो मामलों में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि देश में हम कानून के द्वारा शासित होते हैं, और ऋणों की वसूली या वाहनों की जब्ती केवल कानूनी तरीकों से ही की जा सकती है और बैंक अपने एजेंटों द्वारा की गई कार्रवाईयों के लिए जिम्मेदार हैं। अत: बैंकों को न्यायालयों के हस्तक्षेप के बगैर जमानती हित साधनों को लागू करते समय संगत कानून के तहत उपलब्ध वैधानिक उपायों पर ही निर्भर रहना होता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसरण में बैंकों द्वारा वसूली एजेंटों की नियुक्ति संबंधी आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन न करना 03 फरवरी, 2009 से शिकायतों के अन्य आधारों के रूप में, बैंकिंग लोकपाल स्कीम 2006 में शामिल किया गया है।

विवरण

प्रत्यक्ष सेलिंग एजेंटों/वसूली एजेंटों के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के विरुद्ध बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतें

क्र. सं.	बैंक का नाम	वर्ष (जुलाई-जून)			
		2008-09	2009-10	2010-11	1.7.2011 से फरवरी, 2012
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद बैंक	59	8	0	2

1	2	3	4	5	6
2.	आन्ध्रा बैंक	7	10	0	1
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	82	29	11	4
4.	बैंक ऑफ इंडिया	41	21	3	0
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	24	9	2	0
6.	केनरा बैंक	113	46	9	6
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	38	16	1	1
8.	कॉर्पोरेशन बैंक	8	12	0	1
9.	देना बैंक	17	10	2	0
10.	इंडियन बैंक	18	18	3	1
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	13	17	4	0
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	19	15	3	1
13.	पंजाब नेशनल बैंक	80	4	4	2
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	11	37	3	1
15.	सिंडिकेट बैंक	44	20	7	1
16.	यूको बैंक	56	17	3	6
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	58	22	1	1
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	51	6	1	2
19.	विजया बैंक	10	9	1	1
20.	आईडीबीआई बैंक लि.	31	25	0	3
21.	भारतीय स्टेट बैंक	578	242	52	30
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	5	26	3	1
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	3	7	2	3
24.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	17	7	0	1

1	2	3	4	5	6
25.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2	12	0	0
26.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	6	12	5	0
27.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	2	0	0	0
28.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	17	12	0	0
29.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	4	7	0	0
30.	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	2	2	0	0
31.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	2	1	2	2
32.	फेडरल बैंक लि.	17	10	2	1
33.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	12	15	1	3
34.	जम्मू और कश्मीर बैंक लि.	0	1	0	0
35.	कर्नाटक बैंक लि.	11	1	0	0
36.	करूर वैश्य बैंक लि.	2	4	1	0
37.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	1	4	0	0
38.	नैनीताल बैंक लि.	2	0	0	0
39.	साउथ इंडियन बैंक लि.	4	3	1	0
40.	तमिलनाड मर्कंटाइल बैंक लि.	1	9	2	0
41.	ऐक्सिस बैंक	88	30	79	11
42.	सेंचूरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	1	0	0	0
43.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	8	5	1	0
44.	एचडीएफसी बैंक लि.	393	166	280	53
45.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	403	381	471	81
46.	इंडसइंड बैंक लि.	11	6	7	9
47.	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	54	22	78	7

1	2	3	4	5	6
48.	एबीएन आमरो बैंक लि.	56	41	0	0
49.	आबू धाबी कामर्शियल बैंक लि.	4	0	0	0
50.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	2	0	10	1
51.	बारक्लेज बैंक पीएलसी	39	18	107	8
52.	सिटी बैंक एनए	167	47	158	2
53.	ड्यूश बैंक एजी	9	16	17	0
54.	एचएसबीसी लि.	68	47	161	25
55.	स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लि.	183	69	98	20
56.	रॉयल बैंक ऑफ स्काटलैंड	0	0	107	4
	कुल	2954	1574	1711	296

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की विद्युत परियोजनाएं

***249. श्री महेश्वर हजारी :**
श्री लालचन्द कटारिया :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) की निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में एनटीपीसी की कतिपय विद्युत परियोजनाओं का निर्माण निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो बिहार और मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और निर्माण कार्य की धीमी गति के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में एनटीपीसी द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) 26 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार, एनटीपीसी तथा इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों की 14,838 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 19 विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। परियोजना-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) एनटीपीसी की कुछ परियोजनाएं विभिन्न कारणों से विलंबित हुई हैं। मध्य प्रदेश तथा बिहार सहित, परियोजनाओं का राज्य-वार मूल कार्यक्रम तथा चालू होने का प्रत्याशित कार्यक्रम विलंब के कारणों सहित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) एनटीपीसी द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं:—

1. एनटीपीसी व्यापक विक्रेता आधार रखने की दृष्टि से, सिविल तथा अन्य अवसंरचना क्षेत्रों में पूर्व-अर्हता प्राप्त संविदाकारों के लिए आंकड़ा-आधार तैयार कर रहा है।

2. भेल द्वारा आपूर्तित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा एनटीपीसी, भेल, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा विद्युत मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर की जा रही है।

3. एनटीपीसी सामग्री की आपूर्ति में तेजी लाने के लिए प्रयास कर रहा है जिसमें, जब भी कभी स्थापना करने तथा परियोजनाओं को समय पर चालू करने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है, तब एक परियोजना से दूसरी परियोजना में उपकरणों को ले जाना भी शामिल है।

4. एनटीपीसी ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की दैनिक आधार पर निगरानी करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारित परियोजना निगरानी प्रणाली विकसित की है।

5. परियोजना के निष्पादन-समय को कम करने के लिए, एनटीपीसी खरगौन एसटीपीपी के लिए ईपीसी पैकेज ला रहा है तथा अन्य परियोजनाओं के लिए अनेक पैकेजों में कमी कर रहा है।

6. विक्रेताओं के इंटरफेज में कमी करने के लिए लेआउट का सरलीकरण।

7. एनटीपीसी ने भूमि अधिग्रहण तथा वन संबंधी मंजूरी के लिए विशेष कक्ष गठित किया है जिसमें एनटीपीसी सहित बाहर के विशेषज्ञ शामिल हैं।

8. क्रिटिकल मदों के लिए विक्रेता-कार्यों पर तीव्रता देने वाले दलों की स्थापना।

9. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के माध्यम से ओवर डाइमेंशन कंसाइनमेंट (ओडीसी) मदों की निगरानी।

10. बाढ़, कोलडैम, सीपत, बोंगाईगांव तथा तपोवन जैसी परियोजनाओं के संविदात्मक मामलों का समाधान करने के लिए कार्रवाई की गई है।

विवरण-I

निर्माणाधीन परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना	राज्य	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4
1.	सीपत-I	छत्तीसगढ़	660
2.	सिम्हाद्री-II	आंध्र प्रदेश	500
3.	बोंगाईगांव	असम	750 (3x250)
4.	मौदा-I	महाराष्ट्र	1000 (2x500)
5.	रिहंद-III	उत्तर प्रदेश	1000 (2x500)
6.	विंध्याचल-IV	मध्य प्रदेश	1000 (2x500)
7.	बाढ़-I	बिहार	1980 (3x660)
8.	बाढ़-II	बिहार	1320 (2x660)
9.	कुडगी-I	कर्नाटक	2400 (3x800)
10.	कोल डेम एचईपी	हिमाचल प्रदेश	800 (4x200)

1	2	3	4
11.	तपोवन विष्णुगाड एचईपी	उत्तराखंड	520 (4x130)
12.	सिंगरौली लघु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट	उत्तर प्रदेश	8 (2x4)
13.	अंडमान और निकोबार सोलर पीपी प्रोजेक्ट	अंडमान और निकोबार	5
14.	दादरी सोलर पीवी प्रोजेक्ट	उत्तर प्रदेश	5
	संयुक्त उद्यम परियोजनाएं		
15.	एचपीजीसीएल तथा आईपीजीसीएल सहित इंदिरा गांधी एसटीपीपी, झज्जर संयुक्त उद्यम	हरियाणा	500 (1x500)
16.	वेल्लूर-I टीएनईबी के साथ संयुक्त उद्यम	तमिलनाडु	1000 (1x500) यूनिट #2
17.	वेल्लूर चरण-I फेज-II टीएनईबी के साथ संयुक्त उद्यम	तमिलनाडु	500 (1x500)
18.	नबीनगर टीपीपी-रेलवे के साथ संयुक्त उद्यम	बिहार	1000 (4x250)
19.	मुजफ्फरपुर विस्तार-बीएसईबी के साथ संयुक्त उद्यम	बिहार	390 (2x195)
		कुल	14838

विवरण-II

एनटीपीसी की निर्माणाधीन परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना	क्षमता (मे.वा.)	चालू होने का कार्यक्रम	विलंब का कारण/मुद्दे यदि कोई हो
1	2	3	4	5
1.	सिम्हाद्रि-II यूनिट-4	500 (2x500) (2 यूनिटों में से, यू #1 पहले से चालू)	07/2011 (एमओयू कार्यक्रम 12)	• एजेंसी द्वारा सिविल कार्यों में विलंब। • टीजी/कंडेंसर कार्यों को शुरू करने में विलंब। • एलपीटी की आपूर्ति में विलंब। (कार्यक्रम सितंबर, 09, वास्तविक फरवरी, 11)
2.	बोंगाईगांव	750 (3x250)	यू#1: 01/11 यू#2: 05/11 यू#3: 09/11	• सलकटी क्षेत्र (परियोजना स्थल) में बार-बार बंद तथा स्थानीय अशांति। • इकाई #2 और 3 के सिविल कार्य पैकेज में धीमी प्रगति के कारण ऑफ लोडेड, तथा अन्य पक्ष (मै. पुंज लॉयड) को अवार्ड किए गए।

1	2	3	4	5
3.	बाढ़-I	1980 (3x660)	यू#1: 09/13 यू#2: 04/14 यू#3: 10/14 (विवाद के निपटान के पश्चात मूल अनुसूची 2010-11, संशोधित अनुसूची मै. टीपीई एंड. पॉवर मशीन, रशिया के साथ व्यवस्था)	मै. टीपीई (स्टीम जेनरेटर तथा सहायक उपकरण (आपूर्तिकर्त्ता), तथा मै. पावर मशीन (टीजी एवं सहायक उपकरण आपूर्तिकर्त्ता) द्वारा उठाए गए संविदात्मक विवादों के कारण।
4.	बाढ़-II	1320 (2x660)	यू#4: 12/12 यू#5: 10/13	भेल द्वारा एसजी तथा टीजी उपकरण की आपूर्ति में विलंब।
5.	नबीनगर टीपीपी रेलवे के साथ संयुक्त उद्यम	1000 (4x250)	यू#1: 12/10 यू#2: 06/11 यू#3: 12/11 यू#4: 06/12	• भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण। • लगभग 260/1600 एकड़ भूमि के मामले का अभी समाधान किया जाना है। • ज्यादा ऊंची भूमि दर की मांग कर रहे ग्रामीणों द्वारा कार्य रोका गया।
6.	मुजफ्फरपुर विस्तार-बीएसईबी के साथ संयुक्त उद्यम	390 (2x195)	यू#3: 10/12 यू#4: 01/13	• मुख्य संयंत्र सिविल कार्यों को अवार्ड करने में विलंब। मैकअप जल पंप घर तथा कोयला हस्तन संयंत्र की पुन: निविदा। राख हस्तन संयंत्र अवार्ड करने में विलंब। • इकाई # 1 बॉयलर ड्रम फरवरी, 12 में प्राप्त (कार्यक्रम: दिसंबर, 11) • मार्गाधिकार के माध्यम से मेकअप जल हेतु भूमि अधिग्रहण।
छत्तीसगढ़				
7.	सीपत-I	660 (3x660) (3 यूनिटों में से, यू # 1 और 2 पहले से चालू)	यू#3: 12/11	• संविदात्मक प्रावधानों से ज्यादा मूल्य वृद्धि के लिए मैसर्स पावर मशीन्स रशिया (टीजी एवं सहायक उपकरण आपूर्तिकर्त्ता) द्वारा किए गए अतिरिक्त दावे के कारण। • इकाई # 3 मै. पावर मशीन्स, रशिया (टरबाइन पैकेज की मुख्य एजेंसी) द्वारा खरीदी गई क्रिटिकल मदों के आदेश में विलंब। • चालू करने के दौरान एच.पी. तथा आई.पी. टरबाइन की असफलता।

1	2	3	4	5
हरियाणा				
8.	इंदिरा गांधी टीपीपी, झज्जर एचपीजीसीएल और आईपीजीसीएल के साथ संयुक्त उद्यम	500 (1x500) (3 यूनिटों में से, यू # 1 और 2 पहले से चालू)	यू#3: 12/11	• सिविल कार्य निष्पादन एजेंसी द्वारा घटिया मोबलाइजेशन, जिसके परिणामस्वरूप फ्रंट को सौंपने में विलंब हुआ। • भेल द्वारा आईपी टरबाइन की आपूर्ति जनवरी, 12 (कार्यक्रम: अगस्त, 11) में की गई। • भेल द्वारा आईपी टरबाइन की आपूर्ति दिसंबर, 11 (कार्यक्रम: अगस्त, 11) में की गई। • जनवरी, 12 में आईपी टरबाइन आपूर्ति (कार्यक्रम: अक्तूबर, 11) में की गई।
हिमाचल प्रदेश				
9.	कोल डेम एचईसी	800 (4x200)	यू#1: 11/08 यू#2: 01/09 यू#3: 03/09 यू#4: 04/09	• अप्रत्याशित भू-गर्भीय स्थितियों के कारण, जैसे मुख्य बांध क्षेत्र में दाएं किनारे पर स्खलन। • बांध कोर में रिसाव संबंधी समस्या। • स्पिलवे कंक्रीटिंग तथा गैलरी ग्राउटिंग के लिए कार्य के क्षेत्र में वृद्धि। • मुख्य बांध एजेंसी मै. आईटीडी (इटैलियन थाई डेवलपमेंट पब्लिक कं. लि.) की नकद प्रवाह संबंधी समस्या।
मध्य प्रदेश				
10.	विंध्याचल-IV	1000 (2x500)	यू#11: 06/12 यू#12: 12/12	• इकाई # 12-एजेंसी द्वारा सिविल कार्य में विलंब। • भेल द्वारा आपूर्ति में विलंब। हाइड्रो जांच में विलंब।
महाराष्ट्र				
11.	मौदा-I	1000 (2x500)	यू#1: 04/12 यू#2: 10/12	• इकाई # 12-एजेंसी द्वारा सिविल कार्य में विलंब। • एजेंसी द्वारा कूलिंग टावर में विलंब। • राइट्स द्वारा धीमी कार्य-गति।
तमिलनाडु				
12.	वैल्लूर-स्टेज-I फेज-I टीएनईबी के साथ संयुक्त उद्यम	1000 (2x500)	यू#1: 01/11 यू#2: 07/11	• मुख्य संयंत्र सिविल एजेंसी द्वारा धीमी कार्य गति, जिससे फ्रंट को सौंपने में विलंब हुए। • यूनिट # 2 एलपी रोटर की आपूर्ति जनवरी, 12 (अनुसूची फरवरी, 10) • भेल द्वारा जेनरेटर की आपूर्ति जनवरी, 12 (कार्यक्रम: मार्च, 10) में की गई।

1	2	3	4	5
13.	वैल्लूर-स्टेज-I फेज-II टीएनईबी के साथ संयुक्त उद्यम	500 (1x500)	यू#3: 11/12	• सिविल एजेंसी द्वारा धीमी कार्य गति। • बॉयलर इरेक्शन एजेंसी द्वारा घटिया मोबलाइजेशन। • टीजी के लिए स्थापना एजेंसी को भेल द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना है। • बॉयलर ड्रम मार्च, 11 (कार्यक्रम: सितंबर, 10) में प्राप्त। • टीएनईबी द्वारा इक्विटी के भुगतान में विलंब।
उत्तराखंड				
14.	तपोवन विष्णुगाड एचईपी	520 (4x130)	यू#1: 09/12 यू#2: 11/12 यू#3: 01/13 यू#4: 03/13	• मुख्य सुरंग में प्रतिकूल स्थितियां मिलने के कारण विलंब।

बिजली की सुलभता 2'3-22

***250. श्री इज्यराज सिंह :**

श्री नित्यानंद प्रधान :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितने घरों को बिजली प्रदान की गई;

(ख) देश में ऐसे घरों की कुल संख्या कितनी है; जिनको बिजली सुलभ नहीं है और अभी भी इस योजना के लाभों से वंचित हैं;

(ग) क्या मानव विकास रिपोर्ट, 2011 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में विद्युत की सुलभता पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, देश में संचयी रूप से, गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल) 185.58 लाख घरों को नि:शुल्क विद्युत सर्विस कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बीपीएल घरों को राज्य-वार दिए गए नि:शुल्क विद्युत सर्विस कनेक्शन संलग्न विवरण-I पर दर्शाए गए हैं।

(ख) 2001 की जनगणना के अनुसार, ग्रामीण घरों की कुल संख्या 13,82,71,559 थी, जिनमें से 6,01,80,685 ग्रामीण घरों को विद्युत सुलभ थी। शेष 7,80,90,874 ग्रामीण घरों के पास विद्युत नहीं थी। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, 231.83 लाख बीपीएल घरों के लिए नि:शुल्क विद्युत सर्विस कनेक्शन संस्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से, 185.58 लाख बीपीएल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 36.55 लाख बीपीएल घरों के कनेक्शन भी हाल ही में, आरजीजीवीवाई के चरण-II के अंतर्गत संस्वीकृत किए गए हैं।

इस स्कीम के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत बीपीएल घरों का कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मानदंडों के अनुसार, 100% पूंजीगत सब्सिडी के साथ वित्तपोषण, के अतिरिक्त एपीएल घरों को पहुंच प्रदान करने का प्रावधान भी मौजूद है जिन्हें घरेलू कनेक्शन लेने के लिए निर्धारित कनेक्शन प्रभारों पर अपने विद्युत कनेक्शन के लिए भुगतान करना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) अनुपयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित "भारतीय मानव विकास रिपोर्ट 2011" में उल्लेख किया

गया है कि ग्रामीण घरों में विद्युत पहुंचने में वृद्धि हुई है तथा घरों में विद्युत का प्रयोग करने वाले घरों की प्रतिशतता, जो 2002 में 63.9% थी, बढ़कर 2008-09 में 75% हो गई है। घरों में विद्युत का प्रयोग करने वाले ग्रामीण घरों की प्रतिशतता, जो 2002 में 53% से बढ़कर 2008-09 में 66% हो गई तथा इससे घरों में विद्युत का प्रयोग करने वाले शहरी घरों की प्रतिशतता जो 2002 में 91.6% से बढ़कर 2008-09 में 96.1% हो गई। भारतीय मानव विकास रिपोर्ट 2011 के साथ संलग्न, घरों में उपयोग के लिए विद्युत के वितरण से संबंधित 2002 तथा 2008-09 का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है।

(ङ) पहले से ही संस्वीकृत परियोजनाओं के अतिरिक्त, 12वीं योजना में स्कीम के जारी रहने पर निर्भर करते हुए शेष घरों को विद्युतीकरण के लिए शामिल किया जा सकता है।

विवरण-I

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार जारी बीपीएल कनेक्शन

क्र. सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (29.02.2012 तक)	(संचयी उपलब्धि 29.02.2012 के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	945368	566518	258751	70426	2674467
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	967	9205	11360	21532
3.	असम	32718	189816	352237	220896	795667
4.	बिहार	474277	560985	641016	279467	2023565
5.	छत्तीसगढ़	75592	145990	196552	86067	519503
6.	गुजरात	116310	85931	420126	95457	796141
7.	हरियाणा	16930	69453	90535	10617	194442
8.	हिमाचल प्रदेश	392	148	3637	5901	10078
9.	जम्मू और कश्मीर	3924	14163	8452	11943	42544
10.	झारखंड	243830	555289	359213	91840	1252998
11.	कर्नाटक	226046	134949	48861	47761	832353
12.	केरल	3394	6131	1117	0	17238
13.	मध्य प्रदेश	76026	75477	211816	295451	659869
14.	महाराष्ट्र	145715	429026	403387	123391	1157806

1	2	3	4	5	6	7
15.	मणिपुर	2056	1640	4397	7925	17318
16.	मेघालय	1264	17832	12880	25227	57203
17.	मिजोरम	0	378	8129	6126	14633
18.	नागालैंड	0	4368	13434	10577	28379
19.	ओडिशा	144056	650678	1435007	400152	2629965
20.	पंजाब	0	19507	28890	5528	53925
21.	राजस्थान	237727	208695	255939	70105	1027844
22.	सिक्किम	0	66	7121	2016	9203
23.	तमिलनाडु	296	383533	115044	4083	502956
24.	त्रिपुरा	0	22085	36886	16967	75938
25.	उत्तर प्रदेश	251575	157263	15818	172574	1044494
26.	उत्तराखंड	50111	72382	19596	4481	229751
27.	पश्चिम बंगाल	37181	345198	925309	501406	1868313
	कुल		4718468	5883355	2577744	18558125

विवरण-II

भारतीय मानव विकास रिपोर्ट 2011

घरेलू प्रयोग हेतु परिवारों को विद्युत का आवंटन, 2002 और 2008-09

(प्रतिशत)

राज्य	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
	2002	2008-09	2002	2008-09	2002	2008-09
1	2	3	4	5	6	7
गैर-विशेष श्रेणी राज्य						
आंध्र प्रदेश	78.1	93.2	93.7	97.5	82.6	94.5

1	2	3	4	5	6	7
असम	24.6	40.2	86.8	94.6	30.4	46.6
बिहार	9.7	24.5	66	79.4	16.1	30.5
छत्तीसगढ़	52.1	81.1	86.5	96.7	58.3	84
दिल्ली	100	96	99.5	98.6	99.6	98.4
गोवा	98.4	99.5	99.7	97.3	98.9	98.4
गुजरात	82.2	89.7	95.9	99	87.5	93.4
हरियाणा	85.9	93.4	97.7	98.3	89.4	95
झारखंड	25.1	43	86.5	93.9	37.5	51.1
कर्नाटक	82.5	94.1	94.9	97.9	86.5	95.5
केरल	75.5	92.7	90.4	97.9	79.3	94.1
मध्य प्रदेश	67.9	81.3	92	96.9	74.6	85.1
महाराष्ट्र	77.6	81.9	95.9	98.5	85.3	89.3
ओडिशा	28.6	44.9	86.6	90.1	37.5	52.1
पंजाब	95.7	96.5	98	99.3	96.5	97.6
राजस्थान	44.8	63.8	87.1	97	56.2	72.6
तमिलनाडु	80.3	92.6	93.7	97.8	85.1	95
उत्तर प्रदेश	24.3	37.6	86.3	89.8	37.9	49
पश्चिम बंगाल	25.7	49.5	83.7	93.3	41.4	60.8
विशेष श्रेणी राज्य						
अरुणाचल प्रदेश	50.3	77.9	95.8	98.5	59.2	82.3
हिमाचल प्रदेश	98.3	98.6	99.8	99.4	98.5	98.7
जम्मू और कश्मीर	96.3	95.9	99.5	97.5	97.1	96.3

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर	85.8	86.8	92.8	99.5	87.6	90.5
मेघालय	56.8	69.8	93.9	99.3	63	75.5
मिजोरम	75.5	81.9	99.8	99.8	86.1	89.9
नागालैंड	94.6	99	97.5	100	95.6	99.3
सिक्किम	85.1	95.8	99.1	99.4	87	96.4
त्रिपुरा	57.5	66.1	90.3	95.3	62	71.5
उत्तराखंड	56.3	85.5	98	98.6	65.3	88.4
संघ राज्य क्षेत्र						
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	72.3	84.5	97.2	98.5	80.4	89.1
चंडीगढ़	99.9	100	99.7	98.5	99.7	98.7
दादरा और नगर हवेली	97.5	100	100	100	97.9	100
दमन और दीव	99.5	100	99.9	97.4	99.6	99.1
लक्षद्वीप	100	100	100	100	100	100
पुदुचेरी	87.9	95.2	95.3	99.3	92.8	98.1
अखिल भारत	53	66	91.6	96.1	63.9	75

स्रोत: एनएसएस 58 और 65 राउंड से परिकलित।

[अनुवाद]

221-26

बालिकाओं को प्रोत्साहन

*251. **श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली :**
श्री घनश्याम अनुरागी :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में घटते लिंग-अनुपात के मद्देनजर जाति, पंथ, समुदाय और अभिभावकों की आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान न देकर बालिकाओं को बचाने तथा उन्हें प्रोत्साहन देने की योजनाएं शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इसके लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा उन्होंने कितनी धनराशि का उपयोग किया?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि यद्यपि देश में समग्र लिंग अनुपात में सुधार हुआ है, जो 2001 में 933 से बढ़कर वर्ष 2011 में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 940 हो गई है। 6 वर्ष तक के आयु वर्ग में बच्चों का लिंग अनुपात तेजी से गिरा है, जो 2001 में 1000 लड़कों में 927 लड़कियों से घटकर 2011 में प्रति 1000 लड़कों तुलना में लड़कियों की संख्या 914 रह गयी है। यह गिरावट 1961 से लगातार जारी है।

सरकार मानती है कि भारत में बच्चों के लिंग अनुपात में गिरावट कोई अलग परिदृश्य नहीं है किन्तु इसे समग्र रूप से घर में और बाहर महिलाओं और बालिकाओं की निम्नस्थिति के परिपेक्ष में देखा जाना है। जबकि इससे तत्कालिक कारणों में बेटे की चाहत और उन्नत प्रौद्योगिकी को माना जा सकता है, जिसके द्वारा लिंग चुनाव करके गर्भपात कराने को प्रोत्साहन मिलता है, इसके लिए दहेज के साथ-साथ बालिका की सुरक्षा की चिंता भी कम जिम्मेदार नहीं है।

तद्नुसार देश में बालिकाओं की उत्तरजीविता और स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने बहुत से उपाय किए हैं। जबकि बालिकाओं सहित सभी बच्चों के लाभ में सुधार लाने हेतु समेकित बाल विकास स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न भोजन स्कीम आदि जैसे कार्यक्रम के द्वारा बालिकाओं के लिए विशिष्ट उपाय किए गए हैं। इन उपायों में प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994, धनलक्ष्मी नामक प्रायोगिक नकदी अंतरण स्कीम, बच्चों के लिंग अनुपात में सुधार लाने के लिए क्षेत्रीय अभिनव परिषद् की स्थापना और देश के चुनिंदा 200 जिलों में स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं पर विशेष ध्यान देते हुए 11-18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों के लिए एक व्यापक उपाय हेतु प्रायोगिक स्कीम "सबला" का क्रियान्वयन शामिल है।

उपर्युक्त में से धनलक्ष्मी में नकद प्रोत्साहन किया जाता है और स्कीम के अंतर्गत जाति, धर्म, समुदाय और माता-पिता की आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) धनलक्ष्मी एक प्रायोगिक स्कीम है, जिसका क्रियान्वयन देश के निम्नलिखित जिलों में किया जा रहा है:—

राज्य	जिला	ब्लॉक
आंध्र प्रदेश	खाम्माम	अश्वरावपेटा
	वारांगल	नरसम पेट
छत्तीसगढ़	बस्तर	जगदलपुर
	बीजापुर	भोपाल पट्टनम
ओडिशा	मालकानगिरी	कालीमेला
	कोरापट	सेमीलीगुडा
झारखंड	गीरीडीह	तिसरी
	कोडरमा	मरका चौर
बिहार	जमुई	सोनो
उत्तर प्रदेश	राय बरेली	शिवगढ़
पंजाब	फतेहगढ़ साहिब	सरहिंद

वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए संस्वीकृत निधियों और राज्य सरकारों द्वारा सूचित लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने और उसकी शिक्षा, विकास आदि के लिए सशर्त नकदी अंतरण स्कीम के माध्यम से परिवारों द्वारा प्रीमियम जमा कराने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु बहुत से राज्य अपनी स्कीमें क्रियान्वित कर रहे हैं। इनमें से कुछ हैं: दिल्ली सरकार की लाडली स्कीम, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, कर्नाटक की भाग्यलक्ष्मी स्कीम, मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना, गुजरात और हिमाचल प्रदेश की बालिका समृद्धि योजना, पंजाब की बालरी रक्षक योजना और मध्य प्रदेश की कन्यादान स्कीम।

विवरण

संस्वीकृत निधियों और लाभार्थियों की संख्या

2008-09

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	संस्वीकृत अनुदान (रुपये)	लाभार्थियों की संख्या
1.	सरहिंद, जिला फतेहगढ़, पंजाब	91,31,647	12,119
2.	जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़	1,53,75,365	19,853
3.	भोपालपटनम, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़	32,99,345	4,640
4.	कालीमेला, जिला मालकानगिरी, ओडिशा	50,51,096	7,699
5.	सेमीलीगुडा, जिला कोकरापट, ओडिशा	22,03,612	2,917
6.	नरसंपेटा, जिला वारंगल, आंध्र प्रदेश	1,22,31,384	15,721
7.	आश्वरावपेट, जिला खम्माम, आंध्र प्रदेश	1,00,66,132	13,781
8.	तिसरी, जिला गिरीडीह, झारखंड	21,57,762	2,825
	कुल योग	5,95,16,343	79,555

2009-10

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	संस्वीकृत अनुदान (रुपये)	लाभार्थियों की संख्या
1.	सरहिंद, जिला फतेहगढ़, पंजाब	1,42,39,250	6,811
2.	कालीमेला, जिला मालकानगिरी, ओडिशा	1,44,90,743	15,754
3.	सेमीलीगुडा, जिला कोकरापट, ओडिशा	78,28,667	6,582
4.	मारकोचो, जिला कोडरमा, झारखंड	31,68,805	2,606
5.	सोना, जिला जमुई, बिहार	1,02,72,535	10,324
	कुल योग	5,00,00,000	42,077

2010-11

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	संस्वीकृत अनुदान (रुपये)	लाभार्थियों की संख्या
1.	शिवगढ़, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश	1,45,58,688	10,324
2.	मारकोचो, जिला कोडरमा, झारखंड	74,86,255	6,415
	कुल योग	1,83,01,816	16,739

टिप्पणी: राज्य सरकारों से निधियों की निर्मुक्ति हेतु कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। अतः 2011-12 में निधियां संस्वीकृत नहीं की गईं।

227-29

सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों की सुलभता

*252. श्री आनंदराव अडसुल :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक निर्धन और वंचित व्यक्तियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र/सुविधाएं सुलभ नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने तथा स्वास्थ्य सेवा संबंधी असमानताओं को दूर करने के लिए सामाजिक अवधारणाओं और पौष्टिकता परिदृश्य में सुधार लाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उपाय करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की शुरुआत विशेषतौर पर गरीबों और जनसंख्या के संवेदनशील वर्गों को लभ्य, वहनीय, उत्तरदायी, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने हेतु वर्ष 2005 में की गई थी। एनआरएचएम अपने सर्वांगीण संरक्षणाधीन एक क्षैतिज मंच पर मौजूदा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा विभिन्न संचारी रोग कार्यक्रमों, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, आयोडीन अल्पता रोग नियंत्रण कार्यक्रम और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम को लाता है। इसका लक्ष्य उन्नत स्वास्थ्य अवसंरचना के जरिए ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में अंतराल को भरना, मानव संसाधन का संवर्धन करना, नि:शुल्क रेफरल परिवहन, चल चिकित्सा यूनिटों इत्यादि के जरिए उन्नत सेवा प्रदायगी भी है।

(ग) और (घ) पोषण रहित सामाजिक घटकों के उन्नयन पर भी एनआरएचएम के अंतर्गत फोकस है ताकि स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में वैश्विक पहुंच और साम्या प्रदान की जा सके। गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर विशेष फोकस करके समाज के गरीब और संवेदनशील वर्गों की स्थिति में उन्नयन हेतु एनआरएचएम के अंतर्गत अनेक उपाय किए गए हैं:—

- गर्भवती महिलाओं को ग्रामीण और शहरी-दोनों क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में सामान्य प्रसव और सीजेरियन ऑपरेशन सहित रुग्ण नवजात शिशु (जन्म के उपरांत 30 दिनों तक) के लिए पूर्णतया नि:शुल्क और नकदीरहित सेवाएं प्रदान करने हेतु जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) शुरू किया गया था। इस पहल में घर से संस्था तक नि:शुल्क परिवहन, रेफरल की दशा में दो सुविधा केन्द्रों के बीच और वापिस घर छोड़ने हेतु परिवहन के अलावा नि:शुल्क औषध, निदान, रक्त और आहार शामिल हैं। जन्म के उपरांत 30 दिनों तक उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सस्थाओं में आने वाले सभी रुग्ण नवजात शिशुओं के लिए भी ऐसी ही पात्रताएं निर्धारित की गई हैं।
- जननी सुरक्षा योजना के जरिए सांस्थानिक प्रसवों को प्रोत्साहन के लिए गरीब गर्भवती महिलाओं को नकदी प्रोत्साहन।
- मूलभूत और व्यापक प्रसूति परिचर्या में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों का क्षमता निर्माण।
- बुनियादी और व्यापक प्रसूति परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों का 24x7 सुविधा केन्द्रों के रूप में प्रचालन करना।
- चल चिकित्सा यूनिटों के लिए जरिए दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना।
- प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन और प्रसवोत्तर परिचर्या सुनिश्चित करने हेतु गर्भवती महिलाओं का नाम के आधार पर पता लगाना।
- माताओं और बच्चों के लिए सेवा प्रदानगी के मॉनीटरन के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से माता और बच्चे का सुरक्षा कार्ड।
- गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान आयरन और फॉलिक एसिड के अनुपूरण द्वारा रक्ताल्पता के निवारण और उपचार सहित प्रसवपूर्ण, प्रसवकालीन और प्रसवोत्तर परिचर्या सेवाओं की व्यवस्था।

- समुदाय तक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक पहुंच को सुकर बनाने तथा मांग में वृद्धि करने हेतु 800,000 से ज्यादा प्रशिक्षित सामाजिक स्वास्थ्य कर्मियों (आशा) की नियुक्ति।

- मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान और जागरूकता पैदा करने के लिए एक आउटरीच कार्यकलाप के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस।

- गरीब बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण के उपचारार्थ पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

- एनआरएचएम के अंतर्गत गांव स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों को ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समितियों के रूप में पुन:स्थापित किया गया है ताकि वे पौषणिक स्थिति पर सक्रिय रूप से निगरानी रखे तथा जनमानस की पौषणिक स्थिति में उन्नयन हेतु कार्यकलापों का लाभ उठाएं।

229-36

महिलाओं के लिए कल्याण योजनाएं

***253. श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड : क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महिलाओं के कल्याण के लिए क्रियान्वयनाधीन कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई और उपयोग की गई;

(ग) क्या सरकार ने महिला कामगारों के लिए विशेषरूप से निजी क्षेत्र में कल्याण योजनाओं की कमी की ओर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) भारत सरकार, द्वारा सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा महिलाओं के कल्याण की स्कीमें चलाई जाती हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही ऐसी स्कीमों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(i) **कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम** मासिक 12,000/- रुपये से कम आय वाले परिवारों से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को इसके अंतर्गत दिवस देखरेख सुविधाएं दी जाती हैं। बच्चों के लिए सुरक्षित जगह होने के अलावा शिशु गृह में पूरक पोषण, स्कूल-पूर्व शिक्षा और आकस्मिक स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(ii) **केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड :** केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जा रही मुख्य महिला कल्याण स्कीमें इस प्रकार हैं:—

- **परिवार परामर्श केंद्र :** इसकी शुरुआत 1983 में की गई थी। अत्याचारों, परिवार में असमायोजन और सामाजिक बहिष्कार की पीड़ित महिलाओं और बच्चों को इन केंद्रों में परामर्श, रैफरल और पुनर्वास की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के मामले में उन्हें महत्वपूर्ण उपाय और सदमा परामर्श दिया जाता है।

- **जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम :** विशेषरूप से महिलाओं के अधिकारों, उनकी स्थिति और समस्याओं तथा अन्य सामाजिक सरोकारों पर महिलाओं और समुदायों में जागरूकता फैलाना इस स्कीम का मुख्य लक्ष्य है।

- **महिलाओं की शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम विषय :** इस स्कीम के अंतर्गत उन बालिकाओं और महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, जो शिक्षा की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाती या जिन्होंने औपचारिक रूप से स्कूल छोड़ दिया हो। इस स्कीम के अंतर्गत कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ 15 वर्ष से अधिक उम्र की बालिकाओं और महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। पाठ्यक्रम के विषय आवश्यकता आधारित होते हैं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इनका आशोधन किया जाता है।

(iii) **महिला सशक्तीकरण मिशन** महिलाओं को समग्र रूप से सशक्त करने हेतु यह भारत सरकार की एक पहल है। यह अप्रैल, 2011 में संस्वीकृत एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है और अम्ब्रेला मिशन के रूप में कार्य करता है। इसके

लिए अंतरक्षेत्रीय संकेन्द्रण सुदृढ़ करना और मंत्रालयों और विभागों में सभी महिलाओं के कल्याण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के समन्वयन की प्रक्रिया सुकर बनाना अधिदेशित है। राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन का क्रियान्वयन सभी 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में किया जा रहा है।

(iv) **कामकाजी महिला हॉस्टल** के अंतर्गत कामकाजी महिलाओं, अकेले रहने वाली कामकाजी महिलाओं, अपने गृह नगरों से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाओं और रोजगार हेतु प्रशिक्षणरत महिलाओं के लिए सुरक्षित और सस्ते आवास के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। हाल ही में स्कीम में संशोधन किया गया है।

(v) **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम की सहायता** की शुरुआत 1986-87 के दौरान केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम के रूप में की गई। इसका लक्ष्य स्वरोजगार तथा दिहाड़ी रोजगार हेतु कौशल उन्नयन करके महिलाओं की स्थिति पर महत्वपूर्ण रूप से सुधारात्मक प्रभाव डालना है। लक्ष्य समूहों में सीमांत परिसंपत्तिविहीन ग्रामीण महिलाएं और निर्धन महिलाएं शामिल हैं। इसमें दिहाड़ी मजदूर बेगार करने वाले दैनिक कामगार, महिला प्रधान परिवार, प्रवासी मजदूर जनजाति और अन्य वंचित समूहों की महिलाएं शामिल हैं। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों, महिला प्रधान परिवारों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(vi) **राष्ट्रीय महिला कोष** यह 100 करोड़ कोरपस निधि से निर्धन महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थन के लिए सूक्ष्म वित्तीय सेवाए मुहैया कराता है। गैर-सरकारी संगठनों, महिला संघों, सहकारिता, कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत लाभ न कमाने वाली कंपनियों और अन्य स्वैच्छिक/सिविल समाज के संगठनों जैसे बुनियादी स्तर के मध्यस्थ सूक्ष्म वित्तीय संगठनों के माध्यम से निर्धन महिला लाभार्थियों को ग्राहक अनुकूल, सरल, समानांतर तरीके से आजीविका एवं आयोत्पादक क्रियाकलापों, आवास तथा सूक्ष्म उद्यमों हेतु ऋण प्रदान किया जाता है।

(vii) **मध्य गंगा के मैदानों में महिला सशक्तीकरण और आजीविका कार्यक्रम, जो प्रियदर्शनी भी कहलाता है** बहराइच, सीएसएम नगर, रायबरेली, श्रावस्ती और सुल्तानपुर नामक उत्तर प्रदेश के पांच जिलों तथा मधुबनी और सीतामढ़ी नामक बिहार के दो जिलों के 13 ब्लॉकों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि की सहायता से क्रियान्वित की जा रही है। इसका लक्ष्य महिला स्व-सहायता समूहों का गठन करने और उन्नत आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने द्वारा परियोजना क्षेत्र में महिलाओं और किशोरियों के असुरक्षित समूहों का सर्वांगीण सशक्तीकरण करना है। वर्ष 2016-17 में समाप्त होने वाली परियोजना अवधि के दौरान इसके अंतर्गत एक लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा और 7,200 स्व-सहायता समूहों का गठन किया जाएगा। यह आशा की जाती है कि लाभार्थी क्षमता विकास के माध्यम से अपनी राजनैतिक, कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए सशक्त होगी। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए नाबार्ड अग्रणी एजेंसी है, जो दिसम्बर, 2009 से कार्यरत किया गया है।

(vi) **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना** एक सशर्त नकदी अंतरण स्कीम है, जिसे अक्तूबर, 2010 में गर्भवती और धात्री माताओं के लिए शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य गर्भवती और धात्री माताओं को उन्नत स्वास्थ्य और पोषण के लिए नकद प्रोत्साहन देकर बेहतर अनुकूल वातावरण बनाना है। इसके अंतर्गत कतिपय विशिष्ट शर्तों को पूरा करने पर व्यक्तिगत रूप से गर्भावस्था और स्तनपान कराने के दौरान गर्भवती और धात्री महिलाओं को नकद राशि प्रदान करने की परिकल्पना की गई हैं इसके द्वारा अल्पावधि आय समर्थन उद्देश्यों के साथ दीर्घावधिक व्यवहार व सोच में परिवर्तन लाने के उद्देश्य का समाधान किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रसव के पहले और बाद में गर्भवती और धात्री महिलाओं की मजदूरी में होने वाली क्षति की आंशिक भरपाई करने के प्रयास किए जाते हैं। इस स्कीम का क्रियान्वयन आरंभ में प्रायोगिक आधार पर आईसीडीएस मंच का उपयोग करते हुए 52 चुनिंदा जिलों में किया जा रहा है। आईजीएमएसवाई के अंतर्गत प्रतिवर्ष 12.5 लाख गर्भवती और धात्री महिलाओं के शामिल होने की आशा है। मातृत्व और बाल स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट शर्तों को पूरा करने पर दूसरी तिमाही से बच्चे की आयु 6 माह होने तक के बीच लाभार्थियों को तीन किस्तों में 4,000/- रुपये का भुगतान किया जाता है।

(ix) **स्वाधार गृह स्कीम :** कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय 2001 से स्वाधार स्कीम चला रहा था। इस स्कीम के अंतर्गत पारिवारिक विवाद, अपराध, हिंसा, मानसिक दबाव, सामाजिक बहिष्कार के कारण बेघर हुई महिलाओं और बालिकाओं को अस्थायी आवास, रखरखाव तथा पुनर्वास की सेवाएं दी जाती हैं। इसी प्रकार के उद्देश्यों/लक्ष्य समूहों की दूसरी स्कीम अर्थात् अल्पावास गृह का क्रियान्वयन केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किया जा रहा था क्योंकि इन दोनों के उद्देश्य और लक्ष्य समूह एक समान थे। अतः, संशोधित वित्तीय मानदंडों के साथ इन दोनों स्कीमों का विलय स्वाधार गृह स्कीम में कर दिया गया।

(x) **उज्जवला :** यह व्यावसायिक यौन शोषण हेतु अवैध व्यापार के निवारण और पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज से पुनः जोड़ने की एक व्यापक स्कीम है। इसके लिए गैर-सरकारी संगठनों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। क्योंकि इसका क्रियान्वयन मुख्यरूप से गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्कीमों के अंतर्गत आवंटित और निर्मुक्त निधियों की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत शामिल लक्ष्य समूह विभिन्न क्षेत्रों की महिला कर्मियों में अंतर नहीं दर्शाता है। इसमें निजी क्षेत्र की महिलाएं भी शामिल हैं। अतः, इन स्कीमों के अंतर्गत जहां तक प्रजोज्य हो, निजी क्षेत्र की महिला कर्मियों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जाती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्कीमों के अंतर्गत आवंटित और निर्मुक्त निधि

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		आवंटन	निर्मुक्त	आवंटन	निर्मुक्त	आवंटन	निर्मुक्त	आवंटन	निर्मुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1.	आजीएनसीएस	100.00	87.30	100.00	99.89	70.00	69.35	85.00	73.76 (फरवरी'12)
2.	सीएसडब्ल्यूबी-परिवार परामर्श	16.97	6.23	15.81	11.47	15.29	24.81	13.70	10.48 (फरवरी'12)
3.	सीएसडब्ल्यूबी-संक्षिप्त पाठ्यक्रम	5.37	3.15	3.00	5.99	3.5	3.5	1.86	1.01 (फरवरी'12)
4.	सीएसडब्ल्यूबी-संक्षिप्त पाठ्यक्रम	7.57	3.82	4.47	7.0	7.83	7.45	3.04	2.23 (फरवरी'12)
5.	एनएमइडब्ल्यू	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	40.00	6.01

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
6.	डब्ल्यूडब्ल्यूएच	20.00	2.41	10.00	9.17	15.00	14.29	10.00	0.40
7.	स्टेप	37.00	16.02	15.00	12.29	25.00	24.32	20.00	3.72
8.	आरएमके*	30.30	26.48	14.71	15.63	12.78	12.49	19.85	12.76
9.	डब्ल्यूईएलपी	लागू नहीं	लागू नहीं	0.43	0.23	7.27	1.05	15.01	3.6
10.	आईजीएमएसवाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	390.00	117.8	520.00	294.00
11.	स्वाधार	15.00	14.94	20.00	14.97	34.21	34.21	30.00	20.52
12.	उज्ज्वला	10.00	4.36	5.00	4.98	10.00	8.68	10.00	9.70

*आरएमके के मामले में इसका तात्पर्य संस्वीकृत/निर्मुक्त ऋण है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पर वैलियाथान समिति की रिपोर्ट

***254. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :**
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कार्यकरण के संबंध में वैलियाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एम्स और अन्य सरकारी अस्पतालों में संकाय और अन्य पैरा मेडिकल कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) वालियाथन समिति की सफारिशों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है:—

(i) भाग 'क' — संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं चालने वाली सिफारिशें (31 सिफारिशें)।

(ii) भाग 'बी' — एम्स अधिनियम, नियमावली और विनियमनों में संशोधनों के जरिए संरचनात्मक परिवर्तन की अपेक्षा रखने वाली सिफारिशें (7 सिफारिशें)।

भाग 'क' के तहत इन 31 सिफारिशों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:—

क्र. स.	सिफारिशों की स्थिति	सिफारिशों की संख्या
1.	स्वीकृत तथा कार्यान्वित	16
2.	कार्यान्वयन के लिए सिद्धांतत: स्वीकृत	10
3.	भविष्यानुरूप (लांग टर्म फ्यूचरिस्टिक)	03
4.	अस्वीकृत	02

भाग 'ख' के तहत सिफारिशों की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी। उच्च अधिकार प्राप्त

समिति ने दिनांक 29.11.2010 को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट को 16.1.2012 को हुई इसकी बैठक में एम्स के संस्थान निकाय के समक्ष विचारार्थ रखा गया था। जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी विभागीय संबंधित संसदीय स्थायी समिति की उप-समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा, जिसने एम्स के कार्यप्रचालन की जांच शुरू कर दी है।

(ग) से (ङ) संकाय तथा पराचिकित्सीय स्टॉफ सहित रिक्त पदों के लिए भर्ती करना एक सतत् प्रक्रिया है। इसके साथ ही एम्स तथा अन्य सरकारी अस्पतालों में रिक्त होने वाले पदों को भरने के लिए जितना शीघ्र संभव हो सकता है, सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जनहित में एक कामचलाऊ प्रबंध के रूप में लंबित नियमित भर्ती को संविदा आधार पर रिक्त पदों को भरने के उपाए किए जा रहे हैं ताकि मरीज परिचर्या प्रभावित न हो। एम्स में संकाय तथा पराचिकित्सीय स्टॉफ की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संकाय के मामले में, 26 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और सिस्टर ग्रेड-II के 687 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया और मेडिकल भौतिक विज्ञानियों के 06 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

[हिन्दी]

निर्धन रोगियों का उपचार

***255. श्री माणिकराव होडल्या गावित :**
प्रो. रंजन प्रसाद यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में गैर-सरकारी संगठनों/न्यासों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों सहित उन निजी अस्पतालों, जिन्हें रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई है, को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बहिरंग रोगी विभाग में 25 प्रतिशत तक और अंतरंग रोगी विभाग में 10 प्रतिशत तक निर्धन रोगियों का निःशुल्क उपचार करने संबंधी शर्तों का अनुपालन करने संबंधी नए निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ निजी अस्पताल अभी भी इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन निबंधन और शर्तों, जिन पर ऐसे अस्पतालों को भूमि रियायती दरों पर आवंटित की गई है, का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इस संबंध में कोई निर्देश जारी करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संबंध है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 26.0.2011 को उन सभी पहचाने गए (अभिज्ञात) निजी अस्पतालों को नए निर्देश जारी किए हैं जिन्हें भूमि आवंटनकर्त्ता एजेंसियों नामतः दिल्ली विकास प्राधिकरण, भूमि तथा विकास कार्यालय, दिल्ली नगर निगम द्वारा रियायती दर पर भूमि आवंटित की गई थी ताकि आर्थिक रूप से अधिक कमजोर वर्ग श्रेणी के पात्र मरीजों को सभी प्रकार से पूर्णरूपेण निःशुल्क लागत पर 25 प्रतिशत ओपीडी तथा 10 प्रतिशत आईपीडी की सीमा तक उपचार मुहैया कराया जा सके।

(ग) और (घ) इन पहचाने गए अस्पतालों में से तीन अस्पताल इन निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे पूर्वोक्त निर्देशों के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय चले गए हैं और मामला निर्णयाधीन है।

[अनुवाद]

टीकों की उपलब्धता

***256. श्री अजय कुमार :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पोलियो सहित विभिन्न प्रकार के टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विभिन्न टीकों की मांग और उपलब्धता का ब्यौरा क्या है तथा इनकी कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) देश में सभी प्रकार के टीकों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। देश में पोलियो के टीके समेत सभी टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

(ग) सभी टीकों की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

(i) चिरकालिक मांग का पूर्वानुमान।

(ii) टीकों का विनिर्माण एवं आपूर्ति के लिए पर्याप्त समय देने के लिए अग्रिम में प्रापण प्रक्रिया में शुरुआत।

कृषि क्षेत्र में विद्युत की उपलब्धता 239-44

*257. **श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कृषि-क्षेत्र के लिए कुल उपलब्ध विद्युत और उसकी खपत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश में कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) देश में कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र-वार विद्युत की निगरानी नहीं की जाती है। वर्ष 2009-10 के लिए (नवीनतम उपलब्ध) कृषि क्षेत्र में ऊर्जा की क्षेत्र-वार कुल उपलब्धता और खपत का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है। वर्ष 2011-12 के दौरान (फरवरी, 2012 तक) देश के विभिन्न राज्यों में कृषि क्षेत्र को औसत विद्युत आपूर्ति का घंटों में ब्यौरा संलग्न विवरण-II. में दिया गया है।

(ख) और (ग) विद्युत समवर्ती विषय होने के कारण कृषि सहित विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटियों का होता है। भारत सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना द्वारा राज्य सरकार के प्रयासों की अनुपूर्ति करती है।

(घ) देश में, कृषि सहित विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए/किए जा रहे हैं:—

(i) उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि पर बल देना। 10वीं योजना के दौरान 21,180 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की तुलना में 11वीं योजना में (25 मार्च, 2012 तक) 53,122 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि प्राप्त की जा चुकी है।

(ii) चल रही उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की गहन निगरानी।

(iii) मौजूदा उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लीयर और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन एवं रखरखाव।

(iv) घरेलू स्रोतों से कोयले की उपलब्धता में कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटियों द्वारा कोयले के आयात पर बल।

(v) कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से अधिशेष विद्युत का दोहन।

(vi) बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ लेने के लिए प्रत्येक 4000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास।

(vii) पुरानी तथा अकुशल उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार।

(viii) हानि को कम करने की दिशा में प्रमुख कदम के तौर पर उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करना।

विवरण-I

वर्ष 2009-10 में कृषि क्षेत्र में राज्य-वार कुल ऊर्जा उपलब्धता और उपभोग

(जीडब्ल्यूएच)

राज्य/यूटी	कुल ऊर्जा उपलब्धता	कृषि क्षेत्र में उपभोग
1	2	3
हरियाणा	32,023	9,190.03
हिमाचल प्रदेश	6,769	36.82

1	2	3
जम्मू और कश्मीर	9,933	204.88
पंजाब	39,408	10,469.31
राजस्थान	43,062	12,072.59
उत्तर प्रदेश	59,508	7,340.72
उत्तराखंड	8,338	298.1
चंडीगढ़	1,528	1.02
दिल्ली	24,094	39.67
गुजरात	67,220	12,813.8
मध्य प्रदेश	34,973	5,985.65
छत्तीसगढ़	10,739	1,751.6
महाराष्ट्र	101,512	13,264.22
गोवा	3,026	110.76
दमन और दीव	1,802	2.49
दादरा और नगर हवेली	3,853	3
आंध्र प्रदेश	73,765	18,825.02
कर्नाटक	42,041	12,384.77
केरल	17,196	266
तमिलनाडु	71,568	11,951
पुदुचेरी	1,975	73.8
लक्षद्वीप	24	0
बिहार	9,914	794.01
झारखंड	5,407	65.72
ओडिशा	20,955	149.57
पश्चिम बंगाल	32,819	1,322.97
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	180	0.74
सिक्किम	345	0
असम	4,688	32
मणिपुर	430	0.71
मेघालय	1,327	0.63
नागालैंड	466	0
त्रिपुरा	771	39.73
अरुणाचल प्रदेश	325	0
मिजोरम	288	0.5
कुल (अखिल भारत)	7,46,644	1,19,491.83

विवरण-II

अप्रैल, 2011 से फरवरी, 2012 तक कृषि क्षेत्र को विद्युत की आपूर्ति

राज्य/क्षेत्र	आपूर्ति के औसत घंटे
1	2
उत्तरी क्षेत्र	
चंडीगढ़	24 घंटे/दिन
दिल्ली	24 घंटे/दिन
हरियाणा	तीन फेज आपूर्ति : 5.55-14.20 घंटे/दिन
हिमाचल प्रदेश*	24 घंटे/दिन
जम्मू और कश्मीर	आंकड़े उपलब्ध नहीं

1	2
पंजाब	तीन फेज आपूर्ति : 4.54-10.71 घंटे/दिन
राजस्थान	तीन फेज आपूर्ति : 4.00-6.45 घंटे/दिन
उत्तर प्रदेश	3.07-13.32 घंटे/दिन
उत्तराखंड	18.52-23.43 घंटे/दिन
पश्चिमी क्षेत्र	
छत्तीसगढ़	तीन फेज आपूर्ति : 18 घंटे/दिन
गुजरात	कृषि को दिन और रात में बारी-बारी से अलग-अलग समय पर केवल 8-10 घंटे की विद्युत आपूर्ति की जा रही है। शेष 14-16 घंटों के दौरान कभी आपूर्ति नहीं की जाती है।
मध्य प्रदेश	तीन फेज आपूर्ति : 10.11-20.47 घंटे/दिन
महाराष्ट्र	तीन फेज आपूर्ति : 8-16 घंटे/दिन एकल फेज आपूर्ति : 16-18 घंटे/दिन
गोवा	कोई पाबंदी नहीं
दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	तीन फेज आपूर्ति : 07 घंटे/दिन
कर्नाटक	तीन फेज/एकल फेज आपूर्ति : 6 घंटे/दिन
केरल	कोई पाबंदी नहीं
तमिलनाडु	तीन फेज आपूर्ति : 9 घंटे/दिन एकल फेज आपूर्ति : 15 घंटे/दिन
पुदुचेरी	कोई पाबंदी नहीं
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	लगभग 18 घंटे
झारखंड	लगभग 20 घंटे
ओडिशा	24 घंटे
पश्चिम बंगाल	लगभग 23 घंटे

विद्युत क्षेत्र में समस्याएं

2 ५५ - ५६

***258. श्री प्रताप सिंह बाजवा :**
श्री के. सुगुमार :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र ईंधन कमी, विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलंब, अनुचित शुल्क (डिस्टोरटिड टैरिफ), धन की कमी आदि समस्याओं का सामना कर रहा है जो इस क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मुद्दों का समाधान करने के लिए उठाए जा रहे अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विद्युत क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही अत्यधिक समस्याओं की ओर ध्यान देने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) और (ख) विद्युत क्षेत्र की मुख्य चिंताओं में से कुछ चिंताएं हैं– ईंधन की अपर्याप्त उपलब्धता, पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति में देरी, राज्य डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति, अनुपयुक्त टैरिफ ढांचा तथा विद्युत प्राप्ति की बढ़ती लागत।

संबंधित राज्य विभागों के साथ पर्यावरण और वन मंत्रालय, अध्ययन के साथ-साथ रिपोर्टों का मूल्यांकन करने तथा वन एवं पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने में समय लेते हैं। डिस्कॉमों द्वारा नियमित रूप से एआरआर फाइल न करना तथा उपयुक्त आयोग

द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत टैरिफ याचिकाओं पर निर्णय न लिए जाने से विद्युत वितरण क्षेत्र पर प्रभाव पड़ रहा है।

(ग) से (ङ) ईंधन उपलब्धता संबंधी मुद्दों का समाधान कोयला मंत्रालय द्वारा अपनी कोयला उत्पादन कंपनियों के साथ-साथ संबद्ध परियोजना विकासकर्ताओं के परामर्श से तथा विद्युत मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। कोयला खनन तथा अन्य विकास परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय एवं विकासपरक मुद्दों पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया है। इन मुद्दों पर विचार-विमर्श करने तथा समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की गई है।

राज्य डिस्कॉम्स को वित्तीय स्थिति से संबंधित चिंताओं का समाधान करने के संबंध में जुलाई, 2011 में विद्युत मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें राज्य डिस्कॉम्स की वित्तीय व्यवहार्यता पर चर्चा की गई थी तथा राज्यों से इन मुद्दों का समाधान करने के लिए हरसंभव प्रयास करने हेतु अनुरोध किया गया था। राज्य विद्युत यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों पर विचार करने के लिए सदस्य (ऊर्जा), योजना आयोग श्री बी.के. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में वितरण यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाने के वास्ते एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है।

टैरिफ मुद्दों के संबंध में, विद्युत अपीलीय अधिकरण (एपटेल) ने दिनांक 8 नवम्बर, 2011 के अपने निर्णय के माध्यम से वार्षिक आधार पर टैरिफ निर्धारण हेतु राज्य विद्युत विनियामक आयोग को निदेश जारी किया है तथा यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि टैरिफ वित्तीय वर्ष शुरू होने के पहले निर्धारित कर लिए जाएं। प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद एआरआर फाइलिंग में देरी होने के मामले में अपनी ओर से कार्रवाई शुरू करने हेतु निर्देश भी जारी किए गए हैं। विनियामकों के फोरम तथा सीईआरसी ने मॉडल टैरिफ दिशा-निर्देश कार्यान्वित करने हेतु समाधान निकाल लिया है जिसने टैरिफ के युक्तिकरण के मुद्दे का समाधान कर दिया है। विनियामकों के फोरम ने मॉडल टैरिफ दिशा निर्देश एसईआरसी को अमल में लाने हेतु परिचालित कर दिया है।

राज्य विद्युत बोर्डों की समस्याओं की जांच करने तथा प्रणाली सुधार उपायों की सिफारिश करने के लिए भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री वी.के. शुंगलू की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा 'वितरण यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति' पर एक उच्चस्तरीय पैनल का गठन किया गया था। पैनल ने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है।

246-47

खनन परियोजनाओं संबंधी पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास नीति

***259. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
श्री एस. अलागिरी :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण जनजातीय सहित विस्थापित व्यक्तियों के लिए क्रियान्वयनाधीन पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या खनन कंपनियों द्वारा अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और इन प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार अनियमितताओं और पता लगे/ध्यान में आए अन्य मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति, 2007 तैयार की गई है जिसका उद्देश्य लागतों के परिणामन तथा व्यापक स्तर पर समाज को प्राप्त होने वाले लाभों और प्रभावित परिवारों पर प्रतिकूल आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभावों के सहभागितापूर्ण तथा पारदर्शी ढंग से मूल्यांकन के पश्चात् प्रत्येक परियोजना की वांछनीयता तथा न्यायसंगता के आकलन के जरिए अस्वैच्छिक विस्थापन की समस्याओं का समाधान करता है। यह नीति शासकीय राजपत्र में अधिसूचित कर दी गई है और दिनांक 31 अक्तूबर, 2007 से प्रभावी है। इसी नीति के आधार पर राज्य सरकारों ने अपनी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीतियों को तैयार कर पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास उपायों को क्रियान्वित किया है।

(ख) से (ग) अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन तथा खनन कंपनियों द्वारा इन प्रावधानों के उल्लंघन की घटनाओं का केन्द्रीय स्तर पर कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है।

(घ) उपरोक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत घर 247-54

*260. श्री संजय निरूपम :
श्री देवजी एम. पटेल :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचायत घरों के निर्माण/उन्नयन सहित पंचायत बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आरजीएसवाई) और अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अब तक निर्मित पंचायत घरों की संख्या सहित गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई और उनके द्वारा कितनी धनराशि का व्यय/उपयोग किए जाने का पता चला है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न योजनाओं विशेषरूप से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मूल्यांकन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं तथा रिपोर्ट पर राज्य सरकारों द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार का राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत धनराशि के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण की आवधिक समीक्षा करने के लिए क्या तंत्र है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) : (क) और (ख) पंचायत घरों के निर्माण/उन्नयन सहित पंचायत बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आरजीएसवाई) के अंतर्गत पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) में नहीं शामिल किए गए जिलों के लिए वित्तीय सहायता पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। स्थानीय अवसंरचना के महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटने एवं अन्य विकास आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बीआरजीएफ के अंतर्गत अभिचिह्नित 250 जिले में राज्यों के माध्यम से पंचायतों को अबद्ध अनुदान के रूप में भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। बीआरजीएफ के अंतर्गत ग्राम पंचायत घरों का निर्माण उचित गतिविधि है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस) की योजना के तहत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (बीएनआरजीएसके) को ग्रामीण ज्ञान संसाधन केन्द्र के तौर पर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन निर्मित करना एक उचित गतिविधि है।

अलग-अलग स्कीमों के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरांत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान आरजीएसवाई के तहत पंचायत घरों के निर्माण हेतु जारी की गई राशि, सूचित उपयोग एवं संस्वीकृत पंचायत घरों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। एमजीएनआरईजीएस की स्कीम के तहत निर्मित किए गए बीएनआरजीएसके का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) आरजीएसवाई स्कीम का मध्यावधि मूल्यांकन वर्ष 2010 में कराया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष एवं सिफारिशों में क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के तौर-तरीके, प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन इत्यादि के आउटरीच पर ध्यान दिया गया है। इस रिपोर्ट पर राज्यों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया गया है।

(ङ) पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति की समीक्षा पंचायती राज की स्थिति रिपोर्ट (एसओपीआर) समेत विभिन्न तरीकों से करता है। आरजीएसवाई निधियों का इष्टतम उपयोग प्रस्तावों एवं समीक्षाओं की संवीक्षा द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

विवरण-I

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (अवसंरचना विकास) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त निधियों एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग में लाई गई निधियां

(दिनांक 25.03.2012 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	अनुमोदन वर्ष	राज्य	अनुमोदित अवसंरचना	इकाइयों की संख्या	निर्मुक्त निधि (करोड़ रु.)	प्रयुक्त राशि (करोड़ रु.)
1.	2008.09	हिमाचल प्रदेश	ग्राम पंचायत संसाधन केंद्र	150	3.82	3.82
2.	2009.10	हिमाचल प्रदेश	ग्राम पंचायत संसाधन केंद्र	150	3.82	3.82
3.		मणिपुर	ग्राम पंचायत घर	82	0.94	0.94
4.		राजस्थान	ग्राम पंचायत घर	180	3.00	3.00
5.		कर्नाटक	ग्राम पंचायत घर	40	1.00	1.00
6.	2010.11	छत्तीसगढ़	ग्राम पंचायत घर	290	6.00	6.00
7.		कर्नाटक	ग्राम पंचायत घर	110	6.50	2.75
8.	2011.12	उत्तर प्रदेश	ग्राम पंचायत घर	162	6.08	शेष नहीं
9.		पंजाब	ग्राम पंचायत घर	267	7.75	शेष नहीं
10.		छत्तीसगढ़	ग्राम पंचायत घर	290	6.00	शेष नहीं
	कुल योग			1721	44.91	21.33

नोट: आरजीएसवाई मांग प्रेरित प्रकृति की है एवं किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हेतु कोई अपफ्रंट हकदारी/आवंटन अधिसूचित नहीं की गई है।

विवरण-II

अब तक एमजीएनआरईजीएस की स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार निर्मित बीएनआरजीएसके

राज्य का नाम	राजीव गांधी सेवा केन्द्र			
	वित्तीय वर्ष 2010-11		वित्तीय वर्ष 2011-12 दिनांक 16.03.2012 तक	
	लिए गए	पूर्ण	लिए गए	पूर्ण
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	735	29	3221	0

1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	66	24	116	9
बिहार	0	0	93	0
छत्तीसगढ़	225	1	557	2
गुजरात	543	0	1448	17
हरियाणा	495	40	695	22
हिमाचल प्रदेश	38	0	31	0
जम्मू और कश्मीर	9	0	1	0
झारखंड	1285	4	1440	5
कर्नाटक	1133	12	1521	20
केरल	1	1	0	0
मध्य प्रदेश	0	0	0	0
महाराष्ट्र	16	0	143	0
मणिपुर	28	28	37	0
मेघालय	243	28	256	5
मिजोरम	146	144	117	9
नागालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	5823	536	5701	1254
पंजाब	137	5	371	9
राजस्थान	5045	406	9146	3575
सिक्किम	1	0	1	1
तमिलनाडु	0	0	0	0
त्रिपुरा	81	64	97	8

1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश	370	5	327	20
उत्तराखंड	72	6	32	1
पश्चिम बंगाल	444	390	179	23
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	1	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0
पुदुचेरी	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0
कुल	16936	1723	25531	4980

नोट: स्कीम की शुरुआत वर्ष 2010-11 में की गई। ग्राम पंचायत घर के लिए इकाई लागत 10 लाख रुपए है।

[हिन्दी]

पंचायतों के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन

2761. **श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :**
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र प्रायोजित योजनाएं जो पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं, में राज्य सरकारों की क्या भूमिका निर्धारित की गई है;

(ख) मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश में किन-किन क्षेत्रों/जिलों में ये योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव) : (क) से (ग) पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधियां (बीआरजीएफ) कार्यान्वित करता है, जो कि एक अतिरिक्त केंद्रीय सहायता है। बीआरजीएफ के अंतर्गत, स्थानीय अवसंरचना में महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटने और अन्य विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से पंचायतों और नगरपालिकाओं को अबद्ध निधियां प्रदान की जाती हैं। बीआरजीएफ का उद्देश्य पंचायतों और नगरपालिका स्तरीय शासन को सुदृढ़ करना है और पंचायतों को सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन एवं सुपुर्दगी में सुधार करना है। बीआरजीएफ के अंतर्गत मध्य प्रदेश को निर्मुक्त निधियों का जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त स्कीमों के विभिन्न लक्ष्यों और उद्देश्यों की

प्राप्ति के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का संचालन करते हैं। प्रत्येक सीएसएस के अपने मार्गनिदेश और मापदंड हैं और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती हैं। इन स्कीमों के बारे में विशेषतौर से समग्र समन्वयन और पर्यवेक्षण संबंधी बहुत सी भूमिकाएं राज्य सरकारें निभाती हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश को बीआरजीएफ के विकास अनुदान घटक के तहत जारी जिला-वार निधियां
(दिनांक 27.3.2012 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	जिले	ए.ई.* 2008-09	निर्मुक्ति 2008-09	ए.ई.* 2009-10	निर्मुक्ति 2009-10	ए.ई.* 2010-11	निर्मुक्ति 2010-11	ए.ई.* 2011-12	निर्मुक्ति 2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बालाघाट	19.62	14.12	19.62	13.24	19.62	19.62	21.56	21.56
2.	बरवानी	16.10	13.44	16.10	11.90	16.10	20.30	17.34	17.34
3.	बैतूल	19.93	13.91	19.93	14.20	19.93	25.66	21.94	21.94
4.	छत्तरपुर	19.18	13.85	19.18	11.76	19.18	19.18	21.04	21.04
5.	दामोह	17.37	12.66	17.37	12.53	17.37	17.37	18.86	18.86
6.	धार	19.42	13.47	19.42	11.37	19.42	27.47	21.33	11.86
7.	डिंडोरी	16.38	11.17	16.38	10.52	16.38	16.38	17.67	17.67
8.	गुना/अशोकनगर	18.06	12.59	18.06	13.82	18.06	18.06	19.69	19.69
9.	झबुआ	17.72	11.72	17.72	9.64	17.72	25.80	19.28	8.87
10.	कांटी	15.81	10.89	15.81	11.79	15.81	19.83	16.99	8.52
11.	खंडवा/बुरहानपुर	18.90	14.79	18.90	12.62	18.90	25.18	20.70	1.14
12.	खारगोन	18.86	13.29	18.86	18.86	18.86	18.86	20.66	20.66
13.	मांडला	15.89	12.36	15.89	12.79	15.89	18.99	17.08	17.08
14.	पन्ना	16.73	12.45	16.73	12.40	16.73	21.06	18.08	18.08
15.	राजगढ़	16.98	12.72	16.98	11.92	16.98	22.04	18.39	18.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	रीवा	18.72	13.14	18.72	13.90	18.72	23.54	20.48	4.68
17.	सतना	19.27	13.42	19.27	14.65	19.27	23.89	21.15	3.70
18.	सिनोई	18.54	12.48	18.54	12.27	18.54	18.54	20.26	20.26
19.	शहडोल/अन्नुपुर	17.33	13.90	17.33	11.81	17.33	22.85	18.81	18.81
20.	शिवपुर	15.77	0.00	15.77	11.37	15.77	20.17	16.93	5.67
21.	शिवपुरी	20.20	15.45	20.20	14.84	20.20	25.56	22.26	13.87
22.	सिद्धि	21.22	17.84	21.22	16.09	21.22	26.35	23.49	23.49
23.	टिकमगढ़	16.11	10.99	16.11	12.84	16.11	19.38	17.35	17.35
24.	उमरिया	14.29	9.79	14.29	12.86	14.29	15.72	15.16	15.16
	कुल योग	428.4	300.44	428.4	309.99	428.4	511.8	466.5	365.69

*ए.ई.: वार्षिक हकदारी।

[अनुवाद]

वस्तु कारोबार कर

2762. श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र मंत्रालय वस्तु कारोबार कर के पक्ष में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) आंध्र प्रदेश सहित इस संबंध में प्रत्येक राज्य और संबंधित उद्योग का क्या विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) वस्त्र मंत्रालय ने इस संबंध में कोई विचार व्यक्त नहीं किया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना

2763. श्री मुरारी लाल सिंह : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले के कुसामी, सामरी, मेटपेट क्षेत्रों में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस क्षेत्र में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या उद्योग की स्थापना से इस क्षेत्र में रोजगार के सृजन में मदद मिलेगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) से प्राप्त सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में बॉक्साइट के कुल 22.43 मिलियन टन भंडारों का आकलन किया गया है जिसमें 12.87 मिलियन टन मैनपत में और 7.42 मिलियन टन जमीरापत में है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 25 वर्षों के आर्थिक प्रचालनों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 1 मिलियन टन की व्यवहार्य क्षमता की एल्युमिना रिफाइनरी के लिए लगभग 75 मिलियन टन बॉक्साइट भंडारों की आवश्यकता होगी। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार सरगुजा जिले में उपलब्ध अधिकतर बॉक्साइट भंडारों को पहले ही पट्टे पर दे दिया गया है। शेष बचे हुए भंडार एल्युमिना रिफाइनरी स्थापित करने के लिए व्यवहार्य नहीं हैं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता। 259-61

निर्यात को बढ़ावा देने हेतु छूट

2764. श्री अंजनकुमार एम. यादव :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कर में छूट देने का कोई प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य की छूट दी गई तथा निर्यात में वृद्धि करने में उक्त छूट की कितनी भूमिका रही; और

(घ) उक्त छूट का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या निगरानी प्रणाली मौजूद है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 के निम्न प्रावधान निर्यातों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं:—

(i) अधिनियम की धारा 10क क जिसमें प्रथम पांच लगातार कर निर्धारण वर्षों के लिए सेवाओं से या वस्तुओं या चीजों के निर्यात से एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित यूनिट द्वारा व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभों से शत-प्रतिशत (कुल आय से) कटौती, अगले पांच कर निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभ और अभिलाभों से पचास प्रतिशत और इसके बाद अगले पांच कर निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारती के कारोबार के प्रयोजन के लिए सृजित और प्रयुक्त "विशेष आर्थिक क्षेत्र पुनर्निवेश आरक्षित खाता" में जमा लाभ के पचास प्रतिशत कटौती का प्रावधान है।

(ii) अधिनियम की धारा-झ क ख जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा (1 अप्रैल, 2005 को या इसके बाद अधिसूचित) विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिसूचित किया गया है उस वर्ष से प्रारंभ होने वाले पंद्रह वर्षों में से किसी दस लगातार कर निर्धारण वर्षों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) के विकास के कारोबार से किसी उपक्रम को प्राप्त लाभ एवं अभिलाभ में शत-प्रतिशत (कुल आय से) कटौती का प्रावधान है।

(iii) धारा 80ठ क में विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित आय की कटौती का प्रावधान है जोकि अनुसूचित बैंक या भारत के बाहर देश की विधि के तहत निगमित कोई बैंक और विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपतटीय बैंकिंग यूनिट हो, या अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र की यूनिट हो, जोकि पहले पांच लगातार निर्धारण वर्षों के लिए शत-प्रतिशत हो और अगले पांच आकलन वर्षों के लिए पचास प्रतिशत हो।

(ग) कर रियायतों/कटौतियों के कारण राजकोष लागत या कर व्यय को राजस्व परित्याग विवरण के रूप में रखा जाता है जो वार्षिक बजट के भाग के रूप में प्राप्ति बजट में रिपोर्ट किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातों के प्रोत्साहन के लिए प्रत्यक्ष कर रियायतें/प्रोत्साहन के कारण परित्याग राजस्व का अनुमान निम्न है:—

वित्तीय वर्ष 2010-11	:	20433 करोड़ रुपए
वित्तीय वर्ष 2009-10	:	18723 करोड़ रुपए
वित्त वर्ष 2008-09	:	24221 करोड़ रुपए

(घ) आयकर अधिनियम में कर निर्धारिती द्वारा दावा किए प्रत्यक्ष

कर प्रोत्साहन/कटौतियों को मॉनीटर करने के उद्देश्यों के लिए विभिन्न नियंत्रण व संतुलन का भी प्रावधान है। इसमें संवीक्षा, सर्वेक्षण, तलाशी और अधिग्रहण, अर्थदंड शास्ति, परिसम्पत्तियों की कुर्की, अभियोजन इत्यादि शामिल हैं।

अप्रत्यक्ष करों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

261-12

बेघर बच्चे

2765. श्री हमदुल्लाह सईद : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश में हजारों बच्चों जिनमें से पांचवां हिस्सा लड़कियों का है, राजधानी और अन्य महत्वपूर्ण महानगरों में अपनी रात गलियों में गुजारते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इनमें से अधिकांश बच्चे समाज के वंचित वर्गों जैसे दलित, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से हैं और वे नशे के आदी हो गए हैं और विभिन्न समाज-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) बेघर बच्चों की संख्या के बारे में वास्तविक आंकड़े महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उनकी संख्या घटते बढ़ते रहती है। तथापि, वर्ष 2010 में मानव विकास और बालक बचाओ संस्थान द्वारा दिल्ली में करायी गई बेघर बच्चों की जनगणना के अनुसार दिल्ली में 50,923 बेघर बच्चे हैं, उनमें से 20% बालिकाएं हैं। देश के किसी अन्य मैट्रो शहर में ऐसी जनगणना नहीं की गई है। बच्चों के गलियों में रहने के अनेक सामाजिक आर्थिक कारण हैं जैसाकि गरीबी, परिवारों का प्रवास, परिवारों का बेघर रहना, स्लम बस्तियों का विनाश आदि।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त अध्याय में बेघर बच्चों के सामाजिक वर्ग के विषलेशण दर्शाता है कि 38.8% बेघर बच्चे अन्य पिछड़ी जातियों, 36% दलित और 16% जनजाति श्रेणी के हैं। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि कुछ बच्चों को नशीले पदार्थों और अन्य व्यसन जैसाकि तम्बाकू और पान मसाला का उपयोग करते पाया गया। तथापि, इस अध्ययन से इन बच्चों का समाज विरोधी क्रियाकलापों में शामिल होने का पता नहीं चलता है।

बेघर बच्चों के पुनर्वास और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने में सहायता करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों/ संघ राज्य प्रशासनों को ऐसे बच्चों के लिए शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में मुक्त आश्रय खोलने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है।

इन मुक्त आश्रय के कार्यक्रमों और क्रियाकलापों में अन्य बातों के अलावा आयु के अनुकूल शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण सुलभता, मनोरंजन, सेतु शिक्षा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के कार्यक्रम से जोड़ना, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श, नशीली दवाओं और पदार्थों का दुरुपयोग जैसे के निवारण के लिए विशेषीकृत सेवा हेतु रेफरल सेवा शामिल है।

262-13

बेनामी सम्पत्ति

2766. डॉ. निलेश नारायण राणे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में बेनामी संपत्तियों के मामलों से संबंधित आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विस्तृत सूची क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई डाटा अनुरक्षित नहीं किया जाता क्योंकि बेनामी सौदा (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत सक्षम नियमावली को कानूनी कमजोरियों के कारण अधिसूचित नहीं किया जा सका।

अब, वर्ष 2011 के विधेयक संख्या 56 के तहत "बेनामी सौदे (निषेध) विधेयक, 2011" शीर्षक से दिनांक 18.8.2011 को संसद (लोक सभा) में एक विस्तृत विधान लागू किया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जनसंख्या वृद्धि 263-74

2767. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में देश की जनसंख्या में हुई वृद्धि का राज्य-वार/संघराज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) 2001 तथा 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जनसंख्या स्थिरीकरण सरकार का मुख्य प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है। भारत ने वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का बृहत्तर लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्ष 2012 तक जनन दर का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने का अपना लक्ष्य नियत किया है।

भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रकृति स्वैच्छिक है, जिसमें किसी दंपत्ति को किसी बाध्यता या लक्ष्यों के बगैर उसकी पसंद के अनुसार उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त परिवार नियोजन विधियां अपनाने में समर्थ बनाया जाता है।

जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए मुख्य कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- बंध्यीकरण सेवाओं के ग्राहियों तथा प्रदायकों के लिए मुआवजा पैकेज में वृद्धि।
- बंध्यीकरण के कारण होने वाली किसी दुर्घटना को कवर करने के लिए राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना की शुरुआत।
- जन्म अंतराल की विधि के रूप में दीर्घकालिक आईयूडी 380-ए को बढ़ावा देना।
- संस्थागत प्रसवों में वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसवोत्तर परिवार नियोजन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।
- नो स्केलपल वैसेक्टॉमी (एनएसवी) विधियों के जरिए पुरुष भागीदारी को बढ़ावा देना।
- मिनिलैप बंध्यीकरण विधि के संबंध में डॉक्टरों का प्रशिक्षण।
- बंध्यीकरण सेवाओं की व्यवस्था में बढ़ोतरी करने के लिए निजी प्रदायकों को सूची में शामिल करना।

विवरण

2001 तथा 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जनसंख्या आंकड़े

भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला	कुल/ग्रामीण/शहरी	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2011
1	2	3	4
भारत	कुल	1,02,87,37,436	1,21,01,93,422
भारत	ग्रामीण	74,26,17,747	83,30,87,662
भारत	शहरी	28,61,19,689	37,71,05,760

1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	कुल	1,01,43,700	1,25,48,926
जम्मू और कश्मीर	ग्रामीण	76,27,062	91,34,820
जम्मू और कश्मीर	शहरी	25,16,638	34,14,106
हिमाचल प्रदेश	कुल	60,77,900	68,56,509
हिमाचल प्रदेश	ग्रामीण	54,82,319	61,67,805
हिमाचल प्रदेश	शहरी	5,95,581	6,88,704
पंजाब	कुल	2,43,58,999	2,77,04,236
पंजाब	ग्रामीण	1,60,96,488	1,73,16,800
पंजाब	शहरी	82,62,511	1,03,87,436
चंडीगढ़	कुल	9,00,635	10,54,686
चंडीगढ़	ग्रामीण	92,120	29,004
चंडीगढ़	शहरी	8,08,515	10,25,682
उत्तराखंड	कुल	84,89,349	1,01,16,752
उत्तराखंड	ग्रामीण	63,10,275	70,25,583
उत्तराखंड	शहरी	21,79,074	30,91,169
हरियाणा	कुल	2,11,44,564	2,53,53,081
हरियाणा	ग्रामीण	1,50,29,260	1,65,31,493
हरियाणा	शहरी	61,15,304	88,21,588
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	कुल	1,38,50,507	1,67,53,235
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	ग्रामीण	9,44,727	4,19,319
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	शहरी	1,29,05,780	1,63,33,916
राजस्थान	कुल	5,65,07,188	6,86,21,012
राजस्थान	ग्रामीण	4,32,92,813	5,15,40,236

1	2	3	4
राजस्थान	शहरी	1,32,14,375	1,70,80,776
उत्तर प्रदेश	कुल	16,61,97,921	19,95,81,477
उत्तर प्रदेश	ग्रामीण	13,16,58,339	15,51,11,022
उत्तर प्रदेश	शहरी	3,45,39,582	4,44,70,455
बिहार	कुल	8,29,98,509	10,38,04,637
बिहार	ग्रामीण	7,43,16,709	9,20,75,028
बिहार	शहरी	86,81,800	1,17,29,609
सिक्किम	कुल	5,40,851	6,07,688
सिक्किम	ग्रामीण	4,80,981	4,55,962
सिक्किम	शहरी	59,870	1,51,726
अरुणाचल प्रदेश	कुल	10,97,968	13,82,611
अरुणाचल प्रदेश	ग्रामीण	8,70,087	10,69,165
अरुणाचल प्रदेश	शहरी	2,27,881	3,13,446
नागालैंड	कुल	19,90,036	19,80,602
नागालैंड	ग्रामीण	16,47,249	14,06,861
नागालैंड	शहरी	3,42,787	5,73,741
मणिपुर	कुल	22,93,896	27,21,756
मणिपुर	ग्रामीण	17,17,928	18,99,624
मणिपुर	शहरी	5,75,968	8,22,132
मिजोरम	कुल	8,88,573	10,91,014
मिजोरम	ग्रामीण	4,47,567	5,29,037
मिजोरम	शहरी	4,41,006	5,61,977
त्रिपुरा	कुल	31,99,203	36,71,032

1	2	3	4
त्रिपुरा	ग्रामीण	26,53,453	27,10,051
त्रिपुरा	शहरी	5,45,750	9,60,981
मेघालय	कुल	23,18,822	29,64,007
मेघालय	ग्रामीण	18,64,711	23,68,971
मेघालय	शहरी	4,54,111	5,95,036
असम	कुल	2,66,55,528	3,11,69,272
असम	ग्रामीण	2,32,16,288	2,67,80,516
असम	शहरी	34,39,240	43,88,756
पश्चिम बंगाल	कुल	8,01,76,197	9,13,47,736
पश्चिम बंगाल	ग्रामीण	5,77,48,946	6,22,13,676
पश्चिम बंगाल	शहरी	2,24,27,251	2,91,34,060
झारखंड	कुल	2,69,45,829	3,29,66,238
झारखंड	ग्रामीण	2,09,52,088	2,50,36,946
झारखंड	शहरी	59,93,741	79,29,292
ओडिशा	कुल	3,68,04,660	4,19,47,358
ओडिशा	ग्रामीण	3,12,87,422	3,49,51,234
ओडिशा	शहरी	55,17,238	69,96,124
छत्तीसगढ़	कुल	2,08,33,803	2,55,40,196
छत्तीसगढ़	ग्रामीण	1,66,48,056	1,96,03,658
छत्तीसगढ़	शहरी	41,85,747	59,36,538
मध्य प्रदेश	कुल	6,03,48,023	7,25,97,565
मध्य प्रदेश	ग्रामीण	4,43,80378	5,25,37,899
मध्य प्रदेश	शहरी	1,59,67,145	2,00,59,666

1	2	3	4
गुजरात	कुल	5,06,71,017	6,03,83,628
गुजरात	ग्रामीण	3,17,40,767	3,46,70,817
गुजरात	शहरी	1,89,30,250	2,57,12,811
दमन और दीव	कुल	1,58,204	2,42,911
दमन और दीव	ग्रामीण	1,00,856	60,331
दमन और दीव	शहरी	57,348	1,82,580
दादरा और नगर हवेली	कुल	2,20,490	3,42,853
दादरा और नगर हवेली	ग्रामीण	1,70,027	1,83,024
दादरा और नगर हवेली	शहरी	50,463	1,59,829
महाराष्ट्र	कुल	9,68,78,627	11,23,72,972
महाराष्ट्र	ग्रामीण	5,57,77,647	6,15,45,441
महाराष्ट्र	शहरी	4,11,00,980	5,08,27,531
आंध्र प्रदेश	कुल	7,62,10,007	8,46,65,533
आंध्र प्रदेश	ग्रामीण	5,54,01,067	5,63,11,788
आंध्र प्रदेश	शहरी	2,08,08,940	2,83,53,745
कर्नाटक	कुल	5,28,50,562	6,11,30,704
कर्नाटक	ग्रामीण	3,48,89,033	3,75,52,529
कर्नाटक	शहरी	1,79,61,529	2,35,78,175
गोवा	कुल	13,47,668	14,57,723
गोवा	ग्रामीण	6,77,091	5,51,414
गोवा	शहरी	6,70,577	9,06,309
लक्षद्वीप	कुल	60,650	64,429
लक्षद्वीप	ग्रामीण	33,683	14,121

1	2	3	4
लक्षद्वीप	शहरी	26,967	50,308
केरल	कुल	3,18,41,374	3,33,87,677
केरल	ग्रामीण	2,35,74,449	1,74,55,506
केरल	शहरी	82,66,925	1,59,32,171
तमिलनाडु	कुल	6,24,05,679	7,21,38,958
तमिलनाडु	ग्रामीण	3,49,21,681	3,71,89,229
तमिलनाडु	शहरी	2,74,83,998	3,49,49,729
पुदुचेरी	कुल	9,74,345	12,44,464
पुदुचेरी	ग्रामीण	3,25,726	3,94,341
पुदुचेरी	शहरी	6,48,619	8,50,123
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	कुल	3,56,152	3,79,944
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	ग्रामीण	2,39,954	2,44,411
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शहरी	1,16,198	1,35,533

1. भारत और मणिपुर के लिए आंकड़ों में 2001 तथा 2011 की जनगणना में मणिपुर के सेनापति जिले में पौमाटा, माव मारम तथा पारूल सब-डिविजन शामिल हैं।

2. 2011 की जनगणना के परिणाम अनंतिम हैं।

सोलर वाटर पम्प

2768. श्रीमती मेनका गांधी :
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान पूरे देश के गांवों में कोई सोलर वाटर पम्प लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए आवंटित की जा रही धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे गांवों की संख्या का ब्यौरा क्या है जहां सरकार का विचार आगामी पांच वर्षों में सोलर वाटर पंप लगाने का है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) इस वर्ष 376 सौर पंपों की संस्थापना अरुणाचल प्रदेश (3), छत्तीसगढ़ (60), महाराष्ट्र (11), राजस्थान (300) और उत्तर प्रदेश (2) राज्यों में पहले ही की जा चुकी है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ में 60 सौर पंप सेटों, हरियाणा में 75 पंप सेटों, महाराष्ट्र में 11 सौर पंप सेटों, पंजाब में 600 पंप सेटों, राजस्थान में 1600 पंप सेटों

और उत्तर प्रदेश में 45 सौर पंप सेटों की संस्थापना करने के लिए 19.42 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

(घ) मंत्रालय द्वारा राज्य नोडल एजेंसियों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें परियोजनाएं मंजूर की जाती हैं।

सशस्त्र सेना विद्यालयों द्वारा अधिकारों का उल्लंघन

2769. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग को सशस्त्र सेना विद्यालयों द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उल्लंघन संबंधी अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो अधिनियम के प्रवर्तन में आने के बाद की अवधि के दौरान एनसीपीसीआर को प्राप्त हुई ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा एनसीपीसीआर की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) दिनांक 1.04.2010 अर्थात् शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से आज तक राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग को सशस्त्र बल स्कूलों द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उल्लंघन संबंधी चार शिकायतें हुई हैं।

(ख) और (ग) शिकायतों और राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों पर की गई/की ज़ा रही कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सशस्त्र बल/सैनिक स्कूलों से 01 अप्रैल, 2010 से 23 मार्च, 2012 तक प्राप्त शिकायतें

क्र. सं.	शिकायत/विषय	ब्यौरा	शिकायत की तारीख	राज्य में घटना	कीगई/की जा रही रही कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
1.	सैनिक स्कूल बालाचांदी में बढ़ते यौन प्रहार और रैगिंग के संबंध में	यह शिकायत जामनगर, गुजरात के सैनिक स्कूल बालाचांदी में बढ़ते यौन प्रहार और रैगिंग के संबंध में थी। प्रतिदिन रैगिंग के मामले की सूचना मिलने के बावजूद स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।	26.04.2011	गुजरात	संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई। शिकायत निराधार पाई गई।
2.	झुमरी तिलैया के सैनिक स्कूल में वरिष्ठ छात्रों द्वारा बार-बार रैगिंग किए जाने के बाद एक लड़के ने आत्महत्या करने का प्रयास किया	कोडरमा, झारखंड के झुमरी तिलैया स्थित सैनिक स्कूल में रैगिंग के बारे में जेएचआरएम से प्राप्त शिकायत पर आयोग ने संज्ञान लिया है। सैनिक स्कूल के आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र का वरिष्ठ छात्रों द्वारा बार-बार रैगिंग किया गया। लड़के ने आत्महत्या करने की कोशिश की और आत्महत्या करने के लिए अपनी कलाई काट लेने के बाद वह अपने	08.11.2011	झारखंड	जांच रिपोर्ट के अनुसार शिकायत वास्तविक नहीं थी।

1	2	3	4	5	6
		गृह नगर देवघर के सदर अस्पताल में है। वरिष्ठ छात्र उसे अपने कपड़े धोने और इस्त्री करने के लिए बाध्य करते थे। जब-जब उसने मना किया, उन्होंने उसे पीटा।			
3.	झारखंड के झुमरी तिलैया, कोडरमा के सैनिक स्कूल हॉस्टल में रैगिंग	कोडरमा, झारखंड के झुमरी तिलैया स्थित सैनिक स्कूल में रैगिंग के बारे में जेएचआरएम से प्राप्त शिकायत पर आयोग ने संज्ञान लिया है। अपने दाखिले के समय से ही सैनिक स्कूल के आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र का वरिष्ठ छात्रों द्वारा रैगिंग किया गया। वह लड़का अब आर्मी स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखना नहीं चाहता है।	04.11.2011	झारखंड	जांच रिपोर्ट के अनुसार शिकायत वास्तविक नहीं थी और यह मामला भी अधिनिर्णायन अधीन है।
4.	गुजरात के बालाचांदी स्थित सैनिक स्कूल में वरिष्ठ कैडिटों द्वारा बढ़ते रैगिंग और दुर्व्यवहार	यह आरोप लगाया गया है कि जाम नगर गुजरात स्थित सैनिक स्कूल बालाचांदी में वरिष्ठ कैडिट निर्भय होकर रैगिंग, समलैंगिक क्रियाकलापों में संलिप्त हैं। कभी-कभी कनिष्ठ कैडिट गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं और दोषी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है।	21.03.2012	गुजरात	अवैतनिक सचिव, सैनिक स्कूल प्राधिकरण, नई दिल्ली को पत्र भेजा गया है। उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय 277-79

2770. **श्री चंद्रकांत खैरे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत कितनी है और उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितना समय लगने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत के संविधान अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम को प्रशासित करता है। इस कार्यक्रम के तहत 9 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) राज्यों सहित 26 राज्यों को राज्यवार आवंटन देश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या के संदर्भ में राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। अनुदान के एक भाग का उपयोग एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) को स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। ईएमआरएस को स्थापित करने सहित विकास योजनाओं के लिए प्राथमिकता निर्धारित है तथा मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप स्थानीय क्षेत्र और यहां के लोगों की महसूस की गई आवश्यकता के आधार पर आवंटन के अंदर राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। ईएमआरएस की संख्या, जिसके लिए मंत्रालय ने एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों में अनुदान प्रदान किया है संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रति विद्यालय छात्रावासों तथा स्टाफ क्वार्टरों सहित विद्यालय परिसर के लिए पूंजीगत लागत पहाड़ी क्षेत्रों, मरुस्थलों तथा द्वीपसमूहों में 16.00 करोड़ रु. के प्रावधान के साथ 12.00 करोड़ रु. है। राज्य सरकारों से यह आशा की जाती है कि उनके द्वारा अनुदान की प्राप्ति के 2 से 3 वर्षों के अंदर ईएमआरएस स्थापित कर लिए जाएं।

विवरण

वामपंथ उग्रवाद प्रभावित राज्यों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	ईएमआरएस की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	बिहार	0
3.	छत्तीसगढ़	12
4.	झारखंड	7
5.	मध्य प्रदेश	20
6.	महाराष्ट्र	4
7.	ओडिशा	16
8.	उत्तर प्रदेश	3
9.	पश्चिम बंगाल	7
	कुल	79

पर्यटन पार्क 279-80

2771. श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में मेगा पर्यटन पार्कों की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी स्थापना हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया गया है तथा इन पर्यटन पार्कों में क्या सुविधाएं उपलब्ध होने की संभावना है; और

(ग) उपर्युक्त पर्यटन पार्कों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) से (ग) पर्यटकों को लंबे समय तक ठहराने के लिए नए पर्यटन गंतव्यों की पहचान करना और मेगा पर्यटन पार्कों की स्थापना करने के साथ-साथ उनके विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल को अपनाने सहित पर्यटन के विकास एवं संवर्धन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों की है।

इन गतिविधियों के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दी जाने वाली सहायता में, योजना दिशा-निर्देशों, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की शर्त के अनुसार, उसकी प्लान योजनाओं के अंतर्गत परामर्शदाताओं की सेवाएं और वित्तीय सहायता शामिल हो सकती हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाओं का निर्धारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ की जाने वाली प्राथमिकीकरण बैठक में किया जाता है।

पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श से पर्यटन पार्कों की अवस्थिति के साथ-साथ शामिल की जाने वाली सुविधाओं सहित पर्यटन पार्कों की स्थापना और पर्यटक गंतव्यों/परिपथों के एकीकृत विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु राष्ट्रीय स्तर के एक परामर्शदाता को नियुक्त किया है।

वंचितों के लिए सेवा संबंधी अंतर को समाप्त करना

2772. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय नवोन्मेषी परिषद् के समावेशी कोष में वंचितों के लिए सेवा संबंधी अंतर को समाप्त करने हेतु विशिष्ट/नए विचार को समर्थन देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है;

(ग) इसकी स्थापना के बाद से इस धनराशि का उपयोग किस तरह तथा किस उद्देश्य के लिए किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नवोन्मेष परिषद् 'समावेशी नवोन्मेष' के वित्तपोषण के साधन के रूप में भारतीय समावेशी नवोन्मेष कोष की स्थापना कर रही है। यह आईआईआईएफ नवोन्मेषों को आश्रय देने के लिए एक वृहत पूंजी कोष होगा जो भारत के प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में जहां भारतीय नागरिकों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, जल, साफ-सफाई आदि जैसी बुनियादी सेवाएं नहीं पहुंचाई जा सकतीं निर्बलतम 500 मिलियन नागरिकों की विकासात्मक आवश्यकताओं पर केंद्रित होगा, यह आईआईआईएफ सामाजिक और वाणिज्यिक दोनों प्रकार के प्रतिफल सृजित करेगा।

(ग) और (घ) इस आईआईआईएफ में शुरुआती निवेश भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और शेष पूंजी अन्य स्रोतों (जैसे सरकारी

और निजी क्षेत्रों के संगठनों, विकास एजेन्सियों आदि) से प्राप्त की जाएगी। किसी भी स्थिति में आईआईआईएफ के कुल संग्रह में सरकार 20 प्रतिशत से अधिक राशि का निवेश नहीं करेगी। आईआईआईएफ का आरंभिक लक्ष्य 500 करोड़ रुपये है। आईआईआईएफ की अतिरिक्त धन आवश्यकता का अनुमान इस बात पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार सरकारी और निजी क्षेत्रों की संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करने में समर्थ रहता है।

[हिन्दी]

281-82

उज्जवल योजना

2773. श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री महेश्वर हजारी :
श्री अंजनकुमार एम. यादव :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उज्जवल योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इससे राज्य-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में और प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है तथा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने इसमें निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों की तुलना में इस योजना की समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उज्जवला स्कीम 4 दिसम्बर, 2007 को चलाई गई। इस स्कीम के अंतर्गत सभी राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों से योग्य कार्यान्वयन एजेंसियां आवेदन कर सकती हैं। स्कीम मुख्य रूप से गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही है। 16.03.2012 तक 19 राज्यों में 187 प्रोजेक्ट संस्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 94 प्रस्ताव लगभग 4700 लाभार्थियों को आश्रय प्रदान करने की क्षमता के साथ पुनर्वास के लिए थे।

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संस्वीकृत राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) स्कीम के अधीन परियोजना के प्रस्तावों को राज्य सरकारों/संघ शासित राज्यों के प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अनुदान प्रति वर्ष दो किस्तों में जारी किया जाएगा और किसी एजेंसी को नियमित रूप से अनुदान दिया जाना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा संतोषजनक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट किए जाने पर आधारित होगा। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन से इस स्कीम का मूल्यांकन करने का अनुरोध किया है।

विवरण

उज्जवला स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत/निर्मुक्त राशि का विवरण (16.03.12)

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	आंध्र प्रदेश	41.29	27.89	94.16	0.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	6.32
3.	असम	28.39	77.65	111.26	113.46
4.	बिहार	—	—	—	6.32
5.	झारखंड	—	—	0.75	—
6.	कर्नाटक	148.25	250.47	224.27	251.91
7.	केरल	6.62	—	—	12.74
8.	मध्य प्रदेश	—	—	1.50	6.32
9.	मिजोरम	—	—	10.35	—
10.	मणिपुर	29.37	18.70	27.22	27.37
11.	महाराष्ट्र	86.42	30.93	150.46	85.86
12.	नागालैंड	2.55	—	—	—
13.	ओडिशा	57.44	59.71	118.65	73.77
14.	पंजाब	—	—	10.35	—
15.	राजस्थान	—	—	3.00	9.32
16.	तमिलनाडु	17.89	9.97	34.82	53.39
17.	उत्तर प्रदेश	19.28	15.99	44.84	30.61
18.	उत्तराखंड	—	—	10.51	8.36
19.	पश्चिम बंगाल	—	6.08	26.31	—
	कुल	437.50	497.39	868.75	686.50

[अनुवाद] 283-84

पर्यटन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2774. श्री सुरेश अंगड़ी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल है; और

(ग) पर्यटन परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है तथा इससे कितना रोजगार सृजन होने का अनुमान है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद): (क) और (ख) जी, हां। होटल एवं पर्यटन क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है और लागू कानूनों/विनियमों, सुरक्षा तथा अन्य परिस्थितियों की शर्त पर, 'होटल एवं पर्यटन क्षेत्र' में ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति प्रदान की गई है।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, होटल एवं आतिथ्य क्षेत्र में अप्रैल, 2008 से जनवरी, 2012 तक होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इक्विटी फ्लो निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष (अप्रैल-मार्च)	होटल एवं पर्यटन परियोजनाएं	एफडीआई (करोड़ रुपए)
1.	2008-09	489	2,098.23
2.	2009-10	582	3,566.32
3.	2010-11	403	1,405.15
4.	2011-12 (अप्रैल-जनवरी)	427	4,041.28
	कुल योग	1901	11,110.98

(ग) भारत में होटल क्षेत्र में निवेशों को प्रोत्साहन प्रदान करने और आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान की गई है।

नु.३। 281-

नोट और सिक्के

2775. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नकली करेंसी की समस्या से निपटने के लिए सभी मूल्यवर्ग के नोटों और सिक्कों के लिए सुरक्षा संबंधी नई विशेषताएं शुरू करने/तैयार करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम रहे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) सरकार ने नकली करेंसी के खतरे को रोकने के लिए सभी मूल्यवर्गों के भारतीय बैंक नोटों में सुरक्षा संबंधी उन्नत विशेषताएं शुरू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

(ग) सुरक्षा संबंधी विशेषताओं का अधिग्रहण बनर्जी समिति द्वारा अभिशंसित तथा सरकार द्वारा स्वीकृत आठ स्तरीय अधिग्रहण प्रक्रिया का अनुकरण करके किया जाता है ताकि पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके।

284-88

सीजीएचएस औषधालयों को खोला जाना

2776. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
श्री एन. पीताम्बर कुरूप :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान समय में महाराष्ट्र और केरल सहित राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार कार्यरत केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) अस्पतालों और औषधालयों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को केरल में कालीकट सहित आयुर्वेदिक औषधालयों को खोले जाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से कतिपय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में मौजूदा पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केरल के उत्तरी भाग में और अधिक सीजीएचएस मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों को शामिल किये जाने का प्रस्ताव है ताकि निवासियों की समस्या को कम किया जा सके; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के 4 अस्पताल और 333 सीजीएचएस कल्याण केन्द्र हैं। उनका शहर/राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) फिलहाल नए औषधालयों को स्वीकृति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) सीजीएचएस उस स्थान/शहर में किसी अस्पताल को सूचीबद्ध करता है जहां यह प्रचालनात्मक होता है। केरल में केवल तिरुवनन्तपुरम में ही सीजीएचएस प्रचालन में है। गैर-सीजीएचएस स्थानों/शहरों में अस्पतालों को पैनलबद्ध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के अनुसार सीजीएचएस अस्पताल/कल्याण केन्द्र

क्र. सं.	शहर	राज्य	सीजीएचएस अस्पताल	सीजीएचएस कल्याण केन्द्र						
				एलोपैथिक	आयुर्वेदिक	होम्योपैथी	यूनानी	सिद्ध	योग	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अहमदाबाद	गुजरात		5	1	1	0	0	0	7
2.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश		7	1	1	0	0	0	9
3.	बंगलौर	कर्नाटक		10	2	1	1	0	0	14
4.	भोपाल	मध्य प्रदेश		1	0	0	0	0	0	1
5.	भुवनेश्वर	ओडिशा		2	1	0	0	0	0	3
6.	चंडीगढ़			1	0	0	0	0	0	1
7.	चेन्नई	तमिलनाडु		14	1	1	0	2	0	18
8.	देहरादून	उत्तराखंड		1	0	0	0	0	0	1
9.	दिल्ली		4	88	13	13	5	1	4	124
10.	गुवाहाटी	असम		3	0	1	0	0	0	4
11.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश		13	2	2	2	0	0	19
12.	जबलपुर	मध्य प्रदेश		3	0	0	0	0	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	जयपुर	राजस्थान		5	1	1	0	0	0	7
14.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर		1	0	0	0	0	0	1
15.	कानपुर	उत्तर प्रदेश		9	1	2	0	0	0	12
16.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल		18	1	2	1	0	0	22
17.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश		6	1	1	1	0	0	9
18.	मेरठ	उत्तर प्रदेश		6	1	1	0	0	0	8
19.	मुम्बई	महाराष्ट्र		26	2	3	0	0	0	31
20.	नागपुर	महाराष्ट्र		11	2	1	0	0	0	14
21.	पटना	बिहार		5	1	1	0	0	0	7
22.	पुणे	महाराष्ट्र		7	1	2	0	0	0	10
23.	रांची	झारखंड		2	0	0	0	0	0	2
24.	शिलांग	मेघालय		1	0	0	0	0	0	1
25.	तिरुवनन्तपुरम	केरल		3	1	1	0	0	0	3
	कुल		4	248	33	35	10	3	4	333

[हिन्दी]

बीमा पालिसियां

2777. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/आईआरडीए ने इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न बीमा कंपनियों द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमा पालिसियों की बिक्री की जा रही है जो ग्राहकों की समझ से परे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईआरडीए के अनुदेशों का बीमा एजेंटों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है जिसके अनुसार ग्राहक को यह बताना अनिवार्य है कि उसे प्रतिवर्ष 6 से 10 प्रतिशत अनुमानित दर पर प्रतिलाभ मिलेगा; और

(घ) सरकार/आईआरडीए द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि सभी बीमा उत्पादों को बीमा कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या मध्यवर्तियों के द्वारा बेचे जाने का प्रस्ताव किए जाने से पहले प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है। आईआरडीए ने यह भी सूचित किया है कि यह उत्पाद अनुमोदन करते समय विक्रय प्रचार सामग्री को भी अनुमोदित करता है। बीमा पालिसी के खरीददार द्वारा सुविज्ञ निर्णयन को सक्षम बनाने के लिए इस सामग्री को तथ्यपरक, उचित और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जाता है। र्आआरडीए ने यह दिशानिर्देश भी जारी किए हैं जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि 'सभी बीमा विज्ञापन उत्पाद की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, समझने योग्य हों।' इसके अतिरिक्त आईआरडीए, अपने 'बीमा बेमिसाल' मल्टीमीडिया अभियान के माध्यम से बीमा के औचित्य तथा महत्व, पालिसीधारकों के अधिकारों और कर्त्तव्यों के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता फैला रहा है।

(ग) आईआरडीए द्वारा उत्पादन अनुमोदन चरण में अनुमोदित विक्रय प्रचार सामग्री में 6% और 10% की दर पर लाभ का वर्णन

किया जाता है। विक्रय सामग्री बीमा कंपनियों द्वारा जारी की जाती है और अभिकर्त्ताओं को बीमा उत्पादन के प्रचार के लिए सिर्फ अनुमोदित विक्रय सामग्री का उपयोग किया जाना अपेक्षित है।

(घ) जब गैर-अनुमोदित विक्रय सामग्री अथवा ऐसी सामग्री के उपयोग की शिकायत प्राप्त होती है जो विज्ञापन विनियमावली के अनुरूप नहीं होती है, तो ऐसे दोषियों पर कार्रवाई शुरू करने के अलावा इस तरह के विज्ञापनों को वापस लिए जाने का निदेश दिया जाता है।

[अनुवाद] 289-90

विश्व विकास रिपोर्ट 2012

2778. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व विकास रिपोर्ट 2012 ने इस बात की ओर संकेत किया है कि देश में आर्थिक अवसरों के संबंध में पुरुषों तथा महिलाओं के बीच अत्यधिक अंतर व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत दक्षिण एशिया में लिंग समानता विकासशील देशों में न्यूनतम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त रिपोर्ट में लिंग भेद को दूर करने के कुछ उपाय सुझाये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कमला तीरथ) : (क) से (ग) विश्व विकास रिपोर्ट-2012 के अनुसार दक्षिण एशिया में श्रम शक्ति में भागीदारी दर, अवैतनिक घरेलू नौकरानियों, मजूदरी पारिवारिक निर्णय लेने जैसे कि आमदनी का कैसे उपयोग किया जाए, बड़ी खरीदों में नियंत्रण, राजनीतिक दलों से जुड़ने, स्कूलों में नामांकन, मातृत्व मृत्यु दर, संस्थागत ऋणों तक पहुंच आदि के संबंध में महिलाओं के प्रति भेदभाव किया जाता है।

रिपोर्ट के अनुसरण में बनाए गए क्षेत्री समूह में दक्षिण एशिया को सबसे नीचे नहीं रखा गया है।

(घ) और (ङ) रिपोर्ट में उपेक्षित वर्गों में शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि करने, स्वच्छ जल, स्वच्छता, अपशिष्टों को हटाने तथा रोगवाहकों पर नियंत्रण में वृद्धि करके सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने, विशेषज्ञता प्राप्त मातृत्व सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि करने, एचआईवी/एड्स के निवारण एवं उचार हेतु सहायता को सुद्रण करने, बाल देख-भाल और प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास तक पहुंच में वृद्धि करने, ग्रामीण महिलाओं में निवेश करने, न्याय प्रणाली तक महिलाओं की पहुंच में वृद्धि करने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के संबंध में मानकों में बदलाव करने, किशोरियों एवं किशोरों में निवेश करने, नई सूचना विकसित करने तथा ज्ञान की भागीदारी एवं अधिगम को सुकर बनाने जैसे महिलाओं को और अधिक समानता के उपाय सुझाए गए हैं।

भारत सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें महिलाओं की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में समानता प्राप्त करने के लिए नीतिगत प्रसाय एवं स्कीम संबंधी उपाय शामिल है। महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण हेतु महिलाओं हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता, बच्चों हेतु दिवस देख-भाल केन्द्रों सहित कामकाजी महिला हॉस्टलों, स्वाधार, स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सर्व शिक्षा अभियान और साक्षर भारत जेसे कई कार्यक्रम हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2010 में पोषण, जीवन कौशलों, घरेलू कौशलों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से 11-18 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों को सशक्त बनाने तथा उनके सामाजिक स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से देश के 200 जिलों में राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम शुरू की है। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की स्कीमों एवं कार्यक्रमों के बीच संकेंद्रण सुनिश्चित करके महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन स्थापित किया है।

290-322

आंगनवाड़ी केन्द्रों में नामांकन

2779. श्री नवीन जिन्दल : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार देश में आंगनवाड़ी केन्द्रों में कितने बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा स्तनपान कराने वाली माताएं नामांकन के लिए पात्र हैं तथा कितनों का वास्तव में नामांकन हुआ है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त उल्लिखित श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी को उपलब्ध कराई गई सेवाओं की वर्ष-वार, राज्य-वार और श्रेणी-वार/सेवा-वार संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ग) आंगनवाड़ी केन्द्रों के कर्मचारिवृंद के निष्पादन की समीक्षा के लिये क्या तंत्र उपलब्ध हैं;

(घ) पिछली इस प्रकार की समीक्षा के परिणामों का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) आंगनवाड़ी केन्द्रों के कर्मचारीवृंद को प्रदान किये गये प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(च) आंगनवाड़ी केन्द्रों के मौजूदा स्टाफ में से कुल कितने स्टाफ को प्रशिक्षण-वार, स्टाफ श्रेणी-वार तथा राज्य-वार प्रशिक्षण प्रदान किया गया है तथा ये प्रतिशत में कितना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कमला तीरथ) : (क) और (ख) आंगनवाड़ी सर्वे रजिस्टर के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं की कुल जनसंख्या तथा 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं जिन्होंने पूरक आहार प्राप्त किया है एवं 3-6 वर्ष के बच्चों, जिन्होंने वर्ष 2008-09 से 2011-12 में (31.12.2011 तक की स्थिति के अनुसार) स्कूल-पूर्व शिक्षा प्राप्त की है, उनका ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष अंत	आंगनवाड़ी सर्वे रजिस्टर के अनुसार कुल जनसंख्या (0-6 वर्ष के बच्चे)	आंगनवाड़ी सर्वे रजिस्टर के अनुसार कुल जनसंख्या (गर्भवती और धात्री माताएं)	पूरक पोषण प्राप्त बच्चों की कुल संख्या (6 माह से 6 वर्ष)	पूरक पोषण प्राप्त गर्भवती और धात्री माताओं की कुल संख्या	स्कूल-पूर्व शिक्षा प्राप्त 3-6 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या
31.12.11	126883459	30555428	78630896	18110764	35805628
31.03.11	120473861	23155234	78171051	17776403	36622551
31.03.10	119737232	22491412	72789778	15645174	35493587
31.03.09	118137681	22137476	72196568	15147245	34060224

*विशिष्ट रूप से केवल स्तनपान की अवधि होने के कारण 6 माह से कम उम्र के बच्चों को पूरक पोषण नहीं दिया जाता है। तथापि, धात्री माताओं को अधिक पूरक पोषण दिया जाता है।

राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) आंगनवाड़ी केंद्र के कर्मचारियों अर्थात् आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा स्थानीय स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्र स्तरीय मॉनीटरन और पर्यवेक्षण समिति तथा सैक्टर पर्यवेक्षकों द्वारा मासिक आधार पर की जाती है। ऐसी समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और आईसीडीएस के समग्र मॉनीटरन और समीक्षा का या अंतरंग भाग है।

(ङ) आंगनवाड़ी केंद्र के कर्मचारियों अर्थात् आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को दो प्रकार के नियमित प्रशिक्षण दिए जाते हैं:—

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां:

- कार्य संबंधी प्रशिक्षण (सेवा काल के दौरान एक बार) — (32 दिन)
- पुनश्चर्या प्रशिक्षण (सेवा काल के दौरान, दो वर्ष में एक बार) — (7 दिन)

आंगनवाड़ी सहायिकाएं:

- अभिमुखीकरण (सेवा) प्रशिक्षण (आरंभिक नियुक्ति पर) — (8 दिन)
- पुनश्चर्या प्रशिक्षण (सेवा काल के दौरान दो वर्ष में एक बार) — (5 दिन)

(च) संभावित नई नियुक्तियों तथा प्रशिक्षण के लिए पात्र शेष कार्यकर्त्रियों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी राज्य प्रशिक्षण कार्य योजना में प्रति वर्ष प्रशिक्षित की जाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की संख्या का प्रस्ताव किया जाता है। इस अवधि के लिए कुल राज्य प्रशिक्षण कार्य योजना लक्ष्यों की तुलना में 31.12.2011 तक पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की राज्य-वार, प्रशिक्षण-वार और कर्मचारी श्रेणी-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

दिसम्बर, 2011 तक की स्थिति के अनुसार आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत नामांकन हेतु पात्र एवं वास्तविक नामांकित बच्चों अर्थात् लाभार्थियों (6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों और गर्भवती एवं धात्री माताओं) की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जनसंख्या रजिस्टर के [आंगनवाड़ी सर्वेक्षण रजिस्टर के अनुसार बच्चे (0-6 वर्ष)] (पात्र)	आंगनवाड़ी सर्वेक्षण रजिस्टर के अनुसार गर्भवती एवं धात्री माताओं की संख्या (पात्र)	पूरक पोषण के लाभार्थियों की संख्या					स्कूल-पूर्व शिक्षा के लाभार्थियों की संख्या		
				बच्चे (6 माह से 3 वर्ष की आयु)	बच्चे (3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु)	बच्चे (6 माह से 6 वर्ष की आयु)	गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताएं	कुल लाभार्थी (6 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाएं एवं शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताएं)	बालक (3 - 6 वर्ष की आयु)	बालिकाएं (3 - 6 वर्ष की आयु)	कुल (3 - 6 वर्ष की आयु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	6023542	1429521	2512944	1750743	4263687	1362009	5625696	846172	852123	1698295
2.	अरुणाचल प्रदेश	219199	28067	109737	109462	219199	28067	247266	53622	53933	107555
3.	असम	4305052	885218	1512096	1731615	3243711	647700	3891411	870817	861888	1732705
4.	बिहार	9641830	1936636	1786099	1721778	3507877	710378	4218255	981475	955923	1937398
5.	छत्तीसगढ़	3012411	588344	1100337	895934	1996271	475824	2472095	443258	453678	896936
6.	गोवा	124703	18086	32152	19273	51425	15202	66627	9713	9655	19368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	गुजरात	3853031	836802	1589640	1377797	2967437	734200	3701637	706370	686232	1392602
8.	हरियाणा	2366230	445548	690850	428158	1119008	325155	1444163	225731	202427	428158
9.	हिमाचल प्रदेश	603262	107220	259463	168257	427720	101030	528750	75752	74926	150678
10.	जम्मू और कश्मीर	1371983	304490	251810	190787	442597	126611	569208	138510	128648	267158
11.	झारखंड	4391453	924616	1188436	1164092	2352528	612874	2965402	622569	678879	1301448
12.	कर्नाटक	5054857	1025314	1986660	1580194	3566854	903639	4470493	797214	839206	1636420
13.	केरल	2758565	416633	431942	440252	872194	199078	1071272	214786	213233	428019
14.	मध्य प्रदेश	11817146	1442503	2967312	2709166	5676478	1246845	6923323	1372928	1320191	2693119
15.	महाराष्ट्र	8155707	1335701	3033436	3124806	6158242	1218364	7376606	1594396	1471674	3066070
16.	मणिपुर	3509494	66885	3124806	184688	3309494	75697	3385191	79501	77251	156752
17.	मेघालय	389251	65468	162516	185180	347696	62185	409881	74861	74498	149359
18.	मिजोरम	141585	37581	69211	53825	123036	35564	158600	26197	28309	54506
19.	नागालैंड	398259	57943	273033	106567	379600	53922	433522	55936	54704	110640
20.	ओडिशा	4498609	857845	1981283	1930628	3911911	842670	4754581	757360	736501	1493861
21.	पंजाब	2277807	400617	608236	493263	1101499	305538	1407037	256905	236358	493263
22.	राजस्थान	9231601	1648310	1790063	1055496	2845559	910379	3755938	565446	550661	1116107
23.	सिक्किम	51258	6930	16298	13846	30144	4769	34913	13215	13890	27105
24.	तमिलनाडु	4258281	8011081	1567934	1123146	2691080	562043	3253123	571090	552056	1123146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	त्रिपुरा	383166	102591	144807	161545	306352	81886	388238	88070	81286	169356
26.	उत्तर प्रदेश	27580739	5768978	10491712	8211478	18703190	4940615	23643805	4708751	4288179	8996930
27.	उत्तराखंड	1045169	174340	8723	91012	99735	4063	103798	122152	123488	245640
28.	पश्चिम बंगाल	7881919	1368210	3386593	3523464	6910057	1323279	8233336	1779480	1727979	3507459
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25469	4904	9611	6084	15695	3782	19477	3085	2999	6084
30.	चंडीगढ़	83533	16689	22151	16263	38414	8253	46667	8069	8194	16263
31.	दिल्ली	1323871	222260	527115	366157	893272	172578	1065850	188531	177626	366157
32.	दादरा और नगर हवेली	16958	3026	8453	6677	15130	2941	18071	3314	3363	6677
33.	दमन और दीव	9258	1617	3258	2481	5739	1451	7190	1195	1274	2469
34.	लक्षद्वीप	6155	2413	3720	2435	6155	2413	8568	1205	1208	2413
35.	पुदुचेरी	72106	13041	26398	5512	31910	9760	41670	2788	2724	5512
	अखिल भारत	126883459	30555428	43678835	34952061	78630896	18110764	96741660	18260464	17545164	35805628

मार्च, 2011 तक की स्थिति के अनुसार आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत नामांकन हेतु पात्र एवं वास्तविक नामांकित बच्चों अर्थात् लाभार्थियों (6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों और गर्भवर्ती एवं धात्री माताओं) की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जनसंख्या रजिस्टर के [आंगनवाड़ी सर्वेक्षण रजिस्टर के अनुसार बच्चे (0-6 वर्ष)] (पात्र)	आंगनवाड़ी सर्वेक्षण रजिस्टर के अनुसार गर्भवती एवं धात्री माताओं की संख्या (पात्र)	पूरक पोषण के लाभार्थियों की संख्या					स्कूल-पूर्व शिक्षा के लाभार्थियों की संख्या		
				बच्चे (6 माह से 3 वर्ष की आयु)	बच्चे (3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु)	बच्चे (6 माह से 6 वर्ष की आयु)	गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताएं	कुल लाभार्थी (6 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाएं एवं शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताएं)	बालक (3 - 6 वर्ष की आयु)	बालिकाएं (3 - 6 वर्ष की आयु)	कुल (3 - 6 वर्ष की आयु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	5793901	1266756	2376459	1822251	4198710	1179880	5378590	868949	878195	1747144
2.	अरुणाचल प्रदेश	222818	27562	113253	109565	222818	27562	250380	53635	54790	108425
3.	असम	5033423	849295	1206742	1329589	2536331	528881	3065212	833252	813992	1647244
4.	बिहार	9641830	1936636	1786099	1721778	3507877	710378	4218255	981475	955923	1937398
5.	छत्तीसगढ़	2870135	580704	1125301	878887	2004188	488517	2492705	434974	441054	876028
6.	गोवा	121401	16591	31806	20833	52639	14320	66959	11158	10665	21823
7.	गुजरात	4334892	827116	1711422	1413161	3124583	734200	3858783	715912	697249	1413161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	हरियाणा	2167081	392626	566134	355069	921203	273861	1195064	186684	168385	355069
9.	हिमाचल प्रदेश	638426	106939	253723	162235	415958	98613	514571	79194	76957	156151
10.	जम्मू और कश्मीर	1176314	264090	231116	179921	411037	98911	509948	116548	101805	218353
11.	झारखंड	4567476	977796	1371905	1278425	2650330	717430	3367760	652524	710367	1362891
12.	कर्नाटक	5194363	986573	1865295	1688168	3553463	856873	4410336	831854	857777	1689631
13.	केरल	2812015	436079	531192	515485	1046677	210281	1256958	260373	253667	514040
14.	मध्य प्रदेश	9151417	1768986	3511006	3106816	6617822	1485581	8103403	1556243	1499033	3055276
15.	महाराष्ट्र	8289149	1320302	3044241	3191040	6235281	1173526	7408807	1639109	1510971	3150080
16.	मणिपुर	384821	66885	158777	156752	315529	54810	370339	79501	77251	156752
17.	मेघालय	394453	64256	162807	187481	350288	60038	410326	75107	74405	149512
18.	मिजोरम	138875	36150	70347	54259	124606	34481	159087	26156	26046	52202
19.	नागालैंड	323052	55630	150561	155152	305713	53770	359483	77011	77018	154029
20.	ओडिशा	4627651	837324	2023119	2076600	4099719	815906	4915625	769549	745986	1515535
21.	पंजाब	2292555	415021	595281	539108	1134389	313625	1448014	283344	255764	539108
22.	राजस्थान	8841453	1620992	1825227	1175599	3000826	917007	3917833	598012	591692	1189704
23.	सिक्किम	58214	6538	2899	12961	15860	297	16157	6561	6444	13005
24.	तमिलनाडु	4322829	805684	1308190	1138831	2447021	536565	2983586	575231	563600	1138831
25.	त्रिपुरा	394524	159842	142994	152870	295864	85160	381024	85099	71911	157010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	उत्तर प्रदेश	26445409	5659723	11076473	9322143	20398616	4793438	25192054	4851325	4447832	9299157
27.	उत्तराखंड	1004427	162567	370570	187140	557710	134996	692706	108256	108804	217060
28.	पश्चिम बंगाल	8066811	1305068	3345393	3562937	6908330	1234209	8142539	1777504	1731353	3508857
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25562	4768	9811	6624	16435	3578	20013	3360	3264	6624
30.	चंडीगढ़	84367	16758	21977	16409	38386	8187	46573	8137	8272	16409
31.	दिल्ली	956234	159260	365806	239034	604840	114426	719266	122761	116273	239034
32.	दादरा और नगर हवेली	16958	3026	8453	6677	15130	2941	18071	3314	3363	6677
33.	दमन और दीव	10198	2005	3720	2862	6582	1806	8388	1404	1458	2862
34.	लक्षद्वीप	1446	2409	2771	2511	5282	2409	7691	1251	1260	2511
35.	पुदुचेरी	69381	13277	26050	4958	31008	9940	40948	2452	2506	4958
	अखिल भारत	120473861	23155234	41396920	36774131	78171051	17776403	95947454	18677219	17945332	36622551

मार्च, 2010 तक की स्थिति के अनुसार आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत नामांकन हेतु पात्र एवं वास्तविक नामांकित बच्चों अर्थात् लाभार्थियों (6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों और गर्भवती एवं धात्री माताओं) की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जनसंख्या रजिस्टर के [आंगनवाड़ी सर्वेक्षण रजिस्टर के अनुसार बच्चे (0-6 वर्ष)] (पात्र)	आंगनवाड़ी सर्वेक्षण रजिस्टर के अनुसार गर्भवती एवं धात्री माताओं की संख्या (पात्र)	पूरक पोषण के लाभार्थियों की संख्या					स्कूल-पूर्व शिक्षा के लाभार्थियों की संख्या		
				बच्चे (6 माह से 3 वर्ष की आयु)	बच्चे (3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु)	बच्चे (6 माह से 6 वर्ष की आयु)	गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताएं	कुल लाभार्थी (6 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाएं एवं शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताएं)	बालक (3 - 6 वर्ष की आयु)	बालिकाएं (3 - 6 वर्ष की आयु)	कुल (3 - 6 वर्ष की आयु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	5757484	1158693	2160103	1867243	4027346	1043453	5070799	884016	888644	1772660
2.	अरुणाचल प्रदेश	215579	28147	110987	104592	215579	28147	243726	48739	54504	103243
3.	असम	4758502	815596	887251	1039305	1926556	435411	2361967	729454	712825	1442279
4.	बिहार	9641830	1936636	1786099	1721778	3507877	710378	4218255	981475	955923	1937398
5.	छत्तीसगढ़	3040965	570133	1077015	853178	1930193	449522	2379715	430788	434806	865594
6.	गोवा	121923	15981	29826	20900	50726	13368	64094	10458	10436	20894
7.	गुजरात	4108585	729317	1104813	1246374	2351187	465969	2817156	634116	612258	1246374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	हरियाणा	2184947	404726	574548	364652	939200	281549	1220749	191889	172763	364652
9.	हिमाचल प्रदेश	618609	120243	252145	166076	418221	98073	516294	81543	79591	161134
10.	जम्मू और कश्मीर	1176314	264090	231116	179921	411037	98911	509948	116548	101805	218353
11.	झारखंड	4513479	958479	1291897	1259254	2551151	706340	3257491	651882	696817	1348699
12.	कर्नाटक	5013920	1014214	1863672	1596472	3460144	849667	4309811	798908	797524	1596432
13.	केरल	2797406	426493	578085	523988	1102073	250205	1352278	266062	265034	531096
14.	मध्य प्रदेश	8910353	1680792	3115201	2876194	5991395	1294046	7285441	1512144	1507228	3019372
15.	महाराष्ट्र	8348387	1299346	2681850	3081258	5763108	948233	6711341	1612892	1485598	3098490
16.	मणिपुर	384821	66885	158777	156752	315529	54810	370339	79501	77251	156752
17.	मेघालय	383252	62300	158138	183000	341138	60010	401148	75099	74352	149451
18.	मिजोरम	135311	35397	64201	51852	116053	33655	149708	28024	27336	55360
19.	नागालैंड	323052	55630	135838	118834	254672	53770	308442	62861	61043	123904
20.	ओडिशा	4716738	797247	2075181	2149055	4224236	792530	5016766	739034	716445	1455479
21.	पंजाब	2321854	419518	550611	539230	1089841	304558	1394399	287370	258897	546267
22.	राजस्थान	9523944	1636455	1736288	1135233	2871521	783709	3655230	587025	591824	1178849
23.	सिक्किम	33193	8670	20495	13322	33817	7309	41126	6941	6660	13601
24.	तमिलनाडु	4298766	844275	1201266	1127815	2329081	537477	2866558	568336	559479	1127815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	त्रिपुरा	361173	136081	116469	124809	241278	66999	308277	819762	54651	874413
26.	उत्तर प्रदेश	25906790	5410716	10751202	9283521	20034723	4318015	24352738	4914001	4555515	9469516
27.	उत्तराखंड	930376	146338	197527	197527	395054	0	395054	98957	101514	200471
28.	पश्चिम बंगाल	8019948	1245328	2703208	2452091	5155299	813193	5968492	1064949	1057259	2122208
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27423	4751	9758	7530	17288	3758	21046	3793	3737	7530
30.	चंडीगढ़	84886	16481	21596	16443	38039	8013	46052	8099	8342	16441
31.	दिल्ली	976537	163844	378441	252017	630458	118613	749071	129858	122159	252017
32.	दादरा और नगर हवेली	17840	3380	8485	6324	14809	3111	17920	3196	3128	6324
33.	दमन और दीव	10416	1167	3854	3091	6945	1468	8413	1504	1587	3091
34.	लक्षद्वीप	7043	1957	3581	3438	7019	1931	8950	1368	1335	2703
35.	पुदुचेरी	65586	12106	22352	4833	27185	8973	36158	2346	2379	4725
	अखिल भारत	119737232	22491412	38061876	34727902	72789778	15645174	88434952	18432938	17060649	35493587

मार्च, 2009 तक की स्थिति के अनुसार आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत नामांकन हेतु पात्र एवं वास्तविक नामांकित बच्चों अर्थात् लाभार्थियों (6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों और गर्भवती एवं धात्री माताओं) की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जनसंख्या रजिस्टर के [आंगनवाड़ी सर्वेक्षण - रजिस्टर के अनुसार बच्चे (0-6 वर्ष)] (पात्र)	आंगनवाड़ी सर्वेक्षण रजिस्टर के अनुसार गर्भवती एवं धात्री माताओं की संख्या (पात्र)	पूरक पोषण के लाभार्थियों की संख्या					स्कूल-पूर्व शिक्षा के लाभार्थियों की संख्या		
				बच्चे (6 माह से 3 वर्ष की आयु)	बच्चे (3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु)	बच्चे (6 माह से 6 वर्ष की आयु)	गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताएं	कुल लाभार्थी (6 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाएं एवं शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताएं)	बालक (3 - 6 वर्ष की आयु)	बालिकाएं (3 - 6 वर्ष की आयु)	कुल (3 - 6 वर्ष की आयु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	5852143	1165711	2228012	2089537	4317549	1077594	5395143	992963	976899	1969862
2.	अरुणाचल प्रदेश	194888	24378	98560	93918	192478	24375	216853	47009	47269	94278
3.	असम	4138249	752676	1044049	1174073	2218122	492796	2710918	704562	654679	1359241
4.	बिहार	9641830	1936636	1786099	1721778	3507877	710378	4218255	981475	955923	1937398
5.	छत्तीसगढ़	2927079	656225	1154169	822749	1976918	518595	2495513	413369	418895	832264
6.	गोवा	115872	14893	27448	20537	47985	12369	60354	10341	10204	20545
7.	गुजरात	4352078	800125	1124954	1275659	2400613	481147	2881760	655562	620097	1275659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	हरियाणा	2178866	404267	594008	421130	1015138	284947	1300085	222824	198306	421130
9.	हिमाचल प्रदेश	648656	110731	247591	177140	424731	97402	522133	85888	83945	169833
10.	जम्मू और कश्मीर	1176314	264090	231116	179921	411037	98911	509948	116548	101805	218353
11.	झारखंड	4248247	890561	1157118	1201746	2358864	661697	3020561	584450	640001	1224451
12.	कर्नाटक	4946007	951044	1702973	1551912	3254885	803920	4058805	778729	773183	1551912
13.	केरल	2935846	426267	622801	542901	1165702	218719	1384421	275202	269777	544979
14.	मध्य प्रदेश	8873419	1656901	2745757	2616933	5362690	1140242	6502932	1331010	1278910	2609920
15.	महाराष्ट्र	8341916	1334671	2760502	3053636	5814138	1006745	6820883	1570165	1470760	3040925
16.	मणिपुर	384821	66885	158777	156752	315529	54810	370339	79501	77251	156752
17.	मेघालय	362316	61829	158515	171234	329749	58599	388348	66843	65911	132754
18.	मिजोरम	129991	33702	70116	49282	119398	32815	152213	25595	24942	50537
19.	नागालैंड	321085	53155	178269	117161	295430	53368	348798	64877	58147	123024
20.	ओडिशा	4603546	788853	2044165	2068304	4112469	781716	4894185	654120	636201	1290321
21.	पंजाब	2115119	388678	543472	513897	1057369	306310	1363679	270763	243534	514297
22.	राजस्थान	9441630	1605878	1839807	1176897	3016704	809784	3826488	610578	597544	1208122
23.	सिक्किम	56238	6215	21508	10152	31660	6142	37802	5092	4949	10041
24.	तमिलनाडु	4192411	827096	1177228	1121574	2298802	522996	2821798	571051	550523	1121574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	त्रिपुरा	496465	97710	133268	142641	275909	66413	342322	88480	72930	161410
26.	उत्तर प्रदेश	25349884	5237992	10370466	9071129	19441595	3793501	23235096	4865500	4387102	9252602
27.	उत्तराखंड	878655	147904	282936	192293	475229	107225	582454	117834	115626	233460
28.	पश्चिम बंगाल	8122293	1237898	2621935	2655044	5276979	784613	6061592	1140423	1130364	2270787
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	26982	5332	11103	8868	19971	4656	24627	4454	4414	8868
30.	चंडीगढ़	75572	15122	19301	14846	34147	7268	41415	7310	7533	14843
31.	दिल्ली	907177	155472	347983	221709	569692	111502	681194	114948	106761	221709
32.	दादरा और नगर हेवली	19078	3582	8503	8021	16524	3528	20052	4072	3949	8021
33.	दमन और दीव	10416.	1167	3854	3091	6945	1468	8413	1504	1587	3091
34.	लक्षद्वीप	7043	1957	3581	3438	7019	1931	8950	1368	1335	2703
35.	पुदुचेरी	65549	11873	22163	4558	26721	8763	35484	2195	2363	4558
	अखिल भारत	118137681	22137476	37542107	34654461	72196568	15147245	87343813	17466605	16593619	34060224

विवरण-II

गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष (31.12.2011 तक) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को कार्य एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को कार्य प्रशिक्षण			आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण			आंगनवाड़ी सहायिकाओं को कार्य प्रशिक्षण			आंगनवाड़ी सहायिकाओं को पुनश्चर्या प्रशिक्षण		
		लक्ष्य	प्रशिक्षित	%	लक्ष्य	प्रशिक्षित	%	लक्ष्य	प्रशिक्षित	%	लक्ष्य	प्रशिक्षित	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	34814	17805	51.1%	133145	134006	100.6%	24669	8336	33.8%	108494	114037	105.1%
2.	अरुणाचल प्रदेश	4200	1995	47.5%	2760	390	14.1%	2325	0	0.0%	3450	2490	72.2%
3.	असम	29050	18028	62.1%	22520	8596	38.2%	16342	10385	63.5%	2700	0	0.0%
4.	बिहार	46768	15900	34.0%	66879	56916	85.1%	24568	9655	39.3%	88243	67058	76.0%
5.	छत्तीसगढ़	18445	11959	64.8%	14960	9924	66.3%	25100	10647	42.4%	30300	14100	46.5%
6.	गोवा	770	160	20.8%	1120	100	8.9%						
7.	गुजरात	15820	10007	63.3%	26320	20746	78.8%	15550	7307	47.0%	26250	25207	96.0%
8.	हरियाणा	6930	2924	42.2%	16440	20140	122.5%	5650	3228	57.1%	17720	19863	112.1%
9.	हिमाचल प्रदेश	4550	3666	80.6%	7000	5821	83.2%	14977	0	0.0%	5688	5688	100.0%
10.	जम्मू और कश्मीर	9555	3029	31.7%	4280	2242	52.4%	11040	2288	20.7%	7000	1535	21.9%
11.	झारखंड	11095	10592	95.5%	25440	14683	57.7%	14200	10196	71.8%	11050	4726	42.8%
12.	कर्नाटक	18830	13818	73.4%	20560	20709	100.7%	13050	11514	88.2%	13471	20869	154.9%
13.	केरल	6825	7228	105.9%	17680	12949	73.2%	11050	7284	65.9%	20450	15792	77.2%
14.	मध्य प्रदेश	16065	15274	95.1%	44210	41816	94.6%	18805	21240	112.9%	37554	40711	108.4%
15.	महाराष्ट्र	19320	18192	94.2%	49680	33270	67.0%	46500	27334	58.8%	43000	27059	62.9%
16.	मणिपुर	4795	4060	84.7%	1520	1560	102.6%	500	500	100.0%	1500	800	53.3%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
17.	मेघालय	1925	1595	82.9%	960	720	75.0%	1450	1029	71.0%	1000	620	62.0%
18.	मिजोरम	1085	704	64.9%	520	200	38.5%	600	190	31.7%	200	0	0.0%
19.	नागालैंड	1200	1085	90.4%	3490	2820	80.8%	3800	1740	45.8%	3250	1750	53.8%
20.	ओडिशा	18233	14376	78.8%	45880	32861	71.6%	11750	8911	75.8%	13200	10471	79.3%
21.	पंजाब	7140	8359	117.1%	3840	4267	111.1%	4050	5607	138.4%	4950	4399	88.9%
22.	राजस्थान	21564	13184	61.1%	17760	4029	22.7%	14785	5736	38.8%	0	0	
23.	सिक्किम	503	346	68.8%	1570	1490	94.9%	1000	537	53.7%	1650	1500	90.9%
24.	तमिलनाडु	11830	8409	71.1%	51741	30445	58.8%	19132	11452	59.9%	60988	53883	88.4%
25.	त्रिपुरा	3010	2019	67.1%	9805	8066	82.3%	3450	1842	53.4%	2100	938	44.7%
26.	उत्तर प्रदेश	65166	42724	65.6%	61360	26707	43.5%	87300	15569	17.8%	43766	11157	25.5%
27.	उत्तराखंड	3430	3008	87.7%	3640	3503	96.2%	4780	2177	45.5%	2982	4765	159.8%
28.	पश्चिम बंगाल	36995	30353	82.0%									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	346	159	46.0%	122	64	52.5%		0		484	111	22.9%
30.	चंडीगढ़	202	115	56.9%	360	280	77.8%	290	10	3.4%	350	150	42.9%
31.	दमन और दीव	0	0										
32.	दादरा और नगर हवेली	0	0										
33.	दिल्ली	2250	1403	62.4%	1800	1064	59.1%	2250	983	43.7%	2250	820	36.4%
34.	लक्षद्वीप	0	0										
35.	पुदुचेरी	120	0	0.0%									
	कुल	422,831	282,476	66.8%	657,362	500,384	76.1%	398,963	185,697	46.5%	554,040	450,499	81.3%

[हिन्दी]

321-76

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2780. श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्रीमती कमला देवी पटले :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त बैंकों द्वारा ग्रामीणों को दिए गए ऋणों में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन बैंकों को सुदृढ़ करने तथा उनका आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) वर्तमान में 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) देश में कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ सहित आरआरबी की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार सतत आधार पर आरआरबी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है। जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) के संबंध में सरकार द्वारा डॉ. के.सी. चक्रवर्ती की अध्यक्षता में गठित समिति ने आरआरबी के कार्यनिष्पादन और वित्तीय स्थिति की समीक्षा की। आरआरबी की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात् समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, 40 आरआरबी के सीआरएआर में सुधार लाने के लिए उनके पुनर्पूंजीकरण की सिफारिश की है।

भारत सरकार ने वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान 21 आरआरबी को अपने हिस्से के रूप में 468.92 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

(घ) और (ङ) वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान आरआरबी द्वारा संवितरित ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित विवरण में दिया गया है। आरआरबी द्वारा संवितरित ऋण वर्ष 2008-09 के 43,367 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 71,724 करोड़ रुपए हो गए हैं, जो तीन वर्ष की अवधि में 65% की वृद्धि दर्शाता है।

(च) आरआरबी का आधुनिकीकरण करने और इनमें प्रौद्योगिकी उन्नयन को सशक्त करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

- प्रौद्योगिकी उन्नयन पर जोर देने के परिणामस्वरूप 80 आरआरबी में मूल बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्रणाली शुरू हो गई है। ये आरआरबी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली से भी जुड़ गए हैं जिससे इनके ग्राहकों के लिए किसी अन्य बैंक में धन का प्रेषण सुगम हो गया है। इससे आरआरबी को कम परिचालन लागत और तेज ग्राहक सेवा, सभी उत्पादों एवं सेवाओं का एकीकरण, बेहतर जोखिम प्रबंधन, कम परिचालन जोखिम, तत्काल अंतरण प्रसंस्करण और परिचालन बढ़ाने इत्यादि का लाभ प्राप्त होगा।

- प्रायोजक बैंकों को आरआरबी के परिचालन को अपने बैंकों के परिचालन से एकीकृत करने और उनके द्वारा प्रायोजित आरआरबी में मानव संसाधन विकास के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

- आरआरबी प्रबंधन को सशक्त करने के उद्देश्य से प्रायोजक बैंकों को व्यावसायिक प्रवीणता, सम्मति और ग्रामीण बैंकिंग में अधिकारी के अनुभव के आधार पर आरआरबी अध्यक्ष के चयन के लिए आदर्श दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

विवरण

2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान आरआरबी की संख्या और उनके द्वारा संवितरित ऋण का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	आरआरबी की संख्या	आरआरबी द्वारा संवितरित ऋण		
			2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5	615361.89	727679.74	1058128.74
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1691.49	2607.94	1788.84
3.	असम	2	45928.30	52971.35	81495.06
4.	बिहार	4	202894.01	268860.98	474268.83
5.	छत्तीसगढ़	3	53273.97	67184.39	73459.71
6.	गुजरात	3	108390.37	127552.92	153915.23
7.	हरियाणा	2	228317.00	439298.17	521657.48
8.	हिमाचल प्रदेश	2	29598.76	33382.57	41716.55
9.	जम्मू और कश्मीर	2	19566.88	30120.48	33328.88
10.	झारखंड	2	49697.14	54163.71	58942.54
11.	कर्नाटक	6	466333.06	572405.92	676483.31
12.	केरल	2	389907.83	515855.82	615062.36
13.	मध्य प्रदेश	8	246243.11	295364.95	358585.09
14.	महाराष्ट्र	3	72413.38	125445.63	141734.90
15.	मणिपुर	1	332.85	580.84	717.67
16.	मेघालय	1	6931.40	9177.42	12248.75
17.	मिजोरम	1	7908.21	10312.91	16016.39
18.	नागालैंड	1	292.64	359.09	537.98

1	2	3	4	5	6
19.	ओडिशा	5	141722.09	185726.94	208447.00
20.	पुदुचेरी	1	482.25	5780.00	12725.00
21.	पंजाब	3	144060.49	190558.11	282700.55
22.	राजस्थान	6	308852.76	393397.83	512730.55
23.	तमिलनाडु	2	244247.93	330485.56	446658.76
24.	त्रिपुरा	1	24817.53	27141.60	35740.22
25.	उत्तर प्रदेश	10	742275.03	891744.80	1018609.52
26.	उत्तराखंड	2	37193.19	39284.32	34588.00
27.	पश्चिम बंगाल	3	147979.00	210480.00	300130.85
	कुल	82	4336712.56	5607923.99	7172418.76

स्रोत: नाबार्ड।

[अनुवाद]

बच्चों के पेट में कृमि समाप्त करने का अभियान

2781. श्री सी.एम. चांग : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में विशेषरूप से बच्चों में बड़े पैमाने पर पेट के कृमि को समाप्त करने के संबंध में कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या सफलता प्राप्त हुई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) जी, हां।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 6 से 18 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों को द्विवार्षिक कृमिरोधक को प्रोत्साहन दिया जाता है। कृमि रोधक गोलियां दिए गए बच्चों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ग) कृमि रोधक प्रभाव का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है क्योंकि नेमी कृमिरोध का रक्ताल्पता तथा कुपोषण में कमी लाने के लिए चल रहे कार्यक्रम संबंधी कार्यकलापों पर मामूली योगात्मक प्रभाव पड़ने की जानकारी मिलती है।

कैंसर संस्थान/केन्द्र

2782. श्री जयराम पांगी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कैंसर रोगियों पर उपचार करने तथा जिला स्तरीय कैंसर दलों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कैंसर संस्थानों तथा जिला कैंसर केंद्रों की स्थापना करने की राष्ट्रीय नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक खोले गये राष्ट्रीय कैंसर संस्थानों पर जिला कैंसर केन्द्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का ओडिशा सहित देशभर में और अधिक राष्ट्रीय कैंसर संस्थान तथा जिला कैंसर केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) से (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है तथा केन्द्र सरकार सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों तथा पूर्ववर्ती क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद कर रही है।

भारत सरकार ने वर्ष 2010 में एक व्यापक राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग एवं आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) शुरू किया था तथा कार्यक्रम में 11वीं पंचवर्षीय योजना के 2010-12 के दौरान 21 राज्यों के 100 जिलों में कार्यान्वियन की परिकल्पना की गई है। एनपीसीडीसीएस के कैंसर घटक के अंतर्गत जिला अस्पतालों को कैंसर के जल्दी निदान, कैंसर रोगियों को कीमोथिरेपी सुविधाएं तथा उपशामक परिचर्या हेतु सुदृढ़ किया जाता है। मौजूदा कार्यक्रम में व्यापक कैंसर परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए देशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों तथा पूर्ववर्ती क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के तृतीयक कैंसर केन्द्र (टीसीसी) के रूप में सुदृढ़ीकरण की भी परिकल्पना की गई है। ये संस्थाएं 6.00 करोड़ रु. तक की वित्तीय सहायता (केन्द्र सरकार से 4.80 करोड़ रु. तथा राज्य सरकार से 1.20 करोड़ रु.) के लिए पात्र हैं। 327-28

कर अपवंचन संबंधी जानकारी

2783. श्री महेश जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मुखबिरों द्वारा प्राप्त सूचना के माध्यम से पता चल कर अपवंचन के मामलों तथा कर की प्रत्येक श्रेणी के तहत वसूल की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रभारी अधिकारी द्वारा मुखबिरों की पहचान कर अपवंचकों को बता दी जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में दोषी व्यक्तियों/अधिकारियों पर शास्ति लगाये जाने सहित गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) यह जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। 328-39

आंगनवाड़ी केन्द्रों की निगरानी

2784. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी केन्द्रों को चलाये जाने में अपर्याप्त अवसंरचना तथा मूल-भूत सुविधाओं की कमी पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थिति की निगरानी करने के लिये राज्य स्तरीय समितियों तथा जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन समितियों तथा जनप्रतिनिधियों को सौंपे जाने वाले दायित्व का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों का उपयुक्त कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ङ) आईसीडीएस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित की जा रही एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। इस स्कीम में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि इसे समुदाय द्वारा प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई थी। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्ष 2011-12 से आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 11.13 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों/लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों के संबंध में उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि लगभग 50% आंगनवाड़ी केन्द्र अपने भवनों अथवा स्कूल परिसरों अथवा सामुदायिक/पंचायत भवनों में चल रहे हैं। कुल आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 74% आंगनवाड़ी केन्द्र या तो अपने या किराए के पक्के भवनों में चल रहे हैं। 57.48% आंगनवाड़ी केन्द्रों के अपने परिसरों में ही पेयजल सुविधा है, 46.61% आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय सुविधा है तथा 25.18% आंगनवाड़ी केन्द्रों में अलग से रसोई की सुविधा है।

सरकार ने राष्ट्र, राज्य, जिला, ब्लॉक एवं आंगनवाड़ी स्तर पर पांच स्तरीय मॉनीटरन एवं समीक्षा तंत्र शुरू किया है और इस संबंध में 31.03.2011 को दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर समितियों में संसद सदस्यों एवं विधायकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य स्तरीय समिति में पांच संसद सदस्यों तथा पांच विधायकों को चक्रीयन आधार पर शामिल किया गया है जबकि जिला स्तरीय समितियों में जिले के सभी संसद सदस्यों तथा विधायकों को सदस्य बनाया गया है।

राज्य स्तरीय समिति की भूमिका राज्य में आईसीडीएस स्कीम के समग्र निष्पाद का मॉनीटरन एवं समीक्षा करना है तथा अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बस्तियों को शामिल करने सहित आईसीडीएस के विस्तार, राज्य वार्षिक क्रियान्वयन योजना के क्रियान्वयन, सरकार के स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता, ग्रामीण विकास हेतु अन्य कार्यक्रमों के साथ संकेन्द्रण, विभिन्न स्कीमों से राशियों को जुटाकर आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण सहित अवसंरचना में सुधार, आईसीडीएस कर्मियों के रिक्त पदों को भरने एवं उनके प्रशिक्षण, आईसीडीएस सेवाओं/स्वास्थ्य एवं पोषण के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना शिक्षा एवं संचार के उपयोग की प्रगति के बारे में देखना है। यह समिति कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों को पूरा करने के लिए सुझाव भी दे सकती है।

जिला स्तरीय समिति राज्य स्तरीय समिति को जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ पूरक पोषण की नियमित आपूर्ति, पूरक पोषण की गुणवत्ता, बच्चों के पोषण स्तर, लाभार्थियों की उपस्थिति, धन प्रवाह, शिकायतों के निपटान तथा पूरक पोषण की आपूर्ति सहित क्रियान्वयन के मुद्दों, खाद्य संपुष्टीकरण, जिला, ब्लॉक एवं आंगनवाड़ी स्तर पर प्रापण तथा मॉनीटरन एवं पर्यवेक्षण करेगी। आईसीडीएस स्कीम के संबंधित राज्य एवं जिला स्तरीय मॉनीटरन एवं समीक्षा समितियों की संरचना एवं भूमिका संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

मॉनीटरन में संसद सदस्यों एवं विधायकों की भागीदारी से आईसीडीएस के क्रियान्वयन के बारे में, विशेषकर सेवाओं की गुणवत्ता एवं प्रदायगी की नियमितता के बारे में समस्याओं के संबंध में बेहतर फीड बेक एवं समझ पैदा होगी। समिति समस्याओं को स्थानीय रूप से राज्य एवं जिला स्तर पर विचार-विमर्श को सुकर बनाएगी और उसके लिए मंच प्रदान करेगी तथा इन समस्याओं को कारगर रूप से एवं समयबद्ध तरीके से निपटाने में सहायता करेगी।

आईसीडीएस स्कीम के क्रियान्वयन का मॉनीटरन निर्धारित मासिक एवं वार्षिक रिपोर्टों के साथ-साथ समीक्षा एवं पर्यवेक्षण दौरों आदि के माध्यम से किया जाता है। गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए खाद्य एवं पोषण बोर्ड की क्षेत्र इकाईयों द्वारा खाद्य नमूने एकत्रित किए जाते हैं। प्राप्त सूचना एवं फीड बेक के आधार पर आंगनवाड़ी केन्द्रों में अवसंरचना एवं सुविधाओं सहित आईसीडीएस स्कीम के क्रियान्वयन में सुधार करने तथा इसकी कमियों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पत्र लिखे जाते हैं और समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

विवरण-I

आईसीडीएस पर राज्य स्तरीय मॉनीटरन एवं समीक्षा समिति

क. अवसंरचना

(i)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ii)	सचिव, योजना	सदस्य
(iii)	सचिव, वित्त	सदस्य
(iv)	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
(v)	सचिव, ग्रामीण विकास	सदस्य
(vi)	सचिव, पंचायती राज संस्थान	सदस्य
(vii)	सचिव, पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता	सदस्य
(viii)	सचिव, शिक्षा	सदस्य
(ix)	सचिव, कृषि/बागवानी	सदस्य
(x)	सचिव, खाद्य	सदस्य
(xi)	सचिव, म.बा.वि. (आईसीडीएस प्रभारी)	सदस्य

(xii)	पांच संसद सदस्य*	सदस्य
(xiii)	पांच विधेयक*	सदस्य
(xiv)	राज्य मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	सदस्य
(xv)	क्षेत्रीय निदेशक, निपसिड (संबंधित क्षेत्र के)	सदस्य
(xvi)	खाद्य एवं पोषण बोर्ड, राज्य/क्षेत्रीय कार्यालय	सदस्य
(xvii)	प्रधानाचार्य, मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र**	सदस्य
(xviii)	प्रधानचार्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री प्रशिक्षण केन्द्र**	सदस्य
(xix)	निदेशक, म.बा.वि. (आईसीडीएस प्रभारी)	सदस्य-सचिव

*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संसद सदस्य एवं विधायक चक्रीयन आधार पर एक वर्ष के लिए समिति के सदस्य होंगे तथा उनका चयन इस तरह किया जाएगा कि अधिक से अधिक राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

**प्रत्येक वर्ष चक्रीयन आधार पर।

नोट:

- प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञों/प्रतिनिधियों तथा विकास भागीदारों, जो आईसीडीएस कार्यक्रम के साथ राज्य में कार्य कर रहे हैं को भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए।
- समिति की बैठक प्रत्येक 6 माह में अथवा आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले अध्यक्ष के नोटिस पर बुलाई जाएगी। तथापि, मुख्य सचिव 6 माह में एक बार बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

ख. भूमिका

राज्य स्तरीय समिति निम्नलिखित मुद्दों का मॉनीटरन एवं उनकी समीक्षा करेगी तथा उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करेगी:—

(i) निम्नलिखित के संबंध में समग्र प्रगति:

- आईसीडीएस का सर्वसुलभीकरण-संस्वीकृत परियोजनाओं/आंगनवाड़ी केन्द्रों के प्रचालन की स्थिति, राज्य में सभी बस्तियों/पुरबों को शामिल करना तथा इनके रास्ते में आ रही बाधाएं;
- आईसीडीएस की राज्य वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना को तैयार करना एवं इसका क्रियान्वयन;
- 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण स्तर की स्थिति-वजन करना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के विकास मानकों और संयुक्त मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्डों की शुरुआत, सामान्य एवं अत्यधिक कुपोषित बच्चों के अनुपात की जिला-वार तुलना, इसके निदान हेतु किए गए उपाय तथा छमाही आधार पर इस दिशा में हुई प्रगति;
- आंगनवाड़ी केन्दों पर दी जाने वाली अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा का निष्पादन, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा की कार्यविधि तथा उसमें बच्चों की भागीदारी, स्थानीय स्तर पर बनाई गई अधिगत एवं खेल सामग्री, खिलौना बैंक तथा अन्य प्रयासों का उपयोग;
- आईसीडीएस में खराब निष्पादन करने वाले जिलों का अभिनिर्धारण तथा इसके लिए उत्तरदायी कारक।

(ii) संबंधित विभागों/कार्यक्रमों के साथ संकेन्द्रण:

(क) **स्वास्थ्य/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन:** आंगनवाड़ी केन्दों पर पूर्ण प्रतिरक्षण की स्थिति, प्रसव-पूर्व एवं स्वास्थ्य जांच का प्रावधान, रेफरल सेवाएं और आंगनवाड़ी केन्द्रों को सूक्ष्म पोषक तत्वों (विटामिन ए, आयरन फोलिक एसिड, कृमिनिवारण गोलियों) की आपूर्ति, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस एवं वीएचएससी का कार्यकरण तथा शिशुओं एवं छोटे बच्चों की आहार पद्धतियों का संवर्द्धन।

(ख) **जल एवं स्वच्छता:** पूर्ण स्वच्छता अभियान तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य स्कीम के साथ संकेन्द्रण

के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पेयजल एवं सफाई सुविधाओं का प्रावधान।

(ग) **सर्व शिक्षा अभियान:** प्राथमिक स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केन्द्रों का सह-स्थलीकरण, आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा का समेकन, सर्व शिक्षा अभियान से सहायता आदि।

(घ) **पंचायती राज संस्थाएं:** आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सेवा प्रदायगी एवं समन्वय में पंचायती राज संस्थाओं एवं समुदाय की भागीदारी।

(iii) सर्वेक्षण की गई जनसंख्या की तुलना में सामान्य तथा विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्प संख्यक समुदाय की बस्तियों/लाभार्थियों को शामिल करना।

(iv) कार्यक्रम क्रियान्वयन से संबंधित अन्य मुद्दे तथा निम्नलिखित के संबंध में कार्रवाई:

(क) आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकरण की नियमितता– विशेषकर उन आंगनवाड़ी केन्द्रों की जो अनुसूचित जाति/अनुसुचित जनजाति/अल्प संख्यक बाहुल्य बस्तियों में कार्यरत हैं;

(ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/पर्यवेक्षकों/सीडीपीओ स्तर पर रिक्त पद तथा उनके प्रशिक्षण की स्थिति;

(ग) धन प्रवाह तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को समय पर मानदेय का भुगतान;

(घ) जिला एवं ब्लॉक स्तर पर पीओएल, आकस्मिक आवश्यकताओं हेतु राशि तथा संशोधित मानकों के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों पर फ्लैक्सी फंड की उपलब्धता;

(ङ) संशोधित मानकों के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषण की आपूर्ति में बाधा तथा इसके कारण जैसे प्रदायगी का तरीका, स्व-सहायता दलों को संलग्न करना आदि;

(च) आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषण के संपुष्टिकरण की व्यवस्था तथा आयोडीन युक्त नमक का उपयोग;

(छ) आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा की विधि तथा उसमें बच्चों की भागीदारी;

(ज) आंगनवाड़ी केन्द्रों को अनावश्यक मदों का प्रापण एवं आपूर्ति/उपलब्धता-चिकित्सा एवं स्कूल पूर्व शिक्षा किटें, वजन मापने की मशीनें, संयुक्त मातृ एवं बाल संरक्षण कार्ड, विश्व स्वास्थ्य संगठन विकास चार्ट, आदि;

(झ) मानकों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा मॉनीटरन एवं पर्यवेक्षण दौरे;

(ञ) आईसीडीएस इतर गतिविधियों में आईसीडीएस कर्मियों को लगाना तथा इससे इन्हें दूर रखने की व्यवस्था।

(ट) क्रियान्वयन में सुधार हेतु कोई अन्य सुसंगत मामला।

(v) आंगनवाड़ी केन्द्रों की अवसंरचना में सुधार: अन्य स्कीमों/कार्यक्रमों जैसेकि बीआरजीएफ, एमएसडीपी, एमपीएलएडी आदि से राशि की व्यवस्था कर आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण।

(vi) आईसीडीएस सेवाओं/स्वास्थ्य एवं पोषण के मुद्दे के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार का उपयोग तथा अन्य स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के साथ संकेन्द्रण की संभावना।

विवरण-II

आईसीडीएस पर जिला स्तरीय मॉनीटरन एवं समीक्षा समिति

क. अवसंरचना

(i)	जिला मजिस्ट्रेट/कलैक्टर/उपायुक्त	अध्यक्ष
(ii)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)	सदस्य
(iii)	जिला विकास अधिकारी, जिला परिषद्	सदस्य
(iv)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य

(v)	जिला योजना अधिकारी	सदस्य
(vi)	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
(vii)	जिला कृषि/बागवानी अधिकारी	सदस्य
(viii)	जिला अधिकारी, ग्रामीण विकास/मनरेगा	सदस्य
(ix)	कार्यकारी अभियंता, पीएचईडी	सदस्य
(x)	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(xi)	जिले के संसद सदस्य	सदस्य
(xii)	विधायक	सदस्य
(xiii)	प्रधानाचार्य, मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र*	सदस्य
(xiv)	प्रधानाचार्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री प्रशिक्षण केन्द्र (कोई दो)*	सदस्य
(xv)	खाद्य एवं पोषण बोर्ड की क्षेत्रीय इकाई	सदस्य
(xvi)	बाल विकास परियोजना अधिकारी (कोई तीन)*	सदस्य
(xvii)	जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य

*प्रत्येक वर्ष चक्रीयन आधार पर।

नोट:

- समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में अथवा आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले अध्यक्ष के नोटिस पर बुलाई जाएंगी। तथा यह अपनी समीक्षा रिपोर्ट मुख्य सचिव/सचिव (म.बा.वि.) को प्रस्तुत करेगी जिसमें जिला स्तर पर की गई कार्रवाई तथा राज्य सरकार से अपेक्षित सहायता का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

ख. भूमिका

जिला स्तरीय समिति स्कीम के क्रियान्वयन का मॉनीटरन तथा ब्लॉक/परियोजना-वार समीक्षा करेगी और निम्नलिखित मुद्दों के बारे में उपचारात्मक कार्रवाई करेगी/की सिफारिश करेगी:—

(i) निम्नलिखित के संबंध में समग्र प्रगति:

(क) सभी संस्वीकृत परियोजनाओं/आंगनवाड़ी केन्द्रों के **प्रचालन की स्थिति,** जिले में सभी बस्तियों/पुरबों, विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्प संख्यक बहुल्य वाली बस्तियों तथा दूर-दराज के क्षेत्रों को शामिल करना;

(ख) **लाभार्थियों का कवरेज :** सर्वेक्षण की गई जनसंख्या की तुलना में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषण एवं स्कूल पूर्व शिक्षा के वास्तविक लाभार्थियों की तुलना में पंजीकृत लाभार्थियों का ब्लॉक-वार विश्लेषण;

(ग) **आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषण की नियमित आपूर्ति एवं गुणवत्ता :** महीने के निर्धारित दिनों हेतु घर ले जाने वाले राशन, सुबह का नाश्ता तथा पके हुए गर्म भोजन का प्रावधान और आहार दक्षता की ब्लॉक-वार तुलना;

(घ) **0-3 वर्ष तथा 3-6 वर्ष के बच्चों का पोषण स्तर-वजन करना :** विश्व स्वास्थ्य संगठन के विकास मानकों और संयुक्त मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्डों की शुरुआत, सामान्य एवं अत्यधिक कुपोषित बच्चों के अनुपात की ब्लॉक-वार तुलना, इसके निदान हेतु किए गए उपाय तथा छमाही आधार पर इस दिशा में हुई प्रगति; और

(ङ) आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रदान की जा रही अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा का निष्पादन।

(ii) संबंधित विभागों/कार्यक्रमों के साथ समन्वय एवं संकेन्द्रण:—

(क) **स्वास्थ्य/राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन :** आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों का प्रतिरक्षण, प्रसव-पूर्व एवं स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं और आंगनवाड़ी केन्द्रों को सूक्ष्म पोषक तत्वों (विटामिन ए, आयरन फोलिक एसिड, कृमिनिवारण गोलियां) की आपूर्ति, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस एवं वीएचएससी का कार्यकरण तथा शिशुओं एवं छोटे

बच्चों की आहार पद्धतियों का संवर्द्धन; स्वास्थ्य एवं आईसीडीएस कर्मियों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों का संयुक्त दौरा।

(ख) **जल एवं स्वच्छता :** आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पेयजल एवं सफाई सुविधाओं का प्रावधान।

(ग) **सर्व शिक्षा अभियान :** प्राथमिक स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केन्द्रों का सह-स्थलीकरण, आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा का समेकन, सर्व शिक्षा अभियान से सहायता आदि।

(घ) **पंचायत राज संस्थाएं :** आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सेवा प्रदायगी के समन्वयन तथा निगरानी में पंचायती राज संस्थाओं एवं समुदाय की भागीदारी।

(iii) कार्यक्रम क्रियान्वयन से संबंधित अन्य मुद्दे तथा निम्नलिखित के संबंध में कार्रवाई:–

(क) **आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकरण की नियमितता:** विशेषकर उन आंगनवाड़ी केन्द्रों की जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्प संख्यक बाहुल्य बस्तियों में कार्यरत हैं;

(ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/पर्यवेक्षकों/सीडीपीओ स्तर पर रिक्त पद तथा कर्मियों के प्रशिक्षण की स्थिति;

(ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को मानदेय तथा पर्यवेक्षक को यात्रा भत्ते का भुगतन;

(घ) **आंगनवाड़ी केन्द्रों की अवसंरचना:** अन्य स्कीमों/कार्यक्रमों के साथ संकेन्द्रण के माध्यम से आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण।

(ङ) **आंगनवाड़ी केन्द्रों को आवश्यक मदों की आपूर्ति–** चिकित्सा एवं स्कूल पूर्व शिक्षा किटें, वजन मापने की मशीनें, संयुक्त मातृ एवं बाल संरक्षण कार्ड, विश्व स्वास्थ्य संगठन विकास चार्ट, आदि;

(च) जिला एवं ब्लॉक स्तर पर पीओएल, आकस्मिक आवश्यकताओं हेतु राशि तथा संशोधित मानकों के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों पर फ्लैक्सी फण्ड की उपलब्धता;

(छ) सीडीपीओ/पर्यवेक्षकों का संघटन-वाहनों की उपलब्धता तथा कार्यक्रम में संबंधित वाहनों की मांग न करना;

(ज) मानकों के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों के सीडीपीओ/पर्यवेक्षकों द्वारा मॉनीटरन एवं पर्यवेक्षण दौरे तथा उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(झ) आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पूरक आहार की प्रदायगी की विधियां-स्व-सहायता दलों को संलग्न करना तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में आयोडीन युक्त नमक और इसके अलावा पत्तेदार सब्जियों का उपयोग;

(ञ) आंगनवाड़ी केन्द्रों पर दी जाने वाली अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा की कार्यविधि तथा उसमें बच्चों की भागीदारी, स्थानीय स्तर पर बनाई गई अधिगम एवं खेल सामग्री, खिलौना बैंक तथा अन्य प्रयासों का उपयोग;

(ट) आईसीडीएस इतर गतिविधियों में आईसीडीएस कर्मियों को लगाना तथा इससे इन्हें दूर रखने की व्यवस्था;

(ठ) क्रियान्वयन में सुधार हेतु कोई अन्य सुसंगत मामला।

(iv) वित्तीय मुद्दे रिपोर्ट की अवधि के दौरान धन प्रवाह तथा घटक-वार आवंटन एवं व्यय और भारत सरकार द्वारा निर्धारित संशोधित वित्तीय मानकों का अनुपालन:–

(v) **शिकायत निवारण तंत्र :** आईसीडीएस सेवाओं जैसेकि आंगनवाड़ी केन्द्रों का नियमित संचालन, पूरक पोषण की गुणवत्ता आदि और आंगनवाड़ी कर्मियों के बारे में व्यक्तियों, समुदायों/पंचायती राज संस्थानों आदि से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई।

(vi) **सूचना शिक्षा एवं संचार :** आंगनवाड़ी केन्द्रों का स्थलीकरण, आईसीडीएस के अंतर्गत सेवाओं की उपलब्धता, लाभार्थियों के हक, शिकायत निवारण तंत्र आदि जैसे मुद्दों

के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्ययोजना बनाना तथा उसे लागू करना।

नोट: समीक्षा बैठकों के लिए निम्नलिखित सूचना स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है:—

(क) ब्लॉक स्तरीय मॉनीटरन समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त एवं रिपोर्टें;

(ख) ब्लॉक मासिक प्रगति रिपोर्टों तथा ब्लॉक वार्षिक रिपोर्टों का विश्लेषण;

(ग) जिले में समिति के सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरों की रिपोर्टें तथा कोई मूल्यांकन रिपोर्ट; और

(घ) जनता/मीडिया की रिपोर्टें (यदि कोई हों)।

339-40

होटल प्रबंधन संस्थान

2785. **श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय होटल प्रबंधन तथा खानपान प्रौद्योगिकी (एनसीएचएमसीटी) से संबद्ध होटल प्रबंधन संस्थानों में कार्य कर रहे अनुबंधित संकाय विशेषरूप से सहायक व्याख्याताओं की सेवाओं को विशिष्ट अवधि पूर्ण किये जाने के बाद भी नियमित करने की कोई प्रणाली नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान एनसीएचएमसीटी से संबद्ध होटल प्रबंधन संस्थानों के अनुबंधित संकाय को दिए जा रहे पारिश्रमिक की दरों को संशोधित नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो मुद्रा स्फीति की मौजूदा दर तथा मूल्यवृद्धि के मद्देनजर पारिश्रमिक की दरों को संशोधित नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा होटल प्रबंधन संस्थानों में अनुबंधित संकायों को दी जा रही पारिश्रमिक की दरों में संशोधन करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) और (ख) केन्द्रीय होटल प्रबंधन संस्थानों में सभी रिक्त पद आज की तिथि में यथा संशोधित भर्ती और पदोन्नति संबंधी नियम, 2003 के आधार पर भरे जाते हैं। एनसीएचएमसीटी से संबद्ध किसी केन्द्रीय होटल प्रबंधन संस्थान में संविदात्मक शिक्षा सेवा की अवधि की गणना केन्द्रीय होटल प्रबंधन संस्थान में शिक्षा पद में नियमित नियुक्ति हेतु अपेक्षित अनुभव में की जाएगी। संविदात्मक संकाय ऐसे रिक्त पदों के विज्ञापन के प्रत्युत्तर में नियमित संकाय के रूप में भर्ती के लिए भी आवेदन कर सकता है। तथापि, भर्ती और पदोन्नति संबंधी नियम, 2003 में राष्ट्रीय होटल प्रबंधन तथा खानपान प्रौद्योगिकी परिषद् से संबद्ध केन्द्रीय होटल प्रबंधन संस्थानों में कार्यरत संविदात्मक संकाय की सेवाओं को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) से (ङ) सरकार ने वर्ष 2009 में एनसीएचएमसीटी से संबद्ध होटल प्रबंधन संस्थानों में कार्यरत संविदात्मक संकाय को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को 12,000 रुपए प्रतिमाह से 18,000 रुपए प्रतिमाह तक मासिक बढ़ाते हुए पारिश्रमिक दरों में संशोधन किया है। वर्तमान में मंत्रालय के पास अनुबंधित संकाय के पारिश्रमिक को और अधिक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

340-41

सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र

2786. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखने वाले सरकार के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) को अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा के विक्रय तथा खरीद के लिए नोडल एजेंसी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि. को सौर फोटोवोल्टेक संयंत्रों तथा सौर ताप परियोजनाओं के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा कितने ग्रिड से जुड़े संयंत्रों का चयन किया गया है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) **चरण-I का बैच-I**

(i) 150 मेगावाट की सौर प्रकाशवोल्टीय परियोजनाओं हेतु

मांग करने के लिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम द्वारा 311 प्रस्ताव प्राप्त किए गए।

(ii) 470 मेगावाट की सौर तापीय परियोजनाओं हेतु मांग करने के लिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम द्वारा 67 प्रस्ताव प्राप्त किए गए।

चरण-I का बैच-II

(i) 350 मेगावाट की सौर प्रकाशवोल्टीय परियोजनाओं हेतु मांग करने के लिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम द्वारा 143 प्रस्ताव प्राप्त किए गए।

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था द्वारा चयनित परियोजनाएं

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा कुल 98.05 मेगावाट की 78 परियोजनाओं का चयन किया गया है।

341

विद्युत परियोजनाएं

2787. **श्री अशोक तंवर : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्माणाधीन विभिन्न विद्युत परियोजनाओं पर दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, हां, विद्युत परियोजनाओं को ईंधन आपूर्ति में समस्याओं तथा वितरण कंपनियों के साथ दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) न होने के कारण जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

(ख) विकासकर्त्ताओं को निम्नलिखित जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है:—

- ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)
- वितरण कंपनियों के साथ बैक-टू-बैक विद्युत क्रय करार (पीपीए)
- विद्युत क्रय कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति
- जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) मुद्दे, भूमि अधिग्रहण तथा भौगोलिक स्थितियां भी महत्वपूर्ण हैं। तथापि, विद्युत मंत्रालय द्वारा इन मुद्दों का भी समाधान किया जा रहा है।

अब तक निम्नलिखित तीन परियोजनाओं ने रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लि. तथा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है:—

(i) 445 मे.वा. गैस आधारित कोनासीमा विद्युत परियोजना।

(ii) 400 मे.वा. श्री महेश्वर ताप जल विद्युत परियोजना।

(iii) ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्रा.लि.।

(ग) आरईसी तथा पीएफसी वितरण पूर्व शर्तों (कैप्टिव माइन्स वाले विकासकर्त्ताओं को छोड़कर अन्य विकासकर्त्ता) के अनुसार निम्नलिखित शामिल किए गए हैं:—

- सुनिश्चित ईंधन आपूर्ति करार का निष्पादन।
- उपयुक्त भुगतान सुरक्षा तंत्र सहित 70% विद्युत के लिए बैक-टू-बैक विद्युत क्रय करार का निष्पादन।
- संयंत्र के लिए विवादास्पद (क्रिटीकल) भूमि का कब्जा।

[हिन्दी]

342-43

अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी

2788. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और आधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। केन्द्र सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके लोगों के स्वास्थ्य मानदंडों को बेहतर करने में राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है।

जहां तक दिल्ली में स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों नामतः सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, अस्पताल सेवाओं का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य आवश्यकता तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जाता है।

ग्रामों में बिजली सुविधा

343-48

2789. श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने ग्रामों को अभी तक किसी पावर ग्रिड से नहीं जोड़ा गया है;

(ख) देश में मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार कुल कितने ग्रामों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के माध्यम से विद्युतीकृत किए जाने के लिए ग्रिड से जोड़ना न तो व्यवहार्य है और न ही वित्तीय रूप से व्यवहार्य है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे ग्रामों को पावर ग्रिड से जोड़ने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) 2001 की जनगणना के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्रों सहित देश में बसे गांवों की कुल संख्या 5,93,732 थी। इसमें से 4,74,162 गांव विद्युतीकृत थे तथा 1,19,570 गांव गैर-विद्युतीकृत थे। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, 1.10 लाख गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत करने तथा 3,48,987 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण करने के लिए लक्षित को साधते हुए देश में 576 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। 29.2.2012 तक संचयी रूप से कुल मिलाकर 1.02 लाख गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों तथा 2,43,707 आंशिक विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया है। 29.2.2012 तक आरजीजीवीवाई के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजना हेतु गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों के कवरेज एवं उपलब्धि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) उन सुदूर गैर-विद्युतीकृत जनगणना किए गए गांवों तथा विद्युतीकृत जनगणना किए गए गांवों के गैर-विद्युतीकृत पुरवों में, जहां राज्य सरकारों ने ग्रिड विस्तारण व्यवहार्य नहीं पाया है तथा आरजीजीवीवाई के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं, लाइटिंग/मूल विद्युतीकरण हेतु वित्तीय सहयोग देने के लिए सुदूर गांव विद्युतीकरण (आरवीई) कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्यों में राज्य अधिसूचित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। आरजीजीवीवाई की नोडल एजेंसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) ने आरवीई कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज के लिए मध्य प्रदेश सहित देश में 11421 गांवों तथा पुरवों हेतु एमएनआरआई को ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

जहां ग्रिड कनेक्टिविटी या तो व्यवहार्य नहीं है या लागत प्रभावी नहीं है, उन गांवों के लिए आरजीजीवीवाई ने पारंपरिक या नवीकरणीय (गैर-पारंपरिक) स्रोतों जैसे बॉयोमास, बॉयोगैस मिनी हाइड्रो, सौर आदि से विकेंद्रीकृत वितरण उत्पादन (डीडीजी) का भी प्रावधान किया है। अभी तक, पांच (5) राज्यों में 220 गांवों/पुरवों को शामिल करते हुए 148 डीडीजी परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। मंजूर की गई डीडीजी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, गुजरात सहित संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण तथा आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण की राज्य-वार कवरेज तथा उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य	गांवों का विद्युतीकरण		आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण	
		संशोधित कवरेज**	29.2.2012 तक संचयी उपलब्धि	संशोधित कवरेज**	29.2.2012 तक संचयी उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	27477	23938

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	2129	1238	1780	825
3.	असम	8326	7693	12984	11469
4.	बिहार	22509	21843	6454	4122
5.	छत्तीसगढ़	1468	688	16298	10397
6.	गुजरात*	0	0	17667	14401
7.	हरियाणा*	0	0	5985	2744
8.	हिमाचल प्रदेश	95	78	10650	1059
9.	जम्मू और कश्मीर	239	138	4442	2317
10.	झारखंड	19281	17715	7223	5461
11.	कर्नाटक	61	61	27917	24561
12.	केरल	0	0	630	37
13.	मध्य प्रदेश	679	497	34262	17002
14.	महाराष्ट्र*	0	0	40842	32119
15.	मणिपुर	882	412	1378	401
16.	मेघालय	1866	876	3239	1537
17.	मिजोरम	137	87	570	312
18.	नागालैंड	105	79	1140	722
19.	ओडिशा	14725	14060	29448	20523
20.	पंजाब*		0	11840	0
21.	राजस्थान	4350	3938	34845	29167
22.	सिक्किम	25	25	418	372
23.	तमिलनाडु*		0	10009	9992
24.	त्रिपुरा	148	124	658	409
25.	उत्तर प्रदेश	27891	27759	2989	2982
26.	उत्तराखंड	1434	1511	13820	8992
27.	पश्चिम बंगाल	4437	4171	24022	17846
	कुल	110787	102993	348987	243707

*आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में, राज्य सरकारों ने आजीजीवीवाई के अंतर्गत अपनी डीपीआर में किसी भी गैर-विद्युतीकृत गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव नहीं किया है। अत: इन राज्यों में किसी भी गैर-विद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकरण के लिए कवर नहीं किया गया है। तथापि, इन राज्यों में पहले से ही विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण किया जा रहा है।

**अद्यतन तारीख तक।

विवरण-II

दिनांक 29.2.2012 के अनुसार रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) द्वारा सत्यापित दूरस्थ गैर-विद्युतीकृत गांव/पुरवों की सूची

क्र. सं.	राज्य	गांवों की संख्या/आरईसी द्वारा सत्यापित पुरवे	
		गांव	पुरवे
1	2	3	4
1.	कर्नाटक	23	150
2.	मध्य प्रदेश	972	
3.	असम	2232	
4.	महाराष्ट्र	362	

1	2	3	4
5.	मेघालय	158	
6.	अरुणाचल प्रदेश	145	
7.	हिमाचल प्रदेश	1	
8.	राजस्थान	493	90
9.	मणिपुर	166	
10.	पश्चिम बंगाल	93	
11.	गुजरात	49	
12.	ओडिशा	2116	
13.	झारखंड	832	
14.	छत्तीसगढ़	1112	
15.	उत्तराखंड	182	52
16.	उत्तर प्रदेश	63	138
17.	तमिलनाडु	0	73
18.	नागालैंड	11	
19.	जम्मू और कश्मीर	391	620
20.	हरियाणा	0	149
21.	केरल	0	73
22.	बिहार	80	
23.	आंध्र प्रदेश	0	112
24.	त्रिपुरा	23	460
	कुल	9504	1917
	कुल योग	11421	

विवरण-III

राज्य-वार स्वीकृत डीडीजी परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत डीडीजी परियोजनाओं की संख्या	शामिल गावों की संख्या	शामिल गांव/पुरवों की संख्या	परियोजना लागत (लाख रुपये)	स्वीकृति की तारीख
1.	कर्नाटक	1	1	2	270.56	27.07.2010
2.	पश्चिम बंगाल	9	1	39	9934.48	24.12.2010
3.	छत्तीसगढ़	19	2	19	1052.67	31.03.2011
4.	आंध्र प्रदेश	57	1	57	1694.196	03.08.2011
5.	उत्तर प्रदेश	62	5	103	6409.6	22.12.2011
	कुल	148	10	220	19361.506	

[अनुवाद]

उत्तरी बिहार में बाढ़ पीड़ितों को राहत

2790. श्री ओम प्रकाश यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तरी बिहार जैसे स्थानों जहां बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती है, में बाढ़ पीड़ितों के लिए व्यापक राहत तथा पुनर्वास कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे पुनर्वास कार्यक्रम पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है और इसमें राज्य तथा केन्द्र सरकार का कितना अंश है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) राज्यों को बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने का खर्च पूरा करने के लिए, प्रत्येक राज्य में संपोषित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से सहायता प्रदान की जाती है। गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में और जब राज्य सरकार को एसडीआरएफ में शेष राशि से अधिक व्यय की आवश्यकता होती है, तो तत्काल राहत के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाती है। एसडीआरएफ में केन्द्र और राज्यों की भागीदारी होती है। वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान बिहार को जारी किए गए एसडीआरएफ में केन्द्र का हिस्सा क्रमशः 250.87 करोड़ रुपए और 131.71 करोड़ रुपए है। वर्ष 2010-11 के दौरान एनडीआरएफ से भी 368.01 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास कार्य अपने स्वयं के संसाधनों/क्षेत्र विशिष्ट योजना निधियों से किए जाते हैं।

धारक कंपनी के विस्तार पर सीमाएं

2791. श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) धारक कंपनी के विस्तार को सीमित करना चाहता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या उद्देश्य हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) देश में वित्तीय नियंत्रण कंपनी (एफएचसी) संरचना को लागू करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून 2010 में एक कार्य दल का गठन किया गया था। कार्य दल ने बैंकों के स्वामित्व वाले मौजूदा वित्तीय समूहों के नियंत्रक कंपनी संरचना (अर्थात् बैंकिंग एफएचसी) में चले जाने के पश्चात् बैंकिंग एफएचसी के गैर-बैंकिंग व्यवसाय के विस्तार पर कुछेक प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है। कार्य दल की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट *www.rbi.org.in* पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

सुदूर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

2792. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :
श्रीमती ज्योति धुर्वे :
श्री रवनीत सिंह :
श्रीमती जे. शांता :

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक देश में से ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत निर्धारित और प्राप्त की गई उपलब्धियों का वर्ष-वार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित/जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को दुर्गम क्षेत्रों सहित आंतरिक पिछड़े जनजातीय तथा वन क्षेत्रों में माइन ग्रिड तथा माइन ग्रिड रहित ग्रामों को राज्यों विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकृत किए जाने हेतु कतिपय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) मंत्रालय के दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण (आरवीई) कार्यक्रम के

तहत राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं और स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य द्वारा पहचान की गई कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद परियोजनाओं पर मामला-दर-मामला आधार पर मंजूरी दी जाती है। तथापि, 11वीं योजना हेतु आरवीई कार्यक्रम के तहत एमएनआरई का संपूर्ण लक्ष्य 10,000 गांव/बस्तियां हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए गांवों और बस्तियों का वर्ष-वार, राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण (आरवीई) कार्यक्रम के तहत पात्र दूरस्थ अविद्युतीकृत गांवों और बस्तियों में जिनमें कि अत्यन्त पिछड़े, जनजातीय, जंगल और दुर्गम क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं, में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से रोशनी/आधारभूत विद्युत हेतु सुविधाओं का विकास करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों की राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ऐसे प्रस्ताव एक बार सभी मायनों में पूरा होने पर और बजट प्रावधानों के अध्यधीन आरवीई कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुरूप होने पर मंजूर किए जाते हैं। चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त और मंजूर ऐसी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। मंत्रालय द्वारा प्राप्त सभी पात्र प्रस्ताव मंजूर किए गए।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए राज्य-वार गांव और बस्तियां

क्र. सं.	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (09.03.2012 के अनुसार)	
		स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश			13					13		
2.	अरुणाचल प्रदेश		89		1				51		
3.	असम	1485	169		77	171	581		525		364
4.	छत्तीसगढ़	36	74	184		94			169		
5.	गोवा							19			
6.	गुजरात		36								
7.	हिमाचल प्रदेश								20		
8.	हरियाणा		149	92					92		
9.	जम्मू और कश्मीर	27	13	68		177	30	48			
10.	झारखंड		153	8	9	36		78		129	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	कर्नाटक	46	16	13	14						
12.	केरल	49							49		
13.	मध्य प्रदेश	75	42		89	126	27	203	87		106
14.	महाराष्ट्र		55	82	91		82				
15.	मणिपुर	14	40	35	17						
16.	मेघालय		2			66	70				52
17.	मिजोरम										
18.	नागालैंड		3					8			8
19.	ओडिशा		42	91	14	371	150	770	331		47
20.	राजस्थान		90				73	90			
21.	सिक्किम										
22.	तमिलनाडु	32									
23.	त्रिपुरा	205	165			251			90		284
24.	उत्तराखंड	23	76	50		12		84			
25.	उत्तर प्रदेश		65		14	105		152	105		
26.	पश्चिम बंगाल					22		2	5		1
	कुल	1992	1279	636	326	1431	1013	1464	1537	129	906

विवरण-II

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी की गई राज्य-वार निधियां

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (09.03.2012)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	0	17.94	6.13	0	7.4

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	197.52	278.57		0	0
3.	असम	7001.88	2025.79	1185.43	444.86	392.03
4.	बिहार	0			0	0
5.	छत्तीसगढ़	290.50	820.01	510.83	0	0
6.	दिल्ली	0			14.96	10
7.	गोवा	0			9.74	0
8.	गुजरात	0			0	0
9.	हरियाणा	0	55.69	12.86	0	0
10.	हिमाचल प्रदेश	0			0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	583.22	1107.89	366.83	2923.74	973
12.	झारखंड	1416.29	1036.62	576.38	1.70	1394
13.	कर्नाटक	106.03	10.13		0.42	9.4
14.	केरल	8.08	330.96		0	0
15.	मध्य प्रदेश	440.69	515.05	704.84	1085.83	337.89
16.	महाराष्ट्र	1125.60	593.35		337.99	163.267
17.	मणिपुर	111.57	409.02		0	0
18.	मेघालय	103.79	8.08	117.86	0	0
19.	मिजोरम	0			0	0
20.	नागालैंड	7.43			52.89	23.157
21.	ओडिशा	276.00	313.49	1750.65	185.08	2353.20
22.	राजस्थान	861.00		449.15	817.85	0
23.	सिक्किम	0		8.04	0	0
24.	तमिलनाडु	0		66.76	0	0

1	2	3	4	5	6	7
25.	त्रिपुरा	547.31	1159.61	588.65	0	0
26.	उत्तराखंड	203.93	184.11	55.23	8.39	167.768
27.	उत्तर प्रदेश	0.00		545.05	797.78	626.36
28.	पश्चिम बंगाल	0.00		1340.63	1135.76	308.85

विवरण-III

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त और मंजूर राज्य-वार प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य	प्रस्तावों में शामिल किए गए गांवों और बस्तियों की संख्या (09.03.2012 के अनुसार)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	असम	1656
3.	छत्तीसगढ़	314
4.	गोवा	19
5.	हरियाणा	92
6.	जम्मू और कश्मीर	320
7.	झारखंड	251
8.	कर्नाटक	59
9.	केरल	49
10.	मध्य प्रदेश	404
11.	महाराष्ट्र	82
12.	मणिपुर	49
13.	मेघालय	66
14.	नागालैंड	8
15.	ओडिशा	1232
16.	राजस्थान	90
17.	तमिलनाडु	32
18.	त्रिपुरा	456
19.	उत्तराखंड	169
20.	उत्तर प्रदेश	257
21.	पश्चिम बंगाल	24

[अनुवाद]

358

अस्वास्थ्यकारी स्थितियां

2793. श्री पूर्णमासी राम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल के वार्डों में सब जगह अस्वास्थ्यकारी स्थितियां हैं;

(ख) यदि हां, तो बारम्बार शिकायतें करने के बावजूद वार्डों विशेषकर शौचालयों में स्वास्थ्यकर स्थितियों में सुधार नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कतिपय बीमारियों के विशिष्ट उपचार के लिए सीजीएचएस लाभार्थियों हेतु अनेक निजी अस्पतालों को पैनलबद्ध किया है और यदि हां, तो उन्हें सभी बीमारियों के लिए अनुमति नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में समतुल्य चिकित्सा परिचर्या प्राप्त नहीं हो रही हैं और यदि हां, तो जीएनसीटी कर्मचारियों को भी सीजीएचएस के तहत कवर किये जाने से केन्द्र सरकार को किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, नहीं। सफदरजंग अस्पताल जन सुविधाओं के लिए स्वच्छता संबंधी मानक निर्धारित करता है। अस्पताल के प्राधिकारी के पास अस्पताल में स्वच्छता कायम रखने के लिए दो एजेंसियां हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी सफाई कर्मचारियों की सेवाएं भी उपयोग में लाई जाती हैं। अस्पताल में कृमि नियंत्रण संबंधी कार्य नियमित रूप से किया जाता है। अस्पताल प्रशासन को प्राप्त किसी भी शिकायत का तुरंत निवारण किया जाता है।

(ग) सरकार ने निविदा नोटिस में यथानिर्धारित सीजीएचएस के अंतर्गत पैनलबद्ध करने संबंधी शर्तों और निबंधनों के अनुसार निजी अस्पतालों को पैनलबद्ध किया है। निजी अस्पतालों को केवल उसी स्पेशियलिटी विशेष के लिए पैनलबद्ध किया गया है जिसके लिए उन्होंने सीजीएसएस दरें स्वीकार की हैं। अत: निजी अस्पतालों को ऐसी केवल उन्हीं स्पेशियलिटी के लिए पैनलबद्ध किया जाता है, जिनके लिए वे पैनलबद्ध किए जाने हेतु पात्र होते हैं।

(घ) इस मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को प्रदत्त चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में ऐसी कोई तुलना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त सीजीएचएस केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने वाली स्कीम है।

359-60

पनविद्युत परियोजनाओं में निवेश

2794. श्री शिवकुमार उदासी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को कर्नाटक सहित राज्य सरकारों से पन विद्युत परियोजनाओं में निवेश करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) विद्युत मंत्रालय के पास जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में निवेश करने के लिए कोई स्कीम नहीं है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 8(i) के अनुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति के लिए राज्य सरकारों द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) प्रस्तुत की जाती हैं। 01.04.2009 से, सीईए में सहमति के लिए राज्य क्षेत्र की ग्यारह जल विद्युत परियोजनाओं की डीपीआर प्राप्त की गई हैं। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। 360-61

शहरी स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाएं

2795. डॉ. रत्ना डे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी स्वास्थ्य परिचर्या परियोजनाओं के लिए 4,495 करोड़ रु. की राशि का उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.) के लिए इसके आरंभ होने से अब तक कितनी निधियां आवंटित की गई हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान आवंटित/उपयोग न की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) से (ङ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 4,495 करोड़ रु. प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) के लिए आवंटित किए गए। हालांकि एनयूएचएम संबंधी प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा सितम्बर, 2008 में अनुमोदित किया गया था, कार्यक्रम को शुरू नहीं किया जा

सका क्योंकि योजना आयोग ने इस मंत्रालय से कुछ देशों में अनुपालित उत्तम पद्धतियों सहित कतिपय अन्य पहलुओं पर विचार करने के लिए कहा जिनसे जन स्वास्थ्य सेवा प्रदानगी की उपलब्धता एवं गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती हैं। इसके लिए स्टेकहोल्डर से व्यापक परामर्श तथा एनयूएचएम के लिए ढांचे पर पुन: चर्चा करना अपेक्षित था।

संशोधित फ्रेमवर्क तथा ईएफसी नोट को संबंधित मंत्रालयों को परिचालित कर दिया गया है तथा उनमें से अधिकांश से इन पर टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। योजना आयोग से टिप्पणियां प्राप्त हो जाने के बाद, एनयूएचएम को शुरू करने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आगे की कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी] 361-63

धान की भूसी से विद्युत उत्पादन

2796. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के धान उत्पादन क्षेत्रों में धान की भूसी से विद्युत उत्पादन के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में धान की भूसी से विद्युत पैदा करने वाले राज्यों को कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में स्थापित ऐसे विद्युत उत्पादक संयंत्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) और (ख) जी, हां। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा धान की भूसी सहित बायोमास से विद्युत उत्पादन का संवर्धन करने के लिए एक स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। देश में 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए निर्धारित 500 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में अब तक 620 मेगावाट की बायोमास विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त कर ली गई है। दिनांक 29.02.2012 तक 1142 मेगावाट बायोमास विद्युत की कुल संचयी क्षमता प्राप्त कर ली गई है।

(ग) और (घ) बायोमास विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए मशीनरी और संघटकों के आयात पर रियायती सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क से छूट, मुख्य संघटकों पर त्वरित मूल्यह्रास, करों से राहत और पूंजीगत सब्सिडी जैसे विभिन्न राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा, बायोमास विद्युत संयंत्रों से विद्युत की बिक्री हेतु अधिमान्य शुल्क-दर उपलब्ध कराई जा रही है।

(ङ) देश में ऐसी परियोजनाओं की संख्या और संस्थापित क्षमता के राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ऐसी परियोजनाएं निजी निवेश के माध्यम से वाणिज्यिक परियोजनाओं के रूप में स्वतंत्र विद्युत उत्पादों द्वारा स्थापित की जाती हैं।

विवरण

दिनांक 29.02.2012 के अनुसार देश में स्थापित बायोगैस विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या और क्षमता

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (मेगावाट में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	39	210
2.	छत्तीसगढ़	29	250
3.	गुजरात	3	20
4.	हरियाणा	1	4
5.	कर्नाटक	13	88
6.	मध्य प्रदेश	01	1
7.	महाराष्ट्र	17	166
8.	ओडिशा	1	20
9.	पंजाब	5	50
10.	राजस्थान	8	81
11.	तमिलनाडु	23	206

1	2	3	4
12.	उत्तर प्रदेश	2	30
13.	पश्चिम बंगाल	2	16
	कुल	144	1142

[अनुवाद]

5.31 363

जाली नोटों की पहचान

2797. श्री पी.आर. नटराजन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास जाली नोटों की पहचान के लिए नई प्रौद्योगिकी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इसे शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

363-15

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूंजीगत सहायता

2798. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सबसे कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहायता देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में उक्त बैंकों को पूंजी प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त बैंकों को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से अन्य उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) सरकार ने वित्तीय रूप से कमजोर 40 आरआरबी को पुनर्पूंजीकरण की राशि विभिन्न पणधारकों द्वारा शेयरधारिता के अनुपात में वहन किया जाएगा, अर्थात् उक्त राशि में केन्द्रीय सरकार, संबंधित प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार की क्रमशः 50%, 35% और 15% की भागीदारी होगी। पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2010-11 में शुरू कर दी गई थी। अनुमोदित योजना के अनुसार, भारत सरकार के हिस्से का निर्गम, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के हिस्सों की रिलीज पर निर्भर करेगा। भारत सरकार के हिस्से के रूप में वर्ष 2010-11 के दौरान 66.49 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे और वर्ष 2011-12 के दौरान 402.43 करोड़ रुपए रिलीज किए जा चुके हैं। इस प्रकार 16 आरआरबी की पुनर्पूंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो गई है और 5 आरआरबी को संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक द्वारा उनके हिस्से रिलीज किए जाने के अनुसार आंशिक राशि प्रदान की गई है।

(ङ) आरआरबी का आधुनिकीकरण करने और इनमें प्रौद्योगिकी उन्नयन को सशक्त करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

- प्रौद्योगिकी उन्नयन पर जोर देने के परिणामस्वरूप 80 आरआरबी में मूल बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्रणाली शुरू हो गई है। ये आरआरबी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली से भी जुड़ गए हैं। जिससे इनके ग्राहकों के लिए किसी अन्य बैंक में धन का प्रेषण सुगम हो गया है। इससे आरआरबी को कम परिचालन लागत और तेज ग्राहक सेवा, सभी उत्पादों एवं सेवाओं का एकीकरण, बेहतर जोखिम प्रबंधन, कम परिचालन जोखिम, तत्काल अंतरण प्रसंस्करण और परिचालन बढ़ाने इत्यादि का लाभ प्राप्त होगा।
- प्रायोजक बैंकों को आरआरबी के परिचालन को अपने बैंकों के परिचालन से एकीकृत करने और उनके द्वारा प्रायोजित आरआरबी में मानव संसाधन विकास के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
- प्रायोजक बैकों के मुख्य कार्यकारियों को सलाह दी गई है कि संबंधित आरआरबी द्वारा उनकी प्रगति की समीक्षा किए जाने के पश्चात बैंक के निदेशक मंडल द्वारा उक्त प्रगति की समीक्षा तिमाही आधार पर की जानी चाहिए।

- आरआरबी प्रबंधन को सशक्त करने के उद्देश्य से प्रायोजक बैंकों को व्यावसायिक प्रवीणता, सम्मति और ग्रामीण बैंकिंग में अधिकारी के अनुभव के आधार पर आरआरबी अध्यक्ष के चयन के लिए आदर्श दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

आयकर विभाग में संवर्ग का पुनर्गठन

2799. श्री एस. सेम्मलई : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग के कर्मचारी महासंघ ने संवर्ग के पुनर्गठन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, हां।

(ख) सभी संवर्गों के वास्तविक आकांक्षाओं को पूरा करने एवं ठहराव को कम करने के उद्देश्य से संवर्ग संरचना के पुनर्गठन के साथ सभी स्तरों पर अतिरिक्त पदों की मांग की गई है। यह प्रस्ताव भारत सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

विदेशों से कर वंचन के बारे में सूचना

2800. श्री जोस के. मणि : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर वंचकों के संबंध में "टैक्स हैवन" देशों की सूचना लाइचेंस्टीन, पनामा, सेशेल्स और बहरीन के भारत के साथ कर सूचना आदान-प्रदान समझौता (टी.आई.ई.ए.) के बदले पूर्णरूपेण दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीएए) की मांग करने के कारण विलंबित होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा गतिरोध को दूर करने तथा ऐसे कर वंचकों के बारे में सूचना पाने के लिए जिन्होंने अपना धन इन देशों में जमा कर रखा है क्या कदम उठाया गया/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) लिचटेंस्टीन, पनामा तथा बहरीन, भारत के साथ कर सूचना के आदान-प्रदान संबंधी करारों (टीआईईएएस) को करने के लिए सहमत हुए हैं। सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर सेशेल्स के साथ टीआईईए करने के मामले को उठाया है।

काजू कामगारों के लिए स्वास्थ्य पैकेज

2801. श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में काजू कामगारों के लिए कोई स्वास्थ्य पैकेज का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुंदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने वर्ष 2012-13 संबंधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की अपनी कार्यक्रम कार्यान्वियन योजना (पी आई पी) में केरल में एंडोसल्फान त्रासदी के शिकार काजू कामगारों के लिए राहत एवं स्वास्थ्य परिचर्या पैकेज का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में एंडोसल्फान अरक्षितता से पहले से पीड़ित विशेष रोगों वाले रोगियों की पहचान करना, व्यापक निःशुल्क उपचार का प्रावधान, स्वास्थ्य सेवा प्रदानगी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, क्षमता निर्माण, आईईसी/बीसीसी, मॉनीटरन एवं मूल्यांकन तथा आयुष एकीकरण शामिल है।

[हिन्दी]

विद्युत कंपनियों को हानि

2802. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विद्युत कंपनियां कोयला और निधियों की कमी के कारण घाटे में चल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो 2010-11 के दौरान विद्युत कंपनियों को राज्य-वार कितनी हानि हुई?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) अप्रैल, 2011 से फरवरी, 2012 के दौरान, कोयला आधारित ताप विद्युत स्टेशनों ने 529 बिलियन यूनिट (बि.यू.) का उत्पादन

किया, अर्थात् पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उत्पादन वृद्धि 9.4% से अधिक की रही। तथापि, विद्युत यूटिलिटियों ने कोयले की कमी के कारण 8.7 बिलियन यूनिट की उत्पादन हानि की सूचना दी है। वर्ष 2011-12 के दौरान विद्युत यूटिलिटियों द्वारा सूचित की गई कोयले की कमी के कारण उत्पादन हानि का स्टेशन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा सभी राज्यों एवं पावर कंपनियों की वर्ष 2010-11 से संबंधित रिपोर्ट एकत्र किया जाना शेष है। तथापि, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों की कार्यनिष्पादन रिपोर्ट, वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान राज्य विद्युत क्षेत्र की सभी यूटिलिटियों को हुई सकल हानियों का विवरण नीचे दिया गया है:—

(राशि करोड़ रुपये)

	2007-08	2008-09	2009-10
प्रोद्भूत आधार पर कर पश्चात् लाभ/(हानि)	(12,520)	(24,820)	(29,531)
प्राप्त अनुदान के आधार पर लाभ/(हानि)	(15,389)	(37,986)	(44,469)

राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2011-12 में विद्युत यूटिलिटियों द्वारा कोयले की कमी के कारण सूचित उत्पादन हानियां

क्र. सं.	विद्युत यूटिलिटी	ताप विद्युत स्टेशन	क्षमता मेगावाट में	उत्पादन हानियां मि.यू. में (फरवरी, 2012 तक)
1	2	3	4	5
1.	एनटीपीसी	ऊंचाहार	1,050	124
		दादरी (एनसीपीपी)	1,820	192
		कहलगांव एसटीपीएस	1,340	4,821
		सिंगरौली एसटीपीएस	2,000	188
		रिहन्द एसटीपीएस	2,000	152
		फरक्का एसटीपीएस	1,600	195
		विन्ध्याचल एसटीपीएस	3,260	749
		तालचेर एसटीपीएस	3,000	384
		रामागुंडम	2,600	546
		सिम्हाद्रि	1,500	498
		बदरपुर	705	14
		कुल	20,875	7,861
2.	मध्य प्रदेश पावर जेनको	सतपुड़ा	1,143	63
		संजय गांधी	1,340	94
		कुल	2,483	157
3.	महाजेनको	खापरखेड़ा	1,340	27
		पारली	1,130	324
		पारस	500	53
		कुल	2,970	404
4.	एपीजेनको	रायलसीमा	1,050	17
		काकतिया	500	28
		कुल	1550	45
5.	डीवीसी	मेजिया टीपीसी	1,340	167
		चन्द्रपुर	890	96
		कुल	2,230	263
		कुल योग	30,108	8,731

विवरण-II

क्षेत्र	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10	
		कर के पश्चात् लाभ/(हानि) (वास्तविक आधार) पर	प्राप्त अनुदान आधार पर लाभ/(हानि)	कर के पश्चात् लाभ/(हानि) (वास्तविक आधार) पर	प्राप्त अनुदान आधार पर लाभ/(हानि)	कर के पश्चात् लाभ/(हानि) (वास्तविक आधार) पर	प्राप्त अनुदान आधार पर लाभ/(हानि)
1	2	3	4	5	6	7	8
पूर्वी	बिहार	-585	-585	-1,005	-1,005	-1,412	-1,412
	झारखंड	-1,201	-1,201	-1,048	-1,048	-707	-707
	ओडिशा	738	738	60	60	-287	-287
	सिक्किम	-28	-28	10	10	1	1
	पश्चिम बंगाल	364	364	345	345	269	269
कुल पूर्वी क्षेत्र		-712	-712	-1,638	-1,638	-2,136	-2,136
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	-83	-83	-48	-48	-33	-33
	असम	-128	-128	-41	-41	-339	-339
	मणिपुर	-94	-94	-113	-113	-106	-106
	मेघालय	1	1	10	10	-56	-56
	मिजोरम	-40	-40	-72	-72	-130	-130
	नागालैंड	-81	-81	-68	-68	-111	-111
	त्रिपुरा	25	25	47	47	-33	-33
कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र		-399	-399	-285	-285	-809	-809
उत्तर	दिल्ली	-104	-104	404	404	920	920
	हरियाणा	-625	-625	-1,387	-1,387	-1,408	-1,455
	हिमाचल प्रदेश	-25	-25	32	32	-153	-153

1	2	3	4	5	6	7	8
	जम्मू और कश्मीर	-1,372	-1,372	-1,279	-1,279	-2,183	-2,183
	पंजाब	-1,390	-1,390	-1,041	-1,041	-1,302	-1,302
	राजस्थान	-0	-2,375	-1,356	-8,184	-828	-11,846
	उत्तर प्रदेश	-4,377	-4,377	-6,705	-6,705	-7,538	-7,538
	उत्तराखंड	-450	-450	-456	-456	-423	-423
कुल उत्तरी क्षेत्र		-8,343	-10,718	-11,788	-18,616	-12,915	-23,980
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	341	-118	352	-5,678	424	-3,282
	कर्नाटक	301	266	-1,318	-1,377	187	20
	केरल	217	217	217	217	241	241
	पुदुचेरी	34	34	-69	-69	-41	-41
	तमिलनाडु	-3,512	-3,512	-7,771	-8,021	-9,680	-9,680
कुल दक्षिणी क्षेत्र		-2,620	-3,113	-8,589	-14,928	-8,869	-12,742
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	464	464	702	702	-433	-433
	गोवा	139	139	158	158	80	80
	गुजरात	102	102	126	126	266	266
	मध्य प्रदेश	-1,827	-1,827	-2,824	-2,824	-4,078	-4,078
	महाराष्ट्र	675	675	-680	-680	-636	636
कुल पश्चिमी क्षेत्र		-446	-446	-2,519	-2,519	-4,802	-4,802
कुल योग		-12,520	-15,389	-24,820	-37,986	-29,531	-44,469

(स्रोत: पीएफसी)।

[अनुवाद]

371-73

पंचायत स्तर पर सौर इकाइयां

2803. श्री रवनीत सिंह : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गांव/पंचायत स्तर पर सौर ऊर्जा इकाइयों की स्थापना के लिए राज सहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में पंजाब सहित देश में इस

योजना के अंतर्गत लाभ पाए हुए गांवों की कुल संख्या क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन की ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोग स्कीम के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के राज्यों में गांवों में अधिकतम 81,000/- रु. प्रति किलोवाट पीक के अध्यधीन स्टैंड अलोन सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों की संस्थापना लागत के 30% की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के द्वीपसमूह, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित विशेष श्रेणी के राज्यों में ग्राम पंचायतों द्वारा संस्थापित की जाने वाली इन प्रणालियों के लिए मंत्रालय द्वारा अधिकतम 243 रु. प्रति वाट पीक के अध्यधीन परियोजना लागत के 90% की सब्सिडी उपलब्ध है। देश में पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान 14178 सौर विद्युत संयंत्रों को मंजूरी दी गई है जिनमें से 35 संयंत्र पंजाब में हैं।

(ग) मंत्रालय तथा राज्य नोडल एजेंसियों, बैंकों, गैर-सरकारी संगठनों, आदि द्वारा देश में सौर पीवी प्रणालियों के संवर्धन के लिए जागरूकता एवं क्षमता निर्माण संबंधी कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों का नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है।

373-74

अन्य औषधालयों के लिए सी.जी.एच.एस. कार्डों का प्रयोग

2804. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश विशेषकर दिल्ली में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के औषधालय अन्य औषधालयों के प्लास्टिक सी.जी.एच.एस. कार्ड स्वीकार नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सी.जी.एच.एस. औषधालय केवल अपने औषधालयों से दवाएं दे रहे हैं तथा औषधियों की स्थानीय खरीद की अनुमति नहीं दे रहे हैं एवं लाभार्थियों को अपनी सी.जी.एच.एस. औषधालय में जाने का निदेश दे रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों के समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा देश के विशेषकर दिल्ली के सभी औषधालयों को अन्य औषधालयों के प्लास्टिक कार्डों को स्वीकार करने तथा आवश्यकता के अनुसार औषधियों के जारी करने के लिए कड़े अनुदेश कब तक दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) देश भर में जारी पेपर कार्डों सहित सभी सीजीएचएस कार्ड सर्वत्र स्वीकार्य हैं तथा देश में किसी भी सीजीएचएस औषधालय में उपचार प्राप्त करने के लिए वैध है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। सभी सीजीएचएस औषधालयों को किसी भी औषधालय से जुड़े वैध सीजीएचएस कार्ड धारी लाभार्थियों को स्थानीय खरीद वाली दवाओं सहित दवाएं जारी करने का निर्देश दिया गया है।

(च) मंत्रालय ने इस संबंध में अनुदेश पहले ही जारी कर दिए हैं।

[हिन्दी]

374-77

विद्युत वितरण कंपनियों को लाइसेंस

2805. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
डॉ. संजय सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत अधिनियम, 2003 में निजी विद्युत वितरक कंपनियों के लाइसेंस को निरस्त किए जाने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो प्रावधानों का ब्यौरा क्या है तथा इसका उद्देश्य क्या है;

(ग) उन निजी विद्युत वितरक कंपनियों के राज्य-वार नाम क्या

हैं जिनके लाइसेंस पिछले तीन वर्षों के दौरान निरस्त किए गए तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में इन प्रावधानों तथा वर्तमान निगरानी प्रणाली का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा ठीक से नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या भूमिका है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 19 वितरण लाइसेंसियों के लाइसेंस का प्रतिसंहरण करने के लिए उपयुक्त आयोग को अधिकार प्रदान करती है। धारा 19 का संबंधित उद्धरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विनियामक सचिवालय के मंच द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान किसी भी वितरण कंपनी का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया था।

(घ) इस संबंध में उपयुक्त आयोग राज्य सरकार नहीं है बल्कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग है। उपलब्ध सूचना के आधार पर, विद्युत अधिनियम तथा उसके अंतर्गत अधिसूचित प्रावधानों की निगरानी एवं कार्यान्वयन विनियामक आयोगों द्वारा किया जा रहा है।

(ङ) उपरोक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

लाइसेंस का रद्द करना:

(1) यदि उपयुक्त आयोग, जांच करने के पश्चात्, संतुष्ट हो जाता है कि जन हित में ऐसा अपेक्षित है तो वह निम्नलिखित मामलों में से किसी मामले में लाइसेंस रद्द कर सकता है, अर्थात्

(क) यदि लाइसेंसी, उपयुक्त आयोग के विचार में, किसी कार्य को करने में अपनी इच्छा से एवं विलम्बित व्यतिक्रम करता है जो इस अधिनियम पर इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों पर विनियमों द्वारा अपेक्षित है।

(ख) यदि लाइसेंसी अपने लाइसेंस की किसी निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करता है जो कि उस लाइसेंस को रद्द करने के लिए उस लाइसेंस द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित हो।

(ग) यदि लाइसेंसी अपने लाइसेंस द्वारा इस निमित निर्धारित अवधि के भीतर या कोई भी लम्बी अवधि जो उपयुक्त आयोग उसके लिए प्रदान करे, निम्नलिखित में विफल रहता है:—

(i) उपर्युक्त आयोग की संतुष्टि तक यह दर्शाए कि वह इसमें विफल रहता है कि वह अपने लाइसेंस द्वारा उसे सौंपे गए दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों का निवर्हन करने या 15 लाइसेंसी की यूटिलिटियों के विक्रय या उसके लाइसेंस द्वारा उस पर लगाए गए दायित्वों को पूर्ण रूप से और प्रभावी रूप से सक्षम है; अथवा

(ii) अपने लाइसेंस द्वारा अपेक्षित राशि जमा करवाने या प्रतिभूति देने या शुल्क का भुगतान करने या अन्य शुल्क देने में विफल रहता है;

(घ) जहां उपर्युक्त आयोग का यह विचार है कि लाइसेंसी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह अपने लाइसेंस द्वारा उस पर लगाए गए दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु पूर्ण एवं प्रभावी रूप से सक्षम नहीं है।

(2) जहां आयोग का यह विचार है कि जन हित में ऐसा करना अपेक्षित है वहां, उपर्युक्त आयोग आवेदन पर अथवा लाइसेंसी की सहमति से वितरण या पारेषण या उन निबंधनों एवं शर्तों, जिन्हें वह उचित समझे, पर ट्रेडिंग करके, क्षेत्र के सम्पूर्ण अथवा किसी भाग का लाइसेंस रद्द कर सकता है।

(3) कोई भी लाइसेंस उप धारा (i) के अंतर्गत तब तक रद्द किया जाएगा जब तक कि उपर्युक्त आयोग ने तीन माह पूर्व लिखित में नोटिस न दे दिया हो जिसमें लाइसेंस को रद्द करने के प्रस्ताव का आधार दर्शाया गया हो और प्रस्तावित रद्दीकरण के विरुद्ध उस नोटिस की अवधि के भीतर लाइसेंसी द्वारा दर्शाये गए किसी कारण पर विचार न कर लिया गया हो।

(4) उपयुक्त आयोग, उप धारा (1) के अंतर्गत लाइसेंस रद्द करने के बजाय, उन निबंधनों एवं शर्तों वह उचित समझे, के अधीन रहते हुए, प्रभाव में बने रहने की अनुमति दे सकता है और इस प्रकार लगाए गए निबंधन एवं शर्तों लाइसेंसी पर बाध्यकारी होगी एवं उनकी अनुपालना करनी होगी और इनकी शक्ति एवं प्रभाव इस प्रकार होगी कि वे लाइसेंस में ही निहित हों।

(5) यदि आयोग इस धारा के अंतर्गत लाइसेंस को रद्द करता है तो वह लाइसेंसी को रद्दीकरण का नोटिस देगा और वह तारीख निर्धारित करेगा जिस पर रद्दीकरण प्रभावी होगा।

(6) यदि उपयुक्त आयोग ने, लगाए जाने वाले किसी दंड या इस अधिनियम के अंतर्गत शुरू की जाने वाली किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप धारा (5) के अंतर्गत लाइसेंस को रद्द करने के लिए नोटिस दिया है तो लाइसेंसी, उस आयोग के पूर्व अनुमोदन के पश्चात्, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लाइसेंस देने हेतु उस आयोग को, जो लाइसेंस देने हेतु उस आयोग द्वारा पात्र पाया जाए, अपनी यूटिलिटि की बिक्री कर सकेगा।

आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक दवाओं की गुणवत्ता और मूल्य

377-79

2806. श्री कादिर राणा :
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक दवाओं के विनिर्माण, विपणन और गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किया गया/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने देश में इन औषधियों की बढ़ती कीमतों पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इससे संबंधित नियमावली देश में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी औषधों के विक्रय के लिए उनके विनिर्माण हेतु लाइसेंस देने संबंधी प्रक्रिया को विनियमित करते हैं। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और इससे संबंधित नियमावली के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए राज्य लाइसेंस प्राधिकारी नियुक्त करें। आयुष विभाग ने आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के विनियमन के लिए निम्नलिखित सहित अनेक कदम उठाए हैं:—

1. आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी (एयू और एच) भेषजसंहिताओं को प्रकाशित कराया गया है, जिनमें आयुर्वेद के 600 एकल औषधों व 152 सम्मिश्रित औषधयोगों, यूनानी के 298 एकल औषधों और 100 सम्मिश्रित औषधयोगों तथा 1016 होम्योपैथी औषधों के गुणवत्ता मानक निहित हैं।

2. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधों के लाइसेंस देने के लिए अच्छी विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) के अनुपालन को कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है।

3. भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम) स्थापित किया गया है, ताकि आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों की गुणवत्ता संबंधी सरोकारों का निदान होने के साथ-साथ उनके गुणवत्ता मानक भी विकसित किए जा सकें।

4. विभाग ने भारतीय गुणवत्ता परिषद् के सहयोग से एएसयू औषधों के स्वैच्छिक गुणवत्ता प्रमाणन के लिए एक स्कीम शुरू की है।

5. आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधों की विभिन्न किस्मों की उपयोग अवधि और इन औषधों के विनिर्माण में परिरक्षकों तथा योगशीलों आदि के प्रयोग को अधिसूचित कर दिया गया है।

6. 26 राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं और 46 राज्य भेषजिकियों को सार्वजनिक क्षेत्र में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी

और होम्योपैथी औषधों के गुणवत्ता परीक्षण व उत्पादन के लिए अपेक्षित अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय सहायता दी गई है। विभाग ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधों के परीक्षण के लिए 44 निजी औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता दी है।

(ख) से (घ) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों का मूल्य निर्धारण औषध मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) 1995 के अंतर्गत नहीं आता है। कुल मिलाकर इन औषधियों के मूल्य में वृद्धि होना एक सहज प्रक्रिया है। कुछ औषधियों के मूल्य बाजार बलों के कारण अधिक हो सकते हैं।

सरकार ने औषधीय पादप क्षेत्रक से संबंधित मामलों का समन्वय करने के लिए एक राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड स्थापित किया है। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधों के मूल्य नियंत्रण में रखने के प्रयोजनार्थ आवश्यक है कि अपरिष्कृत सामग्रियों के मूल्य मुनासिब सीमा के भीतर हों। औषधीय पादपों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड अभिनिर्धारित औषधीय पादपों की किसानों द्वारा कृषि को सहायता देता रहा है।

[अनुवाद] 379-80

बिक्री कारोबार का प्रकटन

2807. श्री के. सुधाकरण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) कंपनियों के लिए अपने मासिक बिक्री कारोबार या उत्पादन आंकड़ों को किसी अन्य निकाय या मीडिया को देने से पूर्व सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताने को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कदम का उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नए कानून में दांडिक प्रावधानों सहित समुचित प्रावधान किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) सेबी (भीतरी कारोबार का निषेध) विनियम, 1992 और सूचीयन करार के अनुपालन में सभी सूचीबद्ध कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे स्टॉक एक्सचेंज को, उसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए ऐसी मूल्य संवेदी सूचना और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में सूचित करें जिनका कंपनी के निष्पादन/प्रचालन पर प्रभाव पड़ता हो। तथापि, सेबी की जानकारी में आया है कि कुछ सूचीबद्ध कंपनियां केवल अपने कारोबार/उद्योग संघों को ही मासिक बिक्रियों/व्यापार/उत्पादन के आंकड़े दे रही हैं जो इनकी जानकारी अपने संघ के सदस्यों को देते हैं। अतः, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पणधारकों तक सूचना का अभिगम समान रहे, सेबी सूचीबद्ध कंपनियों को यह सलाह देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि जब और जैसे ही कोई सूचीबद्ध कंपनी अपने कारोबार/उद्योग संघ को ऐसे डाटा के बारे में सूचना देती है, तो वह यह सूचना एक्सचेंज को भी अग्रेषित करें।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता। 380-81

सी.जी.एस.एस. के अंतर्गत स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं

2808. श्री एस.आर. जेयदुरई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों या शहरों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों को उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का ब्यौरा क्या है जहां सी.जी.एच.एस. औषधालय या अस्पताल उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों या शहरों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने का है जहां ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे राज्यों और शहरों में रहने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को, जहां सीजीएचएस सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा जिन्हें प्राधिकृत चिकित्सक (ए.एम.ए.) से उपचार कराने के लिए अनुमति दी गई है, कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों को जो गैर-सीजीएचएस

क्षेत्रों में रहते हैं, केन्द्रीय सेवा आयुर्विज्ञान अटेंडेस [सी एम (एमए) नियमावली, 1994] के तहत स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। पेंशनर इन नियमों में शामिल नहीं हैं। तथापि, उन्हें 300/- रु. प्रति माह का निर्धारित चिकित्सा भत्ता पाने का हक है। गैर सीजीएचएस क्षेत्रों में रहने वाले पेंशन भोगियों को इस योजना के तहत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने के लिए किसी भी सीजीएचएस के तहत आने वाले किसी भी शहर में सीजीएचएस का सदस्य बनने का विकल्प है।

(ख) से (घ) सरकार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने पर विचार कर रही है जिसमें गैर सीजीएचएस क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(ङ) सी एस (एमए) नियमों के तहत केन्द्र सरकार के कर्मचारी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा नियुक्त अधिकृत मेडिकल अटेंडेन्ट्स से उपचार कराते है। वे संबंधित प्रशासनिक कार्यालय से नियमानुसार अपने चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करते हैं। देश भर में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को की गई चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बारे में सूचनाएं इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती।

सी.सी.आई.टी. का खाली पद

2809. श्री रामसिंह राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मुख्य आयकर आयुक्त (सी.सी.आई.टी.) के बहुत से पद खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मुख्य आयकर आयुक्तों की कमी के कारण आयकर विभाग का कार्यकरण किस हद तक प्रभावित हुआ है; और

(घ) कब तक इन खाली पदों के भरे जाने की संभावना है तथा आयकर की शीघ्र वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) और (ख) जी, नहीं। 116 मुख्य आयकर आयुक्तों (सीसीआईटी) में से केवल पांच पद खाली हैं। पदोन्नति से इन पदों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) और (घ) खाली पड़े पदों के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए इन पदों पर नियमित पदधारी की तैनाती होने तक विभाग द्वारा अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

बॉक्साइट के खनन पट्टे की अनुमति

2810. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा "छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड, रायपुर" के पक्ष में बॉक्साइट खनन के पट्टे के अनुमोदन/अनुमति के कुछ प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा बार-बार पूछे गये प्रश्नों का राज्य सरकार द्वारा समय पर उत्तर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तारीख तक मामले पर कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) बॉक्साइट परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए इन प्रस्तावों को कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) खान मंत्रालय को छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड के पक्ष में बॉक्साइट हेतु खनन पट्टे की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सिफारिश किए गए नौ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) इन मामलों में, संस्तुत क्षेत्रों में खनिजीकरण, क्षेत्र के मानचित्र और अधिकतम क्षेत्र सीमा संबंधी छूट के औचित्य के संबंध में राज्य सरकार और भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) से पूछताछ की गई थी। राज्य सरकार से हाल ही में छः प्रस्तावों से संबंधित उत्तर प्राप्त हुए हैं।

(घ) चूंकि प्रस्तावों में सूचना/दस्तावेज अपर्याप्त थे, अतः राज्य सरकार और आईबीएम से मंत्रालय को सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ताकि इस मामले में आसानी से निर्णय लिया जा सके।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किए गए प्रस्तावों की खान मंत्रालय द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा उसमें वर्णित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के आलोक में और आवश्यकतानुसार राज्य सरकारों और अन्य संबंधित एजेंसियों से परामर्श करके जांच की जाती है। इस तरह प्रस्तावों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा नहीं दर्शायी जा सकती।

[अनुवाद]

वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन

2811. श्री बदरुद्दीन अजमल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन के पश्चात भी वनवासियों के अधिकारों की रक्षा नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों से उक्त अधिनियम के उल्लंघन की कई शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वनवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) जी, नहीं। अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा इसके तहत तैयार किए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 29 फरवरी, 2012 तक अधिनियम के तहत 31,70,247 दावे दायर किए गए थे, जिनमें से 27,27,684 (86.04%) दावे निपटा दिए गए थे। 12,54,668 अधिकार पत्र संवितरित कर दिए गए थे तथा 16,052 अधिकार पत्र संवितरण हेतु तैयार थे।

(ख) और (ग) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अधिकारों से वंचन तथा वन से जनजातीय लोगों की बेदखली इत्यादि से संबंधित शिकायतें पिछले कुछ समय से प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास भेज दिया गया है क्योंकि अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

(घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है तथा उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध कर रहा है कि अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों को यथाशीघ्र मान्यता दी जाए तथा उन्हें ये प्रदान किए जाएं। अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।

पर्यटन सर्किट

2812. श्री एम.के. राघवन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में कुछ समन्वित पर्यटन सर्किट के विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजन के लिए स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्रामीण पर्यटन के लिए समान स्थानों को भी चिन्हित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) से (ङ) पर्यटन अवसंरचना का विकास एवं संवर्धन की मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, निधियों की उपलब्धता पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्राथमिकीकरण बैठक में उनके साथ हुई चर्चा के आधार पर प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

पर्यटन मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य (केवल उनको छोड़कर जो उत्तर-पूर्वी राज्यों में हैं) और संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में समन्वित पर्यटन परिपथों और गांव के समूहों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के परामर्शदाता (एनएलसी) को नियुक्त किया है।

छोटे परिवार का मानदंड

2813. **डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में छोटे परिवार का मानदंड अपनाने वाले कुछ परिवारों की संख्या में 2010 और 2011 के बीच 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसे परिवारों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) एचएमआईएस पोर्टल के जरिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनंतिम सूचना के अनुसार बंध्यीकरण पद्धति के परिवार नियोजन स्वीकारकर्ताओं की कुल संख्या में वर्ष 2009-10 में 49,97,571 से वर्ष 2010-11 में 50,09,322 तक वृद्धि हुई है। वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रकृति स्वैच्छिक है, जो दंपत्तियों को बगैर किसी बाध्यता के उनकी पसंद के अनुसार सर्वोत्तम अनुकूल पद्धतियां अपनाने हेतु पात्र बनाती हैं। तथापि लोगों को परिवार नियोजन अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार स्वीकारकर्ता को बंध्यीकरण करवाने के लिए चिकित्सा केन्द्र में जाने वाले दिन के पारिश्रमिक की हानि के लिए बंध्यीकरण स्वीकारकर्ताओं को मुआवजा देने हेतु एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित करती आ रही है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वेसक्टामी के लिए 1500/- रु. और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1000/- रु. की दर से तथा सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों में वेक्सटॉमी के लिए 1500/- रु. और ट्यूबक्टॉमी प्रक्रियाओं के लिए 1000/- रु. की दर से तथा सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी श्रेणियों के प्रत्यायित निजी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में वेसक्टॉमी के लिए 1500/- रु. की धनराशि की दर से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त इस दिशा में किए गए मुख्य कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

- बंध्यीकरण के स्वीकारकर्ताओं और प्रदायकों के लिए मुआवजा पैकेज में वृद्धि।
- बंध्यीकरण से हो सकने वाली किसी भी दुर्घटना को कवर करने के लिए राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा स्कीम का शुरू करना।
- जन्म अंतराल की पद्धति के रूप दीर्घावधिक ओयूडी-380क को प्रोत्साहन।
- सांस्थनिक प्रसवों में वृद्धि करने की दृष्टि से स्वास्थ्य सुविधाओं में पोस्ट-पार्टम परिवार नियोजन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।
- नॉन स्केल्पल वेसक्टॉमी (एनएसवी) पद्धतियों के जरिए पुरुष सहभागिता को बढ़ावा देना।
- मिनी लैप बंध्यीकरण पद्धतियों पर डॉक्टरों का प्रशिक्षण।
- बंध्यीकरण सेवाओं के प्रावधान में वृद्धि करने हेतु निजी प्रदायकों को सूचीबद्ध करना।
- लोगों को उनके प्रयासों के लिए प्रोत्साहन के रूप में उनके घरों पर नाममात्र राशि लेकर गर्भनिरोधक प्रदान करने हेतु आशाओं की सेवाओं को उपयोग में लाना।

विवरण

बंध्यीकरण के संबंध में राज्य-वार उपलब्धियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपलब्धि		
		2008-09	2009-10*	2010-11*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	698,524	665,400	557,434
2.	असम	48,064	81,112	81,136

1	2	3	4	5
3.	बिहार	250,550	312,211	509,859
4.	छत्तीसगढ़	168,733	173,635	150,031
5.	गुजरात	320,515	313,633	325,748
6.	हरियाणा	88,920	86,240	80,203
7.	झारखंड	110,693	113,354	120,253
8.	कर्नाटक	415,085	396,328	259,609
9.	केरल	127,883	101,431	92,056
10.	मध्य प्रदेश	451,762	434,706	681,850
11.	महाराष्ट्र	535,635	516,484	503,483
12.	ओडिशा	95,190	117,955	137,366
13.	पंजाब	86,732	76,377	93,853
14.	राजस्थान	356,923	345,900	338,574
15.	तमिलनाडु	343,201	343,908	327,262
16.	उत्तर प्रदेश	393,576	470,194	379,491
17.	पश्चिम बंगाल	309,164	311,722	242,638
18.	अरुणाचल प्रदेश	1,900	1,390	1,657
19.	दिल्ली	25,089	21,690	19,874
20.	गोवा	5,354	4,175	3,776
21.	हिमाचल प्रदेश	30,813	27,616	23,638
22.	जम्मू और कश्मीर	21,237	20,112	18,598
23.	मणिपुर	2,148	986	1,468
24.	मेघालय	1,933	1,830	2,030
25.	मिजोरम	3,369	2,536	2,373
25.	नागालैंड	490	1,212	1,646
27.	सिक्किम	272	549	239
28.	त्रिपुरा	7,318	3,745	4,043
29.	उत्तराखंड	33,422	24,462	24,856
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	697	825	711
31.	चंडीगढ़	2,086	2,073	2,016
32.	दादरा और नगर हवेली	1,114	1,160	1,045
33.	दमन और दीव	—	—	391
34.	लक्षद्वीप	2	8	32
35.	पुदुचेरी	9,196	9,104	11,218

— : सूचित नहीं। * : अनंतिम।

नोट: योग को अखिल भारत के आंकडों में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्यवार आंकड़ों में रक्षा मंत्रालय और रेलवे के आंकड़े शामिल नहीं हैं। 388-69

बचत बैंक खाता की पोर्टेबिलिटी

2814. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पूरे देश में वैयक्तिक बचत बैंक खाता की पोर्टेबिलिटी शुरू करनें का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी पहल का क्या उद्देश्य है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिर्जव बैंक (आरबीआई) ने 26 मई, 2010 को दामोदरन समिति का गठन किया था और इस समिति

का कार्य खुदरा और छोटे ग्राहकों को उपलब्ध बैंकिंग सेवाओं की जांच पड़ताल करना था। इस समिति ने 4 जुलाई, 2011 को अपनी रिपोर्ट आरबीआई को सौंप दी थी। समिति ने यह सिफारिश की है कि यदि कोई ग्राहक किसी अन्य नगर में स्थानांतरित हो जाता है अथवा उसी शहर में स्थित किसी अन्य शाखा में अपने खाते को अंतरित करवाता है तो ऐसी स्थितियों में उसे बैंक में अपने खाते का वही नम्बर रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। आरबीआई ने दामोदरन समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई की है तथा अक्तूबर 2011 को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को यह सलाह दी है कि वे उपर्युक्त सिफारिशों पर अमल करें।

आरबीआई ने यह भी उल्लेख किया है कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) तथा विनियम के उपबंध, बैंकों के बीच खाता पोर्टेबिलिटी का समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि किसी ग्राहक की पहचान से संबंधित अभिलखों को बैंक और ग्राहक के बीच लेनेदन की समाप्ति होने की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के लिए ग्राहक संबंध स्थापित करते हुए बैंक द्वारा बनाए रखा जाना होता है।

सी.बी.ई.सी. में परिवर्तन

2815. **श्री राजू शेट्टी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) ने समूह क के कार्यकारी अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों के अनुरूप संगठनात्मक संरचना का प्रस्ताव किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्य उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को फीडर श्रेणियों के अनुपात में परिवर्तन सहित भर्ती नियमों में संशोधन के लिए निदेश दिया है तथा यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय का निदेश लंबे समय से पदोन्नति न मिलने की समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सीबीईसी द्वारा पिछले 20 से 25 वर्षों के दौरान क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तुलना में सी.बी.ई.सी. में सेवा मामलों के कुप्रबंधन के कारण केन्द्र सरकार द्वारा लड़े गए मुकदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, हां। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, समूह 'क' अधिकारियों के विभिन्न स्तरों पर मौजूदा स्वीकृत पदों की संख्या को बढ़ाकर विभाग की कार्यात्मक जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा करना है। यह प्रस्ताव कार्मिक विभाग में विचाराधीन है।

(ख) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 03.08.2011 के निदेश के अनुसरण में भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है तथा संघ लोक सेवा आयोग की सहमति मिलने के बाद नियमों को अधिसूचित कर दिया जाएगा।

(ग) समूह 'क' पद पर पदोन्नति के लिए समूह 'ख' के तीन फीडर संवर्ग के बीच मौजूदा अनुपात को संशोधित करने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 03.08.2011 के निदेश के साथ भाग (क) के उत्तर में यथा उल्लिखित कार्रवाई से आशा की जाती है कि समूह 'क' में पदोन्नति संबंधी विलम्ब दूर होगा। समय-समय पर कार्यात्मक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह विभाग, विभाग का पुनर्गठन करके पदोन्नति में विलंब को दूर करने के उपाय करता रहा है। इस दिशा में प्रमुख पुनर्गठन 1992 और 2002 में किए गए थे।

(घ) विभिन्न संगठनात्मक ढांचे और कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सीबीईसी के सेवा मामलों की तुलना सीबीडीटी के सेवा मामलों से नहीं की जा सकती। सीबीईसी के समक्ष पेश आ रही मुकदमेबाजी के कई कारण हैं जैसे फीडर ग्रेड की परस्पर वरिष्ठता, विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण तथा फीडर ग्रेड का पदोन्नति अनुपात। यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि सीबीईसी में सेवा मामलों के कु-प्रबंधन के कारण सरकार के समक्ष मुकदमेबाजी की समस्या आ रही है।

आंध्र प्रदेश को विश्व बैंक का ऋण

2816. **श्री एल. राजगोपाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक से महिला स्व-सहायता समूहों के लिए 3,500 करोड़ रु. के ऋण का अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या राज्य ने केन्द्र सरकार से इस उद्देश्य के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसे अब तक जारी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायणन मीणा) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश ग्रामीण समावेशी विकास परियोजना के लिए 750 करोड़ रुपये (लगभग 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की विश्व बैंक सहायता मांगने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्तावित परियोजना का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीब लोगों के लिए आय को बढ़ाना तथा समुदाय द्वारा प्रबंधित सतत कृषि और पशुधन कार्यकलापों के संवर्धन के जरिए खाद्य सुरक्षा सृजित करना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि प्रस्ताव के संबंध में योजना आयोग की टिप्पणियों की अभी प्रतीक्षा है। जैसे ही योजना अयोग की टिप्पणियां प्राप्त होंगी, प्रस्ताव की आर्थिक कार्य विभाग द्वारा विदेशी वित्तपोषण एजेंसियों को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों के चयन के संबंध में विद्यमान मार्गनिर्देशों के संदर्भ में जांच की जाएगी।

391-92

निजी वित्त कंपनियां

2817. श्रीमती विजया चक्रवर्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत निजी वित्त कंपनियों का असम सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त कंपनियों ने सरकार से अपेक्षित अनुमति प्राप्त कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में निर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण का प्रमाण-पत्र (सीओआर) प्राप्त करना अपेक्षित है। असम राज्य सहित भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जमाराशि लेने वाली एनबीएफसी	गैर-जमाराशि लेन वाली एनबीएफसी	कुल
1.	अहमदाबाद	10	329	339
2.	बंगलौर	7	137	144
3.	भोपाल	2	126	128
4.	भुवनेश्वर	1	14	15
5.	चंडीगढ़	77	371	448
6.	चेन्नै	37	460	497
7.	गुवाहाटी	0	116	116
8.	हैदराबाद	2	246	248
9.	जयपुर	3	163	166
10.	जम्मू	21	41	62
11.	कानपुर	42	223	265
12.	कोलकाता	5	5,805	5,810
13.	मुम्बई	6	1,515	1,521
14.	नई दिल्ली	47	2,410	2,457
15.	पटना	2	43	45
16.	तिरुवनंतपुरम	13	143	156
	कुल	275	12,142	12,417*

*इसमें केन्द्रीय सरकार की स्वामित्व वाली 5 एनबीएफसी और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली 32 एनबीएफसी शामिल हैं।

392-93

टिकाऊ कीटनाशक नेट की आपूर्ति

2818. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को विश्व बैंक समर्थित मलेरिया नियंत्रण परियोजना के अधीन टिकाऊ कीटनाशक नेटों (एनएलआईएन) की आपूर्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में राज्यों को टिकाऊ कीटनाशक नेटों की आपूर्ति की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति क्या है;

(घ) क्या उक्त सहायता गुजरात सहित कई राज्यों को मुहैया नहीं करायी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हो तथा उन्हें टिकाऊ कीटनाशक नेटों की आपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) से (ग) जी, हां।

वर्ष 2011-12 के दौरान कुल 51,79,114 एएलआईएन की आपूर्ति आंध्र प्रदेश (1,005,866), छत्तीसगढ़ (903,040), झारखंड (660,000), मध्य प्रदेश (707,540) एवं ओडिशा (1,902,668) राज्यों को की गई है।

(घ) और (ङ) एल.एल.आई.एन. की केवल परियोजना राज्यों को ही आपूर्ति की जाती है। गुजरात परियोजना के चरण-II वाले परियोजना राज्यों में से एक है और इसे वर्ष 2012-13 में एलएलआईएन परेषिती राज्य की सूची में शामिल किया गया है।

393-94

एनबीएफसी के लिए मानदंड

2819. श्री सी. शिवासामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को सख्त बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कदम से इस प्रकार की कंपनियों की ऋण शोधन क्षमता में सुधार होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायणन मीणा) : (क) से (घ) वित्तीय क्षेत्र और इस क्षेत्र के विनियमित संगठनों में अनुशासन लाने तथा अनुशासन में सुधार करने और ऐसे संगठनों की वित्तीय सेहत की सही एवं उचित तस्वीर को प्रस्तुत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आय निर्धारण के लिए विवेकसम्मत मानदंड और अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानीकरण विहित किया है। आरबीआई ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) के लिए भी ऐसे मानदंड विहित किए हैं। आरबीआई समष्टि-आर्थिक परिवेश, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन, ऐसे संगठनों के ऋण पोर्टफोलियो के बढ़ाने में उसकी जोखिम अवधारणा आदि सहित विभिन्न प्रकार के संगत कारकों को ध्यान में रखकर ऐसे मानदंडों की समय-समय पर समीक्षा करता है। ऐसे विवेकसम्मत उपायों का उद्देश्य है—इस क्षेत्र और इस क्षेत्र में परिचालनरत विनियमित संगठनों की सुदृढ़ता सुनिश्चित करना।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए अपेक्षित है कि वे अपनी बकाया मानक आस्तियों के 0.25 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान करें। इसके अलावा, आरबीआई ने अपने परिपत्र दिनांक 21.03.2012 के जरिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जो प्रधानतया स्वर्ण आभूषण के एवज में उधार देने में लगे हैं, को स्वर्ण आभूषण के एवज में प्रदत्त ऋणों के लिए 60 प्रतिशत से अनधिक मूल्य के बदले ऋण (एलटीवी) अनुपात को बनाए रखने और अपने तुलन-पत्र में उनकी कुल आस्तियों की तुलना में ऐसे ऋणों की प्रतिशतता को प्रकट करने की सलाह दी है। प्रधानतया स्वर्ण आभूषण के बदले उधार देने में लगी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सलाह दी गई थी कि वे 01 अप्रैल, 2014 तक 12 प्रतिशत की न्यूनतम टीयर-I पूंजी बनाए रखें। इन उपायों से जोखिम कम करने की क्षमता में वृद्धि होगी और ये संभावित हानियों के प्रतिरोधक का काम करेंगी।

दिसम्बर, 2011 में जारी चौथी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक ने दर्शाया है कि भारत की वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ है और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भी जोखिम झटकों के झेल पाने की क्षमता दिखाई है।

394-95

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण बाजार तक अधिक पहुंच की अनुमति प्रदान करना

2820. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को श्रमिक संघों से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के माध्यम से इक्विटी मार्केट में संसाधन जुटाने की बजाय उन्हें बैंकों और विदेशी निवेश के ऋण बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान करने की सलाह प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

दवाइयों और इंजेक्शनों का भंडारण

2821. **श्री विष्णुपद राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उप औषधि नियंत्रक, नई दिल्ली ने एक पत्र के माध्यम से अंडमान और निकोबार प्रशासन को दवाइयां, इंजेक्शन और भंडारण क्षेत्र के संबंध में कोई निदेश जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त निदेश किस तिथि को जारी किया गया था;

(ग) क्या जी.बी. पंत केन्द्रीय स्टोर में समुचित संवातन है और उक्त स्टोर सीलन से मुक्त है;

(घ) यदि हां, तो एन्टिबॉयाटिक्स, इंजेक्शन, सीरप, विटामिन और कैप्सूल का भंडारण किस तापमान पर किया जाना चाहिए और उक्त सामग्रियां किस तापक्रम पर रखी गईं;

(ङ) 'सेरा' टॉक्सिन, टॉक्साइड और अन्य टीकों का भंडारण किस तापमान पर किया जाना चाहिए और उक्त सामग्रियां किस तापमान पर रखी गईं; और

(च) उक्त सामग्रियों को समुचित तापमान पर भंडारित नहीं किए जाने के कारण क्या क्षति होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) सभी औषधियों को विनिर्दिष्ट तापमानों पर भंडारित किया जाता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

एनटीपीसी द्वारा गैस की खरीद

2822. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) का सरकार अनुमोदित दर पर गैस खरीदने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) एनटीपीसी अपने प्रारंभ से ही अपने मौजूदा गैस आधारित स्टेशनों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित कीमतों पर 1989 से एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म (एपीएम) गैस, 1997 से पन्ना मुक्ता ताप्ती (पीएमटी) गैस प्राप्त कर रही है। के जी डी 6 गैस के संबंध में, एनटीपीसी सरकार द्वारा अनुमोदित कीमत पर नवम्बर, 2009 से इसे प्राप्त कर रही है।

एनटीपीसी के अनुरोध पर, विद्युत मंत्रालय ने 70% संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) के मौजूदा मानकों के अनुसार कवास और गन्धार विस्तार परियोजना (2600 मेगावाट), के लिए क्रमश: 9.70 मिलियन मीट्रिक स्टैण्डर्ड क्यूबक मीटर तथा 3.92 एमएमएससीएमडी गैस प्रतिदिन और कायमकुलम स्टेज-II (1050 मेगावाट) के आवंटन/आश्वासन के लिए सिफारिश की है।

गैस मूल्य निर्धारण और आवंटन संबंधी मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) ने दिनांक 24.02.2012 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ एनटीपीसी की मांग पर भी ध्यान दिया किन्तु इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। चूंकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एवं एनजी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2015-16 तक किसी अतिरिक्त घरेलू गैस के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है इसलिए विकासकर्ताओं

को 2015-16 तक घरेलू गैस पर आधारित परियोजनाओं की योजना न बनाने की सलाह दी गई है।

दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा

2823. **श्री एन. पीताम्बर कुरूप :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्घटना, बम विस्फोट, भवन के ढह जाने, राजनीतिक दंगे, बाढ़ आदि में मारे गए लोगों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा व्यय की गई राशि से संबंधित आंकड़े रखे जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों पर चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा दुर्घटना, बम विस्फोट, भवन के ढह जाने, राजनीतिक दंगे, बाढ़ आदि में मारे गऐ लोगों के परिवारों को वित्तीय सहायता से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, आईआरडीए द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान आतंकवाद से प्रभावित व्यक्ति के लिए बनाए गए पूल से अदा किए गए दावों तथा साधारण बीमाकर्त्ताओं द्वारा निपटाये गए अन्य पक्ष वाहन दुर्घटना बीमा दावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(i) गत 3 वर्षों के दौरान आतंकवाद से प्रभावित व्यक्ति के लिए बनाए गए पूल से निपटाये गए बीमा दावे:—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	प्रीमियम	अदा किए गए दावे
2008-09	235.54	50.67
2009-10	316.30	213.80
2010-11	388.77	76.18

(ii) साधारण बीमाकर्त्ताओं द्वारा गत 3 वर्षों के दौरान निपटाये गए अन्य पक्ष वाहन दुर्घटना दावे:—

वर्ष	प्रीमियम	अदा किए गए दावे
2008-09	4821.90	4759.07
2009-10	4471.30	3934.40
2010-11	5132.52	4685.15

[हिन्दी]

एम्स में निधियों का दुरुपयोग

2824. **श्री प्रदीप कुमार सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में निर्माण कार्य के नाम पर करोड़ों रुपए के दुरुपयोग का मामला उजागर हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निधियों के दुरुपयोग के इस प्रकार के मामलों को रोकने और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बैंक की शाखा खोले जाने के लिए मानदंड

2825. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखा खोले जाने के लिए कोई जनसंख्या आधारित मानदंड निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में देश में उन स्थानों पर जहां बैंक कार्यरत हैं वहां जनसंख्या के अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान के दौसा जिले में बैंक शाखाओं को खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) बैंक शाखाएं खोलने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों को अपने विवेक से शाखाएं खोलने के लिए स्थान का चयन करने की स्वतंत्रता दी गई है और बैंक, अन्य पहलुओं में से अर्थक्षमता, लाभप्रदता तथा अवसंरचना की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ऐसा करते हैं। आरबीआई की मौजूदा शाखा प्राधिकार नीति के अनुसार, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) को रिपोर्ट करने की शर्त के अधीन (i) टीयर 2 से टीयर 6 केन्द्रों (99,999 तक की आबादी वाले) में और (ii) उत्तर पूर्वी राज्यों एवं सिक्किम के ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी केन्द्रों में शाखाएं/मोबाइल शाखाएं प्रशासनिक कार्यालय/सीपीसी (सेवा शाखाएं) खोलने की आम अनुमति दी गई है। गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों से अपेक्षित है कि वे सतत आधार पर अपनी कुल शाखाओं की संख्या में से 25 प्रतिशत 1,00,000 से नीचे की जनसंख्या वाले ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी केन्द्रों में रखें। अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीईपी) तैयार करते समय बैंकों को वर्ष के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित शाखाओं की कुल संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत बैंक रहित ग्रामीण (टीयर 5 और टीयर 6) केन्द्रों के लिए आवंटित करना चाहिए। 31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति शाखा राज्य-वार औसत जनसंख्या विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राजस्थान राज्य के दौसा जिले के 95 गांवों में शाखा रहित बैंकिंग अर्थात् कारोबार साथी (बीसी) के जरिए बैंकिंग केन्द्र बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए खोले गए हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने दौसा, जिला दौसा में देना बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एक-एक शाखा खोलने की अनुमति दी है।

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राज्य-वार प्रति शाखा औसत जनसंख्या

क्र. सं.	राज्य	31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार एपीपीबी (हजार में)
1	2	3
1.	असम	20.240
2.	मेघालय	13.412
3.	मिजोरम	10.802
4.	बिहार	23.891
5.	झारखंड	16.624
6.	अरुणाचल प्रदेश	15.892
7.	पश्चिम बंगाल	16.168
8.	नागालैंड	20.210
9.	मणिपुर	32.402
10.	ओडिशा	13.588
11.	सिक्किम	7.234
12.	त्रिपुरा	15.107
13.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.836
14.	उत्तर प्रदेश	17.887
15.	उत्तराखंड	7.717
16.	दिल्ली	6.426
17.	पंजाब	6.982

1	2	3
18.	हरियाणा	9.243
19.	चंडीगढ़	3.675
20.	जम्मू और कश्मीर	11.839
21.	हिमाचल प्रदेश	6.262
22.	राजस्थान	15.215
23.	गुजरात	11.833
24.	महाराष्ट्र	12.710
25.	दमन और दीव	8.097
26.	गोवा	3.082
27.	दादरा और नगर हवेली	9.022
28.	मध्य प्रदेश	16.274
29.	छत्तीसगढ़	17.638
30.	आंध्र प्रदेश	10.988
31.	कर्नाटक	9.406
32.	लक्षद्वीप	5.369
33.	तमिलनाडु	10.522
34.	केरल	7.191
35.	पुदुचेरी	7.876
	अखिल भारत	13.209

योजनागत/गैर-योजनागत बजट 401-02

2826. श्री पशुपति नाथ सिंह : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए मंत्रालय के लिए निर्धारित योजनागत और गैर-योजनागत बजट कितना है;

(ख) किन कार्यों के लिए गैर-योजनागत बजट का उपयोग किया गया है और योजनागत बजट के कितने हिस्से का उपयोग किया गया है तथा इस प्रकार की परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान गैर-योजनागत और योजनागत बजटों के निष्पादन का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) वर्ष 2010-11 और 2011-12 में मंत्रालय के लिए निर्धारित योजना और गैर-योजना बजट निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	बजट अनुमान		संशोधित अनुमान	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
2010-11	200.00	366.14	241.00	420.11
2011-12	214.00	440.28	375.36	436.95

(ख) इस मंत्रालय में गैर-योजना बजट का उपयोग सचिवालय खर्च अर्थात् स्थापना व्यय के लिए किया जाता है।

(ग) खान मंत्रालय के लिए योजना प्रावधान को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एमईसीएल) की नियमित योजना स्कीमों और मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया जाता है। बजट उपलब्ध प्रावधानों की तुलना में निष्पादन निम्नवत् है:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	वास्तविक व्यय	
	योजना	गैर-योजना
2010-11	227.77	419.94
2011-12	246.07* फरवरी, 2012 तक	429.36 फरवरी, 2012 तक

*फरवरी, 2012 तक वास्तविक व्यय के अतिरिक्त 89.73 करोड़ रुपए का भुगतान दिनांक 22.3.2012 को जीएसआई के समुद्रगामी अनुसंधान जहाज की खरीद हेतु तीसरी किस्त के रूप में कर दिया गया है।

[अनुवाद] 403-04

निरंतर पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर

2827. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो वर्षों के दौरान जांच समिति द्वारा सीजीएचएस लाभार्थियों को मुहैया करायी गयी या उन्हें लागत का पुनर्भुगतान की गई निरंतर पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर (सीपीएपी) मशीनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या जीवन रक्षक मशीनों की मंजूरी के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें समय-सीमा का उल्लंघन किया गया है;

(घ) जांच समिति द्वारा जीवन रक्षक मशीन मुहैया कराए जाने में विलंब के कारण मरने वाले सीजीएचएस लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा सीजीएचएस लाभार्थियों को औषधालय स्तर पर शीघ्रता से जीवन रक्षक मशीनें प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) विगत दो वर्षों के दौरान सीजीएचएस में सीजीएचएस लाभार्थियों के 242 अनुरोध प्रोसेस किए गए।

(ख) और (ग) जीवन रक्षक मशीनों की स्वीकृति देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, स्क्रीनिंग समिति के विचारार्थ मामले को प्राथमिकता के आधार पर प्रोसेस करने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

(घ) मौत के किसी ऐसे मामले की सूचना नहीं मिली है। विशेषज्ञ की सिफारिश पर सीधे ही मशीनों की खरीद करने वालों के मामले स्क्रीनिंग समिति को सिफारिश के लिए अग्रेषित किए जाते हैं ताकि कार्योत्तर मंजूरी दी जा सके।

(ङ) जीवन रक्षक मशीन प्रदान करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. सीजीएचएस पेंशनर लाभार्थी का अनुरोध अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के जरिए संबद्ध जोन के अपर निदेशक को प्रस्तुत किया जाता है।

   सीजीएचएस सेवारत लाभार्थी के मामले में उचित माध्यम से अनुरोध की प्राप्ति होने पर अपर निदेशक (मुख्यालय), सीजीएचएस, दिल्ली के स्तर पर कार्रवाई की जाती है।

2. अनुरोध विधिवत रूप से गठित स्क्रीनिंग समिति के समक्ष सिफारिश हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं।

3. ऐसी सिफारिश मिलने पर अपेक्षित मशीन की खरीद के लिए आगे बढ़ने हेतु सीजीएचएस पेंशनर को सीधे तौर पर सूचित किया जाता है तथा सीजीएचएस सेवारत लाभार्थी को उनके प्रशासनिक विभाग के जरिए सूचित किया जाता है। प्रतिपूर्ति सीजीएचएस द्वारा निर्धारित उच्चतम दरों के अनुसार की जाती है।

   इस चिकित्सा सुविधा का समुचित इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है।

[हिन्दी] 404-06

पूर्ण खाता परिवर्तनीयता

2828. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ण खाता परिवर्तनीयता संबंधी समिति की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से देश की अर्थव्यवस्था के किस हद तक लाभान्वित होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन के मुद्दे पर मतभेद को सुलझा लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रत्येक मुद्दे, जिसका समाधन कर लिया गया है, का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता संबंधी समिति (जो तारापोर समिति के नाम से भी जानी जाती है) ने 31 जुलाई, 2006 को भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत पूंजी खाता परिवर्तनीयता के लिए अंशशोधित पद्धति को अपना रहा है। पूंजी खाते को घटबढ़ की अपेक्षाओं के अनुरूप और घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर उदारीकृत किया जा रहा है। समिति ने दूसरे देशों के साथ लेन-देन के संबंध में विशेष उपायों की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को तीन चरणों में क्रियान्वित किया जाना था। चरण-1 और चरण-2 के उपायों पर क्रियान्वयन कार्य लगभग समाप्त हो चुका है और चरण-3 के उपाय क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है।

(ग) पूंजी खाता परिवर्तनीयता को विकसित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में एक समझा जाता है। इससे विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलती है। इससे विदेशी निवेशकों को एक अतिरिक्त राहत मिलती है क्योंकि वे अपनी इच्छानुसार कभी भी स्थानीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में पुन: परिवर्तित करा कर अपना धन वापिस ले जा सकते हैं। उसके साथ ही, पूंजी खाता परिवर्तनीयता घरेलू कम्पनियों को विदेशी बाजार से संपर्क करना आसान बनाती है। पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता व्यवस्था के अंतर्गत जब घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ प्रगामी मिलाप होता है तो उसके परिणामस्वरूप सीमा-पार पूंजी प्रवाहों में वृद्धि होती है। पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता व्यवस्था विविधता बढ़ोतरी, पूंजी तक बेहतर पहुंच तथा जोखिम प्रबंधन साधनों की व्यापक रेंज जैसे क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं को लाभान्वित करती है। इसके साथ ही, पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की अपरिपक्व शुरुआत से अर्थव्यवस्था को पूंजी प्रवाहों को व्यापक करना पड़ेगा जिससे विनिमय दरों, स्टॉक तथा रीयल एस्टेट बाजारों एवं मूल्य स्थायित्व पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, विदेशी वाणिज्यिक उधार नीति में तीव्र उदारीकरण से विदेशी ऋण बोझ बढ़ सकता है। जिससे भुगतान संतुलन पर दबाव पड़ेगा तथा वित्तीय संकट के दौरान भारतीय कॉर्पोरेट को तुलन पत्र समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। अत: पूंजी खाता परिवर्तनीयता प्रक्रिया में जल्दबाजी से वृहद आर्थिक और वित्तीय स्थायित्व निहितार्थ होंगे।

(घ) और (ङ) पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता संबंधी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन एक चल रही प्रक्रिया है तथा वास्तविक कार्यान्वयन वृहद आर्थिक मानदंडों एवं वैश्विक घटनाक्रमों पर निर्भर करता है।

406-

चीनी सेब का आयात

2829. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के सेब, जिनमें बैक्टीरिया होने का संदेह है और जो बीमारी फैला सकते हैं, का बिना जांच किए आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में कोई जांच कराए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कब तक उक्त जांच कराए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) खाद्य सुरक्षा एवं मानक (संदूषक, जीव-विष तथा अवशिष्ट) विनियम, 2011 के उपबंधों के अनुसार जीवाणु की विद्यमानता के संदेह वाले आयातित सेब, चाहे वे चीन या किसी अन्य देश के हों, जिनसे रोग फैल सकता है, को सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व उनकी प्रयोगशाला में जांच की जाती है सीमा शुल्क प्राधिकरण सेब सहित कृषि पदार्थों का संगरोध दृष्टि से परीक्षण करने के लिए पादप संरक्षण संगरोध तथा भंडारण निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग को जांच आदेश भी जारी करता है।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय का कोई इंक्वायरी करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस मामले में ऐसे कोई मुद्दे/रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं।

शेष 407-12

इन्फ्लुएन्जा ए एच1एन1, एच5एन1 और कोंगो बुखार के मामले

2830. श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्री संजय धोत्रे :
श्री मंगनी लाल मंडल :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से विश्वव्यापी इन्फ्लुएन्जा ए एच1एन1, इन्फ्लुएन्जा ए एच5एन1 और क्रीमिएन-कांगो हेमोरेजिक बुखार (सीसीएचएफ) के मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पता चले इस प्रकार के मामलों तथा इनमें से ठीक हुए या मृत व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा लिंग-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार के मामलों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों को उपलब्ध करायी गयी वित्तीय और तकनीकी सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में जागरूकता फैलाने और देश में इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए अन्य देशों की समन्वित सहायता से नई पहल की है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 2009-2012 के दौरान मनुष्यों के बीच महामारी इंफ्लुएंजा के मामलों की सूचना मिली थी। क्रीमियन कांगो ज्वर की सूचना सर्वप्रथम वर्ष 2011 में मिली थी। भारत में एवियन इंफ्लुएंजा (एच5एन1) के मानव मामले की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) स्थानीय महामारी के उपशमन के लिए 22 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यात्रियों की प्रवेश जांच की गई। इंफ्लुएंजा जैसी अन्य अनेक बीमारियों का पता लगाने के लिए एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के जरिए जांच की जा रही है। प्रयोगशाला नेटवर्क को सुदृढ़ किया गया है। पैंतीस प्रयोगशालाएं (सरकारी क्षेत्र में 24 और निजी क्षेत्र में 19) नैदानिक नमूनों की जांच के लिए समर्थ हैं। भारत सरकार ने 40 मिलियन कैप्सूलों का प्रापण किया जिन्हें आवश्यकता के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को दिया गया था। स्वदेशी रूप से एच1एन1 वैक्सीन तैयार करने संबंधी क्षमता को सहायता प्रदान की गई। वैक्सीन की 1.5 मिलियन खुराकों को आयात किया गया और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों में स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों का टीकाकरण किया गया। जिला स्तरीय टीम के प्रशिक्षण के लिए निधियां आवंटित की गईं। भारतीय चिकित्सा संघ को निजी चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने हेतु निधियां प्रदान की गईं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक कार्य दल ने जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया योजना कार्यान्वित की।

भारत ने महामारी का उपशमन करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सहयोग किया।

एवियन इंफ्लूएंजा के लिए केंद्रीय दलों ने नियंत्रण ऑपरेशन का मॉनीटरन किया और मानक जनसंख्या पर निगरानी रखी।

क्रीमियन कांगो रक्तस्रावी ज्वर के लिए गुजरात राज्य को उपचार प्रोटोकॉल इत्यादि के संबंध में सलाह हेतु राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे में प्रकोप जांच, प्रयोगशाला पुष्टिकरण के संबंध में सहायता प्रदान की गई।

विवरण

वर्ष 2009, 2010 के लिए इंफ्लुएंजा ए (एच1एन1) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और लिंग-वार स्थिति

क्र. सं.	राज्य/वर्ष	मई, 2009 से 31 दिसंबर, 2009				जनवरी, 2010 से दिसंबर, 2010				जनवरी, 2011 से दिसंबर, 2011			
		रोगी		मौतें		रोगी		मौतें		रोगी		मौतें	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	दिल्ली	4813	3626	30	42	1546	1179	38	39	18	7	0	2
2.	आंध्र प्रदेश	428	349	28	24	358	375	23	26	5	6	1	0
3.	कर्नाटक	1051	821	60	78	1274	1301	60	56	45	55	5	7
4.	तमिलनाडु	1158	904	5	2	670	514	7	6	16	18	2	2
5.	महाराष्ट्र	2801	1793	138	132	3750	3064	297	372	15	11	2	3
6.	केरल	908	671	12	20	632	901	37	52	90	120	6	4
7.	पंजाब	65	49	17	16	79	60	5	9	27	19	9	5
8.	हरियाणा	1104	784	18	16	118	98	9	7	4	2	2	2
9.	छत्तीसगढ़ (उत्तराखंड)	160	97	6	2	47	28	0	0	0	0	0	0
10.	गोवा	40	23	2	3	38	30	1	0	5	2	0	0
11.	पश्चिम बंगाल	86	49	0	0	68	53	2	2	0	0	0	0
12.	उत्तराखंड	84	45	6	4	15	10	4	3	0	0	0	0
13.	हिमाचल प्रदेश	9	5	3	4	7	3	2	1	6	8	1	2
14.	जम्मू और कश्मीर	67	26	1	1	17	3	1	1	4	9	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	गुजरात	394	303	64	61	901	781	175	188	5	2	3	1
16.	मणिपुर	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	असम	36	11	0	1	4	1	1	0	0	0	0	0
20.	झारखंड	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
21.	राजस्थान	1780	1252	68	82	935	775	55	98	17	19	3	8
22.	बिहार	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
23.	उत्तर प्रदेश	721	494	9	5	196	180	18	11	35	22	0	0
24.	पुदुचेरी	49	38	4	2	32	18	4	2	0	1	0	0
25.	छत्तीसगढ़	27	19	0	2	30	20	6	6	0	0	0	0
26.	मध्य प्रदेश	13	7	4	4	190	205	37	73	6	3	3	1
27.	दमन और दीव	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	ओडिशा	9	17	2	1	58	34	12	17	0	0	0	0
29.	नागालैंड	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	15843	11393	478	503	10971	9633	794	969	299	304	38	37

दिल्ली में पंचायती राज अधिनियम

2831. **श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पंचायती राज अधिनियम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) उक्त अधिनियम के दिल्ली में कब तक फिर से लागू किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासन (एन.सी.टी.) दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1990 से पंचायती राज संस्थाएं एन.सी.टी. दिल्ली में अस्तित्व में नहीं हैं। एन.डी.एम.सी. और छावनी बोर्ड को छोड़कर नगर निगम अधिनियम, 1957 पूरी दिल्ली पर लागू है।

(घ) दिल्ली, एन.सी.टी. सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली पंचायती राज अधिनियम पुन: लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

दूषित पेयजल से होने वाली बीमारियां

2832. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :**
श्री रामकिशुन :
श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो :
श्री कपिल मुनि करवारिया :
श्री प्रदीप माझी :
श्री प्रेमदास :
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :
श्री राम सुन्दर दास :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में फ्लोराइड और आर्सेनिक सहित विभिन्न संदूषकों की अधिक मात्रा वाले दूषित पेयजल के उपयोग के कारण डायरिया, हैपेटाइटिस, हैजा, टॉयफायड और फ्लूरोसिस सहित विशेषकर बच्चों में होने वाली बीमारियों के मामलों की बड़ी संख्या में जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दूषित पेयजल के कारण इन बीमारियों के मामलों और इन बीमारियों से हुई मौतों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) इन बीमारियों का समुचित उपचार किए जाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधि व्यय की गयी;

(घ) क्या सरकार का दूषित पेयजल के कारण होने वाली इस प्रकार की बीमारियों के नियंत्रण के लिए एक व्यापक योजना बनाए जाने और इस उद्देश्य के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) संदूषित पेयजल के उपभोग से अनेक जल जनित रोग जैसे हैजा, तीव्र अतिसार रोग, वायरल हेपाटाइटिस और टायफाइड (जठरांत्र ज्वर) हो सकता है। वर्ष 2009-11 के दौरान हैजे, तीव्र अतिसार रोगों, वायरल हेपाटाइटिस और टायफाइड (जठरांत्र ज्वर) के कारण होने वाली मौतों और सूचित मामलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I से IV में दिया गया है।

उच्च फ्लूराइड और आर्सेनिक अवयवों युक्त पेयजल पीने से अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे डेंटल फ्लूरोसिस और आर्सेनिकोसिस हो सकते हैं। तथापि, फ्लूरोसिस और आर्सेनिकोसिस के कारण होने वाली मौतों की राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) सुरक्षित पेयजल का प्रावधान जलजनित रोगों के फैलाव की रोकथाम हेतु मुख्य कार्यनीति है। सुरक्षित पेयजल

प्रदान करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है हालांकि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों के जरिए सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं:—

ग्रामीण विकास मंत्रालय—पेय जलापूर्ति विभाग

(i) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

(ii) ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता मॉनीटरन और निगरानी कार्यक्रम

(i) जलमणि कार्यक्रम

शहरी विकास मंत्रालय

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) समय-समय पर राज्य सरकारों को जल जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण संबंधी तकनीकी दिशानिर्देश जारी करता है और ऐसे रोगों का एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी) के अंतर्गत प्रकोपों के जांच करने में सहायता करता है।

भारत सरकार टेलीविजन, रेडियो और प्रदर्शनियों के जरिए पोटेबल पेयजल के महत्व के संबंध में लोगों को शिक्षित करती है।

स्वास्थ्य 'राज्य' का विषय है। तथापि भारत सरकार एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी) के अंतर्गत राज्यों को रोग निगरानी, प्रकोप जांच और अनुक्रिया के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आईडीएसपी के अंतर्गत जिलों और राज्यों को अतिरिक्त कार्मिकशक्ति प्रदान करके, प्रकोप जांचों के लिए अभिज्ञात द्रुत अनुक्रिया दल (आरआरटी) सदस्यों को प्रशिक्षित करके, स्थानिक भारी संभावित रोगों की पहचान करने के लिए प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण, डाटा एंट्री, विश्लेषण और डाटा अंतरण के लिए आईसीटी उपस्कर, तथा प्रचालन हेतु निधियों की व्यवस्था करके वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य स्वास्थ्य सोसाइटियों को आईडीएसपी के अंतर्गत जारी की गई निधि और किया गया व्यय संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2009—2011 के दौरान हैजा के कारण सूचित राज्यवार मामले और मौतें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009		2010*		2011*	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	308	4	178	0	229	0
2.	आंध्र प्रदेश	3	0	0	0	0	0
3.	असम	21	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
5.	छत्तीसगढ़	3	0	12	0	1	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	309	0	132	1	79	0

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हरियाणा	17	1	105	0	1	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	5	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	2976	3	0	0
11.	झारखंड	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	0	0
12.	कर्नाटक	143	0	301	3	166	0
13.	केरल	62	2	2	0	17	1
14.	मध्य प्रदेश	7	4	3	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	183	1	384	1	210	2
16.	मणिपुर	एनआर	एनआर	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	एनआर	एनआर	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	एनआर	2	0	0	0
21.	पंजाब	19	0	43	1	0	0
22.	राजस्थान	1	0	37	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	818	0	156	0	334	2
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	1	एनआर	एनआर	एनआर	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	20	0	9	0
28.	पश्चिम बंगाल	486	0	570	0	652	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	चंडीगढ़	35	0	एनआर	एनआर	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	1	0	8	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	1066	एनआर	77	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल	3482	12	5004	9	1706	5

स्रोत: सीबीएचआई, डीजीएचएस द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल।

नोट: 1. *वर्ष 2010 और 2011 संबंधी आंकड़े अनंतिम हैं।

2. एनआर का अर्थ है सूचित नहीं किया गया।

विवरण-II

वर्ष 2009—2011 के दौरान तीव्र अतिसार रोगों के कारण सूचित राज्यवार मामले और मौतें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009		2010*		2011*	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	2322963	111	2291375	214	2208759	99
2.	आंध्र प्रदेश	26909	7	19104	3	12105	7
3.	असम	190070	0	75681	0	96816	16
4.	बिहार	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
5.	छत्तीसगढ़	125069	11	51480	2	54724	5
6.	गोवा	20103	0	16417	5	14737	2
7.	गुजरात	337608	3	357922	3	367450	0
8.	हरियाणा	240017	33	215717	43	210613	19

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	हिमाचल प्रदेश	334699	24	284548	28	310427	51
10.	जम्मू और कश्मीर	518678	5	494138	5	544711	0
11.	झारखंड	64817	5	58767	0	17143	0
12.	कर्नाटक	787179	81	583103	62	591989	49
13.	केरल	371714	4	373945	2	234661	0
14.	मध्य प्रदेश	565568	134	305438	107	263879	87
15.	महाराष्ट्र	640056	39	813445	12	436258	4
16.	मणिपुर	20614	9	13869	12	17605	39
17.	मेघालय	174769	24	181411	16	130136	14
18.	मिजोरम	21841	17	16148	12	15349	11
19.	नागालैंड	33970	0	36535	0	30020	1
20.	ओडिशा	663651	91	681659	104	571867	83
21.	पंजाब	190473	51	204936	39	190022	14
22.	राजस्थान	244836	27	223106	11	224806	7
23.	सिक्किम	46629	6	55223	2	57004	2
24.	तमिलनाडु	517896	18	455668	49	523193	30
25.	त्रिपुरा	147400	33	119945	88	109777	83
26.	उत्तर प्रदेश	111240	70	100065	42	80215	24
27.	उत्तराखंड	453863	159	431893	164	580323	185
28.	पश्चिम बंगाल	2443284	725	1970448	398	1854651	288
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	30416	0	28028	8	19679	0
30.	चंडीगढ़	10468	7	एनआर	एनआर	13730	0

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	दादरा और नगर हवेली	94537	0	69265	1	81322	1
32.	दमन और दीव	6849	0	8169	0	12707	0
33.	दिल्ली	145171	107	115478	89	102983	62
34.	लक्षद्वीप	4590	1	6742	0	4693	0
35.	पुदुचेरी	76543	16	82659	5	80766	3
	कुल	11984490	1818	10742327	1526	10065120	1186

स्रोत: सीबीएचआई, डीजीएचएस द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल।

नोट: 1. *वर्ष 2010 और 2011 संबंधी आंकड़े अनंतिम हैं।

2. एनआर का अर्थ है सूचित नहीं किया गया।

विवरण-III

वर्ष 2009–2011 के दौरान वायरल हेपेटाइटिस के कारण सूचित राज्य-वार मामले और मौतें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009		2010*		2011*	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	9457	53	9949	60	11476	61
2.	आंध्र प्रदेश	153	2	219	6	432	5
3.	असम	7770	0	312	0	2557	25
4.	बिहार	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
5.	छत्तीसगढ़	1835	13	287	4	139	1
6.	गोवा	96	0	71	0	102	0
7.	गुजरात	3068	99	3190	0	4328	0
8.	हरियाणा	2011	4	1583	4	2503	2
9.	हिमाचल प्रदेश	2979	5	2566	13	1248	10

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू और कश्मीर	6190	0	3990	0	4918	2
11.	झारखंड	340	4	358	0	111	0
12.	कर्नाटक	11029	19	8872	16	6049	8
13.	केरल	7810	13	5353	6	4513	8
14.	मध्य प्रदेश	7381	17	5168	15	3686	12
15.	महाराष्ट्र	7488	30	5416	36	5813	29
16.	मणिपुर	1764	0	320	0	229	0
17.	मेघालय	205	2	438	1	80	3
18.	मिजोरम	476	7	571	12	810	14
19.	नागालैंड	542	0	119	0	48	0
20.	ओडिशा	5610	82	3328	62	3016	56
21.	पंजाब	5750	7	6546	21	5041	12
22.	राजस्थान	981	2	1356	1	944	0
23.	सिक्किम	364	3	1180	2	750	0
24.	तमिलनाडु	3978	1	5732	3	5818	0
25.	त्रिपुरा	987	3	684	8	327	0
26.	उत्तर प्रदेश	20132	17	6645	12	3130	17
27.	उत्तराखंड	1988	19	2203	9	7749	28
28.	पश्चिम बंगाल	4525	121	4779	68	5480	105
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	243	2	255	6	208	5
30.	चंडीगढ़	390	2	एनआर	एनआर	543	0
31.	दादरा और नगर हवेली	277	0	314	2	269	0

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	दमन और दीव	62	0	103	0	484	0
33.	दिल्ली	7657	40	6510	61	8347	68
34.	लक्षद्वीप	30	0	20	0	15	1
35.	पुदुचेरी	517	33	650	2	520	12
	कुल	124085	600	89117	430	91683	484

स्रोत: सीबीएचआई, डीजीएचएस द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल।

नोट: 1. *वर्ष 2010 और 2011 संबंधी आंकड़े अनंतिम हैं।

2. एनआर का अर्थ है सूचित नहीं किया गया।

विवरण-IV

वर्ष 2009–2011 के दौरान आंत्र ज्वर (टायफाइड) के कारण सूचित राज्यवार मामले और मौतें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009		2010*		2011*	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	136585	8	170763	5	186020	7
2.	आंध्र प्रदेशा	3739	23	5715	10	2653	8
3.	असम	4422	0	4140	0	4541	5
4.	बिहार	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
5.	छत्तीसगढ़	53291	5	38532	0	32731	0
6.	गोवा	623	0	431	0	265	0
7.	गुजरात	7156	1	9778	0	14371	0
8.	हरियाणा	21183	31	22361	2	24041	1
9.	हिमाचल प्रदेश	20252	4	24417	3	28074	2
10.	जम्मू और कश्मीर	93953	0	90847	1	82347	0

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखंड	34172	10	35872	0	10980	0
12.	कर्नाटक	50434	11	34296	6	38727	2
13.	केरल	4331	2	4621	1	2712	0
14.	मध्य प्रदेश	57883	39	33792	25	29238	18
15.	महाराष्ट्र	79162	12	94363	0	39471	1
16.	मणिपुर	5247	3	3859	0	5498	7
17.	मेघालय	10066	0	8169	1	8243	1
18.	मिजोरम	1163	4	1115	0	2270	1
19.	नागालैंड	15569	0	19014	0	14680	2
20.	ओडिशा	50341	33	45692	29	55939	85
21.	पंजाब	22444	1	28248	6	36263	9
22.	राजस्थान	11469	0	10575	0	7916	0
23.	सिक्किम	218	0	689	0	733	0
24.	तमिलनाडु	143948	1	112879	51	50085	0
25.	त्रिपुरा	2025	1	2042	5	3551	0
26.	उत्तर प्रदेश	23009	49	16489	2	13702	1
27.	उत्तराखंड	65096	72	71037	158	116525	80
28.	पश्चिम बंगाल	133095	78	146428	74	127180	34
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2608	0	1266	1	1343	1
30.	चंडीगढ़	498	0	एनआर	एनआर	733	0
31.	दादरा और नगर हवेली	2653	0	2221	0	2269	0
32.	दमन और दीव	920	0	1652	0	964	0

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	दिल्ली	40646	47	32542	60	42976	55
34.	लक्षद्वीप	4	0	13	0	14	0
35.	पुदुचेरी	1126	1	11001	0	11077	0
	कुल	1099331	436	1084859	440	998132	320

स्रोत: सीबीएचआई, डीजीएचएस द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल।

नोट: 1. *वर्ष 2010 और 2011 संबंधी आंकड़े अनंतिम हैं।

2. एनआर का अर्थ है सूचित नहीं किया गया।

विवरण-V

एकीकृत रोग निगरानी परियोजना

राज्य सोसाइटियों की वित्तीय स्थिति का सारांश

26.03.12 के अनुसार
(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्यों को जारी सहायता अनुदान				राज्यों द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षा के अनुसार व्यय			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क.	**विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित**								
1.	आंध्र प्रदेश	51.18	201.71	169.82	112.88	95.40	211.49	105.95	128.53
2.	गुजरात	41.26	90.16	169.25	201.06	99.41	149.75	149.88	108.34
3.	कर्नाटक	25.24	89.95	218.19	103.48	146.71	163.42	146.01	83.67
4.	महाराष्ट्र	112.48	138.49	292.85	118.57	130.87	82.70	130.26	160.54
5.	पंजाब	30.00	97.63	147.60	103.79	98.64	133.12	116.47	126.55
6.	राजस्थान	118.05	177.66	227.53	136.28	134.19	214.60	217.84	115.51
7.	तमिलनाडु	7.71	87.54	193.62	60.95	96.41	94.53	91.70	91.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	उत्तराखंड	0.00	78.10	133.74	64.50	47,10	92.24	93.34	67.62
9.	पश्चिम बंगाल	0.00	111.08	99.40	35.85	65.83	57.39	95.06	105.79
ख.	उत्तरी राज्य, पूर्वोत्तर के अलावा								
10.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.58	0.00	0.00	15.61	2.73	13.62	7.84	3.52
11.	बिहार	0.00	10.00	121.17	103.89	0.00	46.57	127.71	102.26
12.	चंडीगढ़	32.77	29.10	8.00	13.74	19.74	30.00	24.91	11.92
13.	छत्तीसगढ़	0.00	46.42	110.13	48.59	75.94	118.61	95.28	66.63
14.	दादरा और नगर हवेली	0.23	17.51	15.00	5.27	5.35	6.09	8.99	6.71
15.	दमन और दीव	0.00	19.01	15.00	8.71	10.88	10.19	13.85	9.65
16.	दिल्ली	7.71	0.00	0.00		0.37	15.34	15.16	11.95
17.	गोवा	15.00	33.83	16.64	26.82	20.97	33.71	25.18	14.99
18.	हरियाणा	73.52	98.44	75.83	139.28	37.81	77.95	117.72	112.72
19.	हिमाचल प्रदेश	76.81	79.87	30.00		49.24	39.03	55.66	23.32
20.	जम्मू और कश्मीर	0.00	66.03	100.00		12.57	15.11	19.21	101.16
21.	झारखंड	0.00	81.78	65.00		3.16	38.80	52.11	47.05
22.	केरल	0.00	0.00	144.34		38.76	105.88	71.62	57.20
23.	लक्षद्वीप	0.00	20.19	0.00		6.28	5.40	2.39	0.26
24.	मध्य प्रदेश	0.00	201.16	197.82	88.35	205.14	204.05	245.11	160.23
25.	ओडिशा	0.00	27.13	100.00	39.06	45.41	95.69	72.72	70.89
26.	पुदुचेरी	15.00	24.97	35.00	33.14	14.71	25.95	31.14	28.36
27.	उत्तर प्रदेश	0.00	275.30	0.00	140.63	0.15	196.34	290.52	137.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ग.	**पूर्वोत्तर राज्य**								
28.	अरुणाचल प्रदेश	4.57	34.51	123.00	148.07	57.08	54.01	130.81	78.25
29.	असम	44.09	23.55	139.75	151.09	62.24	144.70	139.59	110.63
30.	मणिपुर	0.00	0.00	35.00	23.97	6.28	19.21	39.07	1.17
31.	मेघालय	18.49	30.07	46.50	14.75	33.72	26.52	28.27	13.26
32.	मिजोरम	23.64	34.02	68.75	53.54	52.70	40.23	38.14	29.88
33.	नागालैंड	0.00	38.37	75.00	73.75	81.95	34.47	50.44	48.91
34.	सिक्किम	0.00	20.40	28.00	14.50	30.91	20.87	21.85	18.89
35.	त्रिपुरा	9.21	19.08	24.00	7.00	13.76	18.21	11.50	5.85

अनुवाद 435-37

कैंसर केन्द्रों/संस्थानों को वित्तीय सहायता

2833. **श्रीमती दर्शना जरदोश :**
श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूरत स्थित लॉयन्स कैंसर जांच और उपचार केन्द्र सहित कई कैंसर केन्द्रों को वित्तीय सहायता दी है/दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कैंसर केन्द्रों/संस्थानों को इस प्रकार की सहायता किस स्कीम के अंतर्गत दी जा रही है, तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सिलचर के काचार कैंसर अस्पताल और शोध केन्द्र सहित विभिन्न कैंसर अस्पतालों से अवसंरचना विकास के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में इस प्रकार के कैंसर केन्द्रों/संस्थानों को वित्तीय सहायता दिए जाने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है/प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) से (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है तथा केन्द्र सरकार सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों तथा पूर्ववर्ती क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद कर रही है।

भारत सरकार ने वर्ष 2010 में एक व्यापक राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग एवं आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) शुरू किया था तथा कार्यक्रम में 11वीं पंचवर्षीय योजना के 2010–12 के दौरान 21 राज्यों के 100 जिलों में कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है। एनपीसीडीसीएस के कैंसर घटक के अंतर्गत जिला अस्पतालों को कैंसर के जल्दी निदान, कैंसर रोगियों को कीमोथिरेपी सुविधाएं तथा उपशामक परिचर्या हेतु सुदृढ़ किया जाता है।

मौजूदा कार्यक्रम में व्यापक कैंसर परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए देशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेज/अस्पतालों तथा पूर्ववर्ती क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के तृतीयक कैंसर केन्द्र (टीसीसी) के रूप में सुदृढ़ीकरण की भी परिकल्पना की गई है। ये संस्थाएं 6.00

करोड़ रु. तक की वित्तीय सहायता (केन्द्र सरकार से 4.80 करोड़ रु. तथा राज्य सरकार से 1.20 करोड़ रु.) के लिए पात्र हैं।

टीसीसी योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष (अर्थात् 2011-12) में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला (हिमाचल प्रदेश), गुरू गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल फरीदकोट (पंजाब), एमएनजे इंस्टीट्यूट ऑफ आकोलाजी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), मालाबार कैंसर केंद्र, थालासेरी (केरल) तथा मिजोरम राज्य कैंसर संस्थान, आईजोल (मिजोरम) को अनावर्ती सहायता अनुदान के लिए भारत सरकार की हिस्सेदारी के रूप में 4.80 करोड़ रु. (प्रत्येक) दिए गए हैं।

437-38

सोने का आयात

2834. श्री जे.एम. आरुन रशीद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान सोने के आयात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की आगामी राजकोषीय वर्ष के दौरान सोने के आयात पर रोक लगाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) जी, हां।

पिछले दो वर्षों के दौरान सोने के आयात का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

वित्तीय वर्ष	सोने का आयात (कि. ग्राम)	मूल्य (करोड़ रुपए)
2009-10	850985	135877.91
2010-11	969731	184728.74

(ग) और (घ) मौद्रिक प्रयोजन को छोड़कर, सोने का आयात, आयातों के लिए आईटीसी (एचएस) के एक्जिम कोड 7108 के अंतर्गत मुक्त है। तथापि, यह भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों के अधीन है। वर्तमान में, इस नीति को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

[हिन्दी]

438

नई आर्थिक नीति

2835. श्री भूदेव चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई आर्थिक नीति के घरेलू उद्योग पर प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके निष्कर्षों पर क्या कार्रवाई की गयी है अथवा प्रस्तावित है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

438-39

महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

2836. श्री राधे मोहन सिंह : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश सहित राज्य सरकारों के समन्वय से महिलाओं के सशक्तीकरण के हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित पायलट परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही है/अथवा कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) जी, हां। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के रूप में प्रायोगिक आधार पर राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम-सबला, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का क्रियान्वयन

उत्तर प्रदेश सरकार सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कर रहा है। इसके अलावा मई, 2010 में राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन भी शुरू किया गया इन स्कीमों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(i) **सबला** स्कीम उत्तर प्रदेश के 22 जिलों सहित देश के 200 जिलों में प्रायोगिक आधार पर नवम्बर, 2010 में शुरू की गई इस स्कीम का उद्देश्य स्कूल छोड़ चुकी सभी लड़कियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 11-18 वर्ष की किशोरियों का समग्र विकास करना है।

(ii) **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना** गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के हेतु सशर्त नकद अंतरण की स्कीम अक्तूबर, 2010 में उत्तर प्रदेश के 2 जिलों सहित देश के 52 जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई। यह स्कीम गर्भवती एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य हेतु नकद प्रोत्साहन प्रदान कर बेहतर अनुकूल वातावरण प्रदान करती है।

(iii) **राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन** महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण की एक स्कीम है। इसकी कल्पना अंतरक्षेत्रीय संकेन्द्रण सुदृढ़ करने और मंत्रालयों एवं विभागों के महिला कल्याण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में समन्वय की प्रक्रिया को सरल बनाने के अधिदेश के साथ एक अंब्रेला मिशन के रूप में की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर उत्तर प्रदेश सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों ने केन्द्र और राज्य सरकारों की स्कीमों और कार्यक्रमों में संकेन्द्रण सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त मॉडल का विकास करने हेतु प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की हैं।

[हिन्दी]

निर्यातकों की मांग

2837. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में हस्त निर्मित उत्पादों पर सीमा शुल्क कम करने के बारे में सरकार को प्राप्त मांगों और उसके द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु क्या विधि अपनाई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) ऐसा कोई भी अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार ने हस्त निर्मित उत्पादों के आयात पर सीमा शुल्क से ऐसी कोई विशेष छूट या रियायत नहीं दी है।

(ख) रुपये की विनिमय दर मूलतः विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और पूर्ति की स्थितियों के द्वारा निर्धारित होती है। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधियों की निरंतर मॉनीटरिंग करता रहता है और मात्र इस उद्देश्य से खरीद और बिक्री के माध्यम से हस्तक्षेप करता है कि अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित किया जा सके और बिना किसी विशेष दर या बैंड को लक्ष्य किये बाजार में सुव्यवस्था बहाल की जा सके।

बीमा क्षेत्र की घटती हुई कवरेज

2838. श्री सज्जन वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जीवन बीमा नीतियों के तहत कवर लोगों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने बीमा निधियों के तहत अधिक लोग कवर करने के उद्देश्य से बीमा क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने और बीमे के लाभों के बारे में प्रचार-प्रसार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) जी, नहीं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि प्रवृत जीवन बीमा पॉलिसियों की संख्या वर्ष 2009-10 के 31.89 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 32.92 करोड़ रुपये हो गयी।

(ग) और (घ) वर्ष 2000 में बीमा क्षेत्र में मुक्त होने के पश्चात् वर्ष 2010-11 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा कंपनियों की संख्या 1 से बढ़कर 24 और गैर-जीवन बीमा कंपनियों की संख्या 4 से 25 हो गयी है।

[अनुवाद] 441 - 42

आयोडीनयुक्त नमक का उपयोग

2839. श्री वरुण गांधी :
श्री हंसराज ग. अहीर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नमक में अनिवार्य रूप से आयोडीन मिलाने संबंधी सार्वभौमिक कार्यक्रम की नीति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण आबादी का बहुत बड़ा प्रतिशत अभी भी आयोडीन-रहित नमक का उपयोग करता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने विशेरूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोडीन-रहित नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिदेशानुसार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक विशेष समिति ने प्रत्यक्ष मानक उपभोग के लिए अनिवार्य नमक आयोडीनीकरण नीति की समक्षा की और यह सिफारिश की कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएसए), 2006 के अंतर्गत प्रत्यक्ष मानव उपभोग के लिए अनिवार्य नमक आयोडीनीकरण का समर्थन किया जाए।

(ग) और (घ) कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षण (सीईएस) रिपोर्ट-2009 के अनुसार 71.1 प्रतिशत घरों में उपयुक्त रूप से आयोडीनीकरण नमक का उपभोग हो रहा है।

(ङ) भारत सरकार ने 17 मई, 2006 से पूरे देश में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत प्रत्यक्ष मानव उपभोग के लिए गैर-आयोडीनीकरण नमक की बिक्री पर प्रतिषेध अधिसूचना जारी की। पूर्ववर्ती खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 और नियमावली, 1955 को रद्द कर दिया गया है तथा दिनांक 5.8.2011 से नया खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011 प्रकाशित हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पूरे देश में प्रत्यक्ष मानक उपभाग के लिए गैर-आयोडीनीकृत नमक की बिक्री पर प्रतिषेध लगाने पर विचार किया गया है।

[हिन्दी] 442 - 46

सीओटीपीए का उल्लंघन

2840. श्री गोपाल सिंह शेखावत :
श्री के. सुधाकरण :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए), 2003 के उपबंधों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पाबंदी लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सीओटीपीए के उपबंधों के उपयुक्त अनुपालन हेतु क्या तंत्र विकसित किया है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन के कितने मामले राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार दर्ज किए गए हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है/करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने सीओटीपीए के उपबंधों के उल्लंघन के बारे में विभिन्न राज्यों से मासिक आधार पर कोई रिपोर्टें मांगी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के कार्यान्वयन की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) भारत सरकार ने "सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान का निषेध नियमावली, 2008" को अधिसूचित किया है जिसमें सभी सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर सख्तीपूर्वक प्रतिबंध लगाया गया है। नियमावली के अनुसार अनुसूची-II में उल्लिखित प्राधिकृत अधिकारी उक्त नियमावली, 2008 का उल्लंघन करके किए गए अपराधों पर कार्रवाई करने तथा उनका प्रशमन करने के लिए सक्षम होगा।

मंत्रालय ने इन नियमों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए चरण-वार दिशानिर्देश भी बनाए हैं जो सीओटीपीए के तहत बनाए गए उपबंधों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकार को भेजे गए हैं।

(ग) इस मंत्रालय में कोई वर्ष-वार सूचना/आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। सीओटीपीए के उल्लंघन को मासिक अपराध समीक्षा के भाग के रूप में शामिल करने तथा मंत्रालय को एक मासिक रिपोर्ट भेजने के लिए सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजा गया है।

(च) राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) को सीओटीपीए के अंतर्गत किए गए विभिन्न उपबंधों को कार्यान्वित करने तथा तम्बाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 21 राज्यों के 42 जिलों में शुरू किया गया है। एनटीसीपी राज्यों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। कार्यक्रम में व्यापक तौर पर निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:—

(i) जागरूकता सृजन तथा व्यवहार परिवर्तन के लिए जनजागरूकता/मास मीडिया अभियान।

(ii) सीओटीपीए, 2003 के अंतर्गत यथापेक्षित विनियामक क्षमता का निर्माण करने के लिए तम्बाकू उत्पाद जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना।

(iii) अन्य नोडल मंत्रालयों के साथ एकान्तर फसलों तथा आजीविकाओं के संबंध में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण को मुख्य धारा में लाना।

(iv) निगरानी सहित अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन जैसे कि व्यवस्क तंबाकू सर्वेक्षण।

(v) तम्बाकूरोधी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुवीक्षण के लिए समर्पित तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ।

(vi) स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों, स्कूली शिक्षकों इत्यादि का प्रशिक्षण।

(vii) तम्बाकू मुक्ति केंद्रों की स्थापना करना।

विवरण

21 राज्यों के 42 जिलों की सूची

क्र. सं.	राज्य	जिले	स्थापना का वर्ष
1	2	3	4
1.	राजस्थान	जयपुर तथा झुंझनु	2007-08
2.	असम	कामरूप एवं जोरहाट	2007-08
3.	कर्नाटक	बंगलुरू (यू) तथा गुलबर्गा	2007-08
4.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद तथा कूच बिहार	2007-08
5.	तमिलनाडु	कांचीपुरम एवं विलुपुरम	2007-08
6.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ तथा कानपुर	2007-08
7.	गुजरात	वड़ोदरा एवं साबरकांता	2007-08

1	2	3	4
8.	जीएनसीटी दिल्ली	नई दिल्ली एवं पूर्वी दिल्ली	2007-08
9.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर एवं खंडवा	2007-08
10.	नागालैंड	कोहिमा एवं दीमापुर	2008-09
11.	त्रिपुरा	प. त्रिपुरा तथा धलाई	2008-09
12.	मिजोरम	आईजोल एवं लुंग्लेई	2008-09
13.	अरुणाचल प्रदेश	तवांग एवं प. कामेंग	2008-09
14.	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम एवं दक्षिणी सिक्किम	2008-09
15.	झारखंड	धनबाद व जमशेदपुर	2008-09
16.	बिहार	पटना एवं मुंगेर	2008-09
17.	उत्तराखंड	देहरादून एवं यूएस नगर	2008-09
18.	महाराष्ट्र	ठाणे तथा औरंगाबाद	2008-09
19.	गोवा	उत्तर गोवा एवं दक्षिणी गोवा	2008-09
20.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर एवं हैदराबाद	2008-09
21.	ओडिशा	खुर्दा एवं कटक	2008-09

ऊर्जा क्षेत्र में भारत-ईरानी सहयोग

2841. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा संबंधी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हाल ही में भारत और ईरान की एक बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में ईरान के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) भारत गणराज्य एवं इस्लामिक गणराज्य ईरान के बीच दिनांक 8-9 जुलाई, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त आयोग के 16वें सत्र के दौरान अपनी ऊर्जा का 4000 मेगावाट भारत को निर्यात करने के उद्देश्य से ईरान में 6000 मेगावाट के गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना की व्यवहार्यता की जांच करने का निर्णय लिया गया था।

चूंकि पारेषण लाइन का एक बड़ा भाग पाकिस्तान से होकर गुजरेगा, इसलिए भारत सरकार ने परियोजना के बारे में सुरक्षा संबंधी मामलों को उठाया है। सरकार ने गैस मूल्य निर्धारण का मुद्दा भी उठाया है। ईरान सरकार को अभी प्रतिक्रिया देनी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन

2842. श्री चार्ल्स डिएस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों से सेवानिवृत्त औद्योगिक कामगार नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत आते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के अलावा केन्द्र सरकार की सेवा में 1 जनवरी, 2004 को या इसके पश्चात् आने वाले सभी नवनियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए 22 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना के द्वारा मौजूदा निर्धारित लाभ पेंशन प्रणाली के स्थान पर नई पेंशन योजना (एनपीएस को 1 जनवरी, 2004 से अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। एनपीएस को स्वायत्त निकायों, राज्य सरकारों, असंगठित क्षेत्र के लिए भी लागू किया गया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के कर्मचारियों को एनपीएस के अंतर्गत अनिवार्य रूप से शामिल नहीं किया गया है। तथापि, तीन सीपीएसई अर्थात् कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लि., मैगनीज ओर (इंडिया लि.) तथा नालको ने स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस को क्रमशः 01.01.2004,, 01.07.2011 और 01.01.2007 से अपनाया है।

[हिन्दी]

खनन पट्टे प्रदान करना

2843. श्री प्रेमचन्द (गुड्डू) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार कितनी खनिज खानें हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में राज्य-वार किन-किन कम्पनियों को खानें पट्टे पर दी गई हैं; और

(ग) उक्त अवधि में इन खानों में कम्पनी-वार निकाले गए खनिजों की मात्रा का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन

2844. श्री नामा नागेश्वर राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय की योजना समस्त प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन हेतु 'पहले आओ, पहले पाओ' की नीति समाप्त करने की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) 1. "भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा सकने वाले उपायों" के संबंध में गठित मंत्री समूह ने 21 जनवरी, 2011 को, अन्य बातों के साथ, यह निर्णय किया कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में पारदर्शिता, प्रभावकारिता और संपोषणीयता बढ़ाने के ऐसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाए, जो त्वरित आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए देश की जरूरतों के अनुरूप हों।

2. इस मंत्री समूह के निदेशों के अनुसार, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा आदेश सं. 483/1/1/2011—कैब तारीख 31 जनवरी, 2011 के तहत पूर्व वित्त सचिव श्री अशोक चावला, की अध्यक्षता में एक प्राकृतिक संसाधन आवंटन संबंधी समिति (सीएएनआर) गठित की गयी थी।

3. प्राकृतिक संसाधन आवंटन संबंधी समिति ने 31 मई, 2011 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, आठ[3] प्राकृतिक संसाधनों को समाविष्ट करते हुए, 81 सिफारिशें दीं। सचिवों की समिति ने 14 जुलाई, 2011, 9 अगस्त, 2011 तथा 29 सितम्बर, 2011 को आयोजित अपनी बैठकों में इस समिति की रिपोर्ट की जांच की।

4. मंत्री समूह ने 30.9.2011 और 22.2.2012 को आयोजित अपनी पिछली दो बैठकों में सचिवों की समिति की सिफारिशों पर विचार किया तथा प्राकृतिक संसाधन आवंटन संबंधी समिति की 69 सिफारिशों को स्वीकार किए जाने की अनुशंसा करने का निर्णय लिया। इस समिति की कुछ सिफारिशें, जिनमें प्राकृतिक संसाधनों

---

[3]कोयला, खनिज, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, वन, भूमि, जल और स्पेक्ट्रम।

के आवंटन के लिए बाजार संबंधी कार्य-प्रणाली सुझायी गयी है, मंत्री समूह द्वारा सिफारिश हेतु स्वीकार कर ली गई है।

आयुष संस्थानों/महाविद्यालयों/अस्पतालों का उन्नयन

2845. श्री पी. करूणाकरन :
श्री शिवराम गौडा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक और केरल सहित विभिन्न राज्यों से आयुष संस्थानों/महाविद्यालयों/अस्पतालों/औषधालयों के उन्नयन हेतु अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में इस संबंध में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या इन सभी आयुष संस्थानों/महाविद्यालयों/अस्पतालों/औषधालयों को उनके उन्नयन हेतु निधियां स्वीकृत और जारी की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन आयुष संस्थानों/महाविद्यालयों/अस्पतालों/औषधालयों को शेष स्वीकृत राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन) : (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार को आयुष संस्थानों के विकास और आयुष अस्पतालों तथा औषधालयों के विकास संबंधी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत आयुष संस्थानों कॉलेजों, अस्पतालों व औषधालयों के उन्नयन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए। गत तीन वर्षों के दौरान आयुष संस्थानों के उन्नयन हेतु कर्नाटक व केरल सहित विभिन्न राज्यों को जारी निधियों सहित प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान आयुष अस्पतालों व औषधालयों के उन्नयन के लिए कर्नाटक व केरल सहित विभिन्न राज्यों को जारी निधियों सहित प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II, III और IV में दिया गया है।

(ङ) आयुष अस्पतालों व औषधालयों के विकास संबंधी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत, 2009-10 तक जारी सहायता अनुदान के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों के कारण 2011-12 के दौरान अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को औषधियों को छोड़कर कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के तहत आयुष अस्पतालों/औषधालयों को निधियां जारी नहीं की जा सकीं। राज्य के किसी भी अस्पताल/औषधालय को नई सहायता अनुदान की मंजूरी, स्कीम के तहत पूर्व अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्रों की बेबाकी पर निर्भर करता है।

आयुष संस्थानों के विकास संबंधी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत 2011-12 के दौरान छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड को निधियां मंजूर/जारी की गई हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2011-12 के दौरान केरल सहित अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2009-10 तक जारी अनुदानों के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों के कारण या अपूर्ण प्रस्तावों के कारण जारी नहीं की जा सकी।

विवरण-I

आयुष संस्थान विकास केंद्र प्रायोजित स्कीम

(लाखों रुपए)

राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या			अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या और सहायतानुदान			संस्वीकृत धनराशि		
	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	2	3	1	1	0	0	69.00	0.00	0.00
बिहार	0	2	0	1	1	0	201.62	93.77	0.00
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	1	1	0	0	0	1	0.00	0.00	75.00
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
गुजरात	1	3	0	0	2	0	0.00	230.73	0.00
गोवा	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	0	2	0	0	2	0	0.00	1600.00	0.00
झारखंड	0	0	1	0	0	1	0.00	0.00	525.90
कर्नाटक	1	1	3	2	1	1	230.28	102.95	350.00
केरल	3	3	1	2	1	0	208.10	150.00	0.00
मध्य प्रदेश	0	2	1	0	1	0	0.00	223.54	0.00
महाराष्ट्र	5	5	4	6	2	0	1003.00	368.00	0.00
ओडिशा	0	1	1	0	1	0	0.00	70.39	0.00
पंजाब	0	1	1	0	0	1	0.00	0.00	274.00
राजस्थान	0	0	1	0	0	1	0.00	0.00	350.00
तमिलनाडु	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
उत्तराखंड	3	1	0	1	0	1	118.00	0.00	300.00
उत्तर प्रदेश	2	5	0	1	1	0	170.00	80.00	0.00
पश्चिम बंगाल	0	1	4	0	1	0	0.00	98.01	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
पुदुचेरी	0	3	0	0	1	0	0.00	600.00	0.00
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
असम	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	0	1	1	0	1	0	0.00	800.00	0.00
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
कुल	18	36	19	14	16	6	2000.00	4417.39	1874.90

विवरण-II

आयुष अस्पतालों और औषधालयों के विकास संबंधी केन्द्र प्रायोजित स्कीम

वर्ष 2011-12 के लिए आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के लिए प्राप्त प्रस्ताव

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्ताव	राज्यों द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता (रु. लाख)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	919 आयुष औषधालयों का उन्नयन	9281.90	निधियों को वर्ष 2009-10 तक निर्मुक्त की गई राशियों के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों के कारण वर्ष 2011-12 के दौरान निर्मुक्त नहीं किया जा सका।
		16 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	1013.76	
2.	बिहार	128 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	1292.80	
3.	छत्तीसगढ़	3 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	198.08	
4.	गुजरात	739 आयुष (523-आयुर्वेद, 216-होम्योपैथी) औषधालयों का उन्नयन	5504.60	

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	62 आयुष औधालयों का उन्नयन	532.20	निधियों को वर्ष 2009-10 तक निर्मुक्त की गई राशियों के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों के कारण वर्ष 2011-12 के दौरान निर्मुक्त नहीं किया जा सका।
6.	हिमाचल प्रदेश	150 आयुर्वेद औषधालयों (आवर्ती) और 150 आयुर्वेद औषधालयों (आवर्ती और अनावर्ती) का उन्नयन	2980.95	
		28 आयुष अस्पतालों का उन्नयन (आवर्ती)	374.08	
7.	जम्मू और कश्मीर	आयुष अस्पतालों का उन्नयन (आवर्ती)	10.42	
8.	कर्नाटक	43 आयुष औषधालयों का उन्नयन	430.00	
		9 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	570.24	
9.	केरल	70 होम्योपैथी औषधालयों का उन्नयन	700.00	
		30 आयुष अस्पतालों का उन्नयन (आवर्ती)	135.62	
		68 आयुष 9 आयुष अस्पतालों का उन्नयन (आवर्ती)	908.00	
		51 आयुष अस्पतालों का उन्नयन (आवर्ती और अनावर्ती)	3231.36	
		585 आयुष औषधालयों का उन्नयन	5908.50	
		162 आयुर्वेदिक औषधालयों का उन्नयन	1620.00	
10.	मध्य प्रदेश	125 आयुष औषधालयों का उन्नयन	1250.00	
11.	मिजोरम	आयुष औषधालयों का उन्नयन	10.10	
		आयुष औषधालयों का उन्नयन	500.00	
12.	ओडिशा	70 आयुष औषधालयों का उन्नयन	700.00	
13.	महाराष्ट्र	200 आयुष औषधालयों का उन्नयन (अनावर्ती)	2020.00	
14.	पंजाब	83 होम्योपैथी औषधालयों का उन्नयन	215.80	
15.	राजस्थान	1500 आयुष औषधालयों का उन्नयन	4447.50	
16.	उत्तराखंड	17 आयुर्वेद अस्पतालों का उन्नयन	339.00	

1	2	3	4	5
		148 आयुर्वेद औषधालयों का उन्नयन	1494.80	निधियों को वर्ष 2009-10 तक निर्मुक्त की गई राशियों के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों के कारण वर्ष 2011-12 के दौरान निर्मुक्त नहीं किया जा सका।
17.	दिल्ली	70 आयुष औषधालयों का उन्नयन	76.65	
18.	पश्चिम बंगाल	6 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	303.00	
		25 आयुष औषधालयों, अस्पतालों का उन्नयन	250.00	
		कुल	46049.36	

विवरण-III

आयुष अस्पतालों और औषधालयों के विकास संबंधी केन्द्र प्रायोजित स्कीम

वर्ष 2011-12 के लिए आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के लिए प्राप्त प्रस्तावों और निर्मुक्त अनुदान की स्थिति

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्ताव	राज्य द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता (रु. लाखों)	कालम 2 में से अनुमोदित एकांश	निर्मुक्त अनुदान (रु. लाखों)	अभियुक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	17 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	706.00	3	155.842	
		1039 आयुष औषधालयों का उन्नयन	11823.00	120	1030.2	
2.	बिहार	27 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	1710.72	27	1454.112	
3.	छत्तीसगढ़	100 आयुर्वेदिक औषधालयों का उन्नयन	1010.00	100	8.5	अनावर्ती निधियां, संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत निधियां उपलब्ध न होने के कारण अनुमोदित नहीं की गईं।
4.	गुजरात	24 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	1074.64	24	405.353	
		739 आयुष औषधालयों का उन्नयन	5433.90	95	815.575	
5.	हिमाचल प्रदेश	16 आयुर्वेद अस्पतालों का उन्नयन	1013.76	16	861.69	
		600 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	14616.00	150	1287.75	

1	2	3	4	5	6	7
6.	जम्मू और कश्मीर	2 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	126.72	2	0	निधियां, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के कारण निर्मुक्त नहीं की जा सकीं।
		387 आयुष औषधालयों का उन्नयन	3910.80	387	32.895	अनावर्ती निधियां, संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत निधियां उपलब्ध न होने के कारण अनुमोदित नहीं की गईं।
7.	कर्नाटक	56 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	3548.16	56	3015.93	
		268 आयुष औषधालयों का उन्नयन	2948.00	268	22.78	अनावर्ती निधियां, संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत निधियां उपलब्ध न होने के कारण अनुमोदित नहीं की गईं।
		40 आयुर्वेदिक औषधालयों का उन्नयन	400.00	0	0	
8.	केरल	91 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	5765.80	91	3158.396	अनावर्ती निधियां, संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत निधियां उपलब्ध न होने के कारण अनुमोदित नहीं की गईं।
		232 औषधालयों (70 होम्योपैथी, 162 आयुर्वेदिक) का उन्नयन	2343.20	232	19.42	
9.	मध्य प्रदेश	11 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	696.96	11	592.41	
10.	ओडिशा	1166 आयुष औषधालयों का उन्नयन	8086.00	1166	99.11	अनावर्ती निधियां, संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत निधियां उपलब्ध न होने के कारण अनुमोदित नहीं की गईं।
11.	राजस्थान	1000 आयुष औषधालयों का उन्नयन	10100.00	1000	85	अनावर्ती निधियां, संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत निधियां उपलब्ध न होने के कारण अनुमोदित नहीं की गईं।
12.	त्रिपुरा	3 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	190.08	3	171.06	
13.	उत्तराखंड	114 आयुर्वेद अस्पतालों का उन्नयन	7152.00	8	171.072	

1	2	3	4	5	6	7
		203 आयुर्वेदिक औषधालयों का उन्नयन	2740.50	50	429.25	
	कुल		85396.84		13816.645	

विवरण-IV

आयुष अस्पतालों और औषधालयों के विकास संबंधी केन्द्र प्रायोजित स्कीम

वर्ष 2009-10 के लिए आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के लिए प्राप्त प्रस्तावों और निर्मुक्त अनुदान की स्थिति

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्ताव	मांगी गई धनराशि (रु. लाखों)	कालम 2 में से अनुमोदित एकांश	निर्मुक्त राशि (रु. लाखों)
1.	हिमाचल प्रदेश	28 आयुष (आयुर्वेद) अस्पतालों का उन्नयन	1774.08	12	646.272
2.	जम्मू और कश्मीर	8 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	506.88	2	107.212
3.	कर्नाटक	65 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	4181.76	9	484.704
4.	केरल	72 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	3922.46	22	1184.832
5.	मध्य प्रदेश	23 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	1457.28	12	646.272
6.	ओडिशा	8 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	506.88	8	430.848
7.	पंजाब	6 आयुष अस्पताल (आयुर्वेद)	380	5	269.28
8.	राजस्थान	50 आयुष अस्पतालों का उन्नयन	3168	23	1238.688
	कुल		15897.34		5008.608

महिला सशक्तिकरण योजना के लिए निधियां 461-63

2846. श्री सोमेन मित्रा : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं के सशक्तिकरण संबंधी योजनाओं के लिए कथित रूप से निधियों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन के अनुसार योजना के प्रथम तीन वर्षों में कुल योजना परिव्यय की केवल 35 प्रतिशत राशि ही आवंटित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतिम दो वर्षों में निधियों की शेष राशि में से कितनी राशि व्यय की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु

कई स्कीमों का क्रियान्वयन कर रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला सशक्तीकरण हेतु हाल ही में शुरू की गई तीन स्कीमें इस प्रकार है:—

(i) **राजीव गांधी कशोरी सशक्तीकरण स्कीम-सबला**—11-18 वर्ष की किशोरियों को अधिगम, स्वास्थ्य एवं पोषण तक पहुंच सुकर बनाकर उन्हें स्वाबलंबी बनाकर उनके समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू में 200 जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई है।

(ii) **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना-सशर्त नकद हस्तांतरण की स्कीम**—गर्भवर्ती एवं धात्री माताओं के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार हेतु नकद प्रोत्साहन प्रदान करके बेहतर अनुकूल वातावरण करने के लिए। लाभार्थियों को कतिपय शर्तों को पूरा करने पर दूसरी तिमाही से बच्चे की आयु 6 माह होने तक तीन किस्तों में 4000/- रुपये प्रति गर्भवती एवं धात्री महिला दिए जाते हैं।

(iii) **राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन**—महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। मिशन का उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों की स्कीमों/कार्यक्रमों में संकेन्द्रण हासिल करके इन तीनों क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तीकरण करना है।

स्कीमों के लिए राशियों का आवंटन उनके उपयोग करने की क्रियान्वयनकर्त्ता निकायों की क्षमता एवं जरूरत के आधार पर किया जाता है। यह कहना सही नहीं है कि स्कीमों के लिए धन का अभाव है।

(ग) और (घ) पहले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय हेतु राशियों का आवंटन (संशोधित प्राक्कलन) 21,193.00 करोड़ रुपये था जो 56,765.00 करोड़ रुपये के 11वीं योजना परिव्यय का 37.3% था। वर्ष 2010-11 के दौरान 10,634.70 करोड़ रुपये व्यय किए गए तथा वर्ष 2011-12 के लिए संशोधित प्राक्कलन 16,100.00 करोड़ रुपये है।

463-74

शिक्षण संस्थानों में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री

2847. श्री बैजयंत पांडा :
श्री नित्यानंद प्रधान :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक सर्वेक्षण का संज्ञान लिया है जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में विभिन्न प्रकार के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री तथा उनकी खपत का दावा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से कोई निदेश प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शिक्षण संस्थाओं को 100 गज के दायरे में धूम्रपान और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध के उचित अनुपालन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) इस मंत्रालय में ऐसा कोई सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) वर्ल्ड लंग फाउंडेशन, दक्षिण एशिया ने दिल्ली उच्च न्यायालजय में एक पीआईएल दायर किया है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस के भीतर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने से संबंधित है। इस पीआईएल के प्रत्युत्तर में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में सभी शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास से ऐसे तम्बाकू विक्रेताओं को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया।

(ङ) भारत सरकार ने सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा बोर्ड का प्रदर्शन) नियमावली 2009 अधिसूचित की है जिसमें यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी शैक्षणिक संस्था के एक सौ गज के घेरे के भीतर किसी क्षेत्र में सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद की बिक्री नहीं करेगा, बिक्री की पेशकश नहीं करेगा या बिक्री की अनुमति नहीं देगा। उल्लंघनों का संज्ञान लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की एक सूची भी अधिसूचित की गई है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने शैक्षणिक संस्था के निकट सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक को कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए हैं। प्रमुख राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय समाचार-पत्रों में सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित की गई है।

शिक्षा संबंधी उपकर

2848. श्री भर्तृहरि महताब : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा एकत्रित शिक्षा उपकर का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि में एकत्रित राशि में से कितनी राशि प्रत्येक राज्य/संघ राजय क्षेत्र को संवितरित की गई; और

(ग) चालू वित्त वर्ष में उपकर की वसूली हेतु क्या लक्ष्य नियत किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से सरकार द्वारा संग्रहित शिक्षा उपकर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

(करोड़ रुपये)

वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
2003-09	9605	8845.58
2009-10	10601	7945.54
2010-11	12719	11285.95

(ख) शिक्षा उपकर से आगम को प्रारंभिक शिक्षा कोष (पीएसके) को क्रेडिट किया जाता है, जिसे सरकार की सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) और मध्याह्न भोजन (एमडीए) योजनाओं पर खर्च किया जाना है। राज्यों को शिक्षा उपकर से अलग से आवंटन नहीं किया जा रहा है। राज्यों को सहायता सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) और मध्याह्न भोजन (एमडीएम) की विशेष योजनाओं के अंतर्गत जारी की जाती है जो कि संबंधित दिशा-निर्देशों और इन योजनाओं के बजटीय आवंटन के अनुसार है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा कोष (पीएसके) के लिए राज्यों को कुल आवंटन और सकल बजटीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा कोष हेतु आवंटन अलग से नहीं किया जाता है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संशोधित अनुमानों के अनुसार शिक्षा उपकर संग्रहण करने के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार हैं:–

प्रत्यक्ष कर : 14,505 करोड़ रुपये

अप्रत्यक्ष कर : 12,956 करोड़ रुपये

विवरण-I

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सर्वशिक्षा अभियान – आरटीई के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई केन्द्रीय निधियां

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य	जारी राशि			23.03.2012 को जारी राशि
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	71031.78	38569.90	81000.00	183551.72
2.	अरुणाचल प्रदेश	13683.64	11427.95	20401.77	8880.10
3.	असम	42740.91	47480.00	76854.35	106921.15
4.	बिहार	186158.47	121739.06	204789.63	165908.20
5.	छत्तीसगढ़	51853.86	55592.82	87863.00	58940.22

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	804.41	550.58	671.27	1079.14
7.	गुजरात	25432.47	20031.73	44065.01	74350.79
8.	हरियाणा	20546.87	27600.00	32786.11	40461.41
9.	हिमाचल प्रदेश	8552.99	8608.00	13786.66	14192.78
10.	जम्मू और कश्मीर	20532.59	37363.27	40348.79	30070.50
11.	झारखंड	69041.09	70940.22	89562.26	57903.46
12.	कर्नाटक	51578.19	44220.60	66903.00	62788.35
13.	केरल	10854.04	11989.50	19660.73	17021.85
14.	मध्य प्रदेश	85569.35	113249.00	176783.00	190427.12
15.	महाराष्ट्र	67386.02	56432.00	85537.00	117962.58
16.	मणिपुर	321.21	1500.00	13253.77	2940.55
17.	मेघालय	9440.36	9383.00	18540.90	14410.60
18.	मिजोरम	5112.59	6617.75	10115.33	9314.05
19.	नागालैंड	2867.87	4913.00	8636.83	4798.33
20.	ओडिशा	49080.90	63061.60	73177.85	92719.98
21.	पंजाब	13808.10	20044.00	39612.74	48112.44
22.	राजस्थान	108326.80	127124.00	146182.29	139838.43
23.	सिक्किम	1075.31	1736.00	4469.19	3022.84
24.	तमिलनाडु	45414.47	48366.00	69068.57	66937.15
25.	त्रिपुरा	6464.12	7473.00	17121.48	17309.23
26.	उत्तर प्रदेश	212884.89	196011.90	310462.88	245268.64
27.	उत्तराखंड	11444.45	16006.29	25793.94	20092.49
28.	पश्चिम बंगाल	65169.37	104142.00	174703.17	167952.74

1	2	3	4	5	6
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	780.54	412.44	357.78	907.36
30.	चंडीगढ़	820.52	1100.72	2155.89	131121
31.	दादरा और नगर हवेली	104.63	350.18	413.78	564.35
32.	दमन और दीव	0.00	169.00	162.99	230.06
33.	दिल्ली	1529.01	3088.62	3552.71	2135.08
34.	लक्षद्वीप	70.00	143.80	127.39	127.86
35.	पुदुचेरी	638.59	669.96	485.38	557.62
	कुल जारी की गई राशि	1261120.41	1278107.89	1959407.42	1969010.38
	कुल परिव्यय	1310000.00	1310000.00	1983823.00	2100000.00
	परिव्यय के प्रति जारी की गई राशि का प्रतिशत	96.26	97.56	98.76	93.76

विवरण-II

मध्याह्न भोजन योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 23.03.2012 को
1	2	3	4	5	6
गैर-पूर्वोत्तर					
1.	आंध्र प्रदेश	10504.62	32714.33	48302.38	54378.70
2.	बिहार	50505.17	31763.62	80506.41	78837.30
3.	छत्तीसगढ़	34777.30	18289.34	36187.74	40448.84
4.	गोवा	628.32	644.46	1168.28	825.41
5.	गुजरात	22674.39	29532.80	28851.62	35301.58

1	2	3	4	5	6
6.	हरियाणा	7934.60	18516.23	15325.13	16713.43
7.	हिमाचल प्रदेश	11453.59	5352.15	6487.67	7351.60
8.	जम्मू और कश्मीर	5860.59	3834.54	7990.60	8047.48
9.	झारखंड	20298.22	25456.19	32595.49	2691752
10.	कर्नाटक	30204.49	33538.61	45368.30	46331.26
11.	केरल	16012.90	14349.88	18511.34	14277.09
12.	मध्य प्रदेश	60920.33	61040.69	65781.84	76704.43
13.	महाराष्ट्र	78364.21	73281.22	107492.09	69255.77
14.	ओडिशा	33103.28	38715.63	38959.13	37124.38
15.	पंजाब	18322.92	10824.15	16605.10	17561.54
16.	राजस्थान	42060.74	39405.50	46225.76	52901.22
17.	तमिलनाडु	29467.64	45757.19	44250.57	40333.68
18.	उत्तराखंड	7384.05	5753.22	10963.29	14255.51
19.	उत्तर प्रदेश	82725.28	98506.31	10271136	107638.85
20.	पश्चिम बंगाल	43434.40	67197.73	79480.04	73983.83
	कुल	606637.04	654473.78	833768.14	819189.12
विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र					
21.	दिल्ली	6588.23	3066.09	9072.32	6562.19
22.	पुदुचेरी	548.07	561.03	693.24	635.99
	कुल	7136.29	3627.13	9765.57	7198.18
बगैर विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र					
23.	अंडमान और निकरोबार द्वीपसमूह	404.66	272.71	247.07	509.14

1	2	3	4	5	6
24.	चंडीगढ़	378.49	397.67	525.54	520.59
25.	दादरा और नगर हवेली	180.89	195.55	290.45	342.71
26.	दमन और दीव	88.05	112.90	147.79	136.58
27.	लक्षद्वीप	19.59	58.72	80.54	76.32
	कुल	1671.68	1037.55	1291.39	158534
पूर्वोत्तर राज्य					
28.	अरुणाचल प्रदेश	1339.72	1787.79	2043.18	2091.75
29.	असम	26655.97	19274.46	34408.21	53220.90
30.	मणिपुर	1607.99	1131.26	5658.11	1894.19
31.	मेघालय	2553.30	6045.14	13831.77	3528.12
32.	मिजोरम	1568.20	1078.43	190259	3282.70
33.	नागालैंड	1181.57	1236.18	4026.97	2464.37
34.	सिक्किम	496.75	553.40	899.60	1035.65
35.	त्रिपुरा	3506.38	3480.89	4856.76	8408.41
	कुल	38909.88	34587.53	67626.90	75926.09
	महायोग	653754.89	693725.98	912452.89	903898.73
	कुल परिव्यय	800000.00	735915.00	944000.00	1038000.00
	परिव्यय के प्रति जारी की गई राशि का प्रतिशत	81.71%	94.26%	96.65%	87.98%

473-75

खनिजों और धातुओं की अधिप्राप्ति

2849. डॉ. संजय जायसवाल : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राइस वाटरहाउस कूपर्ज (पीडब्ल्यूसी) की "मिनरल्ज एंड मेटल्ज स्कारसिटी इन मैन्यूफैक्चरिंग दर टिकिंग टाइम बम" शीर्षक हाल ही की रिपोर्ट, जो विशेषरूप से दुर्लभ खनिजों तथा धातुओं और कुछ देशों द्वारा इनकी जमाखोरी के बारे में है, का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने खनिजों और धातुओं, विशेषरूप से दुर्लभ खनिजों और धातुओं की सतत अभिप्राप्ति हेतु कोई रणनीति बनाई है ताकि हमारा घरेलू निर्माण बाधित न हो; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार की इस संबंध में कब तक रणनीति बनाने की योजना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति

2850. श्री रमेश राठौड़ :
श्री खगेन दास :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने कोल इंडिया लि. को वाणिज्यिक प्रशुल्क पर विद्युत बेचने वाली विद्युत परियोजनाओं को घरेलू कोयले की आपूर्ति नहीं करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बड़ी विद्युत कंपनियों को, जिन्हें मुफ्त में कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, वाणिज्यिक दरों पर विद्युत बेचने की अनुमति देने के क्या कारण हैं जबकि इससे ये 50-80 प्रतिशत आकस्मिक लाभ अर्जित करेंगे;

(घ) क्या सरकार/मंत्रियों का अधिकार प्राप्त दल उन कंपनियों के द्वारा वाणिजियक दरों पर विद्युत की बिक्री बंद करने पर विचार कर रहा है जिन्हें मुफ्त में रक्षित कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोयला मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए अनुसार कोल ब्लॉक कैप्टिव उद्देश्य के लिए आवंटित किए जाते हैं तथा आवंटन पत्रों की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार नियंत्रित होते हैं।

(घ) और (ङ) कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि विद्युत मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार अंतिम प्रयोगकर्ता परियोजनाओं से विद्युत विक्रय करने के लिए बोलियों में भाग लेने के लिए सभी कोल ब्लॉक आवंटियों को सलाह दें अथवा कोल ब्लॉक का आवंटन निरस्त किए जाने का सामना करें। इसे विद्युत क्षेत्र को स्वतंत्र परियोजनाओं (आईपीपी) के लिए पहले से आवंटित कोल ब्लॉकों के लिए आवंटन-पत्र में एक शर्त बनाकर किया जा सकता है।

पीएसयू द्वारा सरकारी शेयरों की पुनर्खरीद

2851. श्री पी. लिंगम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सरकार के पास उनके शेयरों की हिस्सेदारी की पुनर्खरीद करने का निदेश दिया है/पुनर्खरीद करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

शहरी स्वास्थ्य परियोजना

2852. श्रीमती ज्योति धुर्वे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से शहरी स्वास्थ्य परियोजना हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान किये जाने के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) जी, नहीं, स्वस्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को शहरी स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता हेतु मध्य प्रदेश सहित अनेक सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय कंपनियों द्वारा निवेश

2853. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ :
श्री शिवराम गौडा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कंपनियों द्वारा देश में निवेश में तेजी से गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और भावी योजनाएं क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए गए। गैर-सरकारी गैर-वित्तीय सरकारी लिमिटेड कंपनियों के प्रतिदर्श आंकड़ों के अनुसार निवेश में 2008-09 की अपेक्षा 2009-10 में 12.7 प्रतिशत तक कमी आई है और बाद में 2010-11 में यह 4.7 प्रतिशत बढ़ गये।

(ग) और (घ) कंपनियों के निवेशों में कमी ब्याज भुगतान, स्टॉफ लागत और कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी और कम होती मांग के कारण कॉरपोरेट मार्जिन में कमी आ रही है। सरकार ने उद्योग और अवसंरचना क्षेत्र को बढ़ावा देने और इन क्षेत्रों में निवेश हेतु अधिक संख्या में लोगों को आकर्षित करने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं। सरकार ने एक राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की है और संसाधनों के प्रवाह को सुसाध्य बनाने के लिए अवसंरचना के उप क्षेत्रों की सुमेलित महत्वपूर्ण सूची का अनुमोदन किया है। बजट 2012-13 निजी निवेश में वृद्धि के समुत्थान के लिए स्थितियां उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

एटीएम की संस्थापना

2854. श्री संजय दिना पाटील : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में एटोमेटिड टेलर मशीनों (एटीएम) की संस्थापना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आमंत्रित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी भागीदारी से किस तरीके से शिकायतों का समाधान हो सकेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-बैंकिंग कंपनियों को अपना एटीएम स्थापित करने तथा इसे संचालित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। व्हाइट लेबल एटीएम लगाने के संबंध में 6 मार्च, 2012 तक लोगों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए प्रारूप दिशा-निर्देश को आरबीआई की वेबसाइट पर डाला गया था। गैर-बैंकिंग कंपनियों को एटीएम स्थापित करने के लिए अनुमति देने के निम्नलिखित कारण हैं:—

(i) देश में प्रति व्यक्ति एटीएम की उपलब्धता अन्य देशों की तुलना में कम है।

(ii) देश के टीयर-III से VI क्षेत्रों में एटीएम की कम उपलब्धता।

(iii) इस पहल से वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा।

(ग) प्रारूप दिशा-निर्देशों के अनुसार, हालांकि असफल एटीएम लेन-देन से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों को हल करने का दायित्व मुख्यत: एटीएम जारी करने वाले बैंक का होगा, तथापि संयोजक बैंक एटीएम जारी करने वाले बैंकों को अपेक्षित अभिलेख तथा सचूना उपलब्ध कराने सहित इस संबंध में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। इस प्रयोजन से संयोजक बैंक को व्हाइट लेबल संचालक के साथ आवश्यक व्यवस्थाएं करनी होगी।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटक का आगमन

2855. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना :
श्री सुरेश कलमाडी :
श्री मनोहर तिरकी :
श्री हमदुल्लाह सईद :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में, वर्ष-वार, घरेलू और विदेशी पर्यटकों की अलग-अलग आवक क्या रही है;

(ख) पर्यटकों की संख्या में वृद्धि/कमी के क्या कारण हैं;

(ग) देश में उन पर्यटक स्थलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो विदेशी पर्यटकों को विशेषरूप से आकर्षित करते हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में घरेलू/विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोई योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) और (ख) वर्ष 2009 और 2010 के दौरान घरेलू पर्यटक यात्रा (डीटीवी) की संख्या एवं पिछली अवधि की तुलना में उसमें वृद्धि नीचे दी गई है:—

वर्ष	घरेलू पर्यटक मात्रा (डीटीवी) (मिलियन में)	पिछली अवधि की तुलना में वृद्धि
2009	668.80	18.8%
2010 (अ)	740.21	10.7%

(अ) : अनंतिम

वर्ष 2011 और 2012 के लिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 2009, 2010, 2011 और 2012 (जनवरी-फरवरी) के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या और पिछली अवधि की तुलना में उसमें वृद्धि नीचे दी गई है:—

वर्ष	विदेशी पर्यटक मात्रा (एफटीवी) (मिलियन)	पिछली अवधि की तुलना में वृद्धि
1	2	3
2009	5.17	-2.2%
2010	5.78	11.8%
2011 (अ)	6.29	8.9%
2012 (जनवरी-फरवरी) (अ)	1.36	7.9%

(अ) : अनंतिम

वर्ष 2008 की तुलना में 2009 में भारत में विदेशी पर्यटक आगमन में 2.2 प्रतिशत की कमी विभिन्न कारणों मुख्यत: वैश्विक वित्तीय मंदी, आतंकवादी हमले और एच1एन1 विश्वमारी इत्यादि की वजह से हो सकती है।

(ग) विभिन्न राज्यों में विदेशी पर्यटकों द्वारा सर्वाधिक यात्रा किए गए स्थलों पर सूचना पर्यटन मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 2010 के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के लिए केन्द्र द्वारा संरक्षित, टिकट लगने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के शीर्ष 10 स्मारक संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) पर्यटक आगमन बढ़ाने हेतु पर्यटन मंत्रालय अपनी चालू गतिविधियों के हिस्से के रूप में विदेशी एवं घरेलू बाजारों में देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों का संवर्धन करने के लिए अतुल्य भारत ब्रांड-लाइन के अंतर्गत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और आउटडोर मीडिया अभियान चलाता है। इसके अतिरिक्त, भारत की पर्यटन संभावना को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से महत्वपूर्ण और भावी पर्यटक सृजक विदेशी बाजारों में शृंखलाबद्ध संवर्धनात्मक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इन संवर्धनात्मक गतिविधियों में यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी करना; रोड शो, भारत परिचय संबंधी संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना; भारतीय व्यंजन एवं सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन एवं समर्थन करना; विवरणिकाओं का प्रकाशन करना; संयुक्त रूप से विज्ञापन जारी करना एवं विवरणिका की सहायता देना और मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मीडिया कर्मियों, टूर ऑपरेटरों एवं विचारकों को देश की यात्रा पर आमंत्रित करना शामिल है।

पर्यटन मंत्रालय विपणन विकास सहायता (एमडीए) योजना के

अंतर्गत विदेशी एवं घरेलू बाजारों में पर्यटन के संवर्धन के लिए स्टेकहोल्डरों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

विवरण

वर्ष 2010 में विदेशी पर्यटकों के लिए केन्द्र द्वारा संरक्षित, टिकट लगने वाले 10 सर्वाधिक लोकप्रिय स्मारक

रैंक	स्मारक का नाम	विदेशी पर्यटकों की संख्या
1.	ताज महल, आगरा, उत्तर प्रदेश	621183
2.	आगरा किला, आगरा, उत्तर प्रदेश	381479
3.	कुतुब मीनार, दिल्ली	288180
4.	हुमायूं का मकबरा, दिल्ली	228914
5.	फतेहपुर सीकरी, आगरा, उत्तर प्रदेश	210450
6.	केशव टेम्पल, सोमनाथपुरा, कर्नाटक	181078
7.	लाल किला, दिल्ली	142029
8.	मट्टनचेरी पैलेस संग्रहालय, कोच्चि, केरल	128753
9.	पश्चिमी स्मारकों का समूह, खजुराहो, मध्य प्रदेश	90721
10.	स्मारकों का समूह, मामल्लापुरम, तमिलनाडु	69758

स्रोत: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)। 481-82

नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र

2856. श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के मद्देनजर सरकार का कतिपय नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो स्रोत-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में महाराष्ट्र सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कहां-कहां ऐसे संयंत्र स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा आधारित संयंत्रों के जरिए विद्युत उत्पादन का कोई लक्ष्य नियत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) देश में निजी निवेश के माध्यम से मुख्यतया निजी क्षेत्र में अक्षय विद्युत उत्पादन संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। सरकार द्वारा वित्तीय और राजकोषीय दोनों प्रोत्साहनों के साथ-साथ नीतिगत विचार-विमर्श के माध्यम से इसे सुगम बनाया जा रहा है।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा संयंत्र के स्थानों/स्थलों का निर्धारण नहीं किया जाता है। शामिल अक्षय संसाधनों पर निर्भर करते हुए स्थलों को या तो राज्य सरकारों द्वारा आवंटित किया जाता है अथवा निजी विकासकर्त्ताओं द्वारा स्वयं प्राप्त किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 2012-13 हेतु ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता संयोजन हेतु 4165 मेगावाट का एक संपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया गया। संसाधन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2012-13 के दौरान देश में ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता संयोजन हेतु संसाधन-वार निर्धारित लक्ष्य

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	2012-13 के लिए क्षमता संयोजन लक्ष्य (मेगावाट में)
1.	पवन विद्युत	2500
2.	लघु पनबिजली	350
3.	सौर विद्युत	800
4.	बायोमास विद्युत/सहउत्पादन	465
5.	शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से विद्युत	50
	कुल	4165

483-86

पर्यटन-स्थलों का विकास

2857. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे स्थानों को पर्यटक-स्थलों के रूप में विकसित करने की कोई योजना बनाई है जहां से गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां होकर बहती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त योजना का शीघ्र कार्यान्वयन करने के लिए सरकार द्वारा आगे और क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) ऐसे स्थलों, जहां से मुख्य नदियां गुजरती हैं, सहित पहचान किये पर्यटन स्थलों में पर्यटन परियोजनाओं का विकास, संवर्धन और कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय उन पर्यटन परियोजनाओं हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिनको राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श से प्राथमिकता प्रदान की जाती है। योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण परियोजनाओं को निधियों की उपलब्धता और पास्परिक प्राथमिकता की शर्त पर स्वीकृति दी जाती है।

(ख) ऐसे शहर/स्थानों, जहां से गंगा और यमुना गुजरती हैं, के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत कुछ निर्देशात्मक परियोजनाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) पर्यटन परियोजनाओं की पूर्णता का कार्यान्वयन करना मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। पर्यटन मंत्रालय क्षेत्रीय सम्मेलनों, मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकों इत्यादि के माध्यम से परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर भी करता है।

विवरण

ऐसे शहर/स्थानों जहां से गंगा और यमुना गुजरती हैं, के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत कुछ निर्देशात्मक परियोजनाएं

राज्य	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष
1	2	3
बिहार	पटना में गंगा घाट का विकास	2009-10
हरियाणा और हिमाचल प्रदेश	बृहत् पर्यटन परिपथ के रूप में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में यमुना नगर-पंचकुला-पोंटा साहिब का विकास	2010-11
उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर जिले में कर्णवास में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर पर्यटक परिपथ के रूप में घाटों का निर्माण	2010-11
	बुलंदशहर जिले में अवंतिका देवी मंदिर में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर नहाने हेतु घाटों का निर्माण	2010-11
	बुलंदशहर जिले में अनुपशहर में पवित्र गंगा नदी के दाहिने किनारे पर नहाने हेतु घाटों का निर्माण	2010-11
उत्तराखंड	हरिद्वार-ऋषिकेश-मुनि की रेती-स्वर्गाश्रम का एक बृहत् परिपथ के रूप में विकास	2008-09 और 2011-12

1	2	3
	पंचप्रयाग (विष्णु, नन्द, कर्ण, कालीमठ, कालेश्वर, गोचर) परिपथ, उत्तराखंड का विकास	2011-12
	उत्तराखंड में उत्तरकाशी में निर्मल गंगोत्री ईको-पर्यटन बृहत् परिपथ का विकास	2011-12
पश्चिम बंगाल	बृहत् परियोजना के अंतर्गत गंगा विरासत नदी परिपथ	2008-09

[अनुवाद]

डॉक्टरों की ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य तैनाती

2858. श्री हरिन पाठक :
डॉ. सुचारू रंजन हल्दर :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार/संघराज्य क्षेत्र-वार प्रतिवर्ष कुल कितने चिकित्सा विज्ञान स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधिकारी उत्तीर्ण हो रहे हैं और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी सेवा लेने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा हेतु डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे उपर्युक्त उपायों का वांछित परिणाम हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का साढ़े छह वर्ष अवधि का एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत, एमबीबीएस विद्यार्थियों को डॉक्टर बनने के पूर्व एक वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती अनिवार्य होगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नाबी आजाद) : (क) चिकित्सा स्नातक और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या संबंधी डाटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता, तथापि चिकित्सा स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता क्रमश: 41569 और 21858 है। केंद्र सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के परामर्श से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने हेतु अपने स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियमों में निम्नलिखित संशोधन किए हैं:—

(i) सरकारी सेवा के चिकित्सा अधिकारियों जिन्होंने दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्ष सेवा की हो, के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 50% आरक्षण; और

(ii) दूरदराज या दुर्गम क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अंकों के 10% अंक की दर से प्रोत्साहन जो स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए प्रवेश परीक्षा के प्राप्त अंकों का 30% होगा।

(ख) और (ग) ये डाटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) चिकित्सा शिक्षा में सुधार करने के लिए तथा इसे अधिक समाजोन्मुखी और जनस्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य से उपर्युक्त बनाने के समग्र प्रयास की दृष्टि से, एमबीबीएस के छात्रों को व्यापक सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताओं से स्वयं को अवगत होने में समर्थ करने हेतु उन्हें ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रतिवेशों से परिचित कराने के संबंध में 4 फरवरी, 2012 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के साथ चर्चा की गई।

एनआरएचएम के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को संविदात्मक आधार पर स्टाफ की विनियोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। देश में स्वास्थ्य व्यावसायिकों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने भी अनेक उपाय किए हैं जैसे कि विशेषज्ञों की कमी पर काबू पाने के लिए डॉक्टरों को बहुकौशलयुक्त बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए प्रोत्साहनों की व्यवस्था, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने के लिए अपेक्षाओं में छूट देना इत्यादि।

खानों से राजस्व-संग्रहण संबंधी नीति

2859. श्री निर्नोग ईरींग : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश के विशेष संदर्भ में खानों से राजस्व-संग्रहण संबंधी सरकार की नीति क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में सरकार ने खानों से राज्य-वार कितनी राजस्व राशि संग्रहीत की; और

(ग) व्यक्तियों/फर्मों को खान-आवंटन हेतु सरकार ने क्या मानदंड रखे हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) की धारा 9 के अनुसार मुख्य खनिजों के संबंध में पट्टेदार केन्द्र सरकार की दूसरी अनुसूची में वर्णित दरों पर पट्टा क्षेत्र में से निकाले अथवा उपयोग किए गए किसी खनिज के लिए रॉयल्टी भुगतान करता है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य पर भी लागू है। रॉयल्टी से प्राप्त राजस्व राज्य सरकारों द्वारा वसूला जाता है और रखा जाता है। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अनुसार गौण खनिजों के संबंध में राज्य सरकारों को गौण खनिजों पर रॉयल्टी नियत करने और एकत्रित करने की शक्तियां दी गई हैं।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा खनिजों (कोयला, लिग्नाइट, भूगर्त भरण के लिए बालू और गौण खनिजों को छोड़कर) पर वसूल की गई रॉयल्टी का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

राज्य	रॉयल्टी		
	2009-10	2010-11	अप्रैल 2011 से दिसम्बर, 2011 तक (अनंतिम)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	370.38	381.92	245.73
असम	0.94	0.73	0.67
बिहार	—	—	0.46
छत्तीसगढ़	474.39	1196.55	757.90
गुजरात	192.90	193.89	258.74
गोवा	285.91	959.12	352.05
हिमाचल प्रदेश	47.98	—	43.62
जम्मू और कश्मीर	—	—	1.03
झारखंड	202.33	440.24	348.88
कर्नाटक	430.10	708.44	288.01
केरल	8.81	9.42	2.85
मध्य प्रदेश	351.45	324.55	142.72
महाराष्ट्र	84.85	132.70	151.14
मेघालय	7.26	13.09	6.72
ओडिशा	894.44	1598.05	2365.43
राजस्थान	987.45	1182.23	774.89
तमिलनाडु	130.56	138.56	87.02
उत्तर प्रदेश			0.20
उत्तराखंड			0.64
पश्चिम बंगाल			0.14
कुल	4469.75	7279.49	5828.84

राज्य सरकारों द्वारा वसूल किया गया डेड रेंट, गौण खनिजों पर रॉयल्टी की वसूली अथवा खनन और खनिजों पर वसूल किए गए स्थानीय सेस और करों का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा गौण खनिजों पर वसूल की गई रॉयल्टी नीचे दी गई है:—

वर्ष	रॉयल्टी का संग्रह (करोड़ रुपए)
2007-08	29.27
2008-09	19.06
2009-10	8.43

(ग) एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 11 में व्यक्तियों/फर्मों को सरकार द्वारा खान आवंटन में अपनाई जाने वाली विधि के प्रावधान दिए गए हैं।

[हिन्दी]

सिगरेट और गुटका कंपनियों में जीवन बीमा निगम का निवेश

2860. **श्री रामसिंह कस्वां :**
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा हाल में सिगरेट और गुटका कंपनियों में निवेश किए जाने की खबर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम ने उक्त निवेश इस संबंध में निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने यह सूचित किया है कि उन्होंने दिनांक 1.04.2011 से सिगरेट और गुटका कंपनियों में कोई निवेश नहीं किया है।

(ग) से (ङ) एलआईसी द्वारा किए गए सभी निवेश बीमा विनियमावली और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियमावली, 2000 के विनियम 5 के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार किए गए हैं।

[अनुवाद]

क्रेडिट-कार्डों पर ब्याज

2861. **श्री नरहरि महतो :**
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रेडिट कार्डों के बकाया के विलंबित भुगतान पर सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा आज की तारीख में, बैंक-वार वसूले जा रहे ब्याज का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त बैंकों द्वरा क्रेडिट-कार्ड बकाया पर, आज की तारीख में बैंक-वार किस दर से ब्याज वसूला जा रहा है;

(ग) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक का इस संबंध में बैंककारी संस्थाओं के लिए एक समान नीति बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसी नीति कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा यथा सूचित जनवरी, 2012 में क्रेडिट कार्ड के बकाया राशियों पर प्रभारित होने वाले ब्याज की बैंक-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक के क्रेडिट कार्ड परिचालन के संबंध में दिनांक 01.07.2011 का एक मास्टर परिपत्र जारी किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ब्याज दरों और अन्य प्रशुल्कों से संबंधित दिशा-निर्देश दिए गए हैं। क्रेडिट कार्ड देय, गैर-प्राथमिकताप्राप्त वैयक्तिक ऋण प्रकृति के हैं और उन पर ब्याज दर निर्धारित करते समय बैंकों को आरबीआई के दिनांक 9.4.2010 के परिपत्र सं. डीबीओडी सं. डीआईआरबीसी 88/13.03.00/2009-10 के मद्देनजर आधार दर के अनुसार ऋण का मूल्य निर्धारित करने संबंधी निर्देशों को ध्यान में रखने की सलाह दी है। बैंकों को दिनांक 07.05.2007 के परिपत्र के माध्यम से छोटी राशि के वैयक्तिक ऋणों पर लगने वाले प्रसंस्करण और अन्य प्रशुल्क

सहित ब्याज दर की अधिकतम सीमा तय करने की सलाह दी है। ये दिशा-निर्देश क्रेडिट कार्ड देयों पर भी लागू हैं।

विवरण

क्रेडिट कार्ड के बकाया राशियों पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रभारित ब्याज दरें (जनवरी, 2012 माह के अंत में)

(प्रतिशत)

बैंक के नाम	ब्याज दर	
	न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		
आन्ध्रा बैंक	18.00	35.40
बैंक ऑफ बड़ौदा	17.75	17.75
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	36.50	36.50
बैंक ऑफ इंडिया	22.45	30.00
केनरा बैंक	17.75	17.75
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	10.00	16.25
कॉर्पोरेशन बैंक	27.00	30.00
आईडीबीआई बैंक	9.50	9.50
इंडियन बैंक	21.48	27.00
इंडियन ओवरसीज बैंक	12.00	24.00
पंजाब और सिंध बैंक	17.75	17.75
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	7.00	12.00
सिंडिकेट बैंक	24.00	30.00
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	25.34	34.49
विजया बैंक	27.00	27.00
निजी क्षेत्र के बैंक		
एक्सिस बैंक लि.	26.08	46.78
धनलक्ष्मी बैंक लि.	18.00	36.00
एचडीएफसी बैंक लि.	36.60	39.00
आईसीआईसीआई बैंक लि.	0.00	41.00
इंडसइंड बैंक	46.00	46.00
जम्मू और कश्मीर बैंक लि.	17.00	17.00
कोटक महिन्द्रा बैंक	37.20	37.20
तमिलनाडु मर्किन्टाइल बैंक लि.	19.25	19.25

[हिन्दी]

खाद्य मूल्य वृद्धि के आंकड़े

2862. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य मूल्यवृद्धि दर-संबंधी आंकड़े प्रतिसप्ताह की बजाय प्रतिमाह जारी करने और जो केवल थोक मूल्य सूचकांक पर ही आधारित हैं देने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) सकल मुद्रास्फीति-दर में खाद्य-मूल्य वृद्धि दर का अंश कितना है;

(घ) क्या इससे वास्तविक स्फीति-दर का पता चल सकेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी, हां।

494-500

(ख) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 24 जनवरी, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में यह निदेश दिया था कि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई: 2004-05 100) साप्ताहिक और मासिक आधार पर जारी करने की पूर्व परिपाटी के बजाय प्रतिमाह जारी किया जाए। किसी भी माह के मासिक डब्ल्यूपीआई अनंतिम रूप से उसके बाद के माह में 14वें दिन जारी किया जाता है और अंतिम डब्ल्यूपीआई दो माह के अंतराल पर जारी किया जाता है। इस निर्णय से डब्ल्यूपीआई की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है।

(ग) से (ङ) खाद्य मुद्रास्फीति में दो उप-घटक नामशः प्राथमिक खाद्य वस्तुएं और विनिर्मित खाद्य उत्पाद शामिल होती है। डब्ल्यूपीआई में संयुक्त खाद्य सूचकांक का समय भारांश 24.31 प्रतिशत है। (प्राथमिक खाद्य वस्तुएं: 14.34 प्रतिशत और विनिर्मित खाद्य उत्पादन 9.97 प्रतिशत) खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति में आई गिरावट से सभी वस्तुओं की समग्र मुद्रास्फीति में गिरावट हुई है।

फरवरी, 2011 के मुकाबले फरवरी, 2012 में समग्र मुद्रास्फीति में खाद्य घटकों में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति दरें और प्रतिशतांक हिस्सा नीचे सारणी में दिया गया है:—

सकल मुद्रास्फीति में खाद्य वस्तुओं में वर्षानुवर्ष डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति दरें और प्रतिशतांक हिस्सा

	भारांश (%)	फरवरी-11	फरवरी-12वीं
मुद्रास्फीति दरें (%)			
सभी वस्तुएं	100.00	9.54	6.95
खाद्य वस्तुएं	14.34	10.95	6.07
खाद्य उत्पाद	9.97	0.00	5.72
कुल खाद्य	24.31	6.77	5.94
समग्र मुद्रास्फीति में खाद्य मुद्रास्फीति का प्रतिशत हिस्सा			
खाद्य वस्तुएं	14.34	19.89	15.31
खाद्य उत्पाद	9.97	0.00	8.04
कुल खाद्य	24.31	19.89	23.35

अ — अनंतिम।

[अनुवाद]

स्व-रोजगार योजनाओं के लिए ऋण

2863. श्री अम्बिका बनर्जी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गरीब बेरोजगार युवाओं, श्रमिकों, वंचितजनों, लघु एवं सीमांत कृषिकों, अ.जा./अ.ज.जा. तथ अ.पि. वर्गों को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की अपनी नीति की समीक्षा करते हुए उसे सरल बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं के तहत राज्य-वार कितने ऋण-आवेदन लंबित हैं;

(घ) इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन आवेदनों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार/भा.रि. बैंक/संबंधित बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा) : (क) और (ख) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋण के संबंध में जो मौजूदा निर्देश हैं उसके अंतर्गत कमजोर वर्गों में लघु एवं सीमांत किसान एससी/एसटी, भूमिहीन मजदूर और सरकार द्वारा आयोजित रोजगार उन्मुख कार्यक्रमों जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) तथा सिर पर (मैनुअल) मैला ढोने वाले लोगों के पुनर्वास से संबंधित योजना (एसआरएमएस) के दायरे में आने वाले अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग के लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार से संबंधित मौजूदा वर्गीकरण की पुनः जांच करने तथा संशोधित दिशानिर्देशों को सुझाने के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसे बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, अन्य संस्थाओं तथा जन सदस्यों से विचार/टिप्पणियां मांगने के प्रयोजन से आरबीआई की वेबसाइट पर रखा गया है।

(ग) से (ङ) मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा

प्रायोजित स्कीमों नामतः एसजीएसवाई तथा एसजेएसआरवाई के तहत लंबित ऋण आवेदनों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

केन्द्र द्वारा प्रायाजित सरकारी स्कीमों के तहत लंबित आवेदनों का तत्काल निपटान करने के लिए, आरबीआई ने बैंकों को निम्न उपाय करने की सलाह दी है:–

- सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय करके लक्ष्यों को शीघ्रातिशीघ अंतिम रूप देना तथा अग्रणी बैंकों द्वारा उनके संबंधित जिलों में सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों के उचित एवं प्रभावी कार्यान्वियन के बारे में बैंकों और नोडल एजेंसियों के लिए सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित करना;
- सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों के तहत प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता के बारे में भारत सरकार/आरबीआई के विभिन्न दिशानिर्देशों को अपनी सभी शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों के नोटिस में लाना;
- यह सुनिश्चित करना कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में शाखाओं के कार्य-निष्पादन की नियमित समीक्षा करते हैं;
- इस बात की निगरानी करना कि स्कीम के तहत शाखाएं लक्षित समूहों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करती है;
- यह भी सुनिश्चित करना कि शाखाएं सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों के तहत ऋण संस्वीकृत करते समय आरबीआई के दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करती हैं;
- यह सुनिश्चित करना कि बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक ऐसी शाखाओं का पता लगाते हैं जहां लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक हैं तथा उनके शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं।

विवरण

एसजीएसवाई तथा एसजेएसआरवाई के तहत लंबित ऋण आवेदनों की संख्या

क्र. सं.	राज्यों के नाम/संघ शासित क्षेत्र	एसजीएसवाई के तहत					एसजेएसआरवाई के तहत		
		अप्रैल, 2010 से मार्च, 2011 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या		कुल प्राप्त आवेदन	वापिस/अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त आवेदन	वापिस/अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
		व्यक्तिगत संख्या	एसएचजी संख्या						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	178	185	363	2	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	4696	1246	5942	89	31	3788	77	91
3.	अरुणाचल प्रदेश	55	897	952	40	39	54	2	0
4.	असम	3013	8497	11510	236	1187	581	5	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	बिहार	6084	8824	14908	466	437	1482	76	68
6.	चंडीगढ़	103	53	156	0	30	375	61	107
7.	छत्तीसगढ़	6064	1943	8007	386	381	2484	243	455
8.	दादरा और नगर हवेली	293	0	293	10	95	8	0	1
9.	दमन और दीव	39	0	39	1	4	0	0	0
10.	दिल्ली	114	39	153	49	5	1450	358	492
11.	गोवा	155	145	300	44	4	45	1	0
12.	गुजरात	25292	4096	29388	5413	5666	15916	3780	6509
13.	हरियाणा	1469	1819	3288	240	167	2784	342	670
14.	हिमाचल प्रदेश	999	428	1427	31	14	164	3	6
15.	जम्मू और कश्मीर	7577	215	7792	2441	1107	584	70	101
16.	झारखंड	7880	6965	14845	1229	467	701	49	24
17.	कर्नाटक	2764	2208	4972	72	64	3437	74	232
18.	केरल	7022	2939	9961	175	439	1359	47	75
19.	लक्षद्वीप	254	0	254	29	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	13115	3401	16516	588	678	13134	1334	1360
21.	महाराष्ट्र	17594	11566	29160	4395	911	8649	485	1699
22.	मणिपुर	33	116	149	2	0	10	0	1
23.	मेघालय	43	211	254	1	0	23	0	1
24.	मिजोरम	0	10	10	0	0	0	0	0
25.	नगालैंड	90	149	239	19	35	127	0	3
26.	ओडिशा	13850	6372	20222	1380	258	2977	62	293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	पुदुचेरी	25	229	254	0	0	280	0	3
28.	पंजाब	5189	912	6101	394	339	433	38	34
29.	राजस्थान	11674	5425	17099	3591	663	17666	930	7451
30.	सिक्किम	411	375	786	6	0	109	25	27
31.	तमिलनाडु	2324	20498	22822	81	122	6462	158	552
32.	त्रिपुरा	19	1238	1257	4	0	235	6	92
33.	उत्तर प्रदेश	22023	8142	30165	1624	1541	11631	895	2080
34.	उत्तराखंड	1425	545	1970	106	10	1357	28	90
35.	पश्चिम बंगाल	10499	30259	40758	195	233	4797	222	493
	कुल	172365	129947	302312	23339	14927	103102	9371	23061

स्रोत: आरबीआई।

नेमी टीकाकरण का गहन अभियान

2864. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2012 को देश में नेमी टीकाकरण के गहन अभियान का वर्ष घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में उक्त अभियान को कार्यान्वित करने के लिए क्या रूपरेखा बनाई गई है; और

(घ) उक्त अभियान में कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) से (ग) जी, हां, भारत सरकार ने वर्ष 2012-13 को नेमी रोग प्रतिरक्षण के तीव्रीकरण वर्ष के रूप में घोषित किया है। इस कार्यनीति में निम्नलिखित पर बल दिया गया है:—

1. पूर्वोत्तर राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड इत्यादि में रोग प्रतिरक्षण सप्ताह आयोजित करना।

2. जिला स्तरीय परिवार सर्वेक्षण 3 के अनुसार 50% से कम पूर्ण रोग प्रतिरक्षण वाले अभिज्ञात 239 जिलों में नेमी रोग प्रतिरक्षण को सुदृढ़ करना। जिला विशिष्ट रोग प्रतिरक्षण कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

3. परिशहरी क्षेत्रों सहित उच्च जोखिम वाले ब्लॉकों, जहां रोग प्रतिरक्षण की कवरेज कम है, की पहचान करने के लिए त्वरित अनुक्रिया दल तथा ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर नेमी रोग प्रतिरक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए इस डाटाबेस का इस्तेमाल करना।

4. तीव्रीकृत संप्रेषण तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना।

5. वैकल्पिक वैक्सीन प्रदानगी प्रणाली का आधुनिकीकरण।

6. माता एवं बाल पहचान प्रणाली के जरिए बच्चों के अनुपरीक्षण को सुदृढ़ करना।

(घ) इसमें कोई अतिरिक्त व्यय निहित नहीं है।

[हिन्दी]

501*

'सिलिकोसिस' रोग के मामले

2865. श्री रतन सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर देश के खान-श्रमिकों के बीच 'सिलिकोसिस' रोग के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान सहित देश में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे कितने मामले सामने आए हैं और उससे कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में 'सिलिकोसिस' के मामले पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) सिलिकोसिस के संबंध में डाटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता हैं तथापि खान अधिनियम, 1952 की धारा 25(2) के अंतर्गत यथापेक्षित पंजीकृत/अधिसूचित खानों ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खान सुरक्षा महानिदेशक (डीजीएमएस) को राजस्थान सहित सिलिकोसिस के केवल एक ही मामले की सूचना दी है। सूचित मामला ओडिशा राज्य से संबंधित है।

(घ) और (ङ) खान सुरक्षा महानिदेशक (डीजीएमएस) ने विगत पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया है। खान अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी उचित सांविधिक प्रावधान पहले से ही विद्यमान है। इस संविधि में कार्यस्थलों पर जोखिम की पहचान करने, मूल्यांकन करने तथा रोकथाम करने के लिए एक प्रणालीगत एप्रोच निर्धारित है ताकि चोटों और व्यवसाय से संबंधित रोगों की रोकथाम की जा सके।

[अनुवाद]

502.04

बैंकों में बे-दावा जमा राशि

2866. चौधरी लाल सिंह :
श्री एस. सेम्मलई :
श्री सुशील कुमार सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा ऐसी राशि का ब्यौरा क्या है जिसके लिए कोई दावा नहीं किया गया है और वर्ष-दर-वर्ष ऐसी जमाराशि में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऐसी बे-दावा राशि का पता लगाकर उसे वापस लौटाने तथा जनहित में ऐसी अदावाकृत जमाराशि का निष्क्रिय खातों के खाताधारकों का पता लगाने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल हुई है; और

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त बैंकों को ऐसे अदावाकृत खातों, जो दस वर्ष या अधिक अवधि से निष्क्रिय या निष्प्रभावी पड़े हैं, की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने और वेबसाइट को नियमित अंतराल पर अद्यतन करते रहने का भी सुझाव दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धि हुई है; और

(च) ऐसी धनराशि को उसके सही दावेदारों को लौटाना सुनिश्चित करने हेतु सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि 31 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार 11249844 खातों में कुल मिलाकर लगभग 2481.39 करोड़ रुपये की धनराशि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के पास अदावी जमाराशियों के तौर पर पड़ी है। बैंक समूह-वार विवरण नीचे दिए गए हैं:—

बैंक समूह	खातों की कुल संख्या	कुल अदावी जमाराशि (करोड़ रु.)
एसबीआई समूह	10,95,278	233.91
सरकारी बैंक	86,83,866	1,944.52
गैर-सरकारी बैंक	12,24,093	233.56
विदेशी बैंक	46,607	69.41
कुल (एससीबी)	1,12,49,844	2,481.40

आरबीआई ने 22 अगस्त, 2008 और 01 जुलाई, 2011 के अपने परिपत्र के जरिए बैंकों को निदेश दिया है कि वे ऐसे खाताधारकों का पता-ठिकाना खोजने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं जिनके खाते निष्क्रिय पड़े रहे हैं और उसने (आरबीआई) निष्क्रिय खातों पर कार्रवाई करने वाले बैंकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये परिपत्र आरबीआई की वेबसाइट *www.rbi.org.in.* पर उपलब्ध हैं। बैंकों को ऐसे खातों की वार्षिक समीक्षा करने की सलाह दी गई है जिनमें एक वर्ष से अधिक से परिचालन न हुआ हो। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे मौजूदा ऐसे खाते के संदर्भ में ग्राहकों/कानूनी वारिसों का पता-ठिकाना ढूंढ़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करने पर विचार करें जिन्हें पहले से ही "निष्क्रिय खातों" के पृथक खाता-बही में अंतरित कर दिया गया है। इन अनुदेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ये भी शामिल हैं कि ऐसे खातों में समुचित सावधानी बरते जाने के बाद परिचालन करने की अनुमति दी जाए और यह कि निष्क्रिय खातों को सक्रिय बनाने के लिए कोई प्रभार न लगाया जाए।

(घ) से (च) आरबीआई ने 7 फरवरी, 2012 के अपने परिपत्र के जरिए बैंकों को सलाह दी है कि वे ऐसे अदावी जमाराशियों/निष्क्रिय खातों की सूची अपनी संबंधित वेबसाइट पर प्रदर्शित करें जो दस वर्ष या अधिक समय से निष्क्रिय हों। वेबसाइटों पर इस तरह प्रदर्शित सूची में अदावी जमाराशि/निष्क्रिय खातों के संदर्भ में केवल खाताधारक(कों) के नाम और उनके पते होने चाहिए। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे उसी वेबसाइट पर अदावी जमाराशि का दावा करने/निष्क्रिय खातों को चालू करने की प्रक्रिया और उसका दावा करने के लिए जरूरी प्रपत्रों एवं दस्तावेजों का विवरण दें। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे 30 जून, 2012 तक इस प्रक्रिया को पूरी कर लें और अपनी वेबसाइटों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन करते रहें। बैंकों को यह सलाह दी गई है। कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त परिचालनगत पूर्वोपाय करें कि दावेदरर वास्तविक व्यक्ति हों।

[हिन्दी] 504-12

बायोगैस संयंत्र

2867. श्री राकेश पाण्डेय :
श्री अशोक तंवर :
श्री रवनीत सिंह :

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पंजाब सहित देश के ग्रामीण क्षेत्र में राज्य-वार कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) इनमें से कितने संयंत्र कार्यरत हैं और कितने कार्य नहीं कर रहे हैं तथा राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी राशि आवंटित की गई;

(ग) क्या इस समय बाजार में बायोगैस चूल्हे आसानी से उपलब्ध हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के वासियों को बायोगैस चूल्हे उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में दिनांक 29 फरवरी, 2012 तक मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 4.80 लाख बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गई है। पंजाब सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा वर्ष 2009-2010 के दौरान किए गए मूल्यांकन अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार देश में 3577 बायोगैस संयंत्र, जिनका सर्वेक्षण किया गया, में से लगभग 95.80 प्रतिशत संयंत्र कार्यशील पाए गए। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में दिनांक 29 फरवरी, 2012 तक राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत आवंटित की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। बीआईएस विशिष्टताओं वाले बायोगैस चूल्हों का निर्माण देश के लगभग 10 विनिर्माताओं द्वारा किया जाता है। बायोगैस संयंत्रों के लाभार्थियों के पास बायोगैस चूल्हों को बायोगैस कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाले विभाग/एजेंसी अथवा बायोगैस चूल्हों के अनुमोदित विनिर्माताओं से प्राप्त करने का विकल्प है।

(ङ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा समीक्षा बैठकों के दौरान कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाले विभागों/एजेंसियों को विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को गुणवत्तायुक्त चूल्हों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाते हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष 2011-12 (दिनांक 29.2.2012 तक) के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत संस्थापित पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपलब्धियां			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10825	13699	16275	11502
2.	अरुणाचल प्रदेश	250	162	175	17
3.	असम	7500	10450	6732	5006
4.	बिहार	200	200	350	877
5.	गोवा	34	31	18	45
6.	गुजरात	5842	10556	6105	1728
7.	हरियाणा	1347	1422	1386	1262
8.	हिमाचल प्रदेश	246	245	445	234
9.	जम्मू और कश्मीर	72	155	114	54
10.	कर्नाटक	7822	10323	14464	9420
11.	केरल	5151	4085	3941	2916

1	2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	14077	15114	16742	9367
13.	महाराष्ट्र	15461	11235	21456	13181
14.	मणिपुर	—	—	—	—
15.	मेघालय	725	825	1275	1136
16.	मिजोरम	100	50	100	100
17.	नागालैंड	425	605	1171	951
18.	ओडिशा	2332	5296	6050	3347
19.	पंजाब	9695	7250	23700	11044
20.	राजस्थान	92	176	275	387
21.	सिक्किम	447	555	358	348
22.	तमिलनाडु	1761	1740	1493	810
23.	त्रिपुरा	159	47	89	117
24.	उत्तर प्रदेश	2019	3252	4603	2907
25.	पश्चिम बंगाल	16300	16748	17000	17012
26.	दिल्ली	1	—	1	—
27.	पुदुचेरी	—	5	—	—
28.	छत्तीसगढ़	3118	3433	3832	3609
29.	झारखंड	824	1030	913	280
30.	उत्तराखंड	1104	1225	2082	1631
31.	केवीआईसी और अन्य	#	#	#	#
	कुल	107929	119914	151138	99288

#केवीआईसी की उपलब्धियों को राज्यों के बीच वितरित किया गया है और संबंधित कॉलमों में शामिल किया गया है।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष 2011-12 (29.2.2012 तक) के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत आवंटित निधियां

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/एजेंसी का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (29.2.2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश (नैडकैप)	1.80	7.32	13.21	13.14
2.	अरुणाचल प्रदेश (अपेडा)	0.20	0.23	0.17	0.06
3.	असम (एफडीए असम)	6.79	7.07	5.26	7.87
4.	बिहार (वब्रेडा के माध्यम से)	0	0	0	0.70
5.	छत्तीसगढ़ (क्रेडा)	1.33	2.85	2.68	4.06
6.	गुजरात (जीएआईसी)	1.68	5.45	8.33	0.15
7.	गोवा	0	0	0.03	0.15
8.	हरियाणा	0.32	0.52	2.70	1.21
9.	हिमाचल प्रदेश	0.03	0.07	0.63	0.25
10.	जम्मू और कश्मीर	0.02	0.03	0.50	0
11.	झारखंड (झरेडा)	0.10	0.38	0.44	0.15
12.	कर्नाटक	4.46	5.77	5.15	5.98
13.	केरल	0.16	0.70	3.31	1.55
14.	मध्य प्रदेश	3.34	8.32	10.84	11.50
15.	महाराष्ट्र	11.33	6.58	10.48	6.96
16.	मणिपुर	0	0	0	0
17.	मेघालय (एमएनआरईडीए)	0.31	0.51	0.81	1.66

1	2	3	4	5	6
18.	मिजोरम	0.13	0.08	0.17	0.17
19.	नागालैंड	0.12	0.22	0.42	0.84
20.	ओडिशा (ओआरईडीए)	1.69	2.57	5.95	6.11
21.	पंजाब (पेडा)	3.82	3.22	8.12	19.90
22.	राजस्थान	0	0.03	0.53	0.25
23.	सिक्किम	0.30	0.26	0.37	0.13
24.	तमिलनाडु	0	0.61	0.10	0.74
25.	त्रिपुरा	0	0.23	0.08	0
26.	उत्तर प्रदेश (यूपी)	0.52	0.80	6.27	0.25
27.	उत्तराखंड	0.28	0.50	1.25	1.94
28.	पश्चिम बंगाल (वब्रेडा)	8.03	5.81	8.28	15.40
29.	केवीआईसी, मुम्बई	8.76	6.66	20.92	22.78
30.	पुदुचेरी (आरईपी)	—	—	—	0.05
31.	विविध	0.87	1.45	0.53	0.61
	कुल	56.99	68.15	120.00	124.56

[अनुवाद] 511-13

स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के लिए सांविधिक मार्गनिदेश

2868. श्री हेमानंद बिसवाल :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, स्वास्थ्य संबंधी खाद्य उत्पादों को बाजार में उतारने के पूर्व विनिर्माता द्वारा किए दावों का सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कतिपय नए मार्गनिदेश बनाने का विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस संबंध में विद्यमान मार्गनिदेश तथा प्रस्तावित मार्गनिदेश की तुलना का ब्यौरा क्या हैं;

(घ) मार्गनिदेश को किन-किन उत्पादों पर लागू किया जाएगा और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं; और

(ङ) मार्गनिदेश कब लागू किए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) से (ङ) 5 अगस्त, 2011 से प्रभावी खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 के अनुसार, अवयव या पदार्थयुक्त खाद्य सामग्री का विनिर्माण करने वाले सभी खाद्य व्यवसाय प्रचालकों जो ऐसी प्रौद्योगिकियों या प्रक्रियाओं या दोनों के सम्मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं जिनकी निरापदता खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों के जरिए सिद्ध नहीं की गई है या जिनके सुरक्षित इस्तेमाल का इतिवृत्त नहीं है या ऐसे खाद्ययुक्त अवयवों का इस्तेमाल करते हैं जिनका देश में प्रथम बार प्रयोग किया जा रहा हो, को उत्पाद अनुमोदन हेतु आवेदन करने की जरूरत होती है।

दोषपूर्ण एटीएम

2869. श्री निशिकांत दुबे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एटीएम मशीनों/एटीएम कार्डों में दोष के कारण धनहानि होने की शिकायतों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने बैंकों को वर्तमान चुंबकीय पट्टिकायुक्त एटीएम कार्डों की जगह चिपयुक्त एटीएम कार्डों का चलन शुरू करने का निदेश दिया है ताकि ग्राहकों के हितों और गोपनीय जानकारी की सुरक्षा की जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बैंकों ने उक्तावधि के दौरान एटीएम द्वारा नकद राशि प्रदान न करने और ग्राहक के खाते से रकम कट जाने तथा उसकी भरपाई न होने के एवज में कोई मुआवजा प्रदान किया; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या सुधारकारी कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि गत चार वर्षों के दौरान एटीएम मशीनों/एटीएम कार्डों में खराबी के कारण धनहानि होने की शिकायतें निम्नानुसार हैं:—

(लाख रुपये)

क्र. सं.	कैलेण्ड वर्ष (जनवरी-दिसंबर)	सूचित कुल मामले	शामिल राशि
1.	2008	153	246.01
2.	2009	296	279.00
3.	2010	275	335.19
4.	2011	487	706.82

एटीएम/डेबिट कार्ड परिचालन या क्रेडिट कार्ड परिचालन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का बैंक या इसके अनुषंगियों द्वारा पालन नहीं किया जाना बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के अंतर्गत शिकायत का एक आधार है। नकद निकासी में असफल होना/कम नकद निकासी ऐसी शिकायतों का एक कारण है। पूरे देश में स्थित बैंकिंग लोकपाल के 15 कार्यालय बैंकों के एटीएम/डेबिट कोर्ड परिचालनों के संबंध में शिकायतें प्राप्त करते हैं तथा इनका समाधान करते हैं।

(ग) और (घ) बैंक अपने वाणिज्यिक निर्णय तथा उनके संबंधित बोर्डों द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर ईएमवी चिप और पिन आधारित प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्ड जारीकर्त्ताओं को 30 जून, 2013 तक ईएमवी कार्ड जारी करने के लिए प्रौद्योगिकीय रूप से तैयार रहने की सलाह दी गई है।

(ङ) और (च) जी, हां। मौजूदा विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार, एटीएम से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों को ग्राहकों से शिकायत प्राप्त होने के 7 कार्य दिवस के भीतर जारीकर्त्ता बैंक द्वारा समाधान किया जाना अपेक्षित है और शिकायत प्राप्त होने के 7 कार्य दिवस के भीतर ग्राहकों के खाते में धनराशि पुन: जमा करने में असफल रहने पर जारीकर्त्ता बैंक को शिकायतकर्त्ता को 100/- रुपये प्रतिदिन की दर से मुआवजे का भुगतान करना होगा।

वर्ष 2011 में प्राप्त शिकायतों को बैंक-वार दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2011 में असफल एटीएम लेनदेन के संबंध में दिए गए मुआवजे के संबंध में बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों के अनुसार

क्र. सं.	बैंक का नाम	दिया गया मुआवजा (राशि रुपये)
1	2	3
1.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	300.00
2.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	500.00
3.	विजया बैंक	4300.00
4.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	5900.00
5.	आईएनजी वैश्य बैंक	7300.00
6.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	13700.00
7.	सिटी बैंक	16300.00
8.	देना बैंक	19500.00
9.	डच बैंक	23400.00
10.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	28800.00
11.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	32200.00
12.	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	37600.00
13.	सारस्वत कॉपोरेशन बैंक लि.	38100.00
14.	पंजबा नेशनल बैंक	48114.41
15.	इंडियन ओवरसीज बैंक	73700.00
16.	सिंडिकेट बैंक	97900.00
17.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	106631.00
18.	केनरा बैंक	131933.00
19.	आईसीआईसी बैंक लि.	150700.00
20.	बैंक ऑफ बड़ौदा	153400.00
21.	एचएसबीसी	158800.00
22.	करूर वैश्य बैंक लि.	193600.00
23.	बैंक ऑफ इंडिया	250400.00
24.	एचडीएफसी बैंक लि.	393300.00
25.	भारतीय स्टेट बैंक	730200.00
	जोड़	2716578.41

ऋण वसूली 516-26

2870. श्री के.पी. धनपालन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से वसूली-योग्य ऋण/उधार के संबंध में कोई ब्यौरा है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख में कृषि और शिक्षा सहित तत्संबंधी बैंक-वार और क्षेत्रक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर, 2011 की समाप्ति पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के बकाया ऋणों के संबंध में बैंक-वार/क्षेत्र-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

दिसम्बर, 2011 की समाप्ति पर एससीबी का कुल बकाया क्षेत्र-वार ऋण

(रु. करोड़)

बैंक समूह	बैंकों के नाम	कृषि क्षेत्र	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उधम क्षेत्र	अन्य प्रामिकता प्राप्त क्षेत्र	स्थावर संपदा क्षेत्र	वाणिज्यिक स्थावर संपदा	खुदरा क्षेत्र	कुल सकल अग्रिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राष्ट्रीयकृत बैंक	इलाहाबाद बैंक	13142	13496	4310	10649	5531	14232	96767
	आंध्रा बैंक	11368	7243	5586	8923	3348	10931	79177
	बैंक ऑफ बड़ौदा	23412	25613	11494	24331	4059	31047	183018
	बैंक ऑफ इंडिया	20780	25665	8359	20702	4144	14604	163325
	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	5273	5619	4182	9326	856	5790	50751
	केनरा बैंक	31179	29063	12511	17617	1812	24996	208554
	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	15573	12315	8096	16054	7799	15143	133275
	कॉरपोरेशन बैंक	6489	12412	8258	14287	0	12470	92692
	देना बैंक	4199	6596	2805	11095	503	6615	47928
	आईडीबीआई बैंक लि.	10137	12899	12260	35864	5358	39474	152920
	इंडियन बैंक	13609	675	15354	11430	2491	12306	83010
	इंडियन ओवरसीज बैंक	17745	13823	5896	14467	6368	11578	117379
	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	13694	16528	7397	14524	5574	10456	110768
	पंजाब और सिंध बैंक	3519	5928	2024	7117	2280	3467	42611
	पंजाब नेशनल बैंक	30291	30811	13777	42858	14587	26059	246581
	सिंडिकेट बैंक	15976	3778	18742	14801	3133	15943	103330
	यूको बैंक	8510	11945	4852	11387	5169	8346	97100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	14474	16481	10437	19156	2570	14173	147255
	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	5921	7997	5349	7398	1128	11772	59100
	विजया बैंक	6082	6959	3901	11154	3630	10730	55838
एसबीआई	स्टेट बैंक बॉफ बीकानेर एंड जयपुर	8234	5427	3151	6034	543	7624	47607
	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	11115	5455	10071	9528	1260	14628	71167
	भारतीय स्टेट बैंक	80383	54466	113241	132580	14762	175322	727487
	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	5295	3492	2902	5260	736	6246	38084
	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	6779	5848	12627	6656	1685	8518	57665
	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	7344	1986	14676	9614	118	43518	51777
निजी क्षेत्र के बैंक	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	957	915	176	628	267	648	7095
	सिटी यूनियन बैंक लि.	1428	2052	408	1129	668	758	11028
	धनलक्ष्मी बैंक लि.	794	1231	257	1803	336	4594	9594
	फेडरल बैंक लि.	4173	4387	3670	6872	249	9882	34304
	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	2518	2783	1450	5382	1166	5423	26358
	जम्मू और कश्मीर बैंक लि.	2527	1106	8958	5284	2851	5360	30255
	कर्नाटक बैंक लि.	2406	3386	1318	2292	706	4397	20024
	करूर वैश्या बैंक लि.	3738	2708	2295	1625	764	2336	22283
	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	1750	632	810	500	292	273	9343
	नैनीताल बैंक लि.	372	370	222	358	79	381	1797
	रत्नाकर बैंक लि.	304	235	132	232	83	93	3503
	साउथ इंडियन बैंक लि.	2547	1352	1437	1649	99	5607	24889
	तमिलनाड मर्केंटलाइट बैंक लि.	2295	2388	822	1200	159	2087	12453

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नए निजी क्षेत्र के बैंक	एक्सिस बैंक लि.	7891	9985	14600	45932	10384	33528	124963
	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	496	444	219	861	209	2340	4519
	एचडीएफसी बैंक लि.	20187	26477	2190	23618	5805	61742	189483
	आईसीआईसीआई बैंक लि.	10755	8060	23034	79956	24842	61084	184401
	इंडसइंड बैंक लि.	2827	7595	104	1487	1191	15511	32666
	कोटक महिन्द्रा बैंक	4585	5155	511	10217	5046	24229	40155
	यस बैंक लि.	2862	4241	653	2760	2258	28	35925

दिसम्बर, 2011 की समाप्ति पर एससीबी का कुल बकाया क्षेत्र-वार ऋण

(रुपये करोड़)

बैंक ग्रुप	बैंकों के नाम	कृषि क्षेत्र	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उधम क्षेत्र	अन्य प्रामिकता प्राप्त क्षेत्र	स्थावर संपदा क्षेत्र	वाणिज्यिक स्थावर संपदा	खुदरा क्षेत्र	कुल सकल अग्रिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विदेशी बैंक	ए.बी. बैंक	0	12	0	0	0	0	51
	आबूधाबी कमर्शियल बैंक	0	5	35	19	0	12	229
	अमेरिकन एक्सप्रेस	0	0	0	0	0	132	1392
	एंटवर्प डायमंड बैक	0	157	0	0	0	1	923
	आस्ट्रेलिया एंड न्यू जीलैंड बैंकिंग ग्रुप लि.	0	0	0	0	0	0	674
	बीएनपी परिबास	0	59	425	716	72	39	4981
	बैंक ऑफ अमेरिका, नेशनल एसोसिएशन	0	280	0	1768	0	1	8794
	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत	34	35	0	28	27	28	710

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	बैंक ऑफ सिलोन	0	19	0	3	2	1	87
	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	0	586	0	670	0	0	7623
	बारक्लेश बैंक	0	779	771	1835	542	1313	7301
	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	0	24	0	8	8	0	314
	सिटी बैंक	0	3438	2165	13667	870	16752	48024
	कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया	0	9	42	0	0	0	90
	क्रेडिट एग्रीकॉल कॉर्पोरेट एंड इंवेस्टमेंट बैंक	0	285	761	0	0	0	1857
	क्रेडिटसुशी एजी	0	0	0	0	0	0	0
	डीबीएस बैंक लि.	0	369	369	793	595	0	13024
	ड्यूश बैंक (एशिया)	0	77	1536	3364	710	2088	19100
	फर्स्टरैण्ड बैंक	0	21	96	0	0	0	219
	हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लि.	0	3145	6122	10610	3082	5871	30141
	इंडस्ट्रियल एण्ड कामर्शियल बैंक ऑफ चाइना लि.	0	0	0	0	0	0	23
	जे.पी. मोर्गन चेस बैंक, नेशनल एसोसिएशन	0	199	2335	468	11	0	5012
	जेएससी वीटीबी बैंक	0	6	9	20	20	0	75
	क्रूंग थाई बैंक पीसीएल	0	5	0	0	0	0	14
	मशरेक बैंक पीएससी	0	0	0	0	0	0	79
	मिजुहो कॉरपोरेट बैंक	0	100	1019	2	0	3	3036
	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	0	0	0	0	0	4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	रेबोबेंक इंटरनेशनल (कोआपरेटिव सेंट्रल रेफेन्सन बोरेनलीन बी.ए.)	0	0	0	0	0	0	63
	एसबीईआर बैंक	0	0	0	0	0	0	0
	शिनहन बैंक	0	92	76	33	0	2	912
	सोसायटी जनरलाई	0	42	15	0	0	0	1051
	सोनाली बैंक लि.	0	0	0	0	0	0	16
	स्टैंडर्ड चार्टिड बैंक	11	2825	1342	24731	11496	12110	56787
	स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस लि.	0	37	0	18	17	55	795
	द बैंक ऑफ टोक्यो-मित्युबिशी यूएफजे लि.	0	295	0	0	0	0	6887
	द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एन.वी.	0	1721	231	968	65	890	11173
	यूबीएस एजी	0	0	0	105	0	0	701
	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लि.	0	0	0	0	0	0	0
सभी एससीबी		465977	442645	402136	746421	174409	835591	4322368

*क्षेत्र पारस्परिक रूप से संबंधित नहीं है, अतः क्षेत्र-वार एनपीए आंकड़े योगशील नहीं हैं।

[हिन्दी] सनशति 525-27

एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना

2871. **श्री लक्ष्मण टुडु :**
श्री यशवंत लागुरी :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के अंतर्गत धनराशि के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) धनराशि के दुरुपयोग में लिप्त पाए गए अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है और इसका क्या परिणाम निकला?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला): (क) देश में 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 192 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं (आईटीडीपी)/एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियां (आईटीडीए) फैली हुई हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय उनके सामाजिक-

आर्थिक विकास तथा शोषण के विरुद्ध संरक्षण के लिए अनुसूचित जनजातियों हेतु योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को अनुदान निर्मुक्त करता है। आईटीडीपी/आईटीडीए इत्यादि तथा इन योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्य की मदों के निधियन एवं कार्यान्वयन के ब्यौरे इन राज्यों द्वारा रखे जाते हैं। चूंकि प्रशासनिक इकाइयों की निगरानी की जिम्मेदारी भी राज्यों की है, अत:, ऐसे ब्यौरे मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

किशोर माताएं

2872. **श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल निधि (यूनिसेफ) द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 22 प्रतिशत महिलाएं 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व ही बच्चों को जन्म दे देती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई हैं?

स्वास्यि और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) जी, हां। यूनिसेफ द्वारा कराए गए अध्ययन — "विश्व के बच्चों की हालत, 2012", के अनुसार भारत में 22% महिलाएं 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले बच्चे को जन्म दे देती हैं।

(ख) और (ग) प्रसव की आयु विवाह की आयु से जुड़ी हुई है। कम उम्र में शादी होने के गरीबी, निरक्षरता, कम जागरूकता, महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण का अभाव इत्यादि जैसे अनेक सामाजिक आर्थिक घटक उत्तरदायी हैं।

विभिन्न मंत्रालयों द्वारा महिलाओं द्वारा सामान किए जाने वाले विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने के लिए विभिन्न स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

मानव संसाधन विकास मंत्रालय:

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम
2. सर्व शिक्षा अभियान
3. किशोर शिक्षा कार्यक्रम

महिलाएं और बाल विकास मंत्रालय:

4. सबला
5. किशोरी शक्ति योजना
6. राष्ट्रीय किशोरी कार्यक्रम
7. **स्वयं सहायता समूहों के जरिए राष्ट्रीय महिला कोष** अथवा राष्ट्रीय क्रेडिट निधि के जरिए महिला सशक्तिकरण।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय: ने अपने प्रमुख कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) शुरू किया हैं। किशोरी प्रजनन यौन स्वास्थ्य (एआरएचएस को प्रजनन) बाल स्वास्थ्य चरण-II कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक मुख्य कार्यनीति के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत किशोरों-किशोरियों के लिए सेवा प्रदानगी पैकेज में प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक और रेफरल सेवाएं शामिल हैं।

एआरएचएच क्लीनिक: किशोरी प्रजनन और यौन स्वास्थ्य क्लीनिकों को एक मात्र क्लीनिकों और राज्यों में राज्य सुविधा केंद्रों में एकीकृत परामर्श और जांच केंद्रों (आईसीटीसी) के साथ समेकित किए गए क्लीनिकों के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ये क्लिनिकें किशोरियों को व्यापक सेवाएं प्रदान करती हैं।

आउटरीज सेवाएं: आवधिक स्वास्थ्य जांचे और सामुदायिक शिविर, आवधिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलाप और सह-कार्यकलाप।

किशोरियों के स्वास्थ्य उन्मुखी व्यवहार को प्रभावित करने के महत्व को स्वीकारते हुए ये कार्यकलाप बड़ी उम्र में विवाह होने, किशोरावस्था में गर्भावस्था की घटनाएं कम करने, गर्भनिरोधकों की अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने, मातृ मौतों को कम करने, एसटीआई की घटनाओं को कम करने तथा एचआईवी पॉजिटिव मामले के अनुपात में कमी लाने में सहायक हैं।

529-42

कोयले की कमी

2873. श्री मनीष तिवारी :
श्री अब्दुल रहमान :
डॉ. शशी थरूर :
श्री एन. पीताम्बर कुरूप :
श्री मधुसूदन यादव :
श्री पी.सी. मोहन :
श्री रमेश बैस :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2011 के अक्तूबर माह के अंत से नवंबर माह के मध्य तक प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा संचालित तथा अन्य विद्युत संयंत्रों के पास उपलब्ध कोयला भंडार का बहुत कम भंडार शेष बचा था;

(ख) यदि हां, तो सिम्बर, 2011 से मार्च, 2012 के बीच राज्य संचालित विद्युत कंपनियों/प्रतिष्ठानों के पास उपलब्ध कोयला भंडार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने ऑनलाइन नीलामी के लिए रखे गए कोयला भंडार को एनटीपीसी को अंतरित करने की पेशकश की है पर उसके गुणता और लॉजिस्टिक संबंधी मुद्दों के कारण इसे ठुकरा दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या कोयले की कम आपूर्ति और बढ़ती आयात-लागत से बृहत्तम (अल्ट्रा) विद्युत संयंत्रों सहित अन्य विद्युत प्रतिष्ठानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे के सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) विद्युत उत्पादन क्षेत्र में अगले तीन वर्षों के दौरान कोयले की मांग और आपूर्ति में कितना अंतर रहने का अनुमान है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) राज्य द्वारा चलाई जा रही विद्युत कंपनियों/यूटिलिटियों, जिसमें एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा चलाई जा रही कंपनियां भी शामिल हैं, के कोयला भंडार की सितंबर, 2011 से फरवरी, 2012 तक की प्रत्येक माह के अंत तथा 26 मार्च, 2012 की स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड को परामर्श दिया था कि कोयला कंपनियों द्वारा अक्तूबर, 2011 के दौरान ई-ऑक्शन के अंतर्गत बिक्री हेतु चिह्नित कोयले की मात्रा विद्युत यूटिलिटियों को जैसा है, जहां है आधार पर "उनकी अपनी व्यवस्था पर उठाए जाने के लिए मात्रा की पुष्टि करने के लिए 15 दिन का समय देते हुए प्रस्तुत की जाए। एनटीपीसी के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित कोयले सीधे खान से निकलने वाला (आरओएम) था, अनक्रश्ड था तथा खान के बाहर ही पड़ा था और कोल इंडिया लिमिटेड कोयले का क्रमशः करने तथा रेलवे साइडिंग तक उसे पहुंचाने के लिए सहमत नहीं था।

(घ) और (ङ) घरेलू कोयले की उपलब्धता अपर्याप्त होने के कारण, घरेलू कोयला कंपनियां विद्युत संयंत्रों को लिंकेज/एलओए के अनुसार कोयले की पूर्ण मात्रा की आपूर्ति कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप, विद्युत यूटिलिटियों को कमी को पूरा-पूरा करने के लिए आयातित कोयले का प्रयोग करना अपेक्षित है। आयातित कोयले के उपयोग तथा आयातित कोयले की लागत में वृद्धि से विद्युत उत्पादन तथा साथ ही साथ इसकी लागत पर प्रभाव पड़ा है। कोयले की उपलब्धता अपर्याप्त होने के कारण विद्युत यूटिलिटियों द्वारा अप्रैल, 2011 में फरवरी, 2012 के दौरान 8.7 बिलियन यूनिट की उत्पादन हानि की रिपोर्ट दी गई है। घरेलू कोयले के साथ आयातित कोयले का मिश्रण करने से उत्पादन की लागत में वृद्धि आयातित तथा घरेलू कोयले की गुणवत्ता/श्रेणी, मूल देश, पत्तन से विद्युत केंद्र तक परिवहन आदि पर निर्भर करती है। आयातित कोयले पर आधारित अल्ट्रा मेगा विद्युत संयंत्र भी आयातित कोयले की लागत में वृद्धि होने से प्रभावित हुए हैं।

कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड (सीजीपीएल) द्वारा पावर कंपनी और मुन्द्रा अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी) के विकासकर्त्ता ने विद्युत मंत्रालय से इंडोनेशियाई, जहां से कंपनी मुन्द्रा यूएमपीपी के लिए अपना कोयला प्राप्त कर रही है, कोयले के मूल्य में वृद्धि के मामले का समाधान करने के लिए मध्यस्थता करने के लिए संपर्क किया।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय तथा आन्ध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कंपनी (एपीजेनको) के अधिकारियों के दल ने कृष्णापटनम यूएमपीपी स्थल का दौरा किया तथा यह पाया कि विकासकर्त्ता द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, इंडोनेशियाई कोयले में वृद्धि के कारण कार्य रोक दिया गया है। राज्य सरकार ने भी मामले को उठाया है तथा इस मंत्रालय से मध्यस्थता करने का अनुरोध किया है।

विद्युत क्रय करार (पीपीए) के पूरी तरह से प्रापक तथा विकासकर्त्ता के बीच में कानूनी रूप से बाध्यकर दस्तावेज होने के कारण इस मंत्रालय ने प्रमुख प्रापकों अर्थात् कृष्णापटनम यूएमपीपी के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को तथा मुन्द्रा यूएमपीपी के लिए गुजरात सरकार को परामर्श दिया है कि उनमें उठे किसी भी मामले को संविदाकार पक्षों द्वारा पीपीए के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाना है जिसके लिए मुख्य प्रापक आवश्यक कार्रवाई करे।

देश में ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की कमी को कम करने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे और उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:—

- देश में घरेलू कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोयला मंत्रालय/कोल इंडिया लिमिटेड से अनुरोध किया जा रहा।
- विद्युत यूटिलिटियों को कोयले की आवश्यकता तथा घरेलू स्रोतों से उसकी उपलब्धता के अंतर को पूरा करने के लिए तकनीकी व्यवहार्यता की सीमा तक कोयले के आयात की सलाह दी गई है।
- ताप विद्युत स्टेशनों को कोयला आपूर्ति की स्थिति की संबद्ध मंत्रालयों, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड से प्रतिनिधियों के साथ कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और मंत्रिमंडल सचिवालय में नियमित समीक्षा की जाती है।
- सीआईएल की विद्युत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो इसके द्वारा ई-नीलामी को इसके उत्पादन के 10% से 12वीं योजना के अंत तक उत्तरोत्तर 7% तक घटाना।

(च) विद्युत मंत्रालय द्वारा योजना आयोग को प्रस्तुत 12वीं योजना हेतु विद्युत संबंधी कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार, अगले तीन वर्षों के दौरान कोयले की अनुमानित आवश्यक तथा उपलब्धता और साथ ही साथ विद्युत यूटिलिटियों हेतु कमी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

राज्यों द्वारा संचालित कंपनियां/यूटिलिटियों की कोयला स्टॉफ की स्थिति

(000 टन)

क्र. सं.	ताप विद्युत केंद्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)	के अनुसार कोयला स्टॉक						
			30 सितंबर, 2011	31 अक्तूबर, 2011	30 नवंबर, 2011	31 दिसंबर, 2011	31 जनवरी, 2012	29 फरवरी, 2012	26 मार्च, 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	उत्तरी								
	दिल्ली								
1.	राजघाट टीपीएस	135	3.64	7.99	10.54	18.33	43.1	22.03	4.78
2.	बदरपुर टीपीएस	705	23.44	120.33	184.3	35.51	28.38	36.66	72.82
	हरियाणा								
3.	पानीपत टीपीएस	1,360	44.94	9.11	112.46	76.75	92.67	224.47	224.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	यमुनानगर टीपीएस	600	60.45	96.45	44.89	41.25	65.14	58.85	64.32
5.	राजीव गांधी टीपीएस	1,200	133.22	35.3	131.31	164.04	142.67	148.23	251.72
	पंजाब								
6.	जीएच टीपीएस (लेहरा मुहब्बत)	920	290.74	233.37	233.77	218.24	229.25	222.39	206.98
7.	रोपड़ टीपीएस	1,260	537.33	454	491.93	481.44	369.75	396.18	500.78
8.	जीएनडी टीपीएस (भटिंडा)	440	138.28	87.54	95.65	104.32	136.81	147.62	135.41
	राजस्थान								
9.	कोटा टीपीएस	1,240	285.33	41.19	44.07	13.75	10.93	35.89	182.88
10.	सुरतगढ़ टीपीएस	1,500	295.2	29.46	39.26	105.52	84.01	37.99	177.27
11.	छबड़ा टीपीएस	500	26.2	17.91	1.27	6.35	2.11	9.95	11.92
	उत्तर प्रदेश								
12.	अनपरा टीपीएस	1,630	232.63	66.19	72	108.67	158.53	229.4	220.14
13.	हरदुआगंज टीपीएस	470	160.08	143.51	55.94	26.84	21.48	14.84	53.66
14.	ओबरा टीपीएस	1,372	78.53	41.47	35.35	55.51	90.76	116	81.19
15.	पनकी टीपीएस	210	108.59	99.5	73.28	37.03	37.73	56.58	58.42
16.	परीछा टीपीएस	640	68.08	51.77	76.39	128.43	240.28	241.7	237.91
17.	दादरी (एनसीटीपीपी)	1,820	76.54	99.53	100.11	98.71	44.38	16.75	85.69
18.	रिहंद एसटीपीएस	2,000	79.06	89.72	60.03	134.21	192.6	429.26	627.39
19.	सिंगरौली एसटीपीएस	2,000	55.32	1.1	4.92	193	373.19	567.05	649.14
20.	टांडा टीपीएस	440	223.31	64.46	62.72	46.19	18.81	33.1	70.66
21.	ऊंचाहार टीपीएस	1,050	79.85	46.44	16.31	6.69	20.65	14.29	9.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	पश्चिम								
	छत्तीसगढ़								
22.	डीएसपीएम टीपीएस (करेबा ईस्ट-5)	500	188.79	178.1	171.68	172.99	161.1	162.46	185.82
23.	कोरबा-II	440	155.7	126.19	121.56	150.74	140.03	95.42	72.3
24.	कोरबा-वेस्ट टीपीएस	840	353.86	292.45	348.48	392.29	377.82	366.35	366.77
25.	कोरबा एसटीपीएस	2,600	602.44	536.63	367.64	331.62	583.39	492.86	355.51
26.	सीपत एसटीपीएस	2,320	83.54	135.33	105.81	147.03	210.66	298.86	556.26
27.	भिलाई टीपीएस	500	38.23	19.83	45.65	47.26	108.08	93.51	80.6
	गुजरात								
28.	गांधी नगर टीपीएस	870	244.36	137.97	57.37	105.28	153.98	131.48	177.51
29.	उकई टीपीएस	850	197.31	119.7	96.71	71.8	104.74	65.86	85.7
30.	वनाकबोरी टीपीएस	1,470	360.63	50.97	162.11	265.29	276.23	290.34	328.17
31.	सिक्का टीपीएस	240	84.85	155.15	8.96	12.77	22.43	25.55	45.37
	मध्य प्रदेश								
32.	अमरकंटक विस्तार टीपीएस	450	158.54	146.03	198.29	193.55	172.03	144.02	128.06
33.	संजय गांधी टीपीएस	1,340	37.16	66.3	66.13	53.88	88.93	176.82	242.86
34.	सतपुड़ा टीपीएस	1,143	217.42	137.42	122.23	103.62	141.54	213.82	239.49
35.	विन्ध्याचल एसटीपीएस	3,260	11.45	17.09	90.04	289.16	532.91	715.04	921.06
	महाराष्ट्र								
36.	भुसावल टीपीएस	920	297.26	262	160.44	55.8	30.11	49.29	64.3
37.	चन्द्रपुर एसटीपीएस	2,340	761.2	544.5	470.84	441.64	369.25	310.12	301.88
38.	खापरखेड़ा टीपीएस	1,340	0.38	30.08	33.07	14.81	104.34	132.73	110.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39.	कोराड़ी टीपीएस	1,040	347.36	332.9	203.86	115.8	81.42	56.92	77.94
40.	नासिक टीपीएस	880	187.33	114.96	126.75	109.22	174.34	216.64	238.89
41.	पारली टीपीएस	1,130	104.39	60.95	46.67	13.84	40.01	23.2	12.34
42.	पारस टीपीएस	500	125.5	45.82	0.75	19.14	50.6	54.88	64.91
	दक्षिण								
	आंध्र प्रदेश								
43.	डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	1,760	56.41	78.68	17.72	70.34	90.13	69.43	175
44.	कोठगुडम टीपीएस	1,720	49.72	100.24	76.3	89.75	214.33	313.26	345.87
45.	रामागुंडम-बी टीपीएस	63	14.68	7.49	15.3	22.94	19.37	16.56	15.18
46.	रायलसीमा टीपीएस	1,050	42.88	30.16	22.76	34.06	33.42	58.76	71.02
47.	रामागुंडम एसटीपीएस	2,600	0	89.7	226.48	162.87	202.96	247.42	472.07
48.	सिम्हाद्रि	1,500	55.79	34.43	46.03	55.39	33.45	63.26	55.12
49.	काकतिया टीपीएस	500	38.22	77.88	207.13	299.42	253.8	233.49	211.5
	कर्नाटक								
50.	रायचूर टीपीएस	1,720	147.23	118.86	60.58	1.43	12	4.99	55.55
51.	बेल्लारी टीपीएस	500	120.9	71.02	30.03	19.44	34.03	36.16	30.1
	तमिलनाडु								
52.	एन्नौर टीपीएस	450	29.32	12.43	25.6	34.22	50.28	75.45	77.6
53.	मेत्तूर टीपीएस	840	103.35	39.16	64.58	97	150.06	249.06	296.57
54.	नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	630	81.06	18.87	31.56	31	160.81	205.26	142.7
55.	तूतीकोरिन टीपीएस	1,050	17.02	83.7	98.81	167.24	79.49	47.83	118.26
	पूर्वी								
	बिहार								
56.	बरौनी टीपीएस	310	16.53	9.61	14.28	27.15	14.7	8.04	9.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57.	मुजफ्फरीपुर टीपीएस	220	17.18	7.16	3.91	3.41	3.41	3.31	3.31
58.	कहलगांव एसटीपीएस	2,340	23.87	120.93	31.22	57.32	23.15	97.77	69.98
	झारखंड								
59.	पतरातू टीपीएस	770	62.66	53.89	37.46	75.83	51.67	30.8	39.88
60	तेनुघाट टीपीएस	420	136.94	48.02	28.02	38.7	51.16	85.25	85.26
61	बोकारो बी टीपीएस	630	168.22	149.88	155.17	130.8	0	0	0
62	चन्द्रपुरा (डीवीसी)	890	85.88	77.12	118.25	101.67	55.03	22.4	20.96
	ओडिशा								
63.	इब वैली टीपीएस	420	17.47	46.66	63.17	83.72	49.7	108.19	161.09
64.	तालचेर टीपीएस	470	72.27	69.69	49.84	27.35	80.23	166.13	229.64
65.	तालचेर एसटीपीएस	3,000	185.7	97.65	120.56	42.06	36.07	109.48	334.68
	पश्चिम बंगाल								
66.	दुर्गापुर टीपीएस	340	108.04	59.61	45.04	56.14	101.76	192.24	212.16
67.	मेजिया टीपीएस	2,340	104.54	0	0	0	70.16	51.74	41.05
68.	बक्रेश्वर टीपीएस	1,050	22.39	22.69	28.45	46.66	66.73	73.3	155.15
69.	बांडेल टीपीएस	450	22.81	9.19	15.19	38.98	2.49	3.37	1.31
70.	डीपीएल टीपीएस	690	187.12	33.6	66.13	116.71	95.48	60.78	41.6
71.	कोलाघाट टीपीएस	1,260	24.32	21.37	26.76	34.52	36.37	62.12	20.36
72.	सागरडिघी टीपीएस	600	17.39	26.27	44.11	17.05	42.21	26.84	55.75
73.	संथालडीह टीपीएस	980	28.21	30.43	6.45	0.82	5.37	15.96	7.94
74.	फरक्का एसटीपीएस	2,100	166.05	31.22	47.8	35.22	76.09	173.39	154.58
	कुल अखिल भारत	80,127	9,783	7,024	6,776	7,228	8,523	10,086	12,293

विवरण-II

2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए कोयले की मांग और आपूर्ति में अनुमानित कमी

(मिलियन टन)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15
1. कोयल की कुल आवश्यकता	515	572	650
2. कोयले की संभावित उपलब्धता:			
(क) सीआईएल से	347	364	381
(ख) एससीसीएल से	34	34	34
(ग) कैप्टिव खानों से	27	38	56
कुल कोयला उपलब्धता	408	436	471
3. मांग-आपूर्ति में अंतर (1-2)	99	136	179
4. आयातित कोयले पर आधारित परियोजनाओं के लिए कोयले की आवश्यकता—इसकी व्यवस्था परियोजना विकासकर्त्ताओं द्वारा की जानी है।	23	44	51
5. घरेलू कोयले पर डिजाइन किए गए ताप विद्युत केंद्रों के लिए मांग-आपूर्ति का अंतर समाप्त करने हेतु आवश्यक आयातित कोयला (3-4)	76	92	128
6. उपर्युक्त (5) में दर्शाए गए अंतर को पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त आयातित कोयला।	51	61	85

स्रोत: विद्युत मंत्रालय द्वारा योजना आयोग को प्रस्तुत की गई विद्युत संबंधी कार्य समूह की रिपोर्ट।

एचआईवी/एड्स रोगियों से भेदभाव

2874. डॉ. अनूप कुमार साहा :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर देश के निजी क्षेत्र में एचआईवी/एड्स रोगियों के साथ भेदभाव किए जाने और उन्हें अस्पतालों में प्रवेश/चिकित्सोपचार उपलब्ध न कराने के काफी सारे मामलों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे कितने मामले जानकारी में आए तथा इनका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई;

(ग) ऐसे लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है और इनमें कार्यवाही कब तक किए जाने की संभावना हैं;

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में एचआईवी/एड्स के संबंध में भारत द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिबद्धता संबंधी संकल्प की पुष्टि कर दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) एचआईवी/एड्स संबंधी विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे अंतिम रूप देकर संसद में कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2011-12 के दौरान ऐसे छह मामले सूचित किए गए, मध्य प्रदेश से तीन, दिल्ली से दो तथा महाराष्ट्र से एक। इस मामले में संबंधित राज्यों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई। आज की स्थिति तक इस मामले में कार्रवाई के लिए कोई भी लंबित मामला सूचित नहीं किया गया है।

एड्स नियंत्रण विभाग ने एचआईवी/एड्स परिचर्या सेवाओं के संबंध में जागरूकता एवं सूचना फैलाने के लिए संप्रेषण अभियान तैयार एवं कार्यान्वित किए हैं। इसने लांछन, भेदभाव तथा वंचन के मुद्दों को शामिल करते हुए मुख्यधारा में लाने से संबंधित प्रशिक्षण चलाए हैं। विभिन्न मंत्रालयों, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी संगठनों, धार्मिक संगठनों, मीडिया, महिला संगठनों तथा एचआईवी/एड्स से ग्रस्त लोगों के नेटवर्कों के साथ साझेदारी करके इस रोग के प्रति लांछन एवं भेदभाव में कमी लाने के प्रयास किए जाते हैं।

इसके अलावा, राज्यों ने लांछन, भेदभाव तथा वंचन सहित परिचर्या, सहायता तथा उपचार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बल देने के लिए संबंधित राज्य के प्रधान स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) गठित की है। वर्ष 2011-12 के दौरान संबंधित राज्यों में एचआईवी/एड्स से ग्रस्त लोगों से प्राप्त शिकायतों, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए राज्य शिकायत निवारण समितियों की 35 बैठकें की गई। वर्ष 2011-12 के दौरान राज्यों की राज्य शिकायत निवारण समिति की बैठकों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जून, 2011 में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भागीदारी की। "एचआईवी/एड्स संबंधी प्रतिबद्धताओं की घोषणा" बैठक के दौरान जारी की गई तथा इस पर हमारे देश ने सहमति दी। राजनीतिक घोषणा की मुख्य बातें संलग्न विवरण-II पर दी गई हैं।

(च) एचआईवी/एड्स विधेयक का मसौदा विचाराधीन है। तथापि, संसद में इसके पुरःस्थापित करने के लिए कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती है।

विवरण-I

देश में की गई राज्य/संघ राज्य-वार एसजीआरसी बैठक

क्र. सं.	राज्य का नाम	आयोजित एसजीआरसी बैठक (सार)		
		2009-10	2010-11	2011-12*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	2
3.	असम	1	1	1
4.	बिहार	1	4	2
5.	चंडीगढ़	0	3	3
6.	छत्तीसगढ़	2	1	0
7.	दिल्ली	2	1	1
8.	गोवा	0	5	3
9.	गुजरात	0	2	1
10.	हरियाणा	1	2	1
11.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0
12.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
13.	झारखंड	1	1	1
14.	कर्नाटक	2	2	2
15.	केरल	1	3	1
16.	मध्य प्रदेश	1	1	0
17.	महाराष्ट्र	2	0	0

1	2	3	4	5
18.	मणिपुर	0	0	0
19.	मेघालय	0	0	0
20.	मिजोरम	2	0	1
21.	नागालैंड	0	1	2
22.	ओडिशा	1	1	1
23.	पुदुचेरी	0	0	1
24.	पंजाब	1	1	3
25.	राजस्थान	0	2	2
26.	सिक्किम	0	1	1
27.	तमिलनाडु	1	1	1
28.	त्रिपुरा	1	2	1
29.	उत्तर प्रदेश	1	1	2
30.	उत्तराखंड	2	2	1
31.	पश्चिम बंगाल	0	2	0
	कुल दिसंबर' 11	25	43	35

*दिसम्बर, 11 तक

विवरण-II

संयुक्त राष्ट्र की महासभा में जून, 2011 में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान राजनीतिक घोषणा की मुख्य बातें

संयुक्त राष्ट्र 8 जून, 2011

महासभा मूल: अंग्रेजी

65वां अधिवेशन
एजेंडा मद 10
एचआईवी/एड्स संबंधी प्रतिबद्धता
की घोषणा का कार्यान्वयन तथा एचआईवी/
एड्स संबंधी राजनीतिक घोषणा

एचआईवी/एड्स संबंधी राजनीतिक घोषणाः एचआईवी/एड्स का उन्मूलन करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करना।

महासभा,

वर्तमान संकल्प के साथ संलग्न एचआईवी/एड्स संबंधी राजनीतिक घोषणा को पारित करती है।

अनुलग्नक

एचआईवी/एड्स संबंधी राजनीतिक घोषणाः एचआईवी/एड्स का उन्मूलन करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करना।

संकल्प में सम्मत मुख्य बिन्दु हैं:—

अत: हम नवीकृत राजनीतिक इच्छा तथा सशक्त जिम्मेवार नेतृत्व से इस महामारी का अंत करने तथा देशभर के विभिन्न देशों तथा क्षेत्रों में विद्यमान विविध स्थितियों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए नीचे उल्लिखित सुस्पष्ट एवं निर्णायक कार्रवाई को कार्यान्वित करने के लिए सभी स्तरों पर सभी स्टेकहोल्डर के साथ सार्थक भागीदारी में कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता की निष्ठापूर्वक घोषणा करते हैं;

62. वर्ष 2015 तक एचआईवी के यौन संचरण को 50% तक कम करने के लिए कार्य करने की प्रतिबद्धता;

63. वर्ष 2015 तक सूई द्वारा नशीली औषधें लेने वाले लोगों में एचआईवी के संचरण को 50% तक कम करने के लिए कार्य करने की प्रतिबद्धता;

64. वर्ष 2015 तक माता से बच्चे में एचआईवी के संचरण का उन्मूलन तथा एड्स से संबंधित मातृ मौतों में अत्यधिक कमी लाने के लिए कार्य करने की प्रतिबद्धता;

66. वर्ष 2015 तक 15 मिलियन एचआईवी/एड्स ग्रस्त व्यक्तियों को एंटिरिट्रोवाइरल उपचार की उपलब्धता के लिए कार्य करने के लक्ष्य के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के एचआईवी उपचार दिशानिर्देशों जिनमें गुणवत्ता आश्वस्त उपचार के अधिकतम लाभ के लिए इसे समय पर शुरू करने का संकेत दिया गया है, के आधार पर पात्र व्यक्तियों हेतु एंटिरिट्रोवाइरल उपचार की सार्वभौमिक उपलब्धता का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयासों से तेजी लाने की प्रतिबद्धता।

दलित उद्यमिता पूंजी कोष

2875. श्री अब्दुल रहमान :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दलित एवं अल्पसंख्यक समुदायों में उद्यमियों के हितार्थ उद्यमिता पूंजी कोष शुरू/सृजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कोष कब तक सृजित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अंधता और दृष्टि निशक्तता के मामले

2876. श्री अशोक कुमार रावत :
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :
श्रीमती जे. शांता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अंधता और दृष्टि निशक्तताओं के मामले में सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में अंधता और दृष्टि निशक्तताओं से पीड़ित व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार देश में अंधता को नियंत्रित करने और ग्लूकोमा का पता लगाने हेतु आरंभ की गई योजनाओं और उनके अंतर्गत निर्धारित और प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ग्लूकोमा सहित अंधता और दृष्टि निशक्तताओं पर नियंत्रण लगाने व इनकी रोकथाम के लिए 'विजन-2020 दृष्टि का अधिकार' अभियान आरंभ किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) विश्व स्वास्थ्य मिशन (डब्ल्यूएचओ) अनुमानों (वर्ष 2002 में दृष्टि दोष के संबंध में वैश्विक डाटा) के अनुसार विश्व में कुल 37 मिलियन दृष्टिहीन व्यक्तियों (दृश्य तीक्ष्णता <3/60) में से भारत में 6.7 मिलियन व्यक्ति हैं, जो कुल वैश्विक दृष्टिहीन जनसंख्या का लगभग 1/6 है। अनुमानों के अनुसार चीन में दृष्टिहीन व्यक्तियों की संख्या 6.9 है जो भारत से अधिक है।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए सर्वेक्षण 2001-04 के अनुसार, देश में लगभग 12 मिलियन दृष्टिहीन व्यक्ति (दृश्य तीक्ष्णता <6/60) हैं। देश में दृष्टिहीन अनुमानित संख्या को दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

(ग) परिहार्य दृष्टिहीनता के नियंत्रण के लिए एनपीसीबी के अंतर्गत किए गए मुख्य कार्यकलापों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(i) सरकारी और गैर-सरकारी संगठन नेत्र अस्पताल के जरिए मोतियाबिंद आपरेशन करना;

(ii) नई पहल के रूप में बाल्यावस्था दृष्टिहीनता का उपचार और अन्य दृष्टि रोगों जैसे मधुमेही रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा प्रबंधन, लेज़र तकनीकों, कॉर्नियल प्रतिरोपण, विट्रियो-रेटीनल सर्जरी का उपचार;

(iii) दृष्टि परिचर्या सेवाओं में निजी व्यावसायिकों की सहभागिता;

(iv) अपवर्तन दोषों से पीड़ित स्कूल के बच्चों को स्कूल नेत्र जांच कार्यक्रम को नि:शुल्क चश्मों का संवितरण;

(v) कॉर्नियल प्रतिरोपण और नेत्र बैंकिंग के लिए दान किए गए नेत्रों का एकत्रण;

(vi) नेत्र विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में दृष्टि सर्जनों का प्रशिक्षण; और

(vii) दृष्टि परिचर्या अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण/विकास करना।

विगत तीन वर्षों (2008-09, 2009-10 और 2010-11) में प्रत्येक देश में ग्लूकोमा के उपचार सहित दृष्टिहीनता के लिए प्रदत्त राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र-वार निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) परिहार्य दृष्टिहीनता के उन्मूलन हेतु विजन, 2020: दृष्टि का अधिकार एक वैश्विक पहल है। एनपीसीबी विजन, 2020: दृष्टि का अधिकार पहल के लिए समर्थित कार्यनीतियां अपना कर वर्ष, 2020 तक देश में 0.3% तक परिहार्य दृष्टिहीनता कम करने के उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध है।

एनपीसीबी के अंतर्गत कार्ययोजना में निम्नलिखित मुख्य पहलें शामिल हैं:—

- राज्य/जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सोसाइटियों के जरिए एनपीसीबी का विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन
- सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार
- निवारक दृष्टि परिचर्या
- बाल्यावस्था दृष्टिहीनता का उपचार और अन्य दृष्टि रोगों जैसे मधुमेही रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा प्रबंधन, लेज़र तकनीकों, कार्नियल प्रतिरोपण, विट्रियो-रेटीनल सर्जरी के लिए सहायता/मोतियाबिंद सर्जरी के अलावा दृष्टि परिचर्या को व्यापक बनाना।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए दृष्टि परिचर्या सेवाओं के लिए अल्पसेवित क्षेत्रों की कवरेज।
- दृष्टि परिचर्या अवसंरचना का विकास।
- मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना।
- नियमित मॉनीटरन और मूल्यांकन।

विवरण-I

देश में दृष्टिहीन व्यक्तियों की अनुमानित संख्या

(आंकड़े हजार रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमानित दृष्टिहीन व्यक्ति (दृश्य तीक्ष्णता <6/60)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1075331
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3919
3.	अरुणाचल प्रदेश	24877
4.	असम	812471
5.	बिहार	646455
6.	चंडीगढ़	9099
7.	छत्तीसगढ़	334815
8.	दादरा और नगर हवेली	2359
9.	दमन और दीव	1691
10.	दिल्ली	155748
11.	गोवा	20429
12.	गुजरात	541388
13.	हरियाणा	398468
14.	हिमाचल प्रदेश	42541
15.	जम्मू और कश्मीर	162126
16.	झारखंड	379423
17.	कर्नाटक	938664
18.	केरल	178296
19.	लक्षद्वीप	667
20.	मध्य प्रदेश	700467
21.	महाराष्ट्र	919146
22.	मणिपुर	32963
23.	मेघालय	17065
24.	मिजोरम	6950

1	2	3
25.	नागालैंड	20881
26.	ओडिशा	513897
27.	पुदुचेरी	7596
28.	पंजाब	245322
29.	राजस्थान	875333
30.	सिक्किम	3513
31.	तमिलनाडु	484465
32.	त्रिपुरा	24572
33.	उत्तर प्रदेश	1560897
34.	उत्तराखंड	47486
35.	पश्चिम बंगाल	954632
	भारत	12143952

विवरण-II

प्रदत्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार/ब्यौरा

(लाख रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11	
	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1837.80	1836.80	2051.00	2049.46	2003.40	1560.02
बिहार	420.38	420.38	278.56	278.56	1122.80	819.82
छत्तीसगढ़	927.41	926.66	168.30	167.30	500.00	0.00
गोवा	97.80	97.05	15.09	0.00	65.20	65.20
गुजरात	1394.80	1414.98	1888.70	1888.63	1691.00	1530.76
हरियाणा	230.55	229.80	294.97	294.97	415.00	306.39
हिमाचल प्रदेश	187.15	186.40	60.00	57.82	130.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	18.40	16.65	60.00	40.00	100.00	0.00
झारखंड	431.72	431.72	367.00	350.97	500.00	253.90
कर्नाटक	1179.92	1179.92	1174.79	1173.90	1296.76	1189.01

1	2	3	4	5	6	7
केरल	217.07	259.49	729.20	729.20	500.00	267.00
मध्य प्रदेश	1207.72	1256.97	1290.00	1286.78	1000.00	1000.00
महाराष्ट्र	1800.06	1797.31	2385.00	2341.59	2184.30	774.77
ओडिशा	1280.38	1109.38	1559.63	1559.63	900.00	565.93
पंजाब	186.48	138.30	286.42	286.42	690.60	656.20
राजस्थान	1461.74	1460.24	873.73	873.73	1170.62	862.62
तमिलनाडु	2326.39	2325.39	2480.00	2478.00	2425.00	2189.00
उत्तर प्रदेश	4127.04	4125.54	3634.07	3630.91	3500.00	2877.54
उत्तराखंड	200.65	200.65	350.00	319.66	139.50	0.00
पश्चिम बंगाल	1097.00	1146.00	1171.00	1170.64	1000.00	926.50
अरुणाचल प्रदेश	162.60	162.60	193.00	139.20	244.58	154.58
असम	1335.53	1167.34	955.67	885.73	1316.07	1203.93
मणिपुर	106.47	106.47	67.39	67.39	71.56	0.00
मेघालय	158.60	196.30	63.74	140.04	174.80	125.54
मिजोरम	261.50	261.50	317.00	302.80	375.97	363.55
नागालैंड	167.60	159.60	264.45	207.55	168.00	0.00
सिक्किम	183.35	183.35	157.00	157.00	114.84	0.00
त्रिपुरा	24.35	24.35	481.75	418.29	134.18	0.00
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	33.65	33.65	53.00	42.43	108.30	30.00
चंडीगढ़	19.00	19.00	91.00	64.80	87.13	47.74
दादरा और नगर हवेली	6.65	6.65	42.00	42.00	67.50	63.58
दमन और दीव	26.65	26.65	14.98	11.90	54.04	31.72

1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	182.06	181.06	84.04	82.89	415.75	412.03
लक्षद्वीप	6.65	6.65	11.50	0.00	14.70	9.22
पुदुचेरी	91.88	91.88	16.02	15.00	188.40	120.48
कुल	23397.00	23186.68	23930.00	23555.19	24870.00	18407.03

[अनुवाद]

अस्पतालों को वित्तीय सहायता

2877. श्री सी. राजेन्द्रन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित सरकारी अस्पतालों के निर्माण/रख-रखाव और उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजनाएं/नीतियां हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर, जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) सहित सरकारी अस्पतालों के निर्माण/रखरखाव एवं उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें इस प्रयोजन के लिए अपने प्रस्तावों को एनआरएचएम के अंतर्गत अपनी वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में शामिल करती हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के आधार पर, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उन्हें क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिया जाता है।

[हिन्दी]

अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ

2878. श्री राकेश सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कम अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों को खुलेआम बिक्री की जा रही है और ये पदार्थ अवयस्कों को आसानी से मिल जाते हैं;

(ख) क्या कम अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ अवयस्कों की पहुंच से दूर करने के लिए कोई नियम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने व्यस्कों को कम अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों की बिक्री केवल मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से करने हेतु कोई कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संदीप बंदोपाध्याय) : (क) से (घ) कम अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों सहित अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों की बिक्री की निगरानी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के आबकारी विभागों द्वारा की जाती है।

[अनुवाद]

अस्पतालों का उन्नयन

2879. श्री भक्त चरण दास : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ जिला अस्पतालों का उन्नयन सभी सुविधाओं से युक्त सुपर स्पेशियल्टी अस्पतालों के रूप में करने का है;

(ख) यदि हां, ओडिशा और कर्नाटक सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अस्पतालों का उन्नयन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) जी, नहीं। जिला अस्पताल विशिष्टता सेवाओं को मिलाकर द्वितीयक स्तरीय परिचर्या उपलब्ध कराते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन विकास

2880. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन विकास हेतु गोल्फ पर्यटन, क्रूज पर्यटन, जोखिम पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन जैसे नई नए क्षेत्रों को खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित/व्यय की गई निधियों का आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु क्या कदम उठाए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2012 का उद्देश्य पर्यटन उद्योग के नए/आगामी विशिष्ट उत्पादों की पहचान करना, उसमें विविधता लाना, करना और संवर्धन करना है और तद्नुसार, पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन विकास के लिए गोल्फ पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, निरोगता पर्यटन, पेलो पर्यटन, फिल्म पर्यटन आदि जैसे नए क्षेत्रों की पहचान की है। नए पर्यटन क्षेत्रों सहित विभिन्न पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के विकास, संवर्धन और कार्यान्वयन की मुख्य रूप से जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों की है, जिसमें रोमांचकारी पर्यटन, क्रूज पर्यटन, इको-पर्यटन आदि से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। पर्यटन मंत्रालय, निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर, पहचान की गईं ऐसी परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (31 दिसंबर, 2011 तक) के दौरान आंध्र प्रदेश सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रदान की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) योजना आयोग ने विशिष्ट पर्यटन उत्पादों सहित 12वीं योजना के दौरान पर्यटन के विकास हेतु विभिन्न उपायों की सिफारिश करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु पर्यटन पर कार्य समूह और विषय संचालन समिति का गठन किया है।

विवरण

रोमांचकारी पर्यटन, क्रूज पर्यटन, इको पर्यटन आदि जैसे नए क्षेत्रों सहित पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं हेतु गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (31 दिसम्बर, 2011 तक) के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा दी गई केंद्रीय वित्तीय सहायता के राज्य-वार/राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (तक 31.12.2011)	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	8	109.89	13	37.29	10	20.38	10	40.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	31.47	14	36.54	13	32.26	9	25.68
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.	असम	4	21.08	7	22.76	4	23.55	3	4.23
5.	बिहार	10	25.05	3	6.99	1	3.60	0	0.00
6.	चंडीगढ़	5	7.99	5	11.51	5	11.04	0	0.00
7.	छत्तीसगढ़	1	11.34	0	0.00	4	20.95	0	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	3	0.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9.	दमन और दीव	1	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10.	दिल्ली	1	0.15	9	44.91	5	9.75	3	2.69
11.	गोवा	2	43.14	2	17.00	3	12.78	1	4.98
12.	गुजरात	7	21.33	1	7.33	1	0.14	2	51.75
13.	हरियाणा	7	36.70	6	12.37	6	27.41	5	0.80
14.	हिमाचल प्रदेश	10	34.58	6	23.95	12	34.98	5	0.47
15.	जम्मू और कश्मीर	28	43.42	31	49.75	20	56.17	23	143.47
16.	झारखंड	0	0.00	3	0.25	5	7.56	1	23.71
17.	केरल	12	42.68	7	12.98	3	42.87	7	23.76
18.	कर्नाटक	4	42.73	13	42.42	2	8.59	1	5.00
19.	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	महाराष्ट्र	3	41.10	2	5.01	3	11.30	4	57.32
21.	मणिपुर	9	29.44	9	27.14	8	39.40	5	30.73
22.	मेघालय	7	17.14	7	14.73	9	22.53	2	0.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	मिजोरम	4	3.18	7	24.06	9	11.51	6	13.81
24.	मध्य प्रदेश	11	31.41	11	60.99	13	30.85	6	31.45
25.	नागालैंड	11	25.40	13	24.60	10	29.10	15	28.80
26.	ओडिशा	6	41.15	9	23.69	6	20.29	4	5.17
27.	पुदुचेरी	4	2.52	3	5.57	3	50.26	4	0.30
28.	पंजाब	5	24.93	3	9.48	4	11.91	2	4.39
29.	राजस्थान	9	44.31	7	19.74	7	31.32	3	14.50
30.	सिक्किम	20	66.78	19	42.36	14	23.48	5	20.81
31.	तमिलनाडु	16	36.14	10	16.28	6	60.00	1	3.65
32.	त्रिपुरा	6	3.61	13	20.67	12	40.73	6	15.44
33.	उत्तर प्रदेश	6	38.40	6	21.90	14	27.85	10	44.58
34.	उत्तराखंड	2	44.68	1	0.55	8	29.78	13	102.49
35.	पश्चिम बंगाल	10	37.94	7	28.37	8	22.02	4	8.74
	कुल योग	245	960.04	247	671.19	228	774.36	160	710.02

*इसमें पीआईडीडीसी, एचआरडी और आरटी से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

561-63

बड़ी विद्युत परियोजना

2881. **श्री इन्दर सिंह नामधारी : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड के तंडवा ब्लॉक में कर्णपुरा में 2000 मेगावाट की एक बड़ी विद्युत परियोजना का अनुमोदन एक दशक से अधिक समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु जनता से अधिगृहित की गई 2000 हैक्टेयर से अधिक भूमि पर कब्जा किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क), (ख) और (घ) जी, हां। झारखंड के उत्तर कर्णपुरा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना (एनकेएसटीपीपी) टंडवा ब्लॉक के परियोजना स्थल निर्धारण जुलाई, 2003 में अंतिम रूप दिया गया था। तथापि, कोयला मंत्रालय ने कोयला धारक क्षेत्र के मुद्दे पर स्थल निर्धारण का मामला उठाया एवं स्थल के पुनः निर्धारण का अनुरोध किया। विद्युत मंत्रालय एवं

कोयला मंत्रालय के बीच मुद्दों का समाधान करने के लिए कई बैठकें हुईं। चूंकि दोनों मंत्रालयों के बीच इस मामले का समाधान नहीं हो सका इसलिए अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) द्वारा इसे मंत्रियों के समूह (जीओएम) को विचारार्थ दिया गया। मंत्रियों के समूह ने 01.03.2012 को आयोजित बैठक में यह संस्तुति की कि सुरक्षा उपायों के साथ संयंत्र प्रस्तावित स्थल पर ही स्थापित किया जाएगा।

(ग) लगभग 1475 एकड़ की जमीन एनटीपीसी के अधिकार में है। लगभग 120 घरों के अवैध निर्माण की सूचना मिली थी जिसकी सूचना एनटीपीसी द्वारा जिला अधिकारियों को दे दी गई है। इसके अतिरिक्त, यह भी सूचना दी गयी है कि ग्रामवासियों द्वारा लगभग 5-10% के क्षेत्र में अस्थायी मौसमी खेती की जाती है।

एम्स जैसे संस्थानों में संकाय

2882. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अप्रैल, 2012 तक पूरे देश में 6 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कार्य को पूरा करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) क्या इन 6 नए एम्स में सभी निदेशकों की नियुक्ति कर दी गई है और उन्होंने संस्थान में कार्य भार ग्रहण किया है;

(ग) यदि हां, तो कार्य भार ग्रहण करने वाले और अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले निदेशकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन नए एम्स हेतु उपकरणों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद और उनकी सुपुर्दगी की समय-सीमा की क्या स्थिति है; और

(ङ) इन नए एम्स पर अब तक व्यय की गई धनराशि का नाम-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उल्लिखित स्थानों के लिए निदेशक के पदों पर प्रत्येक के सामने नियुक्ति के लिए निम्नलिखित को चुना गया था:—

1. डॉ. संदीप कुमार — एम्स, भोपाल
2. डॉ. गिरीश कुमार सिंह — एम्स, पटना
3. डॉ. सुब्रत कुमार आचार्य — एम्स, भुवनेश्वर
4. डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा — एम्स, जोधपुर
5. डॉ. कामेश्वर प्रसाद — एम्स, रायपुर
6. डॉ. रीता सूद — एम्स, ऋषिकेश

उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव दिनांक 30 अगस्त, 2011 को जारी किया गया था। डॉ. संदीप कुमार ने 4 अक्तूबर, 2011 को एवं डॉ. गिरीश कुमार सिंह ने 1 नवम्बर, 2011 को कार्यभार ग्रहण कर लिया था। अन्य के कार्यभार ग्रहण नहीं किया और तदनुसार पदों को पुनः विज्ञापित किया गया था।

(घ) उपकरणों के विनिर्देशीकरण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अगस्त, 2012 के शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले प्री-क्लीनिकल विषयों में विभागों के लिए आवश्यक उपकरणों का प्रापण कर लिया जाएगा।

(ङ) एम्स जैसे प्रत्येक संस्थानों पर खर्च किए गए धनराशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

(रुपए करोड़)

राज्य	स्थान का नाम	व्यय की गई धनराशि
मध्य प्रदेश	भोपाल	190.67
ओडिशा	भुवनेश्वर	143.05
राजस्थान	जोधपुर	185.88
बिहार	पटना	156.55
छत्तीसगढ़	रायपुर	183.67
उत्तराखंड	ऋषिकेश	234.91
	कुल	1194.63

565 - 66

[हिन्दी]

जनजातियों का पलायन

2883. श्री सुदर्शन भगत :
श्री प्रदीप कुमार सिंह :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में जनजातियों के पलायन के मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने और ऐसी जनजातियों का पुनर्वास करने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के पलायन पर रोक लगाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:—

अनुसूचित जनजाति के लिए पलायन दर (प्रति हजार व्यक्ति पलायन की संख्या)

अखिल भारतीय

सामाजिक समूह	व्यक्तियों की श्रेणी					
	ग्रामीण			शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
अनुसूचित जनजातियां (1999-2000)	56	357	204	282	411	345
सभी सामाजिक समूह (1999-2000)	69	426	244	257	418	334
अनुसूचित जनजातियां (2007-08)	47	440	238	288	430	356
सभी सामाजिक समूह (2007-08)	54	477	261	259	456	354

(स्रोत: एनएसएस की 64वीं राउंड रिपोर्ट संख्या 553)

(ग) पलायन के कारणों में (1) रोजगार की खोज, (2) बेहतर रोजगार की खोज, (3) व्यापार, (4) रोजगार/बेहतर रोजगार करना, (5) सेवा/संविदा का स्थानांतरण, (6) कार्यस्थल से निकटता, (7) अध्ययन, (8) प्राकृतिक आपदा (सूखा, बाढ़, सुनामी इत्यादि), (9) सामाजिक/राजनीतिक समस्याएं (दंगे, आतंकवाद, राजनीतिक शरणार्थी, खराब कानून और व्यवस्था इत्यादि), (10) विकास परियोजना द्वारा विस्थापन, (11) स्वयं के मकान/फ्लैट का अधिग्रहण, (12) आवास समस्याएं, (13) स्वास्थ्य परिचर्या, (14) सेवानिवृत्ति के बाद, (15) विवाह, (16) अभिभावकों/परिवार के कमाने वाले सदस्य का पलायन, (17) अन्य तथा (18) अज्ञात कारण शामिल हैं। (स्रोत: एनएसएस की 64वीं राउंड रिपोर्ट संख्या 553)।

(घ) इस मंत्रालय के पास प्रवासी जनजातीय लोगों के लिए कोई पलायन नीति नहीं है। व्यक्ति विभिन्न कारणों से पलायन करते हैं। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के कार्यक्रम और नीतियां अलग-अलग आवश्यकताओं/मुद्दों का पता लगाने में सहायता करते हैं।

[अनुवाद]

567

अविश्वसनीय समष्टि – आर्थिक आंकड़े

2884. श्री जगदम्बिका पाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से विश्वसनीय समष्टि आर्थिक आंकड़ों के अभाव में भारतीय रिजर्व बैंक के सामने कथित तौर पर अपनी नीतियां तैयार करने मे मुश्किलें आ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) नीति तैयार करने के लिए सांख्यिकीय आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आंकड़ों की खराब दशा और बार-बार संशोधन निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में वास्तविक स्थिति में नवीनतम जानकारी मंगाना और आंकड़ों को संशोधित करना आवश्यक होता है। नीति को बेहतर और प्रभावशाली बनाने के लिए आंकड़ों की बारम्बारता और गुणवत्ता में सुधार एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

567-68

सीआरआर में बार-बार परिवर्तन

2885. श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री हर्ष वर्धन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 26 अप्रैल, 2010 से 10 मार्च, 2012 की अवधि के दौरान नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) में बार-बार परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे परिवर्तन किन-किन तिथियों को किए गए हैं और उनमें किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे परिवर्तनों के परिणाम का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन परिवर्तनों का लाभ बैंकों के ग्राहकों तक पहुंचा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 26.04.2010 से नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में निम्नानुसार दो बार परिवर्तन किया गया है:—

दिनांक	सीआरआर में परिवर्तन
28.01.2012	6 प्रतिशत से घटाकर 5.5 प्रतिशत किया गया
10.03.2012	5.5 प्रतिशत से घटाकर 4.75 प्रतिशत किया गया

(ग) से (ङ) सीआरआर को कम करने का मुख्य कारण प्रणाली में प्राथमिक नकदी डालना है, ताकि अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण संवृद्धि प्रवाह को सहायता प्रदान की जा सके, संवृद्धि में कम जोखिम को घटाया जा सके और कम और स्थिर मुद्रास्फीति की मध्यावधि अपेक्षाओं को सहारा दिया जा सके।

[अनुवाद]

568-84

महिलाओं और बीड़ी मजदूरों के बीच तपेदिक

2886. श्री जी.वी. हर्ष कुमार :
श्री भूपेन्द्र सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिलाओं और बीड़ी मजदूरों के बीच तपेदिक की व्यापकता और उससे होने वाली मृत्यु की दर काफी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के दौरान पुरुषों की तुलना में तपेदिक से पीड़ित और इसके परिणामस्वरूप मरने वाली महिलाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा तपेदिक के नियंत्रण हेतु किए गए उपायों, इस संबंध में व्यय की गई निधियों और इसके परिणामस्वरूप प्राप्त सफलता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और एनजीओ के सहयोग से विशेषरूप से महिलाओं और बीड़ी मजदूरों के बीच तपेदिक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की है/प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम से देश में महिलाओं और बीड़ी विनिर्माताओं के बीच उच्च व्याप्तता तथा मृत्यु का कोई साक्ष्य नहीं है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में न्यू स्मीयर पोजिटिव मरीजों के बीच पुरुषों की तुलना में टीबी से ग्रस्त और उससे मृत्यु होने वाली महिलाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(घ) व्यापक रूप से ज्ञात, संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित कार्यनीति है, उसे पूरे देश में शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में एक 100 प्रतिशत केन्द्रों प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

कार्यक्रम के अंतर्गत सभी क्षयरोगियों को क्षय रोधी औषधियों सहित निदान तथा उपचार सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध प्रदान की जा रही हैं। गुणवत्तायुक्त निदान सुविधाएं सामान्य क्षेत्रों में प्रत्येक एक लाख की जनसंख्या के लिए और आदिवासी पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों में प्रति 50,000 जनसंख्या के लिए निर्दिष्ट सूक्ष्मदर्शी केन्द्र स्थापित किए गए हैं। देश में 13000 से अधिक सूक्ष्मदर्शी केन्द्र स्थापित किए गए हैं। सीधी निगरानी के तहत औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं और मरीजों की निगरानी की जाती है ताकि वे अपना उपचार पूरा कर सकें।

विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्ययित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कार्यक्रम की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपलब्धियां संलग्न विवरण-III में दी गई हैं।

(ङ) महिलाओं और बीड़ी कारीगरों सहित सभी टीबी मरीजों को टीबी नियंत्रण सेवाओं की पहुंच में और उपयोग को सुकर बनाने के लिए कार्यक्रम ने एक नीति अपनाई हैं।

टीबी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम जिसे व्यापक रूप से डोट्स के नाम से जाना जाता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक अनुशंसित कार्यनीति है, का कार्यान्वियन संपूर्ण देश में एक 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में किया जा रहा है।

कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी रोधी औषधियों की आपूर्ति सहित निदान तथा उपचार सुविधाएं सभी टीबी मरीजों को लिंग, पंथ और सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना, निःशुल्क लागत पर मुहैया कराई जाती है।

सेवाओं की बेहतर प्रदानगी के लिए सामुदायिक स्वयं सेवी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, महिला स्व-समूह आदि एक सामुदायिक डोट प्रदाता/डोट केन्द्र के रूप कार्य करते हैं जिसमें लचीली समय प्रणाली होती है। डॉट केन्द्र कार्य-स्थल के लिए प्रावधान भी बनाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, महिलाओं तथा बीड़ी कारीगरों सहित सभी आम टीबी मरीजों को कार्यक्रम सेवाएं उपलब्ध कराने में वृद्धि करने के लिए आरएनटीसीपी के तहत एनजीओ तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां शामिल की जाती हैं।

विवरण-I

पंजीकृत मरीजों की संख्या और पुरुष तथा महिलाओं में मौतों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मामले

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008				2009				2010			
	पंजीकृत एनएसपी मरीजों की संख्या (पुरुष)	पंजीकृत एनएसपी मरीजों की संख्या (महिला)	एनएसपी मरीजों के मध्य मौतें (पुरुष)	एनएसपी मरीजों के मध्य मौतें (महिला)	पंजीकृत एनएसपी मरीजों की संख्या (पुरुष)	पंजीकृत एनएसपी मरीजों की संख्या (महिला)	एनएसपी मरीजों के मध्य मौतें (पुरुष)	एनएसपी मरीजों के मध्य मौतें (महिला)	पंजीकृत एनएसपी मरीजों की संख्या (पुरुष)	पंजीकृत एनएसपी मरीजों की संख्या (महिला)	एनएसपी मरीजों के मध्य मौतें (पुरुष)	एनएसपी मरीजों के मध्य मौतें (महिला)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	163	110	5	1	188	110	7	0	186	99	6	1
आंध्र प्रदेश	36116	13641	1772	593	36069	13945	1871	625	35916	14204	1807	571
अरुणाचल प्रदेश	538	281	12	2	498	331	13	9	468	273	13	5
असम	11525	4866	426	182	12006	5099	556	203	11666	5153	481	177
बिहार	22958	11084	727	325	23826	11431	717	341	22597	11039	633	301
चंडीगढ़	525	312	22	4	570	306	18	8	635	373	15	9
छत्तीसगढ़	7474	3743	344	91	7624	2949	345	86	7705	3017	361	81
दादरा और नगर हवेली	99	53	5	2	103	41	3	4	106	39	6	1
दमन और दीव	44	13	2	0	58	20	7	1	63	21	3	0
दिल्ली	8611	6067	226	128	9098	5650	300	135	8121	5406	297	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गोवा	451	187	26	5	449	197	15	4	526	247	29	5
गुजरात	25350	10025	1225	333	24797	10403	1111	370	25781	10638	1230	371
हरियाणा	9174	3882	457	153	9801	3987	494	154	9421	3966	449	143
हिमाचल प्रदेश	3330	1760	139	37	3343	1714	153	34	3397	1735	134	53
जम्मू और कश्मीर	3174	2300	137	80	3465	2552	104	74	3677	2927	105	71
झारखंड	12002	4935	527	188	12510	4888	495	144	12815	5026	455	169
कर्नाटक	17707	7827	1327	415	18358	8275	1365	421	18928	8396	1430	453
केरल	8695	2350	462	98	9100	2512	451	92	8512	2440	452	70
लक्षद्वीप	4	2	0	0	5	3	0	0	4	6	0	0
मध्य प्रदेश	20798	8857	936	285	21794	9064	998	306	24344	10024	952	323
महाराष्ट्र	35111	17274	2182	804	34571	17303	2217	797	34945	17716	2308	827
मणिपुर	717	257	23	8	764	305	30	7	760	297	28	5
मेघालय	979	498	43	17	1177	540	52	16	1093	547	41	15
मिजोरम	480	290	13	7	368	208	13	4	248	150	9	4
नागालैंड	678	458	21	10	834	501	16	11	830	517	19	5
ओडिशा	15936	6676	955	316	16505	6559	854	279	15832	6523	859	267
पुदुचेरी	494	141	27	3	531	153	36	4	447	142	29	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पंजाब	9549	5157	438	186	10332	5610	538	177	10896	6064	528	210
राजस्थान	30381	11319	1081	316	29086	11113	1092	305	30694	11828	1185	356
सिक्किम	279	204	10	4	283	184	9	4	276	232	13	6
तमिलनाडु	24657	8698	1458	383	24612	8370	1388	325	24448	8357	1400	342
त्रिपुरा	1216	357	50	13	1192	344	56	12	1212	326	57	13
उत्तर प्रदेश	79320	40521	3253	1251	82103	40960	3242	1270	81149	41185	2841	1066
उत्तराखंड	3580	3574	138	43	3753	1546	137	41	3764	1747	161	52
पश्चिम बंगाल	37436	13924	1747	442	36103	13070	1606	427	34954	12602	1462	408
कुल योग	429551	189653	20216	6725	435876	190243	20309	6690	436416	193262	19798	6495

विवरण-II

राष्ट्रीय संशोधित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार व्यय (रोकड़)

(रुपए लाख)

क्र. सं.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (वास्तविक)
1	2	3	4	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1224.89	1348.48	1561.70	1793.97	1072.94
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	13.10	11.53	22.28	37.54	24.02
3.	अरुणाचल प्रदेश	149.49	166.05	211.85	221.04	186.77
4.	असम	507.49	530.54	565.89	728.80	510.61
5.	बिहार	756.23	700.46	1047.76	1203.32	892.30
6.	चंडीगढ़	51.23	59.73	64.33	82.73	60.09
7.	छत्तीसगढ़	387.22	487.66	396.96	538.65	465.31
8.	दादरा और नगर हवेली	26.89	26.78	29.29	34.29	20.50
9.	दमन और दीव	12.70	14.56	18.61	24.16	12.95
10.	दिल्ली	650.27	663.44	810.81	979.01	661.30
11.	गोवा	33.69	46.73	53.07	74.53	56.08
12.	गुजरात	968.73	1200.19	1507.54	1656.24	1270.06
13.	हरियाणा	353.98	345.59	396.97	429.13	327.37
14.	हिमाचल प्रदेश	227.69	238.23	234.44	277.15	232.80
15.	जम्मू और कश्मीर	240.88	235.57	320.49	338.68	295.14
16.	झारखंड	357.94	486.19	437.38	608.71	445.99
17.	कर्नाटक	715.03	920.63	1066.79	1398.61	973.65
18.	केरल	500.38	376.40	459.18	782.01	498.95
19.	लक्षद्वीप	9.56	7.93	9.83	11.80	9.02
20.	मध्य प्रदेश	771.33	800.31	865.41	1152.98	941.68
21.	महाराष्ट्र	1526.64	1951.90	2190.06	2676.48	1888.88

1	2	3	4	4	5	6
22.	मणिपुर	168.35	202.40	203.63	268.17	199.13
23.	मेघालय	100.76	128.30	120.82	157.88	107.46
24.	मिजोरम	108.23	118.69	117.14	126.98	136.94
25.	नागालैंड	161.74	176.40	210.62	195.75	128.55
26.	ओडिशा	685.75	725.47	702.27	704.49	538.48
27.	पुदुचेरी	15.87	17.87	38.74	78.05	61.01
28.	पंजाब	366.02	439.09	418.10	690.99	463.59
29.	राजस्थान	804.47	729.25	944.31	1135.61	562.97
30.	सिक्किम	56.75	66.98	66.61	81.23	55.16
31.	तमिलनाडु	888.86	904.59	850.09	1025.67	753.97
32.	त्रिपुरा	52.60	72.60	88.60	95.59	67.43
33.	उत्तर प्रदेश	2778.62	3070.72	2980.07	3326.36	1847.18
34.	उत्तराखंड	174.45	223.48	258.65	293.31	200.19
35.	पश्चिम बंगाल	1270.91	1350.39	1741.53	1801.28	1367.92
	कुल	17118.79	18845.13	21011.82	25031.19	17336.39

विवरण-III

आरएनटीसीपी-न्यू स्मीयर पोजिटिव मरीज पहचान दर (एनएसपी-सीडीआर) और न्यू स्मीयर पोजिटिव उपचार सफलता दर (एनएसपी-टीएसआर) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार

राज्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (अनंतिम)
	(एनएसपी-सीडीआर) (कम से कम 70% आशातीत)	(एनएसपी-टीएसआर (कम से कम 85% आशातीत)	(एनएसपी-सीडीआर) (कम से कम 70% आशातीत)	(एनएसपी-टीएसआर (कम से कम 85% आशातीत)	(एनएसपी-सीडीआर) (कम से कम 70% आशातीत)	(एनएसपी-टीएसआर (कम से कम 85% आशातीत)	(एनएसपी-सीडीआर) (कम से कम 70% आशातीत)	(एनएसपी-टीएसआर (कम से कम 85% आशातीत)	(एनएसपी-सीडीआर) (कम से कम 70% आशातीत)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	82%	83%	97%	91%	75%	84%	75%	83%	72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	80%	89%	80%	89%	79%	89%	79%	89%	80%
अरुणाचल प्रदेश	97%	88%	91%	88%	87%	89%	82%	88%	97%
असम	73%	88%	72%	87%	77%	84%	71%	83%	77%
बिहार	45%	87%	47%	90%	51%	89%	45%	89%	48%
चंडीगढ़	78%	89%	81%	89%	69%	87%	74%	88%	67%
छत्तीसगढ़	56%	87%	54%	87%	57%	86%	54%	87%	55%
दादरा और नगर हवेली	67%	86%	68%	85%	53%	78%	53%	81%	63%
दमन और दीव	66%	80%	46%	75%	50%	81%	39%	95%	45%
दिल्ली	85%	87%	86%	87%	82%	86%	78%	85%	79%
गोवा	53%	82%	46%	85%	50%	88%	55%	84%	50%
गुजरात	78%	87%	77%	88%	75%	88%	77%	88%	76%
हरियाणा	58%	85%	58%	85%	58%	85%	55%	86%	65%
हिमाचल प्रदेश	81%	90%	82%	90%	80%	89%	77%	90%	82%
जम्मू और कश्मीर	44%	90%	46%	90%	58%	91%	58%	92%	65%
झारखंड	72%	89%	75%	89%	75%	90%	76%	90%	82%
कर्नाटक	61%	79%	58%	81%	61%	81%	62%	83%	67%
केरल	64%	83%	65%	83%	67%	84%	63%	84%	63%
लक्षद्वीप	14%	100%	10%	100%	18%	100%	12%	100%	14%
मध्य प्रदेश	56%	86%	53%	87%	55%	88%	61%	89%	66%
महाराष्ट्र	64%	85%	60%	85%	58%	86%	58%	86%	59%
मणिपुर	53%	84%	49%	84%	60%	87%	57%	90%	69%
मेघालय	76%	84%	77%	83%	89%	83%	83%	83%	92%
मिजोरम	96%	94%	101%	93%	75%	89%	57%	88%	73%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नागालैंड	69%	90%	74%	90%	80%	93%	82%	90%	80%
ओडिशा	65%	87%	66%	86%	67%	87%	64%	86%	65%
पुदुचेरी	75%	85%	76%	87%	70%	87%	57%	87%	62%
पंजाब	57%	87%	59%	87%	62%	88%	64%	88%	66%
राजस्थान	81%	89%	80%	89%	75%	90%	80%	90%	87%
सिक्किम	105%	85%	109%	88%	112%	86%	109%	78%	99%
तमिलनाडु	68%	86%	65%	86%	66%	87%	64%	86%	65%
त्रिपुरा	57%	91%	59%	90%	57%	90%	57%	88%	60%
उत्तर प्रदेश	57%	88%	67%	89%	65%	89%	66%	90%	76%
उत्तराखंड	60%	86%	55%	85%	58%	85%	59%	86%	64%
पश्चिम बंगाल	76%	86%	75%	85%	73%	85%	70%	85%	74%
कुल योग	70%	87%	71%	87%	71%	87%	71%	88%	76%

*1 अप्रैल, 2011 से 30 सितम्बर, 2011 को अवधि के लिए डाटा।

**दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से 30 सितम्बर, 2011 तक की अवधि के लिए डाटा।

[हिन्दी] 5-83-88

आईबीएम द्वारा निरीक्षण

2887. श्री कामेश्वर बैठा :
श्री पशुपति नाथ सिंह :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) देश में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए विनियामक कार्य और निरीक्षण करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आईबीएम द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में किए गए निरीक्षणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों/कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/प्रस्तावित है;

(ग) क्या भारतीय खान ब्यूरो को खनन गतिविधियों से संबंधित सभी कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए प्रत्येक जोनल/क्षेत्र हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने का भी अधिकार है;

(घ) यदि हां, तो क्या नोडल अधिकारी द्वारा पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गढ़वा सहित विभिन्न जिलों और झारखंड के अन्य जिलों में अवैध खनन के संबंध में कोई तिमाही विवरण प्रस्तुत किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है/प्रस्तावित है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) भारतीय खान ब्यूरो खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के अनुसार विनियामक प्रकार्य करता है जिसमें खनन योजना का अनुमोदन, खानों का निरीक्षण, खानों एवं खनिज निक्षेप संबंधी आंकड़ों का संग्रहण

एवं अनुरक्षण, अयस्क प्रसाधन अध्ययन और सरकार को परामर्शी प्रकार्य शामिल हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के अनुसार राज्य सरकारों को शक्ति प्राप्त है कि वे अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाए और कार्रवाई करें। तथापि, अवैध खनन की बढ़ती रिपोर्टों पर विचार करते हुए, आईबीएम ने स्थानिक क्षेत्रों में खानों के निरीक्षण के लिए विशेष कार्यदलों का गठन किया है।

विशेष कार्यदल के निरीक्षणों सहित आईबीएम द्वारा किए गए निरीक्षणों का विवरण नीचे दिया गया है:—

वर्ष	खानों की संख्या जिनका निरीक्षण किया गया	खानों की संख्या जहां उल्लंघन पाए गए	दायर किए गए अभियोग की संख्या	निलंबिन खानों की संख्या
1	2	3	4	5
2008-09	2645	1031	56	0
2009-10	2371	797	42	74
2010-11	2177	685	18	89
2011-12 (फरवरी तक)	2189	1489	7	234

(ग) से (ङ) आईबीएम को खनन कार्यकलापों से संबंधित सभी कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने की शक्तियां नहीं दी गई हैं। तथापि, आईबीएम देश के विभिन्न भागों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से अपने विनियामककारी कार्यों का संचालन करता है। इसके अतिरिक्त आईबीएम ने अवैध खनन के नियंत्रण संबंधी गतिविधियों में समन्वय के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गठित राज्य कार्यदलों में एक अधिकारी नामित किया है। झारखंड राज्य सरकार सहित सितम्बर, 2011 तक राज्य सरकारों द्वारा अवैध खनन के पता लगाए मामलों और उन पर की गई कार्रवाई पर तिमाही रिपोर्ट नीचे दी गई है:—

अवैध खनन मामलों का राज्य-वार ब्यौरा		पता लगाए गए मामलों की संख्या						की गई कार्रवाई			
क्र. सं.	राज्य	2006	2007	2008	2009	2010	2011 सितम्बर में समाप्त तिमाही तक	जब्त वाहन	दर्ज किया गया एफआईआर	दायर अदालती मामले	वसूल किया गया जुर्माना (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	5385	9216	13478	11591	17882	9536	844	18	0	10767.58
2.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	छत्तीसगढ़	2259	2352	1713	1078	2017	1133	3363	0	6689	1162.029
4.	गोवा	313	13	159	9	13	0	459	0	0	18.628
5.	गुजरात	7435	6593	5492	5416	2184	2022	1282	226	20	10424.976
6.	हरियाणा	504	812	1209	1372	3446	1501	103	467	21	907.767
7.	हिमाचल प्रदेश	478	0	503	1114	1213	1289	0	700	1306	1684.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	झारखंड	631	82	225	15	411	594	90	225	30	39.763
9.	कर्नाटक	3027	5180	2997	1687	4949	3293	74782	874	600	7791.927
10.	केरल	1595	2593	2695	1321	2028	676	0	0	0	884.461
11.	मध्य प्रदेश	5050	4581	3895	3868	4245	2538	0	28	21247	2856.057
12.	महाराष्ट्र	4919	3868	5828	8270	26563	20928	70101	13	1	7828.01
13.	ओडिशा	284	655	1059	758	420	150	1812	35	35	5643.31
14.	पंजाब	218	26	50	73	754	126	0	30	0	340.746
15.	राजस्थान	2359	2265	2178	4711	1833	508	145	1133	37	1091.456
16.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	तमिलनाडु	2140	1263	1573	215	277	78	32849	1315	617	10496.812
18.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	उत्तराखंड	0	0	191	0	0	0	683	0	0	38.5
20.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	4641	2773	0	0	0	1230.68
21.	पश्चिम बंगाल	80	426	315	80	239	109	3829	1319	430	0
	कुल	36677	39925	43560	41578	73115	47254	190342	6383	31033	63207.252

एमएसएमई को ऋण 587-90

2888. श्री कपिल मुनी करवारिया :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री हर्ष वर्धन :
श्री राम सुन्दर दास :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
डॉ. क्रुपारानी किल्ली :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रदान किए गए ऋण के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का बैंक-वार ब्यौरा क्या है और लक्ष्यों की प्राप्ति में विफल रहने वाले बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार एमएसएमई के वित्तीय संकट और आर्थिक मंदी के दृष्टिगत उन्हें दिए जाने वाले ऋण संबंधी मानदंडों में छूट प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऋण की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है; और

(घ) सरकार ने रुग्ण लघु उद्योगों सहित एमएसएमई को पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संबंध में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले कार्य दल की सिफारिशों के संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंकों को निम्नानुसार सलाह दी है:—

(i) सूक्ष्म उद्यमों को एमएसई के 60% ऋण का आवंटन चरणबद्ध रूप में किया जाना है, अर्थात् वर्ष 2010-11 में 50%, वर्ष 2011-12 में 55% तथा वर्ष 2012-13 में 60% का आवंटन किया जाना है।

(ii) ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को ऋण की उपलब्धता में वर्षोत्तर 20 प्रतिशत की वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना।

(iii) सूक्ष्म उद्यमों के खातों की संख्या में 10% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना।

मार्च के अंतिम शुक्रवार को दी गई सूचना के अनुसार उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति का बैंक-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(राशि करोड़ रुपये)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
अंतिम शुक्रवार	राशि	राशि	राशि	राशि
मार्च, 2009	191408.32	46656.33	18063.42	256128.07
मार्च, 2010#	276318.97	64824.72	21147.05	362290.74
मार्च, 2011*	475875.73	136423.94	21597.33	636597

#सेवा क्षेत्र में फुटकर व्यापार को शामिल किया गया है।

*इसमें मध्यम उद्यम क्षेत्र शामिल है।

एमएसई ऋण की संगणना प्राथमिक क्षेत्र उधार के लिए की जाती है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई किसी प्रकार की कमी को बैंकों द्वारा आरआईडीएफ/सिडबी/एनएचबी में जमा किया जाना है। इसके बदले सिडबी इस प्रकार जमा राशि का उपयोग एमएसएमई अग्रिमों के पुनर्वित्त के लिए करता है।

एमएसई क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आरबीआई द्वारा कई कदम जैसे ऋणों की पुनर्संरचना के संबंध में विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश जारी करना, आधार पर प्रणाली लागू करना, एमएसई ग्राहकों के लिए बैंकिंग कोड तैयार करना, समूहों पर ध्यान देना, एमएसई क्षेत्र के गैर-निष्पादनकारी ऋणों की वसूली के लिए एक बारगी निपटान योजना आदि उठाए गए हैं ताकि एमएसई क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता में वृद्धि हो सके।

[अनुवाद] 590-91

किशोरों में प्रजनन दर

2889. शेख सैदुल हक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में किशोरों में प्रजनन दर हमारे पड़ोसी देशों की दर से काफी अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) किशोर प्रजनन दर जिसे किशोर जन्म दर भी कहा जाता है, उसमें एक ही आयु समूह में प्रति 1000 महिलाओं में 15-49 वर्ष की आयु में जन्म देने वाली महिलाओं की संख्या को मापा जाता है। यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट विश्व के बच्चों की स्थिति के अनुसार भारत में वर्ष 2000-2010 के दौरान किशोर जन्म दर 45 थी। इसके अतिरिक्त भारत में किशोर जन्म दर, बांग्लादेश और नेपाल के मुकाबले बहुत कम है, जबकि चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका की अपेक्षा अधिक है, जैसा कि नीचे दिए गए विवरण में यह देखा जा सकता है:—

देश	किशोरवस्था जन्म दर (2000-2010)
बांग्लादेश	133
चीन	6
पाकिस्तान	16
नेपाल	106
श्रीलंका	23

[हिन्दी]

समुदाय से अलग रह रही जनजातीय महिलाएं

2890. **श्री दत्ता मेघे : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जारवा समुदाय की युवा महिलाएं कथित रूप से अपने समुदाय से अलग रह रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी महिलाओं की संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं? और

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) जैसा कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन द्वारा सूचित किया गया है जारवा अनुसूचित जनजाति की कोई युवा महिला अपने समुदाय से अलग नहीं रह रही है।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

591-93

धन शोधन पर नियंत्रण पाना

2891. **श्री प्रदीप माझी :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय कार्य बल (एफएटीएफ) ने धन शोधन और आतंकवाद का वित्त पोषण करने पर रोक लगाने हेतु सिफारिशों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत ने एफएटीएफ के सदस्य के रूप में अपनी वचनबद्धता को पूरा कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एफटीएफ की हाल की संपूर्ण बैठक में धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने हेतु सिफारिशों का संशोधन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) तथा (ङ) और (च) वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने धनशोधन को रोकने तथा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषण को रोकने के लिए सिफारिशों में संशोधन किया है, जो 15-17 फरवरी, 2012 को पेरिस में आयोजित एफएटीएफ की पूर्ण बैठक में अनुमोदित की गई थी। संशोधित अनुशंसाओं में किए गए मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- लक्ष्यगत वित्तीय प्रतिबंधों के सतत कार्यान्वयन के जरिए जनसंहार के हथियारों के प्रचुर मात्रा में वित्तपोषण को रोकना जब इन प्रतिबंधों को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने आवश्यक बताया हो।

- अपराधियों और आतंकवादियों के लिए कानूनी व्यक्तियों और प्रबंधों की ओट में अपनी पहचान छुपाना अथवा अपनी आस्तियों को छुपाना मुश्किल करने के लिए उन्नत पारदर्शिता।

- राजनैतिक रूप से उद्भासित व्यक्तियों से निपटने के लिए ठोस अपेक्षाएं।

- कर अपराध शामिल करके धनशोधन सूचक अपराधों के क्षेत्र का विस्तार करना।

- वर्धित जोखिम आधारित पहुंच जो देशों तथा निजी क्षेत्र को इस के लिए सक्षम बनाएंगी कि वे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर ध्यान देकर अधिक दक्षता से अपने संसाधनों को लगा सकें।

- संबंधित प्राधिकरणों के बीच सूचना के आदान-प्रदान, संयुक्त जांच करके, तथा अवैध आस्तियों का पता लगाने, उन्हें सील करने तथा उन्हें जब्त करने सहित अधिक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

- धनशोधन तथा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वित्तपोषण की खोज करने तथा उसके लिए दंड देने हेतु वित्तीय आसूचना इकाइयों तथा कानून के प्रवर्तन हेतु बेहतर प्रचालनात्मक साधन तथा तकनीक व शक्तियों की विस्तृत रेंज।

एफएटीएफ के सदस्य के रूप में, संशोधित सिफारिशों के अनुमोदन के लिए भारत एक पक्षकार था तथा वह इसके कार्यान्वयन के लिए वचनबद्ध है।

(ग) और (घ) एफएटीएफ में शामिल होते समय, भारत ने समयबद्ध तरीके से कुछ कमियों पर काबू पाने के लिए कार्रवाई योजना प्रस्तुत की थी। कार्रवाई योजना की मदें तत्काल अवधि, लघु अवधि तथा मध्यम अवधि की मदों में विभाजित की गई थी जो क्रमशः जून, 2010; मार्च, 2011 तथा मार्च 2012 तक पूरी की जानी थी। भारत ने निर्धारित समय में तत्काल तथा लघु अवधि की कार्रवाई योजना को पूरा कर लिया है।

मध्यम अवधि के कार्रवाई बिंदुओं में मादक औषधि तथा साइकोट्रोपिक अधिनियम, धनशोधन निवारण अधिनियम तथा गैरकानूनी कार्यकलाप निवारण अधिनियम में संशोधन शामिल हैं तथा संसद में संशोधन विधेयक क्रमशः 08/09/2011, 27/12/11 तथा 29/12/11 को प्रस्तुत किए गए थे।

593-94

तमिलनाडु से मांग

2892. श्री पी. कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने विकास परियोजनाओं हेतु 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य सरकार ने, विकास संबंधी एवं भारी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, आंशिक तौर पर अनुदान के रूप में और आंशिक तौर पर 20 वर्षीय ऋण के रूप में 25,000 करोड़ रुपए की मांग की थी। राज्यों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए संस्थापित सहायता चैनलों की रूपरेखा के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों, राज्य योजना स्कीमों तथा वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अनुदान आदि के माध्यम से केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। विदेशी वित्तपोषक एजेंसियों के माध्यम से राज्य विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ऋण सुविधा दिलाई जाती है। तमिलनाडु राज्य से वार्षिक योजना पर चर्चा के दौरान अनुरोध किया गया है कि वह विकास के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए संसाधनों की अपनी आवश्यकता की जानकारी दे।

594

काले धन संबंधी विशेष छूट/स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना

2893. श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आयकर में विशेष छूट अथवा अलेखाकृत काले धन धन की घोषण हेतु किसी स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना को लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी विशेष छूट अथवा योजना की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) वर्तमान में सरकार लेखाबाह्य धन की घोषणा हेतु कोई स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना अथवा रियायत का लागू करने पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी] 594-97

मिश्रित ऊर्जा

2894. श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सहित देश में हाइड्रोकार्बन मध्यवर्ती और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में देश में वर्तमान मिश्रित ऊर्जा का राज्य-वार, स्रोत-वार और मेगावाट-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में आगामी दस वर्षों के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के पक्ष में इस मिश्रित ऊर्जा में परिवर्तन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आगामी दस वर्षों में बिहार सहित देश में विद्युत की अनुमानित मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने आगामी दो दशकों में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) दिनांक 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार देश में (यूटिलिटियों) और बिहार में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(आंकड़े मेगावाट)

	कोयला	गैस	डीजल	कुल थर्मल	न्यूक्लीयर	हाइड्रो	आरईएस	कुल
अखिल भारत	1,60,837.38	18,093.85	1,199.35	1,26,130.98	4,780.00	38,848.40	22,233.17	1,91,992.55
बिहार	1,724.70	0.00	0.00	1,724.70	0.00	129.43	76.80	1,930.93

(ख) और (ग) पवन, लघु जल विद्युत, बॉयोमास तथा सौर ऊर्जा सदृश नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सौर मिशन, भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक बड़ी पहल है। 12वीं योजना के लिए विद्युत संबंधी कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार, 11वीं योजना के दौरान 62,374 मेगावाट के मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य पर आधारित अखिल भारतीय आधार पर 12वीं योजना में क्षमता अभिवृद्धि आवश्यकता 75,785 मेगावाट है। 12वीं योजना के लिए विद्युत संबंधी कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार 13वीं योजना के दौरान अखिल भारतीय आधार पर क्षमता अभिवृद्धि की आवश्यकता 93,400 मेगावाट है, इसके अतिरिक्त, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए नीतिगत योजना दस्तावेज के अनुसार, 12वीं और 13वीं योजनावधि में क्षमता में 50,000 मेगावाट की अभिवृद्धि करने की परिकल्पना की गई है। फलस्वरूप वर्ष 2022 तक लगभग 73,000 मेगावाट की क्षमता प्राप्त होगी। इस क्षमता में राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत विद्युत से 20,000 मेगावाट और शेष 30,000 मेगावाट मुख्यत: पवन, लघु जल विद्युत तथा बॉयोमास विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होगी।

(घ) 18वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) के अनुसार 12वीं योजना के अंतिम वर्ष (2016-17) और 13वीं योजना के अंतिम वर्ष (2021-22) के लिए देश और बिहार में विद्युत की अनुमानित मांग नीचे दी गई है:—

विद्युत ऊर्जा आवश्यकता (मि.यू.)

	2016-17	2021-22
अखिल भारत	13,54,874	19,04,861
बिहार	29,447	52,975

व्यस्ततमकालीन विद्युत भार (मेगावाट)

	2016-17	2021-22
अखिल भारत	1,99,540	2,83,470
बिहार	5,018	9,306

(ङ) देश में विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा की गई/प्रस्तावित कार्रवाई निम्नलिखित है:—

(i) उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में तेजी लाना।

(ii) बड़े पैमाने पर लाभ अर्जित करने हेतु अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास।

(iii) विद्युत परियोजनाओं की प्रगति में रुकावट वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उनका शीघ्रता से समाधान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री, सचिव, विद्युत मंत्रालय और अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इसकी उच्चतम स्तर पर समीक्षा की जाती है।

(iv) रुकावट वाले क्षेत्रों की पहचान करने और अंतर-मंत्रालयी एवं अन्य लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, योजना आयोग तथा मंत्रिमंडल सचिवालय सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा की जाती है।

(v) चल रही विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने

और विद्युत क्षेत्र के समक्ष आने वाले अन्य विषयों पर सलाह देने के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में विद्युत मंत्रालय के पूर्व सचिवों, कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिवों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ एक सलाहकार समूह का गठन किया जाता है।

(vi) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के मामलों सहित जल विद्युत के विकास से संबंधित सभी मामलों को देखने के लिए जल विद्युत परियोजना के विकास पर एक कार्य बल गठित किया गया है। विद्युत मंत्री इस कार्य बल के अध्यक्ष है।

(vii) पूर्वोत्तर में जल विद्युत के विकास हेतु मार्गदर्शन करने एवं तेजी लाने के लिए एक उपर्युक्त फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए वर्ष 2009 में एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया गया है।

(viii) सुपरक्रिटिकल स्टीम जेनरेटरों और टरबाईन जेनरेटरों के विनिर्माण और यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में विद्युत उपस्करों की कमी न होने पाए, देश में कोई संयुक्त उद्यम स्थापित किए गए हैं/किए जा रहे हैं।

विद्युत क्षेत्र में वैश्विक विद्युत कंपनियां

2895. श्री अर्जुन राय :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी वैश्विक विद्युत कंपनियों ने देश के विद्युत क्षेत्र में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इन कंपनियों के इस क्षेत्र में प्रवेश से पूर्व देश के विद्युत क्षेत्र के कतिपय परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (घ) वर्तमान नीति के अनुसार, ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत निम्न के लिए विद्युत क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति प्रदान की जाती है:–

(i) जल विद्युत, कोयला/लिग्नाइट आधारित थर्मल, तेल आधारित थर्मल तथा गैस आधारित थर्मल पावर प्लांटों से उत्पादित विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एवं पारेषण;

(ii) अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण;

(iii) घरों, उद्योगों, वाणिज्यिक एवं अन्य प्रयोक्ताओं को इलेक्टिव इनर्जी का वितरण; तथा

(iv) विद्युत व्यापार।

तद्नुसार, कोई भी वैश्विक विद्युत कंपनी एफडीआई रूट से विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। इसके अतिरिक्त जापान, यूरोप तथा यूएसए की कई वैश्विक विद्युत संयंत्र उपकरण निर्माता कंपनियों ने सुपरक्रिटिकल बॉयलरों/टरबाइन जेनरेटरों के विनिर्माण तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए, भारत में आधार स्थापित करने हेतु, भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम बनाए हैं। ये कंपनियां हैं: एलएंडटी के साथ एमएचआई, जापान, बीजीआर के साथ हिटाची, जापान, जेएसडब्ल्यू के साथ तोसीबा, जापान, भारत फोर्ज के साथ एलस्टॉम, फ्रांस, गैमन के साथ अल्साल्डो काल्डी, इटली, थर्मेक्स के साथ बेबकॉक एंड विल्कॉक्स, यूएसए, बीजीआर के साथ हिटाची पावर यूरोप जीएमबीएच (जर्मनी)। इसके अतिरिक्त दूसान, कोरिया (100% एफडीआई) अपनी स्वयं की क्षमता से विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए आई है।

[अनुवाद]

कम वजन वाले कुपोषित बच्चे

2896. श्री उदय सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के लगभग 42 प्रतिशत बच्चे कम वजन और अत्यधिक कुपोषित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें उक्त समस्या का प्रभावी रूप से समाधान नहीं कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय का महिला और बाल विकास मंत्रालय के परामर्श से स्वास्थ्य संबंधी ऐसी समस्याओं के संबंध में प्रभावी कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) कुपोषण एक बहुआयामी एवं अंत:पीढ़ीय समस्या है और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में इसके अनेक अध:शायी कारणों का हल करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उपाय करना अपेक्षित है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दोनों ही विभिन्न पोषण उपायों के जरिए माताओं तथा बच्चों में कुपोषण कम करने पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित पहलें की जा रही हैं और निम्नलिखित समूह के क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं:—

- उपयुक्त शिशु एवं बाल आहार पर बल देना
- विशेष यूनिटों, जिन्हें पोषण पुनर्वास केन्द्र कहा जाता है, में गंभीर तीव्र कुपोषण का उपचार। इस समय समूचे देश में इस प्रकार के 558 केन्द्र कार्य कर रहे हैं।
- विटामिन ए और आयरन एवं फोलिक एसिड सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को रोकने तथा उनसे निपटने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम। 5 वर्षों की आयु तक बच्चों के लिए विटामिन ए सम्पूरण और 6 माह से 60 माह की आयु तक बच्चों के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड।
- आईएमएनसीआई (एकीकृत नवजात शिशु तथा बाल्यावस्था रोग प्रबंधन) प्रशिक्षण में सेवा प्रदायकों को प्रशिक्षित कर सामुदायिक तथा सुविधा केन्द्र स्तर पर कुपोषण तथा सामान्य नवजात शिशु तथा बाल्यावस्था रोग का प्रबंधन।
- राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के जरिए आयोडीन को संपूरित करना।
- पोषण संपूरण और लौह फोलिक एसिड संपूरकों को मुहैया कराना, तीन वर्ष के बच्चों की नियमित वृद्धि की निगरानी करते हुए और ग्राम स्वास्थ्य तथा पोषण दिवसों के जरिए पोषण शिक्षा मुहैया करा माताओं तथा बच्चों में कुपोषण में कमी लाने पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला तथा बला विकास मंत्रालय दोनों ही मंत्रालय ध्यान केन्द्रित करते हैं।
- ग्राम स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस तथा माता तथा बाल संरक्षण कार्ड, दो मंत्रालयों की संयुक्त पहल है जो बच्चों तथा गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की निगरानी तथा उनकी पोषण समस्याओं के हल करने का एक अवसर उपलब्ध कराती है।

600

राष्ट्रीय एम्बुलैंस कोड

2897. डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में 'राष्ट्रीय एम्बुलैंस कूट' आरंभ करने जा रही है जिनमें देश में चलने वाली सभी एम्बुलैंसों के लिए समान रंगकूट, डिजाइन और उपस्कर होंगे;

(ख) क्या सरकार ने संपूर्ण भारत हेतु 'राष्ट्रीय एम्बुलैंस कोड' के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञों की किसी समिति का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति की संरचना क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में गठित समिति एम्बुलैंस और एडवांस जीवनरक्षक एंबुलैंस के मानकों के विनिर्देशनों को परिभाषित करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के समक्ष फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर विभाग सीबीडीटी द्वारा कर आकलन

2898. श्री ताराचन्द भगोरा :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री के. सुधाकरण :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापक जांच के बिना आयकर विभाग/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) लगभग 700 भारतीयों जिनके एचएसबीसी जेनेवा में अघोषित लेखे थे में से कुछेक की गहन जांच करने के बजाय आनन-फानन में कर का आकलन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर अपवंचन के आरोपित कुछ व्यक्तियों ने कर जांच इकाई को सूची किए जाने से एक सप्ताह पूर्व एचएसबीसी जेनेवा में अपने-अपने लेखों को उजागर करने और अपने संशोधित रिटर्न भरने की इच्छा व्यक्त की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस बैंक में जमा नकदी पर कर वसूलने में सक्षम है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) विदेश में रहने वाले भारतीयों की अप्रकट विदेशी परिसंपत्तियों लेन-देन सहित कर अपवंचन से संबंधित सूचना वाले मामलों मे प्रत्यक्ष कर कानूनों तथा संगत कार्यविधियों के अनुसार समुचित कड़ी कार्रवाई की जाती है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) लगभग 181 करोड़ रुपए की राशि की वसूली की गई है।

(छ) उपर्युक्त भाग (क) से (च) के उत्तरों के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक का अनुदान

2899. श्री तूफानी सरोज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास हेतु अनुदान प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उक्त संस्थानों द्वारा अनुदान के रूप में भारत को कितनी राशि प्राप्त हुई और किन-किन रोगों के लिए यह राशि प्रदान की गई;

(ग) क्या उक्त राशि का उन्हीं रोगों के उपचार पर उपयोग किया गया है जिनके लिए सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा उक्त अनुदान में से राज्यों को निधियां आवंटित की गई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए न तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और न ही विश्व बैंक अनुदान प्रदान करता है।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कर निर्धारितियों की संख्या

2900. डॉ. एम. तम्बिदुरई : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर निर्धारितियों की संख्या का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक श्रेणी में अदा की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान आयकर निर्धारितियों की संख्या संबंधी वृद्धि दर में कमी आयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) पिछले तीन वर्षों के लिए आयकर निर्धारितियों की वास्तविक संख्या का श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	कंपनी	व्यक्ति	एचयूएफ	फर्म	ट्रस्ट	अन्य	कुल
2008-09	327674	30101260	768845	1310849	71145	70854	32650627
2009-10	367884	31384084	806236	1354330	76898	95994	34085426
2010-11	496872	31035394	761911	1229722	119378	95847	33739124

प्रत्येक श्रेणी से वसूले गए प्रत्यक्ष करों के लिए अलग से डाटा नहीं रखा जाता है। तथापि, निगमित और अन्य सभी करदाताओं के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रहण आंकड़े अनुरक्षित किए जाते हैं और जो निम्नानुसार हैं:—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	निवल निगमित आयकर	निवल वैयक्तिक आयकर (जिसमें एफबीटी, एसटीटी, डब्ल्यूटी आदि शामिल हैं)	निवल प्रत्यक्ष कर संग्रहण
2008-09	2,13,395	1,20,423	3,33,818
2009-10	2,44,725	1,33,338	3,78,063
2010-11	2,98,688	1,48,247	4,46,935

(ख) और (ग) जी, नहीं। आयकर निर्धारितियों की वास्तविक संख्या में वृद्धि/कमी की दर कम और अधिक होती रहती है। वित्तीय वर्ष 2008-09 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान वास्तविक निर्धारितियों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2009-10 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान मामूली कमी आई है हालांकि, कुछेक श्रेणियों में इसमें सुधार आया है। वास्तविक निर्धारितियों की संख्या कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि कर स्लैब का ढांचा/दर, कारोबार का निगमीकरण, कर योग्य आय को प्रभावित करने वाली आर्थिक गतिविधि आदि।

श्री चित्र तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम

2901. डॉ. शशी थरूर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्री चित्र तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम में उपचार/शल्य क्रिया हेतु प्रतीक्षा सूची में रोगियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे आवेदकों की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई है;

(ग) क्या रोगियों की भीड़ को देखते हुए संस्थान में सुविधाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है और इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो विस्तार कार्य नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचित किया है कि एससीटीआईएमएटी में अंत:क्षेप क्रियाविधियों सहित शल्य चिकित्सकों के लिए रोगियों की प्रतीक्षा सूची निम्नानुसार है:—

हृदय रोग विज्ञान/कार्डियक एवं थोरेसिक सर्जरी	3800 (प्रतीक्षा सूची में प्रतिदिन औसत 25 मामलों का इजाफा होता है।
तंत्रिका शल्य चिकित्सा एवं अंत:क्षेप विकिरण निदान	500 मामले (प्रतीक्षा सूची में प्रतिदिन औसत 7 मामलों का इजाफा होता है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) वित्तीय बाधाओं और मौजूदा परिसर में स्थान की कमी के कारण, अस्पताल का बड़े पैमाने पर विस्तार करना व्यवहार्य नहीं है। फिर भी, उन्नत चिकित्सा विशिष्टताओं (हृदय रोग विज्ञान एवं तंत्रिका विज्ञान) में, कुछ और उप-विशिष्टताओं को शामिल किया जा रहा है। त्रिवेन्द्रम मेडिकल कॉलेज, केरल सरकार से 83 सेंट क्षेत्रफल भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इस असन्न क्षेत्र में दो अस्पताल भवनों में निर्माण की योजना बनाई जा रही है जिसके चलते 200 बिस्तरों की क्षमता बढ़ने की संभावना है।

[हिन्दी]

गंगा नदी पर जल विद्युत परियोजनाएं

2902. श्रीमती मीना सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु विशेषज्ञों से परामर्श करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा देश में जल विद्युत संभाव्यता पर किए गए पुन: आकलन अध्ययनों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में संस्थापित क्षमता (आई.सी.) के संदर्भ में जल विद्युत संभाव्यता 664 मेगावाट (25 मेगावाट से अधिक) आकलित की गई है, जिसमें से 502 मेगावाट (71%) विकसित की जा चुकी है तथा 162 मेगावाट क्षमता अभी विकसित की जानी है। इसी प्रकार से, बिहार में 40 मेगावाट क्षमता अभी विकसित की जानी है। इसके परिप्रेक्ष्य में, भारत सरकार का बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श करने का प्रस्ताव नहीं है।

अप्रत्याशित लाभ कर

2903. डॉ. भोला सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकों, विशेषकर खनिज निर्यातकों द्वारा अर्जित अप्रत्याशित लाभ/प्राप्ति को निर्यात शुल्क की गणना में शामिल किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) इस समय निर्यात शुल्क केवल दो खनिजों तथा लौह अयस्क और क्रोमियम अयसक पर लगाया जाता है। दोनों ही मामलों में, शुल्क को मूल्यानुसार के आधार पर लगाया जाता है। इस प्रकार यह शुल्क निर्यात के एफओबी (फ्री आन बोर्ड) मूल्य पर लगाया जाता है जिसमें सामान्यतया खनिज कार्य की लागत, परिवहन, बीमा और अन्य खर्चों के साथ-साथ निर्यातकर्त्ताओं के लाभांश को भी शामिल किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लैप्टोस्पीरोसिस के मामले

2904. श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लैप्टोस्पीरोसिस के मामले और इससे होने वाली मृत्यु की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रकाश में आए ऐसे मामलों और मृत्यु की संख्या का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रोग की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का गुजरात सहित प्रत्येक राज्य में इस पशुजनित रोग के प्रभावी निवारण और नियंत्रण के लिए अनुसंधान हेतु उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) स्थानिकमारी वाले पांच राज्यों में लैप्टोस्पायरोसिस और उनसे होने वाली मौतों के सूचित मामलों से घटते-बढ़ते रुझानों का पता चलता है, केवल गुजरात को छोड़कर, जहां सूचित मामलों और मौतों में विगत तीन वर्षों के दौरान बढ़ते हुए रुझान देखने को मिले हैं। लैप्टोस्पायरोसिस सहित रोगों का प्रभाव और उसके कारण होने वाले मौंते पारिस्थितिक एवं दुष्प्रभावित क्षेत्र में मानवनिर्मित दोनों कारकों पर निर्भर करती हैं। 2001-2011 के दौरान लैप्टोस्पायरोसिस के मामले और उससे होने वाली मौतों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) लैप्टोस्पायरोसिस के कारण होने वाली अस्वस्थता और मौतों की रोकथाम के लिए गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक प्रायोगिक परियोजना क्रियान्वित की गई है। स्वास्थ्य कार्मिकों के प्रशिक्षण, नैदानिक सुविधा-केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण और समुदाय में जागरूकता लाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

2009:2011 के दौरान लैप्टोस्पायरोसिस के मामले और उससे होने वाली मौतें

क्र. सं.	राज्य	2009		2010		2011	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1.	महाराष्ट्र	114	9	197	16	141	13
2.	कर्नाटक	325	10	148	6	215	7
3.	तमिलनाडु	1964	0	549	1	1345	0
4.	केरल	1237	106	769	69	607	140
5.	गुजरात	225	49	611	124	830	153
	कुल	3865	174	2274	216	3138	313

बैंकों के विरुद्ध शिकायतें

2905. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश भर में पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं के कार्यकरण में गड़बड़ी के संबंध में लोक प्रतिनिधियों से शिकायतें/सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शाखाओं के कार्यकरण में गड़बड़ी के संबंध में अलग-अलग व्यक्तियों, लोक प्रतिनिधियों और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों/सुझावों को समुचित सावधानी बरतते हुए कार्रवाई की जाती है। पीएनबी द्वारा यह सूचित

किया गया है कि वर्तमान में उनकी सभी शाखाएं ठीक प्रकार से कार्य कर रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

609 - 26

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता

2906. श्री गोरखनाथ पाण्डेय :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा विद्युत परियोजनाओं और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का वित्त पोषण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार, आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने हाल ही में इन परियोजनाओं को ऋण देने के संबंध में उक्त बैंकों को चेतावनी दी थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने 10 मेगावाट तक की जल-विद्युत वाली विद्युत उत्पादन परियोजनाओं तथा सौर-ऊर्जा उत्पादन से संबंधित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का वित्तपोषण किया था। ब्यौरे संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं। आरबीआई द्वारा की गई सूचना के अनुसार मार्च, 2009, मार्च, 2010, मार्च, 2011 तथा दिसम्बर, 2011 की समाप्ति पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऊर्जा क्षेत्र को दिए गए ऋण में से कुल बकाया ऋण का विवरण निम्नानुसार है:—

(राशि करोड़ रु.)

बैंक समूह	ऊर्जा क्षेत्र को बकाया कुल ऋण			
	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.12.2011
राष्ट्रीयकृत बैंक	64112.56	101074.06	175003.40	205339.33
स्टेट बैंक समूह	22455.41	21351.34	28195.60	29573.95
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	4039.77	7277.77	8204.98	8217.46
निजी क्षेत्र के नए बैंक	2674.78	4857.61	13967.21	16790.62
विदेशी बैंक	759.49	695.14	1228.36	2611.63
कुल	94042.01	135255.92	226599.55	262532.99

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को संवितरित ऋण और विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा चुकाए गए ऋण की राशि का राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण-I

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य	2008-09 के दौरान संवितरण	2009-10 के दौरान संवितरण	2010-11 के दौरान संवितरण	(31.12.2011) मौजूदा वर्ष के दौरान संवितरण
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	11.48	0.00	0.46
2.	बिहार	9.86	16.65	43.54	5.05
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	केरल	0.00	0.00	2.55	3.10
12.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	तमिलनाडु	0.11	0.00	0.00	0.00
18.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	उत्तराखंड	42.50	4.25	24.39	11.54

1	2	3	4	5	6
20.	पश्चिम बंगाल	32.38	2.50	0.00	0.00
21.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	अरुणाचल प्रदेश	4.08	3.68	8.23	7.63
23.	असम	0.00	18.62	16.36	0.00
24.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	मिजोरम	0.00	0.00	12.30	0.00
27.	नागालैंड	16.55	18.75	14.54	0.00
28.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	105.47	75.92	121.91	27.78

विवरण-II

(क) वर्ष 2011-12 के दौरान गुजरात राज्य में दो सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं।

(ख) संस्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(राशि करोड़ रु.)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	एजेंसी	संस्वीकृत वर्ष	परियोजना लागत	मार्जिन/सहायता	मियादी ऋण
1.	सौर ऊर्जा परियोजना (2 मेगावाट)	गुजरात	गुजरात स्टेट इलैक्ट्रीसिटी कॉर्पोरेशन लि. (जीएसईसीएल)	2011-12	31.98	15.00	16.98
2.	सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट (5 मेगावाट)	गुजरात	गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लि. (जीएसईसीएल)	2011-12	57.00	14.25	42.75
			कुल		88.98	29.25	59.73

विवरण-III

30.9.2011 की स्थिति के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र का बकाया ऋण

राज्य/संघ राज्य का नाम	इलाहाबाद बैंक	आंध्रा बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	केनरा बैंक	सेंट्रल बैंक	कॉर्पोरेशन बैंक	देना बैंक	इंडियन बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक	आईडीबी-आई बैंक	ओरियंटल बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह													
आंध्र प्रदेश	626.81	3810.99	977.60	4120.00	129.03	744.11	46917	342.29	705.25	1335.96	2466.39	36900	1200.67
अरुणाचल प्रदेश										202.14			
असम											50.62		
बिहार				100.00							0.92		
छत्तीसगढ़	213.63	492.28	62.91	1385.00		423.75	298.21	16.79	170.83	575.64	16.60	154.00	
चंडीगढ़								37.68					
दादरा और नगर हवेली													
दमन और दीव							24.26						
दिल्ली	2836.99	151.44	1123.01	400.00	548.32	58.84	763.58	623.85	595.89	540.90	3661.65	86100	1470.15
गोवा											0.89		
गुजरात	1009.99	200	89155	4965.00	480.94	691.87	214.62	287.56	747.52	339.11	234.85	587.00	1139.79
हरियाणा	1131.22	305.42		1375.00	24156		1272.15	63.42	799.53	1080.93	1310.97	766.00	54018
हिमाचल प्रदेश		24.66		755.00		9.93	885.44			399.55		485.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जम्मू और कश्मीर						640.24	29.84						
झारखंड	235.74	79.71		818.00			239.71		7.25	27.36			
कर्नाटक		303.21	4193	2682.00	720.90		29.52	2027.33	643.38	951.15	40177	928.00	240.63
केरल		4.91			1152				4.30	49.21			300
लक्षद्वीप													
मध्य प्रदेश		68.28	3.03	200.00		139.30	713.28		419.85		26.54	510.00	25.01
महाराष्ट्र	698.96	365.64	2674.95	9275.00	2280.99	938.64	826.00	559.88	1302.30	1013.03	664.85	280100	912.85
मणिपुर													
मेघालय							77.18						
मिजोरम													
नागालैंड													
ओडिशा	221.17	654.80	0.65	1390.00		358.17	568.95		127.42	95.19	0.26	396.00	10148
पंजाब	370	5.47	0.30	1990.00	783.22	2315	1505.94		200.00	159.80	1500.33	224.00	2136.00
पुडुचेरी											96.30		
राजस्थान	1213.33	1670.86	28.03	3010.00	1132.68	253.08		1782.53	1082.34	1219.84	867.59	421.00	2233.58
सिक्किम						347.89			88.48				
तमिलनाडु	668.12	653.04	492.86	1850.00	89.04	194.33		111845	703.43	2002.06	2933.40	31100	28189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
त्रिपुरा						200.06							
उत्तरांखड	127.59		175.00		122.33			127.50	2152		41100	1120	1900
उत्तर प्रदेश	3065.31	142.20	2.14	1788.00	209.64	433.64		657.23	516.93	368.04	753.90	1246.00	1583.04
पश्चिम बंगाल	1321.02	13139	635.31	2800.00	24.24			63.03	161.77	742.21	845.09	506.00	223.79
कुल	3612.29	918698	6939.18	39078.00	6640.56	5590.85	7917.85	758004	8399.67	11078.73	15882.13	12617.00	12100.28
जर्माकत्ता	3467.27	2332.66	*	10000.00	890.44	**	678.33	1940	*	513.84	1512.71	1092.00	1894.66

राज्य/संघ राज्य का नाम	पंजाब नेशनल	पंजाब एंड सिंध बैंक	सिंडीकेट बैंक	यूनियन बैंक	युनाइटेड बैंक	यूको बैंक	विजया बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीबीजे	स्टेट बैंक ऑफ	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	स्टेट बैंक ऑफ	स्टेट बैंक ऑफ	कुल
1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	23	27	28
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह														
आंध्र प्रदेश	351.00	1203.78	2486.28	610.72	379.93	1755.25	1302.58	1605.66	655.50	1157.49	57140	45.00	43.00	29464.86
अरुणाचल प्रदेश								11.73						213.87
असम						14.5		6.62						58.69
बिहार								369.98						470.90
छत्तीसगढ़	252.00				359.83	245.34	10120	1408.52		49.77			111.00	6337.30
चंडीगढ़														67.16
दादरा और नगर हवेली														0.00
दमन और दीव														24.26
दिल्ली	4399.00	2369.20	590.40	1958.19	32.29	1923.54	827.00	1011.83	1662.60	109.51	318.81	1252.87	102.31	30193.17
गोवा														0.89
गुजरात	275.00	5.00	968.58	1578.42	525.48	1524.23	814.96	13616.81	525.00	118.82		28.81	304.45	32075.36
हरियाणा	926.00	788.36	882.89	857.54	52.99	134120	1157.36	85.31				213.80	79.49	15271.32
हिमाचल प्रदेश		133.33			209.96	183.95	425.96	185.59			6.20		30.00	3734.57

1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	23	27	28
जम्मू और कश्मीर				60.89							30.37			76134
झारखंड					211.66	4.00		2513.75		153.87	93.56		206.05	4590.66
कर्नाटक	1749.00	748.84	517.77	900.98	60.84	831.47	1989.24	3455.61	200.00	324.57	680.41	80.00	391.24	20899.79
केरल	300			029			299.00	480						377.03
लक्षद्वीप														0.00
मध्य प्रदेश				317.86	189.45	11.47		667.17		7.01	3.28			3301.53
महाराष्ट्र	3260.00	206.84	1417.46	855.56	19917	1887.67	971.42	8809.08	834.70	244.36	253.20	565.62	185.58	44004.75
मणिपुर														0.00
मेघालय							30.95							108.13
मिजोरम														0.00
नागालैंड														0.00
ओडिशा	373.00		204.22	710.25	170.54	458.93	90.16	219.70		112.51	46.47		30.00	6329.87
पंजाब	1321.00	668.51		500.00	127.34	783.39	945.72	7.16		11.00	11.00	85.10	8.20	13364.63
पुदुचेरी														96.30
राजस्थान	1008.00	1774.18	997.19	2912.85	699.45	2855.79	1257.08	1577.46	1877.94		101.56			29976.36
सिक्किम					107.35		39.35			52.55				635.62
तमिलनाडु	3639.00	650.66	1793.37	138.46	413.16	3052.58	881.82	5391.62	51.08	208.05	222.53	29.50	566.00	28335.45

1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	23	27	28
त्रिपुरा														200.06
उत्तरांखड	19.00				128.00		101.17	334.95		264.87				1844.13
उत्तर प्रदेश	2023.00	510.02	192.38		277.64	857.59	783.23	6302.43	80.00	336.30	50.08			22178.74
पश्चिम बंगाल	812.00	321.68	200.32	158.60	1699.32	1041.50	171.10	265.63	239.56		160.48	24136		12765.40
कुल	20410.00	9378.40	10250.86	11560.81	5844.40	18759.35	12189.30	47880.89	6126.38	3150.68	2549.35	2542.06	2057.32	297762.53
जर्माकर्त्ता	4201	2785.61	1385.35		282.96	*	#	5021.33	2612.8	650.68	356.65	456.62	136.53	42211.42

*सभी वापसी अदायगी समय पर प्राप्त हो गईं।

**अधिकांश परियोजनाएं कार्यान्वयन और वापसी अदायगी को छोड़ने के अधीन हैं।

#हालांकि वापसी अदायगी नियत तिथि को हुई, दो मामलों में पुनर्गठन की आवश्यकता है।

627-29

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण

2907. श्री जगदानंद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को अल्पसंख्यक समुदायों के उन उद्यमियों को जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग चला रहे हैं को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के निदेश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समुदायों के उद्यमियों ने हाल ही में उक्त निदेशों का लाभ उठाते हुए नए उद्योग स्थापित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त समुदायों के उद्यमियों को पर्याप्त ऋण प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी है कि वे अपने अल्पसंख्यक समुदाय उधार (एमसीएल) के प्रतिशत को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) के 15% तक ले आएं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बकाया कुल ऋण के संबंध में समुदाय-वार आंकड़ों का मिलान उनके द्वारा नहीं किया जाता है। तथापि, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को समग्र उधार 31 मार्च, 2009 के 82,864 करोड़ रु. से बढ़कर 31 दिसम्बर, 2011 को 1,54,790 करोड़ रु. हो गया, जो लगभग 87% की वृद्धि दर्ज करता है।

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों को उधार का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) आरबीआई ने दिनांक 1 जुलाई, 2011 के मास्टर परिपत्र के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि वे पूरे देश में अभिचिह्नित अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण की उपलब्धता में सुधार करें। परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक बैंक में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाने तथा एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की सलाह दी गई है। इसमें यह भी दर्शाया गया है कि बैंक अल्प-संख्यक समुदायों को ऋण प्रवाह की निगरानी किस प्रकार करें। विस्तृत परिपत्र आरबीआई की वेबसाइट *www.rbi.org.in* पर उपलब्ध है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों को राज्य-वार उधार

(राशि करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिसम्बर, 2011 को समाप्त तिमाही को अल्पसंख्यक समुदाय उधार
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	161.73
2.	आंध्र प्रदेश	11816.41
3.	अरुणाचल प्रदेश	142.48
4.	असम	2239.76
5.	बिहार	2655.17
6.	चंडीगढ़	1220.48
7.	छत्तीसगढ़	796.39
8.	दादरा और नगर हवेली	9.70
9.	दमन और दीव	12.25
10.	दिल्ली	3907.29
11.	गोवा	1391.29
12.	गुजरात	2836.84
13.	हरियाणा	4315.66
14.	हिमाचल प्रदेश	622.13

1	2	3
15.	जम्मू और कश्मीर	1034.59
16.	झारखंड	1779.24
17.	कर्नाटक	9629.78
18.	केरल	22634.71
19.	लक्षद्वीप	51.00
20.	मध्य प्रदेश	3800.11
21.	महाराष्ट्र	11694.49
22.	मणिपुर	232.63
23.	मेघालय	709.36
24.	मिजोरम	621.10
25.	नागालैंड	499.45
26.	ओडिशा	2292.86
27.	पुदुचेरी	259.94
28.	पंजाब	24351.83
29.	राजस्थान	3842.05
30.	सिक्किम	387.11
31.	तमिलनाडु	14473.56
32.	त्रिपुरा	293.78
33.	उत्तर प्रदेश	14426.59
34.	उत्तराखंड	1749.34
35.	पश्चिम बंगाल	7898.80
	समस्त भारत	154789.90

स्रोत: पीएसबी, आंकड़े अनंतिम हैं।

बैंकों का कम्प्यूटरीकरण

2908. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी बैंकों का कम्प्यूटरीकरण हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, और देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में कब तक सभी बैंकों का कम्प्यूटरीकरण हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह सूचित किया है कि 30 सितम्बर, 2011 तक की स्थिति के अनुसार पंजाब एंड सिंध बैंक को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों का पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। इसके अलावा, भारत में 82 क्षेत्रीय ग्रीमण बैंकों में से महाराष्ट्र के तीन बैंकों सहित 80 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) में सफलतापूर्वक स्थानान्तरित कर दिया गया है। व्यवसाय की आवश्यकता के आधार पर बैंकों का कम्प्यूटरीकरण एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

आईटीडीसी शुल्क मुक्त डिवीजन

2909. श्री अनंत कुमार : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) के शुल्क मुक्त डिवीजन के कुल कारोबार और लाभकारिता का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न विमानपत्तनों पर आईटीडीसी द्वारा चलाई जा रही शुल्क मुक्त दुकानों की संख्या क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उनके कारोबार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आईटीडीसी द्वारा कारोबार और लाभकारिता तथा साथ ही शुल्क मुक्त दुकानों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आईटीडीसी के शुल्क मुक्त डिवीजन का कुल कारोबार और लाभ निम्नानुसार हैं:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कुल कारोबार	लाभ/हानि
2008-09	5.56	(-) 1.88
2009-10	5.59	(-) 2.34
2010-11	8.37	(-) 2.49
2011-12 (फरवरी, 2012 तक)	7.82	(-) 2.74

(ख) आईटीडीसी एयरपोर्टों पर दो शुल्क मुक्त दुकानें चला रहा है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उनका कुल कारोबार नीचे दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपए)

शुल्क मुक्त दुकानों के नाम	कुल कारोबार			
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (फरवरी, 2012 तक)
गोवा एयरपोर्ट, गोवा	4.36	4.97	5.45	4.50
कोयम्बटूर एयरपोर्ट, तमिलनाडु		0.60	1.22	1.11

(ग) आईटीडीसी ने बंदरगाहों पर नई शुल्क मुक्त दुकानें खोलने के क्षेत्र में प्रवेश किया है और कुल कारोबार तथा लाभकारिता में वृद्धि करने के लिए उसने माल की समयबद्ध एवं निरंतर आपूर्ति करने, उन्नत संभार लॉजिस्टिक व्यवस्था करने, संवर्धनात्मक योजनाएं चलाने, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण करने, बेहतर उत्पाद मिश्रण करने आदि जैसे उपाय किए हैं।

631-40

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से सृजित रोजगार

2910. श्रीमती जे. शांता : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर व्यय का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से सृजित रोजगार और इसमें हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रिड इंटरएक्टिव ऊर्जा कार्यक्रम की स्थिति का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता/राजसहायता की स्थिति का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : दिनांक 29.2.2012 तक 11वीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के तहत सरकार ने केन्द्रीय वित्तीय सहायता/सब्सिडियों के माध्यम से 2941.73 करोड़ रु. की राशि खर्च की है। राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजन को मॉनीटर नहीं किया जाता। तथापि अक्षय ऊर्जा स्रोतों की विकेन्द्रिकृत/वितरित प्रकृति विशेष रूप से पारम्परिक विद्युत के अभाव वाले ग्रामीण और अर्ध-नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार के अवसरों का सृजन करने हेतु व्यापक संभाव्यता उपलब्ध कराती है। सीआईआई के माध्यम से हाल ही में कराए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2010 के दौरान इस क्षेत्र से, लगभग 3.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है।

(ग) दिनांक 29.2.2012 की स्थिति अनुसार देश में कुल 23,379 मेगावाट की ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता संस्थापित की गई है जिनका स्रोत-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात् 11वीं योजना अवधि के दौरान 29.2.2012 तक देश में विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता/सब्सिडियों का ब्यौरा उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित संलग्न विवरण-I में दी गई है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों (2008-09 से 2010-11) और चालू वर्ष 2011-12 (दिनांक 29.02.2012 की स्थिति अनुसार) के दौरान विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत उपलब्ध कराई गई राज्यवार केन्द्रीय वित्तीय सहायता/सब्सिडी

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	18.89	14.22	38.91	29.36
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.02	0.02	0.02	0.02
3.	अरुणाचल प्रदेश	16.41	53.67	68.52	66.61
4.	असम	29.01	23.29	10.51	17.72
5.	बिहार	3.85	3.99	7.75	7.04
6.	चंडीगढ़	0.04	24.12	34.71	44.29
7.	छत्तीसगढ़	15.88	21.51	36.19	39.61
8.	दादरा और नगर हवेली	0.03	0.00	0.00	0.00
9.	दमन और दीव	0.01	0.00	0.02	0.00
10.	दिल्ली	41.31	37.86	148.95	194.15
11.	गोवा	2.02	0.55	0.17	1.39
12.	गुजरात	6.15	12.89	21.19	11.94
13.	हरियाणा	8.10	2.63	5.71	3.75
14.	हिमाचल प्रदेश	16.77	7.21	15.46	16.08
15.	जम्मू और कश्मीर	18.27	10.49	55.80	97.62
16.	झारखंड	10.24	7.40	1.99	17.68
17.	कर्नाटक	22.39	21.74	30.41	36.23
18.	केरल	6.64	4.66	16.10	11.77
19.	मध्य प्रदेश	9.56	19.26	36.28	29.06

1	2	3	4	5	6
20.	महाराष्ट्र	40.72	65.90	142.37	183.04
21.	लक्षद्वीप	0.19	0.00	13.89	8.76
22.	मणिपुर	9.07	2.09	3.43	2.36
23.	मेघालय	2.90	3.19	7.68	5.84
24.	मिजोरम	0.97	1.62	3.54	1.17
25.	नागालैंड	2.89	0.62	1.93	11.25
26.	ओडिशा	6.49	21.63	9.16	31.99
27.	पुदुचेरी	0.13	0.20	0.12	1.7
28.	पंजाब	12.63	9.49	9.95	13.39
29.	राजस्थान	0.69	13.64	42.84	47.33
30.	सिक्किम	8.01	5.41	4.22	10.5
31.	तमिलनाडु	11.91	18.72	29.43	52.46
32.	त्रिपुरा	12.21	11.90	1.99	0.03
33.	उत्तर प्रदेश	11.61	24.20	68.83	67.21
34.	उत्तराखंड	15.66	19.95	39.57	17.21
35.	पश्चिम बंगाल	14.29	36.22	41.11	38.18
	कुल	375.96	500.28	948.75	1116.74

विवरण-II

दिनांक 29.02.2012 की स्थिति अनुसार राज्यवार संचयी ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लघु पनबिजली (मेवा.)	पवन विद्युत (मेवा.)	बायो विद्युत		सौर विद्युत (मेवा.पी.)	कुल क्षमता (मेवा.)
				बायोमास विद्युत (मेवा.)	अपशिष्ट से ऊर्जा (मेवा.)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	192.63	213.00	363.25	43.16	15.00	827.04

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	79.54				0.03	79.57
3.	असम	31.11					31.11
4.	बिहार	61.30		15.50			76.80
5.	छत्तीसगढ़	20.25		249.90		4.00	274.15
6.	गोवा	0.05					0.05
7.	गुजरात	15.60	2707.00	20.50		291.00	3034.10
8.	हरियाणा	70.10		35.80		4.80	110.70
9.	हिमाचल प्रदेश	501.37					501.37
10.	जम्मू और कश्मीर	130.59					130.59
11.	झारखंड	4.05				2.00	6.05
12.	कर्नाटक	901.25	1856.00	441.18	1.00	9.00	3208.43
13.	केरल	143.17	35.00			0.03	178.20
14.	मध्य प्रदेश	86.16	330.00	1.00	3.90	0.10	421.16
15.	महाराष्ट्र	281.33	2607.00	600.20	5.72	20.00	3514.25
16.	मणिपुर	5.45					5.45
17.	मेघालय	31.03					31.03
18.	मिजोरम	36.47					36.47
19.	नागालैंड	28.67					28.67
20.	ओडिशा	64.30		20.00		4.00	88.30
21.	पंजाब	154.50		90.50	9.25	4.32	258.57
22.	राजस्थान	23.85	1856.00	81.30		133.65	2094.80
23.	सिक्किम	52.11					52.11
24.	तमिलनाडु	111.69	6713.00	532.70	5.65	8.05	7371.09
25.	त्रिपुरा	16.01					16.01

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	उत्तर प्रदेश	25 10		644.50	5.00	2.38	676.98
27.	उत्तराखंड	170.82		10.00		2.05	182.87
28.	पश्चिम बंगाल	98.40		16.00		1.05	115.45
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.25				0.10	5.35
30.	चंडीगढ़						
31.	दादरा और नगर हवेली						
32.	दमन और दीव						
33.	दिल्ली				16.00	2.14	
34.	लक्षद्वीप					0.75	
35.	पुदुचेरी					0 03	
36.	अन्य		4.00			0.81	
	कुल (मेवा.)	3342.15	16321.00	3122.33	89.68	505.28	23380.44

मेवा.—मेगावाट, मेवा.पी.—मेगावाट पीक। 639-45

समेकित बाल संरक्षण योजना

2911. श्रीमती दीपा दासमुंशी :
श्री हमदुल्लाह सईद :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) बनाई है और उसका कार्यान्वयन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं का ब्यौरा क्या है और इसकी उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) उक्त योजना अवधि के दौरान राज्य सरकारों को स्वीकृत और उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) जी, हां। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वर्ष 2009-10 से समेकित बालक संरक्षण स्कीम का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके अंतर्गत मुख्य विशेषताएं और मुख्य उपलब्धियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ग) योजना अवधि के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को संस्वीकृत निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को संस्वीकृत और निर्मुक्त की गई निधियों का उपयोग सामान्यत: उनके द्वारा उसी वर्ष के दौरान किया जाता है। तथापि, यदि कोई अव्ययित शेष हो तो उसे बाद के वर्ष हेतु पात्र अनुदान से समायोजित किया जाता है।

विवरण-I

समेकित बाल संरक्षण स्कीम

1. **प्रस्तावना**

उद्देश्य : कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की खुशहाली बढ़ाने तथा दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण, परित्याग और अपने परिवारों से अलग होने के कारणों की स्थिति और कार्य की असुरक्षा कम करने के उद्देश्य से समेकित बाल संरक्षण स्कीम वर्ष 2009-10 में शुरू की गई।

लक्ष्य समूह : आईसीपीएस के क्रियाकलाप निम्नलिखित पर संकेंद्रित हैं:—

- देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे (जैसा कि किशोर न्याय) (देखरेखा और संरक्षण अधिनियम, 2000 में सूचीबद्ध है)।
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे जिन पर अपराध के आरोप लगाए गए हैं/जिन्होंने अपराध किया है।
- कानून के संपर्क में बच्चे; जो पीड़ित, गवाह या किसी अन्य परिस्थिति के कारण कानून के संपर्क में आए हैं।
- अन्य कोई असुरक्षित बच्चा उदाहरण प्रवासी परिवारों के बच्चे, बेघर बच्चे, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बाल भिखारी, शोषित/खरीदे या बेचे गए/नशीली दवा के सेवन से प्रभावित बच्चे, कैदियों के बच्चे, वेश्या महिला के बच्चे और एचआईवी/एड्स से प्रभावित/ संक्रमित बच्चे।

मुख्य घटक : आईसीपीएस के अंतर्गत सुदृढ़/शुरू की गई और जिसके लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, वे सेवाएं इस प्रकार हैं:

क. संस्थागत सेवाएं : आश्रय गृह, बाल गृह, सुधार गृह, विशेष गृह और विशेष जरूरत वाले बच्चों (विकलांग और एचआईवी/एड्स से प्रभावित बच्चे) के लिए विशेषीकृत सेवाएं।

ख. केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर उपर्युक्त सेवाओं के लिए सेवा प्रदायगी संरचना।

ग. चाइल्डलाइन के द्वारा कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए आकस्मिक सेवाओं की सुलभता।

घ. शहरी और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद बच्चों के लिए मुक्त आश्रय।

ङ. प्रायोजन, पालन-पोषण, दत्तक ग्रहण और पश्च-देखरेख कार्यक्रम द्वारा परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखरेख।

च. आवश्यकता आधारित/अभिनव उपायों के लिए सामान्य सहायतानुदान।

ज. गुमशुदा बच्चों के लिए वेबसाइट सहित बाल खोज प्रणाली।

2. **कार्यान्वयन की स्थिति — घटक और उपलब्धियां**

वित्तीय वर्ष 2009-10 से इस स्कीम का क्रियान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जा रहा है। इस स्कीम के क्रियान्वयन हेतु जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

इस स्कीम के अंतर्गत 26 मार्च, 2012 तक घटक-वार हासिल की गई मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

घटक	26 मार्च, 2012 तक संचयी उपलब्धियां
1	2
किशोर न्याय बोर्डों की स्थापना	548 जिलों में स्थापित
बाल कल्याण समितियों की स्थापना	561 जिलों में स्थापित

1	2
राज्य बालक संरक्षण सोसायटी की स्थापना	23 राज्यों में स्थापित
राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना	18 राज्यों में स्थापित
जिला बालक संरक्षण यूनिटों की स्थापना	438 जिलों में स्थापित
चाइल्ड लाइन सेवा का विस्तार	201 शहरों/जिलों में प्रचालनरत
मुक्त आश्रयों की स्थापना और रखरखाव	100 मुक्त आश्रयों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।
विभिन्न प्रकार के गृहों की स्थापना और रखरखाव	815 विभिन्न प्रकार के गृहों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।
विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों की स्थापना	189 विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

विवरण-II

समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को संस्वीकृत राज्यवार असहायतानुदान

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संस्वीकृत राशि (रुपये लाख)		
		2009-10	2010-11	2011-12 (26.03.2012 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	504.90	902.54	2038.24
2.	असम	129.92	301.79	—
3.	बिहार	—	604.58	115.22
4.	छत्तीसगढ़	206.13	—	—
5.	गुजरात	269.42	490.54	626.37
6.	हरियाणा	25.89	371.86	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	314.47
8.	झारखंड	—	—	420.67
9.	कर्नाटक	203.11	381.67	1385.13
10.	केरल	149.16	320.21	333.33
11.	मध्य प्रदेश	481.62	—	240.31
12.	महाराष्ट्र	—	3730.28	1174.79
13.	मणिपुर	105.42	202.29	216.16
14.	मेघालय	—	102.13	211.25
15.	मिजोरम	—	195.36	—
16.	नागालैंड	190.12	—	942.51
17.	ओडिशा	146.42	545.38	546.98
18.	पंजाब	—	—	574.65
19.	राजस्थान	225.07	332.47	566.55

1	2	3	4	5
20.	सिक्किम	—	—	88.94
21.	तमिलनाडु	193.12	447.65	1276.56
22.	त्रिपुरा	—	221.40	198.38
23.	उत्तर प्रदेश	—	—	2142.25
24.	पश्चिम बंगाल	500.86	186.83	1205.52
25.	चंडीगढ़	—	—	17.96
26.	दिल्ली	—	237.29	341.93
27.	पुदुचेरी	—	107.22	—
	कुल	3390.75	9681.49	14978.17

न्यूनतम समर्थन मूल्य 645-46

2912. श्री खगेन दास : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय कार्य मंत्रालय ने योजना आयोग को वन उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मंत्रालय का वन उत्पादों के वास्तविक मूल्य निर्धारण हेतु भारतीय जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) को शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) तथा (ख) डॉ. टी. हक समिति की रिपोर्ट के आधार पर 13 महत्वपूर्ण लघु वन उपज (एमएफपी) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के निर्धारण के लिए प्रस्ताव योजना आयोग, पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा राज्य सरकारों इत्यादि के परामर्श में विचाराधीन है। डॉ. टी. हक समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिए सदस्य सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति ने चयनित लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रचालन हेतु कुछ कदम उठाने की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) डॉ. टी. हक समिति की सिफारिशों के अनुसार भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) लघु वन उपज के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय मूल्य निर्धारण आयोग की प्रौद्योगिकी समर्थन इकाई के रूप में कार्य करेगी। ट्राइफेड तीव्र संग्रह तथा बाजार सूचना के प्रसार के लिए राष्ट्रव्यापी सूचना नेटवर्क भी विकसित भी करेगी।

बैंकों में पदोन्नति 646

2913. श्री पी.टी. थॉमस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने क्षेत्र विकलांगता वाले कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु एक समान नीति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में दृष्टिबाधित कर्मचारियों की संख्या का राज्य-वार, बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पदोन्नति परीक्षा/साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति दिए गए ऐसे कर्मचारियों का राज्य-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के लिए पदों/सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से जिसमें नेत्रहीन व्यक्ति भी शामिल हैं, विकलांग व्यक्तियों की पदोन्नति से संबंधित भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

647

बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2914. श्री राधा मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों के बैंक कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त बैंकों के बैंक कर्मचारियों को कब तक उक्त प्रस्ताव (ऑफर) दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

647-48

आवास ऋण

2915. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्टांप शुल्क, निबंधन शुल्क एवं अन्य शुल्कों को कुल आवास ऋण लागत से हटाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर बैंकिंग उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह सूचित किया है कि बैंकों को एकरूपता बनाए रखने के लिए उनके द्वारा वित्तपोषित आवासीय सम्पत्ति की लागत में स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण और अन्य दस्तावेज संबंधी प्रभार शामिल न करने की सलाह दी गई थी।

यह एक विवेकसम्मत बैंकिंग विनियमन प्रचार है।

इस मामले में कोई भी टिप्पणी/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

रेटिंग एजेंसियां

648-49

2916. श्री मनोहर तिरकी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वर्तमान में कार्यरत रेटिंग एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वास्तविक आधार पर रेटिंग प्रदान करने में असफलता हेतु जबावदेही सहित इन एजेंसियों को प्रदत्त लाइसेंसों में इनके लिए प्रमुख उत्तरदायित्व क्या हैं;

(ग) प्राधिकारियों के आचरण को शासित करने वाले संगत नियमों/दिशानिर्देशों को दर्शाते हुए उनका ब्यौरा क्या है जो रेटिंग एजेंसियों के संचालन पर नजर रखते हैं;

(घ) भारत में रेटिंग एजेंसियों के प्रादुर्भाव के बाद से रेटिंग एजेंसियों द्वारा कंपनियों/वित्तीय लिखतों को दी गई अवास्तविक रेटिंग, यदि कोई हो तो उसके उदाहरण क्या हैं; और

(ङ) संबद्ध मामलों में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) वर्तमान में छः क्रेडिट दर निर्धारण सेबी के साथ पंजीकृत हैं, नामतः—

1. क्रिसिल लिमिटेड
2. फिच रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3. आईसीआरए लिमिटेड
4. क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (केयर)
5. ब्रिकवर्ड रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6. एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्मेरा)

(ख) (i) सेबी (क्रेडिट दर निर्धारण अभिकरण) विनियम, 1999 एक व्यापक आचार संहिता निर्धारित करते हैं, जिसका अनुपालन सभी सेबी पंजीकृत दर निर्धारण अभिकरणों द्वारा किया जाना है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि क्रेडिट दर निर्धारण अभिकरण

दर-निर्धारण प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता और स्वतंत्रता को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए सदैव सम्यक तत्परता बरतेगा, उचित देखभाल सुनिश्चित करेगा और स्वतंत्र व्यावसायिक निर्णय की कवायद करेगा।

(ii) सेबी ने क्रेडिट दर निर्धारण अभिकरणों के लिए अर्द्ध-वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा को अनिवार्य बनाया है, जिसमें निवेशक शिकायत निवारण तंत्र और प्रतिभूति कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन सहित सीआरए प्रचालनों और प्रक्रियाविधियों के सभी पहलू शामिल हैं। क्रेडिट दर निर्धारण अभिकरणों के निदेशक मंडल से अपेक्षित है कि वह रिपोर्ट पर विचार करे और कमियों को सुधारने के लिए समुचित उपाय करे और क्रेडिट दर निर्धारण अभिकरण की गई कार्रवाई रिपोर्ट सेबी को भेजें।

(iii) सेबी ने क्रेडिट दर निर्धारिण अभिकरणों के लिए विभिन्न पारदर्शिता और प्रकटन अपेक्षाएं निर्धारित की हैं। ये विभिन्न प्रकटनों यथा दर निर्धारण प्रक्रिया, व्यक्तिक्रम अध्ययन, दर निर्धारण सेवाओं और दर निर्धारण भिन्न सेवाओं से प्राप्त आय, हित टकराव को सुलझाने के लिए उपाय, संरचित उत्पादों के दर निर्धारण के संबंध में दायित्वों, अनचाहे क्रेडिट दर निर्धारण आदि की व्यवस्था करती हैं। सेबी ने दर निर्धारण चिह्नों और परिभाषाओं का मानकीकरण भी किया है जिनका अनुपालन क्रेडिट दर निर्धारण अभिकरणों द्वारा एक समान रूप से किया जाएगा।

(ग) क्रेडिट दर निर्धारण अभिकरण सेबी अधिनियम, 1992 के तहत यथापेक्षितानुसार सेबी द्वारा विनियमित किए जाते हैं।

क्रेडिट दर निर्धारण अभिकरण सेबी (क्रेडिट दर निर्धारण अभिकरण) विनियम, 1999 के प्रावधानों और उनके तहत जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों द्वारा शामिल हैं।

(घ) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, ऐसी किसी मामले का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

सीजीएचएस में सूचीबद्ध अस्पताल (47 ·52

2917. श्री विजय बहुगुणा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) दिल्ली में उन अस्पतालों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सूची से हटा दिया गया है एवं इसके क्या कारण हैं;

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) दिल्ली में उन अस्पतालों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सूची से हटा दिया गया है एवं इसके क्या कारण है;

(ग) सीजीएचएस में अग्रमी अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के लिए क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं;

(घ) क्या सीजीएचएस केन्द्रों में डॉक्टरों एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी डिस्पेंसरी-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार सूचीबद्ध अस्पतालों एवं निदान केन्द्रों में वरिष्ठ नागरिकों का उपचार कराने हेतु योजना बनाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

निजी अस्पतालों की उनके नाम व पतों सहित विस्तृत सूची सीजीएचएस की वेबसाइट *http://mostransparent.nicin/cghanew/index.asp* पर उपलब्ध है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिल्ली (एनसीआर) के किसी भी अस्पताल की सीजीएचएस की सूची से नहीं हटाया गया है।

(ग) दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अग्रणी अस्पताल पहले ही सीजीएचएस के अधीन सूचीबद्ध हैं। सतत सूचीबद्ध योजना का बार-बार विस्तार किया गया है ताकि सीजीएचएस शहरों और एनसीआर क्षेत्र के सभी विख्यात अस्पताल पैनल में शामिल किए जाने के लिए आवेदन कर सकें।

(घ) जी, हां। सीजीएचएस दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के औषधालयों/केंद्रों में डॉक्टरों की कमी है यद्यपि संविदा के आधार पर डॉक्टरों को नियुक्त करके इस कमी को दूर किया गया है।

(ङ) इस प्रकार सीजीएचएस में औषधालयवार स्वीकृत पद नहीं हैं। डॉक्टरों को औषधालयों में रोगियों की उपस्थिति और इस संबंध में एसआईयू मानदंडों के आधार पर नियुक्त किया गया है। आज तक की स्थिति के अनुसार, सीजीएचएस, दिल्ली और एनसीआर में 665 स्वीकृत पदों में से सामान्य ड्यूटी चिकित्सकों के लगभग 110 पद रिक्त पड़े हुए हैं। आज की स्थिति के अनुसार, विशेषज्ञों के 126 पदों में से 11 पद रिक्त पड़े हुए हैं।

(च) और (छ) वरिष्ठ नागरिक सीजीएचएस कार्ड धारक पेंशनर हैं, उन्हें सीजीएचएस सूचीबद्ध निजी अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों में नकद रहित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। मंत्रालय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई नई योजना विचाराधीन नहीं हैं।

विवरण

सूचीबद्ध निजी अस्पतालों एवं नैदानिक केन्द्रों की सूची

राज्य	शहर	सूचीबद्ध अस्पताल	नैदानिक केंद्र
1	2	3	4
दिल्ली	दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	108	35
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	52	10
असम	गुवाहाटी	2	5
बिहार	पटना	8	4
गुजरात	अहमदाबाद	8	3
कर्नाटक	बंगलूरू	32	6
झारखंड	रांची	3	शून्य
केरल	त्रिवेन्द्रम	2	1
मध्य प्रदेश	भोपाल	12	2
	जबलपुर	23	9
महाराष्ट्र	मुम्बई	26	7
	नागपुर	28	5
	पुणे	36	4
ओडिशा	भुवनेश्वर	4	शून्य
राजस्थान	जयपुर	25	4
तमिलनाडु	चेन्नई	18	2
उत्तराखंड	देहरादून	5	3
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	12	3
	कानपुर	28	14
	लखनऊ	18	9
	मेरठ	16	2
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	12	5
चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	चंडीगढ़	7	5
कुल		485	138

[हिन्दी]

ऋण वसूली कानून

2918. **श्री गणेश सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऋण की वसूली हेतु अनन्य रूप से कानून बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान के उपबंधों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बेंच मार्क सर्वेक्षण

2919. श्री सुरेश कलमाडी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 2010-11 के लिए जनजातियों का बेंच मार्क सर्वेक्षण कराने हेतु धनराशि जारी करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार को कब तक धनराशि जारी किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एमडीआर-टीबी संबंधी राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े

2920. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बहु औषधि-रोधी तपेदिक (एमडीआर-टीबी) के संबंध में राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों को संग्रह करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में एमडीआर-टीबी संबंधी राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों के संग्रह के क्रम में अध्ययन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में औषधि प्रतिरोधी निगरानी (डीआरएस) अध्ययन शुरू की है। औषधि प्रतिरोधी निगरानी अध्ययनों के अनुसार, नए तथा पुनः उपचार के मामलों में एमडीआर-टीबी का प्रतिशत निम्न में दिया गया है:—

राज्य	नए मामले	पुनः उपचार के मामले
गुजरात	2.4%	17.2%
महाराष्ट्र	2.7%	12.4%
आंध्र प्रदेश	2.1%	12%

(ग) और (घ) एमडीआर-टीबी की जांच और निदान सहित औषधि-प्रतिरोधी क्षय रोग सेवाओं के योजनागत प्रबंधन की सभी राज्यों में शुरूआत की गई है जिसके कारण देश में एमडीआर-टीबी मामलों संबंधी नेमी सूचना के संग्रहण में सुगमता आती है।

अपतटीय पवन ऊर्जा

2921. श्रीमती अन्नू टन्डन :
श्री एम. आनंदन :
श्री ए.के.एस. विजयन :

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन की व्यवहार्यता संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में ऐसे स्थानों की पहचान की है जहां प्रभावी औष्र किफायती रूप से अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन संयंत्र लगाए जा सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में उद्यमियों को परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं। तथापि, सी-वैट के अध्ययनों सहित इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसियन इंफोर्मेशन सर्विसिस जैसे कुछ संगठनों के पास उपलब्ध डाटा के आरंभिक विश्लेषण बताते हैं कि तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्र में अपतटीय पवन ऊर्जा संभाव्यता हो सकती है। मंत्रालय द्वारा अपतटीय पवन क्षेत्रों और उनकी संभाव्यता की पहचान करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के पास उपलब्ध अपतटीय पवन डाटा का विश्लेषण करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। तथापि, इसे 1-2 वर्षों का पवन गति डाटा मापने के लिए अपतटीय मस्तूल स्थापित करके वैधीकृत करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आवश्यक आधार के प्रकार का मूल्यांकन करने के लिए समुद्र के अधस्थल का विश्लेषण प्रदान की भी आवश्यकता होगी।

(ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सिक्कों की कालाबाजारी

2922. श्री पी. विश्वनाथन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी समूहों या व्यक्तियों द्वारा सिक्के ढाले जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट मंत्रालय को मिली है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में की गयी/प्रस्तावित कार्रवाई क्या है;

(ग) विभिन्न मूल्य वर्गों के सिक्कों की कमी से बचने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या मंत्रालय को सिक्कों की कालाबाजारी संबंधी कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में की गयी/प्रस्तावित कार्रवाई क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) मंत्रालय को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुम्बई में एक ऐसी घटना की सूचना दी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह मामला पुलिस आयुक्त, मुम्बई को सौंपा गया है।

(ग) जनता को सिक्कों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक 19 स्थानों पर अपने काउंटरों के साथ-साथ विभिन्न बैंक शाखाओं के काउंटरों के माध्यम से सिक्के वितरित करता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने चुनिन्दा स्थानों पर सिक्कों के वितरण हेतु मासिक पारिश्रमिक पर डाकघरों की सेवाएं भी ले रखी हैं। बैंकों को सिक्का बिक्री मशीनों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

(घ) और (ङ) इस मंत्रालय को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले एक वर्ष में उन्हें सात इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके फील्ड कार्यालय ऐसे आरोपों में पूछताछ करके तथा पुलिस प्राधिकारियों से संपर्क करके कार्रवाई करते हैं।

बैंक अनुषंगी इकाईयों का विनियमन

2923. श्री एम. आनंदन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार वर्तमान विनियमन के अनुसार बैंक की अनुषंगी इकाईयों का विनियमन करने का है क्योंकि बैंकिंग विनियामक केवल बैंक की अनुषंगी इकाइयों की निगरानी कर सकता है, अधीन नहीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय को ऐसी इकाईयों का पर्यवेक्षण करने में आरबीआई को समर्थ करने के लिए आरबीआई अधिनियम संबंधी कानूनों में सुधार करने का कोई प्रस्ताव हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) सरकार ने 22 मार्च, 2011 को लोक सभा में बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 पेश किया है। विधेयक में अन्य बातों

के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को यह शक्ति देने की मांग भी की गई है कि वह (आरबीआई) अपने एक या अधिक अधिकारी/अधिकारियों या कर्मचारी/कर्मचारियों या अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी बैंकिंग कंपनी के किसी सहयोगी उद्यम का और उसकी खाता बहियों का निरीक्षण करे।

जनजातीय सशक्तीकरण और आजीविका परियोजना

2924. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में असम सहित जनजातीय बहुल ब्लॉकों में विदेशी सहायता से कार्यान्वित की जा रही जनजातीय सशक्तीकरण और आजीविका परियोजना के क्रियान्वयन की राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख) देश मे असम सहित जनजातीय क्षेत्रों के तेज विकास के लिए प्रारंभ की जाने वाली अन्य ऐसी ही केन्द्रीय वित्तपोषित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार को मंजूर तथा उनके द्वारा उपयोग की गयी राशि क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कोई समान केन्द्रीय निधिपोषित परियोजना शुरू करना प्रस्तावित नहीं है।

विद्युत क्षेत्र में लोकपाल

2925. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली संबंधी अपीलीय प्राधिकरण ने उपभोक्ता हितों के लिए लोकपाल के रूप में स्वतंत्र व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए सभी राज्य विद्युत विनियामक आयोग को निर्देश दिए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों ने उपभोक्ता हितों के लिए लोकपाल नियुक्त किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 27.1.2012 के आदेश के माध्यम से 2008 की अपील संख्या 181 में स्वत: संज्ञान कार्यवाहियों में, अपीलीय ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (एपीटीईएल) ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लोकपाल के रूप में एक स्वतंत्र व्यक्ति की नियुक्ति हेतु सभी राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) को निर्देश दिया है। आदेश का संबंधित सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(6) के अनुसार, लोकपाल को राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा नियुक्त अथवा पदनामित किया जाता है। केन्द्र सरकारर ने दिनांक 3.3.2009 और 8.4.2009 के पत्र के माध्यम से संबंधित राज्यों में लोकपाल की स्थापना के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) के साथ भी मामले को उठाया है।

विनियामक फोरक (एफओआर) सचिवालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में लोकपालों की नियुक्ति की गई है।

विवरण

पैरा-12 : आरंभ में यह नोटिस किया गया था कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में विनियामक आयोगों का भी गठन नहीं किया गया था। हमारे आवधिक अंतरिम निर्देशों के आधार पर, विनियामक फोरम के सचिव ने सभी आयोगों से शीघ्रता से संपर्क किया था और सुनिश्चित किया कि उपभोक्ता शिकायत निपटारा फोरम स्थापित किया गया था और लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। तथापि, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में विनियामक आयोगों के गठन में विलंब हुआ था। अत: हमने बिना किसी विलंब के अधिनियम के अंतर्गत दी गई प्रक्रिया के अनुसार अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर विनियामक आयोग के गठन हेतु सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिवों को विशेष निर्देश दिए हैं। ***कुछ सुनवाईयों***

पर हमारे ध्यान में यह लाया गया था कि कुछ राज्यों में, आयोग से संबद्ध निदेशक या अधिकारी को लोकपाल के रूप में पदनामित किया गया है। उन आयोगों को हमने एक पृथक लोकपाल की नियुक्ति का निर्देश दिया है क्योंकि लोकपाल को स्वतंत्र रूप से कार्य करना होता है। कुछ अवसरों पर हमें सिक्किम सरकार के सचिव तथा अरुणाचल प्रदेश सरकार के सचिव को बुलाना पड़ा और उनके अपने-अपने राज्यों में राज्य आयोग के गठन में असफल रहने के संबंध में उनका स्पष्टीकण मांगना पड़ा। उन्होंने निदेशों के अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय मांगा। तद्नुसार उन्हें समय दिया गया था। किन्तु फिर भी उक्त आदेशों का समय पर अनुपालन नहीं किया गया है।

पैरा 18: इस पृष्ठपट में, हम सीजीआरएफ और लोकपाल की प्रभावी कार्यशैली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने दायित्वों के प्रति सचेत एवं सतर्क रहने के लिए सभी राज्य/संयुक्त आयोगों और सभी लाइसेंसियों को निर्देश देते समय इन स्वत: संज्ञान कार्यवाहियों को खत्म चाहते हैं, अब हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं और हमने अपने पूर्व आदेशों में भी दर्शाए हैं।

(घ) ***लोकपाल एक पृथक निकाय होता है। उसे सभी मामलों का स्वतंत्र रूप से निर्णय करना होता है और उसे राज्य आयोग से स्वतंत्र कार्य करना चाहिए। लोकपाल उपभोक्ताओं तथा अन्यों के मामलों के निपटारे हेतु स्वतंत्र निर्णायक भूमिका निभाता है और इसलिए उसे आयोग में कोई अन्य पद धारित नहीं करना चाहिए।*** तद्नुसार, आयोग तथा विनियामक फोरम के सचिव को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोकपाल के रूप में स्वतंत्र व्यक्ति की नियुक्ति समय पर की जाती है ताकि वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके जैसा कि दिनांक 11.2.2010 और 15.4.2010 के आदेशों द्वारा पहले ही निर्देशित किया जा चुका है।

659-60

नवीकरणीय ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग प्रणाली

2926. श्री बाल कुमार पटेल : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के कार्यकरण के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर अर्थात् नवीकरणीय ऊर्जा नेटवर्क (आर.ई. नेट) स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सुविधा प्रबंधन सेवा (एफएमसी) के लिए कोई एजेंसी नियुक्त की है तथा इस उद्देश्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा इलेक्ट्रोनिक प्रोसेसिंग प्रणाली (आरईईपीएस) को शामिल किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आरईईपीपीएस का समुचित उपयोग मंत्रालय तथा राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है;

(च) क्या सॉफ्टवेयर आरईनेट ने अपने परिकल्पित उद्देश्य हासिल किए हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) से (घ) परियोजनाओं और कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग और अक्षय ऊर्जा डाटा बेस का सृजन करने हेतु डाटा के ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक फ्लो के लिए भारत सरकार की उस समय की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कम्प्यूटर मेंटेनेन्स कॉरपोरेशन (सीएमसी) लिमिटेड को सन् 1999 में अक्षय ऊर्जा नेटवर्क (आरईएनईटी) की स्थापना पर एक परियोजना सौंपी गई थी। सॉफ्टवेयर का विकास, आरईएनईटी का कार्यान्वयन और परीक्षण और ओरेकल सर्वर एडीशन की स्थापना का कार्य सीएमसी द्वारा पूरा किया गया। तद्नुसार आरईएनईटी के प्रबंधन और अक्षय ऊर्जा डाटाबेस के सृजन और 'अक्षय ऊर्जा इलेक्ट्रोनिक प्रोसेसिंग प्रणालियों (आरईईपीएस)' के लिए सुविधा प्रबंधन सेवाओं हेतु सीएमसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सीएमसी ने सुविधा प्रबंधन हेतु तकनीकी मानव शक्ति उपलब्ध कराई और साथ ही आरईएनईटी के माध्यम से एजेंसियों से परियोजना प्रस्तावों की ऑनलाइन प्राप्ति का समेकन करने और उनकी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोसेसिंग हेतु अक्षय ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग प्रणाली भी विकसित की। कुछ क्षेत्र परीक्षण भी किए गए।

(ङ) से (छ) जी, नहीं, आरईएनईटी और आरईईपीएस सॉफ्टवेयर वैब समर्थ अनुप्रयोगों हेतु एमएनआरई सर्वर पर विकसित और होस्ट किए गए। उपयोगकर्त्ताओं से इनका प्रयोग करने का अनुरोध किया गया। तथापि सॉफ्टवेयर का मंत्रालय में कभी भी मामलों की प्रोसेसिंग के लिए पूर्णत: उपयोग नहीं किया गया। साथ ही यह पाया गया कि सॉफ्टवेयर की गति अत्यंत धीमी थी और मंत्रालय के कार्य के लिए उपयुक्त बनाने हेतु सॉफ्टवेयर में एक व्यापक सुधार की जरूरत थी। इसके अतिरिक्त, समय के साथ-साथ आईटी और सॉफ्टवेयरों की दक्षता में काफी उन्नति हुई है और यह पाया गया कि नए उपकरणों के साथ आरईएनईटी की अपग्रेडिंग करने में अत्यधिक समय लगेगा और महंगा रहेगा।

मानव अंगों के दान को सरल बनाना

2927. **श्री सी.आर. पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मानव अंगों के दान को सरल करने के लिए केन्द्रीय प्रापण और वितरण संगठन प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रापण और वितरण संगठन दान किए गए मानव अंगों के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) क्या मानव अंगों के प्रत्यारोपण नहीं होने के कारण भारत में प्रति वर्ष मर रहे लाखों लोगों की जिन्दगी बचाने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार मानव अंग दान करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार तथा चिकित्सीय जांच उपलब्ध कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) देश में एक राष्ट्रीय अंग प्राप्ति बैंक संगठन, पहले से ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में कार्य कर रहा है जिसका प्रयोजन अंगदान को प्रोत्साहित करना, निष्पक्ष तथा समान वितरण और मानव अंगों का इष्टतम उपयोग करना है। इसके अतिरिक्त सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एक मॉडल अंग अधिप्रापण और वितरण संगठन को भी स्थापित किया जा रहा है ताकि इसे अन्य प्रत्यारोपण केंद्रों के साथ जोड़ा जा सके। उसी परिसर में एक जैव सामग्री केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है जो अधिप्रापण, बैंकिंग और मानव उत्तकों के संग्रहण (बैंकिंग) और वितरण के क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

(घ) चिकित्सीय प्रयोजकों हेतु मानव अंगों को हटाने के लिए, भंडारण और प्रत्यारोपण करने के लिए एक प्रणाली मुहैया कराने के लिए भारत सरकार ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 तथा मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम को अधिनियमित किया है। संशोधन अधिनियम, 2011 ने दादा-दादी, पोता-नाती को शामिल करते हुए निकट संबंधियों की गुंजाइश का विस्तार किया है और अधिनियम के अंतर्गत ऊत्तकों को भी शामिल किया गया है। मृत्य व्यक्तियों के अंग दान का प्रोत्साहित करने और इसे सुकर बनाने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतपालों में प्रत्यारोपण समन्वयकों की नियुक्ति की व्यवस्था संशोधित अधिनियम में दी गई है।

(ङ) और (च) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

एनबीएफसी संदेह के घेरे में

2928. **श्री प्रहलाद जोशी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत कुल गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान संदेह के घेरे में रहे एनबीएफसी की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन एनबीएफसी से संबंधित कुल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत कुल गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	एनबीएफसी की संख्या
2008-09	82
2009-10	84
2010-11	64
2011-12 (27.03.2012 की स्थिति के अनुसार)	32

(ख) एनबीएफसी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचित किए गए अनुसार धोखाधड़ी का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	सूचित कुल मामले	शामिल राशि (करोड़ रु.)
2009	30	4.96
2010	140	2.19
2011	35	10.21

आरबीआई ने यह सूचित किया है कि धोखाधड़ी कर्मचारियों द्वारा की गई। ये धोखाधड़ी द्वारा नकदी के दुर्विनियोजन, प्राप्तियों में हेराफेरी, खर्च के दावे, जाली ऋण दस्तावेज, दस्तावेज में हेराफेरी, लापरवाही और नकदी की कमी आदि से संबंधित हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान एनबीएफसी द्वारा सूचित किए गए अनुसार एनपीए के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(राशि करोड़ रुपए)

समाप्त वर्ष	सकल एनपीए	कुल अग्रिम	सकल एनपीए अनुपात (%)
मार्च, 2009	11,760	4,17,254	2.80%
मार्च, 2010	12,951	5,00,130	3.10%
मार्च, 2011	10,290	6,21,731	2.46%

टिप्पणी: एनबीएफसी वाले जमा तथा गैर-जमा से संबंधित आंकड़े, जिसमें परिसम्पत्ति का आकार 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक का है।

[हिन्दी]

113-64

कर संग्रह

2929. डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री पी. विश्वनाथन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 2011 से फरवरी, 2012 के बीच की अवधि के दौरान देश में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के अनुमानित संग्रह की तुलना में वास्तविक संग्रह क्या हैं;

(ख) इसमें यदि कोई कमी है, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त वृद्धि में सेवा क्षेत्र, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से संग्रहित करों का अलग-अलग कितना प्रतिशत योगदान है; और

(घ) क्या सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था पर उक्त क्षेत्रों द्वारा किए गए योगदान के प्रभाव का आकलन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) अप्रैल, 2011 से फरवरी, 2012 के बीच की अवधि के दौरान देश के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के अनुमानित संग्रह की तुलना में वास्तविक संग्रह निम्न प्रकार है:—

प्रत्यक्ष कर

अनुमान 2011-12

(करोड़ रुपए)

बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	संग्रहित राशि (फरवरी, 2012 तक)
532651	500660	368534

अप्रत्यक्ष कर

अनुमान 2011-12

(करोड़ रुपए)

बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	संग्रहित राशि (फरवरी, 2012 तक)
397815.56	398695.59	328915.31

(ख) चूंकि वित्तीय वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए अभी इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि संशोधित अनुमान 2011-12 की तुलना में कोई कमी होगी अथवा नहीं।

(ग) अप्रैल, 2011 से फरवरी, 2012 के दौरान एकत्रित कुल अप्रत्यक्ष करों में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित नहीं किये जा रहे उपकरों को छोड़कर) तथा सेवा कर

का योगदान क्रमशः 135206.19 करोड़ रुपये (41.1%), 116180.01 करोड़ रुपये (35.3%) तथा 77529.11 करोड़ रुपये (23.6%) है।

(घ) वर्ष 2011-12 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का भाग 59.0 प्रतिशत रहा जबकि कृषि एवं उद्योग का भाग क्रमशः 13.9 प्रतिशत एवं 27.0 प्रतिशत रहा।

665-66

द्वितीयक स्वास्थ्यचर्या प्रणाली का उन्नयन

2930. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण अस्पतालों में राज्य स्वास्थ्यचर्या परियोजनाओं के अंतर्गत द्वितीयक स्वास्थ्यचर्या प्रणाली के उन्नयन हेतु विश्व बैंक सहायता का उपयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अस्पताल परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) इस समय विश्व बैंक, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजनाओं का वित्त प्रबंधन कर रही है। कर्नाटक स्वास्थ्य प्रणाली विकास तथा सुधार परियोजनाओं के लिए स्वीकृत ऋण राशि 725.17 करोड़ रुपए (लगभग), राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना के लिए 455.06 करोड़ रुपए (लगभग), तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना के लिए 566.67 करोड़ रुपए (लगभग) और तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त-पोषण 598.22 करोड़ रुपए (लगभग) है। इन परियोजनाओं में जिले उप-जिला स्तर पर पूर्व-विद्यमान स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र की क्षमता में वृद्धि करना शामिल है।

666-67

महिलाओं को नाबार्ड द्वारा सहायता

2931. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र में पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों में रह रही महिलाओं को नाबार्ड द्वारा उसके कार्यक्रमों के माध्यम से कितनी सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों की कुल संख्या कितनी है तथा उक्त अवधि के दौरान कितनी महिलाओं को सहायता प्रदान की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) नाबार्ड वर्ष 2005-06 से जनजातीय विकास निधि (टीडीएफ) के जरिए जनजातीय समुदायों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करता रहा है। पिछले तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान पूरे देश में तथा महाराष्ट्र में टीडीएफ परियोजनाओं में नाबार्ड की सहायता का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या (देश में)	संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या (महाराष्ट्र में)	कवर परिवारों की संख्या (देश में)	कवर परिवारों की संख्या (महाराष्ट्र में)	संस्वीकृत नाबार्ड टीडीएफ सहायता (देश में) (करोड़ रु.)	संस्वीकृत नाबार्ड टीडीएफ सहायता (महाराष्ट्र में) (करोड़ रु.)
2008-09	74	2	61924	2150	202.87	4.90
2009-10	79	4	63113	3750	236.19	12.10
2010-11	16	12	15664	12617	62.44	47.25
2011-12 (29.02.2012 तक)	54	4	43737	5225	169.61	20.79
संचयी आरंभ से अर्थात् 2005-06	371	22	294230	23472	1087.20	85.04

महिला विकास टीडीएफ कार्यक्रमों का एक मुख्य घटक है जिसका उद्देश्य जनजातीय महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना तथा उनका सशक्तिकरण करना है। महिला विकास के अंतर्गत मध्यवर्तियों में प्रशिक्षण और क्षमता वर्द्धन के लिए सहायता, जागरुकता एसएचजी संबर्द्धन, आयसृजन कार्यकलाप आदि शामिल हैं।

[अनुवाद] 667-76

ग्रामीण व्यवसाय हब (आरबीएच) स्कीम

2932. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण व्यवसाय हब (आरबीएच) योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा दिशा-निदेश क्या हैं एवं इसके क्रियान्वयन के लिए चयनित पंचायतों की संख्या कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों तथा इसके अंतर्गत राज्यों को आवंटित/जारी की गयी धनराशि तथा व्यय की गई राशि राज्य-वार कितनी है;

(घ) देश के ग्रामीण लोगों के लिए यह योजना किस हद तक लाभदायी है तथा इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ङ) क्या सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा परिणाम क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक सहभागी विकास मॉडल जिसे कि 4पी अर्थात् पब्लिक प्राइवेट पंचायत पार्टनरशिप के प्लेटफार्म पर तैयार किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में उपलबध कच्चे सामग्रियों/कौशलों का उपयोग कर व्यवसाय को प्रोत्साहन देने हेतु इस केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को कार्यान्वित कर रहा है। यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों के संसाधनों/कौशलों के दोहन एवं उद्योग जगत की तकनीकी/विपणन कौशलों के उपयोग से तीव्र गति से हो रहे आर्थिक विकास के लाभों को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के सभी समुदायों को लक्षित करता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को सशक्तिकृत पंचायती राज संस्थाओं की मध्यस्थता/उनके द्वारा सुकर बनाने के माध्यम से पूरा किया जाता है। यह स्कीम सभी बीआरजीएफ जिले एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के जिले में अनुप्रयोज्य है। इस स्कीम के तहत, पंचायती राज मंत्रालय व्यवहार्य आरबीएच परियोजना के लिए सांकेतिक वित्तीय सहायता (25 लाख रुपए से अधिक नहीं) प्रदान करता है एवं शेष परियोजना लागत को अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार स्कीमों/वित्तीय संस्थानों/कार्यान्वयक संगठनों इत्यादि के माध्यम से अभिसरित किया जाना है। विस्तृत दिशानिर्देश राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल *http://panchayat.gov.in/rbh.* पर उपलब्ध है।

(ग) विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान अनुमोदित प्रस्तावों एवं सूचित व्यय के साथ जारी की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) 11वीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में 69 परियोजनाओं को जारी की गई वित्तीय सहायता कुल मिलाकर 6.85 करोड़ रुपए के बराबर रही है। अधिकांशतः कशीदाकारी इकाईयों, सब्जी एवं वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, जरी शिल्प, हस्तकरघा बुनाई इत्यादि से संबंधित आय सृजित करने वाली गतिविधियों के लिए निधियां उपलब्ध कराई गई हैं जिससे कि विपणनीय समानों के उत्पादन हेतु स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों एवं कौशलों का उपयोग किया जा सके। कुल मिलाकर इन गतिविधियों से वृहत्तर बाजार तक पहुंच के माध्यम से ग्रामीण कारीगरों/उत्पादकों को लाभकारी रोजगार एवं आय सृजन का अवसर उपलब्ध हुआ है।

(ङ) और (च) जी, हां। पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2011 में मैसर्स इंटरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टिच्यूट ऑफ इंडिया, अहमदाबाद के माध्यम से कार्यक्रम का मूल्यांकन कराया था। मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:—

(1) कार्यान्वित परियोजनाओं में से आधी ने अच्छा खासा रोजगार और/या आय का स्रोत उत्पन्न किया है।

(2) व्यवसाय साझेदार को संलग्न करना एवं कुछ हद तक उच्चतर प्रक्रिया/उत्पाद मानकों को लागू करना कार्यनीति के आधार हैं, जिसका अनुपालन कार्यान्वियन एजेंसियों (आईए) ने काफी मात्रा में किया है जबकि पीआरआई के साथ साझीदारी एवं प्रोफेशनल सुविधा प्रदाताओं को संलग्न नहीं करना हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। अभिसरण का प्रयास सीमित पैमाने पर किया गया है।

(3) 75 प्रतिशत परियोजनाओं के मामले में व्यवसाय का विकल्प आयुक्त है। 65 प्रतिशत परियोजना के संबंध में आईए के पास चयनित व्यवसाय की पर्याप्त समझ है, यद्यपि उनमें से कुछ ने इस समझ को परियोजना-प्रतिपादन में कार्यरूप नहीं दिया है।

(4) प्रस्तावों का अभाव है। प्रति परियोजना सहायता की राशि मात्र 7 से 8 लाख रुपए है और यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने में कई कंपनियों/गैर-सरकारी संगठनों को हतोत्साहित करता है। प्रस्ताव की छान-बीन एवं परियोजना का अनुवीक्षण भी इसे आगे बढ़ने से रोकता है।

(5) इस स्कीम के तहत वित्तीय संसाधन अत्यल्प हैं।

(6) सहायता का फोकस ''महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतराल'' है किन्तु अधिकांश परियोजना के अंतर्गत अंतराल अभिचिह्नित नहीं की गई है एवं उन पर ध्यान नहीं दिया गया है।

निष्कर्षों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि 12वीं योजना के पहले वर्ष के उपरांत कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा।

विवरण

अनुमोदित राज्य-वार आरबीएच परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	राशि	आरबीएच की अवस्थिति एवं उत्पाद
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4	8.60	महबूब नगर जिला (मैसर्स स्पैक प्रणाली) ग्रामीण सुविधा रथ
			10.00	मेडक जिला (पएएनआईआईटी) ग्रामीण बीपीओ
			8.50	अनंतपुर जिला (मैसर्स ग्रामीण विकास फोरम) वर्मी कम्पोस्ट
			9.67	अनंतपुर जिला (मैसर्स थाराकरमा ब्राह्मणी महिला मंडल) वर्मी कम्पोस्ट
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	8.80	लोअर सुबनसिरि जिला (मैसर्स नाइको सोसायटी) बनाना चिप्स
3.	असम	4	10.00	हेलाकंडी जिला (डी 1 डब्ल्यूएमएल) जटरोफा
			9.32	बारपेटा जिला (मैसर्स धरती) एरकनट लीफ पलेट
			9.06	गोलाघाट जिला (मैसर्स आईआईई) हैंण्डलूमस
			9.84	उत्तरी काचर जिला (मैसर्स उनी डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोसायटी) घरेलू उत्पाद
4.	बिहार	1	4 65	पालीगज, पटना (जीवीपी) इसन्सैल ऑयल
5.	छत्तीसगढ़	9	8.44	खोंडागांव (साथी) बेल मेटल शिल्प
			8 62	सोनाबल हस्तशिल्प उद्योग, बेल धातु शिल्प

1	2	3	4	5
			8.39	खोंडागांव (बस्तर क्रॉफ्ट) काष्ट शिल्प
			8.44	भौंड, (बस्तर क्रॉफ्ट) काष्ट शिल्प
			8.14	कुम्हारपाड़ा (साथी) गढ़ा लोहा
			8.14	खोंडा गांव (आदर्श शिल्प) बेल धातु
			13.60	सरगुजा जिला (जायपुर रग्स फाउंडेशन) हाथ से बुने कालीन
			12.00	राजगढ़ जिला (डी-1 ऑयल) जटरोपा
			13.60	सरगुजा जिला (जयपुर रग्स फाउंडेशन) हाथ से बुने कालीन
6.	हिमाचल प्रदेश	2	16.00	चंबा जिला (आर्करिटी) कंथा हस्त सिलाई उत्पाद
			16.00	सिरमौर जिला (अलार्करिटी) कंथा हस्त सिलाई उत्पाद
7.	हरियाणा	1	14.58	सिरसा जिला (मैसर्स ग्राम स्वराज संस्थान) कढ़ाई
8.	झारखंड	7	10.00	देवघर जिला (डी-1 विलयमसन) जटरोपा
			9.10	देवघर जिला (जयपुर रग्स) हस्त बुनाई कालीन
			9.96	महुआ (लातेहार) (एड) ईमली
			7.74	पलामू (एड) लाख
			14.54	रांची (जीबीटी) विद्युत उत्पाद एवं वितरण
			9.50	रांची (उद्योगनी) लाख
			9.70	रांची (जीबीटी) बांस शिल्प
9.	कर्नाटक	2	16.65	बदर जिला (जेडपी विदर) विदरी शिल्प
			3.41	गुलबर्गा जिला (मैसर्स एमसीएक्स) ग्रामीण सुविधा केन्द्र
10.	केरल	4	10.00	वायनॉड जिला (उरावू) बांस उत्पाद
			6.75	पालक्काड़ जिला (मैसस उद्यमिता विकास संस्थान) केले के चिप्स
			6.75	पालक्काड़ जिला (मैसस उद्यमिता विकास संस्थान) केले के चिप्स
			10.00	वायनॉड जिला (मैसर्स उरावू स्वदेशी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र) अगरबती छडें
11.	मणिपुर	2	9.79	चुराचांदपुर जिला (पैशन फ्रुट ग्रोवर एसोशिएशन) पैशन फ्रुट

1	2	3	4	5
			8.89	थौबल जिला (मैसर्स न्यू इंटीग्रेटेड रूरल मैनेजमेंट एजेंसी) हथकरघा उत्पाद
12.	मेघालय	1	12.39	रि भोई जिला (मैसर्स आईआईई) स्ट्राबेरी
13.	महाराष्ट्र	5	3.41	यवतमाल जिला (एमसीएक्स) ग्रामीण सुविधा केंद्र
			3.41	गोंदिया जिला (मैसर्स एमपीएक्स) ग्रामीण सुविधा केंद्र
			20.00	यवतमाल जिला (मैसर्स पैन आईआईटी) कॉटन यूनिट
			9.03	अहमदनगर जिला (मैसर्स गोविंद ग्रामीण विकास संस्थान) जटरोफा आधारित डीजल निष्कर्षण इकाई
			8.60	यवतमाल जिला (मैसर्स स्पेक सिस्टम) ग्रामीण विकास सुविधा रथ
14.	मध्य प्रदेश	1	8.82	शिवपुर जिला (मैसर्स श्री सर्वपित्र कुलदेवी शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति) हर्बल उत्पाद
15.	ओडिशा	1	9.40	बोलंगीर जिला (मैसर्स ओड्रेस) हस्तकरघा बुनाई
16.	राजस्थान	6	8.81	जैसलमेर, (समृद्धि फॉउंडेशन), जैसलमेरी पुट्टू
			7.00	उदयपुर (सेवा मंदिर), दाल प्रसंस्करण
			9.55	सवाई माधोपुर, टोंक (एक्सेस), मिर्च
			20.00	उदयपुर एवं सवाई माधोपुर (ब्रिज हैल्थकेयर), मधु
			9.50	उदयपुर (उद्योगिनी), टमाटर
			17.00	सवाई माधोपुर (अलाक्रिटी) बीड वर्क
17.	तमिलनाडु	3	3.00	विल्लुपुरम जिला (ऑरोविले फाउंडेशन) कंप्रेसड ईंट
			9.94	नागपट्टिनम (पीएमयू), सेरीकल्चर
			8.45	नागपट्टिनम (पीएमयू), वर्मी कम्पोस्ट
18.	त्रिपुरा	1	10.00	धलाई (डी-1 डब्ल्यू एम), जटरोफा
19.	उत्तराखंड	1	9.50	चमोली जिला (उद्योगिनी), मधु
20.	उत्तर प्रदेश	8	0.86	हरदोई (कलात्मक फॉउंडेशन) हाथ से बुने हुए कशीदाकारी
			8.95	एटा (मायना ग्रामोद्योग), वर्मी कम्पोस्ट

1	2	3	4	5
			9.10	सोनभद्र (जैयपुर रग्स फॉउंडेशन) हाथ से बुने गलीचे
			6.92	महाराज गंज जिला (मैसर्स अचार्यजी महा समिति) वर्मी कम्पोस्ट
			8.50	एटा (अलाक्रीटी), वीड वर्क एवं काशीदारकारी
			9.70	महाराज गंज जिला (मैसर्स अचार्यजी महा समिति) वर्मी कम्पोस्ट
			16.28	रायबरेली जिला (मैसर्स गोपा शिक्षण एवं ग्राम विकास संस्थान) शब्जी एवं वर्मी कम्पोस्ट
			14.73	गोरख पुर जिला (मैसर्स अचार्यजी महा समिति) वर्मी कम्पोस्ट
21.	पश्चिम बंगाल	5	5.67	पुरूलिया (आई-लैंड इनमॉरमेटिक्स) लोक कला फॉर्म
			13.45	दक्षिण 24 परगना (मैसर्स शू सामान्य) हस्त कशीदाकारी उत्पाद
			9.10	दक्षिण 24 परगना (जैयपुर रग्स) हाथ से बुने गलीचे
			12.88	बीरभूम जिला (मैसर्स शू सामान्य) हस्त कशीदाकारी उत्पाद
			14.73	दक्षिण 24 परगना (मैसर्स तातापल्ली मिलानी संघ), टमाटर उत्पाद
	कुल योग	69	685.85	

675-77 फिर जारी

यकृत प्रतिरोपण शल्यक्रिया

2933. श्री एंटो एंटोनी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यकृत प्रतिरोपण शल्यक्रिया की जाती है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार अब तक की गई ऐसी शल्यक्रियाओं की संख्या सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यकृत प्रतिरोपण शल्यक्रिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली में की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में यकृत प्रतिरोपण शल्यक्रिया शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए विभिन्न राज्यों में की जाने वाली यकृत प्रतिरोपण शल्य चिकित्साओं से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले 4 वर्षों के दौरान एम्स में की यकृत प्रतिरोपण शल्य चिकित्साओं की संख्या इस प्रकार है:—

वर्ष	किए गए यकृत प्रतिरोपण की संख्या
2008	2
2009	2
2010	शून्य
2011	शून्य

(ङ) और (च) ऊपर भाग (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

677-78

[अनुवाद]

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान

2934. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के विनियामक तंत्र में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास परिषद् की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाए जिससे देश में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान की गुणवत्ता एवं मानकों में सुधार करने में सहायता मिल सके?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) केन्द्रीय सरकार, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के परामर्श से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अधीन बनाए गए विनियमों की समीक्षा करती रहती है और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने में आवश्यकता आधारित संशोधनों को अधिसूचित करती रहती है।

इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2010 के जरिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को दिनांक 15 मई, 2010 को रद्द करते हुए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स गठित किया है और अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड को केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना चिकित्सा कॉलेज स्थापित करने, उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम शुरू करने आदि की अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।

(ख) से (घ) जी, हां। मंत्रालय दो प्रयोजनों अर्थात् मौजूदा विनियमांक ढांचे में सुधार लाने तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की आपूर्ति बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग नामक समग्र विनियमाक निकाय स्थापित करने पर विचार कर रहा है। स्टेकहोल्डरों से परामर्श करने के बाद आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु मंत्रिमंडल नोट प्रारूप तथा विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा बोर्ड तथा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं आकलन समिति भी गठित किया जाएगा जिनका अधिदेश क्रमश: स्वास्थ्य शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करना तथा स्वास्थ्य संबंधी शैक्षणिक संस्थानों के प्रत्यायन की प्रणाली विकसित एवं अनुरक्षित करना है। इसके अतिरिक्त व्यवसाय के विनियमन के लिए एनसीएचआरएच के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा और अन्य संबद्ध स्वस्थ्य व्यावसायिकों परिषदों को भी गठित करने का प्रस्ताव है।

दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को राज्य सभा में एनसीएचआरएच बिल (विधेयक) पेश किया गया है, जिसने विधेयक को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागीय संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया है।

678-79

प्रत्यक्ष करों के संग्रह का आकलन

2935. श्री हरिभाऊ जावले :
श्री पी.के. बिजू :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री पशुपति नाथ सिंह :
श्री जोस के. मणि :
श्री शिवकुमार उदासी :
श्री अंजन कुमार एम. यादव :
श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री लक्ष्मण टुडु :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यक्ति विशेषों/कम्पनियों पर बकाया करों संबंधी पृथक आंकड़े रखे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उन एजेंसियों, व्यक्तियों एवं अन्य विधिक कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनके पास 10 करोड़ रुपए से अधिक राशि बतौर कर बकाया है; और

(ग) बकाया करों की वसूली में आ रही मुश्किलें क्या हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति विशेष/कम्पनी से शीघ्र राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए या प्रस्तावित है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, हां। कंपनियों के लिए 'निगम कर' शीर्ष के अंतर्गत तथा अन्यों के लिए 'आयकर' शीर्ष के अंतर्गत सकल बकाया करों के बारे में आंकड़ा अलग से रखा जाता है।

(ख) गत तीन वर्षों के लिए ऐसे मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है जहां बकाया मांग 10 करोड़ रुपए से अधिक है:—

(करोड़ रुपए)

वर्ष (की स्थिति के अनुसार)	मामलों की संख्या	निवल बकाया राशि
30.9.2011	1710	265562
30.9.2010	1360	189331
30.9.2009	1112	172117

(ग) बकाया कर देयों की वसूली में प्रमुख कठिनाई यह है कि बकाया मांग का अधिकांश हिस्सा 'कर निर्धारिती जिनका पता नहीं लगाया जा सकता', 'कर निर्धारिती जिनके पास कोई परिसम्पत्ति नहीं है/पर्याप्त परिसम्पत्ति नहीं हैं', विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों में लेन-देन से संबंधित अपराधों का अभियोजन) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत अधिसूचित कर निर्धारिती, बीआईएफआर वाले मामले, अपाकरण के अधीन कम्पनी आदि की श्रेणी में आता है।

बकाया कर देयों की वसूली एक सतत प्रक्रिया है तथा बकाया कर मांगों की वसूली के लिए आयकर प्राधिकारियों द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी] 679-90

पंचायती राज अधिनियम में संशोधन

2936. श्री अधीर चौधरी :
श्री हरि मांझी :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को शक्तियों के अंतरण की सीमा का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकरण किसी समीक्षा के अधीन कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव) : (क) से (ग) संविधान का अनुच्छेद 243छ प्रावधान करता है कि राज्य पंचायतों को यथावश्यक ऐसी शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वसरकार की संस्थाओं के रूप में कार्य करने तथा 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 मामलों सहित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन में सक्षम बनाए।

संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत 'पंचायतें' एक राज्य विषय है, एवं पंचायतों को शक्तियों के अंतरण की मात्रा में राज्यों में भिन्नता है। प्रमुख राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पंचायतों को कोषों, कार्यों एवं कार्यकर्त्ताओं (3क) के अंतरण की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

पंचायतों को शक्तियों के अंतरण एवं उनके कार्यकरण की समीक्षा पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा समय-समय पर पंचायती राज की स्थिति रिपोर्ट (एसओपीआर) के माध्यम के साथ-साथ विभिन्न फोरम द्वारा किया जाता रहा है।

(घ) एमओपीआर पंचायतों को 3क का अंतरण करने के लिए राज्यों ने विभिन्न तरीकों से प्रोत्साहित किया है। एमओपीआर ने पंचायत अधिकारिता एवं जवाबदेही प्रोत्साहन स्कीम (पीईएआईएस) के अंतर्गत एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से प्रत्येक वर्ष तैयार किए गए एक अंतरण सूचकांक (डीआई) में उच्च स्थान पाने वाले राज्यों को पुरस्कृत कर पंचायतों को 3क का अंतरण करने हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित भी किया है। इसके अतिरिक्त एमओपीआर ने पीईएआईएस के तहत कार्य निष्पादन हेतु पंचायतों को पुरस्कृत किया है तथा अपने स्कीमों अर्थात् राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आरजीएसवाई), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) और पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान (पीएमईवाईएसए) के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए कार्यवाही आरंभ किए है।

(ङ) और (च) चूंकि पंचायत एक राज्य विषय है, इसलिए अपने संदर्भ में आवश्यकतानुसार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना अलग-अलग राज्यों पर निर्भर करता है।

विवरण

प्रमुख राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के पंचायती राज संस्थानों को कार्य, कोष और कार्यकर्त्ताओं, सहित अंतरित किए गए विभागों/विषयों के अंतरण की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्नलिखित के संदर्भ में पंचायतों को अंतरित किए गए विभागों/विषयों की संख्या और नाम		
		कोष	कार्य	कर्मी
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान जारी की गई है।	पंचायती राज संस्थाओं को समस्त कार्य (29 विषय) हस्तांतरित कर दिए गए हैं।	पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न विभागों के 639 कार्यकर्त्ताओं का हस्तांतरण कर दिया गया है।
2.	आंध्र प्रदेश	करों की वसूली के लिए केवल ग्राम पंचायतें (जी.पी.) ही अधिकृत हैं। 10 विभागों के कोष अंतरित करने के लिए सरकारी आदेश (जी.ओ.) जारी कर दिए गए हैं।	वर्ष 1997-2002 के दौरान 22 सरकारी आदेश जारी किए गए। 10 लाइन विभागों ने भी कुछ अधिकार (पंचायती राज संस्थाओं) पं.रा.सं. को अंतरित कर दिए हैं।	कर्मी अपने संबंधित लाइन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में ही रहते हैं किन्तु वे आंशिक रूप से पं.रा.सं. को भी जवाबदेह होते हैं।
3.	अरुणाचल प्रदेश	पं.रा.सं. कर वसूली नहीं करते। विभागों द्वारा कोष का अंतरण नहीं किया गया है।	29 विषय अंतरित कर दिए गए हैं, 20 विभागों संबंधी सरकारी आदेश जारी कर दिए गए हैं किन्तु अभी लागू नहीं हुए हैं।	कर्मी अंतरित नहीं किए गए हैं।
4.	असम	पं.रा.सं. को कर वसूली का अधिकार तो दिया गया है किन्तु वे लागू (इनफोर्स) नहीं कर सकते। राजस्व का मुख्य स्रोत बाजार, नदीतट एवं तालाबों से पट्टा किराया है।	23 विषयों के लिए कार्यकलाप विवरण तैयार कर लिया गया है। किन्तु 6 विभागों द्वारा केवल 7 विषयों के लिए सरकारी आदेश जारी किए गए हैं।	कर्मियों का अंतरण बहुत कम हुआ है। कर्मचारी अभी संबंधित विभाग को ही रिपोर्ट करते हैं।
5.	बिहार	पं.रा.सं. द्वारा कोई कर वसूली नहीं की जाती किन्तु इस प्रकार का एक प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।	कार्यकलाप विवरण पूरा कर लिया गया है। 20 लाइन विभागों ने सरकारी आदेश जारी कर दिए गए हैं।	विभागीय स्टाफ संबंधित विभाग को ही जवाबदेह है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं, शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति पं.रा.सं. द्वारा की जाती है।
6.	छत्तीसगढ़	जी.पी. विभिन्न प्रकार के करों की वसूली के लिए प्राधिकृत है। 12 विभागों के लिए कोष अंतरित कर दिए गए हैं।	27 मामलों में कार्यकलाप विवरण तैयार किया जा रहा है। सरकारी आदेश जारी नहीं हुए हैं।	9 विभागों के लिए पंचायतें नियुक्तियां करती हैं।

1	2	3	4	5
7.	गोवा	11 प्रकार के कर पंचायतें लगाती हैं। अबद्ध निधि पंचायतों को दी जाती है।	ग्राम पंचायतों को 18 मामले अंतरित कर दिए गए हैं जबकि 7 जिला पंचायतों को सौंप गए हैं।	काम को अंजाम देने के लिए पं.रा.सं. का अपना स्टाफ है।
8.	गुजरात	8 प्रकार के प्रमुख कर पं.रा.सं. द्वारा वसूल किए जाते हैं। वर्ष 2008-09 में 13 विभागों ने पं.रा.सं. को निधि का आवंटन किया था।	14 कार्य पूर्णत: अंतरित किए जा चुके हैं और 5 अंशत: अंतरित हुए हैं।	14 कार्यों के लिए कर्मियों के अंतरण हेतु सरकारी आदेश जारी हो चुके हैं।
9.	हरियाणा	पंचायत की जमीन की लीज़, मदिरा उपकर और पंचायत भवन के किराए के रूप में ग्राम पंचायतें राजस्व अर्जन करती है।	पंचायती राज अधिनियम 29 कार्यों को अंतरण करता है। 10 विभागों के लिए सरकारी आदेश जारी किए गए हैं।	कर्मियों का कोई खास अंतरण नहीं हुआ है।
10.	हिमाचल प्रदेश	केवल ग्राम पंचायत को ही कर लगाने का अधिकार है। कोष का अंतरण अभी नहीं किया गया है।	29 में से 27 विषय पं.रा.सं. को अंतरित किए जा चुके हैं।	कर्मियों का कोई खास अंतरण पं.रा.सं. को नहीं किया गया है।
11.	जम्मू और कश्मीर	राज्य सरकार ने गतिविधि मानचित्रण को अधिसूचित करते हुए जीओ जारी किया है। निधियों को सीमित मात्रा में अंतरित किया गया है। गतिविधि मानचित्रण दस्तावेज में कर्मियों की पहचान की गयी है जो निर्धारित कार्यों को निष्पादित करने के लिए पंचायतों की सहायता करेंगे परंतु उन्हें हस्तांरित नहीं किया गया है।		
12.	झारखंड	73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद पहली बार नवम्बर-दिसम्बर, 2010 के दौरान पं.रा.सं. के चुनाव करवाए गए थे। अभी तक कार्यकलापों का विवरण तैयार नहीं किया गया है।		
13.	कर्नाटक	पं.रा.सं. 7 प्रकार के करों की वूसली करते हैं। पं.रा.सं. को अबद्ध निधि के अनिवार्य अंतरण का प्रावधान पंचायती राज अधिनियम के तहत किया गया है।	कार्यकलाप विवरण प्रत्यायोजित करके कर्नाटक ने 29 विषय पं.रा.सं. को अंतरित कर दिए हैं।	पंचायतों के सभी कर्मचारी संबंधित विभागों और पं.रा.सं. दोनों के दोहरे नियंत्रण में कार्य करते हैं।
14.	केरल	ग्राम पंचायतों के पास 9 प्रकार के करों संबंधी अधिकार हैं। पं.रा.सं. को विभागों द्वारा अबद्ध निधियां एवं विशेष प्रयोजनार्थ निधियां प्रदान की गई है।	सभी 29 कार्यों संबंधी कार्य-कलाप विवरण तैयार कर दिया गया है और ये कार्यकलाप पंचायतों को सौंप दिए गए हैं।	पंचायती राज संस्थाओं के पास पूरे प्रबंधकीय अधिकार और अंतरित कर्मचारियों के आंशिक अनुशासनिक नियंत्रण का अधिकार है।
15.	मध्य प्रदेश	ग्राम पंचायतों को कर वसूली का अधिकार है। 13 विभागों के अधीन	22 विभागों के संबंध में 25 मामलों के कार्यकलापों का विवरण दर्शाने वाला	13 विभागों के कर्मी पं.रा.सं. को स्थानांतरित किए जा चुके हैं। राज्य

1	2	3	4	5
		होने वाले 19 विषयों के संबंध में कोष का हस्तांतरण पं.रा.सं. को कर दिया गया है।	सरकारी आदेश जारी किया जा चुका है।	पंचायत सेवा अस्तित्व में हैं।
16.	महाराष्ट्र	जिला पंचायतें और ग्राम पंचायतें कर वसूली करती हैं। 11 विभागों के लिए पंचायतों को अनुदान दे दिए गए हैं।	11 विषय पूर्णत: अंतरित कर दिए गए हैं और 18 विषयों की योजनाएं पं.रा.सं. द्वारा चलायी जाती हैं।	सभी स्तरों पर श्रेणी-III और IV के कर्मचारी जिला परिषद् कर्मचारी हैं।
17.	मणिपुर	पंचायती राज संस्थाओं को कोष के अंतरण हेतु 5 विभागों ने सरकारी आदेश जारी कर दिए गए हैं।	22 विभागों के संबंध में कार्यों के अंतरण संबंधी सरकारी आदेश जारी किए जा चुके हैं।	5 विभागों ने पं.रा.सं. को कर्मियों के स्थानांतरण संबंधी सरकारी आदेश जारी कर दिए हैं।
18.	ओडिशा	पं.रा.सं. 6 प्रकार के कर वसूल करते हैं। अबद्ध निधियों के अंतरण संबंधी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है।	11 विभागों ने 21 विषय अंतरित कर दिए हैं।	11 विभागों के कर्मी पं.रा.सं. के प्रति उत्तरदायी हैं।
19.	पंजाब	ग्राम पंचायत की आय का प्रमुख स्रोत पंचायती जमीन की निलामी है। कोषों का अंतरण स्पष्ट नहीं है।	13 विषयों संबंधी 7 मूल विभागों का अंतरण अनुमोदित किया जा चुका है।	लाइन विभागों द्वारा अभी तक पं.रा.सं. को कोई कर्मी स्थानांतरित नहीं किया गया है।
20.	राजस्थान	जिला स्तर तक पं.रा.सं. को कोष के अंतरण हेतु 5 विभागों ने सरकारी आदेश जारी कर दिए हैं और पं.रा.सं. को 10 प्रतिशत अबद्ध निधि का अंतरण किया जाना है।	5 विभागों ने सभी काम जिला स्तर तक पं.रा.सं. को सौंप दिए गए हैं।	5 विभागों ने जिला स्तर तक के सभी कर्मचारी पं.रा.सं. को स्थानांतरित कर दिए हैं।
21.	सिक्किम	पं.रा.सं. कर वसूली नहीं करते। 17 विभागों द्वारा निधियों का अंतरण किया जा रहा है। प्रत्येक विभाग के कुल कोष का 10 प्रतिशत पं.रा.सं. को दिया जाता है। अबद्ध निधि पं. रा.सं. को दिया जाता है।	विधान के अनुसार 29 विषयों अंतरित किए जाते हैं। 16 विभागों के अधीन आने वाले 20 विषयों के लिए कार्यकलाप विवरण तैयार कर लिया गया है।	कर्मचारीगण पं.रा.सं. के नियंत्रणाधीन है लेकिन उन पर पंचायतों का नियंत्रण सीमित है।
22.	तमिलनाडु	केवल ग्राम पंचायतों के पास ही कर लगाने का अधिकार है। राज्य के अपने करों में से 9 प्रतिशत राजस्व	तमिलनाडु सरकार ने 29 विषयां का पर्यवेक्षण और निगरानी का अधिकार पं.रा.सं. को सौंप दिया।	कार्मिकों तथा स्थानांतरण कोई खास नहीं है।

1	2	3	4	5
		स्थानीय निकायों को अंतरित किया जा चुका है जिसमें से 58 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्राप्त होगा।		
23.	त्रिपुरा	पी.डब्ल्यू.डी. विभाग, प्राथमिक विद्यालयों, समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षण विभागों तथा पेंशन संबंधी कोष का कुछ भाग पंचायतों को अंतरित कर दिया गया है। अबद्ध कोष भी पं.रा.सं. को दिए जाते हैं।	अब तक सिंचाई योजना, प्राथमिक विद्यालयों, वयस्क शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण संबंधी विषयों का अंतरण करने के लिए सरकारी आदेश जारी किए जा चके हैं।	जिन 5 विषयों का अंतरण किया जा चुका है उनके कर्मचारी पंचायतों को स्थानांतरित किए जा चुके हैं।
24.	उत्तर प्रदेश	सभी 3 स्तरों पर कर वसूली का अधिकार है।	पं.रा.सं. को 12 विभागों से संबंधित 16 विषयों का अंतरण किया गया है।	पं.रा.सं. का अपने कर्मियों पर कोई नियंत्रण नहीं है।
25.	उत्तराखंड	केवल जिला परिषद् कर वसूली करते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को केवल 3 कार्यों के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती है।	14 विषयों पर वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का स्थानांतरण पर मास्टर सरकारी आदेश वर्ष 2003 में जारी किए गए हैं।	पं.रा.सं. को 14 विषयों के संबंध में कर्मियों के पर्यवेक्षण की भूमिका अंतरित की गई है।
26.	पश्चिम बंगाल	ग्राम पंचायतें कर लगा अथवा वसूल कर सकते हैं। टी.एफ.सी. अनुदान के साथ-साथ एस.एफ.सी. अनुदान के तहत अबद्ध निधियां आवंटित की गई। 5 विभागों ने अपने बजट में पंचायतों को स्थान दिया है।	राज्य सरकार उन 28 विषयों के अंतरण के लिए सहमत हैं। अब तक 14 विभागों ने 27 विषयों को स्थानांतरित करते हुए सरकारी आदेश जारी किए हैं।	पंचायत कर्मियों को विभिन्न जिला संवर्गों में विभाजित किया गया है। पंचायत निकायों में सृजित पदों के अलावा राज्य सरकार के 7 विभागों ने कर्मियों को अंतरित किया हैं।
27.	दमन और दीव	इसमें उपलब्ध नहीं है।	12 विषयों का अंतरण पूरी तरह एवं 10 विषयों का आंशिक रूप से अंतरण कर दिया गया है।	13 विभागों के कर्मियों का अंतरण पीआरआई को कर दिया गया है।
28.	पुदुचेरी	पंचायतें कर संग्रहित करती है एवं समुदाय विकास क्षेत्र के अंतर्गत राज्य बजट से निधियां प्राप्त करती हैं।	पीआरआई को 22 कार्य अंतरित किए गए हैं।	कर्मियों का अंतरण अब तक नहीं किया गया है।

1	2	3	4	5
29.	लक्षद्वीप		संघ राज्य क्षेत्र से संदर्भित 11वीं अनुसूची के सभी विषयों के तहत स्कीमों को अंतरित कर दिया गया है।	
30.	चंडीगढ़		चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा गठित एक समिति ने 12 विभागों के कुछ कार्यों का हस्तांतरण की सिफारिश की। तथापि राज्य सरकार ने अनुभव किया कि पीआरआई कार्यों की अंतरण की ऐसी प्रक्रिया अंतरिम तौर पर किया जाएगा क्योंकि तीव्र गति से हो रही शहरीकरण के परिणामस्वरूप गांव निकट भविष्य में ही नगर निगम के हिस्से बन जायेंगे।	

नोट: मिजोरम, मेघालय और नागालैंड को छूट प्राप्त है।

दिल्ली में कोई पंचायत नहीं है।

दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

सीबीआई द्वारा काला धन उजागर करना 189-91

2937. श्री बलीराम जाधव :
श्री वीरेन्द्र कश्यप :
चौधरी लाल सिंह :
श्री तारा चन्द भगोरा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल ही में यह उजागर किया है कि भारतीयों का लगभग 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर अवैध धन सुरक्षित कर पनाहगाहों में विदेश में जमा है;

(ख) यदि हां, तो इसको इस प्रकार उजागर किए जाने का ब्यौरा एवं आधार क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी वाशिंगटन के अनुसार भारतीयों द्वारा 1948 से 2008 के बीच 25 लाख करोड़ रुपये का काला धन विदेश में जमा किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने वाशिंगटन स्थित बैंक से इस संबंध में सूचना प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रगति की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जो एक जांच एजेंसी है, ने भ्रष्टाचार-रोधी एवं सम्पत्ति वसूली पर पहला इंटरपोल ग्लोबल कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अपराध से होने वाली धन प्राप्तियों का पता लगाना था। निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के भाषण का तात्पर्य, विदेश में जमा अपराध से होने वाली धन प्राप्तियों की वसूली में कठिनाई को उजागर करना था। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक ने स्पष्ट किया है कि जहां तक गैर-कानूनी धनराशि का संबंध है, लगभग 500 बिलियन डॉलर की गैर-कानूनी धनराशि का अनुमान 4 जुलाई, 2011 को सर्वोच्च न्यायालय में मामले की रिपोर्टिंग के संदर्भ में था, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ टिप्पणी की थी कि "स्वयं भारत सरकार द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट एवं विश्लेषण हैं, जो विशाल स्तरों पर ऐसी बेहिसाब धनराशि को दर्शाते हैं।"

निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आगे स्पष्ट किया है कि रियूटर्स ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाहियों पर अपनी रिपोर्ट में

तब बताया था कि एक सरकारी पैनल ने वर्ष 2009 में 500 बिलियन डॉलर से 1.4 ट्रिलियन डॉलर के बीच में ऐसी गैर-कानूनी निधियों का पता लगाया तथा उन्होंने अपने भाषण में मूल आंकड़े को लिया था क्योंकि इसका अर्थ समस्या को दर्शाना था। तथापि, इस संबंध में यह स्वीकार किया जाता है कि विदेशी बैंकों में जमा भारतीय धन की प्रामाणिक अनुमानित मात्रा उपलब्ध नहीं है।

सरकार ने वित्तीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर देश के अंदर तथा बाहर परिकलित न की गई आय/संपत्ति की मात्रा का अनुमान लगाने और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए एक अध्ययन की शुरुआत की है। यह अध्ययन तीन सरकारी संस्थानों नामत: राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) तथा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एनसीएईआर) द्वारा अलग-अलग किया जा रहा है। इस अध्ययन के 18 माह की अवधि में अर्थात् सितंबर, 2012 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, वाशिंगटन ने "द ड्राइवर्स एंड डायनामिक्स ऑफ इल्लिसिट फाइनेंशियल फ्लोज फ्रोम इंडिया: 1948-2008" शीर्षक के अंतर्गत एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस अध्ययन से अनुमान लगाया गया कि 1948 तथा 2008 के बीच 61 वर्ष के दौरान 213.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल राशि भारत के बाहर स्थानांतरित की गई थी। सरकार ने वाशिंगटन में बैंकों से इस संबंध में किसी सूचना की मांग नहीं की है।

[अनुवाद]

देवास मल्टी मीडिया

2938. श्री नीरज शेखर :
श्री यशवीर सिंह :
श्री महेश्वर हजारी :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री प्रदीप कुमार सिंह :
श्रीमती उषा वर्मा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी जानकारी मिली है कि देवास मल्टी मीडिया ने उच्च प्रीमियम पर अपनी इक्विटी बेची है तथा यह शेयरहोल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन सहित अन्य अनियमितताओं में संलिप्त रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई आंच की जा रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

डॉक्टरों को सुप्रतिष्ठा संबंधी प्रमाणपत्र

2939. श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से बाहर किसी पाठ्यक्रम या रोजगार में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले भारतीय डॉक्टरों को भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई) से सुप्रतिष्ठा संबंधी प्रमाणपत्र लेना होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक कितने डॉक्टरों ने एमसीआई से इस प्रकार के प्रमाणपत्र की मांग की और ऐसे कितने प्रमाणपत्र जारी किए गए;

(घ) क्या सरकार ने इन डॉक्टरों का प्रतिभा-पलायन रोकने और उनकी कमी को पूरा करने के लिहाज से विदेशस्थ भारतीय चिकित्सा पेशेवरों को देश में वापस बुलाने हेतु कोई व्यापक योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। उम्मीदवार के अनुरोध पर किसी पाठ्यक्रम या रोजगार में आवेदन करने वाले डाक्टरों को भारतीय चिकित्सा परिषद् से सुप्रतिष्ठा प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

(ग) एमसीआई द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार पिछले प्रत्येक दो वर्षों से लेकर अब दिए गए सुप्रतिष्ठा प्रमाणपत्र की संख्या नीचे दी गई है:—

वर्ष	प्राप्त आवेदन	जारी किए गए सुप्रतिष्ठा प्रमाणपत्रों की संख्या
1.4.2010-31.3.2011	1157	1157
1.4.2011-27.3.2012	1318	1318
कुल	2475	2475

(घ) और (ङ) सरकारी क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टरों के संबंध में प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

(i) 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग के लागू होने के बाद से डॉक्टरों के वेतन एवं भत्तों में काफी बढ़ोतरी की गई है।

(ii) चिकित्सा संस्थानों के संकाय की अधिवर्षिता की उम्र को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है।

(iii) केन्द्रीय सरकारी संस्थानों के संकाय के लिए एस्योर्ड प्रमोशन स्कीम को संशोधित किया गया है।

(iv) संकाय के लिए उपलब्ध विभिन्न भत्तों जैसे नॉन-प्रैक्टिसिंग एलाउंसेज, वाहन भत्ता, अध्ययन संसाधन भत्ते आदि में काफी बढ़ोतरी की गई है।

603-95

एम्स जैसे संस्थान

2940. श्री कमल किशोर 'कमांडो' :
श्री यशवीर सिंह :
श्री संजय निरूपम :
श्री मधुसूदन यादव :
योगी आदित्यनाथ :
श्री प्रेमदास :
श्री एम.के. राघवन :
श्री एंटो एंटोनी :
श्री तथागत सत्पथी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसी 12 संस्थाएं खोले जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कौन-कौन से स्थान चिह्नित किये गये हैं तथा इस उद्देश्य हेतु कितना अनुदान जारी किया गया;

(ग) क्या एम्स जैसे नये संस्थानों हेतु उपकरणों की खरीद, संकाय सदस्य भर्ती करने आदि के लिये कदम उठाये गए हैं तथा इस पर कितना व्यय आने का अनुमान है; और

(घ) उक्त संस्थाओं की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत आठ एम्स सरीखे आठ संस्थानों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। उनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	राज्य	स्थल का नाम	निर्मुक्त निधियां
1	2	3	4
पीएमएसएसवाई का प्रथम चरण			
1.	मध्य प्रदेश	भोपाल	201.33
2.	ओडिशा	भुवनेश्वर	151.14
3.	राजस्थान	जोधपुर	200.89
4.	बिहार	पटना	277.17
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर	189.21
6.	उत्तराखंड	ऋषिकेश	233.18

1	2	3	4
पीएमएसएसवाई का दूसरा चरण			
7.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	
8.	पश्चिम बंगाल	रायगंज, उत्तरी दिनाजपुर	

(ग) जी, हां। एम्स सरीखे प्रत्येक संस्थान हेतु चिकित्सीय उपकरणों के अधिप्रापण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि परिकल्पित की गई है। संकाय की भर्ती, प्रशासनिक व्यय, परामर्शन इत्यादि के लिए आवर्ती व्यय हेतु वार्षिक योजना 2012-13 के लिए 120 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

(घ) एम्स सरीखे सभी छह संस्थानों के मेडिकल कॉलेजों को 2012-13 के शैक्षणिक सत्र से और अस्पतालों को 2013-14 तक कार्यात्मक बनाए जाने की संभावना है।

695-96

आयकर छापे से संबंधित सूचना लीक होना

2941. श्री विश्व मोहन कुमार :
श्री रुद्रमाधव राय :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री राधा मोहन सिंह :
कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद :
श्री सुशील कुमार सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान आयकर विभाग द्वारा डाले गए आयकर छापे का ब्यौरा क्या है तथा इससे क्षेत्र-वार कितनी अलेखित सम्पत्ति, नकदी एवं आभूषण जब्त किया गया; और

(ख) क्या इन छापों से प्राप्त महत्वपूर्ण सूचना लीक हो गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान समय दृष्ट्या नगद तथा आभूषणों सहित 828.91 करोड़ रुपए के मूल्य की अलेखित सम्पत्ति को जब्त किया गया। क्षेत्र-वार विवरण नहीं रखा जाता है।

(ख) जी, नहीं।

[अनुवाद]

696-97

कुपोषण के कारण बच्चों की मौत

2942. श्री समीर भुजबल :
श्री महेश्वर हजारी :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :
श्री सी. राजेन्द्रन :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :
शेख सैदुल हक :
श्री पूर्णमासी राम :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुपोषण के कारण होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास देश में बच्चों के कुपोषण की घटनाओं को रोकने हेतु कोई तन्त्र तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में कुपोषण के कारण होने वाली मौतों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) जी, नहीं। बच्चों में कुपोषण मौत का प्रत्यक्ष कारण नहीं है वरन् यह रुग्णता और मृत्यु का एक अन्तर्निहित कारण है क्योंकि इससे संक्रमण से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है।

(ख) देश में बच्चों के कुपोषण के कारण हुई मौतों की संख्या से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं क्योंकि यह मौत का प्रत्यक्ष कारण नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं और निम्नलिखित क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक वर्ष निधियां प्रदान की जाती हैं:—

- शिशु एवं छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त आहार पद्धतियों को प्रोत्साहित करना।
- पोषण पुनर्वास केन्द्रों के रूप में जाने जाने वाले विशेष एककों में गंभीर कुपोषण का उपचार।
- इस समय देश भर में ऐसे 558 केन्द्र कार्यरत हैं।
- विटामिन ए और आयरन एवं फोलिक एसिड की सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को रोकने तथा उनसे निपटने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम। 5 वर्षों की आयु तक बच्चों के लिए विटामिन ए संपूरण और 6 माह से 60 माह की आयु तक बच्चों के लिए आयरन और फोलिक एसिड संपूरण।
- आईएमएनसीआई प्रशिक्षण (एकीकृत नवजात एवं बाल्यावस्था रोग प्रबंधन में) प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं द्वारा सामुदायिक एवं सुविधा केन्द्र में कुपोषण और सामान्य नवजात और बाल्यावस्था रोगों का प्रबंधन।
- राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के जरिए संपूरण।
- ग्राम स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस तथा माता और बाल संरक्षण कार्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है जो बच्चों एवं गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की निगरनी तथा उनकी पोषण समस्याओं को दूर करने का एक अवसर उपलब्ध कराती है।

पूर्णतः औषधि प्रतिरोधी तपेदिक

2943. डॉ. ज्योति मिर्धा :
श्री वी. अरुण कुमार :
श्री पी. कुमार :
श्रीमती श्रुति चौधरी :
श्री सी. शिवासामी :
श्री प्रताप सिंह बाजवा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने देश में उजागर हो रहे पूर्णतः औषधि प्रतिरोधी तपेदिक (टीडीआर-टीबी) तथा इस मुद्दे से निपटने में सरकार की निष्क्रियता पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार महाराष्ट्र सहित देश में हाल ही में उजागर हुए टीडीआर-टीबी के मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) टीडीआर-टीबी के नये मामले पैदा होने के क्या कारण हैं तथा पूरे देश में टीडीआर-टीबी को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना तैयार की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इसमें कमी को दूर करने हेतु मौजूदा राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) का पुनर्गठन करने का है जिससे टीडीआर-टीबी मामलों से निपटा जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सेकेंड लाइन की तपेदिकरोधी औषधियों की जांच करने हेतु प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की स्थापना करने तथा टीबी के नियमित इलाज हेतु जन जागरूकता अभियान शुरू कने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) से (ङ) जी, नहीं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की शब्दावली में पूर्णतया औषधि-प्रतिरोधी क्षय रोग (टीडीआर-टीबी) "शब्द" मौजूद नहीं है। देश में व्यापक रूप में औषधि-रोधी (एक्स डीआर-टीबी) के छिटपुट मामलों की सूचना मिली है। हाल ही में मुंबई में एक्सडीआर-टीबी के 12 मामलों की सूचना मिली थी।

भारत सरकार ने 2007 में औषधि-प्रतिरोधी क्षयरोग के मामलों के निदान और प्रबंधन की शुरुआत की है। एक्सडीआर-टीबी सहित औषधि प्रतिरोधी क्षय रोग के सभी प्रकारों के लिए निदान एवं उपचार नयाचारों का विकास, प्रसार एवं उपचाराधीन देश में जारी किया गया

है। औषधि-प्रतिरोधी क्षय रोग के मामलों का पता लगाने के लिए 37 प्रत्यायित गुणवत्ता-आश्वस्त कल्चर एवं औषध प्रवणता जांच प्रयोगशालाओं और ऐसे क्षय रोगियों के उपचारात्मक एवं निगरानी हेतु वायु जनित संक्रमण नियंत्रण उपायों सहित 50 विशेषीकृत वार्डों को देश में कार्यात्मक बनाया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत औषधि-प्रतिरोधी क्षय रोग के सभी पुष्ट रोगियों को औषधि-प्रतिरोधी क्षयरोग के सभी पुष्ट रोगियों को औषधि-प्रतिरोधी क्षय रोग के उपचार के लिए गुणावत्तापरक निदान एवं औषधियां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने देश के 260 जिलों में परिवर्तनशील पहुंच वाली सेवायें शुरू की हैं। संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के अंतर्गत देश में संचित कुल 6994 औषधि प्रतिरोधी क्षय रोगियों का उपचार शुरू किया गया है। मंत्रालय देश में इन सेवाओं की निरंतर मॉनीटरिंग कर रहा है।

भारत सरकार ने औषधि-प्रतिरोधी क्षय रोग घटित होने से रोकने के लिए आरएनटीसीपी के अंतर्गत औषधि-संवेदी क्षय रोगियों के शीघ्र निदान और पूरे उपचार पर बल दिया है। कार्यक्रम में जन-जागरूकता अभियान शामिल हैं और उन्हें राष्ट्रीय, राज्यों और जिला स्तर पर सतत आधार पर चलाया जाता है।

एन्टीबायोटिक प्रतिरोधी निगरानी

2944. श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली :
श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्री एल. राजगोपाल :
श्री खगेन दास :
श्री पी. कुमार :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एन्टीबायोटिक प्रतिरोधी निगरानी का तंत्र विकसित किया है/करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या अनेक लोग मेथीसिलिन प्रतिरोधी स्टैफीलोकोकस ओरियस (एमआरएसए) और नई दिल्ली मेटालो-बीटा-लेक्टामेस 1 (एनडीएम-1) से पीड़ित हैं, जो देश में लगभग सभी एन्टीबायोटिक्स के प्रतिरोधी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने देश में एमआरएसए और एनडीएम-1 जैसे औषध प्रतिरोधी बैक्टीरिया से निजात पाने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) देश में एन्टीबायोटिक्स के अंधाधुंध उपयोग को रोकने, उनकी बिक्री विनियमित करने और नए एन्टीबायोटिक्स/एन्टीमाइक्रोबायल्ज विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) देश में माइक्रोवायलरोधी प्रतिरोध की निगरानी की कोई नियमित पद्धति नहीं है। मैथीसिलीन प्रतिरोधी स्टैफीलोकोकस ओरियस (एमआरएसए) और नई मेटालो-बीटी लैक्टामेस-1 (एनडीएम-1) मुख्य रूप से अस्पताल के संक्रमण से जुड़े हुए हैं। एंटिबायोटिक्स का युक्तिसंगत इस्तेमाल और उत्कृष्ट संक्रमण नियंत्रण पद्धतियां एमआरएसए से और एनडीएम-1 सहित माइक्रोवायलरोधी प्रतिरोध के विकसित होने को नियंत्रित कर सकते हैं। भारत में एमआरएसए एंड एमडीएम-1 पर कोई देशव्यापी प्रणालीबद्ध सूचना नहीं है।

भारत में माइक्रोवायलरोधी प्रतिरोध के नियंत्रण के लिए माइक्रकोवायलरोधी के अविवेकपूर्ण इस्तेमाल, एंटिबायोटिक्स की बिक्री के विनियमन, माइक्रोवायलरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता आदि जैसे मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की गई है और परिचालित की गई है तथा यह मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

समेकित बाल विकास सेवा योजना का पुनर्गठन

2945. श्री रघुवीर सिंह मीणा :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री जी.एम. आरुन रशीद :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री बलीराम जाधव :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के बीच कुपोषण की समस्या पर ध्यान देने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बारहवीं पंचवर्षीय योजना में आईसीडीएस योजना का पुनर्गठन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना हेतु उक्त स्कीम के अधीन कितनी निधियां निर्धारित की गईं; और

(ङ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) और (ख) कुपोषण एक जटिल, बहुआयामी और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली समस्या है। इसका समाधान खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल, पोषण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और गरीबी उन्मूलन एवं आयोत्पादन के क्षेत्रों में संकेन्दित और समन्वित उपायों द्वारा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा बालिकाओं का जल्द विवाह, किशोर अवस्था में गर्भधारण करना, कम क्रय शक्ति शिशुओं और छोटे बच्चों की पोषाहारीय आवश्यकताओं की जानकारी का अभाव के कारण भी बच्चों में कुपोषण बढ़ता है।

चूंकि कुपोषण के बहुत से कारण हैं। अत: इसका समाधान केवल एक ही क्षेत्र की स्कीम या उपाय से नहीं किया जा सकता है। इसके लिए बहु-क्षेत्रीय, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपायों की आवश्यकता है। विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों में सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही एक स्कीम समेकित बाल विकास सेवा स्कीम है।

आईसीडीएस मुख्यरूप से बाल विकास स्कीम है। यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। इसके अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती तथा धात्री माताओं को 6 सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है, उनमें पूरक पोषण भी एक है। यह पूर्णरूपेण पोषण कार्यक्रम नहीं है। पूरक पोषण की सेवा अनुशंसित आहार की मात्रा और वास्तव में लिए जाने वाले आहार की मात्रा की कमी पूरी करने के लिए है।

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम में लाभार्थी अपने आप धीरे-धीरे शामिल होते जाते हैं। यह स्कीम 6 वर्ष से कम आयु की सभी बच्चों और गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए खुली है। दिनांक 31.12.2011 तक की स्थिति के अनुसार आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण का लाभ लेने हेतु 786.30 लाख बच्चों और 181.10 लाख गर्भवती और धात्री माताओं का पंजीकरण किया गया है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार तीन वर्ष के कम आयु के 42.7% बच्चे 1998-99 (एनएफएचएस-2) में अल्पवजनी थे, जो घटकर 2005-06 (एनएफएचएस-3) में 40.4% रह गए हैं।

इसके अतिरिक्त सरकार ने कुपोषण की समस्या को प्राथमिकता दी है और राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनेक स्कीमों/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों की पोषाहारीय स्थिति को प्रभावित करते हैं। अनेक स्कीमें अर्थात् समेकित बात विकास सेवा स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न भोजन स्कीम, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का हाल के वर्षों में विस्तार किया गया है ताकि इनका प्रसार बढ़ाया जा सके और लोगों को उन्नत सेवाएं दी जा सकें। उनसे बच्चों की पोषाहारीय स्थिति में सुधार होगा।

(ग) से (ङ) अपर्याप्त अवसंरचना और सुविधाएं, तीन वर्ष से कम आयु और बाल्यावस्था शिक्षा पर कम ध्यान, कार्यक्रमों/स्कीमों का उचित संकेन्द्रण न होना पूरक पोषण परियोजना और मूल्य सूचीकरण का प्रबंधन, सर्वसुलभीकरण धीमी गति, स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता आदि के साथ समन्वयन और संकेन्द्रण जैसी विभिन्न कार्यक्रमगत, प्रशासनिक और प्रचालनात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ (क) गर्भवती और धात्री माताओं एवं तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों पर विशेष ध्यान (ख) विशेषकर जिला और ग्राम स्तरों पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ सुदृढ़ संस्थागत संकेन्द्रण स्थापित करना (ग) सामुदायिक भागीदारी के लिए स्थानीय स्तर पर लचीलापन प्रदान करने वाले मॉडल (घ) सेवाओं के पैकेज और बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा को सुदृढ़ करना (ङ) मूल्य सूचीकरण सहित पूरक पोषण कार्यक्रम में सुधार लाना (च) देखरेख और पोषण परामर्श सेवाएं (छ) गंभीर रूप से कमवजनी बच्चों की पर्याप्त देखरेख (ज) पर्याप्त वित्तीय संसाधन का आवंटन और आईसीडीएस को मिशन मोड से लाकर आईसीडीएस को सुदृढ़ और पुनर्गठित करने के प्रस्ताव पर सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में कार्य किया गया है।

बजटीय आवंटन निधियों की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आईसीडीएस स्कीम के कारगर

क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा लिया जा रहा प्रस्तावित पुनर्गठन का एक कदम है।

703-04

विद्युत की मांग

2946. श्री संजय भोई :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्रीमती मीना सिंह :
श्री बापूराव भास्करराव पाटील खतगांवकर :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री महाबल मिश्रा :
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक विद्युत की मांग का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्रोत-वार विद्युत उत्पादन का कोई निर्धारित लक्ष्य, यदि कोई हो, क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु आवश्यक निधियों/निवेश का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बाहरवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और निधियों/निवेश की आवश्यकता को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाते गये या उठाये जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) 12वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए विद्युत संबंधी कार्य दल ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में अर्थात् 2016-17 में 1,97,686 मेगावाट की एक उच्च मांग तथा 1403 बिलियन यूनिट (बीयू) की ऊर्जा आवश्यकता का आकलन किया है। इस आकलित मांग को पूरा करने के लिए लगभग 75,785 मे.वा. की क्षमता अभिवृद्धि की आवश्यकता है जिसमें थर्मल से 63,781 मेगावाट, हाइड्रो से 9204 मे.वा. तथा न्यूक्लीयर से 2800 मे.वा. शामिल है।

(ग) और (घ) कार्यदल ने 12वीं योजना के दौरान उत्पादन, पारेषण, वितरण, आरएंडएम स्कीमों, अनुसंधान एवं विकास, मांग प्रबंधन एवं ऊर्जा दक्षता, मानव संसाधन विकास, कैप्टिव संयंत्र एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (आरईएस) के लिए लगभग 13,72,580 करोड़ रुपए की निवेश निधि आवश्यकता का आकलन किया है। उपर्युक्त का क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्षेत्र	निधि की आवश्यकता (आंकड़े रु.)
केन्द्रीय क्षेत्र	4,64,774 करोड़
राज्य क्षेत्र	3,85,782 करोड़
निजी क्षेत्र	3,86,924 करोड़
नवीकरणीय क्षेत्र योजनाएं	1,35,100 करोड़
कुल	13,72,580 करोड़

(ङ) क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एवं विद्युत मंत्रालय में एक गहन निगरानी तंत्र बनाया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निधि निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तपोषण के प्रस्तावित संभावित स्रोतों में वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान समर्पित अवसंरचना विद्युत वित्त संस्थान, बीमा कंपनियां, ओवरसीज मार्केट, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय ऋण, बांड एवं इक्विटी मार्केट हैं।

[हिन्दी] 704-06

भारत का दर्जा

2947. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान यूरोप और अमेरिका की तुलना में देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या है तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था ने भारत की अर्थव्यवस्था को किस सीमा तक प्रभावित किया है;

(ख) क्या भारत का दर्जा विश्व में उच्च आर्थिक वृद्धि दर वाले देशों की सूची में नीचे चला गया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक वृद्धि दर में तेज़ी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक से उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ चुनिन्दा देशों की बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर निम्नानुसार है:—

देश	2009	2010	2011
संयुक्त राज्य	-2.6	3.0	1.8
यूरो क्षेत्र	-4.1	1.9	1.6
जर्मनी	-4.7	3.6	3.0
फ्रांस	-2.5	1.4	1.6
इटली	-5.0	1.5	0.4
स्पेन	-3.7	-0.1	0.7
इंग्लैंड	-4.9	2.1	0.9
भारत	5.7	9.9	7.4
वैश्विक निर्गत	-0.6	5.2	3.8

स्रोत: जनवरी, 2011 और 2012 के वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक (डब्ल्यूइओ) के अद्यतन, आईएमएफ आंकड़े।

वैश्विक जीडीपी में 2010 के मुकाबले 2011 में सामान्य मंदी छाई रही। 2011 में भारत में वृद्धि दर में यह मंदी घरेलू और वैश्विक कारकों पर आरोप्य है। कतिपय वैश्विक कारक जिनके कारण मंदी छाई है, में अन्यों के साथ-साथ ये शामिल हैं; यूरोजोन क्षेत्र में संकट और यूरोप में व्याप्त लगभग मंदनकारी स्थितियां, अमेरिका जैसे कई अन्य औद्योगिकीकृत देशों में धीमा विकास, जापान में प्रगतिरोध और कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का बढ़ना।

(ख) और (ग) वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक के जनवरी, 2011 और जनवरी, 2012 (अद्यतन) में उपलब्ध सूचना के आधार पर पिछले तीन वर्षों में विश्व में बाजार मूल्यों पर जीडीपी की वृद्धि दर वाली विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत का दर्जा कम नहीं हुआ है।

(घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दृष्टिकोण पत्र में सकल घरेलू उत्पाद में 9 प्रतिशत की वृद्धि के लक्ष्य के साथ तीव्र और अधिक समावेशी और सतत विकास का प्रस्ताव किया गया है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि में बेहतर निष्पादन (कम से कम 4 प्रतिशत विकास), विनिर्माण क्षेत्र में रोजगारों का तेजी से सृजन, उपयुक्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुदृढ़ प्रयास, शिक्षा एवं कौशल विनिर्माण क्षेत्र में रोजगारों का तेजी से सृजन, उपयुक्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुदृढ़ प्रयास, शिक्षा एवं कौशल विकास, फ्लैगशिप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार तथा पिछड़े क्षेत्रों और कमजोर वर्गों पर जोर दिया जाना प्रमुख रूप से आवश्यक है। इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए कतिपय विशेष उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ सिंचाई परियोजनाओं समेत कृषि क्षेत्र हेतु निवेश के स्तर को और बढ़ाना, निधियों के अपेक्षाकृत अधिक आवंटन के जरिए लघु, छोटे और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करना, सरकारी निजी भागीदारी पर जोर देते हुए अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए कई कानूनी उपाय करना आदि शामिल हैं।

706-08

शहरों की तरफ पलायन रोकने हेतु राजकोषीय उपाय

2948. श्रीमती रमा देवी :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरों की तरफ लोगों के पलायन को रोकने हेतु कार्यान्वयनाधीन मौजूदा राजकोषीय उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस दिशा में अतिरिक्त राजकोषीय कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भाग में प्रवसन का अधिकार है तथापि सरकार का प्रयास दुखद प्रवसन को रोकने का रहा है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के विभिन्न कार्यक्रम

लागू किए हैं और संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने तथा दुखद प्रवसन को रोकने के लिए कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के उपाय शुरू किए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) सर्वाधिक उल्लेखनीय उपाय है जिसका लक्ष्य ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिवसों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का है। आर्थिक समीक्षा 2011-12 में उल्लेख है कि एमजीएनआरईजीए से कृषि श्रमिकों की मोल भाव की शक्ति को बढ़ाने में सफलता मिली। जिसके परिणामस्वरूप कृषि मजदूरी बढ़ी है, बेहतर आर्थिक परिणाम प्राप्त हुए हैं और दुखद प्रवसन कम हुआ है।

(ख) शहरों की ओर दुखद प्रवसन को रोकने के लिए कृषि क्षेत्र जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रमुख अवलम्ब है सरकार का प्राथमिक क्षेत्र रहा है। बजट 2012-13 में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और देश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए अतिरिक्त उपायों की अपेक्षा की गई है। जिनका उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास हासिल करना और ग्रामीण भीतरी क्षेत्र में गरीबों की सम्पोषणीय आजीविका को प्रोत्साहित करना हो। सरकार की स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) जिसे नेशनल रूरल लिविलीहुड मिशन (एनआरएलएम) में पुनर्गठित किया गया है का लक्ष्य लाभप्रद स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार अवसरों तक ग्रामीण परिवारों की पहुंच को आसान बनाने के जरिए गरीबी कम करने का है। एनआरएलएम में सभी पात्र एसएचजी (स्वसहायता समूह) के लिए 7 प्रतिशत वार्षिक से अधिक ब्याज दरों पर सब्सिडी का प्रावधान है ताकि बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के जरिए आय सर्जक परिसंपत्तियों को सृजित किया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए सम्पोषणीय आजीविका को सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) शहरों की ओर दुखद प्रवसन को रोकने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तावित उल्लेखनीय राजकोषीय उपायों में निम्न शामिल हैं:—

2010-11 में 7860 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) परिव्यय को बढ़ाकर 2012-13 के बजट में 9217 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह कृषि और सहबद्ध क्षेत्रों के सर्वतोमुखी विकास के लिए है।

2012-13 में कृषि संबंधी ऋण के लक्ष्य को 5,75,000 करोड़ रुपये तब बढ़ाना है ताकि इस क्षेत्र को वहनीय ऋण उपलब्ध कराया जा सके। ग्रामीण अवसंरचनात्मक विकास कोष (आरआईडीएफ) के अंतर्गत आवंटन को भी बढ़ा कर 20,000 करोड़ रुपये किया गया है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष योजना जिनके अंतर्गत बिहार, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा के केबीके (कालाहांडी-बोलांगिर-कोरापुट) क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं, को निधियों के आवंटन में 2011-12 के बजट अनुमान की तुलना में इस बजट में 22 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना के अंतर्गत एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत आने वाली सूखा प्रशमन स्कीमें और परियोजनाएं शमिल होंगी ताकि चुनिंदा आदिवासी और पिछड़े जिलों में विकास की गति को और तेज किया जा सके। 708-09

गैर-सरकारी संगठनों को कर छूट

2949. डॉ. संजय सिंह :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धार्मिक स्वरूप वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को कर छूट और अन्य रियायतें प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जैसे एनजीओ का ब्यौरा क्या है जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रत्येक क्षेत्र के तहत छूट प्राप्त की है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक धार्मिक गैर-सरकारी संगठन, जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत रियायत प्राप्त की है, के संबंध में अलग से डाटा नहीं रखा जाता है। निर्धारित प्राधिकारी द्वारा ऐसी गतिविधियों में लगे गैर-सरकारी संगठनों को अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण या अनुमोदन प्रदान किया जाता है। जो धर्मार्थ अथवा धार्मिक या दोनों स्वरूप की हैं। ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के लिए ऐसे पंजीकरण या अनुमोदन में कोई अलग सीमांकन नहीं है जो धार्मिक स्वरूप के हैं।

(ग) जब गैर-सरकारी संगठन निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते

हैं तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। इनमें पंजीकरण या अनुमोदन को वापस लेना तथा अधिनियम के अंतर्गत परिणामी कार्यवाहियां शामिल हो सकती हैं।

709-11

बचत योजनाओं के माध्यम से एकत्रीकरण

2950. श्री यशवंत लागुरी :
राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न बचत योजनाओं के माध्यम से कितनी धनराशि एकत्र की गई; और

(ख) इन योजनाओं में रखी गयी धनराशि की मंद वृद्धि के लिए कौन से कारक, यदि कोई हो, जिम्मेदार हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न लघु बचत योजनाओं के माध्यम से संग्रह की गई धनराशि निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सकल जमा	आहरण	निवल
2008-09	158510	167961	(-)9451
2009-10	250931	186622	64309
2010-11 (अनंतिम)	274720	216068	58652

(ख) एक अंतराल में निवेश के लिए विकल्पों में संख्या और विविधता दोनों रूपों में बढ़ोतरी हुई जिससे निवेशकों को अपनी बचतों के लिए व्यापक विकल्प मिल सके। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और ऋण बाजारों से संबंधित ब्याज दरों के विनियमन हटाए जाने से भी सरकार की लघु बचत योजनाओं से इतर ऐसे प्रपत्रों में बचतों को जमा किए जाने की दिशा मिली है।

निवेशकों की रुचि लघु बचत योजनाओं में बनाए रखने की दृष्टि से योजनाओं की विशिष्टता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और योजनाओं में भिन्न-भिन्न सुधार और संशोधन किए जाते हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत निधि की व्यापक समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। समिति की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के आधार पर लघु बचत योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

1. डाकघर बचत खाते पर ब्याज दर 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत वार्षिक कर दी गई है।

2. लघु बचत स्कीमों पर ब्याज दर को सदृश परिपक्वता की जी-सेक दरों की दो अपवादों के साथ 25 आधार बिन्दुओं से मिलाया गया है। 10 वर्षीय एनएससी (नया प्रपत्र) का विस्तार 50 आधार बिन्दु होंगे और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 100 आधर बिन्दु होंगे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज दरें उस वर्ष की पहली अप्रैल के पहले अधिसूचित की जाएंगी। दरों को दो बार बढ़ाया जा चुका है पहला 1.12.2011 से और उसके बाद 1.4.2012 से, जो निम्नानुसार है:–

योजना	पुरानी ब्याज दर	1.12.2011 से प्रभावी ब्याज दर	1.4.2012 से प्रभावी ब्याज दर
बचत जमा	3.50	4.0	4.0
1-वर्षीय सावधि जमा	6.25	7.7	8.2
2-वर्षीय सावधि जमा	6.50	7.8	8.3
3-वर्षीय सावधि जमा	7.25	8.0	8.4
5-वर्षीय सावधि जमा	7.50	8.3	8.5
5-वर्षीय आवर्ती जमा	7.50	8.0	8.4
5-वर्षीय एससीएसएस	9.00	9.0	9.3
5-वर्षीय एमआईएस	8.00	8.2	8.5
5-वर्षीय एनएससी	8.00	8.4	8.6
10-वर्षीय एनएससी		8.7	8.9
पीपीएफ	8.00	8.6	8.8

3. मासिक आय योजना और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र की परिपक्वता अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है।

4. 10 वर्षों की परिपक्वता अवधि वाला एक नया एनसीसी प्रपत्र शुरू किया गया है।

5. लोक भविष्य निधि योजना के अंतर्गत निवेश की वार्षिक अधिकतम सीमा 70,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है।

6. 1, 2, 3 और 5 वर्षों वाली डाकघर मियादी जमाओं के नगदीकरण में सुधार किया गया है जिसके अंतर्गत भिन्न-भिन्न परिपक्वता की मियादी जमाओं पर निर्धारित से 1 प्रतिशत कम की ब्याज दर पर परिपक्वतापूर्ण आहरण की अनुमति दी गई है। 6 से 12 माह के निवेश का परिपक्वतापूर्व आहरण के लिए डाकघर बचत लेखा ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा।

[अनुवाद]

711-14

अनाथ/बेघर/बेसहारा/उपेक्षित बच्चे

2951. **श्रीमती चन्द्रेश कुमारी :**
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्री एस. अलागिरी :
श्रीमती रमा देवी :
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :
श्री पशुपति नाथ सिंह :
श्री सुरेश अंगड़ी :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में अनाथ/बेघर/बेसहारा/अपेक्षित बच्चों की संख्या का पता लगाने हेतु कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इन बच्चों की पहचान करने हेतु सरकार द्वारा क्या तंत्र अपनाया जा रहा है तथा उनके लिए कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं;

(घ) इन बच्चों के पुनर्वास हेतु चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इन योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा करती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा कितनी निधियां स्वीकृत की गईं और कितनी निधियां उपयोग में लाई गईं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (घ) महिला और बाल विकास मंत्रालय के पास अनाथ, बेघर, निराश्रित, उपेक्षित बच्चों के विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं क्योंकि इसकी संख्या में परिवर्तन होता रहता है। तथापि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अनाथ, बेघर, निराश्रित और उपेक्षित बच्चों सहित कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चों के पुनर्वास एवं एकीकरण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण स्कीम लागू कर रही है। समेकित बाल संरक्षण स्कीम के तहत राज्य सरकार एवं संघ शासित राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है साथ ही साथ जिला स्तर पर मुश्किल परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों का पारिस्थितिक विश्लेषण किया जाता है। राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन को समय-समय पर जिले की आवश्यकतानुसार मूल्यांकन करने और तद्नुसार समेकित बाल संरक्षण स्कीम तैयार करने को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त स्कीम में राज्य और जिला स्तर पर समर्पित सेवा प्रदान करने को कहा है जो पूरी तरह से योजना के क्रियान्वयन में लगे हों।

(ङ) और (च) समेकित बाल संरक्षण स्कीम, इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए क्रमशः राज्य और जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समिति और राज्य बाल संरक्षण समिति स्थापित करती है। इसके अतिरिक्त समेकिल बाल संरक्षण स्कीम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में गठित परियोजना अनुमोदन बोर्ड राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन से प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों पर विचार करती है और समेकित बाल संरक्षण स्कीम के क्रियान्वयन की संवीक्षा करती है। वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (27.3.2012 तक) के दौरान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को आवंटित राशि का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन को जारी की गई राशि सामान्यतः उनके द्वारा उपयोग की जाती है। तथापि, बकाया व्यय, यदि कोई हो, तो वह अगले वर्ष के लिए समायोजित कर दिया जाता है।

विवरण

समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को संस्वीकृत वर्ष-वार सहायतानुदान

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संस्वीकृत राशि (लाख रुपये)		
		2009-10	2010-11	2011-12 26.03.2012 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	504.90	902.54	2038.24
2.	असम	129.92	301.79	—
3.	बिहार	—	604.58	115.22
4.	छत्तीसगढ़	206.13	—	—
5.	गुजरात	269.42	490.54	626.37
6.	हरियाणा	25.89	371.86	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	314.47
8.	झारखंड	—	—	420.67
9.	कर्नाटक	203.11	381.67	1385.13
10.	केरल	149.16	320.21	333.33
11.	मध्य प्रदेश	481.62	—	240.31
12.	महाराष्ट्र	—	3730.28	1174.79
13.	मणिपुर	105.42	202.29	216.16
14.	मेघालय	—	102.13	211.25
15.	मिजोरम	—	195.36	—
16.	नागालैंड	190.12	—	942.51
17.	ओडिशा	146.42	545.38	546.98
18.	पंजाब	—	—	574.65
19.	राजस्थान	225.07	332.47	566.55
20.	सिक्किम	—	—	88.94
21.	तमिलनाडु	193.12	447.65	1276.56
22.	त्रिपुरा	—	221.40	198.38
23.	उत्तर प्रदेश	—	—	2142.25
24.	पश्चिम बंगाल	500.86	186.83	1205.52
25.	चंडीगढ़	—	—	17.96
26.	दिल्ली	—	237.29	341.93
27.	पुदुचेरी	—	107.22	—
	कुल	3390.75	9681.49	14978.17

ग्रामीण पर्यटन 714-15

2952. श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री नरहरि महतो :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण पर्यटन स्थलों का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में स्पष्ट कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने के लिए विदेशी पर्यटकों को कोई विशेष छूट देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय ग्रामीण पर्यटन स्थलों की यात्रा करने वाले

विदेशी पर्यटकों की संख्या से संबंधित आंकड़ों का अलग से संकलन नहीं करता है। तथापि, वर्ष 2008, 2009 और 2010 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विदेशी पर्यटक यात्रा की कुल अनुमानित संख्या क्रमशः 14.38 मिलियन, 14.37 मिलियन और 17.85 मिलियन थी।

(ग) से (ङ) ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श से पहचान किए गए ग्रामीण पर्यटन स्थलों में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ऐसे स्थलों में पर्यटन अवसंरचना के विकास तथा स्थानीय लोगों के क्षमता निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[हिन्दी] 715-717

चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन

2953. **श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :**
श्री अम्बिका बनर्जी :
श्री सुरेश कलमाडी :
श्री गोपाल कृष्ण शेखावत :
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :
डॉ. कृपारानी किल्ली :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों और संबद्ध चिकित्सालयों को सुदृढ़ बनाने और उनके उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसका राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और उक्त अवधि के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार निर्मुक्त की गई है;

(घ) क्या इनमें से अनेक प्रस्ताव मंजूरी हेतु लम्बित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा कब तक इन लम्बित प्रस्तावों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार मंजूर किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) से (ङ) नए स्नातकोत्तर विषय शुरू करने और स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान 93 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और 72 पात्र मेडिकल कॉलेजों को 501.00 करोड़ रुपये की रकम का भुगतान किया गया है। स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के घटक का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

विवरण

राज्य सरकारों के मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन

विगत तीन वर्षों (2009-10, 2010-11 और 2011-12) के दौरान राज्य सरकारों का मेडिकल कॉलेजों से प्राप्त प्रस्ताव और उन्हें निर्मुक्त निधियां

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	मेडिकल कॉलेजों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	वित्तपोषित मेडिकल कॉलेजों की संख्या	पहली किस्त के रूप में जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश	7	07	19.25
2.	बिहार	6	06	27.72
3.	ओडिशा	3	03	5.54
4.	असम	3	03	17.71
5.	चंडीगढ़	1	01	17.09
6.	हिमाचल प्रदेश	2	01	5.44
7.	मध्य प्रदेश	5	04	26.91

1	2	3	4	5
8.	पंजाब	2	02	8.09
9.	राजस्थान	6	06	51.91
10.	उत्तराखंड	1	01	2.65
11.	केरल	2	02	21.455
12.	पश्चिम बंगाल	9	08	37.81
13.	गोवा	1	01	3.83
14.	गुजरात	1	01	6.25
15.	त्रिपुरा	1	01	7.29
16.	छत्तीसगढ़	2	01	12.275
17.	महाराष्ट्र	13	11	129.57
18.	आंध्र प्रदेश	10	10	69.64
19.	जम्मू और कश्मीर	2	01	14.08
20.	झारखंड	3	02	16.49
21.	तमिलनाडु	1	00	00
22.	हरियाणा	1	00	00
23.	दिल्ली	1	00	00
24.	कर्नाटक	10	00	00
	कुल	93	72	501.00

[अनुवाद]

क्लीनिकल परीक्षण

2954. श्रीमती सुस्मिता बाउरी :
श्री एम.बी. राजेश :
श्री के. सुधाकरण :
डॉ. अनूप कुमार साहा :
श्री पी. करुणाकरन :
श्री ताराचन्द भगोरा :
श्री सुरेश अंगड़ी :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री नवीन जिन्दल :
श्री अशोक तंवर :
श्री रायय्या सिरिसिल्ला :
श्री पी. कुमार :
श्री देवजी एम. पटेल :
श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री कामेश्वर बैठा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानव पर क्लीनिकल परीक्षण और जैव चिकित्सा अनुसंधान की निगरानी के लिए क्या तंत्र है और गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अब तक देश में पंजीकृत क्लीनिकल परीक्षण की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न अनियमितताओं, दिशानिर्देशों के उल्लंघन, क्लीनिकल परीक्षण कराने वाले व्यक्तियों की मृत्यु और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में मरीजों पर बिना सहमति के किए जाने वाले परीक्षणों के ओर गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे सूचित मामलों और इसमें शामिल फार्मास्यूटिकल कम्पनियों की संख्या क्या है और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई, गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ शासित क्षेत्र-वार पीड़ितों को भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव बीमा और क्लीनिकल परीक्षण करने वाले व्यक्तियों के लिए मुआवजा उपबंधों सहित विभिन्न क्लीनिकल परीक्षण विनियमों को सुदृढ़ करने और पूरे देश में उनका कठोर अनुपालन सुनिश्चित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उनके अंतर्गत बनाये

गये नियमावली के तहत नईं औषधियों के नैदानिक परीक्षण को विनियमित किया जाता है। भारत औषध महानियंत्रक के अनुमोदन के पश्चात् और अनुमोदित प्रोटोकॉल के अनुरूप और उक्त नियमावली के तहत विनिर्दिष्ट आवश्यकता के अनुसार नैदानिक परीक्षण किए जाते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2009, 2010 और 2011 और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की साइट पर नैदानिक परीक्षण रजिस्ट्री—भारत यह पंजीकृत नैदानिक परीक्षणों की संख्या अभी तक क्रमशः 548, 806, 815 और 207 है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार डाटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि नैदानिक परीक्षणों की अनुमति उन आवेदकों को प्रदान की जाती है जो कि एक प्रायोजक अथवा नैदानिक अनुसंधान संगठन और परीक्षण करता हो। अधिकांश मामलों में ये बहु केन्द्रिक होते हैं।

(ख) और (ग) समूचे देश में मध्य प्रदेश सहित छानबीन किए गए मामलों की संख्या और उनकी अनियमितताओं, दिशा-निर्देशों का उल्लंघन दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विभिन्न कारणों से नैदानिक परीक्षण के दौरान मौतों की गंभीर प्रतिकूल घटनाएं घटित हो सकती है। ये रोग संबंधी मौतें जैसे कैंसर आदि अथवा गंभीर रूप से मरणासन बीमार मरीजों को औषधियां दिये जाने अथवा असंबद्ध कारणों व नैदानिक संबंधी मौतों के अलावा। विगत तीन वर्षों अर्थात् 2009, 2010 और 2011 के दौरान नैदानिक परीक्षणों में सूचित मौतों की कुल गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की संख्या उपलब्ध डाटा के अनुसार क्रमश 637, 668 और 438 है। वर्ष 2010 में मौतों के 22 मामले नैदानिक परीक्षण के कारण हुए थे। प्रायोजक/सीआओ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2010 से संबंधित नैदानिक परीक्षण संबंधी मौतों के सभी 22 मामलों में मुआवजा का भुगतान किया गया था।

(i) दिनांक 15.6.2009 से आईसीएमआर रजिस्ट्री में नैदानिक परीक्षणों के पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया गया है।

(ii) नैदानिक परीक्षण किए जाने के लिए प्रत्येक अनुमोदन/अनुमति में अब तक शर्त शामिल की गई है कि अध्ययन संबंधित मामले में चोट अथवा मौत में आवेदक को संपूर्ण चिकित्सा परिचर्या मुहैया करवाई जायेगी और साथ चोट अथवा मौत के लिए मुआवजा दिया जायेगा और इस संबंध में विवरण को भी सूचित सहमति फार्म में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चोट अथवा मौत के मामले में प्रदान किए जाने वाले मुआवजे के ब्यौरों को भारत के औषध महानियंत्रक को सूचित किया जाना होता है।

(iii) नैदानिक परीक्षण साइटों के निरीक्षण और प्रायोजक/नैदानिक अनुसंधान संगठन के दिशा-निर्देश तैयार कर लिये गये हैं।

सीडीएससीओ की जनशक्ति और बुनियादी सुविधा को सुदृढ़ बनाया जा रहा है ताकि पूर्वोक्त नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जा सके। परीक्षण संबंधी चोट अथवा मौत के मामले में परीक्षण किए जाने वाले व्यक्ति को वित्तीय मुआवजा मुहैया कराने के लिए दिनांक 18.11.2011 के राजपत्र सूचना जीएसआर संख्या 821 (ई.) के जरिए जनता की टिप्पणियों के लिए पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है।

विवरण

विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान नैदानिक परीक्षणों के संचालन में औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन तथा इन मामलों में की गई कार्रवाई

क्र. सं.	वर्ष	फर्म का नाम	स्थल का नाम	औषध	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
1.	2008	मैसर्स वाईथ इंडिया लिमिटेड	बाल चिकित्सा विभाग, सेंट जोन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बंगलूरु-34	13-वैलेंट न्युमोकोक्कल कंज्युगेट वैक्सीन	देश में एक स्थल पर 13-वेलेंट न्युमोकोक्कल कंज्युगेट वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण में शामिल परीक्षणाधीन व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्ट आई थी। मामले की

1	2	3	4	5	6
					जांच करने के लिए एक दल गठित किया गया था। इस दल ने 13.12.2008 तथा 14.12.2008 को निरीक्षण किया। निरीक्षण से प्रकट विभिन्न उत्तम नैदानिक/पद्धतियों (जीसीपी) के उल्लंघन प्रकट हुए। अत: संबंधित अन्वेषक, प्रायोजिक तथा मॉनीटर को चेतावनी पत्र जारी किए गए जिनमें उन्हें भविष्य में ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा गया। 06.11.2008 को सभी बारह स्थलों पर नैदानिक परीक्षण रोक दिया गया तथा यह 22.04.2009 तक लंबित रहा। प्रायोजक के जीसीपी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की गई विभिन्न सुधारात्मक कार्रवाई का उल्लंघन किया। केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने उसकी संवीक्षा की तथा निरीक्षण किए गए स्थल को छोड़कर सभी स्थलों से निलंबन को 23.04.2009 को रद्द करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, निरीक्षण किए गए स्थल के मॉनीटर तथा अन्वेषक ने भी अपने द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई का उल्लेख किया जिसके आधार पर 02.06.2009 को निरीक्षण वाले स्थल से भी निलंबन को रद्द कर दिया गया। वैक्सीन के कारण मौत का होना सिद्ध नहीं हुआ।
2.	2010	क्विटिल्स रिसर्च (इंडिया) प्रा.लि. बंगलूरु	भोपाल मेमेरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रायेन बाइपास, भोपाल, करोन्द, भोपाल, मध्य प्रदेश, इंडिया 462038	तेलावसिन बनाम बेंकोमाइसिन	भोपाल और इंदौर में किए गए औषधि परीक्षणों में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। सीडीएससीओ के अधिकारियों के एक दल ने भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में किए गए एक क्लीनिकल परीक्षण की जांच की है। जांच के निष्कर्षों से कुछ कमियों का पता चला जिसके लिए मुख्य अन्वेषक और मैसर्स क्विटिल्स लि. बंगलूरु से दिनांक 28.09.2010 के पत्र के तहत अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। प्रमुख अन्वेषक और मैसर्स क्विटिल्स लि. ने औषधि महानियंत्रक के कार्यालय (भारत) को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तत किया। डीसीजी (आई) के कार्यालय ने दिनांक 23.12.2010 को मुख्य अन्वेषक और मैसस क्विटिल्स लि. को चेतावनी पत्र जारी किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी कमियों/विसंगतियों की पुनरावृत्ति न हो।

1	2	3	4	5	6
3.	2010	पैथ (इन कोलाबोरेशन विद आईसीएमआर) ए-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, यूएसओ रोड, नई दिल्ली-110067 इंडिया	1. खम्माम जिला, आंध्र प्रदेश, बड़ोदरा जिला, गुजरात	ह्यूमन पपिलोमा वायरस वैक्सीन (एचपीवी वैक्सीन)	यह एक चरण-IV पोस्ट लाइसेंस क्लीनिकल ट्रायल था। यह परीक्षण एक गैर-सरकारी संगठन, पैथ (स्वास्थ्य में उपयुक्त प्रौद्योगिकी के लिए कार्यक्रम), द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् और आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्य सरकार सहयोगी भागीदार थे। आंध्र प्रदेश में 14091 लड़कियों ने वैक्सीन प्राप्त किया जबकि गुजरात में 10686 लड़कियों ने वैक्सीन प्राप्त किया। मीडिया ने परीक्षण के दौरान 7 लड़कियों की मौत होने की सूचना दी। परीक्षण को आईसीएमआर द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 2010 को निलंबित कर दिया गया। कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसने किए गए परीक्षण में कुछेक विसंगतियों की रिपोर्ट दी। पैथ ने अनियमितताओं के बारे में स्पटीकरण प्रस्तुत किया।
4.	2010	मैसर्स मेरिक लाइफ साईसेंज लि., वापी, गुजरात	मैसर्स एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, ओखला रोड, नई दिल्ली	बायोमार्डम सिरोलिम्स इलूटिंग कोरोनरी स्टेंट सिस्टम	परीक्षण चिकित्सा युक्ति के नैदानिक परीक्षण से संबंधित है जिसे डीसीजी (आई) द्वारा भारत में विनिर्माण और विपणन के लिए पहले ही अनुमोदित कर दिया गया था। जांच से पता चला कि डीसीजी (आई) के कार्यालय की अनुमति को छोड़कर औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों के अनुसार स्थल पर परीक्षण किया गया है। प्रायोजकों को भविष्य में डीसीजी (आई) के बिना किसी पूर्व अनुमोदन के परीक्षण नहीं करने की चेतावनी दी गई है।
5.	2011	डॉ अनिल भारानी एंड डा. आशीष पटेल	महाराजा यशवंत राव हॉस्पिटल एंड महात्मा गांधी मेमोरियल, कॉलेज, इंदौर-452001, मध्य प्रदेश	टडालाफिन इन पल्मोनरी आर्टेरियल हाईपरटेन्शन (पीएएच)	महाराजा यशवन्तराव अस्पताल तथा महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज, इंदौर में नैदानिक परीक्षण के मामलों का तथाकथित रूप से उल्लंघन किए जाने के संबंध में एक न्यूज रिपोर्ट मिली थी। इस समाचार में नैदानिक परीक्षण में पल्मोनरी आर्ट्रियल हाईपरटेंशन में औषधि टडालाफिल के इस्तेमाल के एक विशिष्ट मुद्दे का उल्लेख है। डीसीजी (आई) के कार्यालय ने 12.7.2011 को सीडीएससीओ (पश्चिमी जोन)

1	2	3	4	5	6
					को तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच करने का निदेश दिया। तद्नुसार एमजीएम मेडिकल कॉलेज तथा संबद्ध एमवाई अस्पताल, इंदौर में किए गए नैदानिक परीक्षणों के संबंध में 10.8.2011 को सीडीएससीओ (पश्चिमी जोन) के कार्यालय तथा राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जांच की गई। जांच की रिपोर्ट के अनुसार डॉ. अनिल भारानी तथा डॉ. आशीष पटेल द्वारा डीसीजी (आई) की अनुमति के बगैर वर्ग-1 पल्मोनरी आर्ट्रियल हाईपरटेंशन वाले रोगियों में टडालाफिल के साथ परीक्षण किया गया। पल्मोनरी आर्ट्रियल हाईपरटेंशन में टडालाफिक के साथ अध्ययन 18.9.2005 को किया गया था जब देश में अन्य संकेत के लिए औषधि अनुमोदित नहीं थी। तथापि, 10.6.2003 को दूसरे संकेत मेल इरेक्टाइल डिफंक्शन के लिए देश में औषधि को अनुमोदित किया गया। इसके मद्देनजर डीसीजी (आई) के कार्यालय ने दिनांक 2.11.2011 के पत्र के तहत दोनों डाक्टरों नामत: अनिल भारानी तथा डॉ. आशीष पटेल को पल्मोनरी आर्ट्रियल हाईपरटेंशन में टडालाफिल के नैदानिक परीक्षण को रोकने का निर्देश दिया और उन पर 6 माह की अवधि तक कोई नैदानिक परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगा दिया।
6.	2011	एक्सिज क्लिनिकल लिमिटेड, आंध्र प्रदेश	एक्सिज क्लिनिकल लिमिटेड (यूनिट नं. 1) प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम तथा पष्ठम तल एच नं. 1-121/1 एस नं. 66 (पार्ट) मियापुर, हैदराबाद-500050 एवं (यूनिट नं. 2) प्लॉट नं. 33 से 35, मीरा अस्पताल, प्रथम तल, अलुरी सीतारामराजु कालोनी, जेपीएन	कैंसर रोधी औषधों (एक्सेमिस्टेन 25 एमजी टैब्लेट) की जैव उपलब्धता तथा जैव-तुल्य अध्ययन	मैसर्स एक्सिज क्लिनिकल रिसर्च, हैदराबाद द्वारा समुचित सूचित सहमति के बगैर निर्धन लोगों पर कैंसर रोधी औषध का नैदानिक परीक्षण किए जाने की सूचना मिली थी। जांच से पता चला कि फर्म ने पहले से ही अनुमोदित कैंसररोधी औषध पर जैवतुल्यता अध्ययन किया और आचार समिति की सूचित सहमति प्रक्रिया, समीक्षा और निर्णय लेने की प्रक्रिया के संबंध में कुछ अनियमितताएं थीं। जैव-तुल्यता तथा जैव उपलब्धता अध्ययन करने हेतु फर्म को प्रदत्त अनुमति 22.6.2011 को निलंबित कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप फर्म ने 04.7.2011 को उनके द्वारा की जा रही सुधारात्मक कार्रवाईयों का ब्यौरा दिया

1	2	3	4	5	6
			कालोनी के सामने, मियापुर, हैदराबाद		जिनमें परीक्षाधीन व्यक्ति की भर्ती की प्रक्रिया के लिए संशोधित मानक प्रचालनात्मक प्रक्रियाएं, समीक्षा तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल है। आगे की जांच और सत्यापनों के आधार पर मैसर्स एक्सिज क्लिनिकल रिसर्च, हैदराबाद को श्रव्य-दृश्य साधनों के जरिए सूचित सहमति प्रक्रिया आचार समिति की कार्य प्रणाली एवं अन्वेषकों से संबंधित जैव-तुल्यता अध्ययन करने के लिए "एनओसी" प्रदान किया गया।

[हिन्दी]

727-32

आंगनवाड़ी निरीक्षक और कार्यकर्त्ता

2955. डॉ. राजन सुशान्त :
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :
श्री नवीन जिन्दल :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री महाबल मिश्रा :
श्री भूपेन्द्र सिंह :
श्री कादिर राणा :
श्रीमती कमलादेवी पटले :
श्रीमती श्रुति चौधरी :
श्री अब्दुल रहमान :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार आंगनवाड़ी निरीक्षकों और कार्यकर्त्ताओं की संख्या क्या है;

(ख) क्या आंगनवाड़ी निरीक्षकों और कार्यकर्त्ताओं की पूरे देश में भारी कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की है;

(घ) क्या सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं को भुगतान किए जा रहे मानदेय सहित विभिन्न लाभों की समीक्षा के लिए कोई समिति गठित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला है; और

(च) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है/कर रही है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ग) 31.12.2011 तक की रिपोर्टों के अनुसार 13.03 लाख प्रचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में 33,156 पर्यवेक्षक एवं 12,46,614 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां पद स्थापित थीं। संस्वीकृत एवं पदस्थापित पदों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। आईसीडीएस स्कीम के मानकों के अनुसार भारत सरकार आयोजना एवं नीतिगत मुद्दों के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्य सरकारें स्कीम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है। देश में आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों एवं कार्यकर्त्रियों की कमी के कारण मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिक्त पद भरने में प्रशासनिक, प्रक्रियात्मक एवं कानूनी विलम्ब के कारण है। महिला और बाल विकास मंत्रालय रिक्त पदों को भरने के साथ-साथ संस्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों/लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों के प्रचालन हेतु सभी अपेक्षित उपाय करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर बार-बार दबाव डालता रहता है।

(घ) से (च) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय के स्तर तथा उनसे संबंधित अन्य मुद्दों की जांच करने के लिए गठित समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2007 में प्रस्तुत कर दी। समीक्षा समिति की प्रमुख सिफारिशों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि, उनके लिए यूनीफार्म प्रावधान, उन्हें सौंप गए अतिरिक्त कार्यों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अतिरिक्त मानदेय का भुगतान शामिल है। सरकार ने इन सिफारिशों को उचित रूप से क्रियान्वित किया है।

विवरण

31.12.2011 तक की स्थिति के अनुसार आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के संस्वीकृत एवं भरे हुए पदों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पर्यवेक्षकों की संख्या		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की संख्या	
		भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत	भरे हुए पद	भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत	भरे हुए पद
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3626	2272	91307	81681
2.	अरुणाचल प्रदेश	273	258	6225	6028
3.	असम	2492	1294	62153	57656
4.	बिहार	3513	254	91968	80211
5.	छत्तीसगढ़	2446	1398	64390	47331
6.	गोवा	67	57	1262	1258
7.	गुजरात	2409	1780	52137	48490
8.	हरियाणा	1146	605	25962	17445
9.	हिमाचल प्रदेश	814	358	18925	18185
10.	जम्मू और कश्मीर	1174	856	28577	25954
11.	झारखंड	1288	672	38296	36278
12.	कर्नाटक	2711	2000	64518	61148
13.	केरल	1462	1145	33115	33013
14.	मध्य प्रदेश	3229	3059	90999	88877
15.	महाराष्ट्र	4227	3305	110486	101186
16.	मणिपुर	391	298	11510	9883
17.	मेघालय	192	169	5156	5113
18.	मिजोरम	102	82	1980	1980
19.	नागालैंड	146	145	3455	3455

1	2	3	4	5	6
20.	ओडिशा	2881	2079	72873	65983
21.	पंजाब	1152	680	26656	26202
22.	राजस्थान	2497	1616	61119	57256
23.	सिक्किम	55	46	1233	1198
24.	तमिलनाडु	1830	1300	55020	47444
25.	त्रिपुरा	405	292	9911	9906
26.	उत्तर प्रदेश	7222	4217	187517	177775
27.	उत्तराखंड	755	366	23159	16794
28.	पश्चिम बंगाल	5059	2306	117170	106002
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	31	22	720	697
30.	चंडीगढ़	20	10	500	420
31.	दिल्ली	432	183	11150	10517
32.	दादरा और नगर हवेली	11	8	267	246
33.	दमन और दीव	5	3	107	107
34.	लक्षद्वीप	4	4	107	107
35.	पुदुचेरी	36	17	788	788
	कुल	54103	33156	1370718	1246614

731-33

वाइरस विज्ञान संबंधी प्रयोगशालायें

2956. श्री जयवंत गंगाराम आवले :
श्री हरिन पाठक :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में वाइरस विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला सहित वाइरस विज्ञान नेटवर्क की स्थापना हेतु एक कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गुजरात सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इस उद्देश्य हेतु चिह्नित स्थान के नाम क्या हैं;

(ग) गुजरात सहित देश में वाइरस विज्ञान प्रयोगशालाओं के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्यवाई की गई/किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) जी, हां। वायरल संक्रमणों के निदान के लिए नैदानिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य और अनुसंधान विभाग ने देश के विभिन्न भागों में चरणबद्ध ढंग से विषाणु विज्ञान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने का एक कार्यक्रम तैयार किया है। तीन प्रकार की विषाणु विज्ञान नैदानिक प्रयोगशालाओं का प्रसार किया गया है:—

- ग्रेड-I प्रयोगशाला (इस प्रणाली के अंतर्गत उच्चतम कोटि की सुविधा) प्रत्येक राज्य में कम से कम एक ग्रेड-I प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- प्रत्येक राज्य में कम से कम 1-2 ग्रेड-II प्रयोगशालाएं स्थापित की जायेंगी।
- प्रत्येक राज्य में कम से कम 3-3 ग्रेड-III प्रयोगशालाएं स्थापित की जायेंगी।

तथापि, कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी हैं और कहां-कहां स्थापित की जानी हैं। यह अन्य बातों के साथ-साथ स्कीम के लिए 12वीं योजना के परिव्यय और अनिवार्य स्वीकृतियां लेने सहित अनेक कारकों पर निर्भर करेगा।

(ग) से (ङ) भाग (क) और (ख) में उल्लिखित कठिनाईयों के कारण कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है।

राज्य सरकार से गुजरात में बी.जे. मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद में राज्य प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

[अनुवाद]

वाणिज्य कर विभागों का कम्प्यूटीकरण

2957. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री संजय भोई :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की हाल में हुई बैठक में राज्यों द्वारा वाणिज्य कर विभागों का कम्प्यूटरीकरण करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में राज्यों को कोई सहायता प्रदान की गई है/प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कब तक सभी राज्यों द्वारा अपने वाणिज्य कर विभागों का कम्प्यूटरीकरण कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों (एमएमपीसीटी) के वाणिज्य कर विभागों के कम्प्यूटरीकरण हेतु एक मिशन मोड परियोजना का आरंभ किया गया था। तद्नुसार, फरवरी, 2010 मे मंत्रिमंडल ने 1133.41 करोड़ रुपए की समग्र लागत की इस परियोजना को अनुमोदित कर दिया, जिसमें से 800 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में है। 443.44 करोड़ रुपए की राशि पहले ही राज्यों को जारी की जा चुकी है।

(ङ) मार्च, 2013 तक राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की कम्प्यूटरीकरण परियोजनाओं के पूरा हो जाने की संभावना है।

रक्त उपयोग की तिथि समाप्त हो जाना

2958. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री संजय भोई :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री पूर्णमासी राम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार वार्षिक रक्त संग्रहण की तुलना में रक्त की वार्षिक आवश्यकता क्या है;

(ख) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लड बैंकों की संख्या क्या है और देश में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार रक्त की कमी को पूरा करने के लिए रक्त दान को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में बड़ी मात्रा में रक्त के उपयोग की तिथि समाप्त होने की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) देश में प्रतिवर्ष रक्त की अनुमानित आवश्यकता 1 करोड़ यूनिट है। अप्रैल, 2011 से जनवरी, 2012 तक का वार्षिक संग्रहण 77.14 लाख यूनिट है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) औषध महानियंत्रक (भारत) के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में 2517 रक्त बैंक मौजूद हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

देश में रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:—

(i) दाताओं की भर्ती एवं प्रतिधारण कार्यक्रम

(ii) युवाओं में जागरूकता लाने के लिए स्कूली शिक्षा कार्यक्रम

(iii) स्वैच्छिक रक्तदान पर जिला-वार प्रशिक्षण कार्यक्रम

(iv) सुगाहीकरण कार्यशालाएं

(v) विश्व रक्तदाता दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्त दान दिवस एवं युवा दिवस के समारोह।

(ग) से (च) एम्स से प्राप्त सूचना के अनुसार, सीएस केन्द्र, एम्स द्वारा एक जांच समिति हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली में दिनांक 22.01.2012 को "एम्स लेट्स प्रीसीयस ब्लड गो डाऊन ड्रेन" शीर्षक प्रकाशित खबर की जांच के लिए गठित की गई थी। समिति ने पाया कि पैकड रेड सेल की 140 यूनिटों को फेंक दिया गया था। तथापि, इन 140 ब्लड यूनिटों में से फ्रोजन प्लाजम, प्लेटलेट कनसंट्रेट, क्रायो प्रीसीपीटेट और क्रायो पूअर प्लाज्मा को प्रोसेस, भंडारित और उपयोग किया गया था। सिर्फ पैकेड ब्लड सेलों को 35 दिनों के बाद इस्तेमाल अवधि समाप्त हो जाने के कारण फेंक दिया गया है।

समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि एम्स के तीन रक्त बैंकों के बीच समन्वय, जारी करने के अनुरोध के प्रलेखन की नीति का अभाव है और संस्थान के अंदर व बाहर रक्त बैंकों की आपूर्ति में कमी है।

समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ सीएन रक्त बैंक के कम्प्यूटरीकरण, सीएन रक्त बैंक केन्द्र से अन्य जरूरतमंद रक्त बैंकों को 20 दिनों बाद रक्त का स्थानांतरण, संस्थान के तीनों रक्त बैंकों के बीच बेहतर समन्वय, रक्त संग्रहाण एवं भंडारण के अनुरोध का यौक्तिकरण, इस्तेमाल की अवधि की समाप्ति हो जाने वाले रक्त का शेयर करना इत्यादि की संस्तुति की है। संस्थान ने समिति की संस्तुति पर कार्रवाई शुरू की है।

विवरण-I

संग्रहित रक्त यूनिटों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची (अप्रैल, 2011 - जनवरी, 2012)

क्र.स.	राज्यों का नाम	संग्रहित कुल रक्त यूनिटें
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2758
2.	आंध्र प्रदेश	556745
3.	अरुणाचल प्रदेश	3890
4.	असम	162797
5.	बिहार	112253
6.	चंडीगढ़	70855
7.	छत्तीसगढ़	47205
8.	दादरा और नगर हवेली	4910
9.	दमन और दीव	1185
10.	दिल्ली	420481
11.	गोवा	14851
12.	गुजरात	729026

1	2	3
13.	हरियाणा	258875
14.	हिमाचल प्रदेश	25043
15.	जम्मू और कश्मीर	47862
16.	झारखंड	106804
17.	कर्नाटक	192641
18.	केरल	308510
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	327481
21.	महाराष्ट्र	1216946
22.	मणिपुर	19216
23.	मेघालय	7642
24.	मिजोरम	21402
25.	नागालैंड	7359
26.	ओडिशा	181589
27.	पुदुचेरी	21377
28.	पंजाब	339391
29.	राजस्थान	413200
30.	सिक्किम	3245
31.	तमिलनाडु	648253
32.	त्रिपुरा	11658
33.	उत्तर प्रदेश	699324
34.	उत्तराखंड	75801
35.	पश्चिम बंगाल	654128
	कुल	77,14,703

विवरण-II

देश में डीसीजी (आई) के अनुसार जुलाई, 2011 तक लाइसेंसशुदा उक्त बैंकों की संख्या

क्र. सं.	राजयों/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सरकारी बैंकों की संख्या	निजी रक्त बैंकों की संख्या	लाइसेंसशुदा रक्त बैंकों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	शून्य	3
2.	आंध्र प्रदेश	55	231	286
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	शून्य	3
4.	असम	36	33	69
5.	बिहार	37	30	67
6.	चंडीगढ़	3	1	4
7.	छत्तीसगढ़	18	25	43
8.	दादरा और नगर हवेली	1	शून्य	1
9.	दमन और दीव	1	शून्य	1
10.	दिल्ली	25	38	63
11.	गोवा	6	शून्य	6
12.	गुजरात	32	120	152
13.	हरियाणा	20	47	67
14.	हिमाचल प्रदेश	11	9	20
15.	जम्मू और कश्मीर	23	2	25
16.	झारखंड	22	19	41
17.	कर्नाटक	40	131	171
18.	केरल	34	119	153

1	2	3	4	5
19.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
20.	मध्य प्रदेश	51	81	132
21.	महाराष्ट्र	90	199	289
22.	मणिपुर	3	शून्य	3
23.	मेघालय	6	शून्य	6
24.	मिजोरम	8	2	10
25.	नागालैंड	4	शून्य	4
26.	ओडिशा	64	17	81
27.	पुदुचेरी	5	10	15
28.	पंजाब	48	51	99
29.	राजस्थान	48	42	90
30.	सिक्किम	3	शून्य	3
31.	तमिलनाडु	102	166	268
32.	त्रिपुरा	7	शून्य	7
33.	उत्तर प्रदेश	76	125	201
34.	उत्तराखंड	13	10	23
35.	पश्चिम बंगाल	75	36	111
	कुल	973	1544	2517

759-40

प्रति व्यक्ति विद्युत खपत

2959. **डॉ. कृपारानी किल्ली :**
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती दीपा दासमुंशी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति व्यक्ति औसत विद्युत खपत क्या है और वैश्विक औसत के रूप में इसकी क्या स्थिति है;

(ख) क्या सरकार ने देश में वर्ष 2017 तक प्रति व्यक्ति एक हजार यूनिट बिजली की आपूर्ति करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त लक्ष्य को पूरा करने के लिए विद्युत के स्रोत की पहचान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता बढ़ाने के लिए अन्य कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) वर्ष 2009 के लिए 2730 कि.वा. घं. के वैश्विक औसत की तुलना में देश में वर्ष 2009-10 में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 778.63 कि.वा. घं. प्रति वर्ष थी।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 के अनुसार, वर्ष 2012 तक विद्युत की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में 1000 यूनिट से अधिक की वृद्धि की जानी है। तथापि, अनुमान है कि 12वीं योजना के अंत (2016-17) तक देश में प्रति व्यक्ति खपत 1257 यूनिट तक पहुंच जाएगी।

(घ) 12वीं योजना के लिए विद्युत संबंधी कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार 11वीं योजना के दौरान 62,374 मे.वा. के मध्यावधि मूल्यांकन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य पर आधारित 12वीं योजना के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर क्षमता अभिवृद्धि आवश्यकता 75,785 मेगावाट है। 75,785 मे.वा. की क्षमता में 9,204 मे.वा. हाइड्रो 63,781 मे.वा. थर्मल तथा 2,800 मे.वा. परमाणु क्षमता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन योजना अध्ययनों के लिए 12वीं योजना के दौरान लगभग 18,500 मे.वा. की एक ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय क्षमता अभिवृद्धि पर विचार किया गया है।

(ङ) देश में विद्युत की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता सहित विद्युत की स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें थर्मल उत्पादन को लाइसेंस रहित करना, अल्ट्रा-मेगा पावर परियोजनाएं (यूएमपीपी) आरंभ करना, निवेशक अनुकूल नई हाइड्रो नीति 2008, विद्युत संयंत्र उपकरण की घरेलू विनिर्माण क्षमता के संवर्धन के लिए पहल, सुपर-क्रिटिकल प्रौद्योगिकी अपनाना, वृहद विद्युत नीति का उदारीकरण, कुशल एवं प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता में वृद्धि करना तथा उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि में तेजी लाना शामिल हैं।

740-41

[हिन्दी]

सेवा कर अपवंचन

2960. **श्रीमती भावना पाटील गवली :**
श्री एस. सेम्मलई :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संग्रहित सेवा कर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सेवा कर का भुगतान करने वाले सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अधिकारीगण नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर और निरंतर निगरानी के द्वारा कर अपवंचन के प्रयासों को विफल करने में सक्षम हो रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विफल किए गए इस प्रकार के प्रयासों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

741-70

ऋण माफी योजना

2961. **श्री मिथिलेश कुमार :**
श्री राधे मोहन सिंह :
श्री प्रेमदास :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री एन. पीताम्बर कुरुप :
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :
श्री प्रताप सिंह बाजवा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम के लिए सरकार द्वारा जारी पात्रता मानदंडों/दिशानिर्देशों और उक्त योजना के लिए समय-सीमा/बढ़ाई गई समय-सीमा, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना के अंतर्गत माफ किए गए ऋणों और इसके आरंभ से अब तक इससे लाभान्वित किसानों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार, बैंक-वार संख्या और उक्त योजना के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इसके आरंभ से अब तक योजना का कार्यान्वयन ठीक से नहीं होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसका राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार, बैंक-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) किसानों को ऋण मुक्त करने के लिए उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और बैंकों को आवंटित निधियों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सभी पात्र किसानों विशेषकर लघु और सीमान्त किसानों को राहत प्रदान करने के लिए और योजना की खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत स्कीम (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 01 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2007 के बीच किसानों को संवितरित सभी प्रकार के ऐसे कृषि ऋण, ऋण माफी/ऋण राहत के लिए पात्र थे जो 31 दिसंबर, 2007 की स्थिति के अनुसार अतिदेय थे और 29 फरवरी, 2008 तक अप्रदत्त पड़े थे। इस स्कीम का ऋण माफी हिस्सा 30.06.2008 को बंद हो गया। इस स्कीम का ऋण राहत हिस्सा 30.06.2010 को बंद हो गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के संदर्भ में स्कीम के क्रियान्वयन का राज्य-वार ब्यौरा संलगन विवरण-I में दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के संदर्भ में बैंक-वार ब्यौरा संलगन विवरण-II में दिए गए हैं। स्कीम के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने उधारदाता संस्थाओं को अब तक 52,516.86 करोड़ रु. जारी किए हैं।

(ग) से (च) भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा स्कीम के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को नोडल एजेंसी बनाया था। स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए बैंकों के शाखा स्तर तक एक विकेन्द्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र था।

शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों में 1.44 लाख कृषि खातों के लिए 141.15 करोड़ रु. की ऋण माफी दी गई है और 13645 कृषि खातों के लिए 18.38 करोड़ रु. की ऋण राहत दी गई है।

विवरण-I

एडीडब्ल्यूडीआरएस 2008 के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को दी गई ऋण में छूट एवं ऋण राहत दावों का विवरण-16.03.2012 तक की स्थिति*

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/बैंकों के नाम	ऋण में छूट		डीडब्ल्यू जीआरएम		ऋण में छूट		डीआर जीआरएम		कुल	
		खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	समेकित स्थिति										
	एससीबी	11096480	1557562.04	107271	6394.43	1769262	265132.90	0	1465.23	12973013	1830554.61
	एसएलडीबी	1688577	337409.45	24238	5087.52	254730	41813.16	221	27.07	1967766	384337.20
	आरआरबी	3361766	602660.08	12470	2632.77	500884	91414.65	2340	345.32	3877460	697052.82
	कुल	16146823	2497631.67	143979	14114.72	2524876	398360.71	13645	1837.62	18829323	2911944.62
1.	**अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह**										
	एससीबी	715	81.33	0	0	0	0.00			715	81.33
	एसएलडीबी (नं. एलडीबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी (नं. आरआरबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	000
	सकल जोड़	715	81.33	0	0	0	0.00			715	81.33
2.	**आंध्र प्रदेश**										
	एससीबी	2487188	346239.35	228	82.62	261681	32084.72			2749097	378406.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	एसएलडीबी (नं. एलडीबी में एपी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	535066	100827.12	51	6.49	107532	19661.65			642649	120495.26
	सकल जोड़	3022254	447066.47	279	89.11	369213	51746.37			3391746	498901.95
3.	**अरुणाचल प्रदेश**										
	एससीबी	11320	237.05	0	0	29	5.34			11349	242.39
	एसएलडीबी (नं. एलडीबी)	01	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	1013	235.12	37	17.27	0	0.00			1050	252.39
	सकल जोड़	12333	472.17	37	17.27	29	5.34			12399	494.78
4.	**असम**										
	एससीबी	13576	880.30	0	0	19	5.36			13595	885.66
	एसएलडीबी	95	48.38	0	0	13	2.68			108	51.06
	आरआरबी	72253	8188.57	0	0	681	66.81			72934	8255.38
	सकल जोड़	85924	9117.25	0	0	713	74.85			86637	9192.10
5.	**बिहार**										
	एससीबी	317028	33783.51	4673	624.48	0	0.00	0	0.00	321701	34407.99
	एसएलडीबी	15583	3458.80	0	0	324	202.13	0	0.00	15907	3660.93
	आरआरबी	449669	77263.74	5	80.61	14701	2344.20	2228	325.30	466603	80013.85
	सकल जोड़	782280	114506.05	4678	705.09	15025	2546.33	2228	325.30	804211	118082.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	**दिल्ली**										
	एससीबी	453	254.55	0	0	100	47.61			553	302.16
	एसएलडीबी (नं. एलडीबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी (नं. आरआरबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	सकल जोड़	453	254.55	0	0	100	47.61			553	302.16
7.	**गोवा**										
	एससीबी	2907	478.32	1	0.14	131	18.25			3039	496.71
	एसएलडीबी (नं. एलडीबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी (नं. आरआरबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	सकल जोड़	2907	478.32	1	0.14	131	18.25			3039	496.71
8.	**गुजरात**										
	एससीबी	314519	77372.06	0	20.7	128148	29872.08			442667	107264.84
	एसएलडीबी	9941	4680.91	0	0	0	3081.29			9941	7762.20
	आरआरबी	28709	4772.57	8	7.15	10425	2062.43			39142	6842.25
	सकल जोड़	353169	86825.64	8	27.85	138573	35015.80			491750	121869.29
9.	**हरियाणा**										
	एससीबी	261229	82961.49	164	43.63	91582	16180.97			352975	99186.09
	एसएलडीबी	49316	19502.66	19	102.69	10101	2056.30			59436	21661.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	आरआरबी	18991	6875.07	28	17.05	7423	2402.53			26442	9294.65
	सकल जोड़	329536	109339.22	211	163.37	109106	20639.80			438853	130142.29
10.	**हिमाचल प्रदेश**										
	एससीबी (पीएसीएस 1195 सहित)	113836	16699.30	64	20.64	567	123.98			114467	16843.92
	एसएलडीबी	10986	3897.64	0	0	1060	224.76			12046	4122.40
	आरआरबी	8294	1594.96	1	0.46	133	18.37			8428	1613.79
	सकल जोड़	133116	22191.90	65	21.1	1760	367.11			134941	22580.11
11.	**जम्मू और कश्मीर**										
	एससीबी	17929	2742.71	0	0	0	0.00			17929	2742.71
	एसएलडीबी	576	443.55	0	0	72	19.68			648	463.23
	आरआरबी	5414	1054.91	0	0	0	0.00			5414	1054.91
	सकल जोड़	23919	4241.17	0	0	72	19.68			23991	4260.85
12.	**झारखंड**										
	एससीबी	36736	4930.30	0	0	0	0.00			36736	4930.30
	एसएलडीबी (नं. एलडीबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	168733	14018.35	52	2.26	2680	215.03			171465	14235.64
	सकल जोड़	205469	18948.65	52	2.26	2680	215.03			208201	19165.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	**कर्नाटक**										
	एससीबी	164964	30715.88	9998	3447.25	20005	2441.31			194967	36604.44
	एसएलडीबी	77456	9057.36	501	19.52	25780	3000.82			103737	12077.70
	आरआरबी	239423	67485.87	240	82.79	135125	24077.86			374788	91646.52
	सकल जोड़	481843	107259.11	10739	3549.56	180910	29519.99			673492	140328.66
14.	**केरल**										
	एससीबी	524753	91668.52	73576	443.32	2347	667.72			600676	92779.56
	एसएलडीबी	126723	18196.36	0	0	3640	594.16			130363	18790.52
	आरआरबी	126650	36128.32	17	10.86	1130	289.06			127797	36428.24
	सकल जोड़	778126	145993.20	73593	454.18	7117	1550.94			858836	147998.32
15.	**मध्य प्रदेश**										
	एससीबी	870103	100567.04	0	0	158037	18160.02			1028140	118727.06
	एसएलडीबी	115394	33233.21	1103	585.87	43311	6655.71			159808	40474.79
	आरआरबी	77188	16205.18	1517	383.23	41084	7662.53			119789	24250.94
	सकल जोड़	1062685	150005.43	2620	969.10	242432	32478.26			1307737	183452.79
16.	**छत्तीसगढ़**										
	एससीबी	270165	18244.97	1463	0	93812	8752.02	0	0.00	355440	26996.99
	एसएलडीबी	10226	1869.04	582	79.13	4869	924.62	221	27.07	15898	2899.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	आरआरबी	52147	6844.54	2	0.43	9718	1667.98	2	0.54	61869	8513.49
	सकल जोड़	332538	26958.55	2047	79.56	108399	11344.62	223	27.61	443207	38410.34
17.	**महाराष्ट्र**										
	एससीबी	2197706	377078.07	1492	398.77	647072	109272.27			2846270	486749.11
	एसएलडीबी	98687	29230.36	0	9.3	37834	4403.66			136521	33643.32
	आरआरबी	72044	12031.97	455	78.36	38597	7218.14			111096	19328.47
	सकल जोड़	2368437	418340.40	1947	486.43	723503	120894.07			3093887	539720.90
18.	**मणिपुर**										
	एससीबी	41210	2019.53	0	0	105	50.56			41315	2070.09
	एसएलडीबी	30	21.20	23	15.17	2	0.58			55	36.95
	आरआरबी	16780	221.80	0	0	32	7.34			16812	229.14
	सकल जोड़	58020	2262.53	23	15.17	139	58.48			58182	2336.18
19.	**मेघालय**										
	एससीबी	4855	500.08	0	0	20	3.61			4875	503.69
	एसएलडीबी (नं. एलडीबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	5673	843.40	0	0	5	0.16			5678	843.56
	सकल जोड़	10528	1343.48	0	0	25	3.77			10553	1347.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	**मिजोरम**										
	एससीबी	1552	439.44	0	0	0	0.00			1552	439.44
	एसएलडीबी (नं. एलडीबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	5510	1358.04	0	0	310	7.98			5820	1366.02
	सकल जोड़	7062	1797.48	0	0	310	7.98			7372	1805.46
21.	**नागालैंड**										
	एससीबी	10813	1072.94	0	0	0	0.00			10813	1072.94
	एसएलडीबी (नं. एलडीबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	1091	191.88	0	0	5	1.93			1096	193.61
	सकल जोड़	11904	1264.62	0	0	5	1.93			1909	1266.55
22.	**पुदुचेरी**										
	एससीबी	6713	1344.09	0	0	129	13.13			6842	1357.22
	एसएलडीबी	303	172.12	0	0	0	0.00			303	172.12
	आरआरबी	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	सकल जोड़	7016	1516.21	0	0	129	13.13			7145	1529.34
23.	**ओडिशा**										
	एससीबी	1038201	126393.54	186	125.99	14798	1728.74	11084	1465.23	1064269	129713.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	एसएलडीबी	92130	13458.13	3583	711.98	1834	229.71			97547	14399.82
	आरआरबी	325836	40536.30	6544	815.41	14736	2308.37			347116	43660.08
	सकल जोड़	1456167	180387.97	10313	1653.38	31366	4366.82			1497848	186308.17
24.	**पंजाब**										
	एससीबी	89934	24218.76	1	0.56	12932	2007.01			102867	26226.33
	एसएलडीबी	26313	12498.19	0	0	25249	4497.05			515621	16995.24
	आरआरबी	6	2260.08	5	5.82	2564	728.85			2575	2994.73
	सकल जोड़	116253	36977.01	6	6.38	40745	7232.91			157004	46216.30
25.	**राजस्थान**										
	एससीबी	378957	57040.73	1182	205.62	284565	37973.32	0	0.00	664704	95219.671
	एसएलडीबी	109763	29056.18	1429	434.71	54413	9809.18	0	0.00	165610	39300.07
	आरआरबी	113816	24460.11	109	39.75	39930	7924.53	1	0.20	153856	32424.59
	सकल जोड़	602541	110557.02	2720	680.08	378908	55707.03	1	0.20	984170	166944.33
26.	**तमिलनाडु**										
	एससीबी	90264	12538.42	3	0.79	13442	1806.07			103709	14345.28
	एसएलडीबी	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	आरआरबी	41991	6345.39	6	0.64	5641	916.11			47638	7262.14
	सकल जोड़	132255	18863.81	9	1.43	19083	2722.18			151347	21607.42
27.	**सिक्किम**										
	एससीबी	529	82.69	0	0	7	1.50			536	84.19
	एसएलडीबी (नं. एलडीबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी (नं. आरआरबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	सकल जोड़	529	82.69	0	0	7	1.50			536	84.19
28.	**त्रिपुरा**										
	एससीबी	18553	3199.21	0	25.12	0	0.00			18553	3224.33
	एसएलडीबी	987	250.40	0	0	5	0.58			992	250.98
	आरआरबी	7280	638.66	0	0	24	2.34			7304	641.00
	सकल जोड़	26820	4088.27	0	25.12	29	2.92			26849	4116.31
29.	**उत्तर प्रदेश**										
	एससीबी	1067922	79492.97	1733	137.51	37684	3622.92	0	0.00	1107399	83253.40
	एसएलडीबी	894908	149207.99	16996	3128.46	46079	6090.92	0	0.00	957983	158427.39
	आरआरबी	844366	157535.24	3364	1079.13	67165	11632.21	109	19.28	915004	170265.86
	सकल जोड़	2807196	386236.20	22153	4345.12	150928	21346.05	109	19.28	2980386	411946.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	**उत्तराखंड**										
	एससीबी	72048	6933.81	37	6.22	1661	198.98			73746	7139.01
	एसएलडीबी (नं. एलडीबी)	0	0.00	0	0	0	0.00			0	0.00
	आरआरबी	9790	1273.71	0	0	725	96.93			10515	1370.64
	सकल जोड़	81838	8207.52	37	6.22	2386	295.91			84261	8509.65
31.	**पश्चिम बंगाल**										
	एससीबी	669802	57351.08	12410	811.07	389	95.42			682601	58257.57
	एसएलडीबी	49155	9126.97	2	0.67	144	19.33			49301	9146.97
	आरआरबी	134033	13469.30	29	5.06	518	101.31			134580	13575.67
	सकल जोड़	852990	79947.35	12441	816.8	1051	216.06			866482	80980.21
	कुल जोड़	16146823	2497631.57	143979	14114.72	2524876	398360.71	2561	372.39	18818239	2910479.39

*अनंतिम आंकड़े बैंकों से प्राप्त धन वापसी और संवितरण के कारण संशोधन के अध्यधीन।

विवरण-II

2008 एडीडब्ल्यूडीआरएस के बैंक-वार आंकड़े

(खातों की संख्या हजारों में और राशि वास्तविक रुपए)

क्र. सं.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	ऋण में छूट			ऋण राहत			13.3.12 कुल अदा रुपए
		कुल खाते	कुल दावे (रु.)	13.3.12 तक कुल अदा रुपए	कुल खाते	कुल दावे (रु.)	13.3.12 तक कुल अदा रुपए	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	भारतीय स्टेट बैंक	2429.25	53294410382.03	53294410382.03	714.703	14765942338	14765942338	68060352719.77
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1986.66	4163093370.25	4163093370.25	109.501	2614256324	2614256324	6777349694.74
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	293.82	5442321191.00	5442321191.00	84.665	1692559485	1692559485	7134880676.00
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	307.93	1614716193.95	1614716193.95	52.64	1166645755	1166645755	2781361948.77
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	750.90	2435488153.00	2435488153.00	27.055	761216165	761216165	3196704318.00
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	38.29	1434285373.56	1434285373.56	34.037	658555502.8	658555502.8	2092840876.37
7.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	118.76	3279188533.00	3279188533.00	6.207	151819223	151819223	3431007756.00
8.	इलाहाबाद बैंक	428.50	10418047072.00	10418047072.00	88.03	1898134579	1898134579	12316181651.07
9.	आंध्रा बैंक	397.84	7469608832.00	7469608832.00	78.45	1518040962	1518040962	8987649793.74
10.	बैंक ऑफ बड़ौदा	554.03	5060367844.00	5060367844.00	64.839	1333875904	1333875904	6394243748.00
11.	बैंक ऑफ इंडिया	339.92	6392185943.76	6392185943.76	71.707	1625103267	1625103267	8017289210.76
12.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	86.58	2192806730.72	2192806730.72	39.32	820085639	820085639	3012892369.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	केनरा बैंक	471.58	12601664112.45	12601664112.45	67.118	1707521305	1707521305	14309185417.62
14.	सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	449.98	9824675470.00	9824675470.00	87.213	2018830577	2018830577	11843506047.00
15.	कॉर्पोरेशन बैंक	42.76	1145867302.00	1145867302.00	13.945	348853971	348853971	1494721273.00
16.	देना बैंक	54.55	771748896.00	771748896.00	18.309	465424050	465424050	1237172946.00
17.	आईडीबीआई बैंक	11.27	273213581.00	273213581.00	4.106	82243008.16	82243008.16	355456589.16
18.	इंडियन बैंक	582.87	4602870616.00	4602870616.00	30.42	643171482	643171482	5246042098.00
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	311.00	5773479756.00	5829651280.00	50.172	931342316	920839088	6750490368.00
20.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	98.30	3700929661.00	3700809923.00	25.647	939890231.6	939890231.6	4640700154.64
21.	पंजाब नेशनल बैंक	339.40	11472784863.00	11472784863.00	98.043	2795782864	2795782864	14268567726.70
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	15.38	477226992.00	477226992.00	5.714	164643567	164643567	641870559.00
23.	सिंडिकेट बैंक	293.23	7368647864.15	7369717728.15	84.605	1822365785	1822365785	9192083512.89
24.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	275.94	7387857973.22	7387857973.22	57.885	1440178909	1440178909	8828036882.06
25.	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	144.94	2112247563.00	2111944545.00	1857.17	31592592	31592592	2143537137.00
26.	यूको बैंक	252.35	5377102680.00	5377102680.00	24.239	539658042.7	539656042.7	5916758722.67
27.	विजया बैंक	47.81	1478380299.21	1478613312.21	15.239	403917320	403917320	1882530632.21
	कुल	11123.83	1775(5217241.30	177622268893.30	3810.98	43341649163.59	43331145935.59	220953414828.89

निजी क्षेत्र के बैंक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	17.10	53120868.00	53120868.00	0.694	12632315	12632315	65753183.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	कैथोलिक सिरयान बैंक लि.	1.55	25964880.00	25964879.99	45.001	1985325	1985325	27950204.99
3.	सिटी यूनियन बैंक	5.61	97582109.63	97582109.63	0.686	14601177.52	14601177.52	112183287.15
4.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	2.15	43554034.28	43554034.28	0.059	1509173.81	1729584.81	45283619.09
5.	फेडरल बैंक लि.	18.77	1057019406.00	1057019405.99	2.557	201694072	201694072	1258713477.99
6.	एचडीएफसी बैंक लि.	0.43	28960769.00	28960768.99	0	0	41133578	70094346.99
7.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	672.03	254956102843	2549561028.42	16.204	213593478.9	213593478.90	2763154507.32
8.	कर्नाटक बैंक लि.	9.03	232127161.13	232127161.12	3.807	107826606.9	107826606.9	339953768.00
9.	करूर वैश्य बैंक लि.	16.60	347491744.88	347491744.87	3.73	24187515.83	24187515.83	371679260.70
10.	कोटेक महिन्द्रा बैंक लि.	0.18	5053295.00	5053295.00	0.057	892168	892168	5945463.00
11.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	9.48	175899020.00	175899020.00	2.383	37059058	37059058	212958078.00
12.	नैनीताल बैंक लि.	0.99	26251110.00	26251110.00	0.91	7030092	7030092	33281202.00
13.	रत्नाकर बैंक लि.	1.10	29962591.00	29962591.00	0	10715931	10715931	40678522.00
14.	साउथ इंडियन बैंक लि.	4.90	95248748.00	95248747.99	0.001	11151282	11151282	106400029.99
15.	तमिलनाडु बैंक लि.	4.18	68630891.00	68630890.99	2.093	29739481	29739481	98370371.99
16.	एक्सिस बैंक लि.	6.75	481190317.36	481190317.36	7.045	210339142	210339142	691529459.40
17.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	14.74	387201814.00	387201814.00	6.289	147902540.4	147902540.4	535104354.43
18.	जम्मू और कश्मीर बैंक लि.	8.25	205960974.00	205960974.00	0.435	14808204.79	14808204.79	220769178.79
	कुल	793.85	5910780761.71	5910780761.64	91.95	1047667564.20	108902155320	699980231444

क्र. सं.	स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के नाम	ऋण में छूट			ऋण में राहत			
		कुल खाते	कुल दावे	23.11.11 कुल अदा रुपए	कुल खाते	कुल दावे	23.11.11 कुल अदा रुपए	
1.	सुभद्रा लोकल एरिया बैंक	0.04	1073666.00	1073666.00	0.01	462368.00	462368.00	1536034.00
	कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि.	0.11	1737036.00	1737036.00	0.01	190433.00	190433.00	1927469.00
	कृष्ण भीम समरुद्दीन लैब लि.	2.08	9330194.00	9330194.00	0.03	298597.00	298597.00	9628791.00
	कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि.	0	0	0	0.05	5249942.00	5249942.00	5249942.00
	कुल	2.23	12140896.00	12140896.00	0.11	6201340.00	6201340.00	18342236.00
	अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक		3403735498.00	3403735498.00		185749591.50	185749591.50	3589485089.50

31.1.12 तक चुकाये गये कुल एडब्ल्यूडीआरएस	**रुपए**
सरकारी क्षेत्र के बैंक	220953414828.89
निजी क्षेत्र के बैंक	6999802314.84
लेब	18342236.00
यूसीबी	3589485089.50
कुल अदा	231561044469.23

2ए/ह 771-72

पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम

2962. श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
श्री थोकचोम मैन्या :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत को पोलियो प्रभावित देशों की सूची से हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम को जारी रखेगी या देश में पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम को बंद करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने पोलियो मुक्त राष्ट्र का दर्जा पाने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को उन जिलों में गहन निगरानी कार्यक्रम आरंभ करने का निर्देश जारी किया है जहां पोलियो के मामले पुनः सामने आए हों; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) जी, हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत को सक्रिय स्थानिकमारी वाइल्ड पोलियो वायरस संचरण वाले देशों की सूची से हटा दिया है।

(ख) सरकार पोलियो पोलियो वायरस की आवाजाही के जोखिम को कम करने के लिए पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम जारी रखेगी।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने पोलियो संबंधी भारतीय विशेषज्ञ सलाहकार समूह (आईईएजी) के संस्तुतियों के अनुसार पोलियो मुक्त राष्ट्र का दर्जा पाने के लिए कार्य योजना तैयार की है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(i) जनसंख्या प्रतिरक्षा कायम रखने के लिए दो राष्ट्रव्यापी पोलियो अभियान (राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवस) जिसके बाद उच्च जोखिम वाले राज्यों/उच्च जोखिम वाली जनसंख्या जैसे कि सचल एवं प्रवासी जनसंख्या में चार व्यापक पोलियो अभियान (उप राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवस) जारी रहेंगे जिससे कि किसी भी वाइल्ड पोलियो वाइरस का संचरण न हो सके। (ii) पोलियो के संचरण का प्रशमन करने के लिए भारत-पाक तथा भारत नेपाल सीमा पर सतत टीकाकरण किया जा रहा है (iii) पोलियो के मामलों का पता लगाने के लिए संवेदनशील निगरानी (iv) मुम्बई, दिल्ली, पटना तथा कोलकाता में पोलियो वाइरस का पता लगाने के लिए सीवेज नमूनों की पर्यावरणिक निगरानी की जा रही है। (v) किसी भी वाइल्ड पोलियो वाइरस मामले पर कार्रवाई करने के लिए आपातकालीन तैयारी तथा अनुक्रिया योजना विकसित की गई। (vi) उत्तर प्रदेश तथा बिहार के 107 उच्च जोखिम वाले ब्लॉकों जहां से देश में पोलियो मामलों की अधिकतम संख्या सूचित हो रही थी, को स्वच्छता, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वच्छ जल की उपलब्धता को बेहतर करने तथा अतिसार के नियंत्रण के लिए बहुमुखी कार्यनीति।

(ङ) और (च) जी, हां। सरकार ने राज्य सरकारों को किसी भी वाइल्ड पोलियो वायरस मामलों से निपटने के लिए गहन निगरानी व आपातकालीन तैयारी तथा अनुक्रिया योजना के लिए निर्देश जारी किए हैं।

2ए/ह 772-90

बीमारियों का नियंत्रण

2963. श्री प्रेमदास :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों सहित विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका परिणाम क्या निकला;

(ग) देश में संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों सहित उक्त बीमारियों के नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं प्रस्तावित हैं/कार्यान्वित की जा रही हैं;

(घ) क्या उक्त योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के नियंत्रण के लिए आवंटित निधियों का राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण और समुचित उपयोग किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) वर्ष 2001-2003 की अवधि से संबंधित आंकड़ों के आधार पर भारत के महापंजीयक द्वारा भारत में मौतों के कारणों के एक मूल्यांकन में निम्नलिखित 10 कारण इस प्रकार हैं:—

क्र. सं.	मौतों का कारण	प्रतिशत
1.	हृदयवाहिका रोग	18.8
2.	सीओपीडी, अस्थमा, अन्य श्वसनीय रोग	8.7
3.	अतिसार रोग	
4.	पैरीनैटाल कंडिशन्स	6.3
5.	श्वसारोग संक्रमण	6.2
6.	क्षयरोग	6.0
7.	मैलिग्नैंट एवं अन्य निओप्लाज्म	5.7
8.	सेनिलिटी	5.1
9.	अनियत चोटें: अन्य	4.9
10.	लक्षण संकेत एवं इल डिफाइंट कंडीशन्स	4.8

जहां तक प्रमुख रोगों का संबंध है जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, लैप्रोसी, क्षयरोग, एचआईवी एड्स, कैंसर व दृष्टिहीनता के सूचित/अनुमानित मामले विवरण-I से VIII में दिए गए हैं।

यह अनुमान है कि भारत में प्रति लाख आबादी पर लगभग 105 व्यक्ति मानसिक रोगों से ग्रसित हैं।

(ग) निवारण एवं नियंत्रण के लिए निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रम हैं:—

I. संचारी रोग

1. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
2. राष्ट्रीय कुष्ठअरोग उन्मुलन कार्यक्रम
3. राष्ट्रय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
4. संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

II. गैर-संचारी रोग

1. राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग, आघात के निवारण व नियंत्रण कार्यक्रम
2. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
3. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

(घ) और (च) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत आवंटित/निर्मुक्त एवं उपर्युक्त निधियों के ब्यौरे विवरण-IX में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2010 के दौरान मलेरिया के सूचित राज्य-वार मामले

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वर्ष 2010
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	33393
2.	अरुणाचल प्रदेश	17944
3.	असम	68353
4.	बिहार	1908
5.	छत्तीसगढ़	152209
6.	गोवा	2368
7.	गुजरात	66501
8.	हरियाणा	18921
9.	हिमाचल प्रदेश	210

1	2	3
10.	जम्मू और कश्मीर	802
11.	झारखंड	199842
12.	कर्नाटक	44319
13.	केरल	2299
14.	मध्य प्रदेश	87165
15.	महाराष्ट्र	139198
16.	मणिपुर	947
17.	मेघालय	41642
18.	मिजोरम	15594
19.	नागालैंड	4959
20.	ओडिशा	395651
21.	पंजाब	3477
22.	राजस्थान	50963
23.	सिक्किम	49
24.	तमिलनाडु	17086
25.	त्रिपुरा	23939
26.	उत्तराखंड	1672
27.	उत्तर प्रदेश	64606
38.	पश्चिम बंगाल	134795
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2484
30.	चंडीगढ़	351
31.	दादरा और नगर हवेली	5703
32.	दमन और दीव	204
33.	दिल्ली	251
34.	लक्षद्वीप	6
35.	पुदुचेरी	175
	समस्त भारत योग	1599986

विवरण-II

वर्ष 2010 के दौरान डेंगू के राज्य-वार सूचित मामले

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2010
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	776
2.	असम	237
3.	बिहार	510
4.	छत्तीसगढ़	4
5.	गोवा	242
6.	गुजरात	2568
7.	हरियाणा	866
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	जम्मू और कश्मीर	0
10.	झारखंड	27
11.	कर्नाटक	2285

1	2	3
12.	केरल	2597
13.	मध्य प्रदेश	175
14.	मेघालय	1
15.	महाराष्ट्र	1489
16.	मणिपुर	7
17.	नागालैंड	0
18.	ओडिशा	29
19.	पंजाब	4012
20.	राजस्थान	1823
21.	सिक्किम	0
22.	तमिलनाडु	2051
23.	त्रिपुरा	0
24.	उत्तर प्रदेश	960
25.	उत्तराखंड	178
26.	पश्चिम बंगाल	805
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25
28.	चंडीगढ़	221
29.	दिल्ली	6259
30.	दादरा और नगर हवेली	46
31.	पुदुचेरी	96
	कुल	28292

विवरण-III

वर्ष 2010 के दौरान चिकनगुनिया के राज्य-वार सूचित मामले

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2010
	1	2
1.	आंध्र प्रदेश	116
2.	बिहार	0
3.	गोवा	1429
4.	गुजरात	1709
5.	हरियाणा	26
6.	झारखंड	0
7.	कर्नाटक	8740
8.	केरल	1708
9.	मध्य प्रदेश	113
10.	मेघालय	16
11.	महाराष्ट्र	7431
12.	ओडिशा	544
13.	पंजाब	1
14.	राजस्थान	1326
15.	तमिलनाडु	4319
16.	उत्तर प्रदेश	5
17.	पश्चिम बंगाल	20503
18.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	59

1	2	3
19.	चंडीगढ़	0
20.	दिल्ली	120
21.	लक्षद्वीप	0
22.	पुदुचेरी	11
	कुल	48176

विवरण-IV

वर्ष 2010 के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत क्षय रोगियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2010
	1	2
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	804
2.	आंध्र प्रदेश	114414
3.	अरुणाचल प्रदेश	2360
4.	असम	39788
5.	बिहार	78510
6.	चंडीगढ़	2764
7.	छत्तीसगढ़	28042
8.	दादरा और नगर हवेली	397
9.	दमन और दीव	293
10.	दिल्ली	50476
11.	गोवा	2156

1	2	3
12.	गुजरात	77839
13.	हरियाणा	36589
14.	हिमाचल प्रदेश	14179
15.	जम्मू और कश्मीर	13482
16.	झारखंड	39467
17.	कर्नाटक	68673
18.	केरल	26255
19.	लक्षद्वीप	13
20.	मध्य प्रदेश	87823
21.	महाराष्ट्र	136133
22.	मणिपुर	3652
23.	मेघालय	4947
24.	मिजोरम	2300
25.	नागालैंड	3904
26.	ओडिशा	49869
27.	पुदुचेरी	1437
28.	पंजाब	40637
29.	राजस्थान	112987
30.	सिक्किम	1646
31.	तमिलनाडु	82457
32.	त्रिपुरा	2850
33.	उत्तर प्रदेश	277334

1	2	3
34.	उत्तराखंड	14755
35.	पश्चिम बंगाल	102396
	कुल	1521628

विवरण-V

वर्ष 2010 के दौरान कैंसर मामलों की राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार अनुमानित संख्या

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2010
	1	2
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	324
2.	आंध्र प्रदेश	72553
3.	अरुणाचल प्रदेश	1170
4.	असम	24460
5.	बिहार	87924
6.	चंडीगढ़	889
7.	छत्तीसगढ़	21752
8.	दादरा और नगर हवेली	282
9.	दमन और दीव	195
10.	दिल्ली	13201
11.	गोवा	1248
12.	गुजरात	51301
13.	हरियाणा	21473
14.	हिमाचल प्रदेश	5868
15.	जम्मू और कश्मीर	10615
16.	झारखंड	28013
17.	कर्नाटक	50436
18.	केरल	28682
19.	लक्षद्वीप	54
20.	मध्य प्रदेश	52485
21.	महाराष्ट्र	95706
22.	मणिपुर	1455
23.	मेघालय	2516
24.	मिजोरम	1160
25.	नागालैंड	1701
26.	ओडिशा	35878
27.	पुदुचेरी	1060
28.	पंजाब	23577
29.	राजस्थान	58271
30.	सिक्किम	357
31.	तमिलनाडु	77418
32.	त्रिपुरा	3132
33.	उत्तर प्रदेश	169419
34.	उत्तराखंड	8616
35.	पश्चिम बंगाल	77975
	कुल	1031166

विवरण-VI

वर्ष 2010 के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत एचआईवी रोगियों की कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2010
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	395
2.	आंध्र प्रदेश	499620
3.	अरुणाचल प्रदेश	1082
4.	असम	14244
5.	बिहार	120470
6.	चंडीगढ़	3067
7.	छत्तीसगढ़	39774
8.	दादरा और नगर हवेली	285
9.	दमन और दीव	251
10.	दिल्ली	34216
11.	गोवा	5440
12.	गुजरात	136875
13.	हरियाणा	15852
14.	हिमाचल प्रदेश	15852
15.	जम्मू और कश्मीर	8878
16.	झारखंड	5403
17.	कर्नाटक	23574
18.	केरल	245522
19.	लक्षद्वीप	40060
20.	मध्य प्रदेश	84803
21.	महाराष्ट्र	419789
22.	मणिपुर	26773
23.	मेघालय	1332
24.	मिजोरम	6025
25.	नागालैंड	13120
26.	ओडिशा	71813
27.	पुदुचेरी	2254
28.	पंजाब	56928
29.	राजस्थान	76316
30.	सिक्किम	231
31.	तमिलनाडु	154742
32.	त्रिपुरा	3425
33.	उत्तर प्रदेश	109352
34.	उत्तराखंड	5539
35.	पश्चिम बंगाल	167994
	कुल	2395444

विवरण-VII

वर्ष 2010-11 में कुष्ठ रोग मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार व्याप्तता दर

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	31.03.2011 तक रिकॉर्ड मामले
	1	2
1.	आंध्र प्रदेश	5110

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	58
3.	असम	1239
4.	बिहार	11221
5.	छत्तीसगढ़	5304
6.	गोवा	58
7.	गुजरात	5043
8.	हरियाणा	375
9.	हिमाचल प्रदेश	150
10.	झारखंड	3183
11.	जम्मू और कश्मीर	165
12.	कर्नाटक	2995
13.	केरल	802
14.	मध्य प्रदेश	4589
15.	महाराष्ट्र	9984
16.	मणिपुर	18
17.	मेघालय	33
18.	मिजोरम	15
19.	नागालैंड	79
20.	ओडिशा	3679
21.	पंजाब	741
22.	राजस्थान	1346
23.	सिक्किम	22
24.	तमिलनाडु	3571
25.	त्रिपुरा	90
26.	उत्तर प्रदेश	16484
27.	उत्तराखंड	376
28.	पश्चिम बंगाल	8944
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15
30.	चंडीगढ़	33
31.	दादरा और नगर हवेली	87
32.	दमन और दीव	2
33.	दिल्ली	1330
34.	लक्षद्वीप	2
35.	पुदुचेरी	47
	कुल	87190

विवरण-VIII

वर्ष 2001-04 के दौरान सर्वेक्षण के अनुसार राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अनुमानित दृष्टिहीन व्यक्ति

(अंक हजारों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	अनुमानित दृष्टिहीन व्यक्ति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1075331
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3919
3.	अरुणाचल प्रदेश	24877
4.	असम	812471

1	2	3
5.	बिहार	646455
6.	चंडीगढ़	9099
7.	छत्तीसगढ	334815
8.	दादरा और नगर हवेली	2359
9.	दमन और दीव	1691
10.	दिल्ली	155748
11.	गोवा	20429
12.	गुजरात	541388
13.	हरियाणा	398468
14.	हिमाचल प्रदेश	42541
15.	जम्मू और कश्मीर	162126
16.	झारखंड	379423
17.	कर्नाटक	938664
18.	केरल	178296
19.	लक्षद्वीप	667
20.	मध्य प्रदेश	700467
21.	महाराष्ट्र	919146
22.	मणिपुर	32963
23.	मेघालय	17065
24.	मिजोरम	6950
25.	नागालैंड	20881
26.	ओडिशा	513897
27.	पुदुचेरी	7596
28.	पंजाब	245322
29.	राजस्थान	875333
30.	सिक्किम	3513
31.	तमिलनाडु	484465
32.	त्रिपुरा	24572
33.	उत्तर प्रदेश	1560897
34.	उतराखंड	47486
35.	पश्चिम बंगाल	954632
	भारत	12143952

विवरण-IX

संचारी रोग

(लाख रुपये)

क्र. सं.	कार्यक्रम	2008-09		2009-10		2010-11	
		निर्मुक्ति/ आवंटन	व्यय	निर्मुक्ति/ आवंटन	व्यय	निर्मुक्ति/ आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	67994.02	58627.16	77337.19	55256.12	90796.96	71825.29

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम	4716.98	2946.51	4300.68	2918.36	4110.00	2790.52
3.	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	27289.53	27156.39	31116.36	30030.42	38050.82	33828.12
4.	संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	19089.08	18845.13	21271.30	21025.64	24270.44	25031.29

गैर-संचारी रोग

(लाख रुपये)

क्र. सं.	कार्यक्रम	2008-09		2009-10		2010-11	
		निर्मुक्ति/ आवंटन	व्यय	निर्मुक्ति/ आवंटन	व्यय	निर्मुक्ति/ आवंटन	व्यय
1.	राष्ट्रीय कैंसर निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम	120.00	109.00	95.00	28.83	180.00	30.99
2.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	70.00	23.26	70.00	51.99	120.00	90.91
3.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	231.86	225.23	235.55	169.50	184.07	226.04

[अनुवाद] 789-96

बाल गृह/अनाथालय

2964. श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री मनीष तिवारी :
श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्री प्रबोध पांडा :
श्री वरुण गांधी :
श्रीमती चन्द्रेश कुमारी :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रहे अपंजीकृत और पंजीकृत बाल गृहों तथा अनाथालयों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार, श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रबंधन द्वारा ऐसे संस्थानों में रह रहे बच्चों पर किए जा रहे कथित उत्पीड़न पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पता चले ऐसे मामलों की संख्या कितनी है तथा उक्त अवधि के दौरान दोषसिद्ध व्यक्तियों का दिल्ली सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में बाल गृहों और अनाथालयों के कार्यकरण, वित्त पोषण और संचालन के संबंध में सरकार द्वारा किए गए किसी अध्ययन या जांच का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में संशोधन करने का है ताकि इन बाल गृहों और अनाथालयों को उक्त अधिनियम के दायरे में लाया

जा सके तथा बच्चों को शोषण से बचाने के लिए इसमें दंडात्मक प्रावधान किए जा सकें और इन बाल गृहों और अनाथालयों के कार्यकरण की निगरानी हेतु किसी तंत्र का गठन किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उक्त संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) अनाथालयों की स्थापना इन दोनों अर्थात स्त्री और बाल संस्था (अनुज्ञप्ति) अधिनियम, 1956, अनाथालय और अन्य पूर्तगृह (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रयोज्य हो और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में से किसी एक अधिनियम के अंतर्गत किया जा सकता है। इन कानूनों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति/मान्यता और पंजीकरण राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के द्वारा किया जाता है। अतः देश में चलाए जा रहे अपंजीकृत बाल गृहों और अनाथालयों की संख्या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से सरकार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 का क्रियान्वयन कर रही है और समेकित बालक संरक्षण स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत गृहों और विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों की स्थापना एवं रखरखाव हेतु वित्तीय सहायता दे रही है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक बाल गृहों और वित्तीय सहायता-प्राप्त विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियों सहित विभिन्न प्रकार के गृहों की संख्या का ब्यौरा और आईसीपीएस के अंतर्गत संस्वीकृत निधि का ब्यौरा राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियों का उपयोग सामान्यतः उनके द्वारा कर लिया जाता है। तथापि, यदि कोई अव्ययित शेष हो तो उसे आगामी वर्ष के लिए पात्र अनुदान से समायोजित किया जाता है।

(ख) और (ग) जी, हां। सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(घ) वर्ष 2009-10 के पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश के भीतर दत्तक ग्रहण प्रोत्साहित करने के लिए किशोर न्याय हेतु कार्यक्रम और गृहों (शिशु गृहों) को सहायता हेतु स्कीम के अंतर्गत अनाथों सहित कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के गृहों और शिशु गृहों की स्थापना करने और प्रबंधन करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को वित्तीय सहायता देता था। वर्ष 2007 में इन स्कीमों पर मूल्यांकन अध्ययन किया गया। इन अध्ययनों के निष्कर्षों से पता चलता है कि बहुत से मामलों में अवसंरचना तथा कर्मचारी एवं उनके वेतन अपर्याप्त थे; वांछित स्तर पर देखरेख की गुणवत्ता नहीं थी; बाल गृहों में औपचारिक शिक्षा की सुविधाओं को उचित रूप से विकसित करने की आवश्यकता है; विशेष आवश्यकता वाले विशेषरूप से विकलांग बच्चों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है तथा बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को उपकरण युक्त बनाने में समर्थ बनाने हेतु क्षमता विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है। ''देश के भीतर दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए गृहों (शिशु गृह) को सहायता स्कीम'' के मामले में दत्तक ग्रहण एजेंसियों और स्वैच्छिक समन्वयन एजेंसी के बीच समन्वय का अभाव भी एक समस्या थी। इन स्कीमों का वर्धित वित्तीय सहायता और बेहतर प्रक्रियाओं के साथ आईसीपीएस में विलय कर दिया गया है।

(ङ) और (च) किशोर न्याय अधिनियम की धारा 34(3) में पहले ही यह उपबंध किया गया है कि बालकों की देखरेख और संरक्षण हेतु सभी संस्थाओं का अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण किया जाएगा। तथापि, वर्तमान में अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण न कराई गई संस्थाओं के लिए कोई दांडिक उपबंध नहीं है, इसके लिए संशोधन पर विचार किया जा रहा है।

इसके अलावा, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 23 में जिस व्यक्ति का बच्चों पर वास्तविक प्रभार या नियंत्रण हो और वह बच्चे पर प्रहार करता, उसका परित्याग करता, जोखिम में डालता या जानबूझकर बच्चे की उपेक्षा करता या उस प्रयोजन के लिए बच्चे को प्राप्त करता जिससे बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होता है, उस व्यक्ति के लिए कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों के उपबंध किए गए हैं।

अधिनियम के अंतर्गत गृहों के मॉनीटरन धारा 35 के अंतर्गत स्थापित राज्य और जिला स्तरीय निरीक्षण समितियों के माध्यम से किया जाना निर्धारित है। इसके अलावा, धारा 36 में भी गृहों के कार्यकरण का मॉनीटरन करने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा के उपबंध हैं।

अधिनियम में संशोधन करने के लिए कोई समय ढांचा विनिर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके लिए मंत्रिमंडल और उसके बाद संसद का अनुमोदन अपेक्षित है।

विवरण

समेकित बाल संरक्षण स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त बाल गृहों एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों सहित विभिन्न प्रकार के गृहों तथा राज्य-वार एवं वर्ष-वार संस्वीकृत राशि

क्र. सं.	राज्य का ना	2009-2010				2010-2011				2011-2012 (27.03.2012 तक)			
		संस्थागत देखरेख (गृह)		विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां		संस्थागत देखरेख (गृह)		विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां		संस्थागत देखरेख (गृह)		विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां	
		सहायता प्राप्त गृहों की संख्या	राशि (रुपये लाखों)	सहायता प्राप्त एजेंसियों की संख्या	राशि (रुपये लाखों)	सहायता प्राप्त गृहों की संख्या	राशि (रुपये लाखों)	सहायता प्राप्त एजेंसियों की संख्या	राशि (रुपये लाखों)	सहायता प्राप्त गृहों की संख्या	राशि (रुपये लाखों)	सहायता प्राप्त एजेंसियों की संख्या	राशि (रुपये लाखों)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	22	78.24	23	65.35	102	553.50	23	119.48	102	1036.80	23	142.88
2.	असम	7	20.59	1	4.54	5	52.36	5	15.15	0	0.00	0	0.00
3.	बिहार	—	—	—	—	21	363.62	3	10.80	14	73.09	3	13.59
4.	छत्तीसगढ़	13	37.63	0	0.00	—	—	—	—	—	—	—	
5.	गुजरात	57	228.49	8	37.06	57	252.26	9	17.13	57	316.12	9	27.34
6.	हरियाणा	9	20.76	1	5.13	12	212.24	1	6.43	—	—	—	
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	22	156.77	1	4.12
8.	झारखंड	—	—	—	—	—	—	—	—	16	150.37	3	11.90
9.	कर्नाटक	76	121.87	4	21.79	62	215.13	9	26.29	63	1076.66	23	133.25
10.	केरल	30	36.56	2	16.42	31	206.42	3	24.30	28	353.69	14	62.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	मध्य प्रदेश	0	0.00	0	0.00	—	—	—	—	24	91.44	14	52.92
12.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	738	3201.28	17	172.17	91	1061.73	17	112.45
13.	मणिपुर	12	24.65	6	32.21	12	26.43	6	39.70	13	174.11	1	8.10
14.	मेघालय	—	—	—		4	29.44	0	0.00	18	133.62	0	0.00
15.	मिजोरम	—	—	—		4	15.74	4	21.56	—	—	—	—
16.	नागालेंड	2	6.21	0	0.00	—	—	—	—	12	87.48	4	19.26
17.	ओडिशा	5	11.06	12	44.14	29	255.36	19	61.22	27	110.81	19	63.02
18.	पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	—	15	231.13	5	19.83
19.	राजस्थान	63	194.19	2	10.94	0.00	0.00	5	22.17	63	646.91	5	24.44
20.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9.67	1	1.80
21.	तमिलनाडु	42	183.37	0	0.00	41	60.04	16	41.85	41	790.86	18	106.14
22.	त्रिपुरा	—	—	—	—	9	175.65	3	6.80	11	114.50	9	36.52
23.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	67	900.46	5	62.49
24.	पश्चिम बंगाल	39	92.76	1	5.47	43	258.91	20	59.98	55	530.19	15	80.43
25.	दिल्ली	—	—	—	—	23	164.15	0	0.00	25	319.49	0	0.00
26.	पुदुचेरी	—	—	—	—	6	69.77	0	0.00	—	—	—	—
	कुल	377	1056.38	60	243.05	1199	4511.66	143	645.03	757	8365.90	189	982.78

[हिन्दी]

797 802

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना

2965. **श्री उदय प्रताप सिंह :**
श्री लालचन्द कटारिया :
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :
श्री सी.एम. चांग :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में चालू वित्त वर्ष के दौरान मंजूर/स्थापित डिस्पेंसरी भवनों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों सीएचसी और स्वास्थ्य उपकेन्द्रों (एससीएस) की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी निधियां राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार आवंटित और उपयोग की गई हैं; और

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) 'वित्त वर्षों 2008-09 से 2011-12 हेतु उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नवनिर्माणों/नवीकरण के लिए मिशन फ्लेक्सिपूल के तहत किए गए वित्तीय आवंटन एवं व्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय होने के नाते, एससी, पीएचसी तथा सीएचसी को खोलने/उन्नयन करने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

विवरण

वित्त वर्षों 2008-09 से 2011-12 हेतु उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नवनिर्माणों/ नवीकरण और स्थापना के अंतर्गत किए गए आवंटन एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य								
1.	बिहार	60.00	1.76	73.53	11.65	33.07	3.59	4.89	4.50
2.	छत्तीसगढ़	5.30	0.25	21.00	—	60.00	0.54	82.63	15.23
3.	हिमाचल प्रदेश	15.01	—	27.00	31.34	7.00	7.13	0.05	1.07
4.	जम्मू और कश्मीर	—	1.62	40.00	44.51	35.00	55.60	34.00	11.01
5.	झारखंड	25.00	25.60	12.95	5.26	17.91	17.98	50.30	10.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	मध्य प्रदेश	33.04	25.66	27.00	26.78	37.00	20.98	17.22	8.00
7.	ओडिशा	57.20	0.86	10.69	9.84	9.23	1.94	3.78	2.73
8.	राजस्थान	99.90	85.19	141.30	129.74	147.13	149.56	4.50	70.44
9.	उत्तर प्रदेश	90.25	81.17	437.79	176.52	144.00	158.08	134.07	56.15
10.	उत्तराखंड	3.00	—	2.46	—	—	—	0.27	1.44
	उप-योग	388.69	222.13	793.71	435.63	490.34	415.40	331.70	180.68
	राज्य								
11.	अरुणाचल प्रदेश	2.72	4.89	5.51	7.94	8.29	9.96	4.78	4.40
12.	असम	84.95	179.70	103.02	89.36	251.78	92.77	146.22	119.04
13.	मणिपुर	1.82	3.51	16.78	3.37	6.57	5.22	12.24	3.72
14.	मेघालय	11.98	0.83	9.61	1.70	1.57	—	0.24	0.03
15.	मिजोरम	14.50	4.84	10.73	10.54	5.92	11.00	1.23	0.07
16.	नागालैंड	3.28	5.41	14.33	4.47	13.49	7.29	0.55	7.74
17.	सिक्किम	—	—	1.38	3.10	1.14	3.80	2.18	0.58
18.	त्रिपुरा	12.67	7.04	58.88	4.10	2.69	29.61	12.43	34.70
	उप-योग	131.91	206.23	220.24	124.58	291.45	159.64	179.88	170.28
	अधिक ध्यान न दिए जाने वाले राज्य								
19.	आंध्र प्रदेश	54.23	—	70.05	42.01	115.00	14.12	34.33	37.00
20.	गोवा	—	—	—	—	1.60	0.05	054	0.46
21.	गुजरात	12.11	12.78	15.99	19.11	27.20	44.61	—	12.79
22.	हरियाणा	—	0.12	31.00	46.00	20.38	27.55	—	10.00
23.	कर्नाटक	39.00	—	45.00	64.73	26.80	47.06	67.50	20.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	केरल	11.48	—	20.19	24.39	19.64	3.47	20.27	5.08
25.	महाराष्ट्र	67.36	89.40	78.27	69.79	42.67	65.35	94.98	27.36
26.	पंजाब		—	18.85	0.20	—	2.58	—	2.88
27.	तमिलनाडु	42.60	—	16.71	9.79	23.83	11.97	38.60	26.88
28.	पश्चिम बंगाल	23.76	7.45	90.88	9.20	63.78	60.84	103.82	14.24
	उप-योग	250.53	109.76	386.94	285.22	340.90	277.61	360.04	156.69
	सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र								
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.80	—	—	0.03	0.06	0.97	—	—
30.	चंडीगढ़	0.30	0.08	—	—	0.04	0.00	—	—
31.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	दमन और दीव	—	—	—	0.00	—	0.00	—	—
33.	दिल्ली	0.50	1.24	—	0.86	10.54	3.33	28.54	0.13
34.	लक्षद्वीप	—	—	—		—	—	—	—
35.	पुदुचेरी	—	—	0.01	0.00	0.06	0.04	0.67	0.20
	उप-योग	1.60	1.32	0.01	0.89	10.69	4.34	29.21	0.33
	महायोग	772.74	539.43	1,400.89	846.32	1,133.39	856.99	900.83	507.98

व्यय के उपर्युक्त आंकड़े एफएमआर के अनुसार हैं।

प्राथमिक क्षेत्र के लिए ऋण प्रदान करना

2966. श्री दिनेशचन्द्र यादव :
श्री अनन्त कुमार हेगड़े :
श्री सुरेश अंगड़ी :
श्री आर. थामराईसेलवन :
श्री जोस के. मणि :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के संबंध में नायर समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें और इनके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ग) क्या पीएसएल के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरित ऋण में ऐसे बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संवितरित कुल ऋण की तुलना में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार, क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विदेशी बैंकों सहित उक्त बैंकों ने उक्त अवधि के दौरान पीएसएल के तहत ऋण प्रदान करने में अनिच्छा प्रदर्शित की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) पीएसएल के अंतर्गत पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने के लिए सरकार/आरबीआई द्वारा किए गए/किए जा रहे उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) नायर समिति, जिसका गठन मौजूदा वर्गीकरण की पुनः जांच करने तथा प्राथमिक क्षेत्र ऋण वर्गीकरण के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश का सुझाव देने के लिए किया गया था, ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। समिति की मुख्य सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:—

- घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिक क्षेत्र उधार के अंतर्गत लक्ष्य को समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्र बाह्य ऋण के तुल्य ऋण (सीईओबीई), जो भी अधिक हो, के 40% तक बनाए रखना। तथापि, विदेशी बैंकों के लिए 40% का लक्ष्य प्रस्तावित है।

- कृषि ऋण के लिए 18% के समग्र लक्ष्य के भीतर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कृषि ऋण के अंतर को समाप्त करने का प्रस्ताव है। छोटे तथा सीमांत किसानों को बैंक द्वारा दिए गए ऋण के लिए एएनबीसी के 9 प्रतिशत के उपलक्ष्य को 2015-16 तक चरणबद्ध रूप में चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार सूक्ष्म उद्यमों को दिए गए ऋणों के लिए एएनबीसी के 7 प्रतिशत के उपलक्ष्य को वर्ष 2013-14 तक चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है।

- सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्याय (सीजीटीएमएसई) के समान छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए कृषि ऋण जोखिम प्रतिभूति निधि स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

- अलग-अलग महिला को प्राथमिक क्षेत्र ऋण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा कम आय वाले वर्गों को आवास ऋण सहित कमजोर वर्गों के ऋण के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

- प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पात्र होने के लिए विभिन्न कार्यकलापों की अधिकतम सीमा को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है।

- घरों के लिए ग्रिड से इतर सौर तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा साधन स्थापित करने के लिए लोगों को दिए गए ऋणों को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, अन्य संस्थाओं एवं आम जनता के विचार/टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट को आरबीआई की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

(ग) से (छ) आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋणों में गत तीन वर्षों के दौरान कमी नहीं आई है। सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के एएनबीसी या सीईओबीई की प्रतिशतता के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के अंतर्गत बैंक-वार और क्षेत्र-वार उपलब्धि का संलग्न विवरण-I और विदेशी बैंकों की उपलब्धि को संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार प्राथमिक क्षेत्र लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहने वाले बैंकों को अंशदान में हुई कमी के बराबर राशि को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) या अन्य वित्तीय संस्थाओं की निधियों में आवंटित करना होता है।

विवरण-I

समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या सीईओबीई, जो अधिक हो, की प्रतिशतता के रूप में कुल प्राथमिक क्षेत्र ऋण

क्र. सं.	बैंक का नाम	मार्च, 2009 के अंतिम शुक्रवार को दी गई सूचना के अनुसार			मार्च, 2010 के अंतिम शुक्रवार को दी गई सूचना के अनुसार			मार्च, 2011 के अंतिम शुक्रवार को दी गई सूचना के अनुसार		
		कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	कुल कृषि संबंधी अग्रिम	कमजोर वर्ग को अग्रिम	कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	कुल कृषि संबंधी अग्रिम	कमजोर वर्ग को अग्रिम	कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	कुल कृषि संबंधी अग्रिम	कमजोर वर्ग को अग्रिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	सरकारी क्षेत्र के बैंक									
1.	इलाहाबाद बैंक	40.3	18.1	10.1	41.3	18.7	10.5	43.0	18.2	10.5
2.	आंध्रा बैंक	43.3	19.8	14.2	41.2	19.9	13.5	38.5	17.3	12.3
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	46.4	16.9	9.7	44.4	16.7	10.0	43.6	17.5	10.1
4.	बैंक ऑफ इंडिया	46.7	18.2	11.8	46.4	16.3	11.6	45.6	16.1	13.5
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	40.1	15.2	6.4	40.3	14.5	6.2	38.7	11.1	6.4
6.	केनरा बैंक	46.0	19.0	10.2	43.9	18.6	10.8	44.1	18.5	11.1
7.	सेंट्रल बैंक इंडिया	38.7	165	10.0	40.9	17.9	10.1	37.8	16.9	10.1
8.	कॉर्पोरेशन बैंक	40.2	11.1	5.4	40.8	12.3	5.9	32.1	6.8	7.0
9.	देना बैंक	41.6	15.5	6.3	40.2	15.8	7.0	42.4	16.2	7.5
10.	इंडियन बैंक	47.5	19.9	10.7	43.9	18.6	10.7	43.0	18.5	10.2
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	41.6	18.5	10.7	39.6	17.9	10.2	44.5	21.8	10.2
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	40.7	13.3	5.5	41.6	13.9	6.0	41.3	14.8	7.3
13.	पंजाब नैशनल बैंक	41.5	19.7	11.2	40.6	19.5	10.3	40.7	19.3	10.1
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	40.1	14.1	9.1	43.5	18.2	8.7	40.5	15.0	9.6
15.	सिंडिकेट बैंक	46.8	18.4	10.6	45.9	18.4	10.5	46.2	18.6	10.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	47.7	16.0	8.4	44.4	15.5	9.6	41.9	14.1	10.1
17.	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	41.4	13.0	9.2	40.3	12.0	10.5	41.5	13.1	12.0
18.	यूको बैंक	49.4	19.0	11.4	54.0	20.9	12.8	38.8	157	10.4
19.	विजया बैंक	42.0	14.0	9.5	40.6	14.6	9.7	35.0	11.9	9.1
20.	आईडीबीआई बैंक	27.5	10.1	1.5	28.4	11.1	1.9	29.5	10.3	2.7
21.	भारतीय स्टेट बैंक	42.5	18.3	11.5	40.7	180	12.1	42.0	16.6	10.4
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	43.9	19.1	10.7	44.1	20.1	16.9	41.8	20.4	17.4
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	40.2	18.8	12.8	41.6	18.5	12.2	51.5	18.6	4.1
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	39.3	16.8	10.3	34.5	14.8	10.0	40.5	16.8	14.4
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	37.5	13.7	9.1	40.8	18.3	10.3	41.1	14.6	10.2
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	46.4	10.3	9.8	42.8	9.5	10.4	44.1	14.2	10.9
	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक									
1.	एक्सिस बैंक लि.	42.2	14.8	6.6	41.4	14.6	6.6	44.4	15.2	5.0
2.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	26.5	6.5	1.3	34.9	8.4	1.3	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
3.	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	43.5	18.4	10.6	41.3	8	12.2	46.6	19.6	18.2
4.	सिटी यूनियन बैंक लि.	40.1	8.9	4.5	43.1	11.8	6.8	48.4	17.1	7.6
5.	डेवलपमेंट ,बैंक लि.	37.8	15.3	5.2	46.1	1.8	8.4	45.1	16.3	9.3
6.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	52.9	21.3	10.3	43.7	18.3	14.8	50.7	181	17.0
7.	फेडरल बैंक लि.	46.0	13.1	4.8	48.6	14.9	4	40.9	13.0	4.5
8.	यस बैंक लि.	32.6	22.8	6.9	45.7	23.9	5	45.7	20.1	62.4
9.	एचडीएफसी बैंक लि.	52.6	13.5	1.9	46.3	10.9	1.2	46.6	14.8	2.3
10.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	50.6	1.9	1.5	51.3	18.7	4.6	53.1	14.0	3.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	इंडसइंड बैंक लि.	48.9	20.2	1.0	43.7	18.2	10.5	45.9	16.3	8.6
12.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	43.0	9.6	2.7	42.4	11.7	2.7	41.7	12.9	2.5
13.	जम्मू और कश्मीर बैंक लि.	43.8	113	12.1	45.2	12.5	138	51.9	12.5	14.0
14.	कर्नाटक बैंक लि.	41.0	86	13	44.5	11.6	24	43.0	13.1	36
15.	करूर वैश्य बैंक लि.	39.9	10.2	54	42.0	15.1	97	41.1	18.3	10.2
16.	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	41.2	16.5	58	41.2	19.5	82	42.4	19.5	94
17.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	45.7	20.7	85	40.3	18.1	107	41.2	186	11.5
18.	नैनीताल बैंक	69.2	19.5	91	59.7	19.3	8	62.9	20.5	80
19.	रत्नाकर बैंक लि.	44.8	14.5	27	47.7	14.6	37	56.1	23.0	122
20.	एसबीआई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	36.8	55	एन.ए.	36.2	56	0	46.8	24.2	11.5
21.	साउथ इंडियन बैंक लि.	39.6	164	26	41.9	21.8	176	38.1	214	19.1
22.	तमिलनाडु मर्कैंटाइल बैंक लि.	49.4	18.1	67	53.6	21	10.6	53.6	199	11.4

स्रोत: आरबीआई, आंकड़े अनंतिम। एन.ए. = उपलब्ध नहीं।

विवरण-II

समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या सीईओबीई, जो अधिक हो, की प्रतिशतता के रूप में विदेशी बैंकों का कुल प्राथमिक क्षेत्र ऋण

क्र. सं.	बैंक का नाम	मार्च, 2009 के अंतिम शुक्रवार को दी गई सूचना के अनुसार			मार्च, 2010 के अंतिम शुक्रवार को दी गई सूचना के अनुसार			मार्च, 2011 के अंतिम शुक्रवार को दी गई सूचना के अनुसार		
		कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	कुल एमएसई अग्रिम	निर्यात ऋण	कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	कुल एमएसई अग्रिम	निर्यात ऋण	कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	कुल एमएसई अग्रिम	निर्यात ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	एबी बैंक लि.	46.1	21.5	19.3	46.1	21.5	19.3	33.9	20.9	12.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	आबू धाबी कामर्शियल बैंक लि.	37.2	25.1	12.1	37.2	25.1	12.1	42.8	25.7	17.1
3.	एंटवर्प डायमंड बैंक एनवी	68.3	23.0	67.8	68.3	23.0	67.8	एन.ए.	33.5	72.1
4.	बीएनपी परिबास	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	33.5	19.2	14.3	34.1	19.8	एन.ए.
5.	बैंक ऑफ अमेरिका	40.1	10.1	30.1	40.1	10.1	30.1	41.8	11.9	30.0
6.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी	41.4	24.6	12.4	41.4	24.6	12.4	34.1	10.6	एन.ए.
7.	बैंक ऑफ सिलोन	47.3	21.3	25.9	47.3	21.3	25.9	41.6	21.4	22.3
8.	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	31.4	8.7	27.8	31.4	8.7	27.8	53.8	10.0	43.8
9.	बार्कलेज बैंक पीएलसी	33.0	20.6	12.9	33.0	20.6	12.9	40.2	26.5	एन.ए.
10.	बैंक ऑफ टोकियो मित्युबिशी	43.1	10.2	32.9	43.1	10.2	32.9	59.1	10.0	एन.ए.
11.	चाइना ट्रस्ट	46.8	35.0	11.8	46.8	35.0	11.8	20.1	20.1	एन.ए.
12.	सिटिबैंक	33.3	11.1	17.2	33.3	11.1	17.2	36.1	11.4	20
13.	क्रेडिट एग्रीकोल	37.2	10.2	27.0	37.2	10.2	27.0	48.3	12.0	36.3
14.	डीबीएस बैंक लि.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	64.2	11.6	52.6
15.	ड्यूस बैंक	37.1	10.7	25.9	37.1	10.7	25.9	36.9	12.7	23.8
16.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक सिंगापुर	67.0	23.0	41.6	67.0	23.0	41.6	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
17.	फर्स्टरैंड बैंक	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	28.6	255.3
18.	एचएसबीसी लि.	33.8	11.9	18.7	33.8	11.9	18.7	42.5	12.2	27.7
19.	जेपी मॉर्गन चेस	33.4	10.1	23.2	33.4	10.1	23.2	41.9	10.4	31.4
20.	जेएससी वीटीबी	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	26.1	एन.ए.	26.1
21.	क्रुंग थाई बैंक	17.8	17.8	एन.ए.	17.8	17.8	एन.ए.	94.1	94.1	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	मशरेक बैंक पीएससी	28.0	7.4	20.6	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	73.8	1.7	72
23.	मिझो कॉर्पोरेट बैंक लि.	32.4	17.1	15.9	32.4	17.1	15.9	17.9	7.6	10.3
24.	सिन्हन बैंक	35.5	12.7	12.1	35.5	12.7	12.1	35.8	12	एन.ए.
25.	सोसाइटी जनरली	37.6	14.3	23.3	37.6	14.3	23.3	64.2	12.0	47.3
26.	सोनाली बैंक	42.5	—	42.5	42.5	—	42.5	40.2	0.0	एन.ए.
27.	स्टैंडर्ड बैंक	34.3	11.1	18.5	34.3	11.1	18.5	34.1	10.8	19.5
28.	स्टेट बैंक ऑफ मारीशस लि.	37.1	15.4	12.2	37.1	15.4	12.2	43.0	15.9	25.0
29.	दी रॉयल ऑफ स्कॉटलैंड	35.5	11.4	28.3	35.5	11.4	28.3	34.4	14.9	26.6
30.	यूबीएस एजी	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	104.1	69.8	34.3

स्रोत: आरबीआई, आंकड़े अनंतिम। एन.ए. = उपलब्ध नहीं।

चिकित्सकों और पैरा मेडिकल कर्मचारियों की कमी 813-53

2967. **श्री रामकिशुन :**
श्री नित्यानंद प्रधान :
श्री वैजयंत पांडा :
श्री प्रहलाद जोशी :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में लैब तकनीशियनों, सहायक नर्सों (एनएनडब्ल्यू), आक्सीलरी नर्स मिडवाइव्स (एनएनएम) सहित चिकित्सकों और पैरा मेडिकल कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) चिकित्सकों और पैरा मेडिकल कर्मचारियों के कितने स्वीकृत पद रिक्त हैं;

(घ) तत्काल खाली पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और सरकार ने एनआरएचएम के अधीन देश में उक्त केन्द्रों में पर्याप्त और उचित स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं/चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात चिकित्सकों की बड़ी संख्या में अनुपस्थिति के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं; और

(छ) सरकार ने पूरे देश में एनआरएचएम के कार्यान्वयन में निधियों की अनियमितता को रोकने के लिए क्या कार्य योजना बनाई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) से (ग) भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी,

2010 के अनुसार कर्नाटक सहित पूर्ण देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और पराचिकित्सा स्टाफ की आवश्यकता, स्वीकृत, पदों, तैनाती, कमी तथा रिक्तियों को दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

कमी के लिए विभिन्न कारणों में डॉक्टरों तथा पराचिकित्साकर्मियों की अपेक्षित संख्या की अनुपलब्धता, मेडिकल कॉलेजों तथा प्रशिक्षण संस्थानों की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने की अनिच्छा है।

(घ) मानव संसाधनों का संवर्धन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ध्यान दिए जाने वाला एक क्षेत्र है। एनआरएचएम के अंतर्गत संविदात्मक आधार पर स्टाफ के विनियोजन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। विशेषज्ञों की कमी पर काबू पाने के लिए डॉक्टरों को बहुकौशलयुक्त बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए प्रोत्साहनों की व्यवस्था, उन्नत आवास व्यवस्था, और अधिक डॉक्टरों तथा पराचिकित्सकों को तैयार करने के लिए अधिक मेडिकल कॉलेजों, जीएनएम स्कूलों की स्थापना के प्रयास भी मानव संसाधनों में अंतराल को पाटने के लिए किए गए कुछ उपाय हैं। 31 दिसम्बर, 2011 तक की स्थिति के अनुसार देश भर में एनआरएचएम के अंतर्गत संविदात्मक आधार पर नियुक्त स्टाफ को दर्शाने वाला विवरण निम्नलिखित है:—

क्र. सं.	पदनाम	संविदात्मक आधार पर नियुक्त कार्मिक
1.	विशेषज्ञ	2914
2.	सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी	8755
3.	आयुष डॉक्टर	10995
4.	स्टाफ नर्स	33411
5.	एएनएम	69662
6.	पराचिकित्सक	14529
7.	आयुष पराचिकित्सा कर्मी	3894

स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के लिए अपेक्षित पदों को संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों द्वारा भरा जाता है। रिक्त पदों को भरने के लिए उनसे समय-समय पर आग्रह किया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें सेवाओं की बेहतर प्रदानगी के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों को गठित करने/उन्नयन करने के लिए निधियों की आवश्यकता का प्रेक्षण अपने संबंधित वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में करते हैं। भारत सरकार अनुमोदित क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए निधियों को जारी करती है।

(ङ) और (च) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए केन्द्रों, अस्पतालों इत्यादि का प्रबंधन संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों द्वारा किया जाता है तथा डॉक्टरों की अनुपस्थिति सहित स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों की दैनिक कार्यप्रणाली की देखरेख उनके द्वारा की जाती है।

(छ) समूचे देश में एनआरएचएम के कार्यान्वयन में विनियमितताओं पर नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:—

(i) राज्यों द्वारा त्रैमासिक वित्तीय निगरानी रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण।

(ii) वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षा।

(iii) समवर्ती लेखा परीक्षा और

(iv) मंत्रालय के वित्तीय प्रबंधन समूह को दलों द्वारा आवधिक समीक्षा करने के लिए राज्यों के दौरे।

(v) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम स्तरों पर अपनाए गए और कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय प्रबंधन संबंधी विस्तृत प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

(vi) उप-जिला स्तर के वित्त/लेखा-कार्मिकों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता तथा पोषण समितियां, उप-केन्द्र रोगी कल्याण समितियां और ब्लॉक लेखाकारों के लिए मॉडल लेखांकन पुस्तिकाएं तैयार कर ली गई हैं और प्रसारित कर दी गई हैं।

(vii) निधियों के अपरिवर्तन राज्य शेयर अंशदान और निधियों के उपयोग (आरकेएस और वीएचएसएमसी) के दिशानिर्देश और एडवायजरी राज्यों को भेज दी गई है।

इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त समीक्षा मिशनों, सामान्य समीक्षा मिशनों और आवधिक समीक्षाओं के जरिए राज्यों में एनआरएचएम को कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है। समीक्षा के दौरान देखी गई कमियों/त्रुटियों पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए तत्काल ही राज्यों की जानकारी में लायी जाती है।

विवरण

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कुल विशेषज्ञ
कुल विशेषज्ञ (सर्जन, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, चिकित्सक एवं बाल रोग विशेषज्ञ)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	(मार्च, 2010 तक)				
		अपेक्षित (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	668	668	480	188	188
2.	अरुणाचल प्रदेश	192	एन.ए.	1	एन.ए.	191
3.	असम	432	एन.ए.	209	एन.ए.	223
4.	बिहार	280	280	104	176	176
5.	छत्तीसगढ़	572	572	46	526	526
6.	गोवा	20	14	13	1	7
7.	गुजरात	1160	346	79	267	1081
8.	हरियाणा	428	372	70	302	358
9.	हिमाचल प्रदेश	292	एन.ए.	3	एन.ए.	289
10.	जम्मू और कश्मीर	308	315	165	150	143
11.	झारखंड	752	एन.ए.	84	एन.ए.	668
12.	कर्नाटक	1300	1300	726	574	574
13.	केरल	932	640	774	*	158
14.	मध्य प्रदेश	1332	502	245	257	1087
15.	महाराष्ट्र	1460	314	954	*	506
16.	मणिपुर	64	64	1	63	63
17.	मेघालय	116	3	4	*	112
18.	मिजोरम	36	0	4	*	32
19.	नागालैंड	84	एन.ए.	34	एन.ए.	50

1	2	3	4	5	6	7
20.	ओडिशा	924	812	469	343	455
21.	पंजाब	516	448	300	148	216
22.	राजस्थान	1472	931	492	439	980
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	1024	0	0	0	1024
25.	त्रिपुरा	44	एन.ए.	0	एन.ए.	44
26.	उत्तराखंड	220	210	78	132	142
27.	उत्तर प्रदेश	2060	1460	1256	204	804
28.	पश्चिम बंगाल	1392	542	175	367	1217
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16	16	0	16	16
30.	चंडीगढ़	8	11	10	1	*
31.	दादरा और नगर हवेली	4	0	0	0	4
32.	दमन और दीव	8	2	0	2	8
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	12	0	0	0	12
35.	पुदुचेरी	12	3	5	*	7
	अखिल भारत	18140	9825	6781	4156	11361

नोट:—

#वर्ष 2009 के लिए डाटा की आवृत्ति।

##वर्ष 2009 के लिए उपयेाग किया गया डाटा।

एन.ए.: अनुपलब्ध।

*: अधिशेष/राज्य-वार रिक्ति और कमी के लिए अखिल भारतीय आंकड़े हैं जिसमें कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में अधिशेष को नजरअंदाज किया गया है।

1. प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए चार।
2. रिक्ति तथा एक कमी का समग्र मूल्यांकन करने के लिए, उन राज्यों को छोड़ा जा सकता है जिसके लिए जनशक्ति उपलब्ध नहीं है।
3. विशेषज्ञ चिकित्सकों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।
4. किराए आधार पर सीएचसी में उपस्थित हो रहे विशेषज्ञ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	(मार्च, 2010 तक)				
		अपेक्षित (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1570	2497	2214	283	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	97	एन.ए.	92	एन.ए.	5
3.	असम	856	एन.ए.	1301	एन.ए.	*
4.	बिहार	1863	2078	1565	513	298
5.	छत्तीसगढ़	716	1432	577	855	139
6.	गोवा	19	47	44	3	*
7.	गुजरात	1096	1096	837	259	259
8.	हरियाणा	441	651	513	138	*
9.	हिमाचल प्रदेश	449	582	438	144	11
10.	जम्मू और कश्मीर	375	750	786	*	*
11.	झारखंड	330	एन.ए.	404	एन.ए.	*
12.	कर्नाटक	2193	3528	3198	330	*
13.	केरल	813	1204	1122	82	*
14.	मध्य प्रदेश	1155	1155	541	614	614
15.	महाराष्ट्र	1816	1800	2065	*	*
16.	मणिपुर	73	219	85	134	*
17.	मेघालय	109	127	117	10	*
18.	मिजोरम	57	57	51	6	6
19.	नागालैंड	126	33	102	*	24
20.	ओडिशा	1279	1396	1074	322	205

1	2	3	4	5	6	7
21.	पंजाब	446	477	410	67	36
22.	राजस्थान	1504	1659	1763	*	*
23.	सिक्किम	24	48	45	3	*
24.	तमिलनाडु	1283	2569	2268	301	*
25.	त्रिपुरा	79	एन.ए.	104	एन.ए.	*
26.	उत्तराखंड	239	299	234	65	5
27.	उत्तर प्रदेश	3692	4509	2861	1648	831
28.	पश्चिम बंगाल	909	1302	932	370	*
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	52	52	0	*
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	6	6	6	0	0
32.	दमन और दीव	3	3	5	*	*
33.	दिल्ली	8	22	21	1	*
34.	लक्षद्वीप	4	4	6	*	*
35.	पुदुचेरी	24	37	37	0	*
	अखिल भारत	23673	29639	25870	6148	2433

नोट:—

#वर्ष 2009 के लिए डाटा की आवृत्ति।

##वर्ष 2009 के लिए उपयोग किया गया डाटा।

एन.ए.: अनुपलब्ध।

+: एलोपैथिक चिकित्सक

*: अधिशेष/राज्य-वार रिक्ति और कमी के लिए अखिल भारतीय आंकड़े हैं जिसमें कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में अधिशेष को नजरअंदाज किया गया है।

1. प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक।

2. रिक्ति तथा एक कमी का समग्र मूल्यांकन करने के लिए, उन राज्यों को छोड़ा जा सकता है जिसके लिए जनशक्ति उपलब्ध नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वास्थ्य सहायक (पुरुष)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(मार्च, 2010)				
		अपेक्षित (आर)	अपेक्षित (आर)	अपेक्षित (आर)	अपेक्षित (आर)	अपेक्षित (आर)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1570	2162	1920	242	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	97	0	78	*	19
3.	असम	856	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
4.	बिहार	1863	649	634	15	1229
5.	छत्तीसगढ़	716	716	350	366	366
6.	गोवा	19	13	12	1	7
7.	गुजरात	1096	1084	758	326	338
8.	हरियाणा	441	0	0	0	441
9.	हिमाचल प्रदेश	449	114	50	64	399
10.	जम्मू और कश्मीर	375	एन.ए.	90	एन.ए.	285
11.	झारखंड	330	एन.ए.	570	एन.ए.	*
12.	कर्नाटक	2193	1254	658	596	1535
13.	केरल	813	813	633	180	180
14.	मध्य प्रदेश	1155	147	118	29	1037
15.	महाराष्ट्र	1816	4600	3565	1035	*
16.	मणिपुर	73	73	73	0	0
17.	मेघालय	109	102	69	33	40
18.	मिजोरम	57	57	56	1	1
19.	नागालैंड	126	15	15	0	111
20.	ओडिशा	1279	93	41	52	1238

1	2	3	4	5	6	7
21.	पंजाब	446	441	213	228	233
22.	राजस्थान	1504	252	135	117	1369
23.	सिक्किम	24	30	5	25	19
24.	तमिलनाडु	1283	4030	1895	2135	*
25.	त्रिपुरा	79	153	14	139	65
26.	उत्तराखंड	239	165	84	81	155
27.	उत्तर प्रदेश	3692	5757	4518	1239	*
28.	पश्चिम बंगाल	909	0	0	0	909
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	0	0	0	19
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	6	0	0	0	6
32.	दमन और दीव	3	2	2	0	1
33.	दिल्ली	8	4	4	0	4
34.	लक्षद्वीप	4	0	0	0	4
35.	पुदुचेरी	24	13	5	8	19
	अखिल भारत	23673	22739	16565	6912	10029

टिप्पणियां:—

#वर्ष 2009 के लिए डाटा की आवृत्ति।

##वर्ष 2009 के लिए उपयोग किया गया स्वीकृत डाटा।

एन.ए.: अनुपलब्ध।

*: अधिशेष: कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के अधिशेष को नजरअंदाज करते हुए रिक्ति और कमी के आंकड़े के लिए अखिल भारतीय।

1. प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रति।

2. रिक्ति तथा एक कमी की समग्र प्रतिशत की गणना करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जिनके लिए जनशक्ति स्थिति उपलब्ध है, उन्हें छोड़ दिया जाए।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वास्थ्य सहायक (महिला)/एलएनवी

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(मार्च, 2010 तक)				
		अपेक्षित[1] (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1570	1614	1564	50	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	97	0	0	0	97
3.	असम	856	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
4.	बिहार	1863	850	479	371	1384
5.	छत्तीसगढ़	716	716	683	33	33
6.	गोवा	19	14	11	3	8
7.	गुजरात	1096	1084	875	209	221
8.	हरियाणा	441	484	430	54	11
9.	हिमाचल प्रदेश	449	198	101	97	348
10.	जम्मू और कश्मीर	375	375	88	287	287
11.	झारखंड	330	एन.ए.	90	एन.ए.	240
12.	कर्नाटक	2193	3824	2266	1558	*
13.	केरल	813	813	795	18	18
14.	मध्य प्रदेश	1155	384	355	29	800
15.	महाराष्ट्र	1816	2172	3235	*	*
16.	मणिपुर	73	73	72	1	1
17.	मेघालय	109	85	79	6	30
18.	मिजोरम	57	57	55	2	2
19.	नागालैंड	126	15	31	*	95
20.	ओडिशा	1279	1011	954	57	325

1	2	3	4	5	6	7
21.	पंजाब	446	441	353	88	93
22.	राजस्थान	1504	1341	1407	*	97
23.	सिक्किम	24	24	20	4	4
24.	तमिलनाडु	1283	1283	868	415	415
25.	त्रिपुरा	79	एन.ए.	6	एन.ए.	73
26.	उत्तराखंड	239	141	137	4	102
27.	उत्तर प्रदेश	3692	3811	2040	1771	1652
28.	पश्चिम बंगाल	909	0	0	0	909
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	19	19	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	6	7	1	6	5
32.	दमन और दीव	3	0	0	0	3
33.	दिल्ली	8	12	8	4	0
34.	लक्षद्वीप	4	एन.ए.	3	एन.ए.	1
35.	पुदुचेरी	24	12	9	3	15
	अखिल भारत	23673	20860	17034	5070	7275

टिप्पणियां:—

#वर्ष 2009 के लिए डाटा की आवृत्ति।

##वर्ष 2009 के लिए उपयेाग किया गया स्वीकृत डाटा।

एन.ए.: अनुपलब्ध।

*: अधिशेष: कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के अधिशेष को नजरअंदाज करते हुए रिक्ति और कमी के आंकड़े के लिए अखिल भारतीय।

1. प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रति।

2. रिक्ति तथा एक कमी की समग्र प्रतिशत की गणना करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जिनके लिए जनशक्ति स्थिति उपलब्ध है, उन्हें छोड़ दिया जाए।

पीएचसी व सीएचसी पर नर्सिंग स्टाफ

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(मार्च, 2010 तक)				
		अपेक्षित[1] (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2739	4882	4056	826	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	433	एन.ए.	293	एन.ए.	140
3.	असम	1612	एन.ए.	2755	एन.ए.	*
4.	बिहार	2353	1662	1425	237	928
5.	छत्तीसगढ़	1717	344	330	14	1387
6.	गोवा	54	118	116	2	*
7.	गुजरात	3126	4058	2705	1353	421
8.	हरियाणा	1190	2478	2003	475	*
9.	हिमाचल प्रदेश	960	546	379	167	581
10.	जम्मू और कश्मीर	914	991	783	208	131
11.	झारखंड	1646	एन.ए.	578	एन.ए.	1068
12.	कर्नाटक	4468	3463	4309	*	159
13.	केरल	2444	2811	3383	*	*
14.	मध्य प्रदेश	3486	2879	1831	1048	1655
15.	महाराष्ट्र	4371	7526	6150	1376	*
16.	मणिपुर	185	234	373	*	*
17.	मेघालय	312	441	413	28	*
18.	मिजोरम	120	एन.ए.	241	एन.ए.	*
19.	नागालैंड	273	520	302	218	*
20.	ओडिशा	2896	729	649	80	2247

1	2	3	4	5	6	7
21.	पंजाब	1349	1715	1806	*	*
22.	राजस्थान	4080	5628	11621	*	*
23.	सिक्किम	24	एन.ए.	16	एन.ए.	8
24.	तमिलनाडु	3075	5379	4287	1092	*
25.	त्रिपुरा	156	एन.ए.	247	एन.ए.	*
26.	उत्तराखंड	624	240	343	*	281
27.	उत्तर प्रदेश	7297	4548	2627	1921	4670
28.	पश्चिम बंगाल	3345	5264	4026	1238	*
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	47	115	115	0	*
30.	चंडीगढ़	14	47	49	*	*
31.	दादरा और नगर हवेली	13	8	42	*	*
32.	दमन और दीव	17	14	11	3	6
33.	दिल्ली	8	10	7	3	1
34.	लक्षद्वीप	25	34	47	*	*
35.	पुदुचेरी	45	121	132	*	*
	अखिल भारत	55418	56805	58450	10289	13683

टिप्पणियां:—

#वर्ष 2009 के लिए डाटा की आवृत्ति।

##वर्ष 2009 के लिए उपयेाग किया गया स्वीकृत डाटा।

एन.ए.: अनुपलब्ध।

*: अधिशेष: कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के अधिशेष को नजरअंदाज करते हुए रिक्ति और कमी के आंकड़े के लिए अखिल भारतीय।

1. प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रति।

2. रिक्ति तथा एक कमी की समग्र प्रतिशत की गणना करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जिनके लिए जनशक्ति स्थिति उपलब्ध है, उन्हें छोड़ दिया जाए।

पीएचसी और सीएचसी पर फार्मेसिस्ट

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(मार्च, 2010 तक)				
		अपेक्षित[1] (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1737	1686	1614	72	123
2.	अरुणाचल प्रदेश	145	एन.ए.	56	एन.ए.	89
3.	असम	964	एन.ए.	1255	एन.ए.	*
4.	बिहार	1933	989	439	550	1494
5.	छत्तीसगढ़	859	1002	370	632	489
6.	गोवा	24	26	26	0	*
7.	गुजरात	1386	1394	904	490	482
8.	हरियाणा	548	502	410	92	138
9.	हिमाचल प्रदेश	522	614	344	270	178
10.	जम्मू और कश्मीर	452	606	643	*	*
11.	झारखंड	518	501	344	157	174
12.	कर्नाटक	2518	2518	2054	464	464
13.	केरल	1046	1035	1014	21	32
14.	मध्य प्रदेश	1488	642	331	311	1157
15.	महाराष्ट्र	2181	2367	1921	446	260
16.	मणिपुर	89	105	128	*	*
17.	मेघालय	138	149	142	7	*
18.	मिजोरम	66	69	54	15	12
19.	नागालैंड	147	35	112	*	35
20.	ओडिशा	1510	1720	1567	153	*

1	2	3	4	5	6	7
21.	पंजाब	575	844	1067	*	*
22.	राजस्थान	1872	362	587	*	1285
23.	सिक्किम	24	24	24	0	0
24.	तमिलनाडु	1539	1640	1159	481	380
25.	त्रिपुरा	90	एन.ए.	120	एन.ए.	*
26.	उत्तराखंड	294	331	267	64	27
27.	उत्तर प्रदेश	4207	2585	3527	*	680
28.	पश्चिम बंगाल	1257	1527	1103	424	154
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23	27	27	0	*
30.	चंडीगढ़	2	16	15	1	*
31.	दादरा और नगर हवेली	7	6	8	*	*
32.	दमन और दीव	5	5	4	1	1
33.	दिल्ली	8	8	7	1	1
34.	लक्षद्वीप	7	11	16	*	*
35.	पुदुचेरी	27	30	29	1	*
	अखिल भारत	28208	23376	21688	4653	7655

टिप्पणियां:—

#वर्ष 2009 के लिए डाटा की आवृत्ति।

##वर्ष 2009 के लिए उपयेाग किया गया स्वीकृत डाटा।

एन.ए.: अनुपलब्ध।

*: अधिशेष: कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के अधिशेष को नजरअंदाज करते हुए रिक्ति और कमी के आंकड़े के लिए अखिल भारतीय।

1. प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रति।

2. रिक्ति तथा एक कमी की समग्र प्रतिशत की गणना करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जिनके लिए जनशक्ति स्थिति उपलब्ध है, उन्हें छोड़ दिया जाए।

पीएचसी और सीएचसी में लैबारेटरी तकनीशियन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(मार्च, 2010 तक)				
		अपेक्षित[1] (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1737	1591	1363	228	374
2.	अरुणाचल प्रदेश	145	एन.ए.	88	एन.ए.	57
3.	असम	964	एन.ए.	1213	एन.ए.	*
4.	बिहार	1933	683	135	548	1798
5.	छत्तीसगढ़	859	859	280	579	579
6.	गोवा	24	25	25	0	*
7.	गुजरात	1386	1386	975	411	411
8.	हरियाणा	548	446	344	102	204
9.	हिमाचल प्रदेश	522	387	194	193	328
10.	जम्मू और कश्मीर	452	529	457	72	*
11.	झारखंड	518	446	417	29	101
12.	कर्नाटक	2518	1694	1344	350	1174
13.	केरल	1046	238	268	*	778
14.	मध्य प्रदेश	1488	535	384	151	1104
15.	महाराष्ट्र	2181	1816	1170	646	1011
16.	मणिपुर	89	105	146	*	*
17.	मेघालय	138	146	134	12	4
18.	मिजोरम	66	40	82	*	*
19.	नागालैंड	147	13	104	*	43
20.	ओडिशा	1510	476	388	88	1122

1	2	3	4	5	6	7
21.	पंजाब	575	648	476	172	99
22.	राजस्थान	1872	1818	2635	*	*
23.	सिक्किम	24	24	27	*	*
24.	तमिलनाडु	1539	1316	870	446	669
25.	त्रिपुरा	90	एन.ए.	66	एन.ए.	24
26.	उत्तराखंड	294	89	87	2	207
27.	उत्तर प्रदेश	4207	1116	995	121	3212
28.	पश्चिम बंगाल	1257	1365	334	1031	923
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23	23	23	0	0
30.	चंडीगढ़	2	8	9	*	*
31.	दादरा और नगर हवेली	7	6	9	*	*
32.	दमन और दीव	5	4	4	0	1
33.	दिल्ली	8	8	6	2	2
34.	लक्षद्वीप	7	8	13	*	*
35.	पुदुचेरी	27	10	29	*	*
	अखिल भारत	28208	17858	15094	5183	14225

टिप्पणियां:—

#वर्ष 2009 के लिए डाटा की आवृत्ति।

##वर्ष 2009 के लिए उपयोग किया गया स्वीकृत डाटा।

एन.ए.: अनुपलब्ध।

*: अधिशेष: कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के अधिशेष को नजरअंदाज करते हुए रिक्ति और कमी के आंकड़े के लिए अखिल भारतीय।

1. प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रति।

2. रिक्ति तथा एक कमी की समग्र प्रतिशत की गणना करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जिनके लिए जनशक्ति स्थिति उपलब्ध है, उन्हें छोड़ दिया जाए।

उप-केन्द्रों पर स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (पुरुष)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	(मार्च, 2010 तक)				
		अपेक्षित[1] (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	12522	7340	6127	1213	6395
2.	अरुणाचल प्रदेश	286	एन.ए.	148	एन.ए.	138
3.	असम	4604	एन.ए.	1391	एन.ए.	3213
4.	बिहार	9696	2135	1074	1061	8622
5.	छत्तीसगढ़	4776	4776	2351	2425	2425
6.	गोवा	172	150	133	17	39
7.	गुजरात	7274	7239	4884	2355	2390
8.	हरियाणा	2484	2544	1903	641	581
9.	हिमाचल प्रदेश	2071	2008	1225	783	846
10.	जम्मू और कश्मीर	1907	1907	565	1342	1342
11.	झारखंड	3958	एन.ए.	648	एन.ए.	3310
12.	कर्नाटक	8143	5853	3762	2091	4381
13.	केरल	4575	1399	1285	114	3290
14.	मध्य प्रदेश	8869	4841	3545	1296	5324
15.	महाराष्ट्र	10580	12210	8918	3292	1662
16.	मणिपुर	420	420	331	89	89
17.	मेघालय	405	84	133	*	272
18.	मिजोरम	370	382	412	*	*
19.	नागालैंड	396	276	241	35	155
20.	ओडिशा	6688	3660	2570	1090	4118

1	2	3	4	5	6	7
21.	पंजाब	2950	2858	1900	958	1050
22.	राजस्थान	11487	1294	1332	*	10155
23.	सिक्किम	147	147	130	17	17
24.	तमिलनाडु	8706	1670	959	711	7747
25.	त्रिपुरा	627	एन.ए.	249	एन.ए.	378
26.	उत्तराखंड	1765	855	304	551	1461
27.	उत्तर प्रदेश	20521	2980	2097	883	18424
28.	पश्चिम बंगाल	10356	8957	4081	4876	6275
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	114	26	26	0	88
30.	चंडीगढ़	16	16	4	12	12
31.	दादरा और नगर हवेली	50	9	9	0	41
32.	दमन और दीव	26	24	24	0	2
33.	दिल्ली	41	0	0	0	41
34.	लक्षद्वीप	14	14	13	1	1
35.	पुदुचेरी	53	0	0	0	53
	अखिल भारत	147069	76074	52774	25853	94337

टिप्पणियां:—

#वर्ष 2009 के लिए डाटा की आवृत्ति।

##वर्ष 2009 के लिए उपयेाग किया गया स्वीकृत डाटा।

एन.ए.: अनुपलब्ध।

*: अधिशेष: कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के अधिशेष को नजरअंदाज करते हुए रिक्ति और कमी के आंकड़े के लिए अखिल भारतीय।

1. प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रति।

2. रिक्ति तथा एक कमी की समग्र प्रतिशत की गणना करने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जिनके लिए जनशक्ति स्थिति उपलब्ध है, उन्हें छोड़ दिया जाए।

उप केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी (महिला)/एएनएम

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार				
		अपेक्षित[1] (आर)	स्वीकृत (एस)	तैनात (पी)	रिक्त (एस-पी)	कमी (आर-पी)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	14092	10568	22140	*	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	383	एन.ए.	395	एन.ए.	*
3.	असम	5460	एन.ए.	9144	एन.ए.	*
4.	बिहार	11559	10557	9127	1430	2432
5.	छत्तीसगढ़	5492	5492	2986	2506	2506
6.	गोवा	191	185	237	*	*
7.	गुजरात	8370	7248	6431	817	1939
8.	हरियाणा	2925	5142	4507	635	*
9.	हिमाचल प्रदेश	2520	2213	1710	503	810
10.	जम्मू और कश्मीर	2282	2282	2064	218	218
11.	झारखंड	4288	एन.ए.	6443	एन.ए.	*
12.	कर्नाटक	10336	15450	15081	369	*
13.	केरल	5388	4236	4173	63	1215
14.	मध्य प्रदेश	10024	10135	13282	*	*
15.	महाराष्ट्र	12396	14408	17512	*	*
16.	मणिपुर	493	1058	948	110	*
17.	मेघालय	514	667	775	*	*
18.	मिजोरम	427	388	619	*	*
19.	नागालैंड	522	342	822	*	*
20.	ओडिशा	7967	7442	7322	120	645

1	2	3	4	5	6	7
21.	पंजाब	3396	4003	4009	*	*
22.	राजस्थान	12991	14182	16086	*	*
23.	सिक्किम	171	219	260	*	*
24.	तमिलनाडु	9989	10179	10067	112	*
25.	त्रिपुरा	706	एन.ए.	406	एन.ए.	300
26.	उत्तराखंड	2004	2077	2192	*	*
27.	उत्तर प्रदेश	24213	22540	19209	3331	5004
28.	पश्चिम बंगाल	11265	10356	12966	*	*
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	133	214	214	0	*
30.	चंडीगढ़	16	16	30	*	*
31.	दादरा और नगर हवेली	56	40	79	*	*
32.	दमन और दीव	29	26	40	*	*
33.	दिल्ली	49	43	43	0	6
34.	लक्षद्वीप	18	14	14	0	4
35.	पुदुचेरी	77	72	124	*	*
	अखिल भारत	170742	161794	191457	10214	15079

टिप्पणियां:—

#वर्ष 2009 के लिए डाटा की आवृत्ति।

##वर्ष 2009 के लिए उपयोग किया गया डाटा।

एन.ए.: अनुपलब्ध।

*: अधिशेष/राज्य-वार रिक्ति और कमी के लिए अखिल भारतीय आंकड़े हैं जिसमें कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में अधिशेष को नजरअंदाज किया गया है।

1. प्रत्येक विद्यमान उपकेन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के मानकों के आधार पर एक एएनएम की आवश्यकता।
2. रिक्ति तथा एक कमी का समग्र मूल्यांकन करने के लिए, उन राज्यों को छोड़ा जा सकता है जिनके लिए जनशक्ति उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

853-60

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

2968. **श्री बी.वाई. राघवेन्द्र :**
श्री शिवराम गौडा :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में केरल सहित विभिन्न राज्यों से विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल, कर्नाटक और बिहार सहित देश में पन बिजली परियोजनाओं सहित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु कतिपय प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन हेतु लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (घ) विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियम होने के साथ थर्मल पॉवर प्लांटों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार/सीईए के पास कोई प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु सीईए की सहमति आवश्यक होती है।

तद्नुसार, पिछले 3 वर्षों के दौरान सहमति प्रदान करने के लिए सीईए में 48 जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्राप्त हुई थी। इन डीपीआर के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सीईए के पास केरल, कर्नाटक एवं बिहार के जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोई (डीपीआर) सहमति के लिए लंबित नहीं है। सीईए को प्राप्त 48 डीपीआर में से, 17 डीपीआर को मंजूरी प्रदान कर दी गई है तथा 14 डीपीआर की जांच की जा रही है। शेष 17 डीपीआर की जांच की गई ओर सीईए/सीडब्ल्यूसी/जीएसआई की टिप्पणियों की अनुपालना कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु वापस भेज दी गई।

विवरण

पिछले वर्ष के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्थिति

क्र. सं.	स्कीम का नाम	राज्य	क्षेत्र	क्षमता यूनिट × मे.वा.	कुल क्षमता (मे.वा.)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	इंदिरा सागर (पोलावरम)	आंध्र प्रदेश	राज्य	12×80	960	21.02.2012 को मंजूरी
2.	तलोंग लोंडा	आंध्र प्रदेश	निजी	3×75	225	जांचाधीन
3.	सियोम	आंध्र प्रदेश	निजी	6×166.67	1000	जांचाधीन
4.	इटालिन	आंध्र प्रदेश	निजी	10×307+ 19.6+7.4	3097	जांचाधीन
5.	हूतोंग-II	आंध्र प्रदेश	निजी	2×600	1200	जांचाधीन
6.	देमवी लोअर	आंध्र प्रदेश	निजी	5×342+ 1×40	1750	20.11.2009 को मंजूरी

1	2	3	4	5	6	7
7.	डिविन	आंध्र प्रदेश	निजी	2×60	120	04.12.2009 को मंजूरी
8.	लोअर सियांग	आंध्र प्रदेश	निजी	9×300	2700	16.02.2010 को मंजूरी
9.	नाफरा	आंध्र प्रदेश	निजी	2×60	120	11.02.2011 को मंजूरी
10.	नयामजंग छू	आंध्र प्रदेश	निजी	6×130	780	24.03.2011 को मंजूरी
11.	तवांग स्टे-I	आंध्र प्रदेश	केंद्रीय	3×200	600	10.10.2011 को मंजूरी
12.	तातो-II	आंध्र प्रदेश	निजी	4×175	700	27.06.2011 को मंजूरी**
13.	त्वांग स्टे-II	आंध्र प्रदेश	केंद्रीय	4×200	800	22.09.2011 को मंजूरी
14.	नायिंग	आंध्र प्रदेश	निजी	4×250	1000	जांचाधीन
15.	गोंगरी	आंध्र प्रदेश	निजी	2×72	144	जांचाधीन
16.	पेमाशेलफू	आंध्र प्रदेश	निजी	3×30	90	जांचाधीन
17.	हिरोंग	आंध्र प्रदेश	निजी	4×125	500	जांचाधीन
18.	सिसरी एचईपी	आंध्र प्रदेश	निजी	2×50	100	जांचाधीन
19.	यमने स्टे-I	आंध्र प्रदेश	निजी	3×28	84	बांध-स्थल, विपथन-सुरंग, सर्ज शॉफ्ट एवं पॉवर हाउस आदि में अपर्याप्त भूवैज्ञानिक जांच के कारण 05/2011 को वापस भेज दिया गया।
20.	हियो	आंध्र प्रदेश	निजी	3×70	210	बांध-स्थल, विपथन-सुरंग, सर्ज शॉफ्ट एवं पॉवर हाउस आदि में अपर्याप्त भूवैज्ञानिक जांच के कारण 02/2011 को वापस भेज दिया गया।
21.	डेमवे अपर	आंध्र प्रदेश	निजी	4×272.5+ 1×50	1140	बांध की क्षमता एवं प्रकार में परिशोधन होने के कारण 01/2012 को वापस कर दिया गया।
22.	लोअर कोपिली	असम	राज्य	3×50	150	अद्यतन हाइड्रोलॉजिकल आंकड़े की अनुपलब्धता तथा अपर्याप्त भूवैज्ञानिक जांच के कारण 06/2010 को वापस किया गया। विकास के विभिन्न चरणों में सीडब्ल्यूसी द्वारा हाइड्रॉलोजी को संस्वीकृति दी जानी है।

1	2	3	4	5	6	7
23.	दागमोरा	बिहार	राज्य	25×5	125	11/2010 को वापस किया गया। नेपाल में जलमग्न होने वाली परियोजनाएं तथा इसके लिए एमओडब्ल्यूआर संस्वीकृति की आवश्यकता है।
24.	मियार	हिमाचल प्रदेश	निजी	3×40	120	जांचाधीन
25.	शंगटोन करचम	हिमाचल प्रदेश	राज्य	3×150	450	जांचाधीन
26.	सेली	हिमाचल प्रदेश	निजी	4×100	400	जांचाधीन
27.	कुथेर	हिमाचल प्रदेश	निजी	3×80	240	31.08.2010 को मंजूरी
28.	सेइंज	हिमाचल प्रदेश	राज्य	2×50	100	29.12.2010 को मंजूरी
29.	बजोली होली	हिमाचल प्रदेश	निजी	3×60	180	30.12.2011 को मंजूरी
30.	सोरांग एचईपी-फेज-II (एगुमेंटेशन)	हिमाचल प्रदेश	निजी	1×50	50	परियोजना लागत के 500 करोड़ रु. से कम होने के कारण सीईए मंजूरी की आवश्यकता नहीं अत: 6/2011 को वापस किया गया।
31.	लूहिरी	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	4×194	776	परीक्षणाधीन
32.	इंटिग्रेटेड कशंग स्टे-II और III	हिमाचल प्रदेश	राज्य	2×65	130	परियोजना लागत के 500 करोड़ रु. से कम होने के कारण सीईए मंजूरी की आवश्यकता नहीं अत: 6/2011 को वापस किया गया।
33.	बारा बंघाल	हिमाचल प्रदेश	निजी	3×66.67	200	अपर्याप्त भूवैज्ञानिक जांच, पर्यावरणीय एवं वन्य जीव मामलों, संस्थापित क्षमता एवं लागत की समीक्षा के कारण 06/2011 को वापस किया गया।
34.	चांगो यांगथांग	हिमाचल प्रदेश	निजी	3×46.67	140	विद्युत आयोजना अध्ययन, ई एवं एम, ई एवं एम डिजाइन, सिविल इंजीनियरिंग, विद्युत निष्कासन, इंस्ट्रूमेंटेशन आदि की टिप्पणियों का उत्तर न देने एवं हाइड्रोलॉजी के सीडब्ल्यूसी द्वारा अनुमोदित न होने के कारण 12/2011 को वापस किया गया।
35.	बागलिहार स्टे-II	जम्मू और कश्मीर	राज्य	3×150	450	29.12.2010 को मंजूरी

1	2	3	4	5	6	7
36.	किरथई-II	जम्मू और कश्मीर	राज्य	6×165	990	जाचांधीन
37.	रतले	जम्मू और कश्मीर	निजी	4×195+ 1×30	810	संस्थापित क्षमता तथा डिजाइन फ्लड के तैयार होने के पश्चात् नया डीपीआर फ्रेम करने हेतु 10/2011 को वापस किया गया।
38.	कोलोडाइन स्टे-II	मिजोरम	केंद्रीय	4×115	460	14.09.2011 को मंजूरी
39.	तीस्ता स्टे-IV	सिक्किम	केंद्रीय	4×130	520	13.05.2010 को मंजूरी
40.	पानम	सिक्किम	निजी	4×75	300	7.03.2011 को मंजूरी
41.	लिथांग	सिक्किम	निजी	3×32	96	बैराज बनाम बांध डिजाइन के न होने, संस्थापित क्षमता की समीक्षा, स्पिलवे क्षमता आदि की समीक्षा के कारण 04/2010 को वापस किया गया।
42.	मोरी हनोल	उत्तराखंड	निजी	2×31.5	63	अद्यतन हाइड्रोलॉजी की अनुपलब्धता, अनुमान तथा अपर्याप्त भूवैज्ञानिक जांच के कारण 01/2010 को वापस किया गया।
43.	बोगुदियार सिरकरी भ्योल	उत्तराखंड	निजी	2×73	146	अपर्याप्त भू-वैज्ञानिक जांच के कारण 9/2010 को वापस किया गया।
44.	टियूनी लासु	उत्तराखंड	राज्य	3×24	72	अपूर्ण भू-वैज्ञानिक जांच एवं उच्च लागत आदि के कारण 10/2010 को वापस किया गया।
45.	नंद प्रयाग लंगासु	उत्तराखंड	राज्य	4×25	100	उच्च लागत, अपर्याप्त भू-वैज्ञानिक जांच एवं सिविल अवसंरचना डिजाइन की समीक्षा के कारण 04/2011 को वापस किया गया।
46.	झेलम तमक	उत्तराखंड	केंद्रीय	3×42.66	128	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े मामलों के समाधान न होने के कारण 09/2011 को वापस किया गया।
47.	देवसरी	उत्तराखंड	केंद्रीय	3×84	252	आरओआर स्कीम के भंडारण स्कीम के परिवर्तन के कारण 3/11 को वापस किया गया।
48.	व्यासी	उत्तराखंड	राज्य	2×60	120	25.10.2011 को मंजूरी

**मंजूरी हेतु बैठक आयोजित की गई। संशोधित एमओए पर हस्ताक्षर हेतु राज्य सरकार के अनुरोध पर मंजूरी पत्र जारी नहीं किया गया।

[हिन्दी]

861

कम्पनियों से प्राप्त लाभांश

2969. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री हर्ष वर्धन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) से ज्यादा लाभांश मिलने की आशा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) जी, हां। अनुमान है कि सरकार को बजट अनुमान 2012-13 के अनुसार लाभांश और लाभ के रूप में 50152.55 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे जबकि बजट अनुमान 2011-12 के अनुसार 42623.68 करोड़ रुपए और संशोधित अनुमान 2011-12 के अनुसाद 50122.03 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे।

(ख) लाभांश की मात्रा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निष्पादन/लाभदेयता पर निर्भर है। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देश के अनुसार सरकार की अधिसंख्य धारित वाली सभी लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से न्यूनतम सरकार की इक्विटी का 20 प्रतिशत या कर की कटौती के बाद लाभ का 20 प्रतिशत, जो अधिक हो, लाभांश का भुगतान करने की अपेक्षा है। तथापि, पेट्रोलियम, विद्युत, रसायन और अन्य अवसंरचना क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में न्यूनतम लाभांश भुगतान कर की कटौती के बाद लाभ का 30 प्रतिशत है।

[अनुवाद]

861-62

बैंकों के विरुद्ध शिकायतें

2970. श्री कौशलेन्द्र कुमार :
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो :

क्या **वित्त मंत्री** वाहनों को गिरवी रखे जाने के बारे में 02.12.2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1860 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जन प्रतिनिधियों से आईसीआईसीआई बैंक ऋण योजना में मोटर साइकिल के मालबंधन के मामले में वाहन ऋण का पूर्ण और अन्तिम रूप से अदायगी कर देने के बाद भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश में अन्य बातों के साथ-साथ, यह अपेक्षा की गई है कि ऋणदाताओं को ऋण का भुगतान प्राप्त होने या ऋण की वसूली के पश्चात् सभी प्रतिभूतियां जारी कर देनी चाहिए। बैंकिंग संहिता तथा भारतीय मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई), ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता में बैंकों द्वारा की गई एक प्रतिबद्धता यह है कि सभी सहमत या करार किए गए बकायों के भुगतान के 15 दिनों के भीतर गिरवी रखी गई सम्पत्ति की सभी प्रतिभूतियों/दस्तावेजों/स्वामित्वाधिकार विलेखों को वापस करना 3 फरवरी, 2009 से बैंकों द्वारा आरबीआई के अनुदेशों ओर बीसीएसबीआई संहिता के किसी उल्लंघन को बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 के अंतर्गत शिकायत का वैध आधार माना गया है। यदि उधारकर्ता इस संबंध में बैंक की कार्रवाई/उत्तर से संतुष्ट नहीं हों तो वे उस क्षेत्र के संबंधित बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आरबीआई ने यह सूचित किया है उन्होंने अपने बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को निजी क्षेत्र के बैंकों के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के दौरान वाहन ऋण के पुनर्भुगतान पर गिरवी रखे गए दस्तावेज, अदेयता प्रमाण-पत्र जारी करने में हुए विलम्ब के ऐसे अनुपालन/मामले की जांच करने की सलाह दी है। आरबीआई ने अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इस मामले को भारतीय बैंक संघ के ध्यान में भी लाया है।

862-76

आंगनवाड़ी केंद्र

2971. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री भूपेन्द्र सिंह :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत आंगनवाड़ी और लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) इन केंद्रों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इन केंद्रों के लिए आवंटित और व्यय की गई निधियों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना किए जाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केंद्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) देश में 31.12.2011 तक लगभग 13.03.300 आंगनवाड़ी और लघु आंगनवाड़ी केन्द्र कार्य कर रहे थे।

(ख) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत 6 सेवाएं नामत:, पूरक पोषण, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षण और रेफरल सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(ग) सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम सहित सभी घटकों के लिए 90:10 तथा पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के लिए पूरक पोषण हेतु 50:50 तथा अन्य घटकों के लिए 90:10 की भागीदारी के आधार पर सहायता अनुदान जारी करती है वर्ष 2008-09 से 2011-12 (15.03.2012 तक) आईसीडीएस (सामान्य) व पूरक पोषण के अंतर्गत निर्मुक्त राशि तथा बताए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	समेकित बाल विकास स्कीम (सामान्य)		पूरक पोषण	
	जारी किए गए	राज्यों के अंश सहित राज्य द्वारा सूचित किया गया व्यय	जारी किए गए	राज्यों के अंश सहित राज्य द्वारा सूचित किया गया व्यय
2008-09	404784.19	396980.06	228131.33	492834.83
2009-10	439135.56	483967.07	373013.74	818172.79
2010-11	479440.83	530691.47	496870.51	793346.36
2011-12 (15.03.2012 तक)	753700.36	398916.96	623166.32	652840.85

आईसीडीएस (सामान्य) एवं पूरक पोषण के अंतर्गत निर्मुक्त राशि एवं राज्यों के अंश सहित राज्यों/संघ राज्यों प्रशासनों द्वारा सूचित किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर भारत सरकार ने वर्ष 2011-12 के दौरान निम्नानुसार 3942 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र/मांग पर आंगनवाड़ी संस्वीकृत किए हैं।

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्राप्त मांग	संस्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	गुजरात	3247	1911
2.	हरियाणा	615	263
3.	कर्नाटक	1156	1141

1	2	3	4
4.	मेघालय	41	41
5.	तमिलनाडु	1751	581*
6.	त्रिपुरा	545	05
	कुल		3942

*539 मांग पर आंगनवाड़ी केन्द्रों का प्रस्ताव राज्य सरकार से बस्तियों के नामों जहां पर आंगनवाड़ी संस्वीकृत किया जाना अपेक्षित है, पर स्पष्टीकरण मांगने के कारण स्थगन में रखा गया है।

इसके अलावा पंजाब, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, मध्य प्रदेश, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा एवं बिहार राज्यों से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक मामले की स्थिति इस प्रकार है:—

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्राप्त मांग	लिया गया निर्णय
1.	पंजाब	295	राज्य सरकार के अनुरोध पर स्थगन में रखा गया।
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12	अनुमोदित नहीं।
3.	मध्य प्रदेश	1334	1231 आंगनवाड़ी केन्द्रों की संस्वीकृत हेतु प्रस्ताव अनुमोदित।
4.	नागालैंड	525	314 आंगनवाड़ी केन्द्रों को संस्वीकृत हेतु प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई।
5.	जम्मू और कश्मीर	10460	प्रस्ताव की पुन: जांच हेतु राज्य सरकार को भेजा गया।
6.	ओडिशा	3859	प्रस्ताव की पुन: जांच हेतु राज्य सरकार को भेजा गया।
7.	बिहार	38079	प्रस्ताव की पुन: जांच हेतु राज्य सरकार को भेजा गया।

विवरण-I

31.12.2011 तक की स्थिति के अनुसार कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों/लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों/ लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	85946
2.	अरुणाचल प्रदेश	6028
3.	असम	57656
4.	बिहार	80211
5.	छत्तीसगढ़	47133
6.	गोवा	1262
7.	गुजरात	50134
8.	हरियाणा	24988
9.	हिमाचल प्रदेश	18651
10.	जम्मू और कश्मीर	26400
11.	झारखंड	38186
12.	कर्नाटक	63376
13.	केरल	33080
14.	मध्य प्रदेश	90999
15.	महाराष्ट्र	106231
16.	मणिपुर	9883
17.	मेघालय	5113
18.	मिजोरम	1980
19.	नागालैंड	3455

1	2	3
20.	ओडिशा	69038
21.	पंजाब	26656
22.	राजस्थान	58393
23.	सिक्किम	1213
24.	तमिलनाडु	54439
25.	त्रिपुरा	9906
26.	उत्तर प्रदेश	186447
27.	उत्तराखंड	17165
28.	पश्चिम बंगाल	116390
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	697
30.	चंडीगढ़	420
31.	दिल्ली	10560
32.	दादरा और नगर हवेली	267
33.	दमन और दीव	102
34.	लक्षद्वीप	107
35.	पुदुचेरी	788
	कुल	1303300

विवरण-II

वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक आईसीडीएस (सामान्य) स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त राशि एवं राज्य द्वारा बताया गया व्यय और 2011-12 (15.03.2012 तक) में निर्मुक्ति की राज्य-वार स्थिति

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		निर्मुक्त राशि	राज्य द्वारा बताया गया व्यय	निर्मुक्त राशि	राज्य द्वारा बताया गया व्यय	निर्मुक्त राशि	राज्य द्वारा बताया गया व्यय	निर्मुक्त राशि	राज्य द्वारा बताया गया व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	27748.55	33821.80	36306.76	40007.13	36639.25	36852.43	44587.98	36146.70
2.	बिहार	18002.32	21283.32	29764.48	32710.10	25185.20	29650.40	46456.23	5261.26
3.	छत्तीसगढ़	8992.46	12289.24	14393.91	14381.15	12064.65	16233.02	12212.00	7672.96
4.	गोवा	406.56	633.18	839.01	827.87	802.74	802.05	846.52	740.15
5.	गुजरात	16693.96	15803.67	15987.35	21081.80	18932.53	22249.69	44276.04	21697.18
6.	हरियाणा	8536.59	8908.91	8176.56	11018.88	10817.84	11673.88	16360.93	8665.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	हिमाचल प्रदेश	8281.59	7215.12	7088.51	8336.86	8727.11	8702.19	11903.95	1571.14
8.	जम्मू और कश्मीर	4557.80	8529.92	8329.08	8383.48	14751.62	10596.73	9008.35	7667.32
9.	झारखंड	9897.08	9991.49	12891.82	14360.21	17918.00	15304.85	18674.17	7062.13
10.	कर्नाटक	19681.07	22683.08	21036.48	22841.08	19388.69	26410.21	45102.14	21465.84
11.	केरल	15045.24	13857.39	14287.04	14189.21	12751.76	16581.90	29615.76	5859.40
12.	मध्य प्रदेश	29535.48	24617.76	20518.38	34346.56	31172.69	38211.43	40554.56	9244.67
13.	महाराष्ट्र	32300.31	28280.62	32238.38	47432.87	42503.36	47659.35	76225.79	59554.74
14.	ओडिशा	17176.47	18331.75	22504.10	20791.79	21677.68	24640.66	30245.01	17039.53
15.	पंजाब	9142.53	8777.70	9260.96	10582.99	11832.38	12602.77	17257.36	12178.09
16.	राजस्थान	19577.64	20339.84	22550.03	20466.87	17014.35	24500.33	28645.04	23745.72
17.	तमिलनाडु	18163.08	17344.49	17967.07	23734.47	26319.84	22183.20	37210.68	18056.26
18.	उत्तराखंड	4627.72	3298.89	3717.73	5281.32	3857.79	5242.07	10502.09	1195.21
19.	उत्तर प्रदेश	54656.48	48569.30	51542.93	55950.04	48631.35	62800.77	77269.47	45215.95
20.	पश्चिम बंगाल	33798.66	33391.08	37016.49	37362.32	30717.03	40899.47	79235.59	39764.26
21.	दिल्ली	3916.87	3282.96	3209.81	3014.83	3644.46	3526.10	4918.64	3428.35
22.	पुदुचेरी	332.37	254.44	249.00	303.84	355.54	350.62	712.40	302.74
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	299.10	296.05	291.63	292.06	325.30	328.99	599.93	179.37
24.	चंडीगढ़	252.01	283.51	254.50	252.29	244.45	244.45	438.27	276.79
25.	दादरा और नगर हवेली	85.87	88.89	129.84	126.57	137.53	69.94	145.33	45.74
26.	दमन और दीव	58.81	58.48	56.55	56.65	58.18	58.16	82.47	37.82
27.	लक्षद्वीप	62.87	75.87	121.03	75.87	27.49	96.87	169.83	22.58
28.	अरुणाचल प्रदेश	3408.86	2758.95	3178.72	3521.15	6391.53	4720.91	7015.96	4922.58
29.	असम	26033.82	19868.27	23849.59	19010.81	36402.43	29525.00	38663.02	29227.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	मणिपुर	2916.69	3000.62	3387.50	2464.68	3707.71	3783.96	5868.06	703.19
31.	मेघालय	1832.72	1611.67	2102.15	2560.51	2482.89	2448.01	3510.12	2022.72
32.	मिजोरम	1613.98	1617.09	2089.23	1693.57	2315.96	2131.70	2714.42	1782.94
33.	नागालैंड	2539.84	2514.36	5025.41	2530.22	2264.01	4578.34	5930.26	3199.04
34.	सिक्किम	895.74	485.80	683.53	647.60	503.29	724.62	767.11	556.93
35.	त्रिपुरा	3043.05	2864.55	7398.20	3329.42	8132.21	4306.40	6489.28	2405.10
36.	एलआईसी	670.00		691.80		742.00		663.72	
	कुल	404784.19	396980.06	439135.56	483967.07	479440.83	530691.47	753700.36	398916.96

विवरण-III

वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मुक्त राशि एवं राज्य द्वारा बताया गया व्यय और 2011-12 (15.03.2012 तक) में निर्मुक्ति की राज्य-वार स्थिति

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		निर्मुक्त राशि	राज्यों के अंश सहित राज्य द्वारा बताया गया व्यय	निर्मुक्त राशि	राज्यों के अंश सहित राज्य द्वारा बताया गया व्यय	निर्मुक्त राशि	राज्यों के अंश सहित राज्य द्वारा बताया गया व्यय	निर्मुक्त राशि	राज्यों के अंश सहित राज्य द्वारा बताया गया व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	18994.92	35091.02	31285.70	52316.99	16003.74	69979.08	48307.39	53473.49
2.	बिहार	15346.08	53026.76	40695.19	92263.92	48335.94	57052.77	35452.88	29426.8
3.	छत्तीसगढ़	5429.43	18362.40	7461.68	21324.67	14211.95	16591.02	14714.72	12110.05
4.	गोवा	123.83	314.62	375.94	918.75	418.23	570.44	410.97	608.26
5.	गुजरात	7464.33	13083.58	8696.39	24690.50	11985.65	42046.64	36389.64	23415
6.	हरियाणा	5143.00	11513.23	6884.01	14571.00	5211.60	872.70	6391.63	7776.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	हिमाचल प्रदेश	2282.58	4542.58	2939.36	5939.35	2466.48	3398.70	2819.49	3870.35
8.	जम्मू और कश्मीर	697.98	4326.66	1671.09	0	1949.78	0	1949.76	एनआर
9.	झारखंड	6545.80	18897.10	16893.64	53308	23438.78	16576.41	12136.86	11336.21
10.	कर्नाटक	10936.42	24644.90	26325.26	56641.93	23585.19	32619.62	31664.85	38079.92
11.	केरल	5597.50	11847.50	7545.81	15826.29	8071.33	7303.60	7459.55	3554.69
12.	मध्य प्रदेश	8290.06	27156.38	22339.36	51990.71	38917.63	58625.81	52322.73	57670.44
13.	महाराष्ट्र	20646.17	38836.76	20350.12	48660.00	20350.12	73509.16	64407.9	66714.09
14.	ओडिशा	8729.46	20449.24	13968.2	32185.78	19490.01	37773.10	32289.69	28814.7
15.	पंजाब	2282.68	4560.02	1748.03	8825.70	4402.84	1754.42	9001.16	9017.43
16.	राजस्थान	10957.94	23694.28	11014.23	30464.83	20449.06	26231.86	26747.43	31986.59
17.	तमिलनाडु	5428.14	13752.00	13268	26558.00	12395.76	38109.00	17072.64	18406.06
18.	उत्तराखंड	1202.36	1062.94	740.47	1488.21	1303.60	622.74	1313.20	1358
19.	उत्तर प्रदेश	57090.72	108780.47	86778.09	178809.82	138267.06	198737.39	131600.18	186620.65
20.	पश्चिम बंगाल	16810.60	30208.15	13577.01	55101.17	35274.00	67097.58	36926.45	38768.99
21.	दिल्ली	1417.03	4865.10	4171.53	6878.70	4004.05	8960.11	2017.30	894.73
22.	पुदुचेरी	82.97	446.19	139.91	462.19	395.95	257.23	1016.39	0
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	108.78	444.01	144.80	511.84	106.95	428.98	120.8	386.71
24.	चंडीगढ़	96.87	206.87	193.78	216.31	129.88	279.88	145.83	164.05
25.	दादरा और नगर हवेली	47.33	121.93	91.58	55.30	62.90	0.00	53.10	एनआर
26.	दमन और दीव	27.48	2.96	50.37	179.63	33.58	21.83	32.38446	85.96
27.	लक्षद्वीप	50.92	113.96	42.87	0	29.69	0	29.69	एनआर
28.	अरुणाचल प्रदेश	326.68	880.27	856.32	956.32	3047.89	2834.01	2760.74	1904.10
29.	असम	10541.20	9539.82	17660.74	17590.73	21579.99	17876.97	26082.76	15681.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	मणिपुर	1129.16	2371.87	1477.61	2422.45	4449.60	2572.54	2248.30	एनआर
31.	मेघालय	1362.96	3151.73	5301.00	6972.28	5650.42	4505.16	5953.12	3030.45
32.	मिजोरम	766.71	1494.85	2020.79	2496.63	2241.65	2359.56	1867.08	1555.9
33.	नागालैंड	1303.31	2503.31	2658.79	3304.66	4782.37	2113.14	4150.19	2115.22
34.	सिक्किम	95.53	634.95	794.39	622.59	362.44	367.41	563.44	399.78
35.	त्रिपुरा	774.40	1906.42	2851.68	3617.54	3464.40	1297.50	6746.08	3614.32
	कुल	228131.33	492834.83	373013.74	818172.79	496870.51	793346.36	623166.32	652840.85

[हिन्दी]

875-80

पर्यटन केन्द्र

2972. श्री राजेन्द्र अग्रवाल :
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :
श्री मुरारी लाल सिंह :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों विशेषकर गढ़चिरौली-चिमूर (महाराष्ट्र) के आदिवासी क्षेत्रों, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले और कतिपय द्वीपों में ऐतिहासिक तथा अन्य पर्यटन स्थलों को विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं के लिए राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार आवंटित निधियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : (क) से (ग) गढ़चिरौली-चिमूर (महाराष्ट्र), छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के जनजातीय क्षेत्र और कुछ द्वीपों सहित देश में ऐतिहासिक एवं पर्यटक स्थलों का विकास, संवर्धन तथा समय पर कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन परियोजनाओं के संवर्धन के लिए निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 31 दिसंबर, 2011 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं एवं राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

11वीं योजनावधि के दौरान 31 दिसंबर, 2011 तक स्वीकृत परियोजनाएं एवं राशि**

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12 (31.12.2011 तक)		कुल योग	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	9	26.29	8	109.89	13	37.29	10	20.38	10	40.90	50	234.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	43.30	13	31.47	14	36.54	13	32.26	9	25.68	60	169.25
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
4.	असम	6	17.47	4	21.08	7	22.76	4	23.55	3	4.23	24	89.09
5.	बिहार	4	21.95	10	25.05	3	6.99	1	3.60	0	0.00	18	57.59
6.	चंडीगढ़	2	0.20	5	7.99	5	11.51	5	11.04	0	0.00	17	30.74
7.	छत्तीसगढ़	5	12.94	1	11.34	0	0.00	4	20.95	0	0.00	10	45.23
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	3	0.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.24
9.	दमन और दीव	0	0.00	1	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.12
10.	दिल्ली	8	20.76	1	0.15	9	44.91	5	9.75	3	2.69	26	78.26
11.	गोवा	0	0.00	2	43.14	2	17.00	3	12.78	1	4.98	8	77.9
12.	गुजरात	5	5.81	7	21.33	1	7.33	1	0.14	2	51.75	16	86.36
13.	हरियाणा	10	22.50	7	36.70	6	12.37	6	27.41	5	0.80	34	99.78
14.	हिमाचल प्रदेश	12	34.81	10	34.58	6	23.95	12	34.98	5	0.47	45	128.79
15.	जम्मू और कश्मीर	33	70.60	28	43.42	31	49.75	20	56.17	23	143.47	135	363.41
16.	झारखंड	7	11.31	0	0.00	3	0.25	5	7.56	1	23.71	16	42.83
17.	केरल	11	41.24	12	42.68	7	12.98	3	42.87	7	23.76	40	163.53
18.	कर्नाटक	6	24.79	4	42.73	13	42.42	2	8.59	1	5.00	26	123.53
19.	लक्षद्वीप	1	7.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.82
20.	महाराष्ट्र	7	22.79	3	41.10	2	5.01	3	11.30	4	57.32	19	137.52
21.	मणिपुर	5	11.11	9	29.44	9	27.14	8	39.40	5	30.73	36	137.82
22.	मेघालय	2	6.74	7	17.14	7	14.73	9	22.53	2	0.40	27	61.54
23.	मिजोरम	6	26.93	4	3.18	7	24.06	9	11.51	6	13.81	32	79.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	मध्य प्रदेश	16	39.51	11	31.41	11	60.99	13	30.85	6	31.45	57	194.21
25.	नागालैंड	22	32.41	11	25.40	13	24.60	10	29.10	15	28.80	71	140.31
26.	ओडिशा	13	30.87	6	41.15	9	23.69	6	20.29	4	5.17	38	121.17
27.	पुदुचेरी	6	16.10	4	2.52	3	5.57	3	50.26	4	0.30	20	74.75
28.	पंजाब	2	15.98	5	24.93	3	9.48	4	11.91	2	4.39	16	66.69
29.	राजस्थान	2	15.54	9	44.31	7	19.74	7	31.32	3	14.50	28	125.41
30.	सिक्किम	25	55.91	20	66.78	19	42.36	14	23.48	5	20.81	83	209.34
31.	तमिलनाडु	11	27.61	16	36.14	10	16.28	6	60.00	1	3.65	44	143.68
32.	त्रिपुरा	11	11.11	6	3.61	13	20.67	12	40.73	6	15.44	48	91.56
33.	उत्तर प्रदेश	7	29.24	6	38.40	6	21.90	14	27.85	10	44.58	43	161.97
34.	उत्तराखंड	6	21.01	2	44.68	1	0.55	8	29.78	13	102.49	30	198.51
35.	पश्चिम बंगाल	12	32.41	10	37.94	7	28.37	8	22.02	4	8.74	41	129.48
	कुल योग	283	757.06	245	960.04	247	671.19	228	774.36	160	710.02	1163	3872.67

*पीआईडीडीसी, एचआरडी एवं आरटी से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

Q.879-81

सिकल सेल रोग को रोकथाम के लिए सहायता

2973. श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रक्त संबंधी सिकल सेल रोग की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सिकल सेल रोग की रोकथाम और समाप्ति के लिए राज्यों को जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रोग द्वारा उत्पन्न अपंगता के मद्देनजर सिकल सेल रोगियों को विकलांग सूची में शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। रक्त संबंधी सिकल सेल रोग को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ग) और (घ) इस समय विकलांग सूची में सिकल सेल के

रोगियों को शामिल करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) योजना आयोग को गैर-संचारी रोगों संबंधी 12वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए सिकल सेल रोग सहित आनुवंशिक रक्त विकारों संबंधी कार्य-योजना प्रस्तुत की गई है।

[अनुवाद]

बसेल-III मानदंड

2974. **श्री पोन्नम प्रभाकर :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को बसेल-III पूंजी आवश्यकता पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) बसेल-III के अंतर्गत बैंकों द्वारा पूंजी आवश्यकताओं के लिए रखी जाने वाली न्यूनतम और अधिकतम राशि क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (ग) इन प्रारूप दिशा-निर्देशों के संबंध में बैंकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बसेल-III पूंजी विनियमों के संबंध में प्रारूप दिशा-निर्देश 30 दिसम्बर, 2011 को जारी किया गया है। बसेल-III के संबंध में प्रारूप दिशा-निर्देशों को निम्नलिखित लिंक *http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/DRFIII301211.pdf* पर देखा जा सकता है।

बैंकों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् आरबीआई अंतिम दिशा-निर्देश जारी करेगा।

[हिन्दी]

नेत्रदान शिविरों हेतु सहायता अनुदान

2975. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संगठनों का ब्यौरा क्या है जिनको गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में नेत्रदान शिवरों हेतु निधियां प्रदान की गई हैं और जिनको देय हैं;

(ख) नेत्रदान शिविरों हेतु सहायता अनुदान के भुगतान के संबंध में राष्ट्रीय नीति और इसमें केन्द्र का हिस्सा कितना है;

(ग) क्या नेत्रदान शिविरों का समन्वय और नियंत्रण भारतीय रेडक्रास सोसाइटी द्वारा किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो देश में यह किस प्रकार किया जाता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) समूचे देश में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित विभिन्न आईईसी कार्यक्रमों जैसे नेत्रदान पखवाड़ा, विश्व दृष्टि आदि के दौरान दाताओं से नेत्रदान करने की शपथ ली जाती है। कार्यक्रम के अंतर्गत कोई पृथक नेत्रदान शिविर आयोजित नहीं किए जाते हैं। तथापि, एनपीसीबी के तहत मोतियाबिंद की पहचान के लिए राज्य सरकारों के साथ-साथ एनजीओ क्षेत्र अस्पतालों द्वारा जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

संबंधित एनजीओ को इस प्रकार के शिविर आयोजित करने के लिए संबंधित जिला स्वास्थ्य प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है। इन शिविरों में पता लगाए गए मोतियाबिंद के मामलों को और जांच तथा प्रचालन के लिए जिला अस्पतालों/एनजीओ को अंतरित किया जाता है। कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीसीबी के लिए पात्र एनजीओ नेत्र अस्पतालों को उनके द्वारा किए गए प्रति मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए 750/- रुपये दिए जाते हैं।

एनपीसीबी के कार्यान्वयन के विकेन्द्रीकृत ढंग के कारण जिलों में किए गए नेत्र परिचर्या कार्यकलापों के विभिन्न रिकॉर्डों की निगरानी तथा रखरखाव करने में संबंधित राज्य/जिला स्वास्थ्य सोसायटी की भूमिका है। एनजीओ के ब्यौरे राज्यों में जिला स्वास्थ्य सोसायटियों द्वारा मुहैया कराए गए अनुदान का रखरखाव केन्द्र स्तर पर नहीं रखा जाता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, बिहार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार एनजीओ की एक जिले-वार सूची, जिन्होंने वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान निधियां प्रदान की गई थी, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) एनपीसीबी के तहत राज्यों में संबंधित जिला स्वास्थ्य सोसायटियों के पर्यवेक्षण के तहत मोतियाबिंद की पहचान के लिए केवल जांच शिविर आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों जैसे मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा रिपोर्ट के साथ निर्धारित प्रपत्र में दावे की प्राप्ति होने पर जिला स्वास्थ्य सोसायटियों द्वारा एनजीओ को एनपीसीबी से किए गए ऑपरेशनों के लिए कार्यक्रम बजट के प्रति मोतियाबिंद आपरेशन के लिए 750/- रुपये के सहायता अनुदान की प्रतिपूर्ति की गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

एनजीओ की जिले-वार सूची

(धनराशि रुपए)

क्र. सं.	जिले का नाम	जिले में कार्यरत एनजीओ का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		कुल भुगतान	कुल बकाया
			भुगतान	बकाया	भुगतान	बकाया	भुगतान	बकाया		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	बांका	एनजीओ का नाम नहीं दिया गया है	315612	0	908863	90000	0	0	1224475	90000
2.	बेगूसराय	सकचरता समिति, भाखरी	2460	0	0	0	0	0	2460	0
		डॉ. ए.के. राय	0	0	40264	0	16000	0	56264	0
		जन स्वास्थ्य केन्द्र टेघरर	0	0	0	0	12420	0	12420	0
		सीबीआरकेसी फाउंडेशन	0	0	0	0	6475	0	6475	0
3.	भागलपुर	मां दुर्गा युवा समाज कल्याण समिति, ओलपार, पीरपैती	68500	0	0	0	0	0	68500	0
		लायंस क्लब ऑफ नवगछिया टाउन	562500	0	0	0	0	0	562500	0
		रोटरी क्लब भागलपुर	12500	0	0	0	0	0	12500	0
		जागृति क्लब भागलपुर	123536	0	30000	0	42000	0	195536	0
		मोती मातृत्व सदन, भागलपुर	182100	0	60750	0	54760	0	297610	0
		लायंस क्लब भागलपुर	568192	0	443250	0	1110750	0	2122192	0
		नाथ नगर सेवा समिति नाथ नगर	113550	0	0	0	203250	0	316800	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	!1
		सेवा संकल्प समिति, भागलपुर	107650	0	98000	0	126000	0	331650	0
		लायंस क्लब घोंघो	30750	0	40500	0	42750	0	114000	0
		मारवा युवा मंच भागलपुर	69000	0	0	0	0	0	69000	0
		स्व. यमुना प्रसाद सिंह सेवा निधि, पीरपैती	0	0	7500	0	0	0	7500	0
		मेयमुना एजुकेशनल और समाज सुधार समिति, भागलपुर	0	0	0	0	29250	0	29250	0
		कृति जनजागृति विकास समिति	0	0	640750	0	417750	0	1058500	0
		सीताराम विवाह महोत्सव, बक्सर	112050	0	125100	0	96133	0	333283	0
		रोटरी, बक्सर	25200	0	48103	0	0	0	73303	0
		मानव कल्याण शोध संस्थान	18217	0	37800	0	0	0	56017	0
		सत्यमार्ग दर्शन	0	0	205500	0	390750	0	596250	0
		देवपति दृष्टि सेवा संस्थान	0	0	0	0	169600	0	169600	0
4.	पू. चंपारन	पू. चंपारन लायंस क्लब, मोतीहारी	0	0	322500	0	51000	0	373500	0
		भारत विकास परिषद्, मोतीहारी	0	0	90750	0	32250	0	123000	0
		अरुनिमा संस्थान, सीतामढ़ी	0	0	87000	0	0	0	87000	0
		लियाकत सराजुल सर्वोदय रेजिडेंटल बीकिंग संस्थान, ढाका	0	0	48750	0	70500	0	119250	0
		मंहत वैद्यनाथ गिरी नेत्र दान सेवा संस्थान, अराराज, मोतीहारी	0	0	10800	0	0	0	10800	0
5.	गया	नेत्र ज्योति अस्पताल, बोधगया (भंसाली ट्रस्ट)	0	0	0	0	6546393	43446800	6546393	43446800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	गोपालगंज	मै रानी मैमोरियल और सुधार समिति, मीरजंग	0	0	0	0	207000	0	207000	0
		लोकनायक जय प्रकाश नारायन मिलन संगम, बरौली	0	0	0	0	15000	0	15000	0
		श्री श्याम जन सेवा संस्थान, गोपालगंज	0	0	0	0	10500	0	10500	0
7.	किशनगंज	सूसरत नेत्र फाउंडेशन, कोलकाता	2161500	0	300500	2035000	0	2095500	2462000	4130500
8.	लखीसराय	लायंस क्लब, लखीसराय	665250	0	721500	0	122550	100000	1509300	100000
		नेत्र लोक अस्पताल, लखीसराय	0	0	0	0	412250	250000	412250	250000
9.	मधुबनी	शंकर नेत्रालय, मधुबनी	0	0	0	0	1377750	0	1377750	0
10.	पटना	नागरिक समिति, फतुहा, पटना	126250	0	135627	0	87493	0	349370	0
		पंजाबी बिरादरी, छज्जू बाग, पटना	71995	0	44986	0	0	0	116981	0
		बुध विजन फाउंडेशन, राजाबाजार, पटना	0	0	72800	0	27994	0	100794	0
		नेत्रदान, समिति, बरहा, पटना	0	0	74175	0	0	0	74175	0
		मारवई चिकित्सा सेवा समिति, नाला रोड, पटना	0	0	7800	0	0	0	7800	0
		मेडीकेयर पाटलीपुत्र कॉलोनी, पटना	0	0	28510	0	20795	0	49305	0
		लायंस पटना सर्विस ट्रस्ट, पटना			220950		3177272		3398222	0
		नेतराज एजुकेशन सुधार समिति, फतुआ, पटना					62450		62450	0
		हरिओम, अनाथालय और वृद्धा आश्रम, बिहटा					53850		53850	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		प्रज्ञा मंडल, हाजीपुर					61000		61000	0
		मनोरमा सेवा आश्रम, पटना					23768		23768	0
11.	सीतामढ़ी	लायंस क्लब सीतामढ़ी पश्चिम	87750	0	23250	0	0	0	111000	0
		लायंस क्लब सीतामढ़ी सेंट्रल	34500	0	63000	0	0	0	97500	0
		नेत्र सेवा समिति, सीतामढ़ी	466500	0	199500	0	0	0	666000	0
		जन सेवा समिति, सीतामढ़ी	624000	0	477750	0	0	0	1101750	0
		अरुनिया लोक संस्थान, सीतामढ़ी	85000	0	60000	0	0	0	145000	0
		खेमका अस्पताल, सीतामढ़ी	165500	0	0	0	0	0	165500	0
12.	सिवान	अमृत सेवा संस्थान	49250	0	57750	0	14950	0	121950	0
		लायंस क्लब, सिवान	16500	0	0	0	0		16500	0
		नेत्रदान समिति, चानपुर	84800	0	0	0	0	0	84800	0
		इंडियन रेड क्रास सोसायटी	0	0	17050	0	0	0	17050	0
		मां सरस्वती लोकोत्थान संस्थान, गोपालगंज	0	0	59950	0	74250	0	134200	0
		सचिव सावन, सिवान	0	0	0	0	0	0	0	0
		डी.ए. मेडिकल अस्पताल	0	0	0	0	22500		22500	0
13.	सुपौल	इंडियन रेड क्रास सोसायटी	0	0	118750	0	299500	314750	418250	314750
		अरुनिया लोक संस्थान, सीतामढ़ी	0	0	0	0	191250	0	191250	0
14.	वैशाली	प्रज्ञा मंडल	701700	0	246750	0	704500		1652950	0
15.	पं. चंपारन	भंसाली ट्रस्ट	0	0	2316300	0	0	0	2316300	0
		कुल धनराशि	7652312	0	8493078	2125000	16384653	46207050	32530043	48332050

[अनुवाद]

891

कुपोषण

2976. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने बढ़ते कुपोषण पर हाल ही में चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को निर्देशित किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसे पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) से (ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 14 मई, 2011 और 14 सितम्बर, 2011 की भोजन का अधिकार पर रिट याचिका (सिविल) संख्या 2001 का 196 — पीयूसीएल बनाम भारत संघ तथा अन्य के निर्णय में यह पाया कि भारत के 150 गरीब जिलों में कुपोषण की समस्या अति गंभीर है और उन क्षेत्रों में अर्याप्त या आहार का अभाव है। माननीय न्यायालय ने भारत संघ को इन 150 गरीब जिलों में प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने के निर्देश दिए। माननीय न्यायालय ने भारत संघ को इन 150 अत्यन्त अति गरीब जिलों या हमारे समाज के असुरक्षित वर्गों के लोगों को वितरण के लिए 5 मिलियन टन खाद्यान्न आरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है और न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) बी.पी. वाधवा की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति से गरीब जिलों या समाज के गरीब इलाकों की पहचान करने और ऐसे वर्गों तक समय-समय पर अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन को सुनिश्चित करने और 150 गरीब जिलों या भुखमरी की अवस्था में जीवन यापन कर रहे लोगों तक खाद्यान्न वितरण करने हेतु अनुरोध किया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में और समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने जुलाई, 2011 से 23.69 लाख टन चावल तथा गेहूं का आवंटन किया, जिसमें से 7.61 लाख टन अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आवंटित किया है और 16.08 लाख टन अनाज समिति द्वारा पहचान किए गए 4 राज्यों के 6 जिलों में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के अंतर्गत पका हुआ भोजन प्रदान करने के लिए सामुदायिक रसोई चलाने के लिए 1473 टन अनाज के साथ-साथ 27 राज्यों में 174 गरीब/पिछड़े जिलों तथा गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए खाद्यान्नों का आवंटन किया है।

892-97

केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का पुनर्गठन

2977. श्री नवीन जिन्दल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का हाल ही में पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक बोर्ड का पुनर्गठन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या तब से बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इन बैठकों में लिए गए मुख्य निर्णय/की गई सिफारिशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन निर्णयों/सिफारिशों में से प्रत्येक के कार्यान्वियन की क्या स्थिति है; और

(च) सरकार द्वारा उक्त अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) से (ग) जी, हां। पीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड (सी एस बी) का पुनर्गठन किया गया है और इसकी नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। सीएसबी की 17वीं और 18वीं बैठकें छह महीने के अंतराल पर दिनांक 4 जून, 2011 और 14 जनवरी, 2012 को आयोजित की गई हैं।

केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड का संघटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) पीएनडीटी अधिनियम के कारगर कार्यान्वियन के लिए सीएसबी बैठकों के प्रमुख निर्णयों के परिणामस्वरूप पीएनडीटी नियमों में किए गए संशोधन निम्नानुसार हैं:—

- अधिनियम के अंतर्गत नियम 11(2) को संशोधित किया गया है और सा.का.नि. 426(अ) दिनांक 31 मई, 2011 के तहत अधिसूचित किया गया है। संशोधन में गैर-पंजीकृत

मशीनों को जब्त करने और तीन वर्ष तक के कारावास की सजा तथा 50,000/- रुपए तक का जुर्माना करने की व्यवस्था की गई है।

- सचल सुवाह्य अल्ट्रासाउण्ड उपकरणों और सचल जेनेटिक क्लीनिकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए पीएनडीटी नियम, 1996 के अंतर्गत संशोधन को सा.का.नि. 80(अ) दिनांक 7 फरवरी, 2012 के तहत अधिसूचित किया गया है।

- क्लीनिकों/सुविधा-केन्द्रों में अनर्हक और अप्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा नैदानिक क्रियाविधियों के दुरुपयोग को एक बड़े उपाय के रूप में तथा अल्ट्रासाउंड सेवा प्रदाताओं की अर्हताओं तथा प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं के प्रत्यायन के संबंध में एम सी आई द्वारा विकसित किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर बोर्ड ने पीएनडीटी नियम, 1996 के नियम 3(1)(ख) में संशोधन करने का अनुमोदन किया।

- अधिकतम दो केन्द्रों में और वह भी केवल जिले के अंदर ही डॉक्टरों के पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी।

- बोर्ड ने जेनेटिक परामर्श केन्द्र, जेनेटिक प्रयोगशाला, जेनेटिक क्लीनिक, अल्ट्रासाउंड क्लीनिक अथवा इमेजिंग सेंटर के लिए पी.एन.डी.टी. नियम 1996 के नियम 5 के अंतर्गत निकायों के लिए पंजीकरण शुल्क को मौजूदा 3000/- रुपए से बढ़ाकर 25,000/- रुपए करने का अनुमोदन कर दिया है। उसी प्रकार, किसी संस्थान, अस्पताल, उपचर्या गृह अथवा उपर्युक्त सेवा को संयुक्त रूप से प्रदान करने वाले किसी स्थान के लिए शुल्क को 4,000/- रुपए से बढ़ाकर 35,000/- रुपए किया जाएगा।

- सीएसबी ने नियम 13 में संशोधन को भी अनुमोदित कर दिया है जिसमें प्रत्येक केन्द्र को यह अधिदेश दिया गया है कि वह प्रत्येक कर्मचारी के स्थान, पते और संस्थापित उपकरण में हर तरह का परिवर्तन होने की सूचना ऐसे परिवर्तन की संभावित तारीख से 30 दिन पहले उपयुक्त प्राधिकारी को दे और विधिवत् शामिल किए गए परिवर्तनों वाला एक प्रमाण-पत्र जारी करने की मांग करे।

- सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से अनुरोध किया है कि वह अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध डॉक्टरों के पंजीकरण को निलंबित/रद्द करने के लिए उपाय करे।

(च) भारत सरकार ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन के माध्यम से लिंग निर्धारण के विरुद्ध अभियान को तेज कर दिया है:—

- राष्ट्रीय निरीक्षण एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों में वृद्धि की गई है। एनआईएमसी का पुनर्गठन किया गया है और इसे निरीक्षण करने के अलावा समुचित प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षणों के दौरान अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघनों के दोषी पाए गए दोषी संगठनों के विरुद्ध अनुवर्ती कार्रवाई का पर्यवेक्षण करने की शक्ति प्रदान की गई है।

- भारत सरकार ने अधिनियम के अंतर्गत नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

  — अधिनियम के अंतर्गत गैर-पंजीकृत मशीनों को जब्त करने तथा आगे सजा देने की व्यवस्था करने के लिए पीसी एवं पीएनडीटी नियम, 1996 के नियम 11(2) में संशोधन।

  — सुवाह्य अल्ट्रासाउंड उपकरणों के इस्तेमाल और सचल जेनेटिक क्लीनिकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को विनियमित करने के लिए संशोधन।

  — संगठित ध्यान देने के लिए अत्यधिक विषम बाल लिंग अनुपात वाले 17 राज्यों की पहचान की गई है। इन राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों की एक बैठक पहली बार 20 अप्रैल, 2011 को आयोजित की गई, जिसके बाद अनेक समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

  — अधिनियम के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए संसाधनों का लक्षित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान देने के लिए प्रचालन दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है।

— राज्यों से कहा गया है कि वे पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने तथा मानव संसाधनों में वृद्धि करने के लिए वित्त-पोषण का लाभ उठाएं।

विवरण

केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड

1. श्री गुलाम नबी आजाद, अध्यक्ष केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

2. श्रीमती कृष्णा तीर्थ, सह-अध्यक्ष, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

3. श्री पी.के. प्रधान, उपाध्यक्ष, सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

4. डॉ. जगदीश प्रसाद, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

5. श्री एम.के. शर्मा, संयुक्त सचिव एवं विधिक सलाहकार, विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय

6. डॉ. एस.के. शर्मा सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष विभाग

7. श्रीमती अनुराधा गुप्ता, सदस्य सचिव, ए एस एवं एम डी (एन आर एच एम)

8. डॉ. गिरिजा बाघ, संयुक्त सचिव, फोगसी

9. डॉ. गायत्री ठाकोर, एम.डी. स्त्री रोग

10. डॉ. बानी सरकार, स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विज्ञान विभाग, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली

11. डॉ. संजय अनंत गुप्ते, पूर्व अध्यक्ष, फोगसी, मुम्बई

12. डॉ. बी.के. पॉल, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बाल रोग विज्ञान विभाग, एम्स, नई दिल्ली

13. सुश्री रविन्द्र कौर, प्रोफेसर, सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक नृविज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली

14. डॉ. राजीव थेरावडेकर, निदेशक, सिम्बायोसिस इंस्टीच्यूट ऑफ हैल्थ सांइसिज एवं डीन, स्वास्थ्य विज्ञान संकाण, पुणे

15. प्रो. डी.एम. दिवाकर, निदेशक, डॉ. ए.एन. सिन्हा सामाजिक विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार

16. डॉ. नीलम सिंह, सचिव, वात्सल्य, लखनऊ

17. डॉ. सुभाष में ढ़ापुरकर, निदेशक, सोसाइटी फॉर सोशल अपलिफ्ट थ्रू रूरल एक्शन (सूत्र), हिमाचल प्रदेश।

संसद की महिला सदस्य

18. डॉ. (श्रीमती) प्रभा किशोर, तावियाड, संसद सदस्य लोक सभा

19. श्रीमती पूनमबेन वेलजीभाई जाट, संसद, सदस्य लोक सभा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि :

20. श्री अंशु प्रकाश, सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), दिल्ली सरकार

21. श्री राजीव सदानंदन, सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), केरल सरकार

22. श्री करन ए. सिंह, सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), पंजाब सरकार

23. श्री बी.एन. शर्मा, सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), राजस्थान सरकार

विशेष आमंत्रित

24. डॉ. भारद्वाज, अध्यक्ष, भारतीय विकिरण विज्ञानीय संघ

25. डॉ. डी.आर. राय, महासचिव, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन

26. डॉ. पी.सी. महापात्रा, अध्यक्ष, फोगसी

27. डॉ. रत्ना जैन, महापौर, नगर निगम, कोटा

28. श्री जी.ए. पीर, आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, जम्मू और कश्मीर

29. सुश्री नवराज संधू, प्रधान सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), हरियाणा सरकार

30. श्री पी.के. तनेजा, आयुक्त एवं प्रधान सचिव (सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), गुजरात सरकार

31. श्री अली रजा रिजबी, सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), हिमाचल प्रदेश

32. श्रीमती अनीता अग्निहोत्री, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग

33. डॉ. नीलम सिंह, अधिवक्ता, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

34. सुश्री एना. सिंह, यूएनएफपीए, भारत की प्रतिनिधि।

पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण संबंधी राष्ट्रीय नीति

897-98

2978. श्री जयराम पांगी :
श्रीमती ज्योति धुर्वे :

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं का विकास करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार के पास कोई राष्ट्रीय नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के आकलन के अनुसार देश की पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो उक्त आकलन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मध्य प्रदेश और गुजरात में पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक निधियों के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) : (क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय, पंचायतों की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से पंचायतों को सुदृढ़ बनाने में सहायता करता है। यह देश के 250 पिछड़े जिलों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) संचालित करता है। अबद्ध निधियां स्थानीय अवसंरचना और अन्य विकास आवश्यकताओं में विशेष कमियों को पूरा करने के लिए प्रदान की जाती है। बी.आर.एफ.एफ. का उद्देश्य इसके क्षमता निर्माण घटक के माध्यम से पंचायतों को सुदृढ़ बनाना भी है। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना (आरजीएसवाई) योजना के अंतर्गत गैर बी.आर.जी.एफ. जिलों को क्षमता निर्माण और पंचायत घरों के निर्माण के लिए सहायता दी जाती है। ई-पंचायत स्कीम ई-इनवेलिंग द्वारा पंचायतों को सुदृढ़ बनाती है। पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान (पीएमईवाईएसए) विशेष तौर से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों पर केंद्रित है।

(ग) से (च) देश में पी आर आई'ज को सुदृढ़ करना एक बहु-आयामिक प्रक्रिया है, इसके लिए निधियों का एकल निर्धारण नहीं हो सकता चूंकि ये शुरू किए जाने के लिए विचारित पहलों पर निर्भर करेंगे।

[हिन्दी]

898-99

निजी बैंकों के माध्यम से काला धन

2979. श्री महेश जोशी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के निजी बैंकों के माध्यम से रखे गए काले धन के अवैध लेन-देन के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है/करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम) : (क) आयकर विभाग को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों सहित विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से संदिग्ध लेन-देन से संबंधित सूचना प्राप्त होती है।

(ख) सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) ऐसे खातों की अप्रकट आय/निवेशों को कर के दायरे में लाने हेतु प्रत्यक्ष कर कानूनों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(घ) सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

899-900

कन्या शिशु मृत्यु दर

2980. श्री रूद्रमाधव राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कन्या शिशु मृत्यु दर पर कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) ओडिशा सहित देश के पिछड़े राज्यों और अन्य भागों में प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण जांच के विरुद्ध चलाये गए अभियान का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : (क) और (ख) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, भारत के महापंजीयक द्वारा प्रकाशित एसआरएस 2010 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1000 जीवित जन्मों पर 46 की बालक शिशु मृत्यु दर के मुकाबले कन्या शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 49 है।

(ग) पीसी एवं पीएनडीटी (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994, 2003 में यथा संशोधित, गर्भधारणा से पूर्व या उसके बाद लिंग चयन का निषेध करता है और लिंग निर्धारण के प्रयोजन से चिकित्सीय डायग्नॉस्टिक तकनीकों के दुरुपयोग को विनियमित करता है।

पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

- पीएनडीटी अधिनियम के तहत केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड (सीएसबी) का पुनर्गठन किया गया है। सीएसबी को 17वीं और 18वीं बैठक छह माह के अंतराल पर क्रमश: 4 जून, 2011 और 14 जनवरी, 2012 को आयोजित हुई।
- राष्ट्रीय निरीक्षण एवं मॉनीटरिंग समिति द्वारा निरीक्षण को तेज किया गया है। एन आई एम सी का पुनर्गठन किया गया है और निरीक्षण के अलावा उसे निरीक्षण के दौरान अधिनियम के उल्लंघन के दोषी पाए गए संगठनों को उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई पर निगरानी रखने का भी अधिकार प्रदान किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा अधिनियम के तहत नियमों में निम्नलिखित समेत महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किए गए हैं:
    - पी सी एवं पी एन डी टी नियम, 1996 के नियम 11(2) में संशोधन, जिसके तहत अपंजीकृत मशीनों को जब्त करने और अधिनियम के तहत और दंड किए जाने का प्रावधान किया गया है।
    - पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड उपकरणों के उपयोग तथा जेनेटिक हेनेरिक क्लिनिकों द्वारा दी सेवाओं को विनियमित करने के लिए संशोधन।
    - यह सुनिश्चित करने के लिए कि लक्षित संसाधनों का उपयोग अधिनियम के विषय में जागरूकता पैदा करने में हो, गैर-सरकारी संगठनों को दिए जाने वाले अनुदान के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है।
    - राज्यों को अवसंरचना को मजबूत बनाने तथा पी सी एवं एन डी टी अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित मानव संसाधनों में वृद्धि करने के लिए एनआरएचएम के तहत उपलब्ध निधि का लाभ उठाने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

900-01

राष्ट्रीय विद्युत निधि

2981. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :
श्री के. सुधाकरण :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार निकट भविष्य में राष्ट्रीय विद्युत निधि की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उक्त निधि के उद्देश्य क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क)

और (ख) जी, हां। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने वितरण नेटवर्क के सुधार हेतु सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में राज्य विद्युत यूटिलिटियों को 25000 करोड़ रुपए की राशि के ऋण वितरण पर कुल 8466 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी स्कीम) की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया है।

स्कीम के अंतर्गत, ब्याज सब्सिडी गैर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) और गैर-पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आरएपीडीआरपी) स्कीम के लिए वितरण क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक विद्युत यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर प्रदान की जानी है। आरजीजीवीवाई, जो भारत सरकार की कार्यान्वियनाधीन फ्लैगशिप स्कीम का लक्ष्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की पहुंच का प्रावधान करना है जबकि आरएपीडीआरपी का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों को कम करने के लिए विद्युत क्षेत्र को सुदृढ़ करना एवं उसका उन्नयन करना है।

पात्रता हेतु पूर्व शर्तें राज्यों द्वारा किए गए सुधार उपायों से जुड़ी होती हैं और ब्याज सब्सिडी की राशि सुधारों से जुड़े पैरामीटरों में प्राप्त प्रगति से सम्बद्ध होती है। एनईएफ (ब्याज सब्सिडी) स्कीम से वित्तीय सहायता के लिए, राज्यों को विशेष श्रेणी राज्यों और ध्यान दिए जाने वाले राज्यों तथा "विशेष श्रेणी राज्यों और ध्यान दिए जाने वाले राज्यों के अलावा अन्य राज्य" के रूप में श्रेणीकृत किया गया है। स्कीम के लिए सरकारी आदेश जारी किया गया है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) संचालन समिति के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का प्रचालन करने वाली नोडल एजेंसी है जो इस स्कीम के लिए गठित की गई है। इसकी अध्यक्षता सचिव (विद्युत) द्वारा की जाती है।

[अनुवाद]

अवयस्कों और स्कूल ड्रॉपआउट्स की तस्करी

2982. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चाहती है कि अवयस्कों और स्कूल ड्रॉपआट्स की तस्करी को रोकने में पंचायतों को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका राज्य-वार विशेषकर अन्य राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए राज्य-वार विशेषकर आंध्र प्रदेश में क्या योजना बनाई गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) : (क) से (घ) अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध पंचायतों के पास शास्ति शक्तियां नहीं हैं। बारहवीं योजना अभिलेख को अंतिम रूप नहीं दिया गया है तथापि, बारहवीं योजना के लिए "महिला शक्ति एवं अधिकारिता" पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्य समूह की रिपोर्ट ने प्रभावी सेवाएं प्रदान करने में पंचायतों की भूमिका और लिंग-संवेदी अच्छे शासन को सुनिश्चित करने में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भूमिका को मान्यता प्रदान की है, जो कि आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश में प्रयोज्य है।

विहित दवाओं में परिवर्तन

2983. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेष रूप से दिल्ली में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) औषधालय के डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विहित दवाओं से अलग दूसरी दवाएं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कब तक देश के सभी सीजीएचएस औषधालयों, विशेष रूप से दिल्ली के औषधालयों को विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विहित दवाएं वितरित किए जाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) जी, नहीं। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, सी जी एच एस लाभार्थियों को स्थानापन्न दवाइयां नहीं दी जाती हैं। यदि किसी विशिष्ट ब्रांड की दवा उपलब्ध नहीं होती है तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के डॉक्टर उपलब्ध ब्रांड/समरूप औषधि फार्मूलेशन और चिकित्सीय मान की उपलब्ध ब्रांड/जेनेटिक नाम की दवा दे सकते हैं।

नीति दरें

2984. श्री के. सुगुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नीति दरों में परिवर्तन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त दरों का निर्धारण मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) से (घ) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और स्फीतिकारी संभावनाओं पर रोक लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मार्च, 2010 से अक्तूबर, 2011 तक 375 आधार बिन्दु तक लगातार 13 बार नीतिगत दरें (रेपो दर) बढ़ाई हैं। वृद्धि की धीमी रफ्तार खास तौर से निवेश क्रियाकलाप में और मुद्रास्फीति में आई कमी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने मध्य त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा (16 दिसम्बर, 2011 में) ने रेपो दर न बढ़ाने का निर्णय लिया था और पॉलिसी दरें यथावत रखी गई है (रेपो दर 8.5 प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर 7.5 प्रतिशत)। इसके अलावा नकदी की कमी की स्थितियों को दूर करने के लिए आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति की त्रैमासिक समीक्षा (24 जनवरी, 2012 में) में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के नकद प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) में 50 आधार बिन्दु तक अपनी निवल मांग और सावधि देयताएं (एनडीटीएल) 6 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत तक कम की है यह सीआरआर बाद में 75 आधार बिन्दु तक और कम होकर 9 मार्च, 2012 में 5.5 प्रतिशत से घटकर 4.75 प्रतिशत रह गया।

बिजली की दरों का संशोधन

2985. श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयले की उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को परिलक्षित करने के लिए अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाओं सहित अनेक बिजली परियोजनाओं के लिए बिजली की दरों में संशोधन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (ग) विद्युत अधिनियम के अनुसार, विद्युत के प्रशुल्क का निर्धारण उपयुक्त सरकार नहीं, बल्कि उपयुक्त आयोग द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 61 तथा 62 के साथ पठित धारा 79 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार के स्वामित्व की अथवा इसके द्वारा नियंत्रित उत्पादक कंपनियों के तथा अन्य उत्पादक कंपनियों के, यदि ऐसी कंपनियां एक से अधिक राज्य में विद्युत के उत्पादन और बिक्री के लिए शामिल होती हैं अथवा अन्यथा संयुक्त स्कीम रखती हैं तो उनके लिए प्रशुल्क का निर्धारण करता है। इन मामलों में, ऊर्जा प्रभार उनके प्रचालन के मानदंडों को पूरा करने के अधीन पारित होता है।

सीईआरसी में अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत प्रशुल्क को अपनाए जाने की शक्ति भी निहित है, यदि ऐसा प्रशुल्क केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाता है तो केन्द्र सरकार ने विद्युत के प्रापण के लिए दिशा-निर्देश तथा मानक बोली दस्तावेज जारी किए हैं जो अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) पर भी लागू होते हैं। आयोग ने चार यूएमपीपी का प्रशुल्क अपनाया है।

विद्युत प्रशुल्क का संशोधन बोलीदाता द्वारा उद्धृत वृद्धि योग्य संघटकों पर आधारित होता है। यदि यूएमपीपी आयातित कोयला आधारित परियोजना है तो, इसका प्रशुल्क सीईआरसी द्वारा अधिसूचित आयातित कोयले के लिए उनके वृद्धि योग्य सूचकांकों के आधार पर, छमाही आधार पर आकलित किया जाता है। कोयले के उच्च अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का प्रभाव बोलीदाता द्वारा उद्धृत वृद्धियोग्य संघटकों के अधीन विद्युत प्रशुल्क में परिलक्षित हो सकता है।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायक

2986. श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या महिला और बाल, विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं/सहायकों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों के लाभ के लिए शुरू की गई थी;

(ग) यदि हां, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए वित्तीय क्षतिपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस योजना से लाभान्वित हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ङ) क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों के बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है; और

(च) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार प्रत्येक बच्चे को प्रदान की गई छात्रवृत्ति की राशि और इससे लाभान्वित हुए बच्चों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : (क) देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) से (च) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लाभ के लिए कल्याणकारी उपायों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से सरकार ने दिनांक 01.04.2004 से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना शुरू की है। एलआईसी की सामाजिक सुरक्षा समूह स्कीम के माध्यम से इस स्कीम का प्रचालन किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

(i) यह योजना 18-59 वर्ष के आयु वर्ग की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के लिए प्रयोज्य है।

(ii) स्कीम के अंतर्गत प्रीमियम प्रति वर्ष प्रति मैम्बर 280/- रुपये है। इसका खंड-वार विवरण निम्नानुसार है:—

- एलआईसी की सामाजिक सुरक्षा निधि से 100/- रुपये
- भारत सरकार द्वारा 100/- रुपये
- 80/- रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका द्वारा (बीमाकृत सदस्या की गंभीर बीमारी हेतु पुरुष के लिए अतिरिक्त)। इन कार्यकर्त्रियों द्वारा गंभीर बीमारी हेतु भुगतान योग्य 80/- रुपये को 31.3.2013 तक समाप्त कर दिया गया है।

(iii) स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:—

- स्वाभाविक मृत्यु : 30,000/- रुपये
- दुर्घटना लाभ:
  - — मृत्यु/संपूर्ण रूप से अस्थायी विकलांगता — 75,000/- रुपये
  - — आंशिक स्थायी विकलांगता — 37,500/- रुपये
- महिला गंभीर बीमारी लाभ : निम्नलिखित अंगों में परिलक्षित कैंसर (ट्यूमर) का पता चलने पर 20,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा (बशर्ते कि निगम इस बीमारी के होने के प्रमाण से संतुष्ट हो)।
  - — स्तन
  - — सर्विक्स यूटेरी
  - — कोरपस यूटेरी
  - — ओवरीज
  - — फैलोपियन ट्यूब
  - — वीना/वाल्वा
- शिक्षा सहयोग

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति लाभ संबंधी निःशुल्क सहायता उपलब्ध है। नौंवी से बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रति तिमाही 300/- रुपये की छात्रवृत्ति (यह आईटीआई पाठ्यक्रमों के लिए भी दी जाती है) उपलब्ध है। परन्तु यह प्रति परिवार दो बच्चों तक ही सीमित है।

वर्तमान में स्कीम के अंतर्गत सभी लाभों के लिए सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को शामिल

किया गया है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान "आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना" के अंतर्गत निपटाए गए दावों का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण-I

31.12.2012 तक की स्थिति के अनुसार आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों एवं आगनवाड़ी कार्यकत्रियों के संस्वीकृत एवं भरे हुए पदों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पर्यवेक्षकों की संख्या		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की संख्या	
		भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत	भरे हुए पद	भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत	भरे हुए पद
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	91307	81681	80481	73977
2.	अरुणाचल प्रदेश	6225	6028	6225	6028
3.	असम	62153	57656	56728	54869
4.	बिहार	91968	80211	86528	80211
5.	छत्तीसगढ़	64390	47331	55709	40734
6.	गोवा	1262	1258	1262	1260
7.	गुजरात	52137	48490	50552	46350
8.	हरियाणा	25962	17445	25450	17060
9.	हिमाचल प्रदेश	18925	18185	18386	17981
10.	जम्मू और कश्मीर	28577	25954	28577	26045
11.	झारखंड	38296	36278	35745	33357
12.	कर्नाटक	64518	61148	61187	55919
13.	केरल	33115	33013	32986	32839
14.	मध्य प्रदेश	90999	88877	78929	75875
15.	महाराष्ट्र	110486	101186	97475	89372

1	2	3	4	5	6
16.	मणिपुर	11510	9883	9958	9587
17.	मेघालय	5156	5113	3922	3880
18.	मिजोरम	1980	1980	1980	1980
19.	नागालैंड	3455	3455	3455	3455
20.	ओडिशा	72873	65983	62657	57693
21.	पंजाब	26656	26202	25436	24938
22.	राजस्थान	61119	57256	54915	52101
23.	सिक्किम	1233	1198	1233	1185
24.	तमिलनाडु	55020	47444	50080	41587
25.	त्रिपुरा	9911	9906	9911	9906
26.	उत्तर प्रदेश	187517	177775	165331	159792
27.	उत्तराखंड	23159	16794	18039	11903
28.	पश्चिम बंगाल	117170	106002	117170	100444
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	720	697	689	678
30.	चंडीगढ़	500	420	500	420
31.	दिल्ली	11150	10517	11150	10517
32.	दादरा और नगर हवेली	267	246	233	220
33.	दमन और दीव	107	107	107	107
34.	लक्षद्वीप	107	107	96	96
35.	पुदुचेरी	788	788	788	788
	कुल	1370718	1246614	1253870	1143154

विवरण-II

"आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना" के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के दौरान निपटान किए गए दावों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	स्वाभाविक मृत्यु		दुर्घटना मृत्यु		गंभीर बीमारियां		छात्रवृत्ति	
		संख्या	संवितरित राशि	संख्या	संवितरित राशि	संख्या	संवितरित राशि	संख्या	संवितरित राशि
1.	आंध्र प्रदेश	83	2410000	5	375000	0	0	1585	1424700
2.	असम	42	1240000	0	0	0	0	0	0
3.	बिहार	2	60000	0	0	0	0	0	0
4.	चंडीगढ़	47	1280000	3	120000	0	0	824	927600
5.	छत्तीसगढ़	10	200000	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	152	91200
7.	गुजरात	36	1030000	3	200000	3	57666	7466	4530000
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	113	135600
9.	हिमाचल प्रदेश	17	510000	2	150000	1	20000	682	818400
10.	जम्मू और कश्मीर	1	30000	0	0	0	0	635	381000
11.	कर्नाटक	64	1800000	3	225000	1	30000	2250	2532300
12.	केरल	32	960000	0	0	10	200000	10383	12787200
13.	मध्य प्रदेश	92	2441000	9	580000	0	0	1345	899700
14.	महाराष्ट्र	54	1490000	1	75000	0	0	592	387060
15.	ओडिशा	27	790000	1	75000	0	0	297	203800
16.	राजस्थान	3	90000	0	0	0	0	0	0
17.	तमिलनाडु	92	2720000	3	225000	5	100000	4067	2804700
18.	उत्तर प्रदेश	78	2280000	2	135000	0	0	77	82500
19.	उत्तराखंड	16	500000	0	0	2	75000	259	217200
20.	पश्चिम बंगाल	48	1430000	0	0	6	120000	9074	6344170
	कुल	744	21261000	32	2160000	28	602666	39801	34567130

"आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना" के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान निपटान किए गए दावों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	स्वाभाविक मृत्यु		दुर्घटना मृत्यु		गंभीर बीमारियां		छात्रवृत्ति	
		संख्या	संवितरित राशि	संख्या	संवितरित राशि	संख्या	संवितरित राशि	संख्या	संवितरित राशि
1.	आंध्र प्रदेश	83	2470000	7	525000	0	0	4510	3321600
2.	असम	27	810000	1	30000	0	0	0	0
3.	बिहार	1	30000	0	0	0	0	0	0
4.	चंडीगढ़	72	2150000	0	0	0	0	3084	3358800
5.	छत्तीसगढ़	11	220000	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	2	50000	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	63	1880000	3	195000	1	20000	4293	3224400
8.	हरियाणा	4	120000	0	0	0	0	137	164400
9.	हिमाचल प्रदेश	13	390000	3	225000	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	12	360000	0	0	0	0	215	102000
11.	कर्नाटक	68	2020000	1	75000	0	0	1841	2209200
12.	केरल	25	750000	0	0	26	520000	15980	9588000
13.	मध्य प्रदेश	44	1300000	6	450000	0	0	856	526500
14.	महाराष्ट्र	36	1025000	11	575000	0	0	417	210000
15.	ओडिशा	30	895000	4	270000	0	0	1128	720900
16.	पंजाब	2	60000	0	0	0	0	0	0
17.	राजस्थान	1	30000	0	0	0	0	0	0
18.	तमिलनाडु	81	2430000	3	225000	0	0	2231	1540200
19.	उत्तर प्रदेश	98	2830000	3	240000	1	25000	0	0
20.	उत्तराखंड	18	530000	0	0	0	0	410	246000
21.	पश्चिम बंगाल	69	2060000	5	375000	0	0	22563	13537800
	कुल	760	22410000	47	3185000	28	565000	57665	38749800

उत्तर प्रदेश का 25000/- रुपये की राशि का एक दावा वर्ष 2009-10 में निपटाया गया।

"आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना" के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान निपटान किए गए दावों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	स्वाभाविक मृत्यु		दुर्घटना मृत्यु		गंभीर बीमारियां		छात्रवृत्ति	
		संख्या	संवितरित राशि	संख्या	संवितरित राशि	संख्या	संवितरित राशि	संख्या	संवितरित राशि
1.	आंध्र प्रदेश	98	2940000	1	75000	0	0	3606	3049200
2.	असम	61	1820000	0	0	0	0	752	451200
3.	बिहार	3	90000	0	0	0	0	0	0
4.	चंडीगढ़	52	1560000	4	270000	0	0	1987	2384400
5.	छत्तीसगढ़	19	380000	4	150000	0	0	0	0
6.	गोवा	2	60000	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	39	1260000	4	210000	2	40000	6616	4427400
8.	हरियाणा	3	90000	0	0	0	0	96	115220
9.	हिमाचल प्रदेश	16	480000	0	0	0	0	1754	1945200
10.	जम्मू और कश्मीर	10	300000	0	0	0	0	335	171600
11.	कर्नाटक	76	2250000	4	300000	4	80000	3225	3864600
12.	केरल	23	690000	2	150000	21	420000	49202	29521200
13.	मध्य प्रदेश	48	1400000	6	450000	1	20000	532	324000
14.	महाराष्ट्र	59	1700000	6	415000	2	40000	4203	2489400
15.	ओडिशा	24	710000	3	225000	5	100000	1170	702000
16.	पंजाब	0	0	0	0	0	0		0
17.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	तमिलनाडु	53	1590000	2	150000	1	20000	7068	4241400
19.	उत्तर प्रदेश	102	3020000	3	225000	0	0	20	12000
20.	उत्तराखंड	18	540000	2	150000	6	120000	322	280800
21.	पश्चिम बंगाल	85	2540000	3	225000	0	0	29637	17787700
	कुल	791	23420000	44	2995000	42	840000	110525	71767320

"आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना" के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान (31.01.2012 तक) निपटान किए गए दावों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	स्वाभाविक मृत्यु		दुर्घटना मृत्यु		गंभीर बीमारियां		छात्रवृत्ति	
		संख्या	संवितरित राशि	संख्या	संवितरित राशि	संख्या	संवितरित राशि	संख्या	संवितरित राशि
1.	आंध्र प्रदेश	103	2280000	6	450000	0	0	4825	5025000
2.	असम	41	1230000	0	0	0	0	971	582600
3.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	चंडीगढ़	55	1650000	0	0	0	0	1479	1774800
5.	छत्तीसगढ़	9	240000	0	0	1	20000	0	0
6.	गोवा	2	60000	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	37	1170000	3	165000	0	0	7213	4994400
8.	हिमाचल प्रदेश	39	1170000	1	75000	1	20000	1551	1861200
9.	जम्मू और कश्मीर	11	330000	0	0	0	0	663	397800
10.	झारखंड	3	90000	0	0	0	0	0	0
11.	कर्नाटक	68	2040000	4	300000	3	60000	5459	6022000
12.	केरल	26	780000	1	75000	14	280000	7485	4491000
13.	मध्य प्रदेश	49	1470000	6	450000	1	20000	956	573600
14.	महाराष्ट्र	87	3940000	17	1275000	4	100000	2432	1459200
15.	ओडिशा	24	720000	0	0	0	0	166	99600
16.	राजस्थान	2	60000	0	0	0	0	0	0
17.	उत्तराखंड	20	590000	3	225000	0	0	399	478800
18.	उत्तर प्रदेश	80	2340000	8	600000	0	0	37	22200
19.	पश्चिम बंगाल	71	2130000	4	300000	9	180000	13787	8272100
20.	तमिलनाडु	45	1350000	0	0	0	0	5931	3558600
	कुल	772	23640000	53	3915000	33	680000	53354	39612900

[अनुवाद]

बुनकरों के लिए राहत पैकेज

2987. श्री ओम प्रकाश यादव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के बुनकरों के ऋण माफ करने सहित उनके लिए कोई राहत पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अन्य कारीगरों के लिए भी ऐसे राहत पैकेजों का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) बजट 2011-12 में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि भारत सरकार नाबार्ड के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर अतिदेय ऋणों की माफी के लिए हथकरघा क्षेत्र के लिए वित्तीय पैकेज का क्रियान्वयन करने हेतु 3000 करोड़ रु. उपलब्ध कराएगी। उक्त बजट घोषणा के परिणामस्वरूप "हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुज्जीवन, सुधार और पुनर्नियतन पैकेज" 3884 करोड़ रु. की कुल वित्तीय विवक्षा के साथ अनुमोदित किया गया है जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 3137 करोड़ रु. है और राज्य सरकारों का हिस्सा 747 करोड़ रु. है। इस पैकेज में मूलधन राशि के 100% और ब्याज की 25% की वह राशि सम्मिलित है जो हथकरघा बुनकरों और उनकी समितियों के संबंध में 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार अतिदेय है। पैकेज में ब्याज के शेष हिस्से को बैंकों द्वारा बट्टेखाते डाले जाने का प्रावधान है। पात्र हथकरघा सहकारी समितियों और प्रत्येक हथकरघा बुनकरों को बैंकों द्वारा दिए गए नए ऋण हेतु 3 वर्षों के लिए 3% की ब्याज सहायता ऐसे नए ऋणों के लिए गारंटी कवर के साथ दी जाती है।

(ग) और (घ) वस्त्र मंत्रालय ने सूचित किया है कि देश के अन्य कारीगरों के लिए किसी भी प्रकार के राहत पेकेज का प्रस्ताव नहीं है।

सिक्कों का बदला जाना

2988. श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लोगों से 25 पैसे और इससे नीचे के मूल्य के सिक्कों को 30 जून, 2012 से पहले बैंकों से बदल लेने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूरे देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में अभी तक कैसी प्रतिक्रिया मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) और (ख) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की उप-धारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने 30 जून, 2011 से समय-समय पर जारी किए गए 25 पैसे और उससे नीचे के मूल्यवर्गों के सिक्के परिचालन से वापस लेने का निर्णय लिया है और इस तारीख से ये सिक्के भुगतान एवं खाते के लिए वैद्य मुद्रा नहीं रहेंगे।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने कुल 263597333 सिक्के प्राप्त किए हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश से प्राप्त 15998555 सिक्के शामिल हैं।

ग्रामीण अवसंरचनात्मक विकास निधि के अंतर्गत नाबार्ड के ऋण

2989. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नयी ग्रामीण अवसंरचनात्मक इकाइयों के सृजन और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अवसंरचनात्मक विकास निधि (आरआईडीएफ) से विभिन्न राज्य सरकारों को राज्य-वार कितना ऋण स्वीकृत किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और उनमें प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रतिवर्ष निधियों में वृद्धि के बावजूद आरआईडीएफ के अंतर्गत ऋण संवितरण में लगातार कमी आ रही है;

(घ) यदि हां, तो नाबार्ड के अधीन गठित आरआईडीएफ में समेकित राशि बढ़ाए जाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या नाबार्ड ने ग्राहकों को सीधे ऋण दिए जाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा) : (क) नई ग्रामीण अवसंरचनात्मक इकाइयों को बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को आरआईडीएफ में से नाबार्ड द्वारा मंजूर किए गए ऋण राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयन के अधीन अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और उसमें हुई प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण-II, II(क), II(ख) और II(ग) में दिया गया है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आरआईडीएफ में से मंजूर किए गए ऋणों की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ङ) और (च) अलग-अलग ग्राहकों को सीधे ही ऋण देने के लिए नाबार्ड ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है।

विवरण-I

आरआईडीएफ — पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (26 मार्च, 2012 तक) के दौरान की गई मंजूरियां

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1,315	1,185	1237	1345
2.	अरुणाचल प्रदेश	122	56	0	22
3.	असम	113	300	284	182
4.	बिहार	752	877	1090	1104
5.	छत्तीसगढ़	72	86	121	191
6.	गोवा	86	149	57	64
7.	गुजरात	1,085	972	1163	1516
8.	हरियाणा	301	543	487	486
9.	हिमाचल प्रदेश	425	454	424	424
10.	जम्मू और कश्मीर	377	654	903	162
11.	झारखंड	631	567	623	487

1	2	3	4	5	6
12.	कर्नाटक	659	657	861	757
13.	केरल	501	353	532	1062
14.	मध्य प्रदेश	975	1,176	1200	1517
15.	महाराष्ट्र	1,123	914	1125	1778
16.	मणिपुर	0	4	272	0
17.	मेघालय	66	135	143	13
18.	मिजोरम	1	75	146	26
19.	नागालैंड	240	187	79	3
20.	ओडिशा	849	760	898	1288
21.	पुदुचेरी	55	79	106	141
22.	पंजाब	525	553	602	455
23.	राजस्थान	1,100	1,015	1300	2030
24.	सिक्किम	99	177	78	2
25.	तमिलनाडु	905	850	1034	1600
26.	त्रिपुरा	305	142	86	63
27.	उत्तर प्रदेश	971	1,364	1569	1681
28.	उत्तराखंड	300	426	738	481
29.	पश्चिमी बंगाल	801	922	1160	1102
	आरआईडीएफ कुल	14,754	15,630	18,315	19985
	एनआरआरडीए, दिल्ली	4,000	6,500	0	0
	वेयर हाउस	0	0	0	1473
	सकल योग	18,754	22,130	18,315	21458

विवरण-II

आरआईडीएफ – पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (29 फरवरी, 2012 तक) के दौरान किए गए संवितरण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1081	1018	895	963
2.	अरुणाचल प्रदेश	85	78	52	28
3.	असम	200	200	184	91
4.	बिहार	495	542	640	326
5.	छत्तीसगढ़	113	112	69	69
6.	गोवा	66	85	97	55
7.	गुजरात	885	991	886	383
8.	हरियाणा	286	270	204	115
9.	हिमाचल प्रदेश	220	300	300	273
10.	जम्मू और कश्मीर	411	428	455	341
11.	झारखंड	320	355	458	315
12.	कर्नाटक	454	611	750	418
13.	करेल	206	383	392	190
14.	मध्य प्रदेश	752	603	370	666
15.	महाराष्ट्र	874	802	693	380
16.	मणिपुर	1	9	30	0
17.	मेघालय	41	60	60	68
18.	मिजोरम	14	30	40	19
19.	नागालैंड	57	56	37	23

1	2	3	4	5	6
20.	ओडिशा	366	603	714	471
21.	पुदुचेरी		23	55	43
22.	पंजाब	450	450	448	318
23.	राजस्थान	700	850	1000	598
24.	सिक्किम	40	39	40	30
25.	तमिलनाडु	846	1015	713	584
26.	त्रिपुरा	48	77	100	34
27.	उत्तर प्रदेश	730	1629	1444	965
28.	उत्तराखंड	192	201	314	306
29.	पश्चिम बंगाल	526	570	621	479
	आरआईडीएफ कुल	10459	12388	12060	8551
	एनआरआरडीए	4000	6500	0	0
	वेयर हाउस	0	0	0	92
	सकल योग	14459	18888	12060	8643

विवरण-II(क)

वर्ष 2008-09 के दौरान क्षेत्र-वार संवितरण

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	सिंचाई	सड़क और पुल	सामाजिक क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र	कृषि से संबंधित	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	297.29	532.75	179.68	0.00	36.14	35.14	1081.00
2.	बिहार	86.97	339.24	4540	9.86	13.71	0.00	495.17
3.	छत्तीसगढ़	82.61	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	113.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	गोवा	62.80	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	65.50
5.	गुजरात	261.61	452.85	170.07	0.00	0.00	0.00	884.54
6.	हरियाणा	90.70	88.16	92.86	0.00	13.90	0.00	285.62
7.	हिमाचल प्रदेश	109.16	77.75	24.67	0.00	8.42	0.00	220.00
8.	जम्मू और कश्मीर	19.41	365.25	16.86	0.00	9.12	0.00	410.64
9.	झारखंड	88.22	172.74	12.59	0.00	46.45	0.00	320.00
10.	कर्नाटक	111.07	223.83	71.57	0.00	47.41	0.00	453.87
11.	केरल	13.19	46.18	108.13	0.00	29.85	8.56	205.91
12.	मध्य प्रदेश	616.38	93.78	42.05	0.00	0.00	0.00	752.21
13.	महाराष्ट्र	471.29	309.33	39.12	0.00	54.55	0.00	874.29
14.	ओडिशा	168.32	172.63	0.11	0.00	25.24	0.00	366.30
15.	पंजाब	34.12	111.81	154.48	0.00	149.59	0.00	450.00
16.	राजस्थान	115.78	234.13	331.10	0.00	18.99	0.00	700.00
17.	तमिलनाडु	76.92	436.68	271.61	0.11	4328	1747	846.07
18.	उत्तर प्रदेश	346.37	119.11	0.00	0.00	264.30	0.00	729.78
19.	उत्तराखंड	70.87	78.21	0.00	4250	0.56	0.00	192.13
20.	पश्चिम बंगाल	135.84	258.70	15.11	32.38	72.91	11.13	526.07
21.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	52.93	16.91	4.08	5.72	5.20	84.84
23.	असम	10.03	116.32	0.00	0.00	73.65	0.00	200.00
24.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	140
25.	मेघालय	0.00	4140	0.00	0.00	0.00	0.00	4140
26.	मिजोरम	0.77	6.02	7.21	0.00	0.00	0.00	14.00
27.	नागालैंड	0.00	23.31	0.00	16.55	17.31	0.00	57.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	सिक्किम	0.00	9.30	26.70	0.00	4.00	0.00	40.00
29.	त्रिपुरा	0.00	47.51	0.00	0.00	0.03	0.00	47.54
	कुल	3269.72	4440.50	1626.23	105.47	939.22	77.50	10458.64
	भारत निर्माण के लिए एनआरआरडीए		7500.00					
	सकल योग		11940.60					

(एनआरआरडीए को भारत निर्माण के लिए मंजूर और संवितरित किए गए 18,500 करोड़ रु. 2006-07 से 2009-10 तक पीएमजीएसवाई सड़कें)।

विवरण-II(ख)

वर्ष 2009-10 के दौरान क्षेत्र-वार संवितरण

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	सिंचाई	सड़क और पुल	सामाजिक क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र	कृषि से संबंधित	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	29758	'475.58	188.55	11.48	10.16	34.88	1018.22
2.	बिहार	82.92	372.99	51.43	16.65	17.96	0.00	541.94
3.	छत्तीसगढ़	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.97
4.	गोवा	67.26	13.98	3.48	0.00	0.00	0.00	84.71
5.	गुजरात	191.80	610.83	188.06	0.00	0.00	0.00	990.69
6.	हरियाणा	131.41	71.19	48.88	0.00	18.29	0.00	269.72
7.	हिमाचल प्रदेश	73.31	174.32	48.72	0.00	3.65	0.00	300.00
8.	जम्मू और कश्मीर	26.92	339.44	53.45	0.00	8.20	0.00	428.00
9.	झारखंड	15.75	294.83	23.32	0.00	21.06	0.00	354.95
10.	कर्नाटक	184.57	241.75	144.90	0.00	39.36	0.00	610.58
11.	केरल	45.12	93.73	158.90	0.00	42.29	42.48	382.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	मध्य प्रदेश	412.72	179.79	10.29	0.00	0.00	0.00	602.80
13.	महाराष्ट्र	305.32	379.57	80.87	0.00	35.84	0.00	801.60
14.	ओडिशा	204.53	347.87	0.91	0.00	49.30	0.00	602.61
15.	पंजाब	53.68	200.31	100.53	0.00	95.54	0.00	450.00
16.	राजस्थान	58.00	247.36	525.11	0.00	10.26	9.27	850.00
17.	तमिलनाडु	103.75	452.74	290.84	0.00	136.98	31.18	1015.49
18.	उत्तर प्रदेश	833.58	375.52	0.00	0.00	419.84	0.00	1628.93
19.	उत्तराखंड	68.57	127.48	0.00	4.25	0.25	0.00	200.54
20.	पश्चिम बंगाल	92.28	342.36	11.46	2.50	116.46	4.72	569.76
21.	पुदुचेरी	0.75	0.70	8.55	0.00	13.43	0.00	23.43
22.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	62.44	12.30	3.68	0.00	0.00	78.41
23.	असम	6.35	163.13	0.00	18.62	11.91	0.00	200.00
24.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85	0.00	8.85
25.	मेघालय	6.07	42.44	10.39	0.00	1.10	0.00	60.00
26.	मिजोरम	0.00	25.85	4.15	0.00	0.00	0.00	30.00
27.	नागालैंड	0.00	24.85	0.00	18.75	12.45	0.00	56.05
28.	सिक्किम	0.00	8.50	21.00	0.00	9.27	0.00	38.77
29.	त्रिपुरा	0.00	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	76.99
	कुल	3374.13	5746.51	1986.02	75.92	1082.44	122.53	12387.54
	भारत निर्माण के लिए एनआरआरडीए		6500.00					
	सकल कुल		12246.51					

(एनआरआरडीए को भारत निर्माण के लिए मंजूर और संवितरित किए गए 18,500 करोड़ रु. 2006-07 से 2009-10 तक पीएमजीएसवाई सड़कें)।

विवरण-II(ग)

वर्ष 2010-11 के दौरान क्षेत्र-वार संवितरण

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	सिंचाई	सड़क और पुल	सामाजिक क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र	कृषि से संबंधित	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	345.18	328.27	207.20	0.00	14.46	0.00	895.11
2.	बिहार	27.87	497.60	52.15	41.54	18.94	0.00	640.10
3.	छत्तीसगढ़	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.03
4.	गोवा	65.45	16.57	9.68	0.00	5.60	0.00	97.30
5.	गुजरात	205.09	235.92	439.55	0.00	5.47	0.00	886.03
6.	हरियाणा	8व.29	65.99	37.96	0.00	19.46	0.00	203.70
7.	हिमाचल प्रदेश	86.17	138.24	65.23	0.00	10.36	0.00	300.00
8.	जम्मू और कश्मीर	15.29	389.34	31.79	0.00	18.65	0.00	455.07
9.	झारखंड	4.50	410.79	23.74	0.00	19.10	0.00	458.13
10.	कर्नाटक	178.00	296.81	205.41	0.00	69.28	0.00	750.00
11.	केरल	122.81	68.14	145.46	2.55	52.76	0.00	391.72
12.	मध्य प्रदेश	191.30	176.66	1.61	0.00	0.00	0.00	36957
13.	महाराष्ट्र	278.00	314.89	50.61	0.00	49.42	0.00	692.92
14.	ओडिशा	301.47	389.82	0.00	0.00	22.93	0.00	714.221
15.	पंजाब	62.31	175.59	138.46	0.00	71.54	0.00	447.90
16.	राजस्थान	96.07	329.46	557.56	0.00	6.11	10.80	1000.00
17.	तमिलनाडु	76.78	374.51	259.84	0.00	1.84	0.00	712.97
18.	उत्तर प्रदेश	901.76	272.14	0.00	0.00	270.43	0.00	144433
19.	उत्तराखंड	70.57	218.60	0.00	24.39	0.00	0.00	313.56
20.	पश्चिम बंगाल	88.85	339.61	15.33	0.00	161.35	15.86	621.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	पुदुचेरी	1.58	27.64	25.60	0.00	0.00	0.00	54.82
22.	अरुणाचल प्रदेश	1.21	38.87	3.74	8.23	0.00	0.00	52.05
23.	असम	1.48	132.04	2.49	16.36	3114	0.00	183.51
24.	मणिपुर	7.00	0.00	7.70	0.00	15.00	0.00	29.70
25.	मेघालय	5.56	31.14	5.79	0.00	17.51	0.00	60.00
26.	मिजोरम	0.00	14.17	9.79	12.30	3.74	0.00	40.00
27.	नागालैंड	0.00	17.27	0.00	14.54	5.50	0.00	37.31
28.	सिक्किम	0.00	21.09	14.85	0.00	4.06	0.00	40.00
29.	त्रिपुरा	9.99	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99
	कुल	3293.61	5411.17	2312.94	121.91	894.65	26.66	12060.04
	भारत निर्माण के लिए एनआरआरडीए		0.00					
	सकल कुल		0.00					

(एनआरआरडीए को भारत निर्माण के लिए मंजूर और संवितरित किए गए 18,500 करोड़ रु. 2006-07 से 2009-10 तक पीएमजीएसवाई सड़कें)।

विवरण-III

आर.आई.डी.एम. : वर्ष-वार आवंटन और स्वीकृति

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आवंटन	स्वीकृत 26.03.2012 तक)
1	2	3
2008-09	14,000	14,726
2009-10	14,000	15,623
2010-11	16,000	18,315
2011-12	18,000	19,985
आआईडीएम: कुल	62,000	68,649
एनआरआरडीए (XII जव XV)	18,500	18,5000

कार्बन फोरम एशिया कान्फ्रेंस-2011 9 38-39

2990. श्री पी.आर. नटराजन : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के शिष्टमंडल ने अभी हाल ही में सिंगापुर में आयोजित कार्बन फोरम एशिया—2011 सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में क्या निर्णय लिया गया है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला) : (क) और (ख) जी, हां। एशियन विकास बैंक के अनुरोध पर दिनांक 2-3 नवम्बर, 2011 को सिंगापुर में आयोजित कार्बन फोरम एशिया 2011 सम्मेलन में शामिल होने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया:—

(i) सुश्री सनवाली कटोच, जे.ओ., हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (एचपीपीसीएल);

(ii) श्री सुब्रता बोस, परियोजना समन्वयकर्त्ता, पर्यावरण और वन मंत्रालय;

(iii) श्री सज्जन, कार्यकारी अभियंता, कर्नाटक सरकार; और

(iv) श्री वैभव गलरिया, परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (आरयूआईडीपी), राजस्थान सरकार।

(ग) इस सम्मेलन में कार्बन क्रेडिट क्रेताओं और विक्रेताओं के साथ-साथ सरकार, बाजार के प्रतिनिधि, विकसित और विकासशील राष्ट्र अपने विचारों का आदान-प्रदान करने तथा जानकारी बांटने के लिए एक साथ एकत्रित हुए जिसका सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इस सम्मेलन में अक्षय ऊर्जा से संबंधित कोई विशिष्ट निर्णय नहीं लिया गया।

अध्यक्ष महोदया : लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

इस समय, श्री के. चन्द्रशेखर राव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब, पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6436/15/12]

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6437/15/12]

(5) (एक) लोकोप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोकोप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6438/15/12]

(7) दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) स्क्रीनिंग परीक्षण (पहला संशोधन) विनियम, 2010 जो 8 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-147-2010 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम (चौथा संशोधन) विनियम, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-130-2011 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम (तीसरा संशोधन) विनियम, 2011 जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-130-2011 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010 जो 29 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-175-2010 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) दंत चिकित्सा महाविद्यालय में रैगिंग के खतरे को समाप्त करने संबंधी डीसीआई विनियम, 2009 जो 13 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-167-2008 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया स्क्रीनिंग परीक्षण विनियम, 2009 जो 13 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-147-2009 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (प्रकीर्ण) विनियम, 2007 जो 29 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-130-2007 में प्रकाशित हुए थे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6439/15/12]

(9) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 8 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 76(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6440/15/12]

...*(व्यवधान)*

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) वर्ष 2012-13 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6445/15/12]

[डॉ. सी.पी. जोशी]

(2) वर्ष 2012-13 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 6446/15/12]

...*(व्यवधान)*

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : मैं कुमारी सैलजा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरत्ती के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6447/15/12]

...*(व्यवधान)*

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : मैं श्री सुबोध कांत सहाय की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(एक) वर्ष 2012-13 के लिए पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6448/15/12]

(दो) वर्ष 2012-13 के लिए पर्यटन मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 6449/15/12]

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : मैं वर्ष 2012-13 के लिए जल संसाधन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 6450/15/12]

...*(व्यवधान)*

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : मैं श्री श्रीप्रकाश जायसवाल की ओर से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 46(अ) जो 25 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम में उल्लिखित दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6451/15/12]

...*(व्यवधान)*

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) : मैं निम्नलिखि पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियां वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियां वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2010-11 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6452/15/12]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2012-13 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6453/15/12]

(दो) वर्ष 2012-13 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6454/15/12]

(तीन) वर्ष 2012-13 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6455/15/12]

...*(व्यवधान)*

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : मैं वर्ष 2012-13 के लिए खान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6456/15/12]

...*(व्यवधान)*

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:—

(1) वर्ष 2012-13 के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6441/15/12]

(2) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6442/15/12]

(4) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (संशोधन) नियम, 2012 जो 3 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 64(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6443/15/12]

(5) वर्ष 2012-13 के लिए नागर विमानन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6444/15/12]

...*(व्यवधान)*

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) वर्ष 2012-13 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6457/15/12]

(2) वर्ष 2012-13 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 6458/15/12]

...*(व्यवधान)*

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : मैं प्रो. के.वी. थॉमस की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) (एक) नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[श्रीमती पनबाका लक्ष्मी]

(दो) नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6459/15/12]

...*(व्यवधान)*

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) वर्ष 2012-13 के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6462/15/12]

(2) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 99(अ) जो 22 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 5 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 65(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6463/15/12]

...*(व्यवधान)*

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : मैं श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6464/15/12]

...*(व्यवधान)*

(3) (एक) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6465/15/12]

(5) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6466/15/12]

(7) (एक) झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के वर्ष 2009-10 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के वर्ष 2009-10 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6467/15/12]

(9) (एक) अरुणाचल प्रदेश राज्य मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), ईटानगर के वर्ष 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अरुणाचल प्रदेश राज्य मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), ईटानगर के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6468/15/12]

(11) (एक) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6469/15/12]

(13) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6470/15/12]

...*(व्यवधान)*

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6471/15/12]

(3) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की

[श्रीमती पनबाका लक्ष्मी]

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6472/15/12]

(4) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6473/15/12]

...(व्यवधान)

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : मैं श्री एस.एस. पलानीमनिकम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 42 के अंतर्गत जून, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत में आवास के रुझान और उसकी प्रगति (राष्ट्रीय आवास बैंक) के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6474/15/12]

(2) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 2011 जो 28 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 905(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6475/15/12]

(3) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा.का.नि. 942(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 07/2010-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 943(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 08/2010-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 944(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 09/2010-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 945(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या 17/2009-सेवाकर में अधिक्रमण किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिये* संख्या एल.टी. 6476/15/12]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा.का.नि. 842(अ) जो 18 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या 03/2005-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 937(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके

द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 938(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित नौ अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 939(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 11 मई, 2001 की अधिसूचना संख्या 26/2011-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 940(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मई, 2005 की अधिसूचना संख्या 21/2005-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 941(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 49/2008-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 1(अ) जो 3 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 25(अ) जो 16 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 5/2006-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 26(अ) जो 16 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 23/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 81(अ) जो 9 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सेनवैट क्रेडिट (पहला संशोधन) नियम, 2012 जो 9 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 83(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सेनवैट क्रेडिट (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 12 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 138(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सेनवैट क्रेडिट (पहला संशोधन) नियम, 2012 जो 12 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 139(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 140(अ) जो 12 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा मर्चेंट निर्यातक सहित किसी विनिर्माता प्रथम प्रक्रम अथवा द्वितीय प्रक्रम के डीलर, जो प्रथम दृष्ट्या विनिर्दिष्ट अपराधों में शामिल पाया जाता है उन पर प्रतिबंध लगाए जाने और कतिपय सुविधाएं वापस लिए जाने संबंधी प्रक्रिया निर्धारित किए जाने संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 142(अ) जो 13 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या 1/2007-के.उ.शु. (एन.टी.) को अधिक्रमित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 916(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 541(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[श्रीमती पनबाका लक्ष्मी]

(सत्रह) केंद्रीय उत्पाद शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 2011 जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 917(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 918(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 द्वारा अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और 30.12.2011 की अधिसूचना संख्या 52/2011 से उत्पन्न सेवा कर प्रतिदाय के संबंध में वित्त अधिनियम, 1944 के अध्याय 5 के अंतर्गत शक्तियों तथा 7.3.2002 की अधिसूचना संख्या 15/2002-सी.शु. (एन.टी.) में उल्लिखित अधिकारिता के अंतर्गत प्रदत्त सभी शक्तियों द्वारा उसमें उल्लिखित रैंक की सीमा शुल्क अधिकारियों को नियुक्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 100(अ) जो 22 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 21/2004-के.उ.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिये* संख्या एल.टी. 6477/15/12]

(5) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखि अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

9-5-60

(एक) सा.का.नि. 829(अ) जो 23 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "ओपल ग्लासवेयर" पर भारत में आयात किए जाने पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 837(अ) जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ, कोरिया जनवादी गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित उसमें उल्लिखित एएसटीएम ग्रेड 304 के स्टेनलेस स्टील के सभी प्रकारों के साथ हॉट रॉल्ड फ्लैट उत्पादों के आयात पर अभिहित प्राधिकारी के प्रतिपाटन अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष में संस्तुत दरों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 884(अ) जो 15 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नई नौप्रेषण समीक्षा पूरी होने तक मैसर्स फोशान दिहाई ट्रेडिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक) के माध्यम से मैसर्स गावायावों मार्शल सिरैमिक्स कं.लि., चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक) द्वारा चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित कांचित टायलों से भिन्न, सेरामिक कांचित टायलों के आयात का अनंतिम मूल्यांकन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 889(अ) जो 20 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण पूरा होने तक जिसमें 13 अक्तूबर, 2012 तक और इसके सहित चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित 'सोडियम हाइड्रोसल्फाइट' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 890(अ) जो 20 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 फरवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या 15/2008-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित सामग्रियों पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का विनिर्धारण) दूसरा संशोधन नियम, 2011

जो 1 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 855(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 934(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या 119/2010-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 2(अ) जो 6 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक सउदी अरब, ईरान, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'कॉस्टिक सोडा' के आयात पर 1 सितम्बर, 2012 को शामिल करते हुए उस तक अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 12(अ) जो 13 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सिल्क फैब्रिक्स 20-100 ग्राम प्रति मीटर के आयात पर और पांच वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 13(अ) जो 13 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, चीनी ताइपे, मलेशिया, थाईलैंड, कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित नाइलॉन फिलामेंट यार्न के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 14(अ) जो 13 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इजराइल और ताईवान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित सभी ग्रेडों और सान्द्रताओं के फासफोरिक एसिड के आयात पर छह महीनों से अनधिक अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 15(अ) जो 13 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सेलोफेन ट्रांसपैरेंट फिल्म के आयात पर और पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 16(अ) जो 13 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 9 दिसम्बर, 2009 की अधिसचूना संख्या 136/2009-सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 17(अ) जो 13 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सैक्रीन के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 21(अ) जो 16 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या 70/2010-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[श्रीमती पनबाका लक्ष्मी]

(सोलह) सा.का.नि. 29(अ) जो 17 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके आशय भारत में निर्यातित पथैलिक एनहाईड्राइड के आयात पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन से 180 दिन की अवधि के लिए 10 प्रतिशत की दर से यथा अनुपात अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) प्रतिपाटन शुल्क (प्रतिपाटन के वास्तविक मार्जिन से अधिक संदत्त) प्रतिदाय नियम, 2012 जो 19 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 35(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सीमा शुल्क टैरिफ (डम्प वस्तुओं पर तथा क्षति के निर्धारित के लिए प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रण) संशोधन नियम, 2012 जो 19 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 36(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिये* संख्या एल.टी. 6478/15/12]

(उन्नीस) सा.का.नि. 42(अ) जो 24 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 20 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 91/2011-सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 43(अ) जो 24 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित मोर्फोलीन के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 44(अ) जो 24 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित इनके सभी स्वरूपों में पॉलिस्टर अथवा ग्लास फाइबर से निर्मित जियोग्रिड/जियोस्ट्रिप्स/जियोस्ट्रैप्स (जिसमें सभी लंबाइयां और चौड़ाइयां शामिल हैं) के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 77(अ) जो 8 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कोमैरिन के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 101(अ) जो 22 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका द्वारा 8 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 58/2011-सी.शु. को निरस्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

960-66

(एक) सा.का.नि. 823(अ) जो 18 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 850(अ) जो 30 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 856(अ) जो 1 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 15 जनवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या

10/2008-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 866(अ) जो 5 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 867(अ) जो 5 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या 78/2006-सी.शु. को निरस्तर किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 888(अ) जो 19 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 894(अ) जो 23 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 895(अ) जो 23 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या 8/2011-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 907(अ) जो 28 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अगस्त, 2004 की अधिसूचना संख्या 85/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 909(अ) जो 29 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 11 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 101/2007-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 910(अ) जो 29 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 911(अ) जो 29 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 20/2006-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 912(अ) जो 29 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 69/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 924(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 925(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित छह अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 926(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 151/2009-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 927(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत में राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 152/2009-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[श्रीमती पनबाका लक्ष्मी]

(अठारह) सा.का.नि. 928(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 929(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2006 की अधिसूचना संख्या 67/2006-सी.शु. तथा 68/2006-सी.शु. का अधिक्रमण किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 930(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या 116/2010-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 931(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या 46/2011-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 932(अ) जो 30 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या 53/2011-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 933(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 27/2011-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 22(अ) जो 16 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2012-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 23(अ) जो 16 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या 62/2004-सी.शु. का अधिक्रमण किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 24(अ) जो 16 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 सितम्बर, 1994 की अधिसूचना संख्या 172/1994-सी.शु. का अधिक्रमण किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सताईस) सा.का.नि. 31(अ) जो 17 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 70(अ) जो 7 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा.का.नि. 82(अ) जो 9 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि. 127(अ) जो 9 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 104/2009-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा.का.नि. 774(अ) जो 21 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके

द्वारा 28 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना संख्या 41/99-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) प्रवेश बिल (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा) विनियम, 2011 जो 25 नवम्बर, 2011 के भरत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 838(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) पोत परिवहन बिल (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा) विनियम, 2011 जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 839(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौंतीस) सीमा-शुल्क (अनंतिम शुल्क निर्धारण) विनियम, 2011 जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) का.आ. 2684(अ) जो 28 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 अक्तूबर, 2011 की अधिसूचना संख्या 74/2011-सी.शु. (एन.टी.) का अधिक्रमण किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) का.आ. 2723(अ) जो 30 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीस) का.आ. 2798(अ) जो 15 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तीस) का.आ. 2914(अ) जो 28 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 82/2011-सी.शु. (एन.टी.) का अधिक्रमण किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतालीस) का.आ. 2926(अ) जो 30 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चालीस) का.आ. 69(अ) जो 13 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतालीस) सा.का.नि. 72(अ) जो 16 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बयालीस) का.आ. 81(अ) जो 17 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतालीस) का.आ. 189(अ) जो 30 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या 88/2011-सी.शु. (एन.टी.) का अधिक्रमण किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चवालीस) का.आ. 201(अ) जो 31 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतालीस) सा.का.नि. 291(अ) जो 15 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिये* संख्या एल.टी. 6479/15/12]

[श्रीमती पनबाका लक्ष्मी]

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विवरणियों की केन्द्रीयकृत प्रक्रिया स्कीम, 2011 जो 4 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 16(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) विवरणियों की केन्द्रीयकृत प्रक्रिया स्कीम, 2011 जो 4 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 17(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2011 जो 1 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2724(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2011 जो 2 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 5(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिये* संख्या एल.टी. 6479-ए/15/12]

(8) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 9 की उपधारा (6) के अंतर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2011 जो 5 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2736(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन स्कीम, 2011 जो 5 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2737(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिये* संख्या एल.टी. 6480/15/12]

(9) 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। *देखिये* संख्या एल.टी. 6481/15/12]

(10) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत आईआरडीए (जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पूंजी का निर्गम) विनियम, 2011 जो 14 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. आईआरडीए/रेज./2/56/2011 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6482/15/12]

(12) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत 'मदन मोहन मालवीय की 150वीं जन्म वर्षगांठ' के अवसर पर 150 रुपए और 5 रुपए के सिक्के का निर्माण नियम, 2011 जो 16 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 885(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6483/15/12]

(13) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2011-12 का संख्यांक 28) — अनुपालन लेखापरीक्षा राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर—केन्द्रीय उत्पाद)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6484/15/12]

(दो) मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2011-12 का संख्यांक 29)—अनुपालन

लेखापरीक्षा राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर—सेवा कर)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 6485/15/12]

...*(व्यवधान)*

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : मैं विदेश मंत्रालय के वर्ष 2012-13 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6486/15/12]

...*(व्यवधान)*

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म और ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6487/15/12]

(3) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2010-11 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6488/15/12]

(ख) (एक) कुमारकृपा फ्रंटीयर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुमारकृपा फ्रंटीयर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-11 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 6489/15/12]

(5) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, श्रीनगर के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, श्रीनगर के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6490/15/12]

(7) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण

[श्री सुल्तान अहमद]

की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6491/15/12]

...*(व्यवधान)*

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वर्ष 2012-13 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 6492/15/12]

...*(व्यवधान)*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): महोदया, मैं श्री एस. गांधीसेलवन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलूरु के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलूरु के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6493/15/12]

(3) (एक) वॉलंटरी हेल्थ सर्विसेस, चेन्नई के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वॉलंटरी हेल्थ सर्विसेस, चेन्नई के वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) वॉलंटरी हेल्थ सर्विसेस, चेन्नई के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6494/15/12]

(5) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद (गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी), जामनगर के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद (गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी), जामनगर के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6495/15/12]

(7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6496/15/12]

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) इंडियन मेडिसिन्स फ़ार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अलमोड़ा का वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अलमोड़ा का वर्ष 2010-11 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6497/15/12]

(11) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6498/15/12]

(13) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6499/15/12]

(15) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6500/15/12]

(17) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा 3 के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2012 जो 15 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 151(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 6501/15/12]

...*(व्यवधान)*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : महोदया, मैं श्री सचिन पायलट की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2012-13 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के रूप में पुनर्नामित) की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6502/15/12]

(दो) वर्ष 2012-13 के लिए डाक विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6503/15/12]

(तीन) वर्ष 2012-13 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के रूप में पुनर्नामित) का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6504/15/12]

(2) (एक) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआऊट डिजाइन रजिस्ट्री, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआऊट डिजाइन रजिस्ट्री, नई दिल्ली के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 6505/15/12]

...*(व्यवधान)*

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र), गुड़गांव के वर्ष 2010-11 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 6506/15/12]

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ निर्धारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2012 जो 7 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. एल-1/94/सीईआरसी/2011 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्जीय पारेषण और हानियों की भागीदारी) (पहला संशोधन) विनियम, 2011 जो 25 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. एल-1/44/सीईआरसी/2011 में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिये* संख्या एल.टी. 6507/15/12]

(5) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या जेईआरसी-11/2010 जो 11 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2010 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6508/15/12]

(6) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2012-13 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6509/15/12]

(दो) वर्ष 2012-13 के लिए विद्युत मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6510/15/12]

...*(व्यवधान)*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : महोदया, मैं श्री सुदीप बंदोपाध्याय की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) इंटरनेशनल इंस्टि्टयूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, मुम्बई के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टि्टयूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, मुम्बई के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6511/15/12]

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6512/15/12]

(3) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 3 के उपखंड (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 397(अ) जो 9 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 29 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 706(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिये* संख्या एल.टी. 6513/15/12]

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) दूरसचांर विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्ष 2012-13 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6514/15/12]

(2) दूरसचांर विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्ष 2012-13 का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6515/15/12]

...*(व्यवधान)*

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) वर्ष 2012-13 के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिये* संख्या एल.टी. 6460/15/12]

[श्रीमती जयंती नटराजन]

(2) (एक) सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर मेडिसिनल प्लांट्स एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज, बंगलूरु के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर मेडिसिनल प्लांट्स एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज, बंगलूरु के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिये* संख्या एल.टी. 6461/15/12]

अपराह्न 12.05½ बजे

लोक लेखा समिति

52वें से 55वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदया, मैं लोक-लेखा समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(1) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय वायुसेना में विमान चालकों का प्रशिक्षण' के बारे में 52वां प्रतिवेदन।

(2) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'आयुध निर्माणी परियोजना नालंदा के क्रियान्वयन में असाधारण विलंब' के बारे में 53वां प्रतिवेदन।

(3) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) से संबंधित 'निर्यात अवसंरचना एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप विकसित करने हेतु राज्यों को सहायता (एसाइड) स्कीम' के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 54वां प्रतिवेदन।

(4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' के बारे में 55वां प्रतिवेदन।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.06 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) पंचायती राज मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों (2010-11) पर ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव) : महोदया, मैं, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन — भाग-II के अनुसार माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73क के अनुपालन में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के छठी रिपोर्ट (15वीं लोक सभा) में अंतर्निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

ग्रामीण विकास की स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) की छठी रिपोर्ट लोक सभा में दिनांक 16.4.2010 को प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट वर्ष 2010-2011 के लिए पंचायती राज मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के परीक्षण से संबंध रखता है।

समिति की रिपोर्ट में अंतर्निहित सिफारिशों/प्रेक्षणों पर की गई कार्रवाई वक्तव्य सितम्बर, 2010 में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को भेज दी गई थी।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में निदर्शित है जिसे सदन के पटल

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 6516/15/12

पर रखा जाता है। मैं इस अनुबंध में समस्त विवरणों को पढ़कर सदन का कीमती समय लेना नहीं चाहूंगा। मेरा निवेदन है कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अपराह्न 12.06½ बजे

(दो) पर्यटन मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों (2010-11) (मांग संख्या 93) पर समिति के 154वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 162वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तान अहमद) : महोदया, लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश के अनुसरण में, मैं पर्यटन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2010-11) पर 154वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी विभागों से संबद्ध संसदीय स्थाई समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर 162वीं रिपोर्ट में आगे की सिफारिशों/टिप्पणियों की अवस्थिति पर यह विवरण दे रहा हूं जो निम्न प्रकार से है:

'संबंधित मंत्री अपने मंत्रालय से संबंधित लोक सभा की रिपोर्टों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में सदन में छः माह में एक बार विवरण प्रस्तुत करेंगे।'

परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति पर स्थायी समिति ने पर्यटन विभाग की अनुदान मांगों (2010-11) पर समिति की 162वीं रिपोर्ट पर समिति की 20 दिसम्बर, 2010 को आयोजित बैठक में विचार किया और इसे अपनाया। रिपोर्ट 04.03.2011 को लोक सभा के पटल पर रखी गयी थी।

अध्यक्ष महोदया, 154वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण 04.03.2011 को लोक सभा पटल पर रखा गया था। समिति ने 154वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर संसदीय समिति की 162वीं रिपोर्ट में आगे 34 सिफारिशें/टिप्पणियां की थीं।

मैं, अनुबंध के रूप में प्रत्येक सिफारिश के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति सदन के पटल पर रख रहा हूं...*(व्यवधान)*

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 6517/15/12

अपराह्न 12.06¾ बजे

(तीन) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डाक विभाग, के संबंध में अनुदानों की मांगों (2011-12) पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : मैं श्री सचिन पायलट की ओर से डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) संबंधी सूचना प्रौद्योगिकी सबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.07 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के 35वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदया मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा 29 मार्च, 2012 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 35वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 6518/15/12

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:–

"कि यह सभा 29 मार्च, 2012 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 35वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.09 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। माननीय सदस्य प्रथानुसार अपनी पर्ची तत्काल सभा पटल पर स्वयं जमा करें।

...*(व्यवधान)*

(एक) मलयालम साहित्य में योगदान के लिए प्रो. सूरानंद कुंजन पिल्लै और थकाजी शिवशंकरन पिल्लै के सम्मान में स्मारक डाक-टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मवेलीकारा) : केरल में कुछ श्रेष्ठ विद्वान पैदा हुए हैं जिन्होंने मलयालम भाषा और साहित्य को न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी ख्याति दिलाई है। थकाजी शिवशंकरन पिल्लै और प्रो. सूरानंद पी.एन. कुंजन पिल्लै दो ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से साहित्य के क्षेत्र में मलयालम भाषा की सेवा की है।

प्रो. सूरानंद कुंजन पिल्लै का जन्म कोल्लम जिले में सूरानंद दक्षिण में 26 नवम्बर, 1911 को हुआ था। इतिहासकार, शोधकर्ता, कवि, साहित्यिक समालोचना, सामाजिक-सांस्कृतिक नेता, व्याकरणविद् और मलयालम भाषा के विद्वान थे। मलयालम साहित्य और शिक्षा में उनके इस योगदान के लिए उन्हें 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

थकाजी शिवशंकर पिल्लै का जन्म केरल के अलाप्पुजा जिले में कुट्टानाड के थकाजी गांव में 17 अप्रैल, 1912 को हुआ था। वे मलयालम भाषा के एक उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे। उन्होंने अपनी कृतियों की विषय-वस्तु में उत्पीड़ित वर्गों पर ध्यान दिया। उन्होंने कई उपन्यास और 60 से अधिक लघुकथाएं लिखी हैं। मलयालम भाषा और साहित्य में महान योगदान के लिए 1984 में उन्हें भारत के साहित्य जगत का सर्वोत्तम पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। थकाजी स्मारक समिति ने अनेक कार्यक्रमों के साथ स्वर्गीय थकाजी शिवशंकर पिल्लै की जन्मशती मनायी।

मलयालम भाषा और साहित्य के प्रति प्रो. सूरानंद कुंजन पिल्लै और थकाजी शिवशंकर पिल्लै के योगदान का सम्मान करने के लिए मैं केन्द्र सरकार से मलयालम साहित्य के इन दो दीप्यमान नक्षत्रों की याद में स्मारक टिकट जारी करने की पुरजोर अपील करता हूं। यह भी अनुरोध करता हूं कि इस वर्ष इन दोनों प्रसिद्ध साहित्यकारों की जन्मशती मनाई जाये।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में नियुक्त शिक्षा मित्रों को दिए जाने वाले मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.) : देश में प्रारंभिक शिक्षा हेतु 13वें वित्त आयोग ने 2010-11 से 2014-15 तक 24,068 करोड़ रुपया विनिर्दिष्ट किया है जिसका सीधा अर्थ है कि प्रारंभिक शिक्षा को आयोग ने प्राथमिकता की श्रेणी में रखा है।

दूसरी ओर, शिक्षण कार्य में जहां बड़े पैमाने पर अध्यापकों की आवश्यकता है, वहीं अध्यापन कार्य में लगे शिक्षा मित्रों की मानदेय मात्र 3500/- रुपए प्रतिमाह है और शिक्षा मित्रों को वर्ष में मात्र 11 माह ही मानदेय दिया जाता है। उन्हें प्रशिक्षित शिक्षक भी नहीं माना जाता है जबकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मित्रों को बीटीसी के समकक्ष आधारभूत और पुनबोधनात्मक प्रशिक्षण प्राप्त हैं।

कम मानदेय के कारण भरण-पोषण की समस्या के चलते शिक्षा मित्रों द्वारा अपने मानदेय को बढ़ाने की मांग विभिन्न माध्यमों के जरिए होती रही है। यह तर्कसंगत है कि शिक्षा मित्रों को स्थायी सेवा प्रदान किया जाए अथवा प्रशिक्षित शिक्षक माना जाए।

ऐसी दशा में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए या उन्हें प्रशिक्षित शिक्षक माना जाए या फिर अध्यापकों की भारी कमी को देखते हुए उन्हें स्थायी सेवा का अवसर प्रदान किया जाए।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(तीन) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के लाभार्थियों की पेंशन को संशोधित करने तथा उनकी शिकायतों का निवारण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस. अलागिरी (कुड्डालोर) : कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 16 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आयी थी और वर्तमान वातावरण तथा वर्तमान मूल्य सूचकांक के संदर्भ में इस योजना की व्यापक समीक्षा जरूरी है। ई.पी.एस., 1995 के लाभार्थी, विशेषकर नेवेली लिगनाइट कॉरपोरेशन के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी दयनीय सामाजिक आर्थिक स्थिति में जी रहे हैं और वे अल्प पेंशन के सहारे पर आश्रित हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी ओर पेंशनभोगी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपने 3500 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन में जी रहे हैं तथा वेतन आयोग की घोषणा के बाद तथा मूल्य सूचकांक में वृद्धि के बाद उनकी पेंशन में वृद्धि हो जाती है। ई.पी.एस., 1995 के लाभार्थी भी भारत के नागरिक हैं और उनका जीवन भी कठिनाइयों से मुक्त होना चाहिए। रुपये के अवमूल्यन और मुद्रास्फीति के कारण ई.पी.एस., 1995 के पेंशनभोगियों की क्रयशक्ति खत्म हो गई है और वे अपने रोजमर्रा के जीवनयापन के लिए संघर्षरत हैं।

इस संबंध में मैं इस सम्मानीय सभा के माध्यम से माननीय सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह अपने कर्मचारियों की पेंशन योजना, 1995 को संशोधित करे और यथाशीघ्र उनकी समस्याओं का निदान करें।

(चार) कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जंगली हाथियों के मानव बस्तियों में घूमने को रोकने के लिए सौर बाड़ लगाने हेतु धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर) : मैं अपने चुनाव क्षेत्र में मानव हाथी के बीच संघर्ष को बढ़ती घटनाओं के संबंध में माननीय सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिससे भटक गए हाथियों तथा मुनष्यों की जान गई है तथा खड़ी फसल की बर्बादी हुई है। पिछले कई महीनों से समाचार-पत्रों में मानव और हाथी संघर्ष के समाचार आते रहे हैं। इस संघर्ष की गंभीरता 11 नवम्बर, 2011 को उस समय सामने आई जब कोलिगल वन क्षेत्र में पास के वन से निकलकर एक जंगली हाथी ने श्री नागराजू, जो मेरे चुनाव क्षेत्र में पी.जी. पाल्या गांव का निवासी था को कुचल दिया। मेरे चुनाव क्षेत्र के बड़े भाग में जंगल वन फैले हुए हैं जिसका विस्तार सभी 11 ताल्लुकों में है। जिसमें बांदीपुर और नागरहोल राष्ट्रीय अभ्यारण्य बी.आर.टी. बाघ परियोजना क्षेत्र और कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य सम्मिलित हैं। कुछ वन क्षेत्र जैसे एच.डी. कोटे, गुंडलपेट, नजनागुड, चामराजनगर और कोलिगल तालुक के निकट रहने वाले किसान जो खेती करते हैं, भयभीत हो जाते हैं। जब भटके हुए हाथी उनके खेतों में घुस जाते हैं और खड़ी फसल को नष्ट कर देते हैं। एचडी कोटे और नंजलगुल में कुल 1115.40 हैक्टेयर क्षेत्र में कुल लगी फसल बर्बाद हो गई है और वर्ष 2011-12 में 3925 मामले दर्ज किए गए हैं। फसलों की क्षति के लिए किसानों को मुआवजा के रूप में कुल 68 लाख रुपये दिए गए। 671 मामलों के निपटान के लिए अभी भी मुआवजा के रुपये किसानों को कुल 19 लाख रुपये दिए जाने हैं। कुल 41 हाथियों की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई जिसमें बिजली करंट लगने से मारे जाने वाली सात जंगली हाथी सम्मिलित हैं। हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए वन विभाग ने 66 किलोमीटर की लम्बाई में सौर-बाड़ा लगाने तथा 8 किलोमीटर तक हाथियों को रोके जाने वाली खाई खोदने के लिए 2 करोड़ रुपये की और वित्तीय सहायता की मांग की है। इसलिए मैं अध्यक्षपीठ के माध्यम से पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे चुनाव क्षेत्र के वनों में सौर-बाड़ लगाने, हाथियों को रोक पाने लायक खाई खोदने के लिए आवश्यक धनराशि जारी करें तथा भटकने वाले हाथियों के कारण बर्बाद हो रही खड़ी फसलों की क्षति के लिए किसानों को दिए जाने वाले मुआवजा की राशि में तत्काल वृद्धि करें।

(पांच) बिहार के किशनगंज जिले तथा पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में यात्रियों को आरक्षित रेल टिकटें उपलब्ध कराने में पारदर्शिता बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद असरारुल हक़ (किशनगंज) : बिहार प्रदेश के किशनगंज एवं पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिलों के यात्री एक लंबे अर्से से एक विचित्र किस्म की समस्या, जोकि वास्तव में अत्यंत गंभीर है, का सामना कर रहे हैं। यह समस्या है आरक्षित रेल टिकटों का अभाव। कोई भी साधारण नागरिक जब काउंटर पर तत्काल टिकट भी लेने जाता है तो उसे किसी भी सूरत में तत्काल कन्फर्म टिकट कभी नहीं मिलता है। वजह है—दलालों की सक्रियता। ऐसा लगता है कि दलालों ने संपूर्ण तंत्र पर कब्जा जमा लिया है जिसके परिणामस्वरूप साधारण नागरिकों को मजबूरी में वेटिंग टिकट लेना पड़ता है एवम् दुखद यात्रा का अनुभव करना पड़ता है।

रेल मंत्रालय से अनुरोध है कि एक स्वच्छ एवं पारदर्शी व्यवस्था इस संबंध में कायम की जाए ताकि भोले-भाले यात्रियों को दलालों के चंगुल से बचाकर उन्हें आर्थिक एवं मानसिक शोषण का शिकार बनने से बचाया जा सके।

محمد اسرار الحق (کشن گنج): میڈم اسپیکر صاحبہ، بہار اسٹیٹ کے کشن گنج اور مغربی بنگال کے شمالی دیناجپور ضلعوں کے مسافر ایک لمبے عرصہ سے ایک عجیب وغریب پریشانی جو کہ درحقیقت میں بہت زیادہ سنجیدہ ہے کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے ریزروڈ ریلوے ٹکٹوں کی کمی۔ کوئی بھی عام آدمی جب کاؤنٹر پر تتکال ٹکٹ بھی لینے جاتا ہے تو اسے کسی بھی صورت میں تتکال میں کنفرم ٹکٹ کبھی نہیں ملتا ہے۔ وجہ ہے دلالوں کی موجودگی۔ ایسا لگتا ہے کہ دلالوں نے پورے سسٹم پر قبضہ جمالیا ہے۔ جس کے نتیجہ میں عام آدمی کو مجبوری میں ویٹنگ ٹکٹ لینا پڑتا ہے اور سفر کے دوران بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

وزارت ریل سے میری گزارش ہے کہ ایک صاف ستھرا اور مضبوط نظام اس سلسلے میں قائم کیا جائے تاکہ بھولے۔ بھالے مسافروں کو دلالوں کے چنگل سے بچا کر انہیں معاشی اور ذہنی استحصال کا شکار ہونے سے بچایا جا سکے۔

९८७-८९

(छह) तमिलनाडु में विशेष रूप से कांचीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राचीन स्मारकों से 300 मीटर की दूरी के भीतर निर्माण कार्य को प्रतिषिद्ध करने वाले कानून की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. विश्वनाथन (कांचीपुरम) : कांचीपुरम विश्व के सात प्राचीन और सुंदर नगरों में से एक है। भगवान बुद्ध ने कांचीपुरम में पंचशील सिद्धांत को ग्रहण किया धर्मबाला योगी इस नगर में रहते थे।

कांचीपुरम नगर न केवल रेशम नगर है बल्कि हजारों तालाबों वाला हजारों मंदिरों का नगर भी है। जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के स्मारकों के कारण आवास की समस्या का सामना कर रहा है। इस नगर के लोग मंदिरों में और उनके आस-पास शताब्दियों से रहे रहे हैं। उनके जीवन और अस्तित्व इन मंदिरों से जुड़े है।

स्मारकों के रूप में अनेक मंदिरों के बारे में भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण की अधिसूचना के कारण स्थानीय प्रशासन 300 मी. की प्रतिबंधित सीमा को उद्धृत करते हुए जल, विद्युत और भवन की स्वीकृति देने से इंकार करता है। इस नगर के लोग स्थानीय प्राधिकारियों से अपनी मूलभूत सुविधाओं हेतु अनुमति प्रदान करने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। 300 मी. की प्रतिबंधित सीमा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त किए बिना इसे घटाकर 100 भीतर किया जाए।

महाबलीपुरम पल्लवों के लिए पत्तन नगर तथा इसकी राजधानी थी। इस तरह की परिस्थितियों का सामना महाबलीपुरम के निवासियों को भी करना पड़ता है जो पूरे विश्व का एक पर्यटक स्थल है। जब तक विदेशी पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के साथ पर्याप्त रिहायशी आवास नहीं बनाये जाते तब तक पर्यटन उद्योग अधिक विदेशी मुद्रा नहीं अर्जित कर सकता।

संस्कृति मंत्रालय को प्राचीन मंदिरों की शुचिता को प्रभावित किए बिना जनसाधारण की सुविधा हेतु नियमों में ढील देते हुए स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। कांचीपुरम घनी आबादी वाला शहर है और सदियों से मंदिर कार्यकलाप के साथ सहयोजित है। मंत्रालय को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ परामर्श करना चाहिए और जनसाधारण की सुविधा हेतु अपने नियमों में कुछ छूट देने चाहिए।

न केवल महाबलीपुरम, तिरुपोरूर, उथीरामेरूर, कांचीपुरम, पल्लावरम और तिरूकालुकूनरम के लोग बल्कि पूरा कांचीपुरम संसदीय

निर्वाचन क्षेत्र इन मुश्किलों का सामना कर रहा है। न तो वे मरम्मत, निर्माण करने और नहीं अभिनिर्धारित सुरक्षित क्षेत्र के कारण बिजली कनेक्शन प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

मैं सरकार से जनहित में 100 मीटर की मूल सीमा को पुन: कायम करने हेतु इस मामले पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

(सात) जीवन रक्षक औषधियों को 'अनिवार्य लाइसेंसिंग' तंत्र के अंतर्गत लाने के लिए उनकी पहचान करने के लिए अध्ययन कराए जाने की आवश्यकता

श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा) : मैं कैंसर रोधी औषधि के उत्पादन हेतु 'अनिवार्य लाइसेंसिंग' का उपयोग करने के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। अनिवार्य लाइसेंसिंग सरकार को तीन वर्षों के बाद पेटेंट स्वामी के अधिकार में छूट देने और विनिर्माण को क्रयादेश देने और यथासंभव सस्ते दर पर जीवन-रक्षक औषधियों की बिक्री के लिए सशक्त करता है। कैंसर रोधी औषधि के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग को लागू करने के बाद इसका मूल्य एक महीने की खुराक हेतु 284,000 रुपए की मूल लागत से 97 प्रतिशत घट गई। आज यह 8800 रुपए की दर पर उपलब्ध है और यह देश में तीन मिलियन कैंसर रोगियों को तुलनात्मक रूप से सस्ते मूल्य पर उपलब्ध है। यदि किसी पेटेंट उत्पाद की पर्याप्त रूप से या उचित मूल्य पर आपूर्ति नहीं की जाती है तो यह भारतीय पेटेंट अधिनियम, 2005 के अनुसार सरकार को अनिवार्य लाइसेंसिंग के लिए आवेदन करने हेतु सशक्त करता है। दुर्भाग्यवश अनेक जीवन रक्षक औषधियां उपरोक्त कारणवश देश में गरीब जनसाधारण हेतु उपलब्ध नहीं हैं। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जीवन-रक्षक औषधियों की पहचान करने हेतु अविलंब अध्ययन कराएं और जो औषधि उपरोक्त श्रेणी में आती हों उन्हें अनिवार्य लाइसेंसिंग तंत्र के अंतर्गत लाया जाये।

(आठ) जोधपुर से अहमदाबाद के बीच बरास्ता समदडी-भीलडी पैसेंजर ट्रेन पुन: आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) : आज से आठ दशक पहले यानी 15 मार्च, 1929 को जालौर में पहली बार रेल दौड़ी थी। आज जालौर जिले की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर हो गई है। समदडी- भीलडी 223.44 कि.मी. लंबे इस सेक्शन में अब तक यात्री सुविधाओं का विस्तार नहीं हुआ है। इन 80 वर्षों में जालौर जिले में एक भी नई रेल शुरू नहीं की गई है। जालौर ग्रेनाइट उद्योग के रूप में विश्व में विशेष पहचान रखता है। ग्रेनाइट के ढुलाई से रेलवे को प्रतिवर्ष 150 से 200 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है। मीटर गेज पर जोधपुर से अहमदाबाद वाया समदडी भीलडी सवारी गाड़ी चलती थी जिससे सभी वर्गों के लोगों यथा—व्यापारी, शिक्षक, छात्र एवं मरीजों को काफी सुविधा होती थी। इस रेल लाइन को ब्रॉडगेज कर करीबन 80 मालगाड़ी चालू कर दी गई और सवारी गाड़ी को बंद कर दिया गया। मेरी मांग है कि इस सवारी गाड़ी को अविलंब पुन: चालू किया जाए।

(नौ) महाराष्ट्र में जालना और खामगांव के बीच रेलवे लाइन के निर्माण को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता

श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना) : दिसंबर, 2011 के रेल बजट के अनुसार जालना-खामगांव रेल परियोजना का सर्वेक्षण किया गया था यह रेल प्रकल्प मराठवाडा-विदर्भ के बड़े विभागों को जोड़ता है। इस रेल मार्ग परसेगांव गांव भी लगता है जो महाराष्ट्र के महान श्री संत गजानन महाराज जी के सानिध्य से पावन हो चुका है और यहां पर महाराष्ट्र सहित पड़ोसी राज्य और पूरे देशभर से भक्तों का तांता पूरे साल यहां लगा रहता है अगर यह रेल मार्ग बन जाता है तो भक्तों को इसका लाभ होगा।

दिसंबर, 2011 के बजट के अनुसार इस मार्ग का सर्वेक्षण किया गया था उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट दिसंबर, 2011 में सेंट्रल जोन ने रेल मंत्रालय को सौंपी थी इस रिपोर्ट में उस समय तात्कालिक खर्च 1226 करोड़ की लागत इस रेल परियोजना पर लगने वाली थी और इसका रेट ऑफ रीटर्न 0.426 होगा यह रिपोर्ट भी समिति ने दी थी। अगर प्रधानमंत्री रेल विकास योजना अंतर्गत यह रेल मार्ग बनता है तो मराठवाड़ा-विदर्भ के लोगों को इसका लाभ होगा साथ ही जालना एक उभरता हुआ औद्योगिक क्षेत्र है अगर यह मार्ग बनता है तो यहां व्यापार वृद्धि के साथ विकास में बढ़ोतरी होगी और विकास भी होगा। मेरी आपसे विनती है कि आप इस मार्ग को स्वीकृति दें और विकास की योजना में सहयोग दें।

(दस) झारखंड में धनबाद के भूली श्रमिक नगरी के मकानों में चार वर्ष से रह रहे परिवारों की बेदखली को रोके जाने की आवश्यकता

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) भारत सरकार के श्रम एवं कल्याण विभाग द्वारा झारखंड के धनबाद जिला में भूली श्रमिक

[श्री पशुपति नाथ सिंह]

नगरी साठ के दशक में बनायी गयी थी, जिसमें खदान कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यवसाय एवं नौकरी करने वाले निजी क्षेत्र के व्यक्तियों को भी भाड़े पर क्वार्टर दिया गया था। लेकिन कोलियरी राष्ट्रीयकरण के बाद भूली श्रमिक नगरी का रखरखाव भारत कोकिंग कोल लि. कर रही है जो आज निजी क्वार्टर धारियों से क्वार्टर खाली कराने का प्रयास कर रही है।

अत: सरकार से आग्रह करता हूं कि निजी क्वार्टर धारियों से नियमित भाड़ा लिया जाए या लीज पर उन्हें आवंटित किया जाए।

(ग्यारह) बिहार के पटना में एम्स के निर्माण कार्य तथा इसके लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो. रंजन प्रसाद यादव (पाटलिपुत्र) : सरकार ने देश के विभिन्न भागों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे 6 (छह) संस्थानों को शुरू करने की घोषणा की है जिसमें से एक पटना (बिहार) में भी होगा और शैक्षिक सत्र 2012-13 से चिकित्सा महाविद्यालय को और 2013-14 से चिकित्सालयों को कार्यशील बनाने का लक्ष्य रखा है।

जहां तक एम्स, पटना के कार्यकरण का संबंध है तो 1 अगस्त, 2012 से चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने का प्रस्ताव है और शैक्षिक सत्र 2012-13 हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान; नई दिल्ली के साथ छात्रों के दाखिले हेतु परीक्षा करवाना है। इसके अतिरिक्त इन 6 एम्स हेतु कुल 546 संकाय पक्षों को विज्ञापित किया गया है। 1 अगस्त, 2012 तक एम्स, पटना में शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, जैव-रसायन और कम्यूनिटी मेडिसीन नामक 4 (चार) विभागों को शुरू करने का प्रस्ताव है।

लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ भिन्न है। संस्थान इस समय एक सोसाइटी के रूप में कार्य कर रहा है और इसे अभी तक स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। जब मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रस्तावित एम्स, पटना के स्थल का दौरा किया तो मैंने पाया कि विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के समय पर पूरा होने की संभावना नहीं है। अनेक कार्यों को अभी पूरा करने की आवश्यकता है। अत: मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे संबंधित प्राधिकारियों को इस मामले को शीघ्र उठाने का निर्देश दें ताकि यह बिहार के लाखों लोगों के लाभ के लिए निर्धारित समयावधि में कार्य आरम्भ कर सके।

(बारह) ओडिशा के मयूरभंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 को दो लेन से बदलकर चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण टुडु (मयूरभंज) : मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन का पिछड़े क्षेत्र के विकास में काफी योगदान होता है। चूंकि मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ओडिशा का जिला मयूरभंज हमारे देश का जनजातीय और पिछड़ा जिला है। अत:, मेरे निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 18 और 49 को दो लेन से चार लेन वाले राजमार्ग में उन्नयन करने की आवश्यकता है। अत:, मैं इस सम्मानित सभा के माध्यम से माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि फैलादी चौक बालासोर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में झारपोखरिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग 18 को चार लेन वाला बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं। इसी प्रकार, मैं माननीय मंत्री से यह भी अनुरोध करूंगा कि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 49 का दो लेन से चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन करवाएं और सुवर्ण रेखा पुल के साथ इस राष्ट्रीय राजमार्ग 49 की मरम्मत और अनुरक्षण हेतु तत्काल कदम उठाएं क्योंकि इस पुल की वर्तमान स्थिति और उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जमसोला में वाहनों के निर्बाध आवागमन हेतु इस उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग का समुचित रख-रखाव नहीं किया जाता है।

इस संबंध में, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वह जनहित में क्रमश: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 और 49 के उन्नयन में तेजी लाएं।

(तेरह) नदी जल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिरडी) : देश की 13 प्रमुख

नदियों का अस्तित्व आज खतरे में है, जिसका मुख्य कारण औद्योगिक इकाइयों का कचरा, नदी के किनारें सब्जियों की दुकानें, गंदे नालों का पानी जो सीधे नदियों में गिरता है, जिसके कारण नदियों का पानी एवं भूजल के विषाक्त होने के मामले अलग-अलग शहरों, कस्बों से मिले हैं। नदियों को शुद्ध करने के लिए अभी तक लगभग 26 अरब रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन नदियों की साफ-सफाई नहीं हो सकी है।

देश के 70 प्रतिशत शहरों में आज भी पेयजल की आपूर्ति नदियों से की जाती है, लेकिन विडंबना भी यही है कि 70 प्रतिशत बीमारी भी प्रदूषित जल से हो रही है क्योंकि जमीन के भीतर की ऊपरी सतह का जल भी प्रदूषण की चपेट में है।

हरियाणा सहित अनेक राज्यों में अत्यधिक ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं, जो बिना किसी अनुमति के नदियों और जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं। पानी को पीने योग्य बनाने हेतु उसमें क्लोरीन डाला जाता है, जो अब बेकार हो गया है, इससे और घातक बीमारियां हो रही हैं।

अत:, अनुरोध है कि इसके लिए कड़े कानून बनाये जायें और जल को शुद्ध एवं पीने योग्य बनाया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब हम 'शून्यकाल' के मामले उठाएंगे।

श्री निशिकांत दुबे, कृपया संक्षेप में बोलिए।

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं पहले भी सदन में उठा चुका हूं, ओडिशा में जो इटली के लोगों का एबडक्शन हुआ है और अब विधायक झीना निकाका का हुआ है, शैड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित है, कोरापुर जिले से हुआ है और इसके बारे में होम मिनिस्टर साहब को सदन में जवाब देना था। 8 दिन बीत गये हैं ...*(व्यवधान)* लेकिन होम मिनिस्टर की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया है। ...*(व्यवधान)* दूसरे जो उन्होंने डिमांड रखी है और उस दिन जो कुछ बातें कही गई थीं, उनकी एक डिमांड है कि ट्राईबल एरिया में ट्यूरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया जाए। ...*(व्यवधान)* इसी तरह की घटना आपने अंडमान और निकोबार में देखी है। इसी तरह की घटना आप ओडिशा में देख रहे हैं।...*(व्यवधान)* कंवर्शन एक बड़ा विषय है। दुमका हो या मनकानगिरि हो...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइये।

श्री निशिकांत दुबे : मैडम, मुझे दो मिनट के लिए सुन लिया जाए। मेरी मांग है कि इस मामले में मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए और इस तरह के मुद्दे को सैटल करना चाहिए।

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर) : स्पीकर मैडम, मैं मुम्बई के बोरिवली इलाके में स्थित जीवन बीमा नगर टाउनशिप के लोगों के बारे में एक सवाल उठाना चाहता हूं। यह 70 साल पुरानी टाउनशिप है, जहां लगभग दस हजार लोग रहते हैं। इनकी पानी, बिजली, रास्ते आदि तमाम तरह की जो नागरिक सुविधाएं होती हैं तथा उन प्रश्नों से जुड़ा हुआ जो दर्द है, वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। चूंकि यह पूरा का पूरा टाउनशिप वित्त मंत्रालय के एक उपक्रम एलआईसी का टाउनशिप है। यह सत्तर साल पुराना है और सौ एकड़ में फैला हुआ टाउनशिप है। मेरा कहना है कि जब तक वहां एलआईसी के नोडल ऑफिसर नियमित तौर पर अपाइंट नहीं होंगे, उनके दुख-दर्द का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक उनका दूख दूर नहीं होगा।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय से मांग करता हूं कि एलआईसी उपरोक्त कालोनी में रहने वाले लोगों के हित के लिए नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करें, वहां नियमित तौर पर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का ख्याल रखे और उनकी लीज की प्रोपर्टी को फ्री होल्ड कराने की दिशा में आगे कदम उठाये।

[अनुवाद]

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरुनेलवेली) : महोदया, यह एयर इंडिया में वर्तमान में व्याप्त बड़ी समस्या है। आपको मालूम होगा कि एयर इंडिया का प्रबंधन पिछले कुछ महीनों से कर्मचारियों का वेतन रोके हुए हैं...*(व्यवधान)* इन श्रमिकों में से अधिकांश श्रमिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं और इनमें से कुछ तो अपने बच्चों की शिक्षा, आवास और अन्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण लिया है। वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण अपनी वित्तीय

[श्री एस.एस. रामासुब्बू]

प्रतिबद्धताओं और पारिवारिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हैं...*(व्यवधान)*

गत एक वर्ष से अपनी गम्भीर मुश्किलों और कष्टों के बावजूद कर्मचारी निरंतर और शांतिपूर्वक ढंग से संगठन और देश की तथा विशेषकर वीआईपी, वीवीआईपी तथा यात्रियों की पूर्ण समर्थन, निष्ठा तथा वफादारी के साथ सेवा कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद। अब श्री भर्तृहरि महताब।

...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. रामासुब्बू : महोदया, मैं अपनी मांग का उल्लेख कर रहा हूं। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि मुद्दे को लंबा न खींचें और हस्तक्षेप करके उनकी शिकायतों का निवारण करवायें उनकी लंबित मजदूरी वेतन और अन्य देयराशि को जारी करें और दिनांक 2 अप्रैल से उनकी प्रस्तावित हड़ताल को टाला जाये।...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदया, माओवादी हिंसा की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। न सिर्फ लक्ष्मीपुर के विधायक श्री झेना हिकाका का अपहरण किया गया है और इस घटना को हुए आठ दिन बीत चुके हैं परंतु पहले से अपहृत इतालवी गत 13 दिनों से कंधमाल के जंगलों में बंधक है...*(व्यवधान)*

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के भी अनेक भागों में हिंसा हो रही है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह संबंधित सभी राज्य सरकारों से सक्रियतापूर्वक चर्चा करें और पर्याप्त कदम उठाएं...*(व्यवधान)*

कल हाल ही में एक घटना हुई है। ओडिशा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने – एक मांग, जो कि माओवादियों द्वारा उनकी रिहाई के लिए की गई थी–गणनाथ पात्रा को बरी कर दिया है। यह पहले ही हो चुका है...*(व्यवधान)*

हमें मिलकर वनक्षेत्र में शांति और सद्भाव स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये तथा यथासंभव प्रयास करना चाहिये ताकि ये दोनों व्यक्ति तत्काल रिहा हो सकें। धन्यवाद, महोदया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री शिवकुमार उदासी और श्री देवजी एम. पटेल को स्वयं को श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव) : महोदया, आपने मुझे उत्तर प्रदेश, खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र उन्नाव के मदरसा शिक्षकों की दुर्दशा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। हमारे प्रदेश में हजारों मान्यता प्राप्त मदरसों में सैकड़ों शिक्षक पिछले 2-3 वर्षों से नियमित आधार पर वेतन भुगतान प्राप्त नहीं कर रहे हैं। ये सभी मदरसे हमारी केन्द्रीय सरकार की सैंट्रल स्पांसर्ड स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजूकेशन इन मदरसा (एसपीक्यूईएम) के अंतर्गत आते हैं और इन्हें एचआरडी मिनिस्ट्री से फंड्स भी दिये जाते हैं।...*(व्यवधान)*

महोदया, ज्यादातर शिक्षकों का बकाया वेतन वर्ष 2009-10 में छः महीने का, 2010-11 में पूरे वर्ष का और 2011-12 में अभी तक का भुगतान लम्बित है। उदाहरण के तौर पर मेरे उन्नाव में लगभग 125 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, लेकिन उनमें से केवल 40 मदरसों को वर्ष 2009-10 का वेतन प्राप्त हुआ है। जबकि बाकी सभी शिक्षकों को वर्ष 2009-10 से अब तक का वेतन नहीं मिला है।...*(व्यवधान)*

मुझे एचआरडी मिनिस्ट्री से ज्ञात हुआ है कि केन्द्र सरकार ने वर्ष 2009-10 में यूपी के 1356 मदरसों के लिए 31.90 करोड़ रुपये, ...*(व्यवधान)* वर्ष 2010-11 में 1041 मदरसों के लिए 35.54 करोड़ रुपये व 2010-11 में 1157 मदरसों के लिए 48.24 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इसके अतिरिक्त 2032 मदरसों के लिए 55.72 करोड़ रुपये का भी अनुमोदन किया गया है। ...*(व्यवधान)*

मैडम, मैं लगातार जुलाई, 2009 से इस मुद्दे को हर मुमकिन स्तर पर उठाने का प्रयास कर रही हूं और इस विषय पर मुझे हमारी सरकार के एचआरडी मिनिस्ट्री से पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है। फिर भी मेरे उन्नाव के मदरसा शिक्षक बिना वेतन भुगतान के समाज सेवा में समर्पित हैं। इन परिस्थितियों में शिक्षकों को अपने परिवार के पालन पोषण और जीवित रहने के लिए भी प्रतिदिन

संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से एचआरडी मिनिस्ट्री, राज्य सरकार और माननीय सदस्यों से समर्थन की उम्मीद रखती हूं और यह आशा करती हूं कि हमारे मदरसा शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान जल्द से जल्द होगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : लोक सभा मंगलवार, 24 अप्रैल, 2012 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 24 अप्रैल, 2012/ 4 वैशाख, 1934 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री पी.के. बिजू राजकुमारी रत्ना सिंह	241
2.	श्री हरि मांझी श्री आनंद प्रकाश परांजपे	242
3.	श्री प्रबोध पांडा श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	243
4.	श्री वीरेन्द्र कश्यप श्री मोहम्मद असरारूल हक	244
5.	श्री तथागत सत्पथी	245
6.	श्री यशवीर सिंह श्री एम.बी. राजेश	246
7.	श्री भरत राम मेघवाल	247
8.	श्री रुद्रमाधव राय कुमारी मीनाक्षी नटराजन	248
9.	श्री महेश्वर हजारी श्री लालचन्द कटारिया	249
10.	श्री इज्यराज सिंह श्री नित्यानंद प्रधान	250
11.	श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली श्री घनश्याम अनुरागी	251
12.	श्री आनंदराव अडसुल श्री गजानन ध. बाबर	252
13.	श्रीमती इन्ग्रिड मैक्लोड	253
14.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी श्री हंसराज गं. अहीर	254
15.	श्री माणिकराव होडल्या गावित प्रो. रंजन प्रसाद यादव	255
16.	श्री अजय कुमार	256
17.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	257
18.	श्री प्रताप सिंह बाजवा श्री के. सुगुमार	258
19.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा श्री एस. अलागिरी	259
20.	श्री संजय निरुपम श्री देवजी एम. पटेल	260

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के.एस. विजयन	2921
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	2858, 2925, 2945
3.	श्री आनंदराव अडसुल	2858, 2925, 2945

1	2	3
4.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	2796, 2820, 2963
5.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	2972
6.	श्री हंसराज गं. अहीर	2839, 2946, 2973
7.	श्री बदरूद्दीन अजमल	2811
8.	श्री एम. आनंदन	2921, 2923
9.	श्री अनंत कुमार	2909
10.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	2885, 2888, 2966
11.	श्री सुरेश अंगड़ी	2774, 2951, 2954, 2966
12.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	2956
13.	श्री गजानन ध. बाबर	2925, 2945
14.	श्री विजय बहुगुणा	2917
15.	श्री रमेश बैस	2873
16.	श्री कामेश्वर बैठा	2887, 2954
17.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	2943, 2961
18.	श्री अम्बिका बनर्जी	2863, 2953
19.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी	2954
20.	श्री सुदर्शन भगत	2883
21.	श्री ताराचन्द भगोरा	2898, 2937, 2954
22.	श्री संजय भोई	2946, 2957, 2958
23.	श्री समीर भुजबल	2942
24.	श्री पी.के. बिजू	2935
25.	श्री कुलदीप बिश्नोई	2785
26.	श्री हेमानंद बिसवाल	2868

1	2	3
27.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	2761, 2873, 2953
28.	श्री सी. शिवासामी	2819, 2943
29.	श्रीमती विजया चक्रवर्ती	2817
30.	श्री सी.एम. चांग	2781, 2965
31.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	2818, 2956, 2973
32.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	2792, 2951, 2968, 2989
33.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	2971
34.	श्री भूदेव चौधरी	2835
35.	श्री निखिल कुमार चौधरी	2862
36.	श्रीमती श्रुति चौधरी	2814, 2943, 2955
37.	श्री अधीर चौधरी	2936
38.	श्री भक्त चरण दास	2879
39.	श्री खगेन दास	2850, 2912, 2944
40.	श्री राम सुन्दर दास	2832, 2888
41.	श्रीमती दीपा दासमुंशी	2911, 2959
42.	श्रीमती रमा देवी	2948, 2951
43.	श्री के.पी. धनपालन	2870
44.	श्री संजय धोत्रे	2830
45.	श्री आर. ध्रुवनारायण	2775, 2939
46.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	2792, 2852, 2978
47.	श्री चार्ल्स डिएस	2842
48.	श्री निशिकांत दुबे	2869
49.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	2837

1	2	3
50.	श्री निनोंग ईरींग	2859
51.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	2832
52.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	2946, 2957, 2958, 2959
53.	श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी	2802, 2954
54.	श्रीमती मेनका गांधी	2768
55.	श्री वरुण गांधी	2839, 2964
56.	श्री माणिकराव होडल्या गावित	2935, 2941
57.	श्री एल. राजगोपाल	2816, 2944
58.	श्री शिवराम गौडा	2845, 2853, 2968
59.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	2769, 2941, 2962
60.	डॉ. सुचारू रंजन हल्दर	2858
61.	शेख सैदुल हक	2889, 2942
62.	श्री महेश्वर हजारी	2773, 2938, 2942
63.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	2761, 2894
64.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	2950
65.	श्री बलीराम जाधव	2937, 2945
66.	डॉ. संजय जायसवाल	2849
67.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	2805, 2950, 2951
68.	श्रीमती दर्शना जरदोश	2833
69.	श्री हरिभाऊ जावले	2935
70.	श्री नवीन जिन्दल	2779, 2954, 2955, 2977
71.	श्री महेश जोशी	2783, 2979
72.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	2929

1	2	3
73.	श्री प्रहलाद जोशी	2868, 2874, 2928, 2967
74.	डॉ. ज्योति मिर्धा	2943
75.	श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश	2832, 2893
76.	श्री सुरेश कलमाडी	2855, 2919, 2953
77.	श्री पी. करूणाकरन	2845, 2954
78.	श्री कपिल मुनि करवारिया	2832, 2888
79.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	2937
80.	श्री राम सिंह कस्वां	2860, 2967, 2971, 2989
81.	श्री लालचन्द कटारिया	2965
82.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	2832, 2970
83.	श्री चंद्रकांत खैरे	2770
84.	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	2888, 2953, 2959
85.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	2825, 2830, 2947, 2955
86.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	2940
87.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	2876, 2931, 2965, 2972
88.	श्री जी.वी. हर्ष कुमार	2886
89.	श्री मिथिलेश कुमार	2961
90.	श्री विश्व मोहन कुमार	2941
91.	श्री पी. कुमार	2892, 2943, 2944, 2954
92.	श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली	2943, 2944
93.	श्रीमती चन्द्रेश कुमारी	2951, 2964
94.	श्री एन. पीताम्बर कुरूप	2776, 2823, 2873, 2961
95.	श्री यशवंत लागुरी	2871, 2950

1	2	3
96.	श्री पी. लिंगम	2851
97.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	2804
98.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	2841
99.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	2832, 2905, 2942, 2970
100.	श्री नरहरि महतो	2861, 2952
101.	श्री भर्तृहरि महताब	2848
102.	श्री प्रदीप माझी	2832, 2864, 2891
103.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	2880
104.	श्री मंगनी लाल मंडल	2830
105.	श्री जोस के. मणि	2800, 2935, 2966
106.	श्री हरि मांझी	2936
107.	श्री रघुवीर सिंह मीणा	2945
108.	श्री दत्ता मेघे	2890
109.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	2780
110.	डॉ. थोकचोम मैन्या	2962
111.	श्री महाबल मिश्रा	2946, 2955
112.	श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र	2947
113.	श्री सोमेन मित्रा	2846
114.	श्री पी.सी. मोहन	2873
115.	श्री गोपीनाथ मुंडे	2964
116.	श्री विलास मुत्तेमवार	2915
117.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	2857, 2888
118.	श्री नामा नागेश्वर राव	2844

1	2	3
119.	श्री इन्दर सिंह नामधारी	2881
120.	श्री नारनभाई कछाड़िया	2904, 2964
121.	श्री संजय निरूपम	2940
122.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	2941
123.	श्री असादुद्दीन ओवेसी	2778, 2976
124.	श्री पी.आर. नटराजन	2797, 2990
125.	श्री जगदम्बिका पाल	2884
126.	श्री वैजयंत पांडा	2847, 2967
127.	श्री प्रबोध पांडा	2964
128.	श्री राकेश पाण्डेय	2867
129	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	2855, 2961
130.	श्री गोरखनाथ पाण्डेय	2906
131.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	2920
132.	श्री जयराम पांगी	2782, 2978
133.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	2946, 2957, 2958, 2959
134.	श्री देवजी एम. पटेल	2954
135.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	2776
136.	श्री बाल कुमार पटेल	2926
137.	श्री किसनभाई वी. पटेल	2832, 2864, 2891
138.	श्री हरिन पाठक	2858, 2956
139.	श्री संजय दिना पाटील	2854
140.	श्री ए.टी. नाना पाटील	2856, 2961
141.	श्रीमती भावना पाटील गवली	2960

1	2	3
142.	श्री सी.आर. पाटिल	2927
143.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	2930
144.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	2946, 2957, 2958
145.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	2897
146.	श्रीमती कमला देवी पटले	2780, 2810, 2955
147.	श्री पोन्नम प्रभाकर	2768, 2772, 2974
148.	श्री नित्यानंद प्रधान	2847, 2967
149.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	2843
150.	श्री प्रेमदास	2832, 2940, 2961, 2963
151.	श्री पन्ना लाल पुनिया	2830, 2935, 2944
152.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	2833, 2924
153.	श्री एम.के. राघवन	2812, 2940
154.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	2968
155.	श्री अब्दुल रहमान	2873, 2875, 2955
156.	श्री सी. राजेन्द्रन	2877, 2942
157.	श्री एम.बी. राजेश	2806, 2954
158.	श्री पूर्णमासी राम	2793, 2942, 2958
159.	श्री रामकिशुन	2832, 2967
160.	श्री कादिर राणा	2806, 2955
161.	श्री निलेश नारायण राणे	2766
162.	श्री रायापति सांबासिवा राव	2820, 2935, 2954
163.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	2834, 2945
164.	श्री रमेश राठौड़	2850

1	2	3
165.	श्री रामसिंह राठवा	2809
166.	डॉ. रत्ना डे	2795
167.	श्री अशोक कुमार रावत	2876, 2935
168.	श्री अर्जुन राय	2895
169.	श्री विष्णु पद राय	2821
170.	श्री रुद्रमाधव राय	2941, 2980
171.	श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी	2872
172.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	2767, 2982
173.	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	2934, 2939
174.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	2784, 2942, 2961
175.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	2861, 2952
176.	श्री एस. अलागिरी	2951
177.	श्री एस. सेम्मलई	2799, 2866, 2960
178.	श्री एस. पक्कीरप्पा	2827, 2935, 2971
179.	श्री एस.आर. जेयदुरई	2808
180.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	2771, 2830, 2942, 2964
181.	डॉ. अनूप कुमार साहा	2874, 2954
182.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	2832, 2855
183.	श्रीमती सुशीला सरोज	2773, 2777, 2938, 2942
184.	श्री तूफानी सरोज	2899
185.	श्री तथागत सत्पथी	2940
186.	श्री हमदुल्लाह सईद	2765, 2855, 2911
187.	श्रीमती जे. शांता	2792, 2876, 2910

1	2	3
188.	श्री नीरज शेखर	2938
189.	श्री गोपाल सिंह शेखावत	2840, 2953
190.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	2791, 2898, 2906, 2988
191.	श्री राजू शेट्टी	2815
192.	श्री एंटो एंटोनी	2933, 2940
193.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	2831
194.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	2786, 2983
195.	डॉ. भोला सिंह	2903
196.	श्री भूपेन्द्र सिंह	2789, 2886, 2955, 2971, 2986
197.	श्री गणेश सिंह	2918
198.	श्री जगदानंद सिंह	2907
199.	श्रीमती मीना सिंह	2902, 2946
200.	श्री मुरारी लाल सिंह	2763, 2972
201.	श्री पशुपति नाथ सिंह	2826, 2887, 2935, 2951
202.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	2824, 2883, 2938
203.	श्री राधा मोहन सिंह	2914, 2941
204.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	2882
205.	श्री राकेश सिंह	2878
206.	श्री रतन सिंह	2865
207.	श्री रवनीत सिंह	2792, 2803, 2867
208.	श्री सुशील कुमार सिंह	2866, 2932, 2941
209.	श्री उदय सिंह	2896
210.	श्री यशवीर सिंह	2938, 2940

1	2	3
211.	चौधरी लाल सिंह	2866, 2937
212.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	2955, 2962
213.	श्री राधे मोहन सिंह	2836, 2961
214.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	2895, 2929, 2969
215.	राजकुमारी रत्ना सिंह	2764, 2948, 2949, 2950
216.	श्री उदय प्रताप सिंह	2965
217.	डॉ. संजय सिंह	2805, 2949
218.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	2762, 2906, 2946, 2954, 2985
219.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	2934
220.	श्री के. सुधाकरण	2807, 2840, 2898, 2954, 2981
221.	श्री ई.जी. सुगावनम	2771, 2904, 2944
222.	श्री के. सुगुमार	2984
223.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	2801, 2875, 2968
224.	डॉ. राजन सुशान्त	2955
225.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	2822, 2830
226.	श्रीमती अन्नू टन्डन	2921
227.	श्री अशोक तंवर	2787, 2867, 2954
228.	श्री मनीष तिवारी	2873, 2964
229.	श्री आर. थामराईसेलवन	2798, 2966
230.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	2900
231.	डॉ. शशी थरूर	2873, 2901
232.	श्री पी.टी. थॉमस	2913
233.	श्री मनोहर तिरकी	2855, 2916

1	2	3
234.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	2828
235.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	2761, 2860, 2946, 2953, 2981
236.	श्री लक्ष्मण टुडु	2871, 2935
237.	श्री शिवकुमार उदासी	2794, 2935
238.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	2938
239.	श्री हर्ष वर्धन	2885, 2888, 2969
240.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	2813
241.	श्री सज्जन वर्मा	2838
242.	श्रीमती ऊषा वर्मा	2773, 2938, 2942
243.	श्री वीरेन्द्र कुमार	2829, 2942, 2954
244.	श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ	2853
245.	श्री पी. विश्वनाथन	2922, 2929
246.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	2788
247.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	2908
248.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	2764, 2773, 2935
249.	श्री धर्मेन्द्र यादव	2945
250.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	2966
251.	श्री ओम प्रकाश यादव	2790, 2987
252.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	2975
253.	श्री मधुसूदन यादव	2873, 2940
254.	योगी आदित्यनाथ	2940

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	243, 246, 247, 248
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	242, 252, 254, 255, 256
खान	:	245, 259
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	
पंचायती राज	:	260
विद्युत	:	241, 249, 250, 257, 258
पर्यटन	:	244
जनजातीय कार्य	:	
महिला और बाल विकास	:	251, 253.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	2762, 2764, 2766, 2772, 2775, 2777, 2780, 2783, 2790, 2791, 2797, 2798, 2799, 2800, 2807, 2809, 2814, 2815, 2816, 2817, 2819, 2820, 2823, 2825, 2828, 2834, 2835, 2837, 2838, 2842, 2844, 2848, 2851, 2853, 2854, 2860, 2861, 2862, 2863, 2866, 2869, 2870, 2875, 2884, 2885, 2888, 2891, 2892, 2893, 2898, 2900, 2903, 2905, 2906, 2907, 2908, 2913, 2914, 2915, 2916, 2918, 2922, 2923, 2928, 2929, 2931, 2935, 2937, 2938, 2941, 2947, 2948, 2949, 2950, 2957, 2960, 2961, 2966, 2969, 2970, 2974, 2979, 2984, 2987, 2988, 2989
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	2767, 2776, 2781, 2782, 2788, 2793, 2795, 2801, 2804, 2806, 2808, 2813, 2818, 2821, 2824, 2827, 2829, 2830, 2832, 2833, 2839, 2840, 2845, 2847, 2852, 2858, 2864, 2865, 2868, 2872, 2874, 2876, 2877, 2878, 2879, 2882, 2886, 2889, 2896, 2897, 2899, 2901, 2904, 2917, 2920, 2927, 2930, 2933, 2934, 2939, 2940, 2942, 2943, 2944, 2953, 2954, 2956, 2958, 2962, 2963, 2965, 2967, 2973, 2975, 2977, 2980, 2983

खान	:	2763, 2810, 2826, 2843, 2849, 2859, 2887
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	2768, 2786, 2792, 2796, 2803, 2856, 2867, 2910, 2921, 2926, 2990
पंचायती राज	:	2761, 2831, 2932, 2936, 2978, 2982
विद्युत	:	2787, 2789, 2794, 2802, 2805, 2822, 2841, 2850, 2873, 2881, 2894, 2895, 2902, 2925, 2946, 2959, 2968, 2981, 2985
पर्यटन	:	2771, 2774, 2785, 2812, 2855, 2857, 2880, 2909, 2952, 2972
जनजातीय कार्य	:	2770, 2811, 2871, 2883, 2890, 2912, 2919, 2924
महिला और बाल विकास	:	2765, 2769, 2773, 2778, 2779, 2784, 2836, 2846, 2911, 2945, 2951, 2955, 2964, 2971, 2976, 2986.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/24/14/2012 (एन०)
230

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।